SUPREME AUDIT INSTITUTION OF INDIA
लोकहितार्थ सत्यनिष्ठा
Dedicated to Truth in Public Interest

# भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन
# 31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष

## मध्य प्रदेश शासन
## 2024 का प्रतिवेदन संख्या 10
## (अनुपालन लेखापरीक्षा-सिविल)

# भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन
# 31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष हेतु

**मध्य प्रदेश शासन**

2024 का प्रतिवेदन संख्या 10

| विषय सूची | | |
|---|---|---|
| | **कंडिका क्रमांक** | **पृष्ठ संख्या** |
| प्राक्कथन | | vii |
| **अध्याय I-विहंगावलोकन** | | |
| इस प्रतिवेदन के विषय में | 1.1 | 1 |
| लेखापरीक्षित इकाईयों की रूपरेखा | 1.2 | 1 |
| प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा-I) का कार्यालय | 1.3 | 3 |
| लेखापरीक्षा का प्राधिकार | 1.4 | 3 |
| लेखापरीक्षा की योजना एवं संचालन | 1.5 | 4 |
| लेखापरीक्षा निष्कर्षों पर विभागों की प्रतिक्रिया | 1.6 | 6 |
| महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा प्रेक्षण | 1.7 | 8 |
| अभिस्वीकृति | 1.8 | 15 |
| **अध्याय II-अनुपालन लेखापरीक्षा** | | |
| **राजस्व विभाग** | | |
| प्राकृतिक आपदाओं के अंतर्गत वित्तीय सहायता की लेखापरीक्षा | 2.1 | 17 |
| शासकीय भूमि के आवंटन एवं प्रबंधन पर लेखापरीक्षा | 2.2 | 47 |
| **श्रम विभाग** | | |
| मुख्यमंत्री जन कल्याण (संबल) योजना के क्रियान्वयन की लेखापरीक्षा | 2.3 | 85 |

परिशिष्टों की सूची


| परिशिष्ट क्रमांक | विवरण | पृष्ठ संख्या |
|---|---|---|
| 1.1 | बकाया निरीक्षण प्रतिवेदनों एवं कंडिकाओं का विभागवार विवरण | 123 |
| 1.2 | व्याख्यात्मक टिप्पणी हेतु बकाया कंडिकाओं का विभागवार विवरण | 125 |
| 1.3 | 31 मार्च 2023 की स्थिति में मध्य प्रदेश शासन से लोक लेखा समिति की सिफारिशों पर कार्यवाही टिप्पणी (ए.टी.एन.) प्राप्त होनी थी | 126 |
| 2.1.1 | योजनावार व्यय का विवरण | 128 |
| 2.1.2 (क) | सिवनी जिले में वित्तीय सहायता के संदिग्ध कपटपूर्ण वितरण का विवरण | 129 |
| 2.1.2 (ख) | सिवनी जिले में वेतन मद से संदिग्ध कपटपूर्ण भुगतान का विवरण | 131 |
| 2.1.2 (ग) | सिवनी जिले में ओलावृष्टि, बाढ़/अतिवृष्टि हेतु संदिग्ध कपटपूर्ण भुगतान का विवरण | 133 |
| 2.1.3 (क) | श्योपुर जिले की बड़ौदा और श्योपुर तहसीलों में किए गए संदिग्ध कपटपूर्ण भुगतान का विवरण- लाभार्थियों के नामों में विसंगति | 134 |
| 2.1.3 (ख) | श्योपुर जिले की बड़ौदा और कराहल तहसीलों में अन्य संदिग्ध कपटपूर्ण भुगतानों का विवरण | 140 |
| 2.1.4 | सीहोर जिले की तहसीलों में किये गये संदिग्ध कपटपूर्ण भुगतान का विवरण | 143 |
| 2.1.5 (क) | शिवपुरी जिले में संदिग्ध कपटपूर्ण भुगतान का विवरण | 145 |
| 2.1.5 (ख) | शिवपुरी जिले की पोहरी तहसील में वेतन एवं अन्य मदों से संदिग्ध कपटपूर्ण आहरण का विवरण | 150 |
| 2.1.6 | देवास जिले में संदिग्ध कपटपूर्ण राहत वितरण का विवरण | 154 |
| 2.1.7 | छतरपुर जिले में रिफंड, सूखा एवं अतिवृष्टि संबंधी बिलों के | 158 |

| परिशिष्टों की सूची | | |
|---|---|---|
| **परिशिष्ट क्रमांक** | **विवरण** | **पृष्ठ संख्या** |
| | माध्यम से संदिग्ध कपटपूर्ण भुगतान का विवरण | |
| 2.1.8 | खंडवा जिले की खालवा तहसील में संदिग्ध कपटपूर्ण भुगतान का विवरण | 159 |
| 2.1.9 (क) | मंदसौर जिले की मल्हारगढ़ और सीतामऊ तहसीलों में संदिग्ध कपटपूर्ण भुगतान का विवरण- लाभार्थियों के नामों में विसंगति | 160 |
| 2.1.9 (ख) | मंदसौर जिले की मल्हारगढ़ तहसील में अनधिकृत व्यक्तियों को राहत के संदिग्ध कपटपूर्ण भुगतान का विवरण | 161 |
| 2.1.9 (ग) | मंदसौर जिले की सीतामऊ तहसील में रिफंड बिलों से संदिग्ध कपटपूर्ण निकासी | 162 |
| 2.1.10 (क) | रायसेन जिले में राहत राशि के संदिग्ध कपटपूर्ण भुगतान - लाभार्थियों के नामों में विसंगति | 164 |
| 2.1.10 (ख) | रायसेन जिले में अनधिकृत व्यक्तियों को राहत राशि के संदेहस्पद कपटपूर्ण भुगतान | 165 |
| 2.1.11 (क) | दमोह जिले में संदिग्ध कपटपूर्णता भुगतान - लाभार्थियों के नामों में विसंगति | 166 |
| 2.1.11 (ख) | दमोह जिले में अनधिकृत व्यक्तियों को संदिग्ध कपटपूर्ण भुगतान | 167 |
| 2.1.12 | सतना जिले में संदिग्ध कपटपूर्ण भुगतान का विवरण | 168 |
| 2.1.13 (क) | आगर-मालवा जिले में संदिग्ध कपटपूर्ण भुगतान - लाभार्थियों के नामों में विसंगति | 169 |
| 2.1.13 (ख) | आगर-मालवा जिले में अनधिकृत व्यक्तियों को राहत के संदिग्ध कपटपूर्ण भुगतान | 170 |
| 2.1.14 | विदिशा जिले में संदिग्ध कपटपूर्ण भुगतान का विवरण | 171 |
| 2.1.15 | शिवपुरी जिले में सूखा राहत के अनियमित वितरण का विवरण | 174 |
| 2.1.16 | देवास जिले में एकाधिक लेनदेन के माध्यम से अनियमित | 176 |

परिशिष्टों की सूची



| परिशिष्ट क्रमांक | विवरण | पृष्ठ संख्या |
|---|---|---|
| | संवितरण का विवरण | |
| 2.1.17 | देवास जिले की बागली तहसील में अनियमित वितरण का विवरण | 177 |
| 2.1.18 | विदिशा जिले में सूखा राहत के अनियमित वितरण का विवरण | 178 |
| 2.1.19 | खंडवा जिले में समितियों के खातों में ₹164.31 करोड़ जमा करने का विवरण | 183 |
| 2.1.20 | सहकारी समितियों और तहसीलदारों के आंकड़ों के बीच ₹ 8.28 करोड़ की विसंगति का विवरण | 187 |
| 2.1.21 | तहसीलदारों द्वारा अपनी वित्तीय शक्तियों से परे किए गए भुगतान का विवरण | 189 |
| 2.2.1 (क) | चयनित जिलों, तहसीलों और ग्रामों की सूची | 195 |
| 2.2.1 (ख) | संयुक्त भौतिक निरीक्षण हेतु चयनित स्थलों की सूची | 196 |
| 2.2.2 | मार्गदर्शिका दरों के गलत अनुप्रयोग द्वारा बाजार मूल्य का कम मूल्यांकन | 204 |
| 2.2.3 | एम.पी.डब्ल्यू.एल.सी. को शून्य प्रीमियम और वार्षिक पट्टा किराया पर भूमि आवंटन के कारण राजस्व की हानि | 205 |
| 2.2.4 | प्रीमियम और वार्षिक पट्टा किराया का कम मूल्यांकन और बकाया राशि पर ब्याज का अनारोपण | 209 |
| 2.2.5 | स्थायी पट्टे का नवीनीकरण न होने से शासकीय राजस्व की हानि | 211 |
| 2.2.6 | म.प्र. राज्य भण्डारगृह निगम को भूमि आवंटन पर प्रीमियम और वार्षिक पट्टा किराया का अनारोपण | 225 |
| 2.2.7 | शास्ति लगाने और आदेश जारी होने के बाद भी अतिक्रमित शासकीय भूमि को खाली न करना/ शासकीय भूमि पर अनधिकृत कब्जा जारी रखने पर शास्ति की वसूली न करना | 228 |
| 2.2.8 | राज्य शासन के विभागों को आवंटित शासकीय भूमि का | 231 |

| परिशिष्टों की सूची | | |
|---|---|---|
| **परिशिष्ट क्रमांक** | **विवरण** | **पृष्ठ संख्या** |
| | अनुपयोगी रहना | |
| 2.2.9 | राजस्व अभिलेखों में हेराफेरी कर शासकीय भूमि की हानि | 233 |
| 2.2.10 | जिलों द्वारा उपलब्ध कराए गए और मध्य प्रदेश भूलेख पोर्टल में दर्शाए गए आंकड़ो में अंतर (31 मार्च 2022 की स्थिति में) | 236 |
| 2.2.11 | एम.पी.एन.बी.एन.एन. के प्रावधानों का पालन न करने के कारण विकासकर्ता को अनुचित लाभ | 237 |
| 2.3.1 | चयनित जिलों, जनपद पंचायत/नगर निगम/पालिका एवं ग्राम पंचायत/वार्ड का विवरण | 238 |
| 2.3.2 | अपील प्रकरणों जिनमें अपीलीय प्राधिकारी ने आवेदक को पंजीकरण के लिए पात्र घोषित किया का विवरण | 239 |
| 2.3.3 | असंगठित श्रमिकों के लंबित भौतिक सत्यापन का विवरण | 240 |
| 2.3.4 | व्यक्तियों जो मृत श्रमिक के परिवार के सदस्य नहीं थे के बैंक खातों में किए गए भुगतान का विवरण | 241 |
| 2.3.5 | प्रकरणों जिनमें संबल एवं बी.ओ.सी.डब्ल्यू. दोनों योजनाओं से सहायता राशि का भुगतान किया गया का विवरण | 242 |
| 2.3.6 | प्रकरणों जिनमें संबल लाभार्थियों को राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना के अंतर्गत अनियमित रूप से सहायता का भुगतान किया गया का विवरण | 252 |
| 2.3.7 | प्रकरणों जिनमें वृद्धावस्था पेंशन प्राप्त कर रहे व्यक्तियों को संबल योजना के अंतर्गत अनियमित रूप से सहायता स्वीकृत की गई का विवरण | 265 |
| 2.3.8 | प्रकरणों जिनमें 60 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों को अनुग्रह सहायता स्वीकृत की गई का विवरण | 267 |
| 2.3.9 | प्रकरणों जिनमें अनुग्रह सहायता का भुगतान अधिक दर पर किया गया का विवरण | 270 |
| 2.3.10 | प्रकरणों जिनमें सहायता का दोहरा भुगतान किया गया का | 276 |

| परिशिष्टों की सूची | | |
|---|---|---|
| **परिशिष्ट क्रमांक** | **विवरण** | **पृष्ठ संख्या** |
| | विवरण | |
| 2.3.11 | प्रकरणों जिनमे श्रमिक की मृत्यु के बाद पंजीकृत किया गया एवं उत्तराधिकारी को अनुग्रह सहायता स्वीकृत की गई का विवरण | 277 |
| 2.3.12 | प्रकरणों जिनमें गलत उत्तराधिकारी को सहायता का भुगतान किया गया का विवरण | 281 |
| 2.3.13 | चयनित शहरी स्थानीय निकाय/पंचायती राज संस्था वार प्रकरणों जिसमें अंत्येष्टि सहायता का भुगतान नहीं किया गया की संख्या दर्शाने वाला विवरण | 284 |
| 2.3.14 | चयनित शहरी स्थानीय निकायों/पंचायती राज संस्थाओं में प्राप्त, उपयोग किये गए एवं अव्ययित निधि का विवरण | 285 |
| 2.3.15 (क) | प्रकरणों जिनमें पदाभिहित अधिकारी ने पात्र लाभार्थियों को लाभ से इनकार किया का विवरण | 288 |
| 2.3.15 (ख) | प्रकरणों जिनमे अपीलीय प्राधिकारी ने पात्र लाभार्थियों को लाभ अस्वीकृत कर दिया का विवरण | 291 |
| | संक्षिप्तों की शब्दावली | 294 |

# प्राक्कथन

मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिये, भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के अंतर्गत राज्य के विधानमंडल के समक्ष रखे जाने के लिये, यह प्रतिवेदन मध्य प्रदेश के राज्यपाल को प्रस्तुत करने हेतु तैयार किया गया है।

इस प्रतिवेदन में मध्य प्रदेश के राजस्व और श्रम विभाग की अनुपालन लेखापरीक्षा के महत्वपूर्ण परिणाम समाहित हैं। लेखापरीक्षा, नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां एवं सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 के अंतर्गत की गई है।

प्रतिवेदन में उल्लिखित मामले वे हैं जो 2021-22 की अवधि के दौरान नमूना लेखापरीक्षा के दौरान जानकारी में आए। वे मामले जो पिछले वर्षों में जानकारी में आए थे, लेकिन पूर्ववर्ती लेखापरीक्षा प्रतिवेदनो में सम्मिलित नहीं किए जा सके थे, उन्हें भी शामिल किया गया है। इसके अतिरिक्त, वर्ष 2021-22 के बाद की अवधि से संबंधित प्रकरणो को भी, जहाँ आवश्यक हो, शामिल किया गया है।

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा जारी लेखापरीक्षा मानकों के अनुरूप लेखापरीक्षा सम्पादित की गई है।

यह अनुवादित संस्करण है। इस अनुवादित संस्करण में अंग्रेजी संस्करण से कोई भिन्नता पाये जाने पर, अंग्रेजी संस्करण में उल्लिखित तथ्य मान्य होंगे।

# अध्याय - 1

# विहंगावलोकन

# अध्याय-I : विहंगावलोकन

## 1.1 इस प्रतिवेदन के विषय में

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (सी.ए.जी) के इस प्रतिवेदन में मध्य प्रदेश शासन के विभिन्न लेखापरीक्षित विभागों की अनुपालन लेखापरीक्षा से उद्भूत प्रकरण शामिल हैं।

इस प्रतिवेदन का प्राथमिक उद्देश्य लेखापरीक्षा के महत्वपूर्ण परिणामों को राज्य विधानसभा के संज्ञान में लाना है। लेखापरीक्षा के निष्कर्षों से कार्यकारी को सुधारात्मक कार्रवाई करने, उचित नीतियों को तैयार करने के साथ-साथ ऐसे निर्देश जारी करने में सक्षम बनाना अपेक्षित है जो संगठनों के बेहतर वित्तीय प्रबंधन को बढ़ावा देगा और बेहतर प्रशासन में योगदान देगा।

यह अध्याय लेखापरीक्षा की योजना और कार्यक्षेत्र, लेन-देन की लेखापरीक्षा के दौरान किए गए निष्कर्षों/प्रेक्षणों पर विभागों और सरकार की प्रतिक्रिया तथा पूर्ववर्ती लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर अनुवर्ती कार्रवाई की व्याख्या करता है।

## 1.2 लेखापरीक्षित इकाईयों की रूपरेखा

वर्ष 2019-22 की तीन वर्ष की अवधि के दौरान प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा-I), मध्य प्रदेश के कार्यालय के लेखापरीक्षा क्षेत्राधिकार के तहत मध्य प्रदेश शासन के 55 विभागों में से 33[1] लेखापरीक्षित विभागों द्वारा किए गए व्यय का सारांश नीचे दिया गया है:

**तालिका: 1.1**

**(₹ करोड़ में)**

| क्र.सं. | विभाग का नाम | 2019-20 | 2020-21 | 2021-22 |
|---|---|---|---|---|
| 1. | स्कूल शिक्षा विभाग | 19,046.17 | 20,953.88 | 22,286.89 |
| 2. | पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग | 24,663.38 | 24,194.34 | 20,367.12 |
| 3. | किसान कल्याण एवं कृषि विकास विभाग | 15,172.39 | 13,706.75 | 15,553.35 |
| 4. | लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग | 6,762.62 | 7,226.08 | 9,719.12 |
| 5. | जनजातीय कार्य विभाग | 7,448.83 | 6,858.82 | 7,364.68 |
| 6. | गृह विभाग | 7,258.04 | 7,338.56 | 7,350.06 |
| 7. | राजस्व विभाग | 7,796.97 | 12,095.11 | 7,287.22 |
| 8. | जल संसाधन विभाग | 7,182.45 | 6,251.08 | 6,603.61 |
| 9. | नर्मदा घाटी विकास विभाग | 3,224.97 | 5,031.95 | 4,776.21 |
| 10. | महिला एवं बाल विकास विभाग | 4,659.36 | 4,833.02 | 4,774.85 |

---

[1] *मध्यप्रदेश शासन के 55 विभागों में से शेष 22 महालेखाकार (लेखा परीक्षा-II), मध्य प्रदेश, भोपाल के कार्यालय के लेखापरीक्षा अधिकार क्षेत्र में हैं।*

| क्र.सं. | विभाग का नाम | 2019-20 | 2020-21 | 2021-22 |
|---|---|---|---|---|
| 11. | सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग | 749.07 | 668.90 | 3,787.15 |
| 12. | उच्च शिक्षा विभाग | 2,218.28 | 2,634.92 | 2,736.97 |
| 13. | चिकित्सा शिक्षा विभाग | 2,033.95 | 1,770.65 | 2,033.93 |
| 14. | सहकारिता विभाग | 501.41 | 582.00 | 1,711.23 |
| 15. | श्रम विभाग | 778.87 | 938.05 | 1,601.76 |
| 16. | कानून एवं विधायी कार्य विभाग | 1,626.13 | 1,537.62 | 1,504.63 |
| 17. | अनुसूचित जाति कल्याण विभाग | 1,062.49 | 1,282.96 | 1,488.06 |
| 18. | पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग | 854.10 | 896.15 | 1,399.96 |
| 19. | खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग | 958.78 | 864.69 | 1,291.24 |
| 20. | तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग | 948.19 | 967.50 | 1,127.88 |
| 21. | पशुपालन एवं डेयरी विभाग | 987.64 | 849.76 | 914.03 |
| 22. | सामान्य प्रशासन विभाग | 597.72 | 602.77 | 668.83 |
| 23. | आयुष विभाग | 511.04 | 436.03 | 577.74 |
| 24. | उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग | 617.20 | 406.98 | 463.13 |
| 25. | जेल विभाग | 383.63 | 423.91 | 447.13 |
| 26. | जनसंपर्क विभाग | 330.49 | 331.48 | 369.88 |
| 27. | खेल एवं युवा कल्याण विभाग | 139.25 | 145.26 | 199.61 |
| 28. | मछुआ कल्याण एवं मत्स्य विकास विभाग | 80.08 | 112.46 | 156.18 |
| 29. | भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास विभाग | 102.75 | 109.98 | 117.44 |
| 30. | कुटीर एवं ग्रामोद्योग विभाग[2] | 121.60 | 92.09 | 89.06 |
| 31. | संसदीय कार्य (राज्य विधान सभा) विभाग | 81.48 | 80.49 | 78.47 |
| 32. | लोक सेवा प्रबंधन विभाग | 53.82 | 47.83 | 47.49 |
| 33. | विमुक्त,घुमन्तु एवं अर्ध्द घुमन्तु कल्याण विभाग | 18.43 | 17.57 | 18.44 |
| | **कुल** | **1,18,971.58** | **1,24,289.64** | **1,28,913.35** |

(**स्रोत:** संबंधित वर्षों के लिए मध्य प्रदेश शासन के विनियोग खाते और वित्त विभाग, मध्य प्रदेश शासन से एकत्रित आँकड़े)

[2] *दो निदेशालय अर्थात हथकरघा एवं हस्तशिल्प निदेशालय तथा रेशम उत्पादन निदेशालय, कुटीर एवं ग्रामीण उद्योग विभाग के अधीन हैं। रेशम उत्पादन निदेशालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा-I), मध्य प्रदेश के कार्यालय के लेखापरीक्षा क्षेत्राधिकार के अधीन है।*

## 1.3 प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा-I) का कार्यालय

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की ओर से प्रधान महालेखाकार (लेखा परीक्षा-I), मध्य प्रदेश के कार्यालय द्वारा मध्य प्रदेश शासन के 55 विभागों में से 33 विभागों के साथ-साथ आठ सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पी.एस.यू.) एवं तीन स्वायत्त निकायों[3] की लेखापरीक्षा की जाती है।

***प्रधान महालेखाकार का कार्यालय***

## 1.4 लेखापरीक्षा का प्राधिकार

भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 से 151 सहपठित नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, शक्तियाँ और सेवा शर्तें) अधिनियम, 1971 (डी.पी.सी. अधिनियम) से नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का लेखापरीक्षा का प्राधिकार उद्भूत है। नियंत्रक-महालेखापरीक्षक, डी.पी.सी. अधिनियम के निम्नलिखित प्रावधानों के आधार पर शासन के विभागों की लेखापरीक्षा करता है:

- व्यय की लेखापरीक्षा डी.पी.सी. अधिनियम की धारा 13[4] के तहत की जाती है;
- सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की लेखापरीक्षा डी.पी.सी. अधिनियम की धारा 19(1)[5] के अन्तर्गत की जाती है;

---

[3] *मध्य प्रदेश मानवाधिकार आयोग, मध्य प्रदेश भवन और अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड और राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण (50 जिला कानूनी सेवा प्राधिकरण सहित)।*

[4] *(i) राज्य की संचित निधि से सभी लेन-देन (ii) आकस्मिकता निधि एवं लोक लेखा से संबंधित सभी लेन—देन तथा (iii) राज्य के किसी भी विभाग में रखे गये सभी व्यवसाय, विनिर्माण, लाभ और हानि लेखा, तुलना—पत्रों और अन्य सहायक लेखाओं की लेखापरीक्षा।*

[5] *सरकारी कंपनियों के लेखाओं की लेखापरीक्षा कंपनी अधिनियम, 2013 के उपबंधो के अनुसार की जाती है।*

- **स्वायत्त निकायों** की लेखापरीक्षा डी.पी.सी अधिनियम की धारा 19(2)[6] और 20(1)[7] के अन्तर्गत की जाती है;

- ***स्थानीय निकायों*** की लेखा परीक्षा डी.पी.सी अधिनियम की धारा 20(1) के तहत की जाती है;

- इसके अतिरिक्त, नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा डी.पी.सी. अधिनियम की धारा 14[8] के अन्तर्गत शासन द्वारा पर्याप्त वित्त पोषित **अन्य स्वायत्त निकायों** की लेखापरीक्षा भी की जाती है।

विभिन्न लेखापरीक्षाओं के लिये सिध्दान्त एवं कार्यप्रणाली नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा उनकी ओर से जारी लेखापरीक्षा मानक तथा लेखा एवं लेखापरीक्षा विनियम सहित अन्य दिशानिर्देशों, नियमावली एवं निर्देशों में निर्धारित हैं।

## 1.5 लेखापरीक्षा की योजना एवं संचालन

लेखापरीक्षा की योजना एवं संचालन तथा लेखापरीक्षा प्रतिवेदन तैयार करने की प्रक्रिया निम्न चित्र दर्शाता है:

*[6] राज्य विधान सभा द्वारा बनाई गई विधि द्वारा या उसके अधीन स्थापित निगमों (जो कंपनियां न हों) के लेखाओं की संबंधित विधान के उपबंधो के अनुसार लेखापरीक्षा।*

*[7] राज्यपाल के अनुरोध पर, किसी निकाय अथवा प्राधिकरण के लेखाओं की ऐसे निबंधनो एवं शर्तों पर जिन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक एवं शासन सहमत हों, की लेखापरीक्षा ।*

*[8] (i) राज्य की संचित निधि से अनुदानों अथवा ऋणों से पर्याप्त वित्त पोषित निकाय/प्राधिरण के प्राप्ति एवं व्यय तथा (ii) किसी निकाय अथवा प्राधिकरण जहाँ इन निकाय अथवा प्राधिकरण को राज्य की संचित निधि से एक वित्तीय वर्ष में ₹ एक करोड़ से कम का अनुदान अथवा ऋण प्रदत्त न हो, के प्राप्ति एवं व्यय की लेखापरीक्षा।*

## चित्र 1.1: लेखापरीक्षा की योजना एवं संचालन एवं लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की तैयारी

**जोखिम का आकलन -** इकाईयों/योजनाओं आदि की लेखापरीक्षा के लिये योजना, जोखिम आकलन में शामिल कुछ मानदंडो पर आधारित है जैसे,

- किया गया व्यय
- लेखापरीक्षा का अंतराल
- गतिविधियों की महत्वपूर्णता/जटिलता
- शासन द्वारा गतिविधि के लिये दी गई प्राथमिकता
- प्रत्यायोजित वित्तीय शक्तियों का स्तर
- आंतरिक नियंत्रण का आकलन
- हितधारकों का हित, आदि

**लेखापरीक्षा की योजना** में विनिश्चित करना शामिल है

- लेखापरीक्षा का क्षेत्र एवं प्रकार- वित्तीय, अनुपालन एवं निष्पादन लेखापरीक्षा
- लेखापरीक्षा उद्देश्य, लेखापरीक्षा का क्षेत्र एवं क्रियाविधि
- विस्तृत लेखापरीक्षा के लिये लेखापरीक्षा इकाईयों एवं लेन-देनों का नमूना चयन

**निरीक्षण प्रतिवेदन** निम्न आधार पर जारी किये जाते हैं

- अभिलेखों की संवीक्षा/ आँकड़ों का विश्लेषण
- लेखापरीक्षा साक्ष्य की जाँच
- लेखापरीक्षा पूछताछ पर प्रस्तुत उत्तर/सूचना
- इकाई प्रमुख /स्थानीय प्रबंधन से चर्चा

**लेखापरीक्षा प्रतिवेदन** तैयार किया जाता है

- महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा प्रेक्षण जो निरीक्षण प्रतिवेदनों या प्रारुप निष्पादन लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों/अनुपालन लेखापरीक्षा प्रतिवदनों में सम्मिलित हों
- लेखापरीक्षा निष्कर्षों पर विभाग/शासन की प्रतिक्रिया को ध्यान में रखते हुये, एवं
- राज्य विधानसभा के पटल पर प्रस्तुतीकरण हेतु राज्यपाल को सौंपा जाना।

प्रत्येक इकाई की अनुपालन लेखापरीक्षा पूर्ण होने के उपरांत, निरीक्षण प्रतिवेदन लेखापरीक्षा निष्कर्षों को समाहित करते हुये इकाई प्रमुख को निरीक्षण प्रतिवेदन की प्राप्ति के एक माह के अंदर उत्तर प्रस्तुत करने के अनुरोध के साथ जारी किया जाता है। जब उत्तर प्राप्त होते हैं,

लेखापरीक्षा निष्कर्ष या तो निराकृत हो जाते हैं या अनुपालन के लिये आगामी कार्यवाही करने की सलाह दी जाती है। इन निरीक्षण प्रतिवेदनों में उल्लेखित महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा प्रेक्षणों, जिन पर शासन में उच्चतम स्तर पर ध्यान देने की आवश्यकता होती है, प्रतिक्रियाओं पर समुचित विचारोपरांत लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में सम्भावित समावेश के पूर्व, शासन को उनकी प्रतिक्रिया के लिये प्रारुप कंडिकाओं के रूप में जारी किये जाते हैं।इसके अतिरिक्त, लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में संभावित समावेश के पूर्व, विशिष्ट मुद्दों, विषयों, योजनाओं पर अनुपालन लेखापरीक्षा के प्रारूप भी शासन को उनकी प्रतिक्रिया के लिये जारी किये जाते हैं। भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के अन्तर्गत ये लेखापरीक्षा प्रतिवेदन मध्य प्रदेश के राज्यपाल को राज्य विधान सभा के पटल पर प्रस्तुत करवाने हेतु सौपे जाते हैं।

## 1.6 लेखापरीक्षा निष्कर्षों पर विभागों की प्रतिक्रिया

### 1.6.1 पूर्व निरीक्षण प्रतिवेदनों पर प्रतिक्रिया

कार्यालय प्रमुखों और अगले उच्चतर प्राधिकारियों को निरीक्षण प्रतिवेदनों में समाहित प्रेक्षणों पर प्रतिक्रिया देना तथा उचित सुधारात्मक कार्रवाई करना आवश्यक है। निरीक्षण प्रतिवेदन में संसूचित लेखापरीक्षा प्रेक्षणों पर आवधिक अंतरालो पर जिला/राज्य स्तर पर प्रधान महालेखाकार के कार्यालय के अधिकारियों की संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ लेखापरीक्षा समिति की बैठकों में भी चर्चा होती है।

मार्च 2023 की स्थिति में, पूर्व वर्षों से संबंधित 13,839 निरीक्षण प्रतिवेदनों में समाहित 51,746 कंडिकायें निराकरण हेतु लंबित थीं जैसा नीचे वर्णित है। इनमें से 1,775 निरीक्षण प्रतिवेदनों में समाहित 9,113 कंडिकाओं (17.61 प्रतिशत) के संबंध में प्रारंभिक उत्तर प्राप्त नहीं हुये। विभाग-वार विवरण ***परिशिष्ट 1.1*** में दिया गया है।

**तालिका-1.2**

| वर्ष | 31 मार्च 2023 की स्थिति में निराकरण हेतु लंबित निरीक्षण प्रतिवेदनों/कंडिकाओं की संख्या | | 31 मार्च 2023 की स्थिति में निरीक्षण प्रतिवेदनों/कंडिकायें जिन पर प्रारंभिक उत्तर भी प्राप्त नहीं हुये। | |
|---|---|---|---|---|
| | निरीक्षण प्रतिवेदन | कंडिका | निरीक्षण प्रतिवेदन | कंडिका |
| 2017-18 एवं पूर्व वर्षों में | 11,964 | 38,521 | 1,051 | 4,231 |
| 2018-19 | 772 | 4,949 | 197 | 1,030 |
| 2019-20 | 1,072 | 8,033 | 497 | 3,629 |
| 2020-21 | 31 | 243 | 30 | 223 |
| **कुल योग** | **13,839** | **51,746** | **1,775** | **9,113** |

**स्रोत:** कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा-प्रथम), मध्य प्रदेश द्वारा संधारित अभिलेख

निरीक्षण प्रतिवेदनों एवं लेखापरीक्षा कंडिकाओं पर कार्यवाही की कमी इन प्रतिवेदनों में इंगित की गई गंभीर वित्तीय अनियमितताओं को बनाये रखने के जोखिम को दर्शाता है। इसके परिणामस्वरूप शासकीय प्रक्रिया में आंतरिक नियंत्रण की कमी, सार्वजनिक वस्तुओं/सेवाओं का अक्षम एवं अप्रभावी प्रदाय, कपट, भ्रष्टाचार एवं शासकीय कोष को नुकसान हो सकता है। इसलिये, राज्य शासन को इन निरीक्षण प्रतिवेदनो एवं कंडिकाओं की समीक्षा करने के लिये एवं इनमें चिन्हित प्रकरणों पर त्वरित कार्यवाही करने के लिये एक उपयुक्त तंत्र स्थापित करने की आवश्यकता है।

### 1.6.2 लेखापरीक्षा प्रेक्षणों पर शासन की प्रतिक्रिया

सभी विभागों को नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदनों में सम्मिलित किये जाने हेतु प्रारुप अनुपालन लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर इनकी प्राप्ति से विशिष्ट समयावधि[9] के भीतर अपनी प्रतिक्रिया प्रेषित करना आवश्यक है। हमने इन तीन प्रारुप अनुपालन लेखापरीक्षा प्रतिवेदनो को, विभागों[10] के अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिवों को लेखापरीक्षा निष्कर्षों पर उनका ध्यान आकृष्ट करने एवं दो सप्ताह के भीतर अपनी प्रतिक्रिया प्रेषित करने के अनुरोध के साथ प्रेषित किया था। यह उनके वैयक्तिक ध्यान में लाया गया था कि यह प्रारुप अनुपालन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन को सम्भवतः भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन, जिसे राज्य विधान सभा के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा, में शामिल किया जाना है एवं लेखापरीक्षा निष्कर्षों पर उनकी टिप्पणियों/प्रतिक्रियाओं को शामिल किया जाना वांछनीय होगा। विभाग द्वारा अनुपालन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन पर दिये गये प्रत्युत्तरो को उचित रुप से प्रतिवेदन में शामिल किया गया है।

### 1.6.3 पूर्व लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में सम्मिलित लेखापरीक्षा कंडिकाओं पर शासन की प्रतिक्रिया

प्रशासनिक विभागों को लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों में सम्मिलित कंडिकाओं एवं समीक्षाओं पर उनके राज्य विधान सभा में प्रस्तुत होने के तीन माह[11] के भीतर, की गई अथवा प्रस्तावित कार्यवाही को अंकित करते हुये व्याख्यात्मक टिप्पणी प्रस्तुत करना आवश्यक है। इस उद्देश्य के लिये, विभागों को लोक लेखा समिति से किसी सूचना अथवा मांग की प्रतीक्षा करना आवश्यक नहीं है। 31 मार्च 2023 की स्थिति में, वर्ष 2016-17 से 2018-19 तक के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में सम्मिलित आठ विभागों के 20 कंडिकाओं/निष्पादन लेखापरीक्षा समीक्षाओं पर व्याख्यात्मक टिप्पणी अप्राप्त थी विवरण ***परिशिष्ट 1.2*** में दिया गया है।

---

[9] *लेखा एवं लेखापरीक्षा विनियम 2020 की कंडिका 137 एवं 138 के अनुसार*

[10] *श्रम विभाग एवं राजस्व विभाग।*

[11] *भारत के नियंत्रक - महालेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर राज्य शासन की प्रतिक्रिया की समीक्षा करने के लिए नियुक्त उच्चाधिकार समिति के प्रतिवेदन की कंडिका 4.30 के अनुसार।*

## 1.6.4 लोक लेखा समिति की सिफारिशों पर सरकार की प्रतिक्रिया

प्रशासकीय विभागों को लोक लेखा समिति की सिफारिशों की प्राप्ति की दिनांक से छः माह[12] के भीतर कार्यवाही टिप्पणी (ए.टी.एन.) प्रस्तुत करना आवश्यक है। मार्च 2023 की स्थिति में, 14 विभागों के संबंध में लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों की 60 कंडिकाओं पर 28 ए.टी.एन. अप्राप्त थे। विवरण ***परिशिष्ट 1.3*** में दिया गया है।

## 1.7 महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा प्रेक्षण

इस प्रतिवेदन में वर्ष 2021-22 के दौरान मध्य प्रदेश शासन के दो विभागों[13] के लेखों एवं लेन-देनों की नमूना जाँच से उद्भूत तीन अनुपालन लेखापरीक्षा के निष्कर्ष शामिल हैं।

इस प्रतिवेदन में दर्शाए गए लेखापरीक्षा के महत्वपूर्ण परिणाम का सार नीचे दिया गया हैं:

### *1.7.1 प्राकृतिक आपदाओं के अंतर्गत वित्तीय सहायता की लेखापरीक्षा*

मध्य प्रदेश शासन प्राकृतिक आपदाओं जैसे कि अत्यधिक वर्षा, ओलावृष्टि, असमय वर्षा, पाला, शीतलहर, कीट, बाढ़, तूफान, भूकंप, सूखा एवं अग्नि दुर्घटनाओं के पीड़ितों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है। राजस्व विभाग, मध्य प्रदेश शासन ने राजस्व पुस्तक परिपत्र 6-4 (आर.बी.सी. 6-4) के माध्यम से प्राकृतिक आपदा पीड़ितों को देय अधिकतम वित्तीय सहायता की सीमा तथा मानदंड निर्धारित किए हैं।

मध्य प्रदेश शासन ने वर्ष 2018-19 से वर्ष 2021-22 के दौरान विभिन्न प्राकृतिक आपदाओं के लिए राहत के रूप में ₹10,060 करोड़ की राशि वितरित की।

चयनित 13 जिलों में प्राकृतिक आपदाओं के तहत वितरित विभिन्न राहतों से संबंधित अभिलेखों की जांच में, लेखापरीक्षा प्रेक्षण निम्नानुसार है :

हमने चयनित 13 जिलों में कर्मचारियों एवं उनके रिश्तेदारों सहित अनधिकृत व्यक्तियों को प्राकृतिक आपदाओं के अंतर्गत राहत के लिए ₹23.81 करोड़ का संदिग्ध कपटपूर्ण वितरण पाया। जाली स्वीकृति आदेश तैयार करके, वास्तविक लाभार्थियों के बजाय अनधिकृत व्यक्तियों के खातों में राहत का भुगतान करके, ई-भुगतान में लाभार्थियों के जाली नामों का उपयोग करके कपटपूर्ण लेनदेन किए गए, जबकि ये खाते बैंक अभिलेखों में अलग-अलग व्यक्तियों के नाम पर पंजीकृत थे। ग्लोबल बजट प्रणाली तथा एकीकृत वित्तीय प्रबंधन सूचना प्रणाली

[12] *भारत के नियंत्रक - महालेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर राज्य शासन की प्रतिक्रिया की समीक्षा करने के लिए नियुक्त उच्चाधिकार समिति के प्रतिवेदन के कंडिका 4.33 के अनुसार।*

[13] *श्रम विभाग एवं राजस्व विभाग।*

(आई.एफ.एम.आई.एस.) की कमियों ने कर्मचारियों को शासकीय धन को गबन करने में सक्षम बनाया।

***(कंडिका 2.1.8.5)***

लाभार्थियों के बैंक खातों में सीधे राहत जमा करने के भारत सरकार एवं मध्य प्रदेश शासन के आदेशों का स्पष्ट उल्लंघन करते हुए, खंडवा जिले के सभी तहसीलदारों ने अतिवृष्टि के कारण फसल क्षति की राहत राशि वितरित करने के लिए 105 सहकारी समितियों को ₹164.31 करोड़ का भुगतान किया। इन समितियों के अभिलेखों की नमूना जांच में, हमें लाभार्थियों की उचित पहचान के बिना भुगतान, तहसीलदारों एवं सहकारी समितियों के आंकड़ों के बीच ₹8.28 करोड़ की विसंगति तथा ₹4.93 करोड़ के अधिक भुगतान जैसी अनियमितताएं मिलीं।

***(कंडिका 2.1.10)***

आठ जिलों (आगर-मालवा, दमोह, देवास, रायसेन, सतना, सीहोर, शिवपुरी, विदिशा) में, हमने सूखे तथा कीट प्रकोप से प्रभावित 6.91 लाख लोगों को ₹563.72 करोड़ की राहत राशि के वितरण में छ: माह से 29 माह तक का विलम्ब पाया, जिसने इन योजनाओं के उद्देश्य को विफल कर दिया।

***(कंडिका 2.1.14)***

लेखापरीक्षा में पाया गया कि प्रणालीगत कमियाँ जैसे कि ग्लोबल बजटिंग में कमी, आई.एफ.एम.आई.एस. में खामियां और बिलों के साथ हानि पत्रक एवं सर्वेक्षण प्रतिवेदन जैसे आवश्यक दस्तावेजों का संलग्न न होना, कपटपूर्ण भुगतान की घटना को सक्षम बनाया।

***(कंडिका 2.1.8.1 से 2.1.8.4)***

**<u>अनुशंसाओं का सारांश</u>**

मध्य प्रदेश शासन को पर्यवेक्षी अधिकारियों सहित जिम्मेदार अधिकारियों को समयबद्ध तरीके से अनुकरणीय दंड देना चाहिए और धोखाधड़ी का पता लगाने के लिए स्वतंत्र एजेंसी के माध्यम से उन जिलों में जांच शुरू करनी चाहिए, जो लेखापरीक्षा में शामिल नहीं थे। इसके अलावा, शासन को भविष्य में ऐसी धोखाधड़ी की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए ग्लोबल बजट प्रणाली तथा आई.एफ.एम.आई.एस. की कमियों की तुरंत समीक्षा करनी चाहिए।

### *1.7.2 शासकीय भूमि के आवंटन एवं प्रबंधन पर लेखापरीक्षा*

शासकीय विभागों, निजी निकायों/व्यक्तियों, राजनीतिक दलों, स्थानीय निकायों, चैरिटेबल संस्थानों आदि को शासकीय भूमि का आवंटन मध्य प्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959, राजस्व पुस्तक परिपत्र (आर.बी.सी.), मध्य प्रदेश नजूल भूमि निर्वर्तन निर्देश, 2020 (24-09-2020 से प्रभावी), शासन द्वारा समय-समय पर जारी अधिसूचनाएँ एवं परिपत्रों के प्रावधानों द्वारा शासित होता है। आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन की उचित जांच के बाद, आवश्यकता का आकलन एवं

निश्चित मानदंडों की पूर्ति के अधीन, विभिन्न श्रेणियों के आवंटियों के संबंध में निर्दिष्ट दरों पर प्रीमियम एवं वार्षिक पट्टा किराया के भुगतान पर अस्थायी या स्थायी पट्टे पर भूमि आवंटित की जाती है।

आठ चयनित जिलों में शासकीय भूमि के आवंटन एवं प्रबंधन की लेखापरीक्षा के दौरान, लेखापरीक्षा ने निम्नानुसार पाया:

जिला भोपाल की हुजुर तहसील (ग्रामीण) में अजीम प्रेमजी फाउंडेशन, बेंगलुरु को बाज़ार मूल्य मार्गदर्शिका के प्रावधानों के उल्लंघन करते हुए 20.234 हेक्टेयर भू-खंड के आवंटन के प्रकरण में भू-खंड के बाज़ार मूल्य के त्रुटिपूर्ण निर्धारण के परिणामस्वरूप प्रीमियम, स्टाम्प शुल्क एवं पंजीयन शुल्क के कम आरोपण/कम भुगतान के परिणामस्वरूप शासकीय कोष को ₹ 65.05 करोड़ की राजस्व हानि हुई।

***(कंडिका 2.2.6.1)***

कलेक्ट्रेट धार में लेखापरीक्षा जांच से पता चला कि आई.एच.बी.एल. इंदौर को भूमि आवंटन के एक प्रकरण में, बदनावर तहसील की ग्राम पंचायत इंद्रावल में आवंटित 3.750 हेक्टेयर भू-खंड के सम्बन्ध में निर्धारित प्रीमियम एवं पट्टा किराया पर पंचायत उपकर नहीं लगाने के परिणामस्वरूप राज्य शासन को ₹ 70.13 लाख की राजस्व हानि हुई।

***(कंडिका 2.2.6.2)***

जिला इंदौर के ग्राम बड़ा बांगड़दा में एक चैरिटेबल ट्रस्ट को शून्य प्रीमियम एवं ₹ एक वार्षिक पट्टा किराये पर शासकीय भूमि के आवंटन के परिणामस्वरूप ₹ 4.19 करोड़ के प्रीमियम एवं ₹ 4.18 लाख प्रति वर्ष के वार्षिक पट्टा किराये की हानि हुई।

***(कंडिका 2.2.7.1)***

भारतीय विमान पत्तन प्राधिकरण (ए.ए.आई.) को शून्य प्रीमियम एवं ₹ एक वार्षिक पट्टा किराये पर भूमि आवंटन के परिणामस्वरूप ₹ 26.64 करोड़ राजस्व की हानि हुई/राजस्व की वसूली नहीं हुई।

***(कंडिका 2.2.7.2)***

स्वामी विवेकानन्द तकनीकी संस्थान को शून्य प्रीमियम एवं ₹ एक वार्षिक पट्टा किराये पर शासकीय भूमि के आवंटन के परिणामस्वरूप प्रीमियम (₹ 12.94 लाख) एवं वार्षिक पट्टा किराया (₹ 25,889 प्रति वर्ष) की वसूली नहीं हुई।

***(कंडिका 2.2.7.3)***

कलेक्ट्रेट जबलपुर एवं शहडोल के नौ भूमि आवंटन प्रकरणों (फरवरी 2020 एवं जनवरी 2021) में एम.पी. वेयरहाउसिंग एवं लॉजिस्टिक्स कॉर्पोरेशन को शून्य प्रीमियम एवं शून्य वार्षिक पट्टा किराये पर अस्थायी कैम्प/सायलो-बैग बनाने हेतु 68.966 हेक्टेयर शासकीय भूमि का आवंटन किया गया था, जिसके परिणामस्वरूप कुल मिलाकर ₹ 1.75 करोड़ के राजस्व की हानि हुई।

***(कंडिका 2.2.7.4)***

अनुगामी अधिसूचना के संदर्भ में प्रकरण को पुन: खोलने एवं राजस्व की राशि का पुनर्मूल्यांकन करके पट्टेदार को अनुचित लाभ दिया गया जिसके परिणामस्वरूप शासन को ₹ 0.86 करोड़ की हानि हुई।

***(कंडिका 2.2.8.1)***

प्रीमियम एवं वार्षिक पट्टा किराये के कम निर्धारण तथा बकाया राशि पर ब्याज के अनारोपण के कारण मध्यप्रदेश आवास एवं अधोसरंचना विकास मंडल से वसूली योग्य राशि ₹ 3.99 करोड़ थी।

***(कंडिका 2.2.8.2)***

पट्टा विलेखों के नवीनीकरण के संबंध में उचित कार्रवाई प्रारम्भ न करने के कारण पट्टेदारों से कुल राशि ₹ 93.86 लाख का राजस्व वसूल नहीं किया जा सका।

***(कंडिका 2.2.8.3)***

मध्य प्रदेश स्टेट वेयरहाउसिंग कारपोरेशन को 25.620 हेक्टेयर भूमि के आवंटन पर (कलेक्ट्रेट शहडोल एवं सिंगरौली के नौ प्रकरणों में) निर्दिष्ट दरों पर प्रीमियम, वार्षिक पट्टा किराया एवं पंचायत उपकर नहीं लगाने के परिणामस्वरुप कुल मिलाकर ₹ 4.20 करोड़ के राजस्व की हानि हुई।

***(कंडिका 2.2.8.4)***

वल्लभ भवन एवं कलेक्ट्रेट भोपाल के समीपस्थ तीन इलाकों में, 10 सर्वे नंबरों वाली 37.69 हेक्टेयर शासकीय भूमि पर झुग्गीवासियों ने अस्थायी शिविर एवं संरचनाएं बनाकर अतिक्रमण कर लिया था। कार्रवाई शुरू न करने/शास्ति न लगाने के परिणामस्वरूप ₹ 322.71 करोड़ के बाज़ार मूल्य की शासकीय भूमि पर अनधिकृत कब्ज़ा हो गया।

***(कंडिका 2.2.9.1)***

चयनित आठ जिलों की 23 तहसीलों में 2,371 प्रकरणों के नमूना जाँच में पता चला कि सम्बंधित तहसीलदारों ने 2,364 प्रकारणों में शास्ति अधिरोपित करते हुए बेदखली आदेश जारी किए थे लेकिन 1,037 प्रकरणों में अधिरोपित शास्ति की राशि ₹38.64 लाख की वसूली नहीं की गयी

थी। इसके अलावा पहले बेदखली आदेश की दिनांक से अनधिकृत कब्ज़ा जारी रहने के कारण कुल मिलकर ₹71.68 करोड़ की शास्ति वसूल नहीं की गई।

***(कंडिका 2.2.9.2)***

आवंटन के दिनांक से 77 वर्षों के पश्चात भी रॉबर्ट नर्सिंग होम, इंदौर द्वारा 0.8 हेक्टेयर (8,093 वर्गमीटर) भूमि का उपयोग न करना इंगित करता है कि बाज़ार मूल्य ₹38.85 करोड़ की उपरोक्त भूमि पट्टेदार की वास्तविक आवश्यकता से अधिक थी।

***(कंडिका 2.2.10.1)***

मध्य प्रदेश उद्योग विकास निगम (एम.पी.आई.डी.सी.) को हस्तांतरित भूमि उपयोग न होने की स्थिति में वापस नहीं ली गई।

***(कंडिका 2.2.10.2)***

सात जिलों की 12 तहसीलों के 15 गांवों के 66 प्रकरणों में भौतिक रूप से संधारित खसरे एवं ऑनलाइन वर्तमान खसरे में क्षेत्रफल की विसंगति देखी गई। 23 प्रकरणों में शासकीय भूमि का क्षेत्रफल कम (0.01 हेक्टेयर से 5.695 हेक्टेयर) हुआ, जबकि 43 प्रकरणों में संबंधित खसरे का क्षेत्रफल में वृद्धि (0.002 हेक्टेयर से 20.264 हेक्टेयर) हुई। क्षेत्रफल में उपरोक्त विसंगति से भविष्य में मुकदमेबाजी और शासकीय भूमि की हानि हो सकती है।

***(कंडिका 2.2.11.1)***

विकासकर्ता को अनुचित लाभ के परिणामस्वरूप स्टाम्प शुल्क (₹ 2.35 करोड़) एवं पंजीकरण शुल्क (₹ 37.60 लाख) का कम आरोपण/वसूली नहीं हुई तथा एम.पी.एन.बी.एन.एन. के प्रावधानों का पालन न करने के परिणामस्वरूप ई.एम.डी. ₹ 70 लाख कम जमा हुई और राजस्व शीर्ष "0029-भूमि राजस्व" के तहत ₹ 71 करोड़ का प्रीमियम जमा करने में अनुचित छूट मिली।

***(कंडिका 2.2.12.4)***

**<u>अनुशंसाओं का सारांश</u>**

शासन को ग्राम पंचायत क्षेत्रों में प्रीमियम के साथ-साथ किराये पर पंचायत उपकर लगाने के लिए मध्य प्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 का अनुपालन सुनिश्चित करना चाहिए और मध्य प्रदेश नजूल भूमि निर्वर्तन निर्देश, 2020 में निर्माण कार्य के समापन हेतु अधिकतम अवधि निर्धारित करते हुए आवश्यक प्रावधान करना चाहिए। इसके अलावा, शासन को शासकीय भूमि के आवंटन हेतु आवेदनों के निराकरण के लिए एक समयसीमा निर्धारित करनी चाहिए तथा यह सुनिश्चित करना चाहिए कि भूमि का उपयोग उसी उद्देश्य के लिए किया जा रहा है जिसके लिए इसे आवंटित किया गया है। विभाग को शासकीय भूमि के अभिलेखों के रखरखाव में खामियों के लिए दोषी अधिकारियों के विरूद्ध जिम्मेदारी भी तय करनी चाहिए।

### *1.7.3 मुख्यमंत्री जन कल्याण (संबल) योजना के क्रियान्वयन की लेखापरीक्षा*

श्रम विभाग, मध्य प्रदेश शासन (जी.ओ.एम.पी.) ने असंगठित श्रमिकों (श्रमिक जो किसी रोजगार, स्व-रोजगार अथवा अस्थायी प्रकृति के कार्यों में लगे हुए है एवं सामाजिक सुरक्षा लाभों जैसे भविष्य निधि, ग्रेच्युटी इत्यादि के हकदार नहीं हैं तथा सरकारी सेवा में/करदाता नहीं होना चाहिए एवं एक हेक्टेयर से अधिक कृषि भूमि नहीं होनी चाहिए) को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने एवं उनके हितों को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री जन कल्याण (संबल) योजना (अप्रैल 2018) लागू की। संबल योजना में, श्रम विभाग, मध्य प्रदेश शासन चार श्रेणियों अर्थात अंत्येष्टि सहायता, अपंगता/मृत्यु के प्रकरण में अनुग्रह सहायता, उन्नत व्यवसाय हेतु उपकरण अनुदान योजना तथा व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के लिए प्रवेश परीक्षा/प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु निःशुल्क कोचिंग योजना के अंतर्गत सहायता प्रदान करती है। संबल योजना के कार्यान्वयन की लेखापरीक्षा में महत्वपूर्ण निष्कर्ष परिलक्षित हुए जैसी नीचे चर्चा की गई है:

विभाग ने श्रमिकों के पंजीकरण के लिए दोषपूर्ण प्रक्रिया अपनाई क्योंकि भौतिक सत्यापन के दौरान 2.18 करोड़ पंजीकृत श्रमिकों में से 67.48 लाख (31 प्रतिशत) को विभिन्न कारणों जैसे आवेदकों के पास 2.5 एकड़ से अधिक भूमि थी, सरकारी सेवा में थे, करदाता थे एवं कुछ अन्य कारणों से अपात्र घोषित कर दिया गया। भौतिक सत्यापन की प्रक्रिया विश्वसनीय नहीं थी क्योंकि 67.48 लाख असंगठित श्रमिकों में से 14.34 लाख को उनकी अपात्रता के लिए विशिष्ट कारण बताए बिना अपात्र घोषित किया गया। आगे, लेखापरीक्षित जिलों में, 1,320 में से 1,085 (82 प्रतिशत) पंजीकृत असंगठित श्रमिक, जिन्हें भौतिक सत्यापन के दौरान अपात्र घोषित किया गया था, अपीलीय प्राधिकारी द्वारा पात्र घोषित किया गया था।

***(कंडिका 2.3.6.1)***

निर्देशों के बावजूद, पुजारी/सेवादार, तेंदूपत्ता के संग्रहण में लगे श्रमिकों एवं प्रवासी श्रमिक का पंजीयन नहीं हुआ क्योंकि संबल पोर्टल पर पंजीयन खुला नहीं था। आगे, विभाग ने दो योजनायें अर्थात उन्नत व्यवसाय हेतु उपकरण अनुदान योजना तथा व्यावसायिक पाठ्यक्रमों की प्रवेश परीक्षा/प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए निःशुल्क कोचिंग योजना लागू नहीं किया क्योंकि विभाग ने न तो इन योजनाओं के लिए बजट प्रावधान किया और न ही योजनाओं के कार्यान्वित न होने का संज्ञान ही लिया।

***(कंडिकाएं 2.3.6.2 और 2.3.6.3)***

जनपद पंचायत, राजपुर एवं सेंधवा के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों ने लेखापाल के साथ मिलीभगत करके ₹2.47 करोड़ के योजना निधि का संदिग्ध कपटपूर्वक आहरित किया एवं कर्मचारी, कर्मचारी के रिश्तेदारों एवं अन्य अनधिकृत व्यक्तियों के बैंक खातों में जमा किया।

***(कंडिका 2.3.7.1)***

एक ही मृत श्रमिक के विरूद्ध संबल योजना तथा भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मंडल योजना दोनों से ₹89.21 लाख की अनुग्रह सहायता की निकासी के प्रकरण देखे गए। आगे, पदाभिहित अधिकारियों ने अपात्र लाभार्थियों जिन्हें पहले से ही संबल योजना से ₹7.86 करोड़ की अनुग्रह सहायता प्राप्त हो चुकी थी को राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना के तहत अनियमित रूप से ₹72.60 लाख की सहायता का भुगतान किया। इस प्रकार, एक ही प्राधिकारी जो दो अलग-अलग योजनाओं में दो लाभ स्वीकृति कर रहा था लाभ की स्वीकृति के समय प्रकरणों को सत्यापित करने में विफल रहा।

***(कंडिकाएं 2.3.7.2(स) और 2.3.7.2(द))***

60 वर्ष से अधिक आयु के आवेदकों को लाभ की स्वीकृति के लिए संबल पोर्टल में जांच एवं सत्यापन का अभाव होने से पदाभिहित अधिकारी 60 वर्ष से अधिक आयु के अपात्र व्यक्तियों एवं इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना (आई.जी.एन.ओ.पी.एस.) के लाभार्थियों को ₹1.04 करोड़ की अनुग्रह सहायता स्वीकृत करने में सक्षम हुए।

***(कंडिकाएं 2.3.7.3 और 2.3.9.4)***

पदाभिहित अधिकारियों ने 86 प्रकरणों में ₹1.72 करोड़ की अधिक सहायता का भुगतान किया। आगे, विभाग मृत व्यक्तियों जो मृत्यु के बाद असंगठित श्रमिक के रूप में पंजीकृत हुए थे के उत्तराधिकारियों से ₹54 लाख की वसूली सुनिश्चित नहीं कर सका।

***(कंडिकाएं 2.3.7.4 और 2.3.7.9)***

4,398 (36 प्रतिशत) प्रकरणों में, नगर निगम/पालिका के अधिकृत कर्मचारियों अथवा सचिव, ग्राम पंचायत ने पंजीकृत असंगठित श्रमिकों/मृत श्रमिकों के उत्तराधिकारियों को ₹2.20 करोड़ की अंत्येष्टि सहायता का भुगतान नहीं किया। पंजीकृत श्रमिकों के परिवार को तत्काल सहायता उपलब्ध न कराने से योजना का उद्देश्य पूरा नहीं हुआ।

***(कंडिका 2.3.7.12)***

विभाग ने अनियमित रूप से ₹2,077 करोड़ की अनुग्रह सहायता राशि आहरित की एवं बैंक खाते में जमा की। आगे, इस बैंक खाते पर अर्जित ब्याज की राशि ₹3.86 करोड़ शासकीय खाते में जमा नहीं की।

***(कंडिकाएं 2.3.8.1 और 2.3.8.2)***

1,07,076 (64 प्रतिशत) प्रकरणों में, पदाभिहित अधिकारियों ने एक से 1,272 दिनों के विलम्ब से अनुग्रह सहायता स्वीकृत की एवं 60,674 प्रकरणों में, विभाग ने स्वीकृति के बाद दो से 1,013 दिनों के विलम्ब से भुगतान वितरित किया। अनुग्रह सहायता की स्वीकृति एवं अग्रेषित करने में विलम्ब से योजना के उद्देश्य विफल हो गये।

***(कंडिका 2.3.9.1)***

**<u>अनुशंसाओं का सारांश</u>**

लेखापरीक्षा निष्कर्ष स्पष्ट रूप से इंगित करते हैं कि आयोजना, योजना कार्यान्वयन, निधि प्रबंधन एवं निगरानी में कई कमियाँ थीं। इसलिए, लेखापरीक्षा अनुशंसा करता है कि मध्य प्रदेश शासन को उत्तरदायी अधिकारियों/कर्मचारियों जिन्होंने संबल योजना के दिशानिर्देशों के प्रावधानों के अनुपालन में उचित कर्मठता सुनिश्चित नहीं की, के विरूद्ध प्रभावी कार्रवाई करनी चाहिए।

## 1.8 अभिस्वीकृति

कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा-प्रथम), मध्य प्रदेश, ग्वालियर राज्य शासन के अधिकारियों द्वारा लेखापरीक्षा के दौरान प्रदान किये गये सहयोग एवं सहायता के लिये आभार प्रकट करता है।

# अध्याय-2

# अनुपालन लेखापरीक्षा

- प्राकृतिक आपदाओं के अंतर्गत वित्तीय सहायता की लेखापरीक्षा
- शासकीय भूमि के आवंटन एवं प्रबंधन पर लेखापरीक्षा
- मुख्यमंत्री जन कल्याण (संबल) योजना के क्रियान्वयन की लेखापरीक्षा

# अध्याय II: अनुपालन लेखापरीक्षा

# राजस्व विभाग

## 2.1 प्राकृतिक आपदाओं के अंतर्गत वित्तीय सहायता की लेखापरीक्षा

### 2.1.1 प्रस्तावना

मध्य प्रदेश शासन प्राकृतिक आपदाओं जैसे कि अत्यधिक वर्षा, ओलावृष्टि, असमय वर्षा, पाला, शीतलहर, कीट, बाढ़, तूफान, भूकंप, सूखा और अग्नि दुर्घटनाओं के पीड़ितों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है। राजस्व विभाग, मध्य प्रदेश शासन ने राजस्व पुस्तक परिपत्र 6-4 (आर.बी.सी. 6-4) के माध्यम से प्राकृतिक आपदा पीड़ितों को देय अधिकतम वित्तीय सहायता की सीमा और मानदंड निर्धारित किए हैं।

मध्य प्रदेश शासन ने राजस्व विभाग के अंतर्गत वर्ष 1979-80 में राहत आयुक्त का कार्यालय प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले नुकसान की जानकारी एकत्रित करने, पीड़ितों को वित्तीय सहायता प्रदान करने और वितरित की जा रही राहत की सतत निगरानी करने के लिए स्थापित किया।

### 2.1.2 संगठनात्मक संरचना

प्रमुख सचिव, राजस्व विभाग, शासन स्तर पर प्रशासनिक प्रमुख हैं। राहत आयुक्त, विभाग के कार्यकारी प्रमुख हैं, जिन्हें एक उप राहत आयुक्त सहायता करता है। राज्य में 52 जिला कलेक्टर और 424 तहसीलदार हैं जो प्राकृतिक आपदाओं के प्रभावित लोगों की पहचान करते हैं और चिन्हित पीड़ितों को तत्काल राहत वितरित करते हैं।

### 2.1.3 प्राकृतिक आपदाओं के अंतर्गत पीड़ितों की पहचान और राहत वितरण की प्रक्रिया

प्राकृतिक आपदाओं के अंतर्गत पीड़ितों की पहचान और राहत वितरण की प्रक्रिया **चार्ट 2.1.1** में दर्शाई गई है।

**चार्ट 2.1.1: पीड़ितों की पहचान और राहत वितरण की प्रक्रिया**

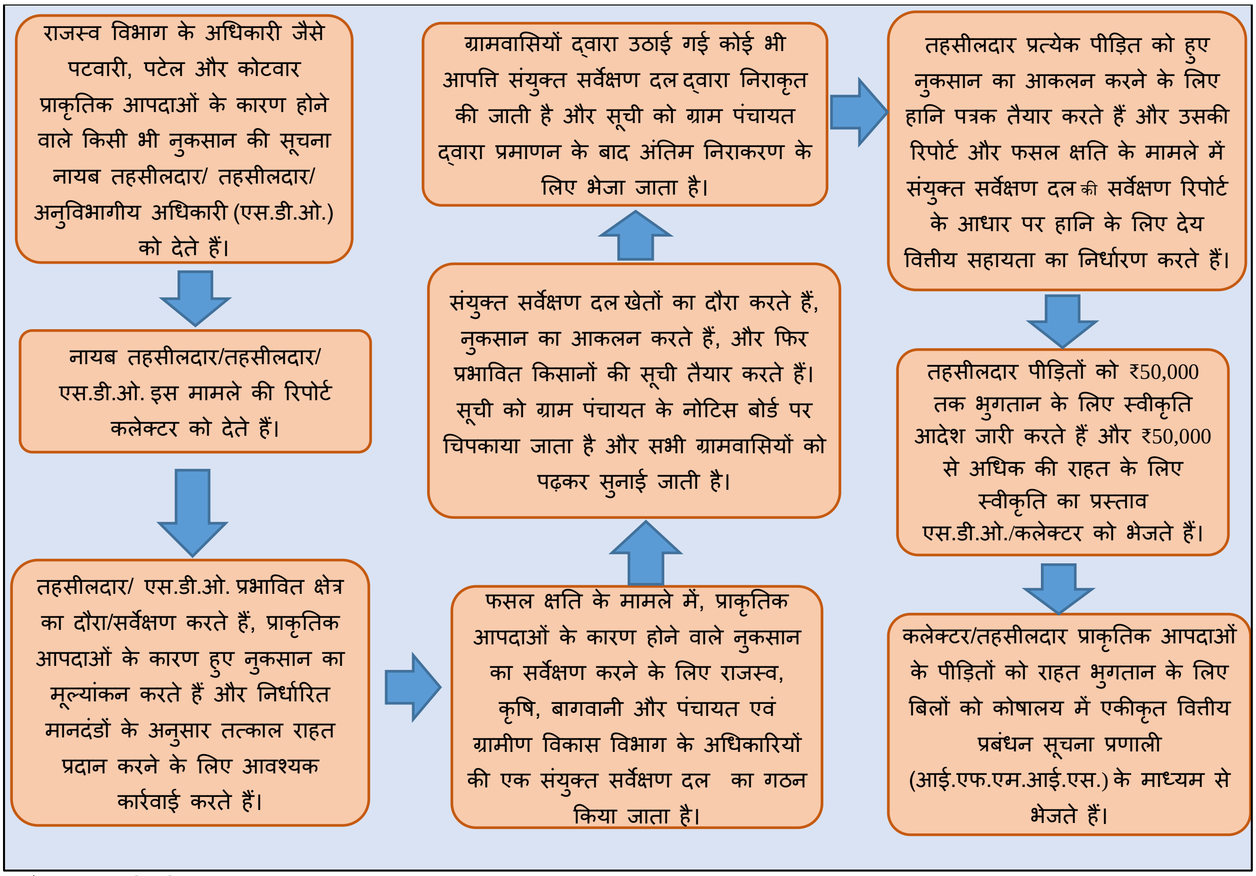


**(स्रोत: आर.बी.सी. 6-4)**

## लेखापरीक्षा दृष्टिकोण

## 2.1.4 लेखापरीक्षा उद्देश्य

लेखापरीक्षा यह आकलन करने हेतु की गई कि क्या:

- योजनाओं में पर्याप्त धन उपलब्ध था और इसका उपयोग कुशलतापूर्वक और प्रभावी ढंग से किया गया,
- पीड़ितों की पहचान और उन्हें राहत का वितरण तुरंत और आर.बी.सी.6-4 में उल्लिखित मानदंडों के अनुसार किया गया,
- योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए उचित निगरानी प्रणाली मौजूद है।

## 2.1.5 लेखापरीक्षा मानदंड

हमने लेखापरीक्षा मानदंड निम्नलिखित स्रोतों से लिए हैं:

- आर.बी.सी. 6-4;

- विभाग/शासन द्वारा समय-समय पर जारी किए गए परिपत्र, आदेश और अधिसूचनाएँ;
- मध्य प्रदेश कोषालय संहिता (एम.पी.टी.सी.);
- मध्य प्रदेश वित्तीय संहिता (एम.पी.एफ.सी.)।

## 2.1.6 लेखापरीक्षा क्षेत्र एवं पद्धति

प्राकृतिक आपदाओं के अंतर्गत मुख्य रूप से जिन चार योजनाओं[1] पर राज्य शासन ने वर्ष 2018-19 से 2021-22 के दौरान अधिकतम वित्तीय सहायता प्रदान की थी उसके वितरण की जांच करने के लिए लेखापरीक्षा (अक्टूबर और नवंबर 2022) की गई थी। इसके अतिरिक्त, हमने उन जिलों में अन्य प्राकृतिक आपदाओं की योजनाओं के अभिलेखों की भी जांच की, जहाँ डेटा विश्लेषण के दौरान महत्वपूर्ण निष्कर्ष परिलक्षित हुए। हमने विभाग के निम्नलिखित कार्यालयों के अभिलेखों (भौतिक एवं डिजिटल) की जाँच की |

(क) राहत आयुक्त कार्यालय, मध्य प्रदेश, भोपाल।

(ख) 52 में से 13[2] कलेक्टर कार्यालय।

पूर्व लेखापरीक्षा के दौरान हमें चार[3] जिला कलेक्टर कार्यालयों में अनधिकृत व्यक्तियों को सूखा राहत के वितरण में धोखाधड़ी के भुगतान के प्रकरणों का संज्ञान हुआ था। इसलिए, हमने विवेकानुसार प्रतिचयन के आधार पर चार जिलों का चयन किया। शेष नौ[4] जिला कलेक्टर कार्यालयों का चयन आइडिया सॉफ़्टवेयर के माध्यम से व्यय डेटा के याद्दच्छिक प्रतिचयन के आधार पर किया गया। चयनित[13] जिलो में योजना अनुसार व्यय **परिशिष्ट 2.1.1** में दिया गया है।

(ग) चयनित 13 जिलों के अंतर्गत सभी 100 तहसीलदारों के कार्यालय।

निर्गम सम्मेलन 07 जून 2023 को आयोजित किया गया और शासन से प्राप्त उत्तर (जून 2023) को उचित रूप से इस प्रतिवेदन में सम्मिलित किया गया है।

---

[1] *1. 2018- बाढ़ एवं अतिवृष्टि से राहत, 2. 5504- आर.बी.सी. 6-4 के अंतर्गत आपदाओं में वित्तीय सहायता, 3. 6422- सूखे से संबंधित फसल क्षति एवं अन्य कार्यों के लिए सहायता, 4. 7249- कीटों से फसल नुकसान।*

[2] *1. शिवपुरी, 2. सतना, 3. दमोह, 4. विदिशा, 5. छतरपुर, 6. देवास, 7. सीहोर, 8. खंडवा, 9. सिवनी, 10. रायसेन, 11. मंदसौर, 12. आगर-मालवा, 13. श्योपुर।*

[3] *1. शिवपुरी, 2. सतना, 3. दमोह और 4. विदिशा।*

[4] *1. छतरपुर, 2. देवास, 3. सीहोर, 4. खंडवा, 5. सिवनी, 6. रायसेन, 7. मंदसौर, 8. आगर-मालवा, 9. श्योपुर।*

## 2.1.7 वित्तीय परिव्यय

मध्य प्रदेश शासन ने प्राकृतिक आपदाओं के लिए वर्ष 2018-22 के दौरान ₹10,060[5] करोड़ की राहत वितरित की, जिसमें से चयनित चार योजनाओं के अंतर्गत ₹8,680 करोड़ (86 प्रतिशत) वितरित किए गए थे। इन चार योजनाओं के बजट और व्यय का विवरण और वर्ष 2018-22 के दौरान वितरित कुल राहत में इन चार योजनाओं का अंश क्रमशः नीचे **तालिका 2.1.1** और **चार्ट 2.1.2** में दर्शाया गया है:

**तालिका 2.1.1: 2018-19 से 2021-22 के दौरान बजट और व्यय**

**(₹ करोड़ में)**

| योजना | 2018-19 | | 2019-20 | | 2020-21 | | 2021-22 | | 2018-22 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | बजट | व्यय | बजट | व्यय | बजट | व्यय | बजट | व्यय | कुल व्यय |
| 2018- बाढ़ और अत्यधिक वर्षा के लिए राहत | 73.12 | 73.02 | 2,302.92 | 2,267.14 | 1,069.30 | 931.83 | 623.30 | 607.84 | 3,879.83 |
| 5504- आर.बी.सी.6-4 के अंतर्गत आपदाओं में वित्तीय सहायता | 122.00 | 121.76 | 183.77 | 182.65 | 878.00 | 863.25 | 531.60 | 518.13 | 1,685.79 |
| 6422- सूखा संबंधित फसल क्षति और अन्य कार्यों के लिए सहायता | 1,710.78 | 846.38 | 110.07 | 51.15 | 22.83 | 0.27 | 0.30 | 0.15 | 897.95 |
| 7249- कीटों से फसल हानि | 448.45 | 36.24 | 8.85 | 8.53 | 2,270.18 | 2,118.62 | 53.18 | 53.17 | 2,216.56 |
| **योग** | **2,354.35** | **1,077.40** | **2,605.61** | **2,509.47** | **4,240.31** | **3,913.97** | **1,208.38** | **1,179.29** | **8,680.13** |

**(स्रोत: राहत आयुक्त, मध्य प्रदेश भोपाल द्वारा प्रस्तुत जानकारी)**

मध्य प्रदेश में वर्ष 2018-22 की अवधि के दौरान चयनित चार योजनाओं पर वितरित ₹8,680 करोड़ में से, हमने चयनित जिलों में ₹3,692 करोड़ के वितरण की जांच की, जो राज्य में कुल वितरण का 42.53 प्रतिशत था।

मध्य प्रदेश शासन ने वर्ष 2018-22 की अवधि के दौरान अतिवृष्टि/बाढ़, सूखा और कीट संक्रमण जैसी आपदाओं के संबंध में जारी मेमोरेंडम में 1.15 करोड़ किसानों/लाभार्थियों को लाभान्वित दिखाया। जिसमे 1.15 करोड़ किसानों/लाभार्थियों में से चयनित 13 जिलों में 0.23 करोड़ (20 प्रतिशत) लाभान्वित दर्शाए गए।

[5] *1. वर्ष 2018-19: ₹ 1,410 करोड़, वर्ष 2019-20: ₹ 2,813 करोड़, 3. वर्ष 2020-21: ₹ 4,316 करोड़ और 4. वर्ष 2021-22: ₹ 1,521 करोड़।*

**चार्ट 2.1.2: वर्ष 2018-19 से 2021-22 के दौरान राज्य में प्राकृतिक आपदाओं के अंतर्गत वितरित कुल राहत में चयनित चार योजनाओं का अंश**

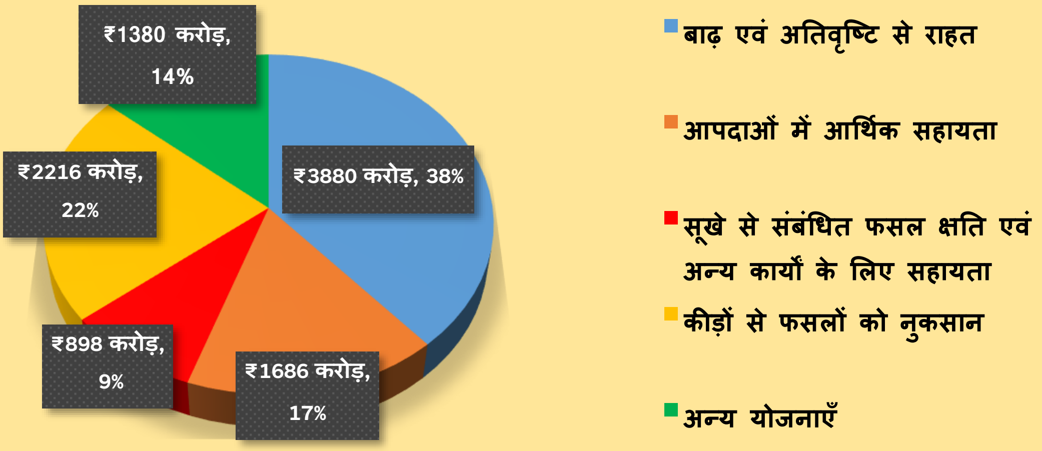


**टीप** : अन्य योजनाओं में, 0747: ओलावृष्टि पीड़ितों को राहत, 6097: सर्पदंश पीड़ितों को राहत, 7021: पाले से क्षति, 7250: जंगली जानवरों द्वारा फसल क्षति शामिल है।

## लेखापरीक्षा निष्कर्ष

## 2.1.8 प्राकृतिक आपदाओं की विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत संदिग्ध कपटपूर्ण तरीके से धन का आहरण

### प्रणालीगत कमियां जिनके कारण संदिग्ध कपटपूर्ण भुगतान संभव हुए

चयनित 13 जिलों के कलेक्टरों और तहसीलदारों के कार्यालयों के अभिलेखों की नमूना जाँच में लेखापरीक्षा ने निम्नलिखित प्रणालीगत कमियों को पाया जिन पर नीचे चर्चा की गई है:

### *2.1.8.1 ग्लोबल बजट में कमियां*

राज्य शासन ने वर्ष 2012-13 से ग्लोबल बजट प्रणाली लागू की, जिसमें आहरण एवं संवितरण अधिकारी (डी.डी.ओ.) अनुसार व्यय सीमा को हटा दिया गया और डी.डी.ओ. तब तक राशि आहरित कर सकता है जब तक कि बजट नियंत्रक अधिकारी स्तर पर राशि उपलब्ध हो।

शासन ने लेखापरीक्षा टीप को स्वीकार किया (जून 2023) और आश्वासन दिया कि ग्लोबल बजट के अंतर्गत योजनाओं[6] के लिए एकीकृत वित्तीय प्रबंधन सूचना प्रणाली (आई.एफ.एम.आई.एस.) में डी.डी.ओ. के लिए व्यय सीमा को कलेक्टरों द्वारा प्रस्तुत वास्तविक आवश्यकताओं और मांगों को ध्यान में रखते हुए निर्धारित किया जाएगा।

[6] *1. 6422: सूखे से संबंधित फसल क्षति और अन्य कार्यों के लिए सहायता, 2. 6097: सांप काटने पर वित्तीय सहायता, 3. 7021: पाले से क्षति के लिए वित्तीय सहायता, 4. 7249: कीड़ों से फसल की हानि।*

### 2.1.8.2 आई.एफ.एम.आई.एस. में पुनर्भुगतान हेतु देयक तैयार करने से संबंधित कमियां

एम.पी.टी.सी. के अनुसार, पुनर्भुगतान देयक तैयार करते समय, देयक को उस मूल चालान द्वारा संयोजित होना चाहिए जिसके माध्यम से राशि जमा की गई थी, साथ ही उन व्यक्तियों का विवरण भी होना चाहिए जिनकी राशि जमा शीर्ष में उन्हें देय है। डी.डी.ओ. इन भुगतानों को करते समय उपरोक्त विवरणों से दावेदारों की वास्तविकता सुनिश्चित कर सकेगा।

आई.एफ.एम.आई.एस. में, डी.डी.ओ. दावेदारों की ई-भुगतान सूची अपलोड करके देयक इलेक्ट्रॉनिक रूप से तैयार करता है, जिसमें दावेदारों के नाम, बैंक खाता नंबर, बैंक खाते का भारतीय वित्तीय प्रणाली कोड (आई.एफ.एस.सी.), दावेदारों को भुगतान की जाने वाली राशि, और आवश्यक दस्तावेज जैसे कि स्कैन की गई स्वीकृतियाँ एवं व्हाउचर आदि शामिल होते हैं और भुगतान के लिए देयक को कोषालय को भेजता है। जब कोई लेनदेन विफल हो जाता है, तो बैंक भौतिक चालान के माध्यम से असफल संव्यवहार की राशि को जमा शीर्ष 8443-101-0120 (सिविल डिपॉजिट) में जमा करता है और इन चालानों के साथ असफल संव्यवहार का विवरण कोषालय को भेजता है। इसके बाद कोषालय असफल संव्यवहार का विवरण, जैसे खाता संख्या, आई.एफ.एस.सी., राशि, मूल देयक संख्या, चालान आदि संबंधित डी.डी.ओ. को भेजता है। अंततः, डी.डी.ओ. चालान की प्रति और असफल संव्यवहार का विवरण संलग्न कर फॉर्म एम.पी.टी.सी.-66 का उपयोग करके जिन व्यक्तियों, के संव्यवहार असफल हुए थे, उन्हें भुगतान करने के लिए एक पुनर्भुगतान देयक तैयार करता है ।

तथापि, ऑडिट के दौरान आई.एफ.एम.आई.एस. में असफल संव्यवहार के पुनर्भुगतान देयक बनाने के लिए कोई नियंत्रण नहीं मिला। जैसे सिस्टम में स्वतः ही मूल देयक से संयोजित होना, भुगतान करने वालों का विवरण, खाता संख्या और देय राशि। जबकि कोषालय से प्राप्त विवरण से पुनर्भुगतान देयक बनाते समय इन्हें डी.डी.ओ. द्वारा मैन्युअल रूप से सत्यापित किया जाना था। इस प्रकार, पुनर्भुगतान देयक में उनके बैंक खाता संख्या तथा अन्य विवरण दर्ज करके अनधिकृत व्यक्तियों को भुगतान करने की गुंजाइश थी क्योंकि मूल देयक में शामिल नाम और बैंक खातों की मिलान करने के लिए आई.एफ.एम.आई.एस. पर कोई लिंक उपलब्ध नहीं था।

शासन ने लेखापरीक्षा प्रेक्षण को स्वीकार किया (जून 2023) और सूचित किया कि अनुविभागीय अधिकारियों और कलेक्टरों को क्रमशः साप्ताहिक और पाक्षिक रूप से असफल संव्यवहारों की समीक्षा करने के निर्देश जारी किए गए हैं।

### 2.1.8.3 आई.एफ.एम.आई.एस.से ई-स्वीकृतियों का जारी न होना

चयनित 13 जिलों के कलेक्टरों और तहसीलदारों के अभिलेखों की जांच में, हमने पाया कि यद्यपि देयक आई.एफ.एम.आई.एस. के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक रूप से तैयार किए गए थे, परन्तु स्वीकृतियां मैन्युअल रूप से तैयार की गई थी और स्वीकृति की स्कैन की गई प्रतियां

आई.एफ.एम.आई.एस. में अपलोड की गई थीं। ई-स्वीकृति जनरेट न होने के कारण, आई.एफ.एम.आई.एस. देयक तैयार करने की प्रक्रिया के दौरान किसी भी स्कैन किए गए दस्तावेज़ को स्वीकार कर सकता है, चाहे वह उस देयक से संबंधित हो या नहीं। इस कमी से धोखाधड़ी का जोखिम उत्पन्न होता है क्योंकि मैन्युअल रूप से तैयार की गई स्वीकृति का धोखाधड़ी वाले भुगतान के लिए दुरुपयोग किया जा सकता है।

शासन ने लेखापरीक्षा प्रेक्षण को स्वीकार किया और उत्तर दिया (जून 2023) कि आई.एफ.एम.आई.एस. सॉफ़्टवेयर में ई-स्वीकृति जारी करने का कोई प्रावधान नहीं है, हालाँकि, सभी देयकों को डी.डी.ओ. के ई-हस्ताक्षर के माध्यम से भेजने की व्यवस्था की गई है। वित्त विभाग समय-समय पर आई.एफ.एम.आई.एस. में आवश्यक संशोधन करता रहता है।

तथ्य यह है कि आई.एफ.एम.आई.एस. में ई-स्वीकृति जारी करने के लिए एक मॉड्यूल मौजूद था, लेकिन उसे लागू नहीं किया गया था।

### *2.1.8.4 देयकों के साथ हानि पत्रक और सर्वेक्षण प्रतिवेदनों को संलग्न न करना*

आर.बी.सी. 6-4 के अनुसार, तहसीलदार आपदाओं से प्रभावित स्थान का सर्वेक्षण करेगा और प्रत्येक पीड़ित को हुए नुकसान का और शासन द्वारा निर्धारित मानदंडों के अनुसार होने वाले नुकसान के लिए वित्तीय सहायता का आकलन करेगा । तहसीलदार हानि पत्रक तैयार करता है, जिसमे प्रत्येक पीड़ित को हुए नुकसान का आकलन एवं नुकसान के लिए देय वित्तीय सहायता, स्वयं के प्रतिवेदन/फसल क्षति के मामले में संयुक्त सर्वेक्षण दल के प्रतिवेदन के आधार पर, शामिल होती है।

चयनित 13 जिलों के कलेक्टरों और तहसीलदारों के कार्यालयों में विभिन्न राहतों से संबंधित भौतिक देयकों की जांच में, हमने पाया कि सर्वेक्षण अभिलेख और हानि पत्रक, जिसमें किसानों का विवरण, फसलों का प्रकार, खसरा नंबर, फसल क्षति का प्रतिशत और स्वीकृत राशि शामिल है, उपलब्ध और संधारित थे। परन्तु हमने पाया कि केवल स्वीकृतियाँ भौतिक देयकों के साथ संलग्न थीं। सर्वेक्षण प्रतिवेदन और हानि पत्रकों को संबंधित स्वीकृतियों के बिना किसी लिंक या संदर्भ के अलग रखा गया था। भौतिक देयकों के साथ इन आवश्यक दस्तावेजों के अभाव में, यह सुनिश्चित नहीं किया जा सका कि क्या देयकों के माध्यम से किए गए भुगतान वास्तविक लाभार्थियों को किए गए थे।

शासन ने उत्तर दिया (जून 2023) कि हानि पत्रक और सर्वेक्षण प्रतिवेदन प्रत्येक सर्वे नंबर के लिए अलग से तैयार किये जाते हैं और ये दस्तावेज़ बड़ी संख्या में होते हैं, जो प्रकरण नस्ति के साथ संलग्न होते हैं। आई.एफ.एम.आई.एस. सॉफ़्टवेयर दो एम.बी. तक के संलग्नकों की अनुमति देता है। इसलिए, सभी अभिलेखों को आई.एफ.एम.आई.एस. सॉफ़्टवेयर में शामिल करना व्यावहारिक रूप से संभव नहीं है।

शासन का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि हानि पत्रक और सर्वेक्षण प्रतिवेदन भौतिक देयकों के साथ भी संलग्न नहीं थे। इसके अलावा, यह इस बात की भी पुष्टि करता है कि आई.एफ.एम.आई.एस. सॉफ़्टवेयर की क्षमताए सीमित हैं जिनका मूल्यांकन सॉफ़्टवेयर को लागू करने से पहले नहीं किया गया था।

उपर्युक्त प्रणालीगत कमियों के फलस्वरूप प्राकृतिक आपदाओं के अंतर्गत विभिन्न राहतों में ₹23.81 करोड़ का संदिग्ध कपटपूर्ण वितरण हुआ, जिस पर **कंडिका 2.1.8.5** में विस्तृत चर्चा की गई है।

### *2.1.8.5 प्राकृतिक आपदाओं के अंतर्गत राहत वितरण में ₹23.81 करोड़ का संदिग्ध कपटपूर्ण भुगतान*

**आर.बी.सी. 6-4 में निर्धारित विभिन्न आपदाओं के अंतर्गत प्रभावित व्यक्ति को देय अधिकतम वित्तीय सहायता का विवरण तालिका 2.1.2 में दिया गया है:**

**तालिका 2.1.2: विभिन्न प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित व्यक्ति को देय अधिकतम वित्तीय सहायता का विवरण**

| क्र. | विभिन्न प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले नुकसान/क्षति के प्रकार | आर.बी.सी. 6-4 के अनुसार देय अधिकतम राहत राशि (₹ में) |
|---|---|---|
| 1. | 28 फरवरी 2018 तक प्राकृतिक आपदाओं से फसल क्षति | 60,000 |
| 2. | 01 मार्च 2018 से प्राकृतिक आपदाओं से फसल क्षति | 1,20,000 |
| 3. | साँप के काटने, डूबने, आकाशीय बिजली आदि जैसी प्राकृतिक आपदाओं से मृत्यु | 4,00,000 |
| 4. | आपदा से पशु हानि | 30,000 |
| 5. | पूर्णतः नष्ट/गंभीर रूप से नष्ट (जहां क्षति 50 प्रतिशत से अधिक थी) कच्चे और पक्के मकान | 95,100 वास्तविक नुकसान के आकलन के आधार पर और 1,01,900 उन जिलों में जिनके लिए एकीकृत कार्य योजना को मंजूरी दी गई है। |
| 6. | आंशिक रूप से नष्ट पक्का मकान (जहां क्षति 15 प्रतिशत से 50 प्रतिशत के बीच है) | 5,200 |
| 7. | आंशिक रूप से नष्ट कच्चा मकान (जहां क्षति 15 प्रतिशत से 50 प्रतिशत के बीच है) | 3,200 |
| 8. | कपड़ों, बर्तनों और अनाज को हुए नुकसान | 5,000 |

**(स्रोत: राजस्व विभाग, मध्य प्रदेश शासन द्वारा जारी आर.बी.सी. 6-4)**

**वित्त विभाग, मध्य प्रदेश शासन की अधिसूचना (नवंबर 2015) में आहरण एवं संवितरण अधिकारियों और कोषालय अधिकारियों द्वारा वास्तविक लाभार्थियों को किए गए ई- भुगतान को सत्यापित करने की प्रक्रिया निर्धारित की गई। विभागीय अभिलेखों की लेखापरीक्षा में ₹23.81 करोड़ का कपटपूर्ण भुगतान परिलक्षित हुआ, जिसका विवरण नीचे तालिका 2.1.3 में दिया गया है:**

**तालिका 2.1.3: प्राकृतिक आपदाओं के अंतर्गत विभिन्न राहतों के संदिग्ध कपटपूर्ण वितरण का विवरण**

**(₹ करोड़ में)**

| **क्र.** | **जिला** | **कर्मचारियों और कर्मचारियों के रिश्तेदारों के बैंक खातों में कपटपूर्ण वितरण का विवरण** | | **अनधिकृत व्यक्तियों के खातों में कपटपूर्ण वितरण का विवरण** | | **कपटपूर्ण रूप से वितरित की गई कुल राशि** | **उपयोग की गई कार्यप्रणाली** | **प्रणालीगत कमियाँ जिससे कपटपूर्ण वितरण हो सका** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **बैंक खातों की संख्या** | **जमा राशि** | **बैंक खातों की संख्या** | **जमा राशि** | | | |
| **1.** | सिवनी | - | - | 59 | 11.79 | 11.79 | डी.डी.ओ. और दोषी कर्मचारियों ने 291 जाली स्वीकृति आदेश, प्रत्येक ₹4 लाख का, तैयार कर 59 अनधिकृत व्यक्तियों के खातों में जमा किए। | आई.एफ.एम.आई.एस. में कमजोरी और डी.डी.ओ. वार सीमा को हटाने से कपटपूर्ण भुगतान संभव हो सका। |
| **2.** | श्योपुर | 06 | 0.16 | 210 | 3.20 | 3.36 | 1. डी.डी.ओ. ने ई-भुगतान में फर्जी नामों का इस्तेमाल किया और इन खातों में कई लेनदेन किए, जबकि ये खाते अलग-अलग व्यक्तियों के नाम पर पाए गए।<br>2. अधिकारियों और उनके रिश्तेदारों के 93 खातों में ₹2.67 करोड़ का कपटपूर्ण भुगतान किया गया।<br>3. अनधिकृत व्यक्तियों के 650 खातों में ₹21.14 करोड़ का कपटपूर्ण भुगतान किया गया।<br>4. धोखाधड़ी करने के लिए अलग-अलग बैंकों में एक ही व्यक्ति के दो से चार खातों का इस्तेमाल किया गया।<br>5. डी.डी.ओ. ने अनधिकृत व्यक्तियों के खातों में, लाभार्थियों को स्वीकृत राहत का भुगतान किया। | |
| **3.** | सीहोर | 11 | 0.76 | 34 | 0.41 | 1.17 | | |
| **4.** | शिवपुरी | 25 | 0.63 | 146 | 2.37 | 3.00 | | |
| **5.** | देवास | 34 | 0.72 | 27 | 0.54 | 1.26 | | |
| **6.** | छतरपुर | - | - | 20 | 0.42 | 0.42 | | |
| **7.** | खंडवा | 04 | 0.12 | - | - | 0.12 | | |
| **8.** | मन्दसौर | 04 | 0.17 | 26 | 0.52 | 0.69 | | |
| **9.** | रायसेन | 01 | 0.04 | 39 | 0.80 | 0.84 | | |
| **10.** | दमोह | - | - | 27 | 0.31 | 0.31 | | |
| **11.** | सतना | - | - | 12 | 0.13 | 0.13 | | |
| **12.** | आगर-मालवा | - | - | 17 | 0.25 | 0.25 | | |
| **13.** | विदिशा | 08 | 0.07 | 33 | 0.40 | 0.47 | | |
| **कुल** | | **93** | **2.67** | **650** | **21.14** | **23.81** | | |

**(स्रोत: संबंधित कलेक्टरों और तहसीलदारों के कार्यालयों द्वारा प्रदान किए गए भुगतान आदेश सूचियां, देयक और स्वीकृति आदेश)**

**जिलेवार निष्कर्ष नीचे दिए गए हैं:**

***1. सिवनी***

**आर.बी.सी.6-4 में यह प्रावधान किया गया है कि प्राकृतिक आपदाओं जैसे तूफान, भूकंप, बाढ़, अत्यधिक बारिश, ओलावृष्टि, भूस्खलन, बिजली गिरने, आग या विषैले जानवर जैसे सांप के काटने से मृत्यु होने पर, मृत व्यक्ति के निकटतम रिश्तेदार को ₹चार लाख की वित्तीय सहायता दी जाएगी। मानव हानि की स्थिति में, एस.डी.ओ./तहसीलदार को मृत्यु के कारण का निर्धारण करने के लिए स्थल का दौरा करना आवश्यक है, और जहाँ भी संभव हो, शव परीक्षण करवाना चाहिए। विषैले जानवर के काटने से मृत्यु होने पर, अनुदान को स्वीकृति देते समय सक्षम प्राधिकारी पंचनामा, पटवारी प्रतिवेदन और पुलिस स्टेशन में दर्ज प्रथम सूचना प्रतिवेदन (एफ.आई.आर.) जैसे दस्तावेजों के आधार पर मृत्यु के कारण का निर्धारण करेगा।**

**हमने सिवनी जिले के 1948 देयकों में से 81 देयकों (केवलारी तहसील के) की जांच की और पाया कि ₹11.64 करोड़ की राशि, 291 जाली स्वीकृति आदेशों (डूबने/बिजली गिरने: 201 और सर्पदंश: 90), प्रत्येक का मूल्य ₹4 लाख, के माध्यम से उन मृत व्यक्तियों के नाम पर जो कथित रूप से सांप के काटने, डूबने या बिजली गिरने से मरे थे, 59 अनधिकृत व्यक्तियों के खातों में जमा की गई थी । विवरण परिशिष्ट 2.1.2 (क) में दिए गए हैं। हमें कोई पंचनामा, पटवारी प्रतिवेदन और पुलिस स्टेशन में दर्ज एफ.आई.आर. इन देयकों के साथ संलग्न नहीं मिली, जिसकी जांच मृतक के परिजनों को वित्तीय सहायता के लिए भुगतान करने के पूर्व की जानी आवश्यक थी।**

**ग्लोबल बजट प्रणाली और आई.एफ.एम.आई.एस. की कमियों के कारण कर्मचारी प्रणाली की कमियों का दुरुपयोग कर शासकीय धन की हेराफेरी करने में सफल रहे। राजस्व अधिकारियों ने स्वीकृति आदेशों में पूर्ण हस्ताक्षरों के बजाय संक्षिप्ताक्षर का उपयोग किया, जिससे कर्मचारियों को स्वीकृति आदेशों पर एस.डी.ओ., केवलारी के जाली संक्षिप्ताक्षर बनाने में मदद मिली और एक ही जाली स्वीकृति आदेशों का कई लेनदेन (एक से 30 तक) करने के लिए बार-बार उपयोग किया गया। वास्तविक और जाली स्वीकृति आदेशों पर पाए गए एस.डी.ओ. के संक्षिप्ताक्षर नीचे दर्शाए गए हैं:**

| वास्तविक स्वीकृति आदेश पर पाए गए एस.डी.ओ. के संक्षिप्ताक्षर | जाली स्वीकृति आदेश पर पाए गए एस.डी.ओ. के संक्षिप्ताक्षर |
|---|---|
| 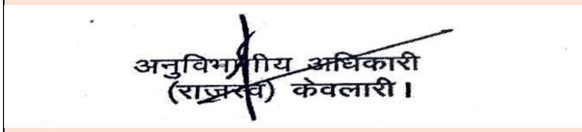  | 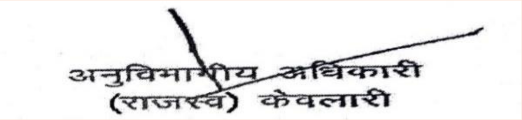  |

इसके अलावा, हमने देखा कि तहसीलदार, केवलारी ने मार्च 2020 और अगस्त 2020 के दौरान कोटवारों[7] के मजदूरी की राशि ₹1.84 लाख का भुगतान चार अनधिकृत व्यक्तियों के खातों में कर दिया, जो ₹11.64 करोड़ के गबन में शामिल थे। विवरण परिशिष्ट 2.1.2 (ख) में दिया गया है।

हमने यह भी पाया कि ओलावृष्टि, अतिवृष्टि राहत और पुनर्भुगतान से संबंधित देयकों के माध्यम से दो अनधिकृत व्यक्तियों को ₹13.21 लाख का कपटपूर्ण भुगतान किया गया, जो उपरोक्त गबन में शामिल थे। विवरण परिशिष्ट 2.1.2 (ग) में दिया गया है।

यह केवलारी तहसील के डी.डी.ओ. और श्री सचिन दहायत, नाज़िर की संलिप्तता को दर्शाता है, क्योंकि वे ही उपरोक्त किए गए भुगतानों को करने के लिए अधिकृत अधिकारी थे। कोषालय अधिकारियों ने देयकों के साथ आवश्यक दस्तावेज, जैसे पंचनामा, पटवारी प्रतिवेदन और एफ.आई.आर. प्रस्तुत न होने के बावजूद भी मुआवजे के भुगतान को मंजूरी दी।

लेखापरीक्षा ने पाया कि डी.डी.ओ., कोषालय अधिकारी और अनधिकृत लाभार्थियों के बीच मिलीभगत से राज्य के राजकोष में घोटाले की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता।

शासन ने लेखापरीक्षा प्रेक्षण को स्वीकार किया (जून 2023) और एक तहसीलदार तथा एक नायब तहसीलदार सहित चार कर्मचारियों को निलंबित कर दिया। एक कर्मचारी के विरुद्ध एफ.आई.आर. भी दर्ज की गई थी। कलेक्टर ने दोषी कर्मचारियों के खिलाफ विभागीय जांच शुरू की और मामले की मजिस्ट्रियल जांच के लिए समिति का गठन किया है।

### *2. श्योपुर*

श्योपुर जिले में 30 जुलाई 2021 से 03 अगस्त 2021 के दौरान आई भारी बारिश के कारण बाढ़ से प्रभावित व्यक्तियों को राहत वितरित की गई थी। अभिलेखों की जांच में हमें

*[7] मध्य प्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 के नियम 230 के अंतर्गत कोटवार को किसी गाँव अथवा गाँव के समूह में ग्राम चौकीदार अथवा चौकीदार के रूप में नियुक्त किया जाता है।*

**श्योपुर जिले के बड़ौदा, श्योपुर और कराहल तहसील में अनधिकृत व्यक्तियों के विवरण को ई-भुगतान आदेश में शामिल करके 216 अनधिकृत व्यक्तियों के खातों में ₹3.36 करोड़ के संदिग्ध कपटपूर्ण वितरण का पता चला। 216 खातों में से, छह[8] खाते, जिनमें ₹15.54 लाख जमा किया गया, एक कर्मचारी के तीन रिश्तेदारों के थे। विवरण परिशिष्ट 2.1.3(क) और 2.1.3(ख) में दिया गया हैं।**

**शासन ने उत्तर दिया (जून 2023) कि कपटपूर्ण भुगतान प्रथम दृष्टया सही पाए गए हैं, और जिन खातों में राशि धोखाधड़ी से स्थानांतरित की गई है, उन्हें लम्बित रखा गया है। पटवारियों और उनके रिश्तेदारों के खातों में पैसे जमा करने में शामिल लोगों की जिम्मेदारी निर्धारित करने के लिए एक जिला स्तरीय दल गठित किया गया है। अब तक राशि ₹11 लाख की वसूली की जा चुकी है। शेष राशि की वसूली बकाएदारों के खातों में उपलब्ध शेष राशि का समायोजन करके और बकाएदारों के अधिग्रहित भूखंडों और अन्य अचल संपत्तियों को बेचकर की जा रही है।**

### *3. सीहोर*

**कार्यालय कलेक्टर, सीहोर तथा तहसीलदार कार्यालय इछावर, रेहटी और आष्टा के अभिलेखों की नमूना जांच में पाया गया कि विभिन्न व्यक्तियों के नाम पर बैंक में खोले गए 45 खातों में ई-भुगतान में जाली नामों का उपयोग करके ₹1.17 करोड़ का संदिग्ध कपटपूर्ण भुगतान किया गया। ई-भुगतान आदेश में अनधिकृत व्यक्तियों के विवरण शामिल कर इन 45 खातों में से, 11[9] खातों में ₹76.22 लाख का कपटपूर्ण तरीके से जमा किये गए जो कि तीन कर्मचारियों और उनके चार रिश्तेदारों के थे। विवरण परिशिष्ट 2.1.4 में दिया गया है।**

**शासन ने लेखापरीक्षा प्रेक्षण को स्वीकार किया (जून 2023) एवं सूचित किया कि दो कर्मचारियों को निलंबित किया गया है और इच्छावर तहसील के चार कर्मचारियों के खिलाफ एफ.आई.आर. दर्ज की गई है। रेहटी और आष्टा तहसीलों में एक विस्तृत जांच प्रगति पर थी। विस्तृत जांच के बाद दोषी कर्मचारियों के विरुद्ध कार्रवाई की जावेगी।**

### *4. शिवपुरी*

**शिवपुरी जिले में वर्ष 2017-18 के सूखा राहत से संबंधित अभिलेखों की लेखापरीक्षा में हमने ₹तीन करोड़ के संदिग्ध कपटपूर्ण भुगतान किया जाना पाया | ₹तीन करोड़ में से, ₹2.77 करोड़ सूखा राहत और ₹22.87 लाख वेतन, कार्यालय व्यय और रखरखाव के मद**

---

[8] ***परिशिष्ट 2.1.3 (क)*** *के क्रमांक एक से छह में उल्लेखित।*

[9] ***परिशिष्ट 2.1.4*** *के क्रमांक एक से 11 में उल्लेखित।*

से संबंधित थे। राशि ₹2.77 करोड़ को वास्तविक लाभार्थियों के बजाय अनधिकृत व्यक्तियों के 164 खातों में जमा किया गया था। स्वीकृति आदेशों में लाभार्थियों के नाम या खाता विवरण को अनधिकृत व्यक्तियों के विवरण के साथ बदला गया था। संदिग्ध कपटपूर्ण भुगतानों का विवरण परिशिष्ट 2.1.5(क) में दिया गया है और तहसीलवार विवरण तालिका 2.1.4 में दिया गया है।

**तालिका 2.1.4: शिवपुरी जिले में कपटपूर्ण संवितरण का तहसीलवार विवरण**

| क्र. | तहसील का नाम | अनधिकृत व्यक्तियों के खातों की संख्या | कपटपूर्ण संवितरण की राशि (₹ करोड़ में) |
|---|---|---|---|
| 1 | कोलारस | 71 | 1.14 |
| 2 | खनियाधाना | 57 | 1.03 |
| 3 | पिछोर | 21 | 0.33 |
| 4 | पोहरी | 15 | 0.27 |
| कुल | | 164 | 2.77 |

(स्रोत: कलेक्टर कार्यालय, शिवपुरी द्वारा प्रदत्त जानकारी)

164 खातों में से 19 खाते[10], इन तहसीलों के आठ कर्मचारियों और उनके सात रिश्तेदारों के थे, जिसमें ₹41.30 लाख जमा किये गए। हमने यह भी देखा कि कोलारस तहसील के कर्मचारियों ने देयक नंबर 20003613656 की ई-भुगतान सूची में वास्तविक लाभार्थियों का नाम और खाता विवरण अनधिकृत व्यक्तियों के साथ बदला। इसके बाद कर्मचारियों ने सभी वास्तविक लाभार्थियों को देयक नंबर 20003613656 से स्वीकृत राशि का भुगतान करने के लिए एक पुनर्भुगतान देयक नंबर 20003803716 तैयार किया। हालाँकि, पुनर्भुगतान देयक जिन असफल संव्यवहार के विरुद्ध तैयार किया गया था उसके विवरण भी देयक के साथ संलग्न नहीं पाये गए।

हमने पोहरी तहसील में भी वेतन, कार्यालय व्यय और रखरखाव के मद से ₹22.87 लाख के संदिग्ध कपटपूर्ण आहरण पाया, जो कि फर्जी कर्मचारियों/व्यक्तियों के नाम पर सात खातों में जमा किया गया था। इन सात खातों में से छ: खाते एक कर्मचारी और उसके तीन रिश्तेदारों के थे, जिनमे ₹21.33 लाख जमा किया गया था। विवरण परिशिष्ट 2.1.5(ख) में दिया गया है।

शासन ने लेखापरीक्षा प्रेक्षणों को स्वीकार किया (जून 2023) और एक कर्मचारी को निलंबित किया और तीन कर्मचारियों के खिलाफ एफ.आई.आर. दर्ज की। संबंधित तहसीलदारों को निर्देश दिया गया है कि वे संबंधित व्यक्तियों की चल संपत्ति और अचल संपत्ति से धोखाधड़ी से भुगतान की गई राशि वसूल करें।

---

[10] *परिशिष्ट 2.1.5 (क) के क्रमांक एक से 19 में उल्लेखित।*

### *5. देवास*

**कार्यालय कलेक्टर, देवास तथा पांच[11] तहसीलों के तहसीलदारों के अभिलेखों की नमूना जांच में, पाया गया कि ई-भुगतान आदेश में अनधिकृत व्यक्तियों के बैंक खातों के विवरण शामिल कर 61 अनधिकृत व्यक्तियों के खातों में कीट प्रकोप, अत्यधिक वर्षा एवं ओलावृष्टि राहत के लिए ₹1.26 करोड़ का संदिग्ध कपटपूर्ण वितरण किया गया। विवरण परिशिष्ट 2.1.6 में दिया गया है। 61 खातों में से 34[12] खाते छह कर्मचारियों तथा उनके 15 रिश्तेदारों के थे, जिनमे तीन से 22 के बीच लेनदेनो के माध्यम से ₹72 लाख जमा किया गया था।**

**शासन ने लेखापरीक्षा प्रेक्षण को स्वीकार किया (जून 2023) और यह बताया किया कि विस्तृत जांच प्रगति पर है तथा अनियमित भुगतानों को संबंधित व्यक्तियों से 18 प्रतिशत ब्याज के साथ वसूल किया जाएगा और इसे शासन के खाते में जमा किया जाएगा। दोषी कर्मचारियों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।**

### *6. छतरपुर*

**कार्यालय कलेक्टर, छतरपुर के भुगतान आदेश सूचियों और देयकों की नमूना जांच में, लेखापरीक्षा ने 20 अनधिकृत व्यक्तियों के खातों में ₹42 लाख का संदिग्ध कपटपूर्ण भुगतान पाया, जिसमें ई-भुगतान में जाली नामों का उपयोग किया गया था, जबकि ये खाते बैंक अभिलेखों में विभिन्न व्यक्तियों के नाम पर पंजीकृत थे। ₹42 लाख में से, ₹32.33 लाख को एक से 38 तक के कई फर्जी रिफंड देयकों के माध्यम से भुगतान किया गया था। विवरण परिशिष्ट 2.1.7 में दिया गया है।**

**शासन ने लेखापरीक्षा प्रेक्षण को स्वीकार किया (जून 2023) और संबंधित व्यक्तियों से ₹34 लाख वसूल किए। वसूली गई राशि को शासन के खाते में जमा किया गया है। यह बताया किया गया कि ₹ चार लाख का भुगतान जो अनधिकृत व्यक्ति को किया गया था, उसे अब वास्तविक लाभार्थी को भुगतान कर दिया गया है। शेष राशि वसूल करने के लिए विस्तृत जांच प्रगति पर है। जांच के बाद दोषी कर्मचारियों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।**

### *7. खंडवा*

**खंडवा जिले की खालवा तहसील के अभिलेखों की नमूना जांच में, हमने चार खातों में ₹11.62 लाख की अत्यधिक वर्षा के लिए राहत राशि ई-भुगतान में फर्जी लाभार्थियों के नामों का उपयोग करके जमा पाया। बैंक अभिलेखों में, ये चार खाते श्री भगवान सिंह,**

---

[11] *1. बागली, 2. कन्नौद, 3. खातेगांव, 4. सतवास, 5. टोंक खुर्द।*

[12] ***परिशिष्ट 2.1.6** के क्रमांक एक से 34 में उल्लेखित।*

**नाजिर, खालवा तहसील एवं नाजिर के भाई श्री नरेंद्र सिंह के नाम पर पंजीकृत थे। संदिग्ध कपटपूर्ण भुगतानों का विवरण परिशिष्ट 2.1.8 में दिया गया है।**

**शासन ने लेखापरीक्षा प्रेक्षण को स्वीकार किया (जून 2023) और संबंधित कर्मचारी से ₹11.62 लाख वसूल किए। वसूली गई राशि को शासन के खाते में जमा किया गया है। दोषी कर्मचारियों को निलंबित कर दिया गया है तथा उनके खिलाफ विभागीय जांच स्थापित की गई है।**

***8. मंदसौर***

**मंदसौर जिले के माल्हारगढ़ एवं सीतामऊ तहसीलों के अभिलेखों की नमूना जांच में, लेखापरीक्षा ने अत्यधिक वर्षा, ओलावृष्टि एवं रिफंड से संबंधित देयकों के माध्यम से 30 अनधिकृत व्यक्तियों के खातों में ₹69.49 लाख का संदिग्ध कपटपूर्ण भुगतान किया जाना पाया। अनधिकृत व्यक्तियों के बैंक खातों के विवरण को ई-भुगतान आदेशों में शामिल किया गया था। विवरण परिशिष्ट 2.1.9(क), परिशिष्ट 2.1.9(ख) एवं परिशिष्ट 2.1.9(ग) में दिया गया है। एक कर्मचारी एवं उसके तीन रिश्तेदारों के चार[13] खातों में नौ से 12 के बीच के कई रिफंड देयकों के माध्यम से ₹17 लाख जमा किया गया।**

**शासन ने लेखापरीक्षा प्रेक्षण को स्वीकार किया (जून 2023) और संबंधित व्यक्तियों से ₹65 लाख वसूल किए। वसूली गई राशि को शासन के खाते में जमा किया गया है। दो कर्मचारियों को निलंबित कर दिया गया है और संबंधित तहसीलदारों को कारण बताओ नोटिस जारी किए गए हैं।**

***9. रायसेन***

**लेखापरीक्षा में रायसेन जिले के बेगमगंज, गैरतगंज, सुल्तानपुर एवं उदयपुरा तहसीलों में अत्यधिक वर्षा, ओलावृष्टि एवं रिफंड से संबंधित देयकों के माध्यम से 40 अनधिकृत व्यक्तियों के खातों में ₹84 लाख का संदिग्ध कपटपूर्ण भुगतान पाया गया। विवरण परिशिष्ट 2.1.10(क) एवं परिशिष्ट 2.1.10(ख) में दिया गया है। ई-भुगतान में उल्लेखित लाभार्थियों के नाम या तो बैंक अथवा भौतिक देयकों/स्वीकृति आदेश से भिन्न पाए गए। इस प्रकार, उपरोक्त लेनदेन के लिए अनधिकृत व्यक्तियों के विवरण को ई-भुगतान आदेश में शामिल किया गया था। एक कर्मचारी के रिश्तेदार के खाते[14] में ₹3.82 लाख कपटपूर्ण तरीके से जमा किया गया।**

---

[13] ***परिशिष्ट 2.1.9 (ग)*** *के क्रमांक एक से चार में उल्लेखित।*

[14] ***परिशिष्ट 2.1.10 (क)*** *के क्रमांक 15 में उल्लेखित।*

**शासन ने लेखापरीक्षा प्रेक्षण को स्वीकार किया (जून 2023) और ₹71 लाख का कपटपूर्ण भुगतान पाया, जिसमें से ₹69 लाख संबंधित व्यक्तियों से वसूल किए गए और इसे शासन के खाते में जमा किया गया। इस धोखाधड़ी में शामिल चार कर्मचारियों को निलंबित कर दिया गया है।**

***10. दमोह***

**कार्यालय कलेक्टर, दमोह तथा तहसीलदार, दमोह, पतेरा एवं पठरिया के अभिलेखों की नमूना जांच में अत्यधिक वर्षा, सूखा, कीट प्रकोप और रिफंड से संबंधित देयकों के माध्यम से अनधिकृत व्यक्तियों के 27 बैंक खातों में ₹31 लाख का संदिग्ध कपटपूर्ण भुगतान पाया गया। विवरण परिशिष्ट 2.1.11(क) एवं परिशिष्ट 2.1.11(ख) में दिया गया है। ई-भुगतान में उल्लेखित लाभार्थियों के नाम भौतिक देयकों/स्वीकृति आदेशों तथा बैंकों में दर्ज नामों से भिन्न थे। इसमे अनधिकृत व्यक्तियों के बैंक खातों के विवरण को ई-भुगतान आदेशों में शामिल किया गया था।**

**शासन ने उत्तर दिया (जून 2023) कि राहत की राशि विभिन्न व्यक्तियों के खाते में किसानों की सहमति के आधार पर हस्तांतरित की गई है ।**

**विभाग का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि अन्य जिलों की तरह यहाँ कोई स्वतंत्र जांच नहीं करायी गई और यह तहसीलदारों द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदनों पर आधारित है। इसके अलावा, किसानों से प्राप्त सहमति की प्रतियां लेखापरीक्षा को प्रस्तुत नहीं की गईं।**

***11. सतना***

**कार्यालय कलेक्टर, सतना के अभिलेखों की नमूना जांच में, हमने 12 अनधिकृत व्यक्तियों के खातों में सूखा राहत के वितरण में ₹13 लाख के संदिग्ध कपटपूर्ण भुगतान किया जाना पाया । अनधिकृत व्यक्तियों के बैंक खातों के विवरण को ई-भुगतान आदेशों में शामिल किया गया था। विवरण परिशिष्ट 2.1.12 में दिया गया है।**

**शासन ने लेखापरीक्षा प्रेक्षण को स्वीकार किया (जून 2023) और संबंधित व्यक्तियों से ₹20.71 लाख (12 प्रतिशत ब्याज सहित) वसूल किए। वसूली गई राशि को शासन के खाते में जमा किया गया है। तीन कर्मचारियों, जो दोषी पाये गए, को निलंबित कर दिया गया है।**

***12. आगर-मालवा***

**कार्यालय कलेक्टर, आगर-मालवा तथा तहसीलदार, आगर, नलखेड़ा, बड़ौद एवं सुसनेर के अभिलेखों की नमूना जांच में, हमने अनधिकृत व्यक्तियों के 17 खातों में ₹25.30 लाख की राहत राशि के संदिग्ध कपटपूर्ण वितरण को पाया, जो कई लेनदेन के माध्यम से किया**

**गया था। अनधिकृत व्यक्तियों के बैंक खातों के विवरण को ई-भुगतान आदेशों में शामिल किया गया था। इन 17 खातों में से नौ खातों के लिए ई-भुगतान में उल्लेखित लाभार्थियों के नाम बैंक में दर्ज नामों से भिन्न पाए गए। विवरण परिशिष्ट 2.1.13(क) एवं परिशिष्ट 2.1.13(ख) में दिया गया है।**

**शासन ने उत्तर दिया (जून 2023) कि आगर-मालवा जिले में जांच प्रगति पर है।**

***13. विदिशा***

**कार्यालय कलेक्टर, विदिशा तथा तहसीलदार, गुलाबगंज एवं कुरवई तहसीलों के अभिलेखों की नमूना जांच में, हमने सूखा, ओलावृष्टि, अत्यधिक वर्षा, कीट संक्रमण एवं रिफंड से संबंधित देयकों के माध्यम से 41 अनधिकृत व्यक्तियों के खातों में ₹47 लाख के कपटपूर्ण भुगतान किया जाना पाया। विवरण परिशिष्ट 2.1.14 में दिया गया है। छः कर्मचारियों एवं उनके एक रिश्तेदार के आठ[15] खातों में ₹6.58 लाख जमा किया गया। उपरोक्त सभी प्रकरणों में, अनधिकृत बैंक खातों में राहत राशि का कपटपूर्ण भुगतान करने के लिए अनधिकृत व्यक्तियों के बैंक खातों का विवरण डी.डी.ओ. स्तर पर ई-भुगतान आदेशों में दर्ज किया गया था।**

**शासन ने लेखापरीक्षा प्रेक्षण को स्वीकार किया (जून 2023) और ₹40 लाख का कपटपूर्ण भुगतान पाया । तीन कर्मचारियों को निलंबित कर दिया गया है। राशि की वसूली की जा रही है और दोषी अधिकारियों के खिलाफ विभागीय जांच संस्थापित की जा रही है।**

**उपरोक्त 13 जिलों में शासकीय धन की हेराफेरी डी.डी.ओ., नाजिरों एवं पटवारियों की संलिप्तता को दर्शाती है और यह सुनिश्चित करने के लिए कोई जांच नहीं की जा रही थी कि राहत वास्तविक लाभार्थियों के खातों में वितरित की गई थी या नहीं।**

### *2.1.8.6 प्राकृतिक आपदाओं के अंतर्गत राहत वितरण में ₹2.73 करोड़ का अनियमित भुगतान*

आर.बी.सी. 6-4 के प्रावधानों के अनुसार, फसल के नुकसान के लिए प्रभावित व्यक्ति को अधिकतम वित्तीय सहायता, 28 फरवरी 2018 तक ₹60,000 तथा 01 मार्च 2018 से आगे ₹1,20,000 का भुगतान किया जा सकता है। तहसीलदारों को प्रत्येक पीड़ित को हुए हानि का आकलन करने एवं उसके प्रतिवेदन /संयुक्त सर्वेक्षण दल के प्रतिवेदन के आधार पर हानि के लिए भुगतान योग्य वित्तीय सहायता के साथ हानि पत्रक को तैयार करना है।

[15] ***परिशिष्ट 2.1.14*** *के क्रमांक एक से आठ में उल्लेखित।*

हालांकि, कलेक्टर, शिवपुरी, देवास, विदिशा और इनकी तहसीलों के अभिलेखों की नमूना जांच में, निर्धारित सीमाओं से परे ₹2.73 करोड़ का अनियमित भुगतान होना पाया। विवरण **तालिका 2.1.5** में दिया गया है:

**तालिका 2.1.5: प्राकृतिक आपदाओं के अंतर्गत विभिन्न राहतों के अनियमित वितरण का विवरण**

**(₹ करोड़ में)**

| क्र. | जिला | खातों की संख्या | अनियमित भुगतान की राशि | वह अवधि जिसमें लेनदेन किया गया | आपदाओं के प्रकार |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | शिवपुरी | 41 | 0.50 | अप्रैल 2018 से अप्रैल 2021 | सूखा |
| 2. | देवास | 402 | 0.68 | मई 2018 से मार्च 2022 | अतिवृष्टि एवं कीटों का प्रकोप |
| 3. | विदिशा | 149 | 1.55 | अप्रैल 2018 से मार्च 2021 | सूखा |
| **योग** | | **592** | **2.73** | | |

**(स्रोत: संबंधित कलेक्टरों और तहसीलदारों के कार्यालयों द्वारा प्रदान किए गए भुगतान आदेश सूचियां, देयक एवं स्वीकृति आदेश)**

हमने इन जिलों में अनियमित भुगतान का संकेत देने वाले निम्नलिखित निष्कर्ष देखे:

### *1. शिवपुरी*

कार्यालय कलेक्टर, शिवपुरी के भुगतान आदेश सूचियों की जांच में, वर्ष 2017-18 में सूखा राहत के लिए 41 व्यक्तियों को सूखा राहत एवं रिफंड देयकों के माध्यम से दो से 11 के बीच कई लेनदेनों से ₹50 लाख का अनियमित भुगतानों हुआ इन खातों में जो राशि जमा की गई, वह आर.बी.सी. 6-4 में निर्धारित अधिकतम सहायता राशि ₹60,000 से अधिक थी। विवरण **परिशिष्ट 2.1.15** में दिया गया है।

### *2. देवास*

कार्यालय कलेक्टर, देवास तथा कार्यालय तहसीलदार, खातेगांव, कन्नौद एवं सतवास तहसीलों के अभिलेखों की जांच में, हमने 17 खातों में चार से 19 के बीच कई लेनदेन के माध्यम से ₹35.46 लाख का अनियमित भुगतान पाया। देयकों के साथ हानि पत्रक संलग्न नहीं पाए गए। इतने अधिक लेनदेन की संख्या इन भुगतानों को संदिग्ध बनाती है। विवरण **परिशिष्ट 2.1.16** में दिया गया है।

देयक सन्दर्भ संख्या 20009018358 दिनांक 27 मार्च 2021 की जांच में, हमने देखा कि कीट प्रकोप से फसलों को हुए नुकसान के लिए 382 किसानों को ₹22.32 लाख की राहत का भुगतान किया गया, हालाँकि, हमें इस देयक के साथ राहत वितरण के लिए विस्तृत ग्रामवार स्वीकृतियाँ संलग्न नहीं मिलीं। 35 गांवों के नामों की केवल सूची इस देयक के साथ संलग्न थी। एक

कर्मचारी तथा उसके रिश्तेदारों के छ: खातों में इस देयक के माध्यम से ₹0.85 लाख का भुगतान किया गया।

हमें यह भी पाया गया कि मानव/पशु हानि के लिए नौ व्यक्तियों को वित्तीय सहायता के रूप में ₹10.80 लाख वितरित किए गए। जबकि, इन नौ देयकों के साथ आवश्यक दस्तावेज जैसे पंचनामा, पोस्टमार्टम प्रतिवेदन एवं एफ.आई.आर. संलग्न नहीं थे। देयकों के साथ आवश्यक दस्तावेजों की आभाव ₹10.80 लाख के भुगतान को अनियमित बनाती है। विवरण **परिशिष्ट 2.1.17** में दिया गया है।

### *3.* विदिशा

विदिशा जिला वर्ष 2017-18 में सूखा से प्रभावित था तथा इससे प्रभावित किसानों को फसल की हानि के लिए अधिकतम राहत राशि ₹60,000 प्राप्त करने का अधिकार था। जबकि, हमने पाया कि कलेक्टर विदिशा ने 149 व्यक्तियों को ₹60,000 की अधिकतम सीमा से अधिक राहत राशि का भुगतान किया, जो तीन से 18 के बीच कई लेनदेन के माध्यम से किया गया। इन 149 व्यक्तियों को कुल ₹1.52 करोड़ वितरित किया गया। विवरण **परिशिष्ट 2.1.18** में दिया गया है।

यह भी पाया गया कि विदिशा, कलेक्टर ने वर्ष 2018-19 के दौरान 18 लेनदेनों के माध्यम से एक लाभार्थी, श्रीमती संतोष[16] को सूखा राहत के रूप में ₹2.55 लाख का भुगतान किया, जबकि तहसीलदार, सिरोंज ने भी वर्ष 2019-21 के दौरान कीट प्रकोप एवं अत्यधिक वर्षा के लिए श्रीमती संतोष को 28 लेनदेन के माध्यम से ₹2.64 लाख का भुगतान किया। श्रीमती संतोष को 46 लेनदेन के माध्यम से ₹5.19 लाख का वितरण संदिग्ध प्रतीत होता है।

शासन ने शिवपुरी एवं देवास जिले के संबंध में लेखापरीक्षा प्रेक्षण को स्वीकार किया (जून 2023)। विदिशा जिले में 40 प्रतिशत प्रकरणों की जांच में यह पाया गया कि किसानों के विभिन्न गाँव में अलग-अलग कृषि भूमि के लिए पृथक-पृथक देयकों के माध्यम से प्रत्येक ₹60,000 की सीमा के भीतर भुगतान किए गए थे।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि आर.बी.सी. 6-4 के अनुसार एक किसान को सूखा राहत के रूप में अधिकतम ₹60,000 का भुगतान किया जाना चाहिए था, जबकि इन 149 व्यक्तियों को तीन से 18 के बीच कई लेन-देन के माध्यम से ₹70,000 से लेकर ₹2.55 लाख का भुगतान किया गया था। इनमें से कई लेन-देन एक ही दिनांक को किए गए, जिससे ये भुगतान संदिग्ध भुगतान की श्रेणी में आते हैं ।

[16] ***परिशिष्ट 2.1.18*** *के क्रमांक एक में उल्लेखित।*

***अनुशंसाएं:***

1. ***मध्य प्रदेश शासन को असफल लेनदेन की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए आधार-आधारित भुगतान प्रणाली शुरू करनी चाहिए। आई.एफ.एम.आई.एस. में असफल लेनदेन के भुगतान के मामले में मूल देयकों एवं रिफंड देयकों के बीच लिंक बनाने का प्रावधान भी शामिल किया जाना चाहिए।***

2. ***मध्य प्रदेश शासन को ई-स्वीकृति आई.एफ.एम.आई.एस. के स्वीकृति मॉड्यूल से तैयार करना सुनिश्चित करना चाहिए और स्वीकृति आदेशों के भौतिक रूप से अपलोड को तुरंत रोकना चाहिए।***

3. ***मध्य प्रदेश शासन को कपटपूर्ण गतिविधियों में शामिल कर्मचारियों के खिलाफ आपराधिक कार्रवाई शुरू करनी चाहिए तथा जिम्मेदार कर्मचारियों को दंडित करना चाहिए। इसके अतिरिक्त, शासन को भविष्य में ऐसी धोखाधड़ी की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए ग्लोबल बजट प्रणाली की तुरंत समीक्षा करनी चाहिए।***

### 2.1.9 प्राकृतिक आपदाओं के लिए राहत वितरण में ₹0.52 करोड़ का दोहरा भुगतान

कार्यालय कलेक्टर, विदिशा एवं दमोह के भुगतान आदेश सूचियों की जांच में, हमने चार ऐसे देयक पाए जो सभी प्रकार से चार अन्य देयकों के समान थे, जिससे ज़ात हुआ कि 732 लाभार्थियों को उनके हक़ से दोगुना भुगतान किया गया, जिसके परिणामस्वरूप ₹0.52 करोड़ का अधिक भुगतान हुआ। इन देयकों का विवरण नीचे दी गई **तालिका 2.1.6** में दिया गया है:

**तालिका 2.1.6: उन देयकों का विवरण जिनके माध्यम से दोहरा भुगतान किया गया है**

(₹ लाख में)

| क्रमांक | जिला | देयक संख्या | दिनांक | राशि | लाभार्थियों की संख्या | दोहरा भुगतान |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | विदिशा | अनुदान/2000948858 | 29 अगस्त 2018 | 14.95 | 175 | 14.95 |
| 2. | | अनुदान/2000948861 | 05 सितंबर 2018 | 14.95 | | |
| 3. | | अनुदान/2000559503 | 06 जुलाई 2018 | 8.01 | 102 | 8.01 |
| 4. | | अनुदान/2000752524 | 03 अगस्त 2018 | 8.01 | | |
| 5. | | अनुदान/2000752395 | 02 अगस्त 2018 | 12.60 | 143 | 12.60 |
| 6. | | अनुदान/2000818932 | 09 अगस्त 2018 | 12.60 | | |
| 7. | दमोह | अनुदान/20001416684 | 12 अक्टूबर 2018 | 16.30 | 312 | 16.30 |
| 8. | | अनुदान/20002183090 | 29 जनवरी 2019 | 16.30 | | |
| **कुल** | | | | **103.72** | **732** | **51.86** |

**(स्रोत: कार्यालय कलेक्टर, विदिशा एवं दमोह द्वारा उपलब्ध कराई गई भुगतान आदेश सूची)**

शासन ने (जून 2023) विदिशा जिले के लिए प्रेक्षण को स्वीकार किया तथा ₹21 लाख की वसूली की। वसूली की गई राशि को शासकीय खाते में जमा किया गया है तथा शेष राशि की वसूली की जा रही है। दमोह जिले के लिए कोई उत्तर नहीं दिया गया है।

## 2.1.10 खंडवा जिले में सहकारी समितियों के माध्यम से राहत का अनियमित वितरण

भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने राष्ट्रीय आपदा मोचन निधि के अंतर्गत राशि जारी करते समय मध्य प्रदेश शासन को निर्देशित (जनवरी 2020) किया कि व्यक्तिगत लाभार्थी आधारित सहायता का वितरण अनिवार्य रूप से लाभार्थी के खाते के माध्यम से किया जाए। राजस्व विभाग, मध्य प्रदेश शासन ने भी सभी कलेक्टर को निर्देश दिया (जुलाई 2019) कि वे राहत राशि को सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में जमा करें।

हमने खंडवा जिले के सभी पांच तहसीलों के अभिलेखों की नमूना जांच में पाया कि खंडवा जिले ने वर्ष 2019 एवं वर्ष 2020 के वर्षा ऋतु में अत्यधिक वर्षा का सामना किया। भारत सरकार एवं मध्य प्रदेश शासन के निर्देशों के अनुसार, राहत राशि प्रभावित किसानों के खातों में सीधे प्रत्यक्ष लाभ अंतरण विधि का उपयोग करके भुगतान की जानी थी। जबकि, खंडवा जिले की सभी तहसीलों के तहसीलदारों ने 105 सहकारी समितियों के 107 खातों में ₹164.31 करोड़ की राहत राशि का भुगतान किया और उन प्रभावित किसानों की सूची प्रदान की जिनको राहत वितरित की जानी थी। इन समितियों ने तहसीलदारों से प्राप्त राहत राशि को अपनी समिति स्तर पर संचालित बचत खातों में भौतिक खाताबही में जमा किया। यह भारत सरकार एवं मध्य प्रदेश शासन द्वारा जारी निर्देशों का उल्लंघन था। सहकारी समितियों के खातों में ₹164.31 करोड़ के जमा होने का विवरण **परिशिष्ट 2.1.19** में दिया गया है।

शासन ने उत्तर दिया (जून 2023) कि सहकारी समितियों के माध्यम से राहत राशि का वितरण करने का निर्णय, प्रभावित व्यक्तियों को राहत का शीघ्र वितरण सुनिश्चित करने के लिए लिया गया था।

तथ्य यह है कि विभागीय प्राधिकारियों की कार्रवाई भारत सरकार के निर्देशों का स्पष्ट उल्लंघन था और यह भी स्पष्ट नहीं है कि केवल एक जिले में ही इस प्रक्रिया को क्यों लागू किया गया।

इसके अतिरिक्त, समितियों के अभिलेखों की जांच के दौरान निम्नलिखित अभियुक्तियाँ भी संज्ञान में आई:

### *2.1.10.1 लाभार्थियों की सही पहचान के बिना भुगतान*

मध्य प्रदेश शासन ने डी.डी.ओ. स्तर पर अपनाए जाने वाली प्रक्रिया को अधिसूचित किया (नवंबर 2015), जिसमें बताया कि जिन दावेदारों को भुगतान किया जाना है, उनके द्वारा दिए गए बैंक खाता विवरणों की पुष्टि निरस्त किए गए चेक अथवा चेक की कॉपी अथवा अद्यतन बैंक

पासबुक अथवा बैंक खाता के सत्यापित पत्रक से की जाएगी। यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि बैंक खाता विवरण उस वास्तविक दावेदार से संबंधित हो, जिसे भुगतान किया जाना है।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि सभी 105 सहकारी समितियों ने तहसीलदारों द्वारा प्रदान की गई किसानों की सूची के आधार पर किसानों के खातों में राहत की राशि जमा की, जबकि तहसीलदारों[17] ने वर्ष 2019-20 में सहकारी समितियों को भेजी गई किसानों की सूची में कोई पहचान विवरण शामिल नहीं किया। आगे, वर्ष 2020-21 के लिए, तहसीलदारों ने लाभार्थियों की पहचान के लिए केवल खसरा नंबर को ही सूची में शामिल किया। लाभार्थियों के बचत खाता संख्या को तहसीलदार द्वारा भेजी गई सूची में शामिल नहीं किया गया। इस प्रकार, यह स्पष्ट नहीं है कि सहकारी समितियों ने उन किसानों की पहचान कैसे की, जिन्हें तहसीलदारों द्वारा राहत स्वीकृत की गई थी, और लेखापरीक्षा यह सत्यापित नहीं कर सका कि वास्तव में राहत वास्तविक लाभार्थियों को ही वितरित की गई।

शासन ने उत्तर दिया (जून 2023) कि किसानों को राहत राशि का भुगतान पूर्व से संचालित बचत खातों में किया गया था तथा कोई नया खाता नहीं खोला गया। इसलिए, अलग से के.वाई.सी. नहीं ली गई।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि तहसीलदारों को लाभार्थी की उचित पहचान की सुविधा के लिए समितियों को भेजी गई सूची में सहकारी समितियों में संचालित बचत खाता संख्या का अनिवार्य रूप से उल्लेख करना चाहिए था।

### *2.1.10.2 तहसीलदारों और सहकारी समितियों के आंकड़ों में ₹8.28 करोड़ की विसंगति*

तहसीलदारों द्वारा सहकारी समितियों को जारी की गई राहत राशि के संबंध में ई-भुगतान विवरण की जांच में, यह पाया गया कि तहसीलदारों ने वर्ष 2019-21 के दौरान आई.एफ.एम.आई.एस. के माध्यम से 41 सहकारी समितियों के खातों में ₹56.91 करोड़ जमा किए थे। लेखापरीक्षा ने संबंधित समितियों के बैंक खाते के विवरण से सत्यापन किया और पाया कि तहसीलदारों द्वारा जारी की गई ₹56.91 करोड़ की राशि उनके खातों में जमा की गई है। जबकि, इन समितियों ने केवल ₹48.63 करोड़ की प्राप्ति प्रमाणित की। इस प्रकार, इन समितियों द्वारा प्रमाणित प्राप्तियों एवं वास्तव में उनके बैंक खातों में जमा की गई राशि के बीच ₹8.28 करोड़ का महत्वपूर्ण अंतर था। इस प्रकार इन सहकारी समितियों द्वारा ₹8.28 करोड़ के संदिग्ध दुर्विनियोजन की सम्भावना से इंकार नहीं किया जा सकता है। विवरण **परिशिष्ट 2.1.20** में दिया गया है।

*[17] 1. तहसीलदार, खंडवा, 2. तहसीलदार, खालवा, 3. तहसीलदार, पुनासा*

इसके अतिरिक्त हमने यह भी पाया कि इन 41 सहकारी समितियों में से 12[18] सहकारी समितियों ने संबंधित तहसीलदारों को इसी प्रकार के उपयोगिता प्रमाणपत्र प्रस्तुत किए थे।

शासन ने उत्तर दिया (जून 2023) कि सहकारी समितियों को भुगतान की गई राशि का मिलान कर लिया गया है और कोई अंतर नहीं पाया गया है।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि इस दावे को सत्यापित करने के लिए कोई सहायक दस्तावेज़ (मिलान पत्रक) प्रदान नहीं किया गया कि कोई दुर्विनियोजन नहीं हुआ है। इसके अतिरिक्त, उत्तर, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित, खंडवा के प्रतिवेदन पर आधारित है, जिनकी सहकारी समितियों पर धन के दुरुपयोग का संदेह है। इसके अलावा, कलेक्टर खंडवा ने मामले की जांच के लिए कोई अलग समिति का गठन नहीं किया।

***अनुशंसा 4: मध्य प्रदेश शासन को इस तरह की विसंगति के कारणों का पता लगाने के लिए जांच करनी चाहिए एवं दोषी कर्मियों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए।***

### *2.1.10.3 पुनासा तहसील में अतिवृष्टि से फसल क्षति हेतु ₹4.93 करोड़ का अधिक भुगतान*

ग्राम कृषि विस्तार अधिकारी, पटवारी, ग्राम सचिव और उद्यानिकी विभाग के अधिकारियों की संयुक्त दल द्वारा तैयार किए गए पंचनामा के अनुसार, पुनासा तहसील के 14[19] गांवों में 25 प्रतिशत से 33 प्रतिशत तक फसल की क्षति हुई थी। जबकि, पुनासा तहसील के तहसीलदार द्वारा इस तथ्य को नजरअंदाज करते हुए 2,752 किसानों के लिए समितियों को 100 प्रतिशत तक फसल क्षति मानते हुए राहत का भुगतान किया। तहसीलदार की इस उदासीनता से समितियों को ₹4.93 करोड़ रुपये का अधिक भुगतान हुआ।

शासन ने उत्तर दिया (जून 2023) कि फसल क्षति का प्रतिशत, पूर्वमुद्रित पंचनामा में 25 से 33 प्रतिशत के रूप में दर्ज था, जिसे सर्वेक्षण के समय सही नहीं किया गया। जबकि, भुगतान हानि पत्रक के आधार पर किया गया था।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि विभाग ने उक्त दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराए जो 100 प्रतिशत तक फसल क्षति को मान्य करने के उनके निर्णय को उचित ठहराते हों। जबकि, कृषि, राजस्व एवं पंचायत विभाग के प्रतिनिधियों के साथ-साथ 10 ग्रामीणों द्वारा हस्ताक्षरित पंचनामे स्पष्ट रूप से 25 प्रतिशत से 33 प्रतिशत तक फसल क्षति को दर्शाते हैं।

---

[18] ***परिशिष्ट 2.1.20*** *के क्रमांक 3, 6, 7, 10, 11, 12, 14, 15, 18, 24, 30 और 40 में उल्लेखित।*

[19] *1. धावड़िया, 2. डुहिक्या, 3. कोठी, 4. बिलोराखुर्द, 5. गोधदपुरा, 6. कटार, 7. बाखरगांव, 8. करोली, 9. पिपल्यासेलानी, 10. लोंधी, 11. मसलाय, 12. सुलगांव, 13. सेलानी, 14. मथेला।*

***अनुशंसा 5: मध्य प्रदेश शासन को अधिक भुगतान की वसूली के लिए उचित कार्रवाई करनी चाहिए।***

## 2.1.11 सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी के बिना ₹5.85 करोड़ के सूखा राहत का भुगतान

एम.पी.एफ.सी. भाग एक के नियम 8 में प्रावधान है कि कोई भी शासकीय सेवक लोक निधि से कोई भी व्यय नहीं कर सकता, जब तक कि व्यय सक्षम प्राधिकारी जो ऐसे व्यय के स्वीकृति देने हेतु सक्षम है, के सामान्य या विशेष आदेश द्वारा स्वीकृत हो।

कार्यालय कलेक्टर, शिवपुरी जिले के अभिलेखों की नमूना जांच में, हमें प्रभावित किसानों को राहत के लिए भुगतान किए गए ₹5.85 करोड़ के नौ देयकों के साथ सक्षम प्राधिकारी अर्थात संबंधित तहसीलों के तहसीलदार के स्वीकृति आदेश नहीं मिले। विवरण **तालिका 2.1.7** में दिया गया है:

**तालिका 2.1.7: सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी के बिना भुगतान किए गए देयकों का विवरण**

**(₹ करोड़ में)**

| क्रमांक | देयक संख्या | दिनांक | जिस तहसील से सम्बंधित है | जिला | राशि |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | अनुदान/20001142763 | 14-09-18 | खनियाधाना | शिवपुरी | 0.47 |
| 2 | अनुदान /20001210107 | 25-09-18 | खनियाधाना | शिवपुरी | 1.00 |
| 3 | अनुदान /20001198832 | 25-09-18 | कोलारस | शिवपुरी | 1.38 |
| 4 | अनुदान /20001085498 | 10-09-18 | कोलारस | शिवपुरी | 0.54 |
| 5 | अनुदान /20001150126 | 18-09-18 | कोलारस | शिवपुरी | 0.10 |
| 6 | अनुदान /20001215007 | 28-09-18 | कोलारस | शिवपुरी | 0.28 |
| 7 | अनुदान /20001142729 | 18-09-18 | कोलारस | शिवपुरी | 0.59 |
| 8 | अनुदान /20001115307 | 10-09-18 | कोलारस | शिवपुरी | 0.65 |
| 9 | अनुदान /20001218587 | 28-09-18 | कोलारस | शिवपुरी | 0.84 |
| **योग** | | | | | **5.85** |

**(स्रोत: कार्यालय कलेक्टर, शिवपुरी द्वारा उपलब्ध कराए गए देयक)**

सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति के बिना एम.पी.एफ.सी. के नियम 8 का उल्लंघन कर ₹5.85 करोड़ का किया गया भुगतान संदिग्ध प्रतीत होता है।

शासन ने लेखापरीक्षा प्रेक्षण को स्वीकार किया और उत्तर दिया (जून 2023) कि जांच प्रगति पर है और दोषी कर्मचारियों के विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है।

## 2.1.12 उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना

### *2.1.12.1 बिना व्यय किये ₹10 करोड़ का उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना*

कार्यालय कलेक्टर, शिवपुरी के अभिलेखों की जांच में, लेखापरीक्षा ने पाया कि कार्यालय राहत आयुक्त द्वारा कलेक्टर, शिवपुरी को वर्ष 2018-19 एवं वर्ष 2019-20 के दौरान क्रमशः ₹176

करोड़ एवं ₹25.91 करोड़ की सूखा राहत राशि आवंटित की थी। इस ₹201.91 करोड़ के विरुद्ध प्रस्तुत उपयोगिता प्रमाणपत्रों एवं वास्तव में वितरित की गई राशि का विवरण **तालिका 2.1.8** में दिया गया है:

**तालिका 2.1.8: प्रस्तुत उपयोगिता प्रमाणपत्र में दर्शाई गई राशि एवं वास्तव में वितरित की गई राशि का विवरण**

(₹ करोड़ में)

| वर्ष | योजना 6422 के अंतर्गत आवंटित राशि | उपयोगिता प्रमाणपत्र में वितरित के रूप में दिखाई गई राशि | संव्यवहारों के असफल होने पर जमा शीर्ष 8443 के अंतर्गत जमा की गई राशि | पुनर्भुगतान देयकों के माध्यम से जमा शीर्ष 8443 से भुगतान की गई राशि | जमा शीर्ष 8443 के अंतर्गत असंवितरित पड़ी राशि | वास्तव में वितरित की गई राशि | बिना व्यय के उपयोगिता प्रमाणपत्र में सम्मिलित राशि |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=3-6 | 8=3-7 |
| 2018-19 | 176.00 | 176.00 | 14.25 | 5.45 | 8.80 | 167.20 | 8.80 |
| 2019-20 | 25.91 | 14.77 | 1.25 | 0.00 | 1.25 | 13.52 | 1.25 |
| **योग** | **201.91** | **190.77** | **15.50** | **5.45** | **10.05** | **180.72** | **10.05** |

**(स्रोत: कार्यालय कलेक्टर, शिवपुरी द्वारा उपलब्ध कराए गए देयक)**

हमने पाया की जब बैंक खाता संख्या एवं आई.एफ़.एस.सी. में कोई विसंगति होती है, तो संव्यवहार असफल हो जाता है। बैंक असफल संव्यवहारों की राशि को जमा शीर्ष 8443-101-0120 (सिविल जमा) के अंतर्गत जमा करता है। जमा शीर्ष में जमा राशि को वास्तव में व्यय मान्य नहीं किया जा सकता क्योंकि यह राशि अभी भी शासकीय खाते में जमा है। **तालिका 2.1.8** दिखाती है कि ₹10.05 करोड़ जमा शीर्ष 8443 के अंतर्गत अवितरित जमा थी। जबकि, कलेक्टर शिवपुरी ने राहत आयुक्त को प्रस्तुत उपयोगिता प्रमाणपत्रों में ₹10.05 करोड़ की असफल संव्यवहारों की राशि सम्मिलित की, जो उपरोक्त जमा शीर्ष 8443 में जमा थी। इस प्रकार, ₹10.05 करोड़ के उपयोगिता प्रमाण पत्र राहत आयुक्त को बिना धन के उपयोग की सुनिश्चितता के प्रस्तुत किए गए।

शासन ने उत्तर दिया (जून 2023) कि शिवपुरी जिले से जानकारी प्राप्त की जा रही है।

### *2.1.12.2 निधियों का विचलन तथा भारत सरकार को त्रुटिपूर्ण उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना*

राज्य आपदा मोचन निधि (एस.डी.आर.एफ.) के गठन तथा प्रबंधन पर दिशा-निर्देशों में प्रावधान है कि एस.डी.आर.एफ. का उपयोग केवल चक्रवात, सूखा, भूकंप, आग, बाढ़, सुनामी, ओलावृष्टि, भू-स्खलन, हिमस्खलन, बादल फटने, कीट के प्रकोप तथा पाला एवं शीतलहर से प्रभावित व्यक्तियों को तात्कालिक राहत प्रदान करने के लिए होने वाले व्ययों को करने के लिए किया जाएगा।

कार्यालय राहत आयुक्त, मध्य प्रदेश के उपयोगिता प्रमाणपत्रों की जाँच में लेखापरीक्षा ने पाया कि वर्ष 2018-21 के दौरान एस.डी.आर.एफ. के अंतर्गत प्राप्त ₹731.37 करोड़, सांप के काटने, पानी में डूबने/ आकाशीय बिजली गिरने, जंगली जानवरों के कारण फसल क्षति, सिंचाई परियोजनाओं में मरम्मत, पुनर्वास एवं आपदा प्रबंधन के लिए राहत पर व्यय किया गया था, जबकि ये मद एस.डी.आर.एफ. के दिशानिर्देशों में निहित नहीं हैं। विवरण **तालिका 2.1.9** में दिया गया है:

**तालिका 2.1.9: भारत सरकार को प्रस्तुत त्रुटिपूर्ण उपयोगिता प्रमाणपत्रों का विवरण**

**(₹ करोड़ में)**

| वर्ष | एस.डी.आर.एफ. के अंतर्गत कुल व्यय | भारत सरकार को भेजी गई उपयोगिता प्रमाणपत्र की राशि | उन मदों पर व्यय राशि जो एस.डी.आर.एफ. के दिशानिर्देशों में निहित नहीं है | एस.डी.आर.एफ. में निहित मदों पर वास्तविक व्यय | भारत सरकार को भेजी गई गलत उपयोगिता प्रमाणपत्र की राशि |
|---|---|---|---|---|---|
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5=2-4** | **6=3-5** |
| 2018-19 | 1,430.80 | 1,350.00 | 193.39[20] | 1,237.41 | 112.59 |
| 2019-20 | 2,780.38 | 2,778.14 | 181.53[21] | 2,598.85 | 179.29 |
| 2020-21 | 4,147.01 | 3,833.39 | 753.11[22] | 3,393.90 | 439.49 |
| **योग** | **8,358.19** | **7,961.53** | **1,128.03** | **7,230.16** | **731.37** |

**(स्रोत: कार्यालय राहत आयुक्त द्वारा दी गई जानकारी)**

जिसके परिणामस्वरूप निधियों का विचलन हुआ और भारत सरकार को ₹731.37 करोड़ के त्रुटिपूर्ण उपयोगिता प्रमाणपत्र प्रस्तुत किए गए।

शासन ने उत्तर दिया (जून 2023) कि लेखापरीक्षा ने एस.डी.आर.एफ. के लिए योजना 5504 के अंतर्गत किए गए व्यय पर विचार नहीं किया, जबकि इस योजना के अंतर्गत बिजली गिरने, डूबने, असामयिक वर्षा के कारण मानव एवं पशु जीवन की हानि के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि भारत सरकार ने एस.डी.आर.एफ. के दिशा-निर्देशों में इन मदों का उल्लेख नहीं किया है।

---

[20] *1. डूबना अथवा बिजली गिरना ₹ 121.76 करोड़, 2. सर्पदंश ₹ 70.84 करोड़, 3. जंगली जानवरों द्वारा फसल क्षति ₹ 0.79 करोड़।*

[21] *1. डूबना अथवा बिजली गिरना ₹ 181.48 करोड़, 2. पुनर्वास पर खर्च ₹ 0.05 करोड़।*

[22] *1. सिंचाई परियोजनओं में मरम्मत ₹ 0.04 करोड़, 2. आपदा प्रबंधन बनाने पर व्यय ₹ 23.73 करोड़, 3. आर.बी.सी. 6-4 के अनुसार आपदा के अंतर्गत वित्तीय सहायता ₹ 729.25 करोड़, 4. पुनर्वास पर खर्च ₹ 0.09 करोड़।*

### 2.1.13 ₹10 लाख की निधि का विचलन

कार्यालय राहत आयुक्त, मध्य प्रदेश के अभिलेखों की जांच में पाया गया कि वर्ष 2017-18 में पड़े सूखा के कारण मध्य प्रदेश के 18 जिलों की 133 तहसीलों को सूखा प्रभावित घोषित किया गया। वर्ष 2020-21 में होशंगाबाद जिले में ₹9.88 लाख की सूखा राहत राशि वितरित की गई, जो वर्ष 2017-18 के सूखा प्रभावित जिलों की सूची सम्मिलित नहीं था।

आगे की जांच में पाया गया कि तहसीलदार, डोलरिया ने योजना मद 2018-अतिवृष्टि से अधिक वर्षा के कारण हुई फसल क्षति के लिए 163 किसानों को ₹9.88 लाख स्वीकृत किए (मार्च 2021)। जबकि, व्यय को योजना शीर्ष 6422-सूखा राहत के अंतर्गत दर्ज किया गया था जिसके परिणामस्वरूप निधि का विचलन हुआ।

शासन ने उत्तर दिया (जून 2023) कि कलेक्टर होशंगाबाद से जानकारी प्राप्त की जा रही है।

### 2.1.14 लाभार्थियों को विलम्ब से राहत का वितरण

आर.बी.सी. 6-4 प्राकृतिक आपदा से पीड़ितों को तत्काल वित्तीय सहायता प्रदान करने का प्रावधान करता है।

आठ जिलों के कलेक्टर एवं सभी तहसीलदारों के कार्यालयों के अभिलेखों की नमूना जांच में, पाया गया की सूखे एवं कीट प्रकोप से प्रभावित 6.91 लाख किसानों को ₹563.72 करोड़ रुपये की राहत छः माह से 29 माह तक के विलम्ब से वितरित की गयी, जो योजनाओं के उद्देश्य को विफल किया। विवरण **तालिका 2.1.10** में दिया गया है:

**तालिका 2.1.10: राहत के वितरण में विलम्ब का विवरण**

| जिला | आपदा का प्रकार | अवधि जिसमें आपदा आई | राहत वितरण में विलम्ब | किसानों की संख्या जिन्हें विलम्ब से राहत वितरित हुई। (लाख में) | राहत की वितरित राशि (₹ करोड़ में) |
|---|---|---|---|---|---|
| आगर-मालवा | कीट प्रकोप | जून-अगस्त 2020 | 6 से 17 महीने | 1.12 | 71.98 |
| दमोह | सूखा | जून-सितंबर 2017 | 6 से 27 महीने | 0.71 | 47.19 |
| | कीट प्रकोप | जून-अगस्त 2020 | 6 से 7 महीने | 0.49 | 16.73 |
| देवास | कीट प्रकोप | जून-अगस्त 2020 | 6 से 17 महीने | 0.83 | 77.53 |
| रायसेन | कीट प्रकोप | जून-अगस्त 2020 | 6 से 10 महीने | 0.10 | 6.43 |
| सतना | सूखा | जून-सितंबर 2017 | 6 से 17 महीने | 0.42 | 25.28 |
| सीहोर | कीट प्रकोप | जून-अगस्त 2020 | 6 से 12 महीने | 0.97 | 96.10 |
| शिवपुरी | सूखा | जून-सितंबर 2017 | 6 से 29 महीने | 1.14 | 101.20 |
| विदिशा | सूखा | जून-सितंबर 2017 | 6 से 21 महीने | 1.13 | 121.28 |
| **योग** | | | | **6.91** | **563.72** |

**(स्रोत: संबंधित जिलों के कलेक्टरों एवं तहसीलदारों द्वारा प्रदान की गई भुगतान आदेश सूची)**

शासन ने लेखापरीक्षा प्रेक्षण को स्वीकार किया(जून 2023) और उत्तर दिया कि जिला कलेक्टरों को भविष्य में राहत के समय पर वितरण को सुनिश्चित करने के लिए निर्देशित किया गया है।

## 2.1.15 तहसीलदारों द्वारा प्रत्यायोजित शक्ति का उल्लंघन

आर.बी.सी. 6-4 में प्राकृतिक आपदाओं के अंतर्गत पीड़ितों या पीड़ितों के परिवार को वित्तीय सहायता स्वीकृत करने के लिए तहसीलदार, एस.डी.ओ. एवं कलेक्टर को क्रमशः ₹0.50 लाख, ₹ चार लाख एवं ₹ पांच लाख तक की वित्तीय शक्तियां प्रदान की गईं।

भुगतान आदेश सूचियों की नमूना जांच में, हमने पाया गया कि छः[23] जिलों के 20 तहसीलदारों ने 216 देयकों के माध्यम से 3391 व्यक्तियों को वित्तीय शक्तियों से परे विभिन्न प्राकृतिक आपदाओं के अंतर्गत राहत के लिए ₹26 करोड़ की राहत का भुगतान किया, जिनके साथ सक्षम प्राधिकारी अर्थात एस.डी.ओ. का स्वीकृति आदेश संलग्न नहीं था। विवरण **परिशिष्ट 2.1.21** में दिया गया है।

इस प्रकार, इन 20 तहसीलदारों द्वारा वित्तीय शक्तियों से परे ₹26 करोड़ का भुगतान किया गया जो प्रत्यायोजित शक्तियों का उल्लंघन था।

शासन ने उत्तर दिया (जून 2023) कि तहसीलदारों ने एस.डी.ओ. की स्वीकृति मिलने के बाद स्वीकृति आदेश पर हस्ताक्षर किए थे।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि भौतिक देयकों के साथ एस.डी.ओ. की स्वीकृति संलग्न नहीं थी और उत्तर के साथ कोई सहायक दस्तावेज भी उपलब्ध नहीं कराया गया।

## 2.1.16 जमा शीर्ष 8443-101-0120 के अंतर्गत जमा धनराशि का लेखांकन न किया जाना

चयनित 13 जिलों के कलेक्टर एवं तहसीलदार कार्यालयों के अभिलेखों की जांच के दौरान, पाया गया कि संबंधित डी.डी.ओ. के पास जमा शीर्ष 8443-101-0120 के अंतर्गत प्रत्येक योजना के असफल संव्यवहारों की राशि के बारे में कोई जानकारी नहीं थी जो भुगतान के लिए लंबित थी। आई.एफ.एम.आई.एस. के माध्यम से आहरित डी.डी.ओ. के आबंटन एवं व्यय प्रतिवेदन में असफल संव्यवहारों को भी वास्तविक व्यय के रूप में दर्शाया गया, और उपयोगिता प्रमाणपत्र भी इसी प्रतिवेदन के आधार पर प्रस्तुत किए गए हैं, जिस पर **कंडिका 2.1.12.1** में पूर्व में ही टिप्पणी की गई है। इस प्रकार, जमा शीर्ष 8443-101-0120 (सिविल जमा) के अंतर्गत जमा धन पर कोई निगरानी नहीं है।

---

[23] *1. आगर-मालवा, 2. मंदसौर, 3. रायसेन, 4. सिवनी, 5. श्योपुर, 6. विदिशा ।*

छतरपुर, मंदसौर, शिवपुरी एवं सीहोर जिलों में दोषी कर्मचारियों ने कपटपूर्ण भुगतान करने के लिए जमा शीर्ष 8443-101-0120 के अंतर्गत उपलब्ध बड़ी मात्रा में धनराशि का दुरुपयोग किया।

शासन ने लेखापरीक्षा प्रेक्षण को स्वीकार किया (जून 2023) और सूचित किया कि डी.डी.ओ. को 100 प्रतिशत समाधान करके तीन से छः दिनों में असफल संव्यवहार के देयकों को पुनः तैयार करने के निर्देश जारी किए गए हैं। अनुविभागीय अधिकारी (एस.डी.ओ.) एवं कलेक्टर को असफल संव्यवहारों की क्रमशः साप्ताहिक एवं पाक्षिक समीक्षा करने का निर्देश दिया गया है।

### 2.1.17 राहत वितरण में निगरानी तंत्र का अभाव

राहत आयुक्त, मध्य प्रदेश और चयनित 13 जिलों के कलेक्टर कार्यालयों के अभिलेखों की जांच में राहत वितरण में निगरानी तंत्र नही पाया गया। प्राकृतिक आपदाओं के अंतर्गत वास्तविक लाभार्थियों को विभिन्न राहतों के वितरण की निगरानी के लिए न तो कोई समिति गठित की गई और न ही कोई प्रणाली स्थापित की गई।

इस प्रकार, निगरानी तंत्र की कमी के परिणामस्वरूप राहत के वितरण में देरी हुई और अनधिकृत व्यक्तियों को कपटपूर्ण भुगतान हुए, जैसा कि **कंडिका 2.1.8.5** में बताया गया है।

शासन ने उत्तर दिया (जून 2023) कि उन्होंने संभागीय आयुक्तों एवं जिला कलेक्टरों को निरीक्षण के दौरान राहत प्रकरणों पर विशेष ध्यान देने के निर्देश जारी किया है। उन्हें प्रकरणों को स्वीकृति देने के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया, प्रकरणों के निपटान में लगने वाले समय तथा स्वीकृति के बाद संवितरण में लगने वाले समय की समीक्षा करने पर जोर दिया गया है। यदि निरीक्षण के दौरान कोई अनियमितता पाई जाती है, तो जिम्मेदारी तय की जाएगी और संबंधित व्यक्तियों के विरूद्ध उचित कार्रवाई की जाएगी।

***अनुशंसा 6: मध्य प्रदेश शासन को लाभार्थियों को राहत के उचित वितरण के लिए मजबूत निगरानी तंत्र सुनिश्चित करना चाहिए।***

### 2.1.18.1 निष्कर्ष

- लेखा परीक्षा में चयनित 13 जिलों में कर्मचारियों एवं उनके रिश्तेदारों सहित अनधिकृत व्यक्तियों को प्राकृतिक आपदाओं के अंतर्गत राहत के लिए ₹23.81 करोड़ का संदिग्ध कपटपूर्ण वितरण पाया गया । जाली स्वीकृति आदेश तैयार करके, वास्तविक लाभार्थियों के बजाय अनधिकृत व्यक्तियों के खातों में राहत का भुगतान करके, ई-भुगतान में लाभार्थियों के जाली नामों का उपयोग करके कपटपूर्ण लेनदेन किए गए, जबकि ये खाते बैंक अभिलेखों में अलग-अलग व्यक्तियों के नाम पर पंजीकृत थे। ग्लोबल बजट प्रणाली एवं

आई.एफ.एम.आई.एस. में कमी ने कर्मचारियों को शासकीय धन का गबन करने में सक्षम बना दिया था।

- लाभार्थियों के बैंक खातों में सीधे राहत जमा करने के भारत सरकार एवं मध्य प्रदेश शासन के आदेशों का स्पष्ट उल्लंघन करते हुए, खंडवा जिले के सभी तहसीलदारों ने अतिवृष्टि के कारण फसल क्षति की राहत राशि वितरित करने के लिए 105 सहकारी समितियों को ₹164.31 करोड़ का भुगतान किया। इन समितियों के अभिलेखों की नमूना जांच में, लाभार्थियों की उचित पहचान के बिना भुगतान, तहसीलदारों तथा सहकारी समितियों के आंकड़ों के बीच ₹8.28 करोड़ की विसंगति एवं ₹4.93 करोड़ के अधिक भुगतान जैसी अनियमितताएं परिलक्षित हुई।
- आठ जिलों (आगर-मालवा, दमोह, देवास, रायसेन, सतना, सीहोर, शिवपुरी, विदिशा) में हमने पाया कि सूखे एवं कीट प्रकोप से प्रभावित 6.91 लाख लोगों को ₹563.72 करोड़ की राहत राशि के वितरण में छः माह से 29 माह तक का विलम्ब हुआ, जिसने इन योजनाओं के उद्देश्य को विफल कर दिया।
- हमने पाया कि प्रणालीगत कमियाँ जैसे कि ग्लोबल बजटिंग में कमी, आई.एफ.एम.आई.एस. में खामियां और देयकों के साथ हानि पत्रक एवं सर्वेक्षण प्रतिवेदन जैसे आवश्यक दस्तावेजों का सलंग्न न करना संदिग्ध कपटपूर्ण भुगतान करने में सहायता प्रदान की।

# राजस्व विभाग

## 2.2 शासकीय भूमि के आवंटन एवं प्रबंधन पर लेखापरीक्षा

### 2.2.1 प्रस्तावना

भूमि सीमित परिमाप की परिसम्पत्ति है। अतः भूमि के उपयोग को ऐसे नीतिगत ढांचे के तहत नियंत्रित किया जाना महत्वपूर्ण है जो लोकहित के अनुकूल हो एवं भूमि की विभिन्न प्रतिस्पर्धी मांगों का समाधान करती हो। शासकीय भूमि शासन के विभागों, निजी संस्थाओं/व्यक्तियों, राजनैतिक दलों, स्थानीय निकायों, चैरिटेबल संस्थाओं आदि को विभिन्न उद्देश्यों हेतु या तो नीलामी से अथवा अन्य माध्यम से आवंटित की जाती है। मध्य प्रदेश राजस्व पुस्तक परिपत्र (आर.बी.सी.) एवं मध्य प्रदेश नजूल भूमि निर्वर्तन निर्देश, 2020 (एम.पी.एन.बी.एन.एन.) में सम्भावित आवेदकों को विभिन्न प्रकार की भूमि के आवंटन हेतु दी जाने वाली विभिन्न रियायतों को निर्धारित किया गया है। राज्य में शासकीय भूमि के आवंटन एवं प्रबंधन हेतु राजस्व विभाग, मध्य प्रदेश शासन उत्तरदायी है।

राजस्व विभाग, मध्य प्रदेश शासन के एम.पी. भूलेख पोर्टल पर उपलब्ध (31.03.2022) आकंड़ों के अनुसार, मध्य प्रदेश में शासकीय भूमि का कुल क्षेत्रफल 8710580 हेक्टेयर है, जबकि लेखापरीक्षा में समाहित शासकीय भूमि का क्षेत्रफल 1428375 हेक्टेयर (16.40 प्रतिशत) है।

### 2.2.2 संगठनात्मक संरचना

शासन स्तर पर प्रमुख सचिव राजस्व विभाग के प्रमुख हैं। प्रमुख राजस्व आयुक्त विभाग प्रमुख हैं। आयुक्त, भू-अभिलेख, मध्य प्रदेश राज्य शासन द्वारा जारी निर्देशों के अधीन शासकीय भूमि के भू-सर्वेक्षण के प्रबंधन एवं अभिलेखों को तैयार कर संधारित करने के लिए उत्तरदायी हैं। प्रत्येक जिले में, कलेक्टर विभाग की गतिविधियों को प्रशासित करता है। उपखण्ड का प्रभार अनुविभागीय अधिकारी (एस.डी.ओ.) के पास होता है। अनुविभागीय अधिकारी राज्य शासन द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार कलेक्टर की शक्तियों का उपयोग करते हैं। अधीक्षक/सहायक अधीक्षक, भू-अभिलेख की पदस्थापना राजस्व अभिलेखों के संधारण हेतु कलेक्ट्रेट में की जाती है। तहसीलदार/अपर तहसीलदार तहसीलों में विभाग के प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किए जाते हैं।

### 2.2.3 लेखापरीक्षा के उद्देश्य

"शासकीय भूमि के आवंटन एवं प्रबंधन" पर लेखापरीक्षा यह सुनिश्चित करने की दृष्टि से की गई थी कि:-

1. शासकीय भूमि का आवंटन विभागीय संहिता, नियमों एवं विनियमों के अनुसार किया गया था।
2. शासकीय भूमि के सर्वोत्तम प्रबंधन को सुनिश्चित करने की दृष्टि से आवंटित भूमि की उपयोगिता की स्थिति की समीक्षा की गई थी।
3. भू-राजस्व के निर्धारण, संग्रहण एवं वसूली हेतु प्रणाली की दक्षता एवं प्रभावकारिता पर्याप्त थी।
4. शासकीय भूमि के सर्वोत्तम प्रबंधन एवं उपयोगिता को सुनिश्चित करने हेतु पर्याप्त आन्तरिक नियंत्रण प्रणाली विद्यमान थी।

### 2.2.4 लेखापरीक्षा के मानदंड

लेखापरीक्षा के मानदंड मध्य प्रदेश भू-राजस्व संहिता (म.प्र.भू.रा.स.), 1959, मध्य प्रदेश राजस्व पुस्तक परिपत्र (आर.बी.सी.), म.प्र.भू.रा.स. (भू-राजस्व के निर्धारण एवं पुनर्निर्धारण) नियम, 2018, मध्य प्रदेश नजूल भूमि निर्वर्तन निर्देश, 2020, म. प्र. भू. रा.स. (भू-सर्वेक्षण एवं भू-अभिलेख) नियम, 2020, म.प्र. पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993, भारतीय स्टाम्प (म. प्र. संशोधन) अधिनियम, 2014, महानिरीक्षक, पंजीयन द्वारा जारी सामान्य अनुदेश (उपबंध[24]), कलेक्टर बाजार मूल्य मार्गदर्शिका (गाइडलाइन) एवं विभाग/शासन द्वारा समय समय पर जारी परिपत्रों एवं अधिसूचनाओं से लिए गए थे।

### 2.2.5 लेखापरीक्षा का क्षेत्र एवं कार्यविधि

लेखापरीक्षा में वर्ष 2019-22 की अवधि सम्मिलित है। हमने विभाग स्तर पर कार्यालय प्रमुख राजस्व आयुक्त, भोपाल एवं आयुक्त, भू-अभिलेख, ग्वालियर में शासकीय भूमि के आवंटन एवं प्रबंधन से सम्बंधित अभिलेखों का परीक्षण किया है। हमने कलेक्ट्रेट एवं तहसीलों में अभिलेखों की नमूना जांच के लिए आठ जिलों का चयन किया जैसा की विवरण निम्नवत है।

- आठ चयनित जिलों में चार[25] महानगर हैं जिन्हें बेहतर कवरेज के लिए सम्मिलित किया गया है।
- तीन[26] जिलों का चयन प्रतिस्थापन रहित साधारण यादृच्छिक प्रतिचयन पद्धति द्वारा किया गया। इन तीन चयनित जिलों में सिंगरौली (औद्योगिक जिला) सम्मिलित था।

[24] *मार्गदर्शिका में सामान्य प्रावधान*

[25] *भोपाल, ग्वालियर, इन्दौर एवं जबलपुर*

[26] *देवास, शहडोल, सिंगरौली*

- एक और औद्योगिक इकाई को सम्मिलित करने के लिए, धार को निर्णयात्मक प्रतिचयन द्वारा चयनित किया गया।

नजूल भूमि के प्रबंधन का परीक्षण करने की दृष्टि से, हमने प्रत्येक चयनित जिले में शासकीय भूमि के क्षेत्रफल के आधार पर सर्वोच्च दो शहरी तहसील एवं एक निम्नतम ग्रामीण तहसील का चयन किया। लेखापरीक्षा ने चयनित जिलों में वर्ष 2019-22 की अवधि से सम्बंधित कुल 301 भूमि आवंटन प्रकरणों[27] तथा 369 नवीनीकरण प्रकरणों[28] की नमूना जांच की। चयनित जिलों, तहसीलों एवं ग्रामों का विवरण ***परिशिष्ट -2.2.1 (क)*** में दिया गया है एवं संयुक्त भौतिक निरीक्षण हेतु चयनित 76 भूमि आवंटन से सम्बंधित स्थलों का विवरण ***परिशिष्ट*-2.2.1*(ख)*** में दिया गया है। लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त करने के लिए निरीक्षण करते समय स्थलों की फोटोग्राफी भी की गई।

प्रमुख सचिव, राजस्व एवं आयुक्त, भू-अभिलेख के साथ 22 जुलाई 2022 को एक प्रवेश सम्मेलन आयोजित किया गया था जिसमें लेखापरीक्षा के उद्देश्यों, कार्य क्षेत्र, कार्य प्रणाली एवं लेखापरीक्षा मानदंडों पर चर्चा की गई थी। निर्गम सम्मलेन 07 जून 2023 को आयोजित किया गया और शासन से प्राप्त उत्तर (जून 2023) को इस प्रतिवेदन में उपयुक्त रूप से शामिल किया गया है।

## लेखापरीक्षा निष्कर्ष

## 2.2.6 बाजार मूल्य के अवनिर्धारण एवं पंचायत उपकर के अनारोपण के कारण राजस्व की हानि

### 2.2.6.1 मार्गदर्शिका (गाइडलाइन) दरों को गलत ढंग से लागू किए जाने के कारण बाजार मूल्य का अवनिर्धारण

एम.पी.एन.बी.एन.एन. की कंडिका 31 के अनुसार, किसी चैरिटेबल संस्था को स्थायी पट्टे पर भूमि आवंटन के प्रकरण में, भूमि के बाजार मूल्य के 25 प्रतिशत के बराबर प्रीमियम एवं निर्धारित दरों की दो गुने दर से वार्षिक पट्टा किराया आरोपित किया जाएगा। उक्त निर्देशों की कंडिका 65 में प्रावधान है कि स्थायी पट्टे की अवधि को 99 वर्ष तक बढ़ाने के लिए वित्त विभाग की सहमति आवश्यक होगी।

म.प्र.भू.रा.सं. की धारा 59 में प्रावधान है कि भू-राजस्व का निर्धारण भूमि के उपयोग के संदर्भ में ऐसी दरों पर, जो निर्धारित की जाए, किया जाएगा। महानिरीक्षक, पंजीयन की मार्गदर्शिका के उपबंधों के अनुसार, राजमार्ग या उसके बाईपास पर स्थित किसी भी भूमि का मूल्य, उन क्षेत्रों एवं

[27] *भोपाल-26, देवास-05, धार-50, ग्वालियर-53, इन्दौर-34, जबलपुर-54, शहडोल-29 एवं सिंगरौली-50*

[28] *भोपाल-36, देवास-148, धार-05, ग्वालियर-01, इन्दौर-20, जबलपुर-145, शहडोल-14*

गांवों जिनके लिए मार्गदर्शिका दरें (सड़क विशिष्ट) अलग से निर्दिष्ट की गई हैं, को छोड़ कर, दोगुना किया जाएगा।

जिला भोपाल की तहसील हुजूर (ग्रामीण) में भूमि आवंटन प्रकरणों की जांच (दिसंबर 2022) में पता चला कि राजस्व विभाग, मध्य प्रदेश शासन के आदेश (दिसंबर 2020) के अनुसार, 20.234 हेक्टेयर भूमि अजीम प्रेमजी फाउंडेशन, बेंगलुरु को एक निजी विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए 99 साल की अवधि हेतु स्थायी पट्टे पर आवंटित (दिसंबर 2020) की गई थी। आर.बी.सी. के प्रावधानों एवं मध्य प्रदेश शासन के आवंटन आदेश के अनुसार कलेक्टर ने वर्ष 2019-20 की कलेक्टर मार्गदर्शिका दरों के अनुसार बाजार मूल्य **₹**109.26 करोड़ का अनुमोदन किया। जबकि, पट्टा विलेख को ₹38.85 करोड़ के बाजार मूल्य पर निष्पादित (जनवरी 2021) किया गया और संस्थान ने ₹9.71 करोड़ (बाजार मूल्य का 25 प्रतिशत) प्रीमियम का भुगतान किया। स्वीकृत दरों से कम पर पट्टा विलेख निष्पादित करने का कारण अभिलेखों में नहीं पाया गया।

लेखापरीक्षा में आगे पाया गया कि पट्टा विलेख के अनुसार, भू-खंड राष्ट्रीय राजमार्ग बाईपास पर स्थित था। इस प्रकरण में, कलेक्टर मार्गदर्शिका में आवंटित भूमि की सड़क-विशिष्ट दर निर्धारित नहीं की गई थी, इसलिए भूमि का बाजार मूल्य दो गुना किया जाना आवश्यक था, जबकि अपर तहसीलदार ने भूमि का बाजार मूल्य सामान्य बाजार मूल्य से दोगुना करने के बजाय सामान्य दर पर प्रस्तावित किया, जिसके परिणामस्वरूप भू-खंड के बाजार मूल्य का ₹179.68 करोड़[29] अवनिर्धारण हुआ। कलेक्टर ने भी मार्गदर्शिका के प्रावधानों की उपेक्षा की।

इसके अलावा, भारतीय स्टाम्प अधिनियम की अनुसूची 1-क के अनुसार, 99 साल की अवधि के लिए पट्टा विलेख (लीज डीड) पर स्टाम्प शुल्क, प्रीमियम और औसत वार्षिक पट्टा किराया (लीज रेंट) के योग या भूमि के बाजार मूल्य के पांच प्रतिशत, इनमें से जो भी अधिक हो, के बराबर देय है। चूंकि पट्टा विलेख में प्रीमियम की राशि गलत तरीके से कम करके बताई गई थी, प्रीमियम कम बताने के परिणामस्वरूप स्टाम्प शुल्क एवं पंजीयन शुल्क की कम वसूली हुई जैसा कि निम्न **तालिका 2.2.1** में दर्शाया गया है:

| **तालिका 2.2.1: बाजार मूल्य के कम निर्धारण के कारण कुल राजस्व की हानि** (₹ करोड़ में) | | | |
|---|---|---|---|
| **प्रीमियम की हानि** | **स्टांप शुल्क की हानि** | **पंजीयन शुल्क की हानि** | **कुल हानि** |
| 44.92 | 11.48 | 8.65 | 65.05 |

कुल हानि की विस्तृत गणना **परिशिष्ट-2.2.2** में दर्शाई गई है।

जैसा कि एम.पी.एन.बी.एन.एन. की कंडिका 65 के तहत अनिवार्य है, पट्टा अवधि को 99 वर्ष तक बढ़ाने के संबंध में वित्त विभाग की सहमति भी अभिलेख में उपलब्ध नहीं थी। उपरोक्त

[29] *बाजार मूल्य ₹109.26 करोड़ X 2 - ₹38.85 करोड़= ₹179.67 करोड़*

अपेक्षित सहमति के बिना भूमि आवंटन तथा प्रीमियम, स्टांप शुल्क एवं पंजीयन शुल्क के कम आरोपण/ कम भुगतान के परिणामस्वरूप भूमि का अनियमित आवंटन हुआ, जिससे शासकीय राजकोष को ₹65.05 करोड़ की राजस्व हानि हुई।

शासन ने उत्तर दिया (जून 2023) कि भूमि आवंटन पर निर्णय मंत्रिपरिषद द्वारा लिया गया था। मंत्रिपरिषद का निर्णय अधिनियम के प्रावधानों से परे नहीं जा सकता। इसके अलावा, प्रमुख सचिव ने कई अनुस्मारकों के बावजूद इस मुद्दे पर कैबिनेट नोट प्रस्तुत नहीं किया। इसलिए, लेखापरीक्षा यह सुनिश्चित नहीं कर सका कि कैबिनेट नोट में, अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप, उचित तथ्य शामिल हैं अथवा नहीं।

***अनुशंसा 1: विभाग को अवनिर्धारित राजस्व की आक्षेपित राशि की वसूली करनी चाहिए।***

### *2.2.6.2 पंचायत उपकर के अनारोपण के कारण राजस्व की हानि*

म.प्र.पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 74 में ग्राम पंचायत क्षेत्र में निर्दिष्ट दरों (50 पैसे प्रति एक रुपया राजस्व) पर पंचायत उपकर आरोपित किए जाने का प्रावधान है। म.प्र.भू.रा.सं. की धारा 2 (एम-1) के अनुसार, पंचायत उपकर की गणना के लिए प्रीमियम और किराया भी शामिल है।

कलेक्टर, धार के कार्यालय में अभिलेखों की जांच से पता चला कि एक प्रकरण में, बदनावर तहसील की ग्राम पंचायत इंद्रावल में 3.750 हेक्टेयर[30] शासकीय भूमि एल.पी.जी. पाइपलाइन के लिए इंटरमीडिएट पंपिंग स्टेशन के निर्माण हेतु आई.एच.बी. लिमिटेड[31], इंदौर को आवंटित की गई थी (जनवरी 2022)। लेखापरीक्षा में आगे पाया गया कि निर्धारित किए गए प्रीमियम एवं वार्षिक पट्टा किराये पर पंचायत उपकर आरोपित किया जाना आवश्यक था, क्योंकि भू-खंड पंचायत क्षेत्र के भीतर स्थित था, लेकिन कोई पंचायत उपकर नहीं लगाया गया और न ही आवेदक से वसूल किया गया। निम्न **तालिका 2.2.2** पंचायत उपकर के अनारोपण को दर्शाती है:-

**तालिका 2.2.2: पंचायत उपकर का अनारोपण**

**(राशि ₹ में)**

| बाजार मूल्य | प्रमियम[132] | पट्टा किराया | अधिरोपित किए जाने योग्य उपकर (कॉलम 2 एवं 3 के योग का 50 प्रतिशत) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1,39,50,000 | 1,39,50,000 | 75,000 | 70,12,500 |
| **वसूली योग्य राशि = ₹70,12,500** | | | |

[30] *खसरा नं. 129/1*

[31] *तीन अग्रणी तेल एवं गैस केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों – इंडियन आयल कार्पोरेशन लिमिटेड; हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड एवं भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड - का संयुक्त उद्यम*

[32] *भूमि के बाजार मूल्य के बराबर।*

इस प्रकार, पंचायत उपकर के अनारोपण के परिणामस्वरूप राज्य शासन को ₹ 70.13 लाख की राजस्व हानि हुई।

शासन ने उत्तर दिया (जून 2023) कि संबंधित जिले धार से प्राप्त प्रतिवेदन का परीक्षण किया जा रहा है।

अन्तिम उत्तर अप्राप्त रहा। 31 मार्च 2015 को समाप्त वर्ष के लिए लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (राजस्व क्षेत्र) की कंडिका 5.2.15 में इसी तरह के प्रकरण को इंगित करने के बाद भी कमी दोहराई गई।

***अनुशंसा 2: शासन को ग्राम पंचायत क्षेत्रों में प्रीमियम के साथ-साथ किराए पर पंचायत उपकर लगाने के लिए अधिनियम का अनुपालन सुनिश्चित करना चाहिए।***

## 2.2.7 शासकीय भूमि का शून्य प्रीमियम पर आवंटन

### *2.2.7.1 शून्य प्रीमियम और ₹ एक वार्षिक पट्टा किराया पर एक चैरिटेबल ट्रस्ट को शासकीय भूमि के आवंटन के कारण राजस्व की हानि*

आर.बी.सी. खण्ड 4 क्रमांक 2 की कंडिका 26 के अनुसार, चैरिटेबल संस्थानों या लोक स्वास्थ्य संस्थानों को शासकीय भूमि का आवंटन, बाजार मूल्य के 75 प्रतिशत के बराबर प्रीमियम और सामान्य वार्षिक पट्टा किराए के 50 प्रतिशत पर किया जाएगा। एम.पी.एन.बी.एन.एन. की कंडिका 32(2)(ख) के अनुसार, आवंटित भूमि पर निर्माण कार्य आवंटन तिथि से एक वर्ष के भीतर आरंभ कर तीन वर्ष के भीतर पूर्ण करना आवश्यक था।

अभिलेखों की जांच से पता चला कि –

- राजस्व विभाग ने श्री सत्य साईं मेडिकल एंड हेल्थ केयर ट्रस्ट को सिम्बायोसिस यूनिवर्सिटी के समीपस्थ ग्राम बड़ा बांगड़दा[33], इंदौर में शून्य प्रीमियम और ₹ एक वार्षिक पट्टा किराये पर बच्चों के हृदय रोग के इलाज के लिए चिकित्सालय के निर्माण हेतु 2.231 हेक्टेयर भूमि आवंटित की (दिसम्बर 2019)। यह बताना प्रासंगिक होगा कि जिला कलेक्टर, इंदौर ने संभागीय आयुक्त के माध्यम से सचिव, राजस्व विभाग को भेजे गए (मई 2019) अपने प्रस्ताव में, लागू प्रावधानों के अनुसार आवंटित भूमि के बाजार मूल्य (₹5.58 करोड़) के बदले में आरोपणीय ₹5.58 करोड़[34] के प्रीमियम एवं ₹4.18 लाख के वार्षिक पट्टा किराये के निर्धारण कर इंगित किया था।
- राजस्व निरीक्षक (आर.आई.) ने उपरोक्त भूमि के अपने स्थल सत्यापन प्रतिवेदन (अगस्त 2022) में कहा कि भूमि अप्रयुक्त/रिक्त थी और भूमि के चारों ओर केवल एक

---

*[33] सर्वे नम्बर 216, 217, 218, 224, 225, 226*

*[34] ₹2.50 करोड प्रति हेक्टेयर की दर से 2.231 हेक्टेयर भूमि का बाजार मूल्य*

चारदीवारी का निर्माण किया गया था। दो वर्ष नौ माह के बाद भी निर्माण कार्य प्रारंभ न होना यह इंगित करता है कि नजूल अधिकारी द्वारा आर.बी.सी. खण्ड 4, क्रमांक 1 की कंडिका 31 के अन्तर्गत अपेक्षित पट्टे की शर्तों का सत्यापन नहीं किया गया था। लेखापरीक्षा द्वारा राजस्व अधिकारियों के साथ संयुक्त भौतिक सत्यापन (सितंबर 2022) में प्रतिवेदन के तथ्यों की पुष्टि हुई|

इस प्रकार, शून्य प्रीमियम और ₹ एक वार्षिक पट्टा किराया पर भूमि का आवंटन न तो लोक हित और न ही राजस्व हित में था, जिसके परिणामस्वरूप शासकीय राजकोष को प्रीमियम ₹4.19 करोड़[35] और वार्षिक पट्टा किराये के रूप में ₹4.18 लाख (विद्यमान नियमों के अनुसार आरोपण योग्य) की हानि हुई।

शासन ने उत्तर दिया (जून 2023) कि भूमि आवंटन पर निर्णय मंत्रिपरिषद द्वारा लिया गया था।

मंत्रिपरिषद का निर्णय आर.बी.सी. के प्रावधानों से परे नहीं जा सकता। इसके अतिरिक्त, प्रमुख सचिव ने कई अनुस्मारकों के बावजूद इस मुद्दे पर कैबिनेट नोट प्रस्तुत नहीं किया। इसलिए, लेखापरीक्षा यह सुनिश्चित नहीं कर सका कि कैबिनेट नोट में, आर.बी.सी. के प्रावधानों के अनुरूप, उचित तथ्य शामिल हैं अथवा नहीं।

### *2.2.7.2 भारतीय विमान पत्तन प्राधिकरण (ए.ए.आई.) को शून्य प्रीमियम और ₹ एक वार्षिक पट्टा किराया पर भूमि आवंटन के कारण राजस्व की हानि*

आर.बी.सी. खण्ड 4, क्रमांक 1 के प्रावधानों के अनुसार, केंद्र सरकार के उपक्रम को भूमि का आवंटन प्रभावी नियमों के अनुसार बाजार मूल्य के बराबर प्रीमियम और बाजार मूल्य के 7.5 प्रतिशत की दर से वार्षिक पट्टा किराया पर किया जाएगा।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि राजस्व विभाग के आदेश (जुलाई 2018) के अनुसरण में, जिला कलेक्टर, इंदौर ने वर्ष 2018-19 की मार्गदर्शिका के अनुसार बाजार मूल्य के बराबर प्रीमियम और बाजार मूल्य के 7.5 प्रतिशत वार्षिक किराया पट्टे पर ए.ए.आई. को 8.291 हेक्टेयर भूमि आवंटित की जो तहसीलदार द्वारा किए गए मूल्यांकन (मार्च 2018) के अनुसार, ₹26.64 करोड़ (प्रीमियम ₹24.78 करोड़ और वार्षिक पट्टा किराया ₹1.86 करोड़) निकाला गया था।

आगामी संवीक्षा से पता चला कि राजस्व विभाग के संशोधित आदेश (अक्टूबर 2018) के अनुसार, भूमि शून्य प्रीमियम और ₹ एक वार्षिक पट्टा किराया पर आवंटित की गई थी। आवंटित भूमि का कब्जा दिसंबर 2018 में ए.ए.आई. को सौंप दिया गया था।

---

[35] *बाजार मूल्य का 75 प्रतिशत*

राजस्व विभाग द्वारा आर.बी.सी. प्रावधानों के उल्लंघन में शून्य प्रीमियम और ₹ एक वार्षिक पट्टा किराया पर भूमि आवंटन के परिणामस्वरूप ₹26.64 करोड़ की राजस्व हानि हुई/ राजस्व प्राप्ति नहीं हुई।

शासन ने उत्तर दिया (जून 2023) कि भूमि आवंटन पर निर्णय मंत्रिपरिषद द्वारा लिया गया था।

मंत्रिपरिषद का निर्णय आर.बी.सी. के प्रावधानों से परे नहीं जा सकता। इसके अलावा, प्रमुख सचिव ने कई अनुस्मारकों के बावजूद इस मुद्दे पर कैबिनेट नोट प्रस्तुत नहीं किया। इसलिए लेखापरीक्षा सुनिश्चित नहीं कर सका कि कैबिनेट नोट में आर.बी.सी. के प्रावधानों के अनुरूप उचित तथ्य शामिल हैं।

#### *2.2.7.3 स्वामी विवेकानन्द तकनीकी संस्थान को शून्य प्रीमियम एवं ₹ एक वार्षिक पट्टा किराये पर शासकीय भूमि का आवंटन*

स्वामी विवेकानन्द तकनीकी संस्थान, इंदौर ने तकनीकी संस्थान भवन के निर्माण हेतु एक भू-खंड के लिए आवेदन किया (अप्रैल 2002)। कलेक्टर ने लागू आर.बी.सी. प्रावधानों को आयुक्त के माध्यम से सचिव, राजस्व विभाग को भेजा (मई 2002) तथा प्रस्तावित किया कि आवंटित भूमि का मूल्यांकन आर.बी.सी. खण्ड 4, क्रमांक 1 की कंडिका 23 एवं 26 के अनुसार किया जाना आवश्यक था।

जैसा कि कलेक्टर द्वारा मूल्यांकन[36] किया गया था, भू-खण्ड के आवंटन पर भूमि के बाजार मूल्य के 50 प्रतिशत के बराबर प्रीमियम और प्रीमियम के दो प्रतिशत पर वार्षिक पट्टा किराया आरोपणीय था। लेखापरीक्षा में पाया गया कि कलेक्टर के प्रस्ताव पर उचित विचार किए बिना, राजस्व विभाग ने सचिव, स्वामी विवेकानंद तकनीकी संस्थान, दतोदा तहसील डॉ. अम्बेडकर नगर (महू) जिला इंदौर के पक्ष में दतोदा में छह सर्वे नम्बरों[37] में सन्निहित कुल 9.246 हेक्टेयर क्षेत्रफल के भू-खण्ड के आवंटन को शून्य प्रीमियम एवं ₹एक वार्षिक पट्टा किराये पर स्वीकृति दी (सितंबर 2002)। आवंटित भूमि का कब्जा पट्टेदार को सौंप दिया गया (अक्टूबर 2002) और उपरोक्त संस्थान के पक्ष में 30 वर्षों की अवधि के लिए पट्टा विलेख निष्पादित/पंजीकृत किया गया (नवंबर 2002)।

---

*[36] वर्ष 2002-03 की मार्गदर्शिका दर =₹2,80,000 प्रति हेक्टेयर;*
*आवंटित भूमि का क्षेत्रफल=9.246 हेक्टेयर;*
*भूमि का बाजार मूल्य= ₹25,88,880*
*प्रीमियम= बाजार मूल्य का 50 प्रतिशत=₹12,94,440, वार्षिक पट्टा किराया=प्रीमियम का 2 प्रतिशत=₹25,889*

*[37] सर्वे नम्बर 2722/5, 2723/3, 2725/2, 2726/2-क्षेत्रफल 4.836 हैक्टेयर एवं 2725/1, 2726/1-क्षेत्रफल 4.410 हेक्टेयर*

उपरोक्त भूमि आवंटन, आर.बी.सी. प्रावधानों और कलेक्टर के प्रस्ताव की पूर्ण उपेक्षा करते हुए, राजस्व हित में नहीं था। शून्य प्रीमियम और ₹एक वार्षिक पट्टा किराया पर भूमि के आवंटन के परिणामस्वरूप प्रीमियम (₹12.94 लाख) और वार्षिक पट्टा किराया (₹25,889 प्रति वर्ष) की वसूली न होने से शासकीय कोष को राजस्व की हानि हुई।

एम.पी.एन.बी.एन.एन. की कंडिका 18 में शासकीय विभागों को आवंटित भूमि के उपयोग की स्थिति की समीक्षा तथा अप्रयुक्त भूमि को आवंटिती विभाग से वापस लेने के संबंध में प्रावधान हैं। जबकि, एम.पी.एन.बी.एन.एन. में इस बारे में कोई उल्ल्लेख नहीं है कि क्या उक्त प्रावधानों को अशासकीय आवंटितों के लिए लागू किया जा सकता है। हालाँकि, स्थल के संयुक्त भौतिक निरीक्षण (सितंबर 2022) से पता चला कि आवंटित भूमि का 2.300 हेक्टेयर क्षेत्रफल अप्रयुक्त था और वर्ष 2002 से इसके अनुपयोग को दृष्टिगत रखते हुए इसे वापस लेने की आवश्यकता थी।

शासन ने उत्तर दिया (जून 2023) कि भूमि आवंटन पर निर्णय मंत्रिपरिषद द्वारा लिया गया था तथा यह कि कलेक्टर इंदौर ने अप्रयुक्त भूमि को वापस लेने के लिए कार्रवाई आरम्भ कर दी है। शासन ने आगे बताया कि म.प्र.भू.रा.सं. की धारा 182 में अशासकीय आवंटन के संबंध में प्रावधान हैं।

प्रमुख सचिव को कई स्मरण पत्र प्रेषित करने के बावजूद, शासन ने न तो मंत्रिपरिषद के निर्णय की प्रति और न ही कैबिनेट नोट उपलब्ध कराया। इसलिए, लेखापरीक्षा लिए गए निर्णय के औचित्य को सुनिश्चित नहीं कर सका।

***अनुशंसा 3: शासन को अप्रयुक्त आवंटित भूमि की समीक्षा के प्रावधान को शामिल करके म.प्र.भू.रा.सं. की धारा 182 को संशोधित करने पर विचार करना चाहिए।***

### *2.2.7.4 एम.पी. वेयरहाउसिंग एवं लॉजिस्टिक्स कॉर्पोरेशन को शून्य प्रीमियम एवं वार्षिक पट्टा किराये पर भूमि आवंटन के कारण राजस्व की हानि*

आर.बी.सी. खण्ड 4 क्रमांक 1 की कंडिका 32 के अनुसार, तीन वर्ष तक के लिए अस्थाई पट्टे पर भूमि आवंटन (01.04.1994 के पश्चात 23.09.2020 तक) के प्रकरण में, बाजार मूल्य के 30 प्रतिशत के बराबर प्रीमियम और कुल प्रीमियम के 7.5 प्रतिशत की दर से वार्षिक पट्टा किराया वसूल किया जाएगा। आयुक्त एक वर्ष से अधिक अवधि के लिए अस्थायी पट्टा स्वीकृत करने के लिए सक्षम प्राधिकारी थे।

एम.पी.एन.बी.एन.एन. की कंडिका 126 के अनुसार, कलेक्टर द्वारा अस्थायी शिविरों और किसी भी सामग्री के भंडारण के लिए लाइसेंस देने के प्रकरण में, भू-खंड के बाजार मूल्य के 0.5 प्रतिशत

के बराबर लाइसेंस शुल्क प्रत्येक माह या उसके किसी भी भाग के लिए आरोपणीय होगा/वसूली योग्य होगा।

जबलपुर एवं शहडोल कलेक्ट्रेट में भूमि आवंटन के 83 प्रकरणों[38] की जांच से पता चला कि उपरोक्त कलेक्ट्रेट के राजस्व न्यायालयों में निर्णीत (फरवरी 2020 एवं जनवरी 2021) नौ प्रकरणों[39] में 68.966 हेक्टेयर शासकीय भूमि का आवंटन शून्य प्रीमियम एवं शून्य वार्षिक पट्टा किराये पर एम.पी. वेयरहाउसिंग एवं लॉजिस्टिक्स कार्पोरेशन (एम.पी.डब्ल्यू.एल.सी.) को अस्थायी शिविर/साइलो-बैग बनाने के लिए किया गया था। यह आर.बी.सी. खण्ड-4 क्रमांक-1 और एम.पी.एन.बी.एन.एन. के प्रावधानों का उल्लंघन था, जिसके परिणामस्वरूप कुल ₹174.92 लाख के राजस्व की हानि हुई। विवरण ***परिशिष्ट-2.2.3*** में दिया गया है।

राजस्व अधिकारियों के साथ लेखापरीक्षा दल द्वारा संयुक्त भौतिक निरीक्षण (नवंबर 2022) से पता चला कि आवंटिती द्वारा उपरोक्त सभी प्रकरणों में आवंटित भूमि का उपयोग नहीं किया गया था और इस प्रकार आवंटित भूमि को इसके अनुपयोग को दृष्टिगत रखते हुए राजस्व विभाग को वापस किया जाना आवश्यक था।

कलेक्टर जबलपुर एवं शहडोल आर.बी.सी./ एम.पी.एन.बी.एन.एन. के प्रावधानों का उल्लंघन कर शून्य प्रीमियम और शून्य वार्षिक पट्टा किराया पर शासकीय भूमि के आवंटन हेतु उत्तरदायी थे, जबकि शासकीय भूमि का उपयोग न होने के बावजूद एम.पी.डब्ल्यू.एल.सी. द्वारा इसे अपने पास रखना आर.बी.सी. की कंडिका 31 के तहत नजूल अधिकारी द्वारा अपेक्षित निगरानी की कमी के कारण था।

शासन ने उत्तर दिया (जून 2023) कि संबंधित जिलों से प्राप्त प्रतिवेदन का परीक्षण किया जा रहा है।

अंतिम उत्तर अप्राप्त रहा।

## 2.2.8 पट्टा आवंटन/नवीनीकरण प्रकरणों में राजस्व का अनारोपण/कम आरोपण

### *2.2.8.1 पट्टे के नवीनीकरण में पट्टेदार को अनुचित लाभ*

एम.पी.एन.बी.एन.एन. की कंडिका 82 में प्रावधान है कि पट्टा अवधि की समाप्ति के पश्चात, निर्माण न करने की स्थिति में, बाजार मूल्य के 10 प्रतिशत के बराबर शास्ति के भुगतान एवं

---

[38] *जबलपुर-54, शहडोल- 29*

[39] *श्री वी.पी. द्विवेदी, ए.डी.एम.(ग्रामीण) के राजस्व न्यायालय के सात प्रकरण; श्री ललित दाहिमा, कलेक्टर शहडोल एवं डॉ. सत्येन्द्र सिंह, कलेक्टर शहडोल के दो प्रकरण (छह प्रकरण - एम.पी.एन.बी.एन.एन. के लागू होने से पहले और तीन प्रकरण एम.पी.एन.बी.एन.एन. के लागू होने के बाद)*

कंडिका 81 के सामान्य प्रावधानों के अनुसार, वार्षिक पट्टा किराया का निर्धारण कर निर्माण अवधि में तीन साल के विस्तार के साथ पट्टे का नवीनीकरण किया जा सकता है।

राजस्व विभाग द्वारा जारी परिपत्र (मई 2018) में प्रावधान है कि पट्टे की अवधि समाप्त होने के पश्चात, आवंटित भूमि पर निर्माण न होने की स्थिति में निर्माण के लिए तीन साल की विस्तारित अवधि के साथ पट्टे का नवीनीकरण, बाजार मूल्य के 10 प्रतिशत के बराबर शास्ति एवं भूमि उपयोग के अनुसार निर्धारित वार्षिक पट्टा किराए के भुगतान पर किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त, शमन शुल्क का भुगतान करने में चूक के मामले में अथवा उचित अवसर देने के बाद भी नवीनीकरण न कराने के प्रकरण में, प्राधिकृत अधिकारी द्वारा छह माह के भीतर प्रकरण का निराकरण किया जाना आवश्यक है और प्रकरण के निराकरण में आवंटित भूमि पर पुनः प्रवेश शामिल होगा।

कलेक्ट्रेट भोपाल की तहसील हुजूर (एम.पी. नगर वृत्त) में पट्टा विलेखों के तीन नवीनीकरण प्रकरणों की जांच से पता चला कि एक पट्टा विलेख[40] की अवधि 31 मार्च 2019 को समाप्त हो गई। पट्टा विलेख के नवीनीकरण के लिए पट्टेदार[41] ने आवेदन किया (जुलाई 2019) तथा प्रकरण का परीक्षण राजस्व विभाग के उपरोक्त परिपत्र (मई 2018) के परिप्रेक्ष्य में किया गया। अपर कलेक्टर, भोपाल ने शासकीय खाते में ₹3.38 करोड़ जमा करने की शर्त के अधीन पट्टा विलेख के नवीनीकरण का निर्णय लिया (सितंबर 2019), जिसके लिए सितंबर 2019 तथा फरवरी 2021 के मध्य मांग नोटिस जारी किए गए थे, लेकिन पट्टेदार ने कोई प्रत्युत्तर नही दिया।

पट्टेदार ने पूर्वोक्त अधिसूचना दिनांक 24.09.2020 की कंडिका 78 (4) के संदर्भ में, अपने प्रकरण पर पुनर्विचार करने के लिए राजस्व की पुनर्निधारित राशि के विरूद्ध कलेक्टर को अभ्यावेदन प्रस्तुत किया (जुलाई 2021)। कलेक्टर ने तदनुसार प्रकरण की पुनः जांच की एवं संबंधित शीर्ष में ₹2.52 करोड़ जमा करने की शर्त के अधीन पट्टे के नवीनीकरण की अनुमति प्रदान कर प्रकरण निर्णीत किया (फरवरी 2022)। पट्टेदार द्वारा उक्त राशि जमा करा दी गई (मार्च 2022)।

यह नियमानुसार नहीं था क्योंकि उपर्युक्त अनुच्छेद 78 (4) केवल ऐसे प्रकरणों पर लागू था जिनका निर्णय पूर्व में निरसित किए गए परिपत्रों या एम.पी.एन.बी.एन.एन. की कंडिका 148[42] के अन्तर्गत निरसित किए गए परिपत्रों के आधार पर लिया गया था। चूंकि परिपत्र (मई 2018), जिसके आधार पर नवीनीकरण का निर्णय लिया गया था, न तो निरसित किया गया था और न

[40] *प्रकरण क्रमांक 0032/ए-20(1)/2019-20, श्री राजेश गुप्ता, अनुविभागीय अधिकारी*

[41] *दैनिक जागरण समाचार*

[42] *एम.पी.एन.बी.एन.एन. की कंडिका 148 में उन परिपत्रों, नियमों और प्रावधनों का विवरण है जिन्हें 24.09.2020 की अधिसूचना के साथ निरस्त कर दिया गया है।*

ही कंडिका 78(4) के अन्तर्गत समाहित था। सितंबर 2020 की अधिसूचना के परिप्रेक्ष्य में प्रकरण का पुनर्निर्धारण त्रुटिपूर्ण एवं अनियमित था।

इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि राजस्व की राशि का कम निर्धारण कर पट्टेदार को अनुचित लाभ पहुंचाने के परोक्ष उद्देश्य से प्रकरण को अनुवर्ती अधिसूचना के संदर्भ में पुनः खोला जाकर उसका पुनः परीक्षण किया गया जिसके परिणामस्वरूप शासन को ₹0.86 करोड़ की हानि हुई।

शासन ने उत्तर दिया (जून 2023) कि प्रकरण का निराकरण एम.पी.एन.बी.एन.एन. के प्रावधानों के अनुसार किया गया था।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि कलेक्टर भोपाल का निर्णय राजस्व विभाग द्वारा जारी परिपत्र (मई 2018) में निहित प्रावधानों का उल्लंघन था। मौजूदा प्रकरण में, पट्टेदार ने मांग नोटिस देने के बावजूद शमन शुल्क जमा नहीं किया। कलेक्टर ने पट्टेदार को अनुचित लाभ देने के लिए आवंटित भूमि पर पुनर्प्रवेश करने के बजाय पहला मांग नोटिस देने के 21 माह बाद प्रकरण की पुनः जांच की (जुलाई 2021)।

### *2.2.8.2 प्रीमियम और वार्षिक पट्टा किराया का कम निर्धारण और बकाया राशि पर ब्याज न लगाना*

राजस्व विभाग द्वारा जारी परिपत्र (मार्च 2014) के अनुसार, औपचारिक और अंतिम आदेश जारी होने से पूर्व, आवंटन की प्रत्याशा में राज्य शासन के किसी भी उपक्रम (निगम, मंडल और विकास प्राधिकरण) को दिए गए अग्रिम कब्जे के सभी प्रकरणों में, अग्रिम कब्जे के समय जमा की गई राशि के समायोजन के अधीन, लागू मार्गदर्शिका दरों के अनुसार भूमि के बाजार मूल्य के बराबर प्रीमियम आरोपित किया जाएगा। आवासीय प्रयोजन के लिए, प्रीमियम का पांच प्रतिशत वार्षिक पट्टा किराया आरोपित किया जाएगा। यदि अंतर राशि शासन के पक्ष में देय है, तो ऐसी बकाया राशि पर 15 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज आवंटिती से वसूल किया जाएगा।

कलेक्ट्रेट, शहडोल के नजूल अनुभाग में 29 भूमि आवंटन प्रकरणों की जांच से पता चला कि एक प्रकरण[43] में, ग्राम सोहागपुर में 2.023 हेक्टेयर शासकीय भूमि का अग्रिम कब्जा कार्यपालन अभियंता, मध्य प्रदेश गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मंडल, (एम.पी.एच.आई.डी.बी.) सोहागपुर को आवासीय प्रयोजन हेतु दिया गया  था (मई 2019)। राजस्व विभाग के औपचारिक आदेशों (जुलाई 2018) के जारी होने के अनुसरण में, भूमि का आवंटन वर्ष 2018-19 की बाजार मूल्य मार्गदर्शिका के आधार पर निर्धारित प्रीमियम और वार्षिक पट्टा किराया के भुगतान पर किया जाना था।

[43] *श्रीमती वंदना वैद्य, कलेक्टर शहडोल का राजस्व न्यायलय प्रकरण क्रमांक 24/अ-20(1)/2011-12*

लेखापरीक्षा में आगे पाया गया कि राजस्व निरीक्षक ने पूर्वोक्त परिपत्र (मार्च 2014) के अनुसार, भूमि के बाजार मूल्य के बराबर प्रीमियम का निर्धारण करने के बजाय, जनवरी 1992 में जारी परिपत्र के प्रावधानों के अनुसार, (बाजार मूल्य के 60 प्रतिशत के बराबर) दरें लागू कर प्रीमियम की गणना की, जो की संदर्भित प्रकरण में लागू नहीं थी। इस प्रकार, विभाग ने त्रुटिपूर्ण तरीके से प्रीमियम की गणना (सितंबर 2021) ₹1.44 करोड़ की और इसके परिणामस्वरूप वार्षिक पट्टा किराये की गणना ₹ 1.79 लाख भी गलत हुई (क्योंकि वार्षिक पट्टा किराये की गणना प्रीमियम के पांच प्रतिशत पर की जानी थी)। आरोपणीय प्रीमियम एवं वार्षिक पट्टा किराया वित्तीय वर्ष 2018-19 से देय था।

पट्टेदार ने मार्च 2016 में कुल राशि ₹ 1.06 करोड़[44] एवं दिसंबर 2021 में राशि ₹ 43.07 लाख[45] जमा की थी।

राजस्व निरीक्षक द्वारा गलत दरें लागू करके प्रीमियम की त्रुटिपूर्ण गणना करने, निर्धारित अवधि के भीतर प्रीमियम और वार्षिक पट्टा किराये की बकाया राशि का भुगतान न करने और ऐसे विलंबित भुगतान पर दंडात्मक ब्याज के अनारोपण के कारण, म.प्र.गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मंडल से ₹3.99 करोड़ की राशि वसूली योग्य थी जैसा कि निम्न **तालिका 2.2.3** में दर्शाया गया है:

**तालिका-2.2.3: बकाया राशि एवं उस पर देय ब्याज से सम्बंधित गणना**

**(₹ करोड़ में)**

| भुगतान का विवरण | देय राशि | भुगतान की राशि | बकाया राशि | बकाया राशि पर ब्याज |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| प्रीमियम | 3.03 | 1.44 | 1.59 | 1.39 |
| पट्टा किराया | 0.76 | 0.05 | 0.71 | 0.30 |
| **योग** | **3.79** | **1.49** | **2.30** | **1.69** |
| **कुल वसूली योग्य राशि (कॉलम 4 एवं 5 का योग)** | | | **3.99** | |

(विस्तृत गणना **परिशिष्ट-2.2.4** में दर्शाई गई है।)

इस प्रकार, प्रीमियम और वार्षिक पट्टा किराया के कम निर्धारण तथा बकाया राशि पर ब्याज के अनारोपण के परिणामस्वरूप ₹3.99 करोड़ के राजस्व की हानि हुई।

शासन ने लेखापरीक्षा प्रेक्षण को स्वीकार किया और उत्तर दिया (जून 2023) कि लेखापरीक्षा द्वारा आक्षेपित राशि के संबंध में एम.पी.एच.आई.डी.बी. को मांग नोटिस जारी किया गया है (अक्टूबर 2022, मई 2023)।

[44] *प्रीमियम- ₹1.01 करोड़ एवं पट्टा किराया- ₹5.04 लाख*

[45] *प्रीमियम- ₹42.73 लाख एवं पट्टा किराया- ₹ 0.34 लाख*

### *2.2.8.3 स्थायी पट्टों का नवीनीकरण न होने के कारण शासकीय राजस्व की हानि*

एम.पी.एन.बी.एन.एन. की कंडिका 78 के अनुसार, एक पट्टेदार को समाप्ति वर्ष के 1 अप्रैल और पट्टा विलेख की समाप्ति दिनांक के बीच किसी भी दिनांक को स्थायी पट्टे के नवीनीकरण के लिए आवेदन करना होगा। उपरोक्त कंडिका 78 (3) में प्रावधान है कि सक्षम प्राधिकारी, उचित परीक्षण के उपरान्त, ऐसे स्थायी पट्टों के नवीनीकरण के संबंध में स्वःप्रेरणा से कार्रवाई आरम्भ करेगा। उपरोक्त कंडिका 81 (1) में प्रावधान है कि यदि स्थायी पट्टे की अवधि एम.पी.एन.बी.एन.एन. के जारी होने के दिनांक (24-9-2020) को या उसके पश्चात समाप्त हो जाती है, तो सक्षम प्राधिकारी, नवीनीकरण के समय, वार्षिक पट्टे का पुनर्निर्धारण करेगा जो म.प्र.भू.रा.सं. (भू-राजस्व का निर्धारण एवं पुनर्निर्धारण) नियम, 2018 में अधिसूचित निर्धारित दरों से दोगुना होगा।

पूर्वोक्त कंडिका 81 (2) के अनुसार, यदि स्थायी पट्टे की अवधि इन निर्देशों के दिनांक से पूर्व समाप्त हो जाती है, तो सक्षम प्राधिकारी वार्षिक पट्टा किराये का पुनर्निर्धारण, अंतिम निर्धारण किए गए वार्षिक पट्टा किराए के छह गुना पर करेगा। म.प्र.भू.रा.सं. की धारा 108 ख के अनुसरण में, नजूल अधिकारियों द्वारा एक स्थायी पट्टा पंजी संधारित किया जाना आवश्यक है।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि चयनित जिलों (धार को छोड़कर) में, प्राधिकारियों ने स्थायी पट्टा पंजी संधारित नहीं किया था, जिसके कारण लेखापरीक्षा नवीनीकरण योग्य प्रकरणों की सटीक संख्या का निर्धारण नहीं कर सका। हालाँकि, आठ चयनित जिलों में चार के नजूल अनुभागों द्वारा उपलब्ध कराई गई सूची के आधार पर स्थायी पट्टा प्रकरणों की जांच से पता चला कि 185 प्रकरण पट्टे की समाप्ति से एक वर्ष से 64 वर्ष तक की अवधि से नवीनीकरण के लिए बकाया थे, जैसा कि ***परिशिष्ट-2.2.5*** में दर्शाया गया हैः

निम्न **तालिका 2.2.4** में दर्शाए गए स्थायी पट्टों के नवीनीकरण न होने के कारण जिलेवार राजस्व हानि की गणना केवल उन प्रकरणों के सम्बंध में की गई है जो लेखापरीक्षा को उपलब्ध कराए गए थे:

**तालिका-2.2.4: स्थायी पट्टों का नवीनीकरण न होने के कारण राजस्व की हानि**

**(₹लाख में)**

| **जिला** | **नवीनीकरण योग्य प्रकरणों की संख्या** | अन्तर्निहित राजस्व की हानि |
|---|---|---|
| धार | 5 | 7.06 |
| देवास | 148 | 4.35 |
| इंदौर | 20 | 81.95 |
| शहडोल | 12 | 0.50 |
| **योग** | **185** | **93.86** |

चयनित जिलों में नजूल अधिकारियों ने कंडिका 78 (3) के प्रावधानों के अनुसरण में इन पट्टा विलेखों के नवीनीकरण के लिए स्वः प्रेरणा से संज्ञान लेकर कोई कार्रवाई (जनवरी 2023 तक) आरम्भ नहीं की। पट्टा विलेखों के नवीनीकरण के संबंध में उपयुक्त कार्रवाई आरम्भ न करने के कारण, कुल राशि ₹ 93.86 लाख का राजस्व (जैसा कि ***परिशिष्ट-2.2.5*** में दर्शाया गया है) पट्टेदारों से वसूल नहीं किया जा सका।

इसी तरह का प्रकरण पूर्व में 31 मार्च 2015 को समाप्त वर्ष हेतु लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (राजस्व क्षेत्र) की कंडिका 5.2.9 में इंगित किया गया था।

शासन ने लेखापरीक्षा प्रेक्षण को स्वीकार किया और उत्तर दिया (जून 2023) कि कुल 185 आक्षेपित प्रकरणों में से, जिला धार और शहडोल के 11 प्रकरणों के सम्बंध में नवीनीकरण की प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है एवं शेष 174 प्रकरणों में कार्रवाई आरम्भ कर दी गई है।

***अनुशंसा 4: शासकीय भूमि के अभिलेखों के रखरखाव और शासकीय बकाया के लिए समय पर मांग सृजित करने में चूक के लिए जिम्मेदारी निर्धारित की जानी चाहिए ।***

### *2.2.8.4 एम.पी. स्टेट वेयरहाउसिंग कार्पोरेशन को प्रदान की गई भूमि पर प्रीमियम एवं वार्षिक पट्टा किराए का अनारोपण*

राजस्व पुस्तक परिपत्र (आर.बी.सी.) खण्ड 4 क्र. 1 की कंडिका 26 के अनुसार, जब वेयरहाउस के निर्माण के लिए राज्य भंडारण निगम या केंद्रीय भंडारण निगम को भूमि प्रदान की जाती है, तो आवेदक से बाजार मूल्य के 75 प्रतिशत के बराबर प्रीमियम और बाजार मूल्य के 7.5 प्रतिशत की दर से सामान्य दरों पर वार्षिक पट्टा किराया वसूल किया जाना आवश्यक है।

म.प्र.पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा-74 में ग्राम पंचायत क्षेत्र में निर्दिष्ट दरों (50 पैसे प्रति एक रुपया राजस्व) पर पंचायत उपकर के आरोपण का प्रावधान है। म.प्र.भू.रा.सं. की धारा 2 (एम-1) के अनुसार, भू-राजस्व की परिभाषा में प्रीमियम भी शामिल है, जैसा कि एम.पी.एन.बी.एन.एन. की कंडिका 19 (1) के अंतर्गत तालिका के क्रम संख्या 5 में निर्दिष्ट है, वेयरहाउस के निर्माण के लिए राज्य भंडारण निगम को प्रदान की गई भूमि के प्रकरण में, बाजार मूल्य के 75 प्रतिशत के बराबर प्रीमियम और म.प्र.भू.रा.सं. (भू-राजस्व का निर्धारण एवं पुनर्निर्धारण) नियम, 2018 में अधिसूचित निर्धारित दरों से दोगुना वार्षिक पट्टा किराया पट्टेदार पर आरोपित किया जाना आवश्यक हैं। ऐसे प्रकरणों में, राज्य नजूल निर्वर्तन समिति भूमि आवंटन के अनुमोदन हेतु सक्षम प्राधिकारी होगी।

कलेक्टर शहडोल और सिंगरौली के कार्यालय में भूमि आवंटन के 79 प्रकरणों[46] की जांच के दौरान, लेखापरीक्षा ने अवलोकित किया (सितंबर एवं नवम्बर 2022) कि नौ प्रकरणों में, 25.620

---

[46] *शहडोल - 29 प्रकरण; सिंगरौली - 50 प्रकरण*

हेक्टेयर (ग्राम पंचायतों की परिधि के भीतर स्थित) शासकीय भूमि को खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग हेतु आवंटित कर, वेयरहाउस और कैप भंडारण[47] के निर्माण के लिए एम.पी. स्टेट वेयरहाउसिंग कॉर्पोरेशन के उपयोग के लिए दिया गया था। अभिलेखों की आगामी संवीक्षा में पता चला कि इनमें से किसी भी भूमि आवंटन प्रकरण में लागू दरों पर प्रीमियम, वार्षिक पट्टा किराया एवं पंचायत उपकर आरोपित नहीं किया गया था। आर.बी.सी./ एम.पी.एन.बी.एन.एन. के प्रावधानों के उल्लंघन में प्रीमियम (₹2.57 करोड़), वार्षिक पट्टा किराया (₹23.37 लाख) और पंचायत उपकर (₹1.40 करोड़) के अनारोपण के परिणामस्वरूप कुल ₹ 4.20 करोड़ के राजस्व की हानि हुई जैसा कि **परिशिष्ट-2.2.6** में दर्शाया गया है।

इसके अतिरिक्त, पांच भू-स्थलों[48] के संयुक्त भौतिक सत्यापन से पता चला कि सभी पांच भू-स्थलों को राजस्व विभाग से किसी वैध प्राधिकार के बिना एक निजी संस्था मैसर्स गोग्रीन वेयरहाउस प्राइवेट लिमिटेड (मुख्यालय-अहमदाबाद) को आवंटिती द्वारा उप-पट्टे पर दिया गया था। साथ ही, आवंटन की शर्तों और पट्टेदार द्वारा भूमि के उपयोग के सत्यापन के लिए नजूल अधिकारी द्वारा आवंटन के बाद कोई निरीक्षण नहीं किया गया था।

शासन ने उत्तर दिया (जून 2023) कि भूमि खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग को आवंटित की गई थी जो एक शासकीय विभाग है।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि भूमि एम.पी. स्टेट वेयरहाउसिंग कॉर्पोरेशन के उपयोग के लिए आवंटित की गई थी और आर.बी.सी./ एम.पी.एन.बी.एन.एन. में निर्धारित प्रीमियम और वार्षिक पट्टा किराया की दरों के अनुसार वसूली की जानी आवश्यक थी।

***अनुशंसा 5: विभाग को म.प्र.भू.रा.सं. के प्रावधानों के अनुपालन की निगरानी करके यह सुनिश्चित करना चाहिए कि भूमि का उपयोग उसी उद्देश्य के लिए किया जा रहा है जिस हेतु इसे आवंटित किया गया है।***

## 2.2.9 शासकीय भूमि पर अनधिकृत कब्जा

### *2.2.9.1 शासकीय भूमि पर अनधिकृत कब्जा किए जाने पर कार्रवाई आरम्भ न करना/शास्ति अधिरोपित न करना*

म.प्र. राजपत्र अधिसूचना (सितंबर 2018) के नियम 16 (1) के अनुसार, प्रत्येक पटवारी/ राजस्व निरीक्षक अपने निर्दिष्ट क्षेत्र के भीतर प्रत्येक सर्वे नम्बर/भूखंड संख्या का निरीक्षण करेगा और म.प्र.भू.रा.सं. की धारा 104 के अन्तर्गत बनाए गए नियम 28 के अनुसार, वह एक अतिक्रमण

*[47] कवर एवं प्लिंथ स्टोरेज-इस प्रकार का खुला भंडारण मध्यवर्ती भंडारण माना जाता है तथा अल्प अवधि के लिए बैगों में खाद्यान्नों के भण्डारण के उद्देश्य की पूर्ति करता है।*

*[48] ग्राम चेतवई तहसील सोहागपुर, 2. ग्राम करीं तहसील गोहपारू, 3. ग्राम अमलाई तहसील जैतपुर, 4. ग्राम जारूखारा तहसील जयसिंहनगर, 5. ग्राम चन्नोदी तहसील जैतपुर*

पंजी संधारित करेगा जिसमें प्रत्येक अतिक्रमित भूमि के सभी प्रासंगिक विवरण जैसे कि उसका क्षेत्रफल, अतिक्रमण का प्रकार, आरेख आदि सम्मिलित होंगे।

म.प्र.भू.रा.सं. की धारा 248 के अनुसार, कोई भी व्यक्ति जो अनधिकृत रूप से किसी खाली भूमि, आबादी, सेवा भूमि अथवा किसी अन्य भूमि को, जो धारा 237 के तहत किसी भी सार्वजनिक उद्देश्य के लिए अलग रखी गई हो, अथवा किसी ऐसी भूमि पर, जो कि शासन की संपत्ति है, कब्जा कर लेता है अथवा अपने कब्जे में रखता है, तहसीलदार के आदेश से तुरंत बेदखल किया जा सकता है। ऐसा व्यक्ति, तहसीलदार के विवेक पर, ₹ एक लाख तक के अर्थदण्ड के लिए उत्तरदायी होगा और यदि ऐसा अनधिकृत कब्जा पहली बेदखली के आदेश के दिनांक के बाद भी जारी रहता है, तो प्रत्येक दिन के लिए शहरी क्षेत्र में ₹2,000 और गैर-शहरी क्षेत्र में ₹500 का अतिरिक्त अर्थदण्ड अधिरोपित किया जायेगा।

वल्लभ भवन और कलेक्ट्रेट भोपाल के समीपवर्ती क्षेत्र में लेखापरीक्षा द्वारा अतिक्रमणों का संयुक्त भौतिक सत्यापन और के.एम.एल. फाइल[49] से सृजित आंकड़ों की जांच से पता चला कि तीन इलाकों में 10 सर्वे नम्बरों में अन्तर्निहित 37.69 हेक्टेयर शासकीय भूमि पर झुग्गीवासियों द्वारा अस्थायी शिविर एवं संरचनाएँ बनाकर अतिक्रमण किया गया था।

**चित्र 1: 23.12.2022 को वल्लभ भवन, भोपाल के समीपवर्ती क्षेत्र में अतिक्रमण के संयुक्त भौतिक सत्यापन के दौरान सारा ऐप से लिया गया स्क्रीनशॉट**

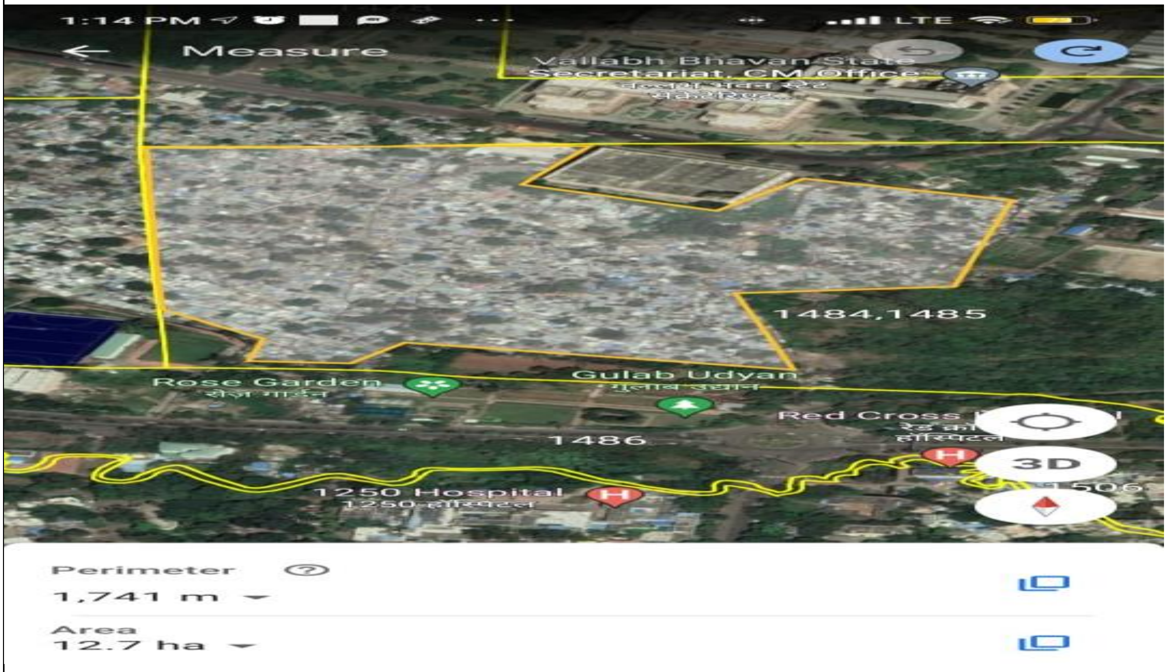


[49] के.एम.एल.- गूगल अर्थ एप एवं सारा एप द्वारा समर्थित कीहोल मार्कअप लेंगवेज़ फाइल

प्रचलित बाजार मूल्य मार्गदर्शिका (2022-23) के अनुसार गणना की गई अतिक्रमित भूमि का बाजार मूल्य ₹322.71 करोड़ है जैसा कि निम्नलिखित **तालिका 2.2.5** में दर्शाया गया है:

**तालिका 2.2.5: अतिक्रमित भूमि का बाजार मूल्य**

(₹ करोड़ में)

| तहसील/इलाका | अन्तर्निहित सर्वे नम्बर | अतिक्रमित क्षेत्र (वर्ग मीटर में) | मार्गदर्शिका दर प्रति वर्ग मीटर | बाजार मूल्य |
|---|---|---|---|---|
| हुजूर (शहरी वृत्त) वल्लभ भवन, भीमनगर, भोपाल | 1484, 1485, 1483, 1511, 1479, 1480, 1478 | 264900 | 8800 | 233.11 |
| ईदगाह हिल्स कलेक्ट्रेट के पास भोपाल | 105, 106, 107 | 112000 | 8000 | 89.60 |
| **योग** | | | | **322.71** |

उक्त शासकीय भूमि कब से अतिक्रमण के अधीन रही, इसकी तिथि/अवधि निर्धारित करने के लिए न तो पटवारी/राजस्व निरीक्षक का निरीक्षण प्रतिवेदन था और न ही अतिक्रमण पंजी संधारित की गई थी। यह स्पष्ट था कि शासकीय भूमि पर अतिक्रमित क्षेत्र के संबंध में प्रतिवेदन न तो पटवारी/ राजस्व निरीक्षक द्वारा प्रस्तुत किया गया था और न ही तहसीलदार द्वारा म.प्र.भू.रा.सं. की धारा 248 के अनुसरण में उचित कार्रवाई प्रारम्भ करने हेतु मांगा गया था।

यदि पटवारी/ राजस्व निरीक्षक ने अतिक्रमण पंजी संधारित की होती एवं उसे नियमित रूप से अद्यतन किया होता तथा तहसीलदार ने उनकी निरीक्षण प्रतिवेदन के प्रत्युत्तर में त्वरित कार्रवाई की होती, तो अनधिकृत कब्जे का क्षेत्र एवं अवधि तथा उस पर अधिरोपित किए जाने योग्य शास्ति का आकलन किया जा सकता था।

शासन ने कहा (जून 2023) कि वल्लभ भवन के समीपवर्ती भीमनगर और वल्लभनगर में रहने वाले झुग्गीवासियों को आश्रय योजना के तहत उनके कब्जे वाली भूमि पर अस्थायी पट्टा दिया गया था (वर्ष 1998, 2003 और 2008) तथा कब्जा की गई भूमि को अतिक्रमित नहीं माना जा सकता है। शासन ने यह भी कहा कि प्रत्येक खसरा संख्या के सम्बंध में वर्ष में एक बार निरीक्षण किया जाता है और अतिक्रमण पंजी भी संधारित की जाती है। यदि अतिक्रमण पाया जाता है, तो संबंधित पटवारी प्रकरण की सूचना तहसीलदार को देते हैं।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि शासन ने लेखापरीक्षा के सत्यापन के लिए उत्तर के साथ अस्थायी पट्टे की अवधि, आवंटित क्षेत्र के साथ खसरा संख्या, आवंटियों का नाम, पटवारियों की निरीक्षण प्रतिवेदन आदि जैसे सहायक साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किए। ईदगाह हिल्स, भोपाल में अतिक्रमित भूमि की स्थिति पर शासन ने कोई उत्तर नहीं दिया।

### *2.2.9.2 शास्ति अधिरोपित करने एवं आदेश जारी होने के बाद भी अतिक्रमित शासकीय भूमि को खाली न करना/शास्ति की वसूली न करना*

आठ चयनित जिलों की 23 तहसीलों में अतिक्रमण के मामलों की जांच के दौरान नमूना जांच किए गए 2,371 प्रकरणों में यह पाया गया कि संबंधित तहसीलदारों ने शास्ति अधिरोपित करते हुए 2,364 प्रकरणों में बेदखली आदेश जारी किए थे। तथापि, 1,037 प्रकरणों में अधिरोपित शास्ति की राशि ₹ 38.64 लाख की वसूली नहीं की गई। नमूना जांच किये गये कुल प्रकरण, ऐसे प्रकरणों की संख्या जिनमें शास्ति (अर्थदंड) अधिरोपित करते हुए बेदखली आदेश जारी किये गये, वे प्रकरण जिनमें बेदखली प्रतिवेदन उपलब्ध नहीं थे, प्रकरण, जिनमें शास्ति की वसूली नहीं की गयी, उनका तहसीलवार विवरण ***परिशिष्ट-2.2.7*** में दर्शाया गया है।

जैसा कि ***परिशिष्ट-2.2.7*** में दर्शाया गया है, कुल 2,364 प्रकरणों में से (जिनमें बेदखली आदेश जारी किये गए थे), अनधिकृत कब्जे को हटाने की पुष्टि के लिए केवल 902 प्रकरणों में बेदखली प्रतिवेदन प्रस्तुत किये गए । शेष 1462 प्रकरणों में से, जिनमें बेदखली प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं किये गए थे, 1460 प्रकरणों में, ₹398.23 करोड़ मूल्य की शासकीय भूमि (मार्गदर्शिका 2021-22 के अनुसार गणना की गयी) अतिक्रमण के अधीन थी तथा जिला ग्वालियर की तहसील तानसेन के शेष दो प्रकरणों में[50], अतिक्रमित भूमि का विवरण उपलब्ध न होने के कारण बाजार मूल्य की गणना नहीं की जा सकी। इन प्रकरणों में, अतिक्रमित भूमि का बेदखली आदेश जारी होने के बावजूद, बेदखली नहीं की गई थी, न तो पटवारियों द्वारा बेदखली प्रतिवेदन प्रस्तुत किये गए और न ही तहसीलदारों द्वारा मांगे गए थे । इस प्रकार, भूमि पर अनधिकृत कब्जा करने वाले व्यक्ति, प्रत्येक दिन के लिए, जिसमें प्रथम बेदखली आदेश के दिनांक से ऐसा अनधिकृत कब्जा जारी रहा, गैर-शहरी क्षेत्र में ₹ 500 और शहरी क्षेत्र में ₹ 2,000 प्रति दिन के हिसाब से अतिरिक्त अर्थदण्ड के भुगतान हेतु उत्तरदायी थे। इस प्रकार, धारा 248 के प्रासंगिक प्रावधानों के अनुसार कार्रवाई प्रारम्भ न करने के कारण, अतिक्रमणकर्ताओं से कुल ₹ 71.68 करोड़ की शास्ति वसूल नहीं की जा सकी।

अतिक्रमण के प्रकरणों की समीक्षा करने के लिए, अनधिकृत कब्जा हटाने तथा शास्ति की वसूली के सम्बंध में तहसील कार्यालय में कोई निगरानी तंत्र विद्यमान नहीं था।

इसी तरह का प्रकरण पहले 31 मार्च 2015 को समाप्त वर्ष के लिए लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (राजस्व क्षेत्र) की कंडिका 5.2.11 में इंगित किया गया था।

शासन ने बताया (जून 2023) कि भोपाल में, तहसील हुजूर में पंजीकृत कुल 86 प्रकरणों में से 20 प्रकरणों में कुल ₹44,000 की राशि वसूल की गई थी। एम.पी. नगर के नजूल वृत्त में

---

[50] *राजस्व प्रकरण संख्या 0009/ए-68/ 2019-20 और 0010/ ए-68/ 2019-20*

शासकीय भूमि पर अतिक्रमण के सभी 12 प्रकरणों में बेदखली हो चुकी है। पटवारियों से बेदखली प्रतिवेदन मांगे गए थे। बैरसिया के सभी आठ प्रकरणों में बेदखली हो चुकी है। टी.टी. नगर में शासकीय भूमि (सर्वे नम्बर 66/2, 66/3, 66/4 ग्राम चूनाभट्टी) पर 18 व्यक्तियों द्वारा किये गये अतिक्रमण के प्रकरण में उन्हें बेदखल किया गया है। प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन होने के कारण, न्यायालय द्वारा प्रकरण के निराकरण के पश्चात वसूली की कार्रवाई की जायेगी। नजूल हिरदाराम नगर, बैरागढ़ वृत्त में सात प्रकरणों में ₹ 6000 की वसूली बकाया है।

शहडोल में संबंधित तहसीलदारों/अपर तहसीलदारों को उपयुक्त कार्रवाई करने हेतु निर्देशित किया गया है।

देवास में, तहसीलदारों को अतिक्रमण के प्रकरणों का स्वतः संज्ञान लेने और आवश्यक कार्रवाई करने के उपरान्त अनुपालन प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं।

इंदौर में तहसील हातोद के 29 अतिक्रमण प्रकरणों में ₹ 48,000 तथा डॉ. अम्बेडकर नगर (महू) के 44 प्रकरणों में ₹ 1,08,000 की राशि वसूल की जा चुकी है।

प्रतिक्रिया में विभाग द्वारा सुधारात्मक कार्रवाई की जा रही थी।

## 2.2.10 निगरानी के आभाव में शासकीय भूमि का सर्वोत्तम प्रबंधन सुनिश्चित नहीं हो पाया

### *2.2.10.1 रॉबर्ट नर्सिंग होम इंदौर को आवंटित भूमि का पूर्ण उपयोग नहीं होना*

एम.पी.एन.बी.एन.एन. की कंडिका 32 (2) के अनुसार, किसी चैरिटेबल संस्था को स्थायी पट्टे पर आवंटित भूमि पर आवंटन की तिथि से एक वर्ष के भीतर निर्माण कार्य प्रारम्भ करना और तीन साल के भीतर पूर्ण करना आवश्यक है।

रॉबर्ट नर्सिंग होम, रेजीडेंसी क्षेत्र, इंदौर को भूमि {2.92 हेक्टेयर (7.21 एकड़)} ₹135 के वार्षिक पट्टा किराये पर 10 साल की अवधि के लिए पट्टे पर आवंटित की गई थी (जुलाई 1945)। उपलब्ध अभिलेखों के अनुसार, पट्टे का समय-समय पर नवीनीकरण किया गया था, एवं वर्तमान में पट्टा 14 जून 2047 तक वैध है।

राजस्व निरीक्षक के प्रतिवेदन (दिसंबर 1997) के अनुसार, आवंटित भूमि में से 1.50 हेक्टेयर (3.71 एकड़) भूमि अप्रयुक्त थी और इसका उपयोग खेती के लिए किया जा रहा था। जैसा कि आर.आई. द्वारा पुनः प्रतिवेदित किया गया (मार्च 2006), 0.8 हेक्टेयर (दो एकड़) भूमि का उपयोग खेती के लिए किया जा रहा था। दिनांक 13.09.2022 को लेखापरीक्षा दल द्वारा पटवारी के साथ संयुक्त भौतिक निरीक्षण में आर.आई. की रिपोर्ट में उल्लिखित तथ्यों की पुष्टि हुई।

आवंटन के दिनांक से 77 वर्ष बाद भी सम्पूर्ण भूमि का उपयोग न होना यह दर्शाता है कि शहर के प्रमुख स्थान पर उपरोक्त 0.8 हेक्टेयर (8,093 वर्गमीटर) भूमि पट्टेदार की वास्तविक आवश्यकता से अधिक थी और इसे वापस ले लिया जाना चाहिए था तथा एम.पी.एन.बी.एन.एन. के तहत उल्लिखित निर्धारित दर के दो गुना के बराबर वार्षिक पट्टा किराया और उसके बाजार मूल्य के 25 प्रतिशत के बराबर प्रीमियम पर अन्य संभावित चैरिटेबल संस्था को सर्वोत्तम उपयोग के लिए आवंटित किया जाना चाहिए था।

लेखापरीक्षा ने ₹48,000 प्रति वर्गमीटर की दर से 8,093 वर्गमीटर (अप्रयुक्त क्षेत्र) के प्रचलित बाजार मूल्य (कलेक्टर मार्गदर्शिका 2022-23) के अनुसार गणना ₹38.85 करोड़ की। इस प्रकार, विभाग की निष्क्रियता के कारण, भूमि की आवश्यकता वाले अन्य संभावित पट्टा आवेदक सर्वोत्तम उपयोग हेतु भूमि से वंचित हो गए।

शासन ने उत्तर दिया (जून 2023) कि रॉबर्ट नर्सिंग होम, इंदौर की प्रबंधन समिति ने नर्सिंग कॉलेज छात्रावास और कर्मचारी आवास के निर्माण के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी थी।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि शासन ने लेखापरीक्षा के सत्यापन हेतु सहायक साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराये। तथ्य यह है कि आवंटन के 77 वर्ष बाद भी भूमि का पूर्ण उपयोग नहीं किया जा सका।

### *2.2.10.2 मध्य प्रदेश उद्योग विकास निगम (एम.पी.आई.डी.सी.) को हस्तांतरित भूमि उपयोग न होने की स्थिति में वापस नहीं लिया जाना*

एम.पी.एन.बी.एन.एन. की कंडिका 45 के अनुसार, औद्योगिक प्रयोजन हेतु भूमि आवंटन के लिए आवेदन करने वाले आवेदक को ₹10,000 प्रक्रिया व्यय शासकीय खाते में जमा करना होगा। उपरोक्त निर्देशों की कंडिका 44 में प्रावधान है कि गैर शहरी क्षेत्र में, निवेशकों को स्थायी पट्टे पर भूमि आवंटन के प्रकरण में, पांच हेक्टेयर से अधिक लेकिन 10 हेक्टेयर से अनधिक क्षेत्रफल के भू-खण्ड के आवंटन के लिए, जिसका बाजार मूल्य ₹ पांच करोड़ तक हो, संभागीय नजूल निर्वर्तन समिति सक्षम प्राधिकारी होगी। एम.पी.एन.बी.एन.एन. की कंडिका 18 में विभिन्न विभागों को आवंटित भूमि की आवधिक समीक्षा करने का प्रावधान है एवं अप्रयुक्त भूमि को आगामी आवंटन हेतु विभागों से वापस लिया जाना अपेक्षित था।

कलेक्ट्रेट जबलपुर में 54 भूमि आवंटन प्रकरणों की जांच में निम्नलिखित तथ्य प्रकट हुएः-

- ए.डी.एम.[51] (ग्रामीण) के राजस्व न्यायालय में श्री बालाजी बायो सॉल्यूशंस फ्यूल ने इथेनॉल संयंत्र (औद्योगिक उपयोग) की स्थापना हेतु ग्राम भीटा (जबलपुर) में 15.00 हेक्टेयर[52] भूमि के आवंटन हेतु आवेदन किया था (जून 2021)। उपरोक्त आवेदक का आवेदन निर्धारित

[51] *अपर जिला मजिस्ट्रेट*

[52] *खसरा क्र. 243/1*

प्रक्रिया शुल्क ₹10,000 जमा किये बिना ही स्वीकार कर लिया गया जो कि भूमि आवंटन न होने की स्थिति में भी वापसी योग्य नहीं है।

- राज्य स्तरीय नजूल निर्वर्तन समिति के अनुमोदन के बिना श्री बालाजी बायो सॉल्यूशंस फ्यूल को आवंटन हेतु एम.पी.आई.डी.सी. को भूमि हस्तांतरित की गई (अगस्त 2021)।
- यद्यपि आवंटन आदेश में यह शर्त थी कि उपयोग न होने की स्थिति में भूमि वापस लौटा दी जाएगी, भूमि न तो श्री बालाजी बायो सॉल्यूशंस फ्यूल को हस्तांतरित की गई (दिसंबर 2022) और न ही राजस्व विभाग को वापस लौटाई गई।

इस प्रकार, एम.पी.एन.बी.एन.एन. के प्रावधानों का उल्लंघन कर निर्धारित प्रक्रिया का पालन नहीं करने और अपेक्षित शुल्क की वसूली न होने के कारण, उपरोक्त आवंटन अनियमित था।

एम.पी.एन.बी.एन.एन. की कंडिका 18 के तहत एम.पी.आई.डी.सी. को आवंटित भूमि की आवश्यकता की समीक्षा करना और बाजार मूल्य ₹ 1.06 करोड़[53] की अप्रयुक्त भूमि को विभाग से वापस लिया जाना वांछित है।

शासन ने बताया (जून 2023) कि संबंधित जिले से पूर्ण जानकारी प्राप्त होने के पश्चात लेखापरीक्षा को उत्तर प्रस्तुत किया जाएगा।

### *2.2.10.3 राज्य शासन के विभागों को आवंटित शासकीय भूमि के उपयोग की निगरानी न करना*

एम.पी.एन.बी.एन.एन. की कंडिका 18 में विभिन्न विभागों को आवंटित भूमि की समय-समय पर समीक्षा करने का प्रावधान है और उपयोग न की गई भूमि को आगामी आवंटन हेतु विभागों से वापस लिया जाना अपेक्षित है।

सभी नमूना जांच किए गए जिलों के एस.एल.आर./नजूल अधिकारियों द्वारा उपलब्ध कराए गए 301 भूमि आवंटन प्रकरणों[54] की जांच से पता चला कि ग्वालियर जिले के दो प्रकरणों में दो विभागों[55] को आवंटित की गई 45.686 हेक्टेयर भूमि 12 वर्षों तक अप्रयुक्त रही। उपरोक्त 45.686 हेक्टेयर में से 19.931 हेक्टेयर भूमि दो अन्य मांगकर्ता विभागों को पुनः आवंटित कर दी गई और शेष 25.755 हेक्टेयर भूमि अप्रयुक्त रह गई। राजस्व अधिकारियों की निरीक्षण प्रतिवेदन (मार्च 2019 से जून 2021 के बीच) ने भी इन तथ्यों की पुष्टि की। विभागवार विवरण ***परिशिष्ट-2.2.8*** में दर्शाया गया है।

---

[53] *भूमि का बाजार मूल्य = वर्ष 2021-22 की मार्गदर्शिका दरः ₹ 7.04 लाख प्रति हेक्टेयर (असिंचित भूमि के लिए) * क्षेत्रफल = ₹ 7.04 लाख *15 = ₹ 105.60 लाख अर्थात ₹1.06 करोड़*

[54] *जबलपुर-54, इन्दौर-34, देवास-05, ग्वालियर-53, भोपाल-26, शहडोल-29, सिंगरौली-50 तथा धार-50*

[55] *मध्य प्रदेश पर्यटन(5.686 हैक्टेयर), सूचना एवं प्रौद्योगिकी (40.00 हेक्टेयर)*

## 2.2.11 राजस्व अभिलेखों को अद्यतन करने में अनियमितताएं

### *2.2.11.1 राजस्व अभिलेखों में विसंगति के कारण शासकीय भूमि की हानि*

म.प्र.भू.रा.सं. (भू-सर्वेक्षण एवं भू-अभिलेख) नियम, 2020, में राजस्व प्राधिकारियों द्वारा भू-अभिलेखों को तैयार करने एवं उनके संधारण हेतु विस्तृत दिशा-निर्देश निर्धारित किए गए हैं। उक्त नियमों की कंडिका 23 एवं 33 के अनुसार, भू-सर्वेक्षण में तैयार किए गए भू-अभिलेखों का अंतिम संस्करण पटवारी को उपलब्ध कराया जाता है। सम्बंधित तहसीलदार के लिए यह अनिवार्य है कि वह पूर्ववर्ती अभिलेखों से सत्यापन कर एवं वास्तविक स्थल पर भौतिक निरीक्षण करके भू-अभिलेखों में उल्लिखित मानचित्र, सर्वे नम्बर एवं क्षेत्रफल में किसी भी विसंगति पर नजर रखते हुए उसमें संशोधन करें।

चयनित जिलों की 23 चयनित तहसीलों के 45 गांवों के कुल 460 नमूना ऑनलाइन खसरों की जांच के दौरान, लेखापरीक्षा ने अवलोकित किया कि:

- सात जिलों[56] की 12 तहसीलों[57] के 15 गांवों[58] के 66 प्रकरणों में भौतिक रूप से संधारित खसरे और ऑनलाइन वर्तमान खसरे में क्षेत्रफल की विसंगति देखी गई। 23 प्रकरणों में शासकीय भूमि का क्षेत्रफल कम (0.01 हेक्टेयर से 5.695 हेक्टेयर) हुआ, जबकि 43 प्रकरणों में सम्बंधित खसरे के क्षेत्रफल में वृद्धि (0.002 हेक्टेयर से 20.264 हेक्टेयर) हुई| विवरण **परिशिष्ट 2.2.9** में दर्शाया गया है।

  इस प्रकार, पटवारी की शिथिलता और तहसीलदार द्वारा निगरानी की कमी के कारण भौतिक खसरे से ऑनलाइन खसरे में क्षेत्रफल को अद्यतन नहीं किया गया, जिसके परिणामस्वरूप शासकीय भूमि की हानि हुई।

- जबलपुर जिले में चार ग्रामों[59] के पांच सर्वे नम्बरों[60] में सन्निहित 5.98[61] हेक्टेयर शासकीय भूमि को, जिसका वर्ष 2022-23 की मार्गदर्शिका दरों के अनुसार बाजार मूल्य ₹56.63

---

[56] *भोपाल, देवास, धार, ग्वालियर, जबलपुर, शहडोल एवं सिंगरौली*

[57] *बुढ़हार, देवास शहरी, गंधवानी, हुजूर, जबलपुर, कुक्षी, मुरार, सरदारपुर, सिंगरौली ग्रामीण, सिंगरौली शहरी, सुहागपुर एवं तानसेन*

[58] *भंडेरी, देहरी, डोलाहनुमान, फुसावली, गुमानपुरा, झींगुरदाह, जोगीढाना, खजूरिया, खानीअंबा, निरावली, लालपुर, लोहारपुर, मुगलिया, पतुलखी, सोनहा*

[59] *ग्राम सिंघलद्वीप 1 एवं 2, ग्राम लखना, ग्राम जैतना*

[60] *सर्वे नम्बर 148, सर्वे नम्बर 190, सर्वे नम्बर 53, सर्वे नम्बर 59, सर्वे नम्बर 101*

[61] *ग्राम सिंघलद्वीप 1 एवं 2, सर्वे नम्बर 148 एवं 190, क्षेत्रफल 2.1 हेक्टेयर, ग्राम लखना सर्वे नम्बर 53 एवं 59, क्षेत्रफल 1.26 हेक्टेयर, ग्राम जैतना सर्वे नम्बर 101 क्षेत्रफल 2.62 हेक्टेयर*

लाख है जो मिसल अभिलेख[62] में तालाब के रूप में दर्ज, है, बिना किसी वैध अधिकार के निजी व्यक्तियों को हस्तांतरित कर दिया गया था जैसा कि वर्तमान खसरे में दर्शाया गया है। बार-बार अनुरोध के बावजूद भूमि के स्वामित्व के हस्तांतरण की सत्यता को सत्यापित करने के लिए कोई वैध अभिलेख लेखापरीक्षा को प्रस्तुत नहीं किया गया।

शासन ने लेखापरीक्षा प्रेक्षण को स्वीकार किया तथा बताया (जून 2023) कि शहडोल में संबंधित राजस्व अधिकारियों को आवश्यक निर्देश जारी कर दिये गये हैं। ग्वालियर में सभी शासकीय सर्वे नंबरों का मिसल अभिलेख से सत्यापन किया जा रहा है और किसी भी तरह की विसंगति पाए जाने पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। जबलपुर में संबंधित तहसीलदार को उचित कार्रवाई करने के निर्देश दिये गये हैं। धार में म.प्र.भू.रा.सं. की धारा 115 के तहत प्रकरण पंजीकृत किया जाना प्रस्तावित किया गया है। देवास में अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) को इस सम्बंध में विधिसम्मत कार्रवाई करने हेतु पत्र जारी किया गया है। भोपाल और सिंगरौली जिलों से जानकारी प्रतीक्षित है।

***अनुशंसा 6: भू-अभिलेखों में विसंगतियों को दूर करने के लिए विभाग को भू-सर्वेक्षण करना चाहिए।***

### *2.2.11.2 आवंटन आदेश में निर्दिष्ट खसरा नंबरों से विचलन की स्वीकृति प्राप्त न किया जाना*

शहडोल, सिंगरौली और धार जिलों में शासकीय भूमि आवंटन के कुल 30 स्थलों के संयुक्त भौतिक सत्यापन के दौरान, लेखापरीक्षा ने निम्नानुसार अवलोकित किया:

- **सबस्टेशन का निर्माण:** एक प्रकंरण में, जिला कलेक्टर, शहडोल ने म.प्र. राज्य ऊर्जा विभाग के माध्यम से कार्यपालन अभियंता, म.प्र. पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी को 0.405 हेक्टेयर[63] शासकीय भूमि आवंटित[64] की (मार्च 2020)। लेकिन, उपरोक्त कंपनी द्वारा 33/11 केवी सबस्टेशन का निर्माण आवंटन आदेश में निर्दिष्ट खसरा नंबर 32/1 के बजाय एक अलग खसरा नंबर 29/1 पर किया गया था। खसरा नंबर परिवर्तन के संबंध में कोई अभिलेख आवंटन नस्ती में उपलब्ध नहीं था।

- **रिसॉर्ट का विकास:** एक अन्य प्रकरण में, कलेक्टर शहडोल ने बाणसागर बांध के अधिकतम जलस्तर द्वीप में सरसी द्वीप रिसॉर्ट के निर्माण के लिए मध्य प्रदेश पर्यटन विभाग को

---

[62] *मिसल अभिलेख म.प्र.भू.रा.सं. की धारा 64 के अनुसरण में समय-समय पर किए गए भू-सर्वेक्षण के दौरान तैयार किए गए अभिलेख हैं।*

[63] *खसरा नम्बर 32/1, क्षेत्रफल 7.345 हेक्टेयर*

[64] *राजस्व प्रकरण क्रमांक 0013/अ-19(3)/2019-20 दिनांक 16.03.2020, राजस्व न्यायालय, श्री ललित दाहिमा, कलेक्टर शहडोल*

78.00 हेक्टेयर शासकीय भूमि (ग्राम सरसी में 48 खसरों[65] और ग्राम पहड़िया में 30 खसरों[66] में सन्निहित) आवंटित की (दिसंबर 2020)। लेखापरीक्षा में पाया गया कि ग्राम सरसी में आवंटित भूमि, जैसा कि आवंटन आदेश में उल्लिखित है, पानी में डूबी हुई थी और जिस भूमि पर म.प्र. राज्य पर्यटन विकास निगम द्वारा मौजूदा द्वीप रिजॉर्ट विकसित/ निर्माणाधीन था, उसमें पूरी तरह से अलग-अलग 224 खसरा नंबर[67] शामिल थे। आवंटित भूमि के खसरा नंबर में परिवर्तन के संबंध में कोई अभिलेख उपलब्ध नहीं था।

बिना किसी कारण का उल्लेख किए खसरा नंबर में परिवर्तन स्पष्ट रूप से राजस्व प्राधिकारियों द्वारा शासकीय भूमि की निगरानी में गंभीर चूक को इंगित करता है।

आवंटित भूमि का कब्जा सौंपते समय, उसके खसरा नंबरों को राजस्व अधिकारियों द्वारा आवंटन आदेश में उल्लिखित खसरा नंबरों से सत्यापित किया जाना चाहिए था। यदि निर्दिष्ट खसरा नंबरों पर कब्जा देना संभव नहीं था तो इस तथ्य की सूचना उच्च प्राधिकारियों को देनी चाहिए थी और निर्धारित खसरा नंबरों से विचलन के लिए उपयुक्त अनुमोदन प्राप्त करना चाहिए था।

शासन ने बताया (जून 2023) कि शहडोल में संबंधित अनुविभागीय अधिकारियों को निर्देश जारी कर दिये गये हैं तथा प्रकरण नजूल निर्वर्तन समिति की बैठक में विचार हेतु प्रस्तुत किया जायेगा।

***अनुशंसा 7: विभाग को आवंटित भूमि का कब्जा सौंपते समय राजस्व निरीक्षक /पटवारी द्वारा भूमि के वास्तविक स्थान के साथ निर्दिष्ट खसरा नंबरों का सत्यापन सुनिश्चित करना चाहिए और यदि कोई विचलन हो तो उसे उचित स्तर पर अनुमोदित कराया जाना चाहिए।***

## 2.2.12 अन्य विविध प्रेक्षण

### *2.2.12.1 एम.पी.एन.बी.एन.एन. के प्रावधानों के उल्लंघन में एम.पी. स्टेट एग्रो इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एम.पी.एस.ए.आई.सी.एल.) को शासकीय भूमि का आवंटन*

म.प्र.भू.रा.सं. की धारा 237 के अनुसार, कलेक्टर, गांव की कुल कृषि भूमि का दो प्रतिशत चरनोई[68] के लिए सुरक्षित करने के बाद, शेष खाली भूमि को सड़कों, राजमार्गों, राष्ट्रीय राजमार्गों, नहरों, चिकित्सालयों, महाविद्यालयों और किसी भी अन्य सार्वजनिक उपयोगिता परियोजना के

---

[65] *खसरा नंबर 1878/1 से 1878/14, 1879/1 से 1879/11, 1901/1 से 1901/3 तथा 1936/1 से 1936/20*

[66] *खसरा नंबर 451/1 से 451/14, 452/1 से 452/3, 505/1 से 505/2, 506/1 से 506/2, 507/1 से 507/2, 540/1 से 540/2, 541/1 से 541/2, 542, 543, 544*

[67] *खसरा नंबर 718 से 728, 731/1 से 731/5, 732/1 से 732/2, 732/2433/1 से 732/2433/5, 733, 736/1 से 736/7, 737, 738/1 से 738/9, 740/1 से 740/2, 741/1 से 741/7, 742 से 746, 1036, 1037/1 से 1037/3, 1050 से 1152 तथा 1436 से 1497*

[68] *चरनोई से तात्पर्य है सार्वजनिक चारागाह भूमि*

निर्माण, जैसा कि राज्य शासन द्वारा निर्धारित किया जाए, के लिए परिवर्तित (डायवर्ट) कर सकता है। एम.पी.एन.बी.एन.एन. में राज्य सरकार के उपक्रमों को भूमि आवंटन का कोई प्रावधान नहीं है।

कलेक्ट्रेट ग्वालियर के नजूल अनुभाग में भूमि आवंटन प्रकरणों की जांच में पाया गया कि प्रबंध निदेशक, एम.पी. स्टेट एग्रो इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ग्वालियर ने उर्वरक विक्रय केंद्र खोलने के लिए कलेक्टर को भू-खण्ड (1,048 वर्गमीटर) के आवंटन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया (दिसंबर 2020)। राजस्व निरीक्षक (नजूल) ने तहसीलदार को सौंपे अपने प्रतिवेदन (दिनांक का उल्लेख नहीं) में बताया कि राज्य सरकार के उपक्रमों को शासकीय भूमि के आवंटन के लिए कोई प्रावधान नहीं है। राजस्व निरीक्षक के प्रतिवेदन को तहसीलदार नजूल द्वारा अपर कलेक्टर को पृष्ठांकित किया गया (फरवरी 2021)।

यद्यपि, एम.पी.एन.बी.एन.एन. में उपरोक्त भूमि आवंटन के लिए कोई प्रावधान मौजूद नहीं है, कलेक्टर ने ₹83,840[69] (कृषि दर पर गणना की गई जबकि भूमि का उपयोग वाणिज्यिक था) के प्रीमियम और वार्षिक पट्टा किराया ₹ 2,096 पर 1,048 वर्ग मीटर भूमि आवंटित की (जून 2021)। कलेक्टर द्वारा जारी आवंटन आदेश विरोधाभासी था। एक ओर, आदेश की प्रारंभिक पंक्तियों में यह उल्लेख किया गया था कि भूमि को उर्वरक विक्रय केंद्र खोलने के लिए आवंटित किया जा रहा था, दूसरी ओर, द्वितीय पैराग्राफ में कहा गया था कि भूमि शासकीय अभिलेख में सड़क के रूप में दर्ज है और आवागमन की सुविधाएं बढ़ाने के लिए संस्था को भूमि आवंटित की जा रही है। सड़क के लिए आरक्षित भूमि का आवंटन उसकी नोइयत (भूमि की विशिष्ट प्रकृति) में परिवर्तन की शर्त पर किया गया था, लेकिन ऐसा कोई आदेश अभिलेख में नहीं था। यह इंगित करना प्रासंगिक होगा कि कलेक्टर, राज्य सरकार द्वारा निर्धारित किसी भी सार्वजनिक उपयोगिता की परियोजना के लिए किसी भी भूमि की नोइयत में उस गाँव की कुल भूमि का दो प्रतिशत चरनोई हेतु सुरक्षित रखने की शर्त पर परिवर्तन कर सकता है। इस बात की पुष्टि करने के लिए अभिलेख में कुछ भी उपलब्ध नहीं था कि दो प्रतिशत भूमि चरनोई के लिए सुरक्षित की गई थी और म.प्र.भू.रा.सं. के प्रावधानों के अन्तर्गत आवश्यक किसी भी सार्वजनिक उपयोगिता परियोजना के लिए नोइयत में परिवर्तन किया गया था।

एम.पी.एन.बी.एन.एन. में बिना किसी प्रावधान के राज्य सरकार के उपक्रम को भूमि आवंटित करना कलेक्टर के अधिकार क्षेत्र में नहीं था। प्रचलित मार्गदर्शिका (वर्ष 2021-22) दरों पर की गई गणना के अनुसार, ₹12.58[70] लाख मूल्य की भूमि का आवंटन आवंटिती द्वारा

[69] *0.1048 हेक्टेयर * ₹8.00 लाख = ₹83,840 (गाइडलाइन वर्ष 2020-21 के अनुसार, ₹8.00 प्रति हैक्टेयर की कृषि दर से बाजार मूल्य के 100 प्रतिशत पर परिगणित)*

[70] *1048*₹1200=₹12.58 लाख; (₹1200 प्रतिवर्ग मीटर वाणिज्यिक की दर से)*

₹73,848 (प्रीमियम और पट्टा किराया) के भुगतान पर किया जाना अनियमित और एम.पी.एन.बी.एन.एन. के प्रावधानों का उल्लंघन था।

शासन ने बताया (जून 2023) कि भूमि आवंटन प्रकरण का पुनः परीक्षण करने के उपरान्त नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

### *2.2.12.2 आयुक्त, भू-अभिलेख कार्यालय में नजूल भूमि की उपलब्धता के सम्बंध में जिलेवार आंकड़ो का संधारण न किया जाना*

एम.पी.एन.बी.एन.एन. की कंडिका 4 के अनुसार, समय-समय पर जारी निर्देशों के अनुसार, आयुक्त, भू-अभिलेख(सी.एल.आर.) नजूल भूमि के अभिलेख तैयार कर उनका संधारण करेंगे। लेखापरीक्षा ने सी.एल.आर. से नजूल भूमि की उपलब्धता के सम्बंध में जिलेवार आंकड़े उपलब्ध कराने का अनुरोध किया (मई 2022) लेकिन सी.एल.आर. के पास समेकित आंकड़े उपलब्ध नहीं थे । हालाँकि, सी.एल.आर. ने बताया (मई 2022) कि सभी जिलों से अपेक्षित जानकारी मांगी गई थी। सी.एल.आर द्वारा मांगी गई जानकारी के प्रत्युत्तर में, केवल 17 जिलों[71] ने शासकीय भूमि के सम्बंध में आंकड़े प्रस्तुत किये। शेष 35 जिलों के संबंध में सी.एल.आर. से अपेक्षित जानकारी अभी भी प्रतीक्षित है (फरवरी 2023)।

इसके अलावा, जिलों से प्राप्त आंकड़ों की जांच से पता चला कि जिलों द्वारा संधारित आंकड़े एम.पी. भूलेख पोर्टल पर अपलोड किए गए आंकड़ों से भिन्न थे। भिन्नता का विवरण ***परिशिष्ट-2.2.10*** में दर्शाया गया है। यह इंगित करता है कि शासकीय भूमि के सम्बंध में आंकड़ों की सत्यता को सत्यापित करने के लिए विभाग स्तर पर कोई प्रणाली नहीं थी।

सी.एल.आर. के कार्यालय में अथवा शेष जिलों के कलेक्ट्रेट में नजूल भूमि के समेकित आंकड़ों की अनुपलब्धता स्पष्ट रूप से एम.पी.एन.बी.एन.एन. की कंडिका 4 का अनुपालन न किए जाने एवं विभाग स्तर पर निष्प्रभावी निगरानी को रेखांकित करता है।

शासन ने बताया (जून 2023) कि सी.एल.आर. को तथ्यों के परीक्षण हेतु निर्देशित किया जा रहा है।

### *2.2.12.3 निगरानी के अभाव में राजस्व विभाग की भूमि पर वन विभाग का अतिक्रमण*

संभाग स्तरीय नजूल निर्वर्तन समिति ने इंदौर जिले के ग्राम बेटमाखुर्द में 10 सर्वे नंबरों[72] में सन्निहित 185.019 हेक्टेयर भूमि को फर्नीचर क्लस्टर के लिए सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एम.एस.एम.ई) विभाग को हस्तांतरित करने के लिए जिला स्तरीय नजूल निर्वर्तन समिति के

[71] *आगर-मालवा, बालाघाट, बड़वानी, भोपाल, बुरहानपुर, छिंदवाड़ा, डिंडोरी, इन्दौर कटनी, खरगोन, नरसिंहपुर, नीमच, पन्ना, रतलाम, श्योपुर, सीधी, उमरिया*

[72] *50/1, 50/14, 135/6, 228/13, 347/2, 388/1/2, 390/1, 395/2, 437/2, 228/1*

प्रस्ताव को मंजूरी दे दी (जुलाई 2021)।राजस्व अभिलेखों में पहाड़ और चट्टान के रूप में दर्ज 185.019 हेक्टेयर भूमि की नोइयत को औद्योगिक उद्देश्यों के लिए व्यपवर्तित कर दिया गया ।

पटवारी की रिपोर्ट (फरवरी 2021) के अनुसार, बेटमाखुर्द गांव में, वन विभाग ने कांटेदार बाड़ लगाकर 60.00 हेक्टेयर[73] पर अनधिकृत रूप से कब्जा कर लिया था और इस अनुचित प्रवेश के समर्थन में कोई वैध अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया था। कब्जा रसीद (07-01-2022) के अनुसार, केवल 46.271 हेक्टेयर भूमि ही महाप्रबंधक, जिला वाणिज्य एवं उद्योग केन्द्र को सौंपी जा सकी (जनवरी 2022)। लेकिन लेखापरीक्षा दल द्वारा संयुक्त भौतिक निरीक्षण (06-09-2022) से पता चला कि दो सर्वे नम्बरों[74] में सन्निहित भूमि के क्षेत्र (22.881 हेक्टेयर) को छोड़कर, शेष भूमि (162.138 हेक्टेयर[75]) पर वन विभाग ने दावा किया था।

यह स्पष्ट है कि राजस्व विभाग की भूमि पर वन विभाग का यह अतिक्रमण स्पष्ट तौर पर क्षेत्रीय कर्मचारियों के नियमित निरीक्षण की कमी और राजस्व विभाग की अप्रभावी निगरानी के कारण है।

शासन ने बताया (जून 2023) कि इस संबंध में सभी जिला कलेक्टरों को निर्देश जारी किये जा रहे हैं।

### *2.2.12.4 स्टाम्प शुल्क एवं पंजीयन फीस के कम आरोपण/कम वसूली के कारण विकासकर्ता को अनुचित लाभ*

भारतीय स्टाम्प (म.प्र.) संशोधन अधिनियम, 2014 की अनुसूची 1-क के अनुच्छेद 6 (डी)(i) में प्रावधान है कि यदि भूमि के विकास से सम्बंधित किसी अनुबंध में शर्त है कि विकास के उपरान्त, विकासकर्ता द्वारा ऐसी विकसित भूमि या उसके किसी भाग को अलग-अलग या संयुक्त रूप से धारित/विक्रय किया जाएगा, तो ऐसे संव्यवहार को अंतरण मानते हुए विकसित की जाने वाली भूमि के बाजार मूल्य पर पांच प्रतिशत की दर से स्टाम्प शुल्क आरोपित किया जाएगा।

एम.पी.एन.बी.एन.एन. की कंडिका 115 के अनुसार, भूमिस्वामी अधिकार में नीलामी द्वारा नजूल भूमि के निर्वर्तन की स्थिति में, जमा की जाने वाली प्रतिभूति राशि भू-खण्ड के आरक्षित मूल्य के दो प्रतिशत के बराबर होगी।

कलेक्टर कार्यालय देवास के नजूल अनुभाग में अभिलेखों की संवीक्षा से पता चला कि कलेक्टर देवास, मुख्य कार्यपालन अधिकारी; (सी.ई.ओ.), देवास विकास प्राधिकरण; (डी.डी.ए.) तथा समदड़िया बिल्डर्स (देवास) लिमिटेड (विकासकर्ता) के मध्य, मध्य प्रदेश शासन की

[73] *सर्वे नम्बर 388/1/2(30 हेक्टेयर); 395/2 (30.00 हेक्टेयर)*

[74] *सर्वे नम्बर 50/1-11.347 हेक्टेयर तथा 50/14-11.534 हेक्टेयर*

[75] *185.019 हेक्टेयर - 22.881 हेक्टेयर =162.138 हेक्टेयर*

पुनर्घनत्वीकरण योजना 2016 के अन्तर्गत विभिन्न शासकीय सुविधाओं के निर्माण एवं विकास हेतु एक विकास अनुबंध निष्पादित किया गया था (मई 2022)|

परियोजना प्रबंधन और पर्यवेक्षण एजेंसी होने के नाते डी.डी.ए. ने परियोजना के लिए प्रस्ताव तैयार किया। इस परियोजना में मौजूदा कलक्ट्रेट परिसर में नए कलेक्ट्रेट भवन का निर्माण तथा विकास और देवास में भवन निर्माण सेवाओं तथा स्थल (साइट) के बुनियादी ढांचे को सम्मिलित कर सिविल लाइंस में शासकीय कर्मचारी आवास का निर्माण और विकास के साथ-साथ भूमि स्वामी के अधिकारों पर प्रतिपूरक भू-खण्ड (सी.एल.पी.) का निपटान भी शामिल है जैसा कि **परिशिष्ट-2.2.11** में दर्शाया गया है।

अनुबंध के अनुसार, मध्य प्रदेश शासन, देवास विकास प्राधिकरण के परियोजना प्रबंधन एवं पर्यवेक्षण के अधीन निजी क्षेत्र की भागीदारी से परियोजना का विकास करने का इच्छुक है, जहां चयनित विकासकर्ता स्थल अधोसंरचना का निर्माण एवं विकास कार्य करेगा। चयनित विकासकर्ता को बदले में भूमि-स्वामी अधिकारों सहित सी.एल.पी. एवं उस पर निर्मित सम्पत्तियों पर डिजाइन, निर्माण, विकास, संचालन, संधारण तथा विकास कार्यों का प्रबंधन तथा उस पर निर्मित आवसीय/ वाणिज्यिक इकाइयों के विक्रय द्वारा प्रतिफल प्राप्त करने का अधिकार होगा।

उक्त वर्णित भूमि-स्वामी के अधिकार चयनित विकासकर्ता द्वारा उद्धरित प्रीमियम के भुगतान पर चयनित विकासकर्ता को प्रदान किए जाएंगे। अनुबंध की निर्धारित भुगतान अनुसूची-घ के अनुसार, चयनित विकासकर्ता द्वारा प्रीमियम का भुगतान, आंशिक रूप से पूर्ण की गई स्थल अधोसंरचना के निर्माण, विकास, उसके सौंपे जाने एवं अंतरण के रूप में तथा अंशतः मौद्रिक रूप में (प्रीमियम के मौद्रिक भुगतान के रूप में उल्लिखित) किया जाना प्रस्तावित है।

स्थल अधोसंरचना की कुल लागत को प्रीमियम का वस्तुरूपी भुगतान माना गया है, जिसका निर्धारण दिनांक 01.12.2020 से प्रभावी मध्य प्रदेश लोक निर्माण विभाग की दर अनुसूची के अनुसार किया जाएगा।

लेखापरीक्षा ने पाया कि डी.डी.ए. ने एकल चरण की प्रतिस्पर्द्धी बोली प्रक्रिया के अन्तर्गत बोलियां आमंत्रित की (जनवरी 2022) जिसमें पसंदीदा बोलीदाता द्वारा उद्धरित ₹ 71 करोड़ उच्चतम बोली मूल्य था तथा तदनुसार पसंदीदा बोलीदाता को प्रीमियम की उच्चतम बोली मूल्य के रूप में निर्णीत किया गया। अभिलेखों की आगामी संवीक्षा में निम्नलिखित अनियमितताएं प्रकट हुईः-

- **विकास अनुबंध पर स्टम्प शुल्क एवं पंजीयन फीस का कम आरोपण**

अनुबंध के अनुसार, विकासकर्ता द्वारा भूमि धारित एवं विक्रय की जाएगी, अतः विकास एवं सी.एल.पी. के रूप में, बिक्री हेतु प्रस्तावित भू-खण्ड के बाजार मूल्य पर वही शुल्क (पांच प्रतिशत)

जो भूमि के अंतरण पर लगता है, आरोपित किया जाना अपेक्षित था। इसके अतिरिक्त पंजीयन अधिनियम, 1908 की अनुसूची-1 के अनुसार, उस राशि पर, जिस पर स्टाम्प शुल्क प्रभारणीय है, पंजीयन फीस की गणना 0.8 प्रतिशत की दर से की जाएगी।

लेखापरीक्षा ने पाया कि अनुबंध मात्र ₹1000 मूल्य के स्टाम्प पेपर पर किया गया था जिसके परिणामस्वरूप स्टाम्प शुल्क[76] (₹2.35 करोड़) एवं पंजीयन फीस (₹37.60 लाख) का कम आरोपण हुआ।

- **प्रतिभूति जमा राशि कम जमा किया जाना एवं विकासकर्ता को उसका अनियमित प्रतिदाय**

एम.पी.एन.बी.एन.एन. की कंडिका 115(6) के अनुसार, भू-खण्ड की नीलामी में भागीदारी हेतु बोलीदाता द्वारा आरक्षित मूल्य के दो प्रतिशत के बराबर प्रतिभूति जमा राशि ₹ 94.00 लाख[77] जमा किया जाना वांछित था। उक्त निर्देशों की कंडिका 117 में प्रावधान है कि उच्चतम बोलीदाता को छोड़कर, सभी बोलीदाताओं की प्रतिभूति जमा राशि उनके बैंक खातों में वापस कर दी जाएगी।

लेखापरीक्षा में पता चला कि उपरोक्त प्रावधानों का उल्लंघन कर अनुबंध में यह स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया (कंडिका 9.5.2) था कि विकास अनुबंध पर हस्ताक्षर करने के दिनांक से 30 दिन के भीतर प्रतिभूति जमा राशि चयनित बोलीदाता को वापस की जाएगी। इसके अतिरिक्त, प्रतिभूति जमा राशि के रूप में केवल राशि ₹24.00 लाख जमा कराई गई थी जिसके परिणामस्वरूप प्रतिभूति जमा राशि ₹ 70.00 लाख कम जमा हुई तथा जमा कराई गई प्रतिभूति जमा राशि (₹ 24.00 लाख) विकास अनुबंध के निष्पादन के उपरान्त चयनित बोलीदाता को अनियमित रूप से वापस (जून 2022) कर दी गई।

- **भूमि का प्रीमियम जमा करने में विकासकर्ता को अनुचित छूट**

एम.पी.एन.बी.एन.एन. की कंडिका 117(5) में प्रावधान है कि यदि प्रीमियम की अपेक्षित राशि निर्धारित अवधि (30 दिन) एवं चयनित बोलीदाता के अनुरोध पर कलेक्टर द्वारा अनुमत्य विस्तारित अवधि 60 दिन तक, यदि कोई हो, के भीतर लेखा शीर्ष "0029-भू-राजस्व" के अन्तर्गत सफल बोलीदाता अपेक्षित राशि जमा नहीं करता है तो बोली स्वतः निरस्त हो जाएगी एवं बोलीदाता द्वारा जमा की गई प्रतिभूति राशि राजसात हो जाएगी।

लेखापरीक्षा ने अवलोकित किया कि अनुबंध में निर्धारित शर्तों के अनुसार, प्रतिपूरक भू-खण्डों पर चयनित विकासकर्ता को भूमि स्वामी अधिकार प्रीमियम राशि ₹ 71.00 करोड़ के भुगतान पर

[76] *आरोपणीय स्टाम्प शुल्क- ₹47 करोड़ (बाजार मूल्य) का पांच प्रतिशत= ₹2.35 करोड़; पंजीकरण फीस - ₹47 करोड़ (बाजार मूल्य) का 0.8 प्रतिशत= ₹37.60 लाख*

[77] *प्रतिभूति जमा राशि- आरक्षित मूल्य (₹47.00 करोड़) का दो प्रतिशत= ₹94.00 लाख*

दिया जाना हैं। चयनित विकासकर्ता द्वारा प्रीमियम का भुगतान अंशतः वस्तु रूप में (₹ 37.22 करोड़) तथा अंशतः मौद्रिक रूप में (₹ 33.78 करोड़) किया जाना प्रस्तावित है।

इसके अतिरिक्त, अनुबंध पर हस्ताक्षर करने की पूर्व शर्त के रूप में, विकासकर्ता ने प्रीमियम के मौद्रिक भुगतान की पहली किस्त के रूप में प्रीमियम का केवल पांच प्रतिशत (₹ 3.55 करोड़) डी.डी.ए. के बैंक खाते में जमा किया (मई 2022)। प्रीमियम का शेष मौद्रिक भुगतान उपरोक्त शीर्ष के अंतर्गत उसे नियत दिनांक से 10 त्रैमासिक किस्तों में करना था। जबकि एम.पी.एन.बी.एन.एन. की कंडिका 117 के अनुसार, सम्पूर्ण राशि (₹33.78 करोड़) का भुगतान 30 दिन के भीतर किया जाना अपेक्षित था।

इस प्रकार, यह स्पष्ट था कि अनुबंध की शर्तें मध्य प्रदेश नजूल भूमि निर्वर्तन निर्देशों के प्रावधानों के विपरीत थीं तथा शासन के हित में नहीं थीं और इस प्रकार चयनित बोलीदाता को अनुचित लाभ प्रदान किए जाने के समतुल्य थीं। न तो कलेक्टर ने और न ही डिप्टी कलेक्टर ने यह सुनिश्चित किया कि नियम और शर्तें शासन के हित में थीं या एम.पी.एन.बी.एन.एन. के प्रावधानों के अनुरूप थीं।

लेखापरीक्षा में आगे पाया गया कि डी.डी.ए. द्वारा विकासकर्ता से प्राप्त पहली किश्त (₹ 3.55 करोड़) भी शीर्ष “0029-भूमि राजस्व” के अंतर्गत जमा नहीं की थी (अक्टूबर 2022); और यह राशि डी.डी.ए. के बैंक खाते में रखी गई थी।

- **विकासकर्ता द्वारा जमा की गई बैंक गारंटी की वैधता निर्धारित अवधि तक की न होना**

पुनर्धनत्वीकरण नीति 2016 की कंडिका 13(क) के अनुसार, बैंक गारंटी नवम्बर 2029 तक (कार्य पूर्णता के प्रत्याशित दिनांक अर्थात नवम्बर 2024 से पांच वर्ष तक) वैध होना वांछित थी। उपरोक्त प्रावधानों में यह भी है कि, दोष दायित्व अवधि के दौरान निर्माण कार्य में किसी दोष या कमी में सुधार करना पर्यवेक्षण एजेंसी का कर्तव्य है।

अनुबंध के अनुसार, दोष दायित्व अवधि निर्माण कार्य के पूर्ण होने तथा इसे पर्यवेक्षण एजेंसी को सौंपने के दिनांक से पांच वर्ष की अवधि तक थी। बैंक गारंटी की अवधि अनिवार्य रूप से दोष दायित्व अवधि के बराबर होना चाहिए जिससे कार्य पूर्णता के पश्चात निर्माण कार्य में आए किसी दोष के सुधार में हुए किसी व्यय की प्रतिपूर्ति बैंक गारंटी से की जा सके। लेकिन लेखापरीक्षा ने अवलोकित किया कि विकासकर्ता द्वारा जमा की गई बैंक गारंटी केवल मई 2025 तक वैध थी। बैंक गारंटी की अवधि निर्धारित अवधि से चार वर्ष कम थी अतः यह स्पष्ट था कि पर्यवेक्षण एजेंसी (डी.डी.ए.) ने उपरोक्त प्रावधान का अनुपालन सुनिश्चित न करते हुए शासन के हितों के साथ समझौता किया।

शासन ने उत्तर दिया (जून 2023) कि देवास में, लेखापरीक्षा आपत्ति के निपटारे और कम निर्धारित किए गए राजस्व की वसूली के लिए डी.डी.ए. के सी.ई.ओ. को पत्र जारी किया गया है।

### *2.2.12.5 आवंटन आवेदनों के प्रभावी एवं कुशल निराकरण का अभाव*

लेखापरीक्षा पृच्छा (जनवरी 2023) के प्रत्युत्तर में प्रमुख राजस्व आयुक्त द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, विभाग ने शासकीय भूमि के आवंटन हेतु प्राप्त आवेदनों के निराकरण हेतु विभागीय नियमों/विनियमों एवं दिशानिर्देशों में कोई अधिकतम अवधि निर्धारित नहीं की है।

लेखापरीक्षा ने अवलोकित किया कि भूमि आवंटन के 29.93 प्रतिशत आवेदनों का निराकरण 90 दिन के भीतर किया गया, जबकि 13.27 प्रतिशत प्रकरणों के निराकरण में एक वर्ष से अधिक का समय लगा। निम्नलिखित तालिका एवं चार्ट विभिन्न समयान्तरालों के भीतर आवेदनों के निराकरण के समयवार विश्लेषण को दर्शाता है।

**तालिका 2.2.6: विभिन्न समयान्तरालों के भीतर आवेदनों के निराकरण का विवरण**

| जिला | निराकृत किए गए आवेदनों की संख्या | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 0 से 90 दिन | 91 से 180 दिन | 181 से 270 दिन | 271 से 365 दिन | 365 दिन से अधिक | कुल |
| शहडोल | 11 | 5 | 6 | 3 | 4 | 29 |
| सिंगरौली | 20 | 22 | 3 | 4 | 1 | 50 |
| धार | 15 | 15 | 14 | 3 | 3 | 50 |
| ग्वालियर | 15 | 13 | 14 | 5 | 5 | 52 |
| भोपाल | 2 | 5 | 10 | 5 | 4 | 26 |
| इन्दौर | 5 | 7 | 3 | 4 | 15 | 34 |
| देवास | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| जबलपुर | 18 | 14 | 6 | 5 | 6 | 49 |
| **योग** | **88** | **81** | **57** | **29** | **39** | **294** |

निम्नलिखित चार्ट आवेदनों के निराकरण में लिए गए समय का समयान्तरालवार विश्लेषण को दर्शाता है:

**चार्ट 1: आवेदन के निपटान में लगने वाले समय का समयान्तरालवार विश्लेषण**

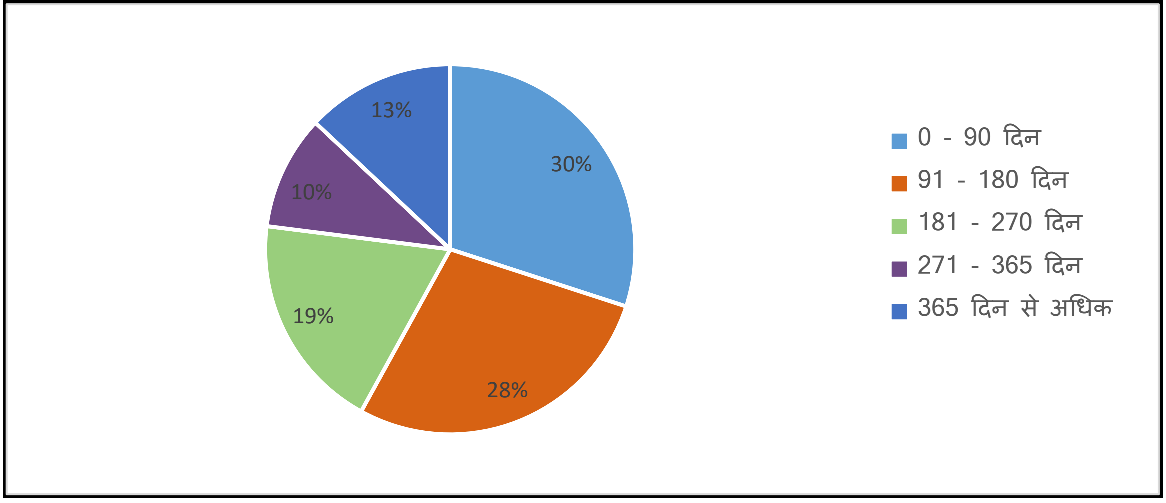


भूमि आवंटन प्रकरणों के निराकरण के लिए समय-सीमा के संबंध में दिशानिर्देशों के अभाव में, प्रकरणों को अंतिम रूप देने में असाधारण विलम्ब हुआ ।

शासन ने उत्तर में बताया (जून 2023) कि समयावधि निर्धारित करना एक व्यावहारिक समाधान नहीं होगा क्योंकि प्रक्रिया में विभिन्न विभागों से प्रतिवेदन मांगा जाना शामिल है। यह भी बताया कि भूमि का आवंटन आवश्यकता एवं उपलब्धता के आधार पर किया जाता है।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि किसी समयसीमा के अभाव में आवंटन प्रकरणों के निपटान में अत्यधिक विलम्ब हुआ और अत्यधिक विलम्ब का कोई कारण अभिलेख में नहीं पाया गया।

***अनुशंसा 8: शासन को आवेदनों की प्राप्ति से लेकर शासकीय भूमि के आवंटन तक उनके निराकरण के लिए एक समय सीमा निर्धारित करनी चाहिए तथा आवेदनों के निराकरण में विलम्ब के कारणों को भी अभिलिखित किया जाना चाहिए।***

### *2.2.12.6 अभिलेखों का अप्रस्तुतीकरण*

नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, शक्तियां एवं सेवा शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 18(1)(ख) में प्रावधान है कि नियंत्रक-महालेखापरीक्षक को अधिनियम के अन्तर्गत अपने कर्तव्यों के निर्वहन में प्राधिकार होगा कि वह यह अपेक्षा करे कि कोई भी लेखे, बहियां, कागजपत्र या अन्य दस्तावेज, जो ऐसे संव्यवहारों के बारे में हों या उनका आधार हो या उनसे अन्यथा सुसंगत हों, जिन तक लेखापरीक्षा से सम्बंधित उसके कर्तव्यों का विस्तार है, ऐसे स्थान पर भेज दिए जाए जिसे वह अपने निरीक्षण के लिए नियत करे।

कलेक्ट्रेट ग्वालियर में शासकीय भूमि के आवंटन एवं प्रबंधन पर लेखापरीखा के दौरान, कलेक्टर एवं अधीक्षक, भू-अभिलेख से बार-बार अनुरोध किए जाने तथा सम्बंधित राजस्व अधिकारियों को आवश्यक निर्देश जारी करने के अनुरोध के साथ, प्रमुख सचिव, राजस्व (मार्च 2023) तथा

प्रमुख राजस्व आयुक्त को सूचित करने (फरवरी 2023) के बावजूद निम्नलिखित अभिलेख लेखापरीक्षा को प्रस्तुत नहीं किए गए: 1. स्थायी पट्टा पंजी, 2. नवीनीकरण के लिए बकाया स्थायी पट्टा प्रकरण, 3. शासकीय भूमि का निजी भूमि से विनिमय के प्रकरण, 4. निजी व्यक्तियों, ट्रस्ट एवं संस्थाओं को शासकीय भूमि के आवंटन की सूची एवं प्रकरण नस्तियां।

प्रमुख सचिव, राजस्व से मांगे गए (मार्च, अप्रैल, मई और जून 2023) शून्य प्रीमियम पर शासकीय भूमि के आवंटन के संबंध में शासन स्तर पर उपलब्ध अन्य अभिलेख जैसे नोट शीट / कैबिनेट नोट भी प्रतीक्षित हैं।

शासन ने बताया (जून 2023) कि कलेक्टर ग्वालियर को लेखापरीक्षा को अभिलेख उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं।

## 2.2.13 आन्तरिक नियंत्रण प्रणाली

आन्तरिक नियंत्रण यह सुनिश्चित करने के लिए एक महत्वपूर्ण प्रणाली है कि विभागीय संक्रियायें लागू नियमों, विनियमों, तथा अनुमोदित प्रक्रियाओं के अनुसार मितव्ययी, कुशल तथा प्रभावी तरीके से संचालित की जा रहीं हैं तथा अधीनस्थ कार्यालय विभिन्न अभिलेख, पंजियां/लेखा पुस्तिकाएं उचित तथा सही ढंग से संधारित कर रहे हैं तथा राजस्व की वसूली न होने/कम होने या राजस्व के अपवंचन के विरुद्ध पर्याप्त सावधानी बरती जा रही है।

### *2.2.13.1 आन्तरिक लेखापरीक्षा शाखा की स्थापना न किया जाना तथा अधीनस्थ इकाईयों से सुझाव/फीडबैक न मांगा जाना*

किसी विभाग की आन्तरिक लेखापरीक्षा शाखा उसकी आन्तरिक नियंत्रण प्रणाली का एक प्रमुख अवयव है। लेखापरीक्षा ने अवलोकित किया कि कार्यालय प्रमुख राजस्व आयुक्त में भू-राजस्व के अधिनियमों तथा नियमों के क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए विभाग की लेखापरीक्षा के लिए विशेष तौर पर संलग्न आन्तरिक लेखापरीक्षा शाखा विद्यमान नहीं थी। विभाग हेतु एक समर्पित आन्तरिक लेखापरीक्षा शाखा के अभाव में, लगातार होने वाली अनियमितताएं, जिनकी चर्चा पूर्ववर्ती कंडिकाओं में की गई है, शासन के ध्यान में नहीं आईं। राजस्व अधिकारियों के समक्ष आने वाली बाध्यताएं एवं व्यवहारिक कठिनाईयों का समाधान करने के दृष्टिकोण से भूमि के आवंटन एवं प्रबंधन के सम्बंध में अधीनस्थ जिलों से सुझाव/फीडबैक मांगा जाना वांछित है। आवश्यक सुझाव/फीडबैक से सम्बंधित जानकारी मांगे जाने पर, उपायुक्त, राजस्व ने बताया कि किसी भी प्रकरण में अधीनस्थ जिलों से ऐसा कोई फीडबैक नहीं मांगा गया है।

### *2.2.13.2 शासकीय भूमि के प्रबंधन की समीक्षा हेतु न तो विभागीय निरीक्षण किए गए और न ही आवधिक बैठकें आयोजित की गईं*

आर.बी.सी.- II-1 की कंडिका 34 के अनुसार, संभागीय आयुक्त को एक वर्ष में प्रत्येक कलेक्ट्रेट एवं तहसील के राजस्व कार्यालयों का क्रमशः एक एवं तीन वर्ष में निरीक्षण करना चाहिए, जबकि कलेक्टर को प्रत्येक वर्ष अपने जिले की प्रत्येक तहसील (राजस्व न्यायालय) का निरीक्षण करना चाहिए।

नमूना जांच की गई कलेक्ट्रेट एवं तहसीलों के अभिलेखों की संवीक्षा में पाया कि लेखापरीक्षा अवधि के दौरान न तो आयुक्त ने और न ही जिला कलेक्टर ने निर्धारित प्रावधानों के अनुसार चयनित जिलों/तहसीलों में विभागीय निरीक्षण किए। अधीनस्थ इकाईयों के आवधिक निरीक्षण हेतु रोस्टर तैयार करने से सम्बंधित एक लेखापरीक्षा पृच्छा (जनवरी 2023) के प्रत्युत्तर में, विभाग द्वारा कोई प्रासंगिक उत्तर नहीं दिया गया|

शासकीय भूमि के प्रबंधन हेतु आवधिक बैठकों से सम्बंधित एक लेखापरीक्षा पृच्छा के प्रत्युत्तर में, उपायुक्त, राजस्व, कार्यालय प्रमुख राजस्व आयुक्त ने बताया (जनवरी 2023) कि एम.पी.एन.बी.एन.एन. की कंडिका 8 के अनुसरण में, शासकीय भूमि के निर्वर्तन हेतु जिला, संभाग एवं राज्य स्तर पर समितियां[78] विद्यमान हैं और विभाग स्तर पर ऐसी कोई समिति गठित नहीं की गई है। शासकीय भूमि के प्रबंधन के सम्बंध में आवधिक बैठकें आयोजित किए जाने के सम्बंध में विभाग द्वारा उत्तर नहीं दिया गया। जबकि, यहां यह इंगित किया जाना प्रासंगिक होगा कि पूर्वोक्त समितियां केवल भूमि आवंटन के उद्देश्य हेतु गठित की गई हैं, न कि शासकीय भूमि के समग्र प्रबंधन हेतु।

यदि प्रमुख राजस्व आयुक्त/आयुक्त, भू-अभिलेख ने आवधिक बैठकों के माध्यम से जिलों की निगरानी की होती तो जिलों द्वारा संधारित डाटा तथा पोर्टल पर अपलोड डाटा में भिन्नता से बचा जा सकता था। विभाग में अतिक्रमण एवं अवैध कब्जा, अप्रयुक्त भूमि तथा अवनिर्धारण तथा लागू नियमों का पालन न किए जाने के कारण राजस्व हानि से सम्बंधित मामलों के समाधान हेतु एकीकृत दृष्टिकोण का अत्यधिक अभाव है। शीर्ष स्तर पर शासकीय भूमि के प्रबंधन हेतु आवधिक बैठकों का आयोजन न किए जाने से विभाग स्तर पर निगरानी प्रतिकूल रूप से प्रभावित हुई।

यदि कलेक्टरों/आयुक्तों ने चयनित तहसीलों/जिलों में आवधिक निरीक्षण किए होते तो प्रक्रियात्मक चूकों के साथ-साथ राजस्व की भारी हानि की अन्तर्निहित अन्य अनियमितताओं, जिनकी चर्चा पूर्ववर्ती कंडिकाओं में की गई है, से बचा जा सकता था।

---

[78] *जिला नज़ूल निर्वर्तन समिति, संभाग नज़ूल निर्वर्तन समिति तथा राज्य नज़ूल निर्वर्तन समिति*

शासन ने उत्तर दिया (जून 2023) कि कलेक्टरों/आयुक्तों ने नियमित रूप से अधीनस्थ राजस्व न्यायालयों का निर्धारित समयावधि में निरीक्षण किया था।

शासन का उत्तर नमूना परीक्षित की गई कलेक्ट्रेटों/तहसीलों द्वारा दी गई जानकारी के विपरीत है जिसके अनुसार न तो आयुक्तों और न ही जिला कलेक्टरों ने निर्धारित प्रावधानों के अनुसार विभागीय निरीक्षण किए थे।

***अनुशंसा 9: शासन को राजस्व विभाग में आन्तरिक नियंत्रण प्रणाली में सुधार करने के लिए आन्तरिक लेखापरीक्षा शाखा की स्थापना करना चाहिए तथा संभागीय आयुक्तों/कलेक्टरों द्वारा राजस्व कार्यालयों/तहसीलों के आवधिक निरीक्षणों को भी सुनिश्चित करना चाहिए।***

### *2.2.13.3 आवश्यक अभिलेखों का संधारण न किए जाने के परिणामस्वरूप कमजोर आन्तरिक नियंत्रण प्रणाली*

- **अतिक्रमण पंजी का संधारण न किया जाना**

म.प्र.भू.रा.सं.(दिनांक 28.09.2018 से प्रभावी) की धारा 59 एवं 60 के अन्तर्गत निर्मित म.प्र.भू.रा.सं.(भू-राजस्व का निर्धारण एवं पुनर्निर्धारण) नियम 2018 की कंडिका 16(1) में प्रावधान है कि पटवारी या राजस्व निरीक्षक वर्ष में एक बार अपने अधिकारिता राजस्व क्षेत्र के भीतर स्थित प्रत्येक सर्वे नम्बर एवं प्लाट नम्बर का निरीक्षण करेंगे।

म.प्र.भू.रा.सं. की धारा 104 के अन्तर्गत निर्मित नियम 28 के अनुसरण में, पटवारी द्वारा अतिक्रमित भूमि के सम्बंध में, भूमि के विवरण, अतिक्रमित क्षेत्र तथा नक्शा दर्शाते हुए, एक अतिक्रमण पंजी संधारित किया जाना वांछित है। नियम 9 के उपखण्ड 3 के अनुसार, शासकीय भूमि एवं सार्वजनिक मार्ग पर अतिक्रमण की लिखित सूचना तहसीलदार को देना पटवारी का कर्तव्य होगा।

लेखापरीक्षा ने अवलोकित किया कि पटवारियों/राजस्व निरीक्षकों ने किसी भी चयनित तहसील में विभिन्न अभिलेख जैसे कि अतिक्रमण पंजी तथा स्थलों/भू-भागों के भ्रमण का निरीक्षण प्रतिवेदन, जो संहिता, आर.बी.सी. तथा विभागीय परिपत्रों के प्रावधानों के अन्तर्गत संधारित किए जाने अपेक्षित थे, संधारित नहीं किए गए थे।

भूमि का भ्रमण कर स्व-प्रेरणा से कार्यवाही करने तथा उसकी स्थिति तहसीलदार/एस.डी.ओ. को सूचित करने के बजाय, पटवारियों ने केवल ऐसे भू-खण्डों पर अतिक्रमण के सम्बंध में अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया था जिनके सम्बंध में तहसीलदार को शिकायत की गई थी। पूर्ववर्ती **कंडिका 2.2.9.2** में की गई विवेचना के अनुसार, उपरोक्त अभिलेखों का संधारण न किए जाने के परिणामस्वरूप आन्तरिक नियंत्रण प्रणाली कमजोर हुई।

- **स्थायी पट्टा पंजी का संधारण न किया जाना**

म.प्र.भू.रा.सं. की धारा 108(ख) के अनुसरण में, नजूल अधिकारी द्वारा स्थायी पट्टा धारकों की कुल संख्या, आवंटन दिनांक, पट्टे की अवधि, संग्रहीत किए जाने वाली वार्षिक किराया की राशि तथा नवीनीकरण का नियत दिनांक दर्शाते हुए एक पंजी संधारित किया जाना अपेक्षित है।

लेखापरीक्षा ने अवलोकित किया (सितम्बर 2022) कि धार को छोड़कर किसी भी चयनित जिले में नजूल अधिकारियों ने स्थायी पट्टा पंजी संधारित नहीं की थी। पट्टा आवंटन प्रकरणों के आधारभूत अभिलेखों का संधारण न किए जाने के परिणामस्वरूप लेखापरीक्षा पूर्व में स्वीकृत किए गए उन पट्टों की सही संख्या का निर्धारण नहीं कर सका जो नवीनीकरण किए जाने योग्य थे तथा जिन पर किराये की वसूली की जानी थी। बार-बार अनुरोध किए जाने पर, एक तदर्थ सूची लेखापरीक्षा को उपलब्ध कराई गई जिसमें भूमि आवंटन प्रकरणों के पूर्वोक्त विवरण शामिल नहीं थे। भूमि आवंटन प्रकरणों की अद्यतन स्थिति की समीक्षा करने के लिए नजूल अनुभाग में न तो कोई समेकित जानकारी थी और न ही कोई निगरानी प्रणाली विद्यमान थी।

पूर्व में 31 मार्च 2015 को समाप्त वर्ष से सम्बंधित लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (राजस्व क्षेत्र) की कंडिका 5.2.9 में ऐसे ही तथ्य को इंगित किया गया था।

शासन ने बताया (जून 2023) कि भोपाल एवं जबलपुर में सभी पटवारियों द्वारा अतिक्रमण एवं पट्टा पंजी संधारित किए जाते हैं। ग्वालियर में, सभी राजस्व अधिकारियों को अतिक्रमण पंजी तैयार करने तथा वर्तमान पट्टा पंजी अद्यतन करने के निर्देश जारी किए गए हैं। देवास, धार, इन्दौर, शहडोल तथा सिंगरौली जिलों के सम्बंध में कोई उत्तर नहीं दिया गया।

उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि अतिक्रमण पंजी किसी भी तहसील में संधारित किया जाना नहीं पाई गई तथा पट्टा पंजी धार को छोडकर किसी भी जिले में संधारित नहीं पाई गई।

***अनुशंसा 10: विभाग को पटवारियों/राजस्व निरीक्षकों से अतिक्रमण एवं भूमि उपयोग के सम्बंध में उनका निरीक्षण प्रतिवेदन मांग कर नियमित निरीक्षण सुनिश्चित करना चाहिए तथा शासकीय भूमि के स्थायी पट्टों का सम्पूर्ण अभिलेख संधारित करना चाहिए जिससे सामयिक नवीनीकरण तथा शासकीय देय राशियों हेतु सृजित मांग की प्रभावी ढंग से निगरानी की जा सके। विभाग को शासकीय भूमि के अभिलेखों के संधारण में त्रुटि करने वाले चूककर्ता कर्मचारियों के विरुद्ध उत्तरदायित्व का निर्धारण भी करना चाहिए।***

### 2.2.14 निष्कर्ष

जैसी कि पूर्ववर्ती कंडिकाओं में चर्चा की गई है, शासकीय भूमि का आवंटन एवं प्रबंधन पर लेखापरीक्षा में, मार्गदर्शिका की दरों के गलत लागू किए जाने के कारण बाजार मूल्य का

अवनिर्धारण, पंचायत उपकर के अनारोपण के कारण राजस्व की हानि, शून्य प्रीमियम पर शासकीय भूमि का आवंटन, पट्टे के नवीनीकरण में पट्टेदार को अवनिर्धारण के रूप में अनुचित लाभ दिए जाने के परिणामस्वरूप राजस्व हानि, प्रीमियम और वार्षिक पट्टा किराया का कम निर्धारण और बकाया राशि पर ब्याज का अनारोपण, स्थायी पट्टों का नवीनीकरण न होने के कारण शासकीय राजस्व की हानि, भूमि के आवंटन पर प्रीमियम एवं वार्षिक पट्टा किराया का अनारोपण, शासकीय भूमि के अनधिकृत कब्जे पर कार्रवाई प्रारंभ न किया जाना एवं शास्ति का अनारोपण, शास्ति के आरोपण एवं बेदखली आदेश जारी होने के बाद भी अतिक्रमित शासकीय भूमि का खाली न कराया जाना/शासकीय भूमि पर अनधिकृत कब्जा जारी रखने पर शास्ति की वसूली न होना परिलक्षित हुई।

मध्य प्रदेश शासन के विभागों को आवंटित भूमि के उपयोग की निगरानी न किया जाना, पूर्व खसरा एवं वर्तमान ऑनलाइन खसरा के क्षेत्रफल में भिन्नता, आवंटन आदेश में निर्दिष्ट खसरा नम्बरों से बिना अनुमोदन के विचलन, एम.पी.एन.बी.एन.एन. के प्रावधानों का उल्लंघन कर शासकीय भूमि का आवंटन, आयुक्त, भू-अभिलेख कार्यालय में नजूल भूमि की उपलब्धता से सम्बंधित जिलेवार डाटा संधारित न होना, राजस्व विभाग की भूमि पर वन विभाग का कब्जा, स्टाम्प शुल्क एवं पंजीयन फीस के कम आरोपण/वसूल न किए जाने के कारण विकासकर्ता को अनुचित लाभ, आवंटन आवेदनों के प्रभावी एवं कुशल प्रबंधन की कमी तथा आन्तरिक लेखापरीक्षा शाखा की स्थापना न होना भी लेखापरीक्षा में अवलोकित किया गया।

विभागीय प्राधिकारियों ने विभागीय निरीक्षण नहीं किए और न ही उन्होंने शासकीय भूमि के प्रबंधन की समीक्षा हेतु आवधिक बैठकों का आयोजन किया। आवश्यक अभिलेखों का संधारण न किए जाने के परिणामस्वरूप आन्तरिक नियंत्रण प्रणाली कमजोर हुई।

## श्रम विभाग

## 2.3 मुख्यमंत्री जन कल्याण (संबल) योजना के क्रियान्वयन की लेखापरीक्षा

### 2.3.1 प्रस्तावना

श्रम विभाग, मध्य प्रदेश शासन (जी.ओ.एम.पी) ने राज्य के असंगठित श्रमिकों[79] को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने एवं उनके हितों को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री जन कल्याण (संबल) योजना (अप्रैल 2018) लागू की। संबल योजना के लक्षित लाभार्थी 18 से 60 वर्ष के मध्य आयु वाले असंगठित श्रमिक हैं। श्रम विभाग, मध्य प्रदेश शासन संबल योजना के अंतर्गत, चार श्रेणियों में सहायता प्रदान करता है जैसा कि **तालिका-2.3.1** में वर्णित है।

**तालिका-2.3.1: संबल योजना के अंतर्गत श्रम विभाग द्वारा प्रदान की जाने वाली सहायता का विवरण**

| स.क्र. | सहायता का नाम | प्रति लाभार्थी सहायता (₹ में) |
|---|---|---|
| 1. | अंत्येष्टि सहायता | 5,000 |
| 2. | अनुग्रह सहायता (सामान्य मृत्यु के प्रकरण में) | 2,00,000 |
| | अनुग्रह सहायता (दुर्घटना में मृत्यु के प्रकरण में) | 4,00,000 |
| | अनुग्रह सहायता (स्थायी अपंगता के प्रकरण में) | 2,00,000 |
| | अनुग्रह सहायता (आंशिक स्थायी अपंगता के प्रकरण में) | 1,00,000 |
| 3. | उन्नत व्यवसाय हेतु उपकरण अनुदान योजना[80] | ऋण राशि का 10 प्रतिशत या 5,000 जो भी कम हो |
| 4. | व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के लिए प्रवेश परीक्षा/प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु निःशुल्क कोचिंग योजना [81] | पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, मध्य प्रदेश शासन द्वारा संचालित समरूप योजना के अनुसार |

**(स्रोत: सम्बल योजना दिशानिर्देश)**

---

[79] *श्रमिक जो किसी रोजगार, स्व-रोजगार अथवा अस्थायी प्रकृति के कार्यों में लगे हुए हैं एवं सामाजिक सुरक्षा लाभों जैसे भविष्य निधि, ग्रेच्युटी आदि के हकदार नहीं हैं तथा सरकारी सेवा में/करदाता नहीं होना चाहिए एवं एक हेक्टेयर से अधिक कृषि भूमि नहीं होनी चाहिए, असंगठित श्रमिक माना जाएगा।*

[80] *श्रमिक के काम से संबंधित उपकरणों की खरीद के लिए सहायता प्रदान की जानी थी। यह योजना प्रारंभ (मई 2018) से ही निष्क्रिय रही।*

[81] *श्रम विभाग, मध्य प्रदेश शासन ने निर्देश (दिनांक 14.05.2018) जारी किया जिसके अनुसार व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के लिए प्रवेश परीक्षा/प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु निःशुल्क कोचिंग योजना का कार्यान्वयन पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग द्वारा किया जाना था। बाद में, श्रम विभाग, मध्य प्रदेश शासन ने आदेश (दिनांक 29.05.2018) जारी किया कि श्रम विभाग 'व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के लिए प्रवेश परीक्षा/प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए निःशुल्क कोचिंग योजना' का कार्यान्वयन करेगा। यह योजना भी प्रारंभ (मई 2018) से ही निष्क्रिय रही।*

2018-22 के दौरान, श्रम विभाग ने 1,68,342 लाभार्थियों को ₹3,697.46 करोड़ की अनुग्रह सहायता एवं 2,17,385 लाभार्थियों को ₹108.67 करोड़ की अंत्येष्टि सहायता स्वीकृत की।

## 2.3.2 संगठनात्मक ढांचा

संबल योजना के कार्यान्वयन के लिए, विभिन्न स्तरों पर प्राधिकारियों की भूमिकाएँ एवं उत्तरदायित्व **तालिका-2.3.2** में वर्णित हैं:

**तालिका-2.3.2: प्राधिकारियों की भूमिकाएँ एवं उत्तरदायित्व**

| प्राधिकारी | कार्य एवं उत्तरदायित्व |
|---|---|
| **राज्य स्तर** | |
| प्रमुख सचिव (पी.एस.), श्रम विभाग, मध्य प्रदेश शासन | श्रम विभाग के प्रशासनिक प्रमुख |
| श्रम आयुक्त (एल.सी.), मध्य प्रदेश | संबल योजना की कार्ययोजना बनाना, बजट तैयार करना एवं निगरानी करना |
| सचिव, मध्य प्रदेश शहरी एवं ग्रामीण असंगठित कर्मकार कल्याण मण्डल (मण्डल) | नीति निर्धारण में शासन के साथ समन्वय एवं जिला स्तर पर आने वाली समस्याओं का मार्गदर्शन/समाधान प्रदान करना। |
| **जिला स्तर** | |
| जिला कलेक्टर या जिला कलेक्टर द्वारा नामित अधिकारी | किसी व्यक्ति के पंजीकरण एवं लाभ की स्वीकृति के संबंध में पदाभिहित अधिकारी के निर्णय से असंतुष्ट होने पर अपीलीय प्राधिकारी के रूप में कार्य करना। |
| सहायक श्रम आयुक्त (ए.एल.सी.)/जिला श्रम अधिकारी (डी.एल.ओ.) | सहायक श्रम आयुक्त/जिला श्रम अधिकारी जिला प्रशासन के साथ समन्वय हेतु नोडल अधिकारी हैं एवं इन्हें जिला स्तर पर विभाग के निर्देशों का अनुपालन भी सुनिश्चित करना है। |
| आयुक्त, नगर निगम (एन.एन.)/मुख्य नगर पालिका अधिकारी (सी.एम.ओ.), नगर पालिका/ परिषद<br>मुख्य कार्यपालन अधिकारी (सी.ई.ओ.) जनपद पंचायत (जे.पी.) | पंजीकरण एवं लाभ की स्वीकृति के लिए पदाभिहित अधिकारी के रूप में कार्य करते है। |
| **वार्ड/जोन एवं ग्राम स्तर** | |
| वार्ड अधिकारी/<br>सचिव, ग्राम पंचायत (जी.पी.) | असंगठित श्रमिक के रूप में पंजीकरण के लिए आवेदन/दावे के लिए आवेदन पदाभिहित अधिकारियों को अग्रेषित करना। आगे, वार्ड अधिकारी/सचिव अंत्येष्टि सहायता प्रदान करते हैं। |

**(स्रोत: मध्य प्रदेश असंगठित कर्मकार कल्याण मंडल द्वारा प्रदत्त जानकारी एवं संबल योजना दिशानिर्देश)**

## 2.3.3 लेखापरीक्षा उद्देश्य

लेखापरीक्षा यह आकलन करने के लिए की गई कि क्या सभी पात्र लाभार्थियों को पंजीकृत किया गया था, पात्र लाभार्थियों को योजना का लाभ दिया गया था तथा योजना का प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त आंतरिक नियंत्रण मौजूद था।

## 2.3.4 लेखापरीक्षा मानदंड

लेखापरीक्षा मानदंड निम्नलिखित स्रोतों से प्राप्त किए गए:

- मुख्यमंत्री जन कल्याण (संबल) योजना, 2018 दिशानिर्देश;
- मध्य प्रदेश असंगठित कर्मकार कल्याण अधिनियम, 2003 (अधिनियम 2003) एवं इसके अंतर्गत बनाये गये नियम 2005;
- राज्य शासन तथा कल्याण मण्डलों द्वारा समय-समय पर जारी किए गए प्रासंगिक आदेश, परिपत्र एवं राजपत्र अधिसूचनाएं।

## 2.3.5 कार्यक्षेत्र एवं कार्यप्रणाली

लेखापरीक्षा ने श्रम विभाग द्वारा संबल योजना के कार्यान्वयन[82] से संबंधित अवधि 2018-19 से 2021-22 तक के अभिलेखों की प्रमुख सचिव, श्रम विभाग, मध्य प्रदेश शासन, श्रम आयुक्त, मध्य प्रदेश एवं मध्य प्रदेश शहरी एवं ग्रामीण असंगठित कर्मकार कल्याण मण्डल, भोपाल के कार्यालयों में संवीक्षा की। आगे, हमने रैंडम सैंपलिंग का उपयोग करके एवं प्रवेश सम्मेलन (सितंबर 2022) के दौरान प्रमुख सचिव, श्रम विभाग के सुझाव पर विचार करते हुए चयनित 10 जिलों[83] (राज्य के प्रत्येक संभाग से एक जिला) में संबल योजना से संबंधित अभिलेखों की लेखापरीक्षा की। हमने 10 जनपद पंचायतों (प्रत्येक चयनित जिले से एक), 10 नगर निगम/पालिका (प्रत्येक चयनित जिले से एक), 10 ग्राम पंचायतों (प्रत्येक चयनित जनपद पंचायत से एक) एवं 10 वार्डों (प्रत्येक चयनित नगर निगम/पालिका से एक) का भी चयन किया। चयनित जिलों, जनपद पंचायतों, नगर निगम/पालिका एवं ग्राम पंचायतों/वार्डों का विवरण ***परिशिष्ट-2.3.1*** में दिया गया है।

आगे, हमने पंजीकृत श्रमिकों की वास्तविकता एवं पात्र लाभार्थियों को सहायता भुगतान का पता लगाने के लिए चयनित ग्राम पंचायतों/वार्डों में 258 पंजीकृत श्रमिकों/लाभार्थियों का संयुक्त लाभार्थी सर्वेक्षण किया। इसके अतिरिक्त, हमने संबल योजना के एन.आई.सी. डेटा का भी विश्लेषण किया। प्रतिवेदन में डेटा विश्लेषण के निष्कर्षों को भी शामिल किया गया है।

हमने लेखापरीक्षा के उद्देश्यों, कार्यक्षेत्र एवं कार्यप्रणाली पर चर्चा करने के लिए प्रमुख सचिव, श्रम विभाग के साथ प्रवेश सम्मेलन आयोजित (सितंबर 2022) किया। आगे, प्रमुख सचिव, श्रम विभाग के साथ निर्गम सम्मेलन आयोजित (जून 2023) किया गया। शासन ने पैरा-वार उत्तर

---

[82] *श्रम विभाग, मध्य प्रदेश शासन को संबल योजना के अंतर्गत चार योजनाओं का क्रियान्वयन करना था। यद्यपि, 2018-22 के दौरान विभाग दो योजनायें अर्थात अंत्येष्टि सहायता योजना एवं अनुग्रह सहायता योजना लागू कर सका।*

[83] *जिला स्तर पर, लेखापरीक्षा ने जिला श्रम कार्यालयों, कलक्ट्रेट (अपीलीय प्राधिकारी) एवं जिला पंचायत के अभिलेखों की जांच की।*

प्रस्तुत (जून 2023 एवं मार्च 2024) किये जिन्हें प्रतिवेदन में उचित रूप से शामिल किया गया है।

## लेखापरीक्षा निष्कर्ष

## 2.3.6 आयोजना

### *2.3.6.1 असंगठित श्रमिकों के पंजीकरण में कमियाँ*

मध्य प्रदेश असंगठित कर्मकार कल्याण नियम, 2005 के नियम 23 में प्रावधान है कि असंगठित कर्मकार के रूप में पंजीकरण के लिए आवेदन के साथ आयु का प्रमाण एवं असंगठित कर्मकार होने का प्रमाण संलग्न होना चाहिए।

यद्यपि, श्रम विभाग, मध्य प्रदेश शासन ने राज्यव्यापी अभियान के माध्यम से असंगठित श्रमिकों के पंजीकरण के लिए निर्देश जारी (मार्च एवं मई 2018) किए। निर्देशों में आवेदक से स्व-घोषणा पत्र (आयु एवं असंगठित श्रमिक होने के संबंध में) प्राप्त करके असंगठित श्रमिकों के पंजीकरण के लिए प्रावधान किया गया। विभाग ने आयु एवं असंगठित श्रमिक के रूप में पंजीकरण के लिए उनकी पात्रता की पुष्टि हेतु दस्तावेज प्राप्त किए बिना 2.18 करोड़ आवेदकों को असंगठित श्रमिकों के रूप में पंजीकृत किया। श्रमिकों के पंजीकरण के लिए, समग्र पोर्टल डेटाबेस को आधार बनाया गया जहां गांव/वार्ड के सभी परिवारों की जानकारी पहले से ही उपलब्ध थी। पंजीकरण संबंधी अभिलेख एवं पोर्टल डेटा की लेखापरीक्षा जांच में निम्नलिखित परिलक्षित हुआ:

- श्रम विभाग ने पंजीकृत असंगठित श्रमिकों की पात्रता का सत्यापन[84] करने एवं अपात्र पंजीकृत असंगठित श्रमिकों को बाहर करने के निर्देश (जून 2019) दिये। विभाग ने इस प्रकार 2.18 करोड़ में से 67.48[85] लाख (31 प्रतिशत) अपात्र आवेदकों जिनके पास 2.5 एकड़ से अधिक भूमि थी, शासकीय सेवा में थे, करदाता थे एवं कुछ अन्य कारणों से बाहर कर दिया। हमने आगे देखा कि भौतिक सत्यापन के दौरान, 67.48 लाख में से 14.34 लाख असंगठित श्रमिकों को उनकी अपात्रता के लिए विशिष्ट कारण[86] बताए बिना अपात्र घोषित किया गया था जो दर्शाता है कि भौतिक सत्यापन इस सीमा तक दोषपूर्ण था। पात्रता की पुष्टि किए बिना आवेदकों के पंजीकरण के परिणामस्वरूप अपात्र आवेदकों का पंजीकरण हुआ एवं आगे ₹1.14 करोड़ की सहायता का अनियमित संवितरण हुआ जैसा कि **कंडिका 2.3.7.8 और 2.3.7.9** में चर्चा की गई है।

*[84] शहरी क्षेत्रों में वार्ड प्रभारी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में सचिव, ग्राम पंचायत भौतिक सत्यापन के लिए नोडल अधिकारी थे।*

*[85] राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र के डेटा के अनुसार।*

*[86] मूल आवेदन नहीं मिला (3.46 लाख), अन्य कारणों से (10.49 लाख) एवं मौजूद नहीं (0.39 लाख)।*

- श्रम आयुक्त, मध्य प्रदेश ने जिलास्तरीय श्रम कार्यालयों को भौतिक सत्यापन के दौरान अपात्र घोषित असंगठित श्रमिकों की नमूना जांच करने के निर्देश (अगस्त 2019) दिये। हमने देखा कि पांच[87] लेखापरीक्षित जिलों में, श्रम विभाग के अधिकारियों ने 339 श्रमिकों जिन्हें भौतिक सत्यापन के दौरान उनकी अपात्रता के लिए विशिष्ट कारण बताए बिना अपात्र घोषित किया गया था का नमूना जांच किया। हमने देखा कि जाँच के दौरान 339 में से 107 (32 प्रतिशत) असंगठित श्रमिक पात्र पाए गए। शेष पांच जिलों[88] में, श्रम विभाग के अधिकारियों ने अपात्र प्रकरणों की जांच नहीं की।

- हमने देखा कि लेखापरीक्षित जिलों में, 1,320 पंजीकृत असंगठित श्रमिकों जो भौतिक सत्यापन के दौरान अपात्र घोषित किये गये थे, ने अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष अपील की। हमने देखा कि संबंधित पदाभिहित अधिकारियों के सत्यापन प्रतिवेदनों के आधार पर, अपीलीय प्राधिकारी ने 1,085 (82 प्रतिशत) असंगठित श्रमिकों का पंजीकरण बहाल कर दिया एवं उन्हें पात्र घोषित किया। यह दर्शाता है कि भौतिक सत्यापन त्रुटिपूर्ण था एवं भौतिक सत्यापन में पात्र श्रमिकों को अपात्र घोषित किया गया था। विवरण ***परिशिष्ट-2.3.2*** में है।

- हमने देखा कि सचिव, ग्राम पंचायत, बरई (जनपद पंचायत, घाटीगांव), ग्वालियर एवं वार्ड क्रमांक 60, नगर निगम, ग्वालियर के वार्ड अधिकारी ने सितंबर 2019 से दिसंबर 2019 के मध्य पंजीकृत असंगठित श्रमिकों का भौतिक सत्यापन किया एवं 1,999[89] पंजीकृत असंगठित श्रमिकों को मूल आवेदन उपलब्ध नहीं होने के आधार पर अपात्र घोषित कर दिया। लेखापरीक्षा को ग्राम पंचायत एवं वार्ड कार्यालय में इन असंगठित श्रमिकों के मूल आवेदन मिले (अक्टूबर 2022)। इस प्रकार, भौतिक सत्यापन करने में वार्ड अधिकारी/सचिव की लापरवाही के कारण, आवेदक अपेक्षित लाभ से वंचित रह गये।

- विभाग ने लंबित प्रकरणों का भौतिक सत्यापन 1 सितंबर 2020 से 20 सितंबर 2020 के मध्य पूरा करने का निर्देश (अगस्त 2020) दिया। चयनित 20 जनपद पंचायतों/नगर निगम/पालिका के संबल पोर्टल डेटा की जांच से पता चला कि 18[90] लेखापरीक्षित जनपद पंचायतों/नगर निगम/पालिका में 1,00,938 असंगठित श्रमिकों का भौतिक सत्यापन दिसंबर 2022 तक नहीं किया गया था। विवरण ***परिशिष्ट-2.3.3*** में है। हमने यह भी

---

*[87] भिंड, देवास, ग्वालियर, होशंगाबाद एवं सतना।*

*[88] भोपाल, छतरपुर, इंदौर, जबलपुर एवं उमरिया।*

*[89] ग्राम पंचायत, बरई (जनपद पंचायत, घाटीगांव), ग्वालियर के 403 पंजीकृत श्रमिक एवं वार्ड 60 (नगर निगम) ग्वालियर के 1596 पंजीकृत श्रमिक।*

*[90] नगर निगम, भोपाल एवं जनपद पंचायत, फंदा (ग्रामीण), भोपाल ने जानकारी नहीं दी।*

देखा कि दो प्रकरणों[91] (नगर निगम, ग्वालियर एवं नगर पालिका, भिंड) में अनुग्रह सहायता का लाभ इस आधार पर नहीं दिया गया कि संबंधित लाभार्थियों का भौतिक सत्यापन नहीं किया गया था। इस प्रकार भौतिक सत्यापन में देरी के कारण आवेदक योजना के लाभ से वंचित रहें।

स्पष्टतः, विभाग ने उचित सत्यापन किए बिना असंगठित श्रमिकों का पंजीकरण किया जिसके परिणामस्वरूप अपात्र व्यक्तियों का पंजीकरण हुआ। इस प्रकार, असंगठित श्रमिकों का डेटा ठीक से नहीं बनाया गया।

शासन ने उत्तर दिया (जून 2023) कि पंजीकृत असंगठित श्रमिकों का नमूना भौतिक सत्यापन किया गया। प्रासंगिक अभिलेखों के प्रस्तुत न किये जाने अथवा श्रमिकों जो प्रवासी थे के अनुपलब्ध होने से, सत्यापन करने वाले प्राधिकारियों ने तदनुसार जानकारी दर्ज की। संबल 2.0 के अंतर्गत श्रमिकों को मई 2022 में पंजीकरण का अवसर दिया गया। आगे, शासन ने सूचित किया (मार्च 2024) कि रोजगार/कृषि भूमि की स्थिति में बदलाव के कारण, पंजीकरण एवं भौतिक सत्यापन के समय श्रमिक की पात्रता परिवर्तित हो सकती है। वर्तमान में, भौतिक सत्यापन के स्थान पर, पंजीकरण से पहले कृषि भूमि आदि की जांच उपरांत श्रमिक की पात्रता की पुष्टि करने हेतु जांच अधिकारी नियुक्त किया गया है। वास्तविक श्रमिक की पहचान एवं मृत श्रमिक के वास्तविक उत्तराधिकारी के बैंक खाते में भुगतान सुनिश्चित करने हेतु आधार के.वाई.सी. एवं आधार आधारित भुगतान प्रारंभ किया गया है। इसके अलावा, पोर्टल को संशोधित किया गया है एवं अब लंबित मामले पदाभिहित अधिकारी, जिला कलेक्टर एवं राज्य स्तर पर उचित निगरानी हेतु प्रदर्शित होते है।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि विभाग को अपात्र व्यक्तियों के असंगठित श्रमिक के रूप में पंजीकरण की संभावना को समाप्त करने के लिए उचित सत्यापन के बाद ही असंगठित श्रमिक का पंजीकरण करना चाहिए था। आगे, विभाग पंजीकृत श्रमिकों के भौतिक सत्यापन की निगरानी में विफल रहा जिसके परिणामस्वरूप पात्र पंजीकृत असंगठित श्रमिक निकाल दिए गए।

***अनुशंसा 1: विभाग को त्रुटिपूर्ण भौतिक सत्यापन के लिए अधिकारियों की जिम्मेदारी तय करनी चाहिए एवं शेष प्रकरणों में भौतिक सत्यापन तुरंत पूर्ण करना चाहिए। विभाग को भौतिक सत्यापन के लिए एक वैज्ञानिक प्रणाली तैयार करनी चाहिए एवं नियमित निगरानी करनी चाहिए।***

---

[91] *श्रमिक आई.डी. 169250398 एवं 200133711*

### *2.3.6.2 श्रमिकों का पंजीकरण न होना*

श्रम विभाग, मध्य प्रदेश शासन ने असंगठित श्रमिकों का नियमित पंजीकरण सुनिश्चित करने हेतु आदेश (मई 2018) जारी किया। आगे, श्रम विभाग, मध्य प्रदेश शासन ने पात्रता मानदंडों की पूर्ति होने पर पुजारी/सेवादार, तेंदूपत्ता के संग्रह में लगे श्रमिक एवं प्रवासी श्रमिकों के असंगठित श्रमिकों के रूप में पंजीकरण के लिए आदेश जारी (अक्टूबर 2018, मई 2020 एवं जून 2021) किए।

हमने देखा कि लेखापरीक्षित जनपद पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों एवं लेखापरीक्षित नगर निगम/पालिका के आयुक्त/मुख्य नगर पालिका अधिकारियों ने जनवरी 2019 से मार्च 2022 के दौरान किसी भी असंगठित श्रमिक का पंजीकरण नहीं किया क्योंकि संबल पोर्टल पर पंजीकरण की सुविधा उपलब्ध नहीं थी। इस प्रकार, पुजारी/सेवादार, तेंदूपत्ता संग्रहण में लगे श्रमिकों एवं प्रवासी श्रमिकों के पंजीकरण हेतु विभागीय आदेशों (अक्टूबर 2018, मई 2020 एवं जून 2021) के बावजूद, कोई पंजीकरण नहीं किया गया। हमने आगे देखा कि लेखापरीक्षित 12[92] जनपद पंचायतों/नगर निगम/नगर पालिका में, 4,856 प्रवासी श्रमिक जो असंगठित श्रमिक के रूप में पंजीकरण हेतु पात्र थे, की जानकारी संबल पोर्टल पर उपलब्ध थी परन्तु इसके बावजूद लेखापरीक्षित जनपद पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं लेखापरीक्षित नगर निगम/पालिका के आयुक्त/मुख्य नगर पालिका अधिकारी इन श्रमिकों का पंजीकरण नहीं कर सके क्योंकि पोर्टल पर पंजीकरण सुविधा उपलब्ध नहीं थी। इस प्रकार, यद्यपि श्रम विभाग ने पुजारी/सेवादार, तेंदूपत्ता के संग्रहण में लगे श्रमिक एवं प्रवासी श्रमिक के पंजीकरण हेतु आदेश जारी किया, तथापि संबल पोर्टल पर पंजीकरण सुविधा की उपलब्धता की निगरानी करने में विफल रहा।

शासन ने उत्तर दिया (जून 2023) कि पुजारी/सेवादार, तेंदूपत्ता एवं प्रवासी श्रमिक समय-समय पर जारी पंजीकरण के लिए निर्देशों के अनुसार पोर्टल पर पंजीकृत किये जाते थे। अद्यतनीकरण/ रखरखाव कार्य हेतु पोर्टल बंद होने के कारण पंजीकरण बंद था। भारत सरकार ने भी प्रवासी श्रमिकों के पंजीकरण के लिए ई-श्रम पोर्टल शुरू किया था। शासन ने आगे सूचित किया (मार्च 2024) कि श्रमिकों का पंजीकरण नहीं किया गया क्योंकि भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यू.आई.डी.ए.आई.) ने आधार आधारित के.वाई.सी. के लिए अनुमति प्रदान नहीं किया था। शासन ने जून 2021 में तेंदूपत्ता श्रमिकों के पंजीकरण के लिए ई-के.वाई.सी. की शर्तों में ढील दी एवं उसके बाद 73,166 तेंदूपत्ता श्रमिकों का पंजीकरण किया गया। पुजारी/सेवादारों को

[92] *जनपद पंचायत, गोहद, भिंड (927), जनपद पंचायत, फंदा, भोपाल (199), नगर निगम, भोपाल (13), जनपद पंचायत, छतरपुर (1182), नगर पालिका, छतरपुर (43), नगर निगम, देवास (28), नगर निगम, ग्वालियर (577), नगर पालिका, होशंगाबाद (3), नगर निगम, जबलपुर (1042), नगर निगम, सतना (33), जनपद पंचायत, मानपुर, उमरिया (802) एवं नगर पालिका, उमरिया (07)।*

अलग से श्रेणी नहीं दी गई थी, इसलिए, पंजीकरण की संख्या बताना संभव नहीं है। आगे, 2.18 लाख प्रवासी श्रमिकों को भी पंजीकृत किया गया था एवं राज्य सरकार ने प्रवासी श्रमिकों के पंजीकरण एवं अन्य लाभ सुनिश्चित करने के लिए अलग प्रवासी श्रमिक आयोग की स्थापना की है।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि जनवरी 2019 से मार्च 2022 के दौरान पोर्टल पर कोई पंजीकरण नहीं किया गया था। उत्तर में, विभाग ने उस अवधि का उल्लेख नहीं किया जिसके दौरान तेंदूपत्ता एवं प्रवासी श्रमिकों का पंजीकरण किया गया था। ऐसा प्रतीत होता है कि विभाग ने लेखापरीक्षा द्वारा बताए जाने के बाद पुजारी/सेवादार, तेंदूपत्ता संग्रहण में लगे श्रमिकों एवं प्रवासी श्रमिकों का पंजीकरण शुरू किया।

***अनुशंसा 2: विभाग को संबल पोर्टल पर पंजीकरण सुविधा बंद/अनुपलब्ध होने के लिए जिम्मेदारी तय करना चाहिए एवं पात्र लाभार्थियों का निरंतर पंजीकरण सुनिश्चित करना चाहिए।***

#### *2.3.6.3 उपकरण अनुदान एवं निःशुल्क कोचिंग योजनाओं का कार्यान्वयन न होना*

संबल योजना के अंतर्गत, असंगठित श्रमिकों को सहायता प्रदान करने के लिए श्रम विभाग, मध्य प्रदेश शासन को चार योजनाएं यथा अंत्येष्टि सहायता, अनुग्रह भुगतान सहायता, उन्नत व्यवसाय हेतु उपकरण अनुदान योजना एवं व्यावसायिक पाठ्यक्रमों की प्रवेश परीक्षा/प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए निःशुल्क कोचिंग योजना लागू करना था।

हमने देखा कि विभाग ने उन्नत व्यवसाय हेतु उपकरण अनुदान योजना एवं व्यावसायिक पाठ्यक्रमों की प्रवेश परीक्षा/प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए नि:शुल्क कोचिंग योजना के कार्यान्वयन के लिए न तो कोई आदेश/परिपत्र जारी किया और न ही बजट प्रावधान किया परिणामस्वरूप प्रारंभ से ही ये योजनायें असंचालित रही। आगे, हमें इन दोनों योजनाओं के कार्यान्वयन न होने के कारणों को दर्शाने वाले अभिलेख नहीं मिले। इस प्रकार, श्रम आयुक्त इन योजनाओं के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने में विफल रहे परिणामस्वरूप लाभार्थी योजनाओं के लाभ से वंचित रहे।

शासन ने उत्तर दिया (जून 2023 एवं मार्च 2024) कि राज्य शासन के पत्र दिनांक 14.05.2018 के अनुसार, नि:शुल्क कोचिंग योजना पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, मध्य प्रदेश शासन द्वारा क्रियान्वित किया जाना था। चूंकि श्रम विभाग द्वारा नि:शुल्क कोचिंग योजना का क्रियान्वयन नहीं किया जाना था एवं उन्नत व्यवसाय हेतु उपकरण अनुदान योजना के तहत कोई आवेदन प्राप्त नहीं हुआ था, इसलिए, बजट प्रावधान नहीं किया गया था।

उत्तर भ्रामक है क्योंकि श्रम विभाग, मध्य प्रदेश शासन ने आदेश (दिनांक 29.05.2018) जारी किया था जिसमें प्रावधान था कि श्रम विभाग 'व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के लिए प्रवेश परीक्षा/प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए निःशुल्क कोचिंग योजना' का क्रियान्वयन करेगा। आगे, विभाग उन्नत व्यवसाय हेतु उपकरण अनुदान योजना के अंतर्गत आवेदन प्राप्त न होने का संज्ञान लेने एवं सुधारात्मक कार्रवाई करने में विफल रहा।

***अनुशंसा-3: शासन को उत्तरदायी अधिकारी जिन्होंने योजना के लिए बजट प्रावधान तक नहीं किया की जिम्मदारी तय करनी चाहिए।***

### 2.3.7 योजना कार्यान्वयन

संबल योजना के योजना दिशानिर्देशों में प्रावधानित है कि पंजीकृत असंगठित श्रमिक की अपंगता/मृत्यु की स्थिति में, श्रम विभाग पंजीकृत असंगठित श्रमिक/मृत पंजीकृत असंगठित श्रमिक के उत्तराधिकारी को अनुग्रह सहायता प्रदान करेगा। आवेदन से लाभ की स्वीकृति तक की प्रक्रिया का प्रवाह **प्रक्रिया प्रवाह-1** में दिया गया है:

**प्रक्रिया प्रवाह-1: आवेदन से लाभ की स्वीकृति तक की प्रक्रिया का प्रवाह**

पंजीकृत असंगठित श्रमिक/पंजीकृत असंगठित श्रमिक का उत्तराधिकारी सहायता के लिए सचिव, ग्राम पंचायत/वार्ड कार्यालय (शहरी क्षेत्रों में)/पदाभिहित अधिकारियों को आवेदन प्रस्तुत करता है।

↓

सचिव, ग्राम पंचायत/वार्ड अधिकारी आवेदन को पदाभिहित अधिकारियों को अग्रेषित करेंगे।

↓

पदाभिहित अधिकारी पात्रता का सत्यापन करेगा एवं संबल पोर्टल पर आवेदन को स्वीकृत करेगा।

↓

स्वीकृति के बाद, लाभार्थी के बैंक खाते में भुगतान किया जाता है।

हमने लेखापरीक्षित जनपद पंचायतों/नगर निगम/पालिका में अनुग्रह सहायता के अंतर्गत किए गए भुगतानों की जांच की एवं एन.आई.सी. डेटा का भी विश्लेषण किया। लेखापरीक्षा निष्कर्ष नीचे वर्णित हैं:

#### *2.3.7.1 योजना निधि की राशि कर्मचारी एवं कर्मचारी के रिश्तेदारों के बैंक खातों में संदिग्ध कपटपूर्वक जमा किया जाना, ₹2.47 करोड़*

**संबल योजना के दिशानिर्देशों में प्रावधान है कि सहायता लाभार्थी के बैंक खाते में जमा की जाएगी।**

**(i) पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग (पी.आर.डी.डी.) से एकत्र किए गए संबल योजना के भुगतान डेटा की जांच में अनुग्रह सहायता का एकाधिक भुगतान अनधिकृत व्यक्तियों**

**के छ: बैंक खातों में होने का पता चला। आगे की जांच से पता चला कि मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, राजपुर एवं सेंधवा ने संबल योजना के अंतर्गत अनुग्रह सहायता एक सहायक ग्रेड -2 (पुष्पेंद्र यादव) के रिश्तेदारों एवं अन्य असंबंधित व्यक्तियों के नाम तथा बैंक खातों को शामिल करते हुए कपटपूर्वक ई-भुगतान आदेश (ई.पी.ओ.) निकाले एवं इन ई-भुगतान आदेशों द्वारा आहरित किए गए ₹77.97 लाख 23 लेनदेनों के माध्यम से रिश्तेदारों के बैंक खातों में जमा किए जैसा कि तालिका-2.3.3 में वर्णित है।**

**तालिका 2.3.3: अनुग्रह सहायता के संदिग्ध कपटपूर्वक जमा का विवरण**

| स.क्र. | राशि जिनके बैंक खाते में जमा की गई | कर्मचारी से संबंध (सहायक ग्रेड-2) | राशि (₹ लाख में) | लेनदेनों की संख्या | लेनदेन की अवधि |
|---|---|---|---|---|---|
| **जनपद पंचायत, राजपुर, बड़वानी** | | | | | |
| 1 | रामरतन | दादा | 4.00 | 01 | 26.02.2019 |
| **जनपद पंचायत, सेंधवा, बड़वानी** | | | | | |
| 2 | रामरतन | दादा | 15.97 | 05 | 03.03.2020 से 28.09.2020 |
| 3 | रंजीता बाई | पत्नी | 22.00 | 06 | 11.08.2020 से 04.11.2020 |
| 4 | राजकुवर बाई | माता | 16.00 | 05 | 11.08.2020 से 28.09.2020 |
| 5 | पवन तुलसीराम | अन्य | 10.00 | 03 | 24.08.2020 से 04.11.2020 |
| 6 | प्रिया छगन | अन्य | 6.00 | 02 | 23.08.2020 एवं 28.09.2020 |
| 7 | सपना बाई | अन्य | 4.00 | 01 | 23.08.2020 |
| **कुल** | | | **77.97** | **23** | |

(स्रोत: पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग का संबल योजना भुगतान डेटा एवं संबंधित जनपद पंचायत के अभिलेख)

**आगे की जांच से पता चला कि पुष्पेंद्र यादव, सहायक ग्रेड -2 जनपद पंचायत, राजपुर, बड़वानी में (9 जनवरी 2020 तक) एवं आगे जनवरी 2020 से जनपद पंचायत, सेंधवा, बड़वानी में लेखापाल के रूप में पदस्थ थे। हमने देखा कि ई-भुगतान आदेश इन जनपद पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं पुष्पेंद्र यादव, लेखापाल के डिजिटल हस्ताक्षरों से निकाले गए थे। इन जनपद पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों ने ई-भुगतान आदेश के अतिरिक्त कोई अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये, इसलिए, हम यह पता नहीं लगा सके कि किसके भुगतान बदले गए अथवा क्या किसी लाभार्थी को वंचित किया गया अथवा नहीं।**

**(ii) पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के पंचायत दर्पण पोर्टल डेटा की जांच से आगे पता चला कि मुख्य कार्यपालन अधिकारी, राजपुर एवं सेंधवा ने अन्य योजनाओं अर्थात जनपद पंचायत निधि, ग्राम पंचायत भवन संधारण, निर्वाचन संबंधी राशि, राष्ट्रीय परिवार सहायता, मध्याह्न भोजन, बस्ती विकास योजना (जनजातीय कार्य विभाग) एवं बैंक खाते में अर्जित ब्याज के ₹1.69 करोड़ रुपये निकाले तथा कर्मचारी (पुष्पेंद्र यादव), कर्मचारी के रिश्तेदारों एवं चार अन्य व्यक्तियों के बैंक खातों में राशि जमा किये जैसा कि तालिका-2.3.4 में वर्णित है।**

**तालिका 2.3.4: अन्य योजनाओं से संदिग्ध कपटपूर्वक आहरण का विवरण**

| स. क्र. | योजना का नाम | राशि जिनके बैंक खाते में जमा की गई | कर्मचारी से संबंध | राशि (₹ लाख में) | लेनदेनों की संख्या | लेनदेन की अवधि |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **जनपद पंचायत, राजपुर, बड़वानी** | | | | | | |
| 1 | जनपद पंचायत निधि, ग्राम पंचायत भवन संधारण, निर्वाचन संबंधी राशि, राष्ट्रीय परिवार सहायता एवं बस्ती विकास योजना (जनजातीय कार्य विभाग) | रामरतन | दादा | 32.22 | 06 | 10.12.2018 से 12.02.2020 |
| 2 | मध्याह्न भोजन (प्राथमिक) | पुष्पेंद्र यादव | स्वयं | 4.00 | 01 | 31.07.2019 |
| **जनपद पंचायत, सेंधवा, बड़वानी** | | | | | | |
| 3 | जनपद पंचायत निधि | रंजीता बाई | पत्नी | 34.00 | 10 | 24.05.2021 से 24.09.2022 |
| 4 | जनपद पंचायत निधि एवं बस्ती विकास योजना | रामरतन | दादा | 8.00 | 02 | 12.02.2020 एवं 16.11.2020 |
| 5 | जनपद पंचायत निधि | राजकुवर बाई | माता | 24.00 | 08 | 08.05.2021 से 05.11.2022 |
| 6 | जनपद पंचायत निधि | प्रिया छगन | अन्य (अज्ञात) | 22.00 | 10 | 08.05.2021 से 05.11.2022 |
| 7 | जनपद पंचायत निधि | पवन तुलसीराम | अन्य (अज्ञात) | 20.00 | 08 | 20.06.2021 से 30.11.2022 |
| 8 | जनपद पंचायत निधि | शिवा अशोक | अन्य (अज्ञात) | 16.16 | 06 | 21.11.2020 से 29.09.2022 |
| 9 | जनपद पंचायत निधि | सपना बाई | अन्य (अज्ञात) | 6.00 | 02 | 11.03.2022 से 07.11.2022 |
| 10 | बैंक का ब्याज | पुष्पेंद्र यादव | स्वयं | 2.45 | 11 | 19.03.2020 से 29.11.2022 |
| **कुल** | | | | **168.83** | **64** | |

(स्रोत: पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग का भुगतान डेटा एवं संबंधित जनपद पंचायत के अभिलेख)

**हमने देखा कि पवन तुलसीराम के बैंक खाते से पुष्पेंद्र यादव, लेखापाल के बैंक खाते में धनराशि स्थानांतरित की गई थी। आगे, लेखापरीक्षा प्रिया छगन, शिवा अशोक एवं सपना बाई की पहचान को सत्यापित नहीं कर सका क्योंकि हमें जनपद पंचायत कार्यालय में प्रिया छगन, शिवा अशोक एवं सपना बाई के बैंक खातों में ₹54.16 लाख जमा होने के औचित्य को सत्यापित करने के लिए अभिलेख नहीं मिले।**

**इस प्रकार, जनपद पंचायत, राजपुर एवं सेंधवा के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों ने पुष्पेन्द्र यादव, लेखापाल के साथ मिलीभगत करके ₹2.47 करोड़ की योजना निधि को संदिग्ध कपटपूर्वक आहरित किया एवं अनधिकृत व्यक्तियों के बैंक खातों में जमा किया।**

**शासन ने उत्तर (जून 2023 एवं मार्च 2024) दिया कि जिला कोषालय अधिकारी की अध्यक्षता में एक जांच समिति गठित (जून 2023) की गई थी। जिसकी जांच प्रतिवेदन प्रतीक्षित है। इसके पूर्व, कलेक्टर एवं श्रम अधिकारी, बड़वानी ने मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, राजपुर एवं सेंधवा को पत्र जारी (अप्रैल एवं मई 2023) किया था, यद्यपि, संबंधितों से प्रतिवेदन प्राप्त नहीं हुये है।**

***अनुशंसा-4: विभाग को जांच एवं अनियमितताओं के लिए अधिकारियों की जिम्मेदारी तय करनी चाहिए।***

#### *2.3.7.2 अपात्र/अस्वीकार्य भुगतान, ₹1.57 करोड़*

संबल योजना के योजना दिशानिर्देशों के अनुसार, पंजीकृत असंगठित श्रमिक की मृत्यु की स्थिति में, मृत असंगठित श्रमिक के परिवार के सदस्यों को सहायता प्रदान की जानी थी।

#### (अ) अनुग्रह सहायता का उन व्यक्तियों को भुगतान जो मृत श्रमिकों के परिवार के सदस्य नहीं थे

संबल पोर्टल डेटा, भुगतान डेटा की जांच एवं आगे समग्र पोर्टल से अनुग्रह राशि का भुगतान प्राप्त करने वाले व्यक्तियों के नाम के सत्यापन से पता चला कि सात जनपद पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों ने सात व्यक्तियों जो समग्र विवरण के अनुसार मृत श्रमिकों के परिवार के सदस्य नहीं थे, को ₹14 लाख की अनुग्रह सहायता वितरित की। विवरण ***परिशिष्ट-2.3.4*** में दिया गया है।

#### (ब) अपात्र प्रकरणों में अनुग्रह सहायता की स्वीकृति

श्रम विभाग ने निर्देश (अक्टूबर 2019) जारी किया कि प्राकृतिक आपदा, भूकंप, बाढ़, सांप/अन्य जहरीले जानवर के काटने से मृत्यु/अपंगता एवं घर में आग लगने, नदी में डूबने, आदि से मृत्यु के प्रकरणों में, अनुग्रह अनुदान का लाभ राजस्व विभाग द्वारा प्रदान किया जा रहा है। इन प्रकरणों में, विभाग ने संबल योजना के अंतर्गत अनुग्रह सहायता को अस्वीकार कर दिया।

अभिलेखों की जांच से पता चला कि दो प्रकरणों (श्रमिक आई.डी. 131168264 एवं 107154044) में, मुख्य नगरपालिका अधिकारी, नगर पालिका, होशंगाबाद एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, सिहोरा, जबलपुर ने अनियमित रूप से दो श्रमिकों के उत्तराधिकारियों को ₹6 लाख की अनुग्रह सहायता स्वीकृत एवं वितरित की जिनकी मृत्यु क्रमशः नदी में डूबने एवं सांप के काटने के कारण हुई थी। इन दोनों लाभार्थियों को राजस्व विभाग से भी अनुग्रह सहायता (₹8 लाख) का भुगतान प्राप्त (नवंबर 2019 एवं सितंबर 2020) हुआ था। योजना दिशानिर्देशों एवं श्रम विभाग के निर्देशों (अक्टूबर 2019) के अनुसार ये लाभार्थी संबल योजना के तहत अनुग्रह सहायता के भुगतान हेतु पात्र नहीं थे।

इसी तरह, चार[93] प्रकरणों में, पंजीकृत असंगठित श्रमिकों की मृत्यु कुएं में डूबने, घर में आग लगने एवं सांप के काटने से हुई थी। पदाभिहित अधिकारियों[94] ने इन श्रमिकों के उत्तराधिकारियों को संबल योजना के तहत अनियमित रूप से ₹16 लाख की अनुग्रह सहायता राशि स्वीकृत एवं वितरित की जबकि योजना के दिशानिर्देशों के अनुसार इन प्रकरणों में अनुग्रह सहायता का भुगतान राजस्व विभाग द्वारा किया जाना था। राजस्व विभाग से भुगतान के संबंध में कोई जानकारी उपलब्ध नहीं थी।

इन छ: प्रकरणों में अनुग्रह सहायता का भुगतान विभाग द्वारा जारी निर्देशों के विपरीत था एवं परिणामस्वरूप योजना के अंतर्गत सहायता का अनियमित भुगतान हुआ।

**(स) दो योजनाओं से अनुग्रह राशि का भुगतान**

भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल (बी.ओ.सी.डब्ल्यू.) के डेटा के साथ अनुग्रह भुगतान डेटा के प्रति सत्यापन से पता चला कि 19 प्रकरणों में, पदाभिहित अधिकारियों ने अनियमित रूप से असंगठित श्रमिक के उत्तराधिकारी को दोनों योजनाओं (संबल योजना से ₹46.25 लाख एवं बी.ओ.सी.डब्ल्यू. योजना से ₹42.96 लाख) से ₹89.21 लाख की अनुग्रह सहायता एवं अंत्येष्टि सहायता स्वीकृति की। इन 19 प्रकरणों की आगे की जांच से निम्नलिखित पता चला:

- 11 प्रकरणों में, बी.ओ.सी.डब्ल्यू. योजना से भुगतान किये गये ₹26.48 लाख की अनुग्रह सहायता एवं अंत्येष्टि सहायता उन व्यक्तियों के बैंक खातों में जमा की गई जो मृत असंगठित श्रमिकों के परिवार के सदस्य नहीं थे। 11 में से छ: प्रकरणों में, बी.ओ.सी.डब्ल्यू. एवं संबल योजना में एक ही मृत असंगठित श्रमिक की मृत्यु के दिनांक

[93] *मृत श्रमिक की श्रमिक आई.डी. (1) 123901664 (2) 177094317 (3) 161187336 एवं (4) 119404927*

[94] *मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत, छतरपुर, घाटीगांव (ग्वालियर), मानपुर (उमरिया) एवं आयुक्त, नगर निगम ग्वालियर।*

अलग-अलग थे जो मृत्यु के दिनांक में हेरफेर करके कपटपूर्वक भुगतान किया जाना दर्शाता है।

- एक प्रकरण में, आयुक्त, नगर निगम, जबलपुर ने दिशानिर्देशों के विरुद्ध बी.ओ.सी.डब्ल्यू. योजना एवं संबल योजना दोनों से अनुग्रह सहायता एवं अंत्येष्टि सहायता राशि ₹4.06 लाख का भुगतान किया।
- सात प्रकरणों में, पदाभिहित अधिकारी ने दोनों योजनाओं से अनुग्रह सहायता राशि ₹32.57 लाख (बी.ओ.सी.डब्ल्यू. योजना से ₹14.42 लाख एवं संबल योजना से ₹18.15 लाख) का वितरण किया। सात में से दो प्रकरणों में, बी.ओ.सी.डब्ल्यू. योजना एवं संबल योजना के अंतर्गत दावे के लिए संलग्न मृत्यु प्रमाण पत्र में एक ही मृत असंगठित श्रमिक की मृत्यु के दिनांक अलग-अलग थे जो कपटपूर्वक भुगतान दर्शाता है।

विवरण ***परिशिष्ट-2.3.5*** में दिया गया है।

इस प्रकार, पदाभिहित अधिकारियों (आयुक्त, नगर निगम, जबलपुर, मुरैना एवं इंदौर, मुख्य नगरपालिका अधिकारी, नगरपालिका, होशंगाबाद तथा मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, कैलारस, मुरैना एवं रामपुर बाघेलान, सतना) ने लाभ स्वीकृत करते समय प्रकरणों का सत्यापन नहीं किया जिसके परिणामस्वरूप दोनों बी.ओ.सी.डब्ल्यू. योजना एवं संबल योजना के अंतर्गत अनुग्रह सहायता का अनियमित दोहरा भुगतान हुआ।

**(द) संबल लाभार्थियों को राष्ट्रीय परिवार सहायता का भुगतान**

संबल योजना के योजना दिशानिर्देश प्रावधानित करते है कि पंजीकृत असंगठित श्रमिकों की मृत्यु/अपंगता पर शासन की दो योजनाओं का समान लाभ प्रदान नहीं किया जाएगा। आगे, सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, मध्य प्रदेश शासन ने स्पष्ट किया (सितंबर 2020) कि राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना का लाभ उन प्रकरणों में प्रदान किया जाना चाहिए जहां लाभार्थी के पास संबल कार्ड (संबल योजना में पंजीकृत) नहीं है। चयनित जनपद पंचायत एवं नगर निगम/पालिका में संबल योजना एवं राष्ट्रीय परिवार सहायता के अभिलेखों एवं डेटा की जांच से पता चला कि 363 प्रकरणों में, पदाभिहित अधिकारियों ने संबल योजना के तहत ₹7.86 करोड़ की अनुग्रह सहायता का लाभ प्रदान किया। हमने आगे देखा कि इन लाभार्थियों को राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना से ₹72.60 लाख का भुगतान समान पंजीकृत असंगठित श्रमिक के मृत्यु हेतु किया गया। संबल योजना के लाभार्थियों को राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना के अंतर्गत सहायता की स्वीकृति अनियमित थी। विवरण ***परिशिष्ट-2.3.6*** में है। इस प्रकार, समान प्राधिकारी जो दो अलग-अलग योजनाओं के तहत दो लाभों की स्वीकृति दे रहा था लाभ की स्वीकृति के समय प्रकरणों को सत्यापित करने में विफल रहा।

**(य) अनियमित दावा**

संबल योजना के दिशानिर्देश (मई 2018) में प्रावधानित है कि जो श्रमिक संबल योजना के अंतर्गत पंजीकृत है उन्हें लाभार्थी माना जाएगा।

जनपद पंचायत, घाटीगांव, ग्वालियर के अभिलेखों की जांच से पता चला कि एक प्रकरण में, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, घाटीगांव ने उस व्यक्ति[95] को ₹2.05 लाख की अंत्येष्टि एवं अनुग्रह सहायता का लाभ स्वीकृत किया, जो असंगठित श्रमिक के रूप में पंजीकृत नहीं था। लेखापरीक्षा ने देखा कि दावा करने के लिए, एक अन्य समान नाम[96] के पंजीकृत असंगठित श्रमिक का दस्तावेज़ दावा आवेदन में संलग्न किया गया था। यह दर्शाता है कि मृत लाभार्थी के विवरण को सत्यापित किए बिना सहायता प्रदान की गई थी।

शासन ने उत्तर दिया (जून 2023) कि प्रमुख सचिव, श्रम विभाग ने संबंधित कलेक्टरों को संबंधितों के विरूद्ध कार्रवाई करने एवं प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए अर्ध-शासकीय पत्र जारी किया (जून 2023)। इंदौर, नर्मदापुरम, ग्वालियर, बड़वानी एवं देवास ने की गई कार्रवाई का अंतरिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। आगे, शासन ने सूचित किया (मार्च 2024) कि संबंधित नगर निगमों/पालिकाओं/जनपद पंचायतों से जानकारी एकत्र किया जा रहा है।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि अंतरिम प्रतिवेदनों में, इंदौर, नर्मदापुरम, ग्वालियर, बड़वानी एवं देवास जिलों ने केवल पदाभिहित अधिकारियों को जारी पत्रों की स्थिति प्रस्तुत की। कार्रवाई प्रतिवेदन में अपात्र/अस्वीकार्य भुगतान के लिए उत्तरदायी अधिकारियों के विरूद्ध की गई कार्रवाई एवं उसकी वसूली का कोई उल्लेख नहीं था।

***अनुशंसा-5: विभाग को जांच गठित करनी चाहिए एवं एक से अधिक योजनाओं से भुगतान के लिए उत्तरदायी अधिकारियों के विरूद्ध कार्रवाई करनी चाहिए। आगे, मध्य प्रदेश शासन को एक ही लाभार्थी द्वारा विभिन्न योजनाओं से भुगतान प्राप्त करना समाप्त करने के लिए सभी डेटाबेसों को आपस में जोड़ना भी चाहिए।***

### *2.3.7.3 60 वर्ष से अधिक आयु के अपात्र व्यक्तियों को अनुग्रह सहायता की स्वीकृति, ₹1.04 करोड़*

संबल योजना के दिशानिर्देश (मई 2018) में प्रावधान है कि पंजीकृत श्रमिक के मृत्यु/अपंगता के दिनांक को आयु 60 वर्ष से अधिक के होने पर कोई लाभ नहीं दिया जाएगा। आगे, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना (आई.जी.एन.ओ.पी.एस.) के संबंध में सामाजिक न्याय

*[95] रामहेत आदिवासी (समग्र आई.डी. 163727084) की मृत्यु 15.01.2020 को हुई एवं वह असंगठित श्रमिक के रूप में पंजीकृत नहीं था।*

*[96] रामहेत (समग्र आई.डी. 175263140)।*

विभाग, मध्य प्रदेश शासन का परिपत्र (अप्रैल 2013) कहता है कि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना के लाभार्थी की आयु 60 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए।

लेखापरीक्षित जिलों में अनुग्रह सहायता के स्वीकृत प्रकरणों की जांच एवं इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना के डेटा के साथ प्रकरणों के प्रति-सत्यापन से पता चला कि 2,132 व्यक्ति जन्मतिथि में हेरफेर करके इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना का लाभ प्राप्त कर रहे थे एवं संबल योजना के अंतर्गत असंगठित श्रमिकों के रूप में भी पंजीकृत थे। यह दर्शाता है कि पोर्टल में 60 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों को निकालने के लिए नियंत्रण नहीं है। हमने चयनित शहरी स्थानीय निकायों/पंचायती राज संस्थाओं में देखा कि पदाभिहित अधिकारियों ने अनियमित रूप से 10 व्यक्तियों को ₹20 लाख की अनुग्रह सहायता स्वीकृत एवं वितरित की जो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना के लाभार्थी थे तथा अपने मृत्यु के दिनांक को 60 वर्ष से अधिक आयु के थे। विवरण ***परिशिष्ट-2.3.7*** में दिया गया है।

उपरोक्त के अलावा, संबल पोर्टल डेटा की जांच से पता चला कि 52 में से 27 जिलों में, पदाभिहित अधिकारियों ने अनियमित रूप से 41 व्यक्तियों को ₹84 लाख की अनुग्रह सहायता स्वीकृत एवं संवितरित की जो अपने मृत्यु के दिनांक को 60 वर्ष से अधिक आयु के थे। विवरण ***परिशिष्ट-2.3.8*** में है।

इस प्रकार, पदाभिहित अधिकारियों ने संबल योजना के अंतर्गत 51 अपात्र व्यक्तियों जो अपने मृत्यु के दिनांक को 60 वर्ष से अधिक आयु के थे, को ₹1.04 करोड़ की अनुग्रह सहायता संवितरित की।

शासन ने उत्तर दिया (जून 2023) कि प्रमुख सचिव, श्रम विभाग ने संबंधित कलेक्टरों को संबंधित के विरूद्ध कार्रवाई करने एवं रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए अर्ध-शासकीय पत्र जारी (जून 2023) किया। इंदौर, नर्मदापुरम, ग्वालियर, बड़वानी एवं देवास ने की गई कार्रवाई की अंतरिम रिपोर्ट प्रस्तुत की। आगे, शासन ने सूचित किया (मार्च 2024) कि चार मामलों में, आधार/वोटर कार्ड के अनुसार, मृत श्रमिकों की आयु 60 वर्ष से कम थी एवं शेष मामलों में संबंधित जिलों से जानकारी एकत्र किया जा रहा था।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि अंतरिम प्रतिवेदनों में, इंदौर, नर्मदापुरम, ग्वालियर, बड़वानी एवं देवास जिलों ने पदाभिहित अधिकारियों को जारी पत्रों की स्थिति प्रस्तुत की। कार्रवाई रिपोर्ट में सहायता के अनियमित भुगतान के लिए उत्तरदायी अधिकारियों के विरूद्ध की गई कार्रवाई एवं उसकी वसूली का कोई उल्लेख नहीं था। आगे, मध्य प्रदेश शहरी एवं ग्रामीण असंगठित कर्मकार कल्याण मंडल के स्पष्टीकरण (दिसंबर 2018 एवं जून 2022) के अनुसार, पंजीकृत श्रमिक की जन्म तिथि समग्र आई.डी. में उल्लेखित जन्म तिथि होगी। अतः आधार/वोटर कार्ड के अनुसार जन्मतिथि स्वीकार्य नहीं है।

### *2.3.7.4 अनुग्रह सहायता का अधिक भुगतान, ₹1.72 करोड़*

संबल योजना के दिशानिर्देश (मई 2018) में प्रावधान है कि दुर्घटना मृत्यु के मामले में, अनुग्रह सहायता के दावे के लिए आवेदन के साथ पुलिस की प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफ.आई.आर.) संलग्न होनी चाहिए। आगे योजना के दिशानिर्देशों में प्रावधान है कि दुर्घटना मृत्यु के मामले में, ₹4 लाख की दर से अनुग्रह सहायता एवं सामान्य मृत्यु के मामले में, ₹2 लाख की दर से अनुग्रह सहायता पंजीकृत असंगठित श्रमिक के उत्तराधिकारी को प्रदान की जानी थी। मध्य प्रदेश शहरी एवं ग्रामीण असंगठित कर्मकार कल्याण मंडल ने स्पष्ट किया (जनवरी 2020) कि यदि दावा आवेदन के साथ प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रति उपलब्ध नहीं है, तो मामले को सामान्य मृत्यु के रूप में दर्ज किया जाना चाहिए।

चयनित सात जिलों के 14 जनपद पंचायत एवं नगर निगम/पालिका के अभिलेखों की जांच से पता चला कि 86 प्रकरणों में, दावा आवेदन के साथ प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रति उपलब्ध नहीं थी। पदाभिहित अधिकारी ने फिर भी प्रकरणों को दुर्घटना मृत्यु के रूप में दर्ज किया एवं प्रति प्रकरण ₹4 लाख की दर से अनुग्रह सहायता स्वीकृत की तथा लाभार्थियों को ₹3.44 करोड़ संवितरित किए। यद्यपि, योजना के दिशानिर्देशों के अनुसार, प्रकरणों को सामान्य मृत्यु मानते हुए अनुग्रह सहायता का लाभ ₹2 लाख प्रति प्रकरण की दर से देय था। इसके परिणामस्वरूप ₹1.72 करोड़ का अधिक भुगतान हुआ जैसा कि ***परिशिष्ट-2.3.9*** में वर्णित है।

शासन ने उत्तर दिया (जून 2023) कि प्रमुख सचिव, श्रम विभाग ने संबंधित कलेक्टरों को संबंधितों के विरूद्ध कार्रवाई करने एवं प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए अर्द्ध-शासकीय पत्र जारी (जून 2023) किया था। इंदौर, नर्मदापुरम, ग्वालियर, बड़वानी एवं देवास ने की गई कार्रवाई की अंतरिम रिपोर्ट प्रस्तुत की। आगे, शासन ने सूचित किया (मार्च 2024) कि संबंधित जिलों से जानकारी एकत्र की जा रही है।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि अंतरिम प्रतिवेदनों में, इंदौर, नर्मदापुरम, ग्वालियर, बड़वानी एवं देवास जिलों ने पदाभिहित अधिकारियों को जारी पत्रों की स्थिति प्रस्तुत की। कार्रवाई प्रतिवेदन में अधिक भुगतान के लिए उत्तरदायी अधिकारियों के विरूद्ध की गई कार्रवाई एवं उसकी वसूली का कोई उल्लेख नहीं था।

### *2.3.7.5 अनुग्रह सहायता का कम भुगतान, ₹2 लाख*

जनपद पंचायत, गोहद, भिंड के अभिलेखों की जांच से पता चला कि एक प्रकरण में (श्रमिक आई.डी. 149360961) सचिव, ग्राम पंचायत, खनेटा (जनपद पंचायत, गोहद) ने गलती से प्रकरण को दुर्घटना मृत्यु के स्थान पर सामान्य मृत्यु के रूप में दर्ज कर दिया। मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, गोहद ने पोर्टल पर मृत्यु के प्रकार (सामान्य मृत्यु से आकस्मिक मृत्यु) में परिवर्तन करने के लिए सचिव, मध्य प्रदेश शहरी एवं ग्रामीण असंगठित कर्मकार

कल्याण मंडल से अनुरोध (दिसंबर 2019) किया। मध्य प्रदेश असंगठित (शहरी/ग्रामीण) कर्मकार कल्याण मंडल ने न तो पोर्टल पर मृत्यु का प्रकार बदला एवं न ही मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, गोहद ने इस संबंध में आगे कोई पत्राचार किया। हमने देखा कि मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत गोहद ने मृत असंगठित श्रमिक के उत्तराधिकारी को
₹2 लाख की अनुग्रह सहायता स्वीकृत (जनवरी 2021) एवं संवितरित की जिसके परिणामस्वरूप अनुग्रह सहायता ₹2 लाख का कम भुगतान हुआ।

शासन ने उत्तर दिया (जून 2023 एवं मार्च 2024) कि भिंड जिले से प्रतिवेदन प्राप्त किया जा रहा है।

### *2.3.7.6 अनुग्रह सहायता का दोहरा भुगतान, ₹14 लाख*

संबल योजना के योजना दिशानिर्देशों के अनुसार, अपंगता की स्थिति में पंजीकृत श्रमिक एवं मृत्यु की स्थिति में मृत श्रमिक के परिवार के सदस्य अनुग्रह सहायता के पात्र होंगे।

संवीक्षा में पता चला कि मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, गोहद (भिंड), राजपुर (बड़वानी) एवं आयुक्त, नगर निगम, भोपाल ने पांच प्रकरणों में ₹14[97] लाख की अनुग्रह सहायता राशि का दोहरा भुगतान किया जैसा की ***परिशिष्ट-2.3.10*** में वर्णित है। यह भुगतान के दौरान मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, गोहद (भिंड), राजपुर (बड़वानी) एवं आयुक्त, नगर निगम, भोपाल की लापरवाही को दर्शाता है।

शासन ने उत्तर दिया (जून 2023) कि संबंधित जिलों से प्रतिवेदन एकत्र किये जा रहे थे। आगे, प्रमुख सचिव, श्रम विभाग ने संबंधित कलेक्टरों को संबंधितों के विरूद्ध कार्रवाई करने एवं प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए अर्द्ध-शासकीय पत्र जारी (जून 2023) किया गया था। आगे, शासन ने सूचित किया (मार्च 2024) कि संबंधित जिलों से जानकारी एकत्र की जा रही थी।

### *2.3.7.7 लाभार्थी सर्वेक्षण*

लेखापरीक्षा ने 258 लाभार्थियों/पंजीकृत श्रमिकों का लाभार्थी सर्वेक्षण किया। हमने देखा कि दो प्रकरणों में पदाभिहित अधिकारियों ने अनियमित रूप से अनुग्रह सहायता स्वीकृत की, जैसा कि **तालिका-2.3.5** में वर्णित है:

[97] *एक प्रकरण में श्रमिक आई.डी. 131016445, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, राजपुर (बड़वानी) ने राशि ₹2.62 लाख वसूली की।*

| तालिका 2.3.5: लाभार्थी सर्वेक्षण के दौरान पाई गई अनियमितताओं का विवरण | | | |
|---|---|---|---|
| **स. क्र.** | **लाभार्थी सर्वेक्षण किया गया** | **पंजीकृत श्रमिक का विवरण** | **लेखापरीक्षा टिप्पणी** |
| 1. | वार्ड 60, नगर निगम, ग्वालियर | मृत पंजीकृत श्रमिक (श्रमिक आई.डी. 137691317) के पति को राशि ₹2.00 लाख की अनुग्रह सहायता का लाभ मिला। | मृत असंगठित श्रमिक का पति मध्य प्रदेश शासन के लोक निर्माण विभाग में उप-अभियंता है, इसलिए, वह सहायता का हकदार नहीं था। |
| 2. | वार्ड 10, नगर पालिका, भिंड | मृत पंजीकृत श्रमिक (श्रमिक आई.डी. 185475687) के उत्तराधिकारी को ₹2.00 लाख की अनुग्रह सहायता स्वीकृत की गई। | पंजीकृत श्रमिक की मृत्यु आत्महत्या के कारण हुई थी एवं इसलिए, मृत श्रमिक का उत्तराधिकारी संबल योजना के तहत अनुग्रह सहायता का हकदार नहीं था। |

**(स्रोत: लेखापरीक्षा द्वारा भौतिक सत्यापन के दौरान एकत्रित की गई जानकारी)**

इस प्रकार, आयुक्त, नगर निगम, ग्वालियर एवं मुख्य नगरपालिका अधिकारी, नगरपालिका, भिंड ने इन दो प्रकरणों में सहायता स्वीकृत की जो स्वीकृति योग्य नहीं थे।

शासन ने उत्तर दिया (जून 2023 एवं मार्च 2024) कि सम्बंधित जिलों/शहरी स्थानीय निकायों से प्रतिवेदन एकत्र किये जा रहे थे।

### *2.3.7.8 योजनांतर्गत अपात्र व्यक्तियों को सहायता की अनियमित स्वीकृति, ₹60 लाख*

श्रम विभाग, मध्य प्रदेश शासन के आदेश (जुलाई 2018) में प्रावधान है कि यदि पति अथवा पत्नी के पास 2.5 एकड़/एक हेक्टेयर से अधिक भूमि है, तो वे असंगठित श्रमिक के रूप में पंजीकृत होने के पात्र नहीं होंगे। मध्य प्रदेश शासन के आदेश (जून 2019) प्रावधान है कि अपात्र पंजीकृत असंगठित श्रमिकों को हटाने के लिए पंजीकृत असंगठित श्रमिकों का भौतिक सत्यापन किया जाएगा। आगे, श्रम विभाग ने असंगठित श्रमिकों की 36 श्रेणियां निर्धारित (मार्च 2018) किया जिनका असंगठित श्रमिक के रूप में पंजीकृत किया जाना था।

चार जनपद पंचायतों के अभिलेखों की जांच से पता चला कि आठ[98] प्रकरणों में, संबंधित जनपद पंचायतों के पदाभिहित अधिकारियों ने पंजीकृत मृत श्रमिकों के उत्तराधिकारी को ₹16 लाख की

*[98] जनपद पंचायत, गोहद भिंड (श्रमिक आई.डी. 137921566), जनपद पंचायत, छतरपुर (श्रमिक आई.डी. 146458647), जनपद पंचायत, मानपुर, उमरिया (श्रमिक आई.डी. 127150006, 120007379, 135624266, 179553496 एवं 145117204) एवं जनपद पंचायत, घाटीगांव, ग्वालियर (श्रमिक आई.डी. 119015130)*

अनुग्रह सहायता का लाभ स्वीकृत किया। हमने देखा कि इन सभी प्रकरणों में पंजीकृत मृत श्रमिकों के पास एक हेक्टेयर से अधिक भूमि थी एवं वे संबल योजना के अंतर्गत असंगठित श्रमिक के रूप में पंजीकरण हेतु पात्र नहीं थे। आगे संबल पोर्टल डेटा की जांच से पता चला कि असंगठित श्रमिकों के रूप में पंजीकृत तीन[99] व्यक्तियों को सचिव, ग्राम पंचायत द्वारा भौतिक सत्यापन (जुलाई एवं अक्टूबर 2019 के मध्य) के दौरान इस आधार पर अयोग्य पाया गया कि उनके पास निर्धारित सीमा से अधिक भूमि थी। लेखापरीक्षा में पाया गया कि पदाभिहित अधिकारियों ने इन तीन अपात्र व्यक्तियों को ₹8 लाख की अनुग्रह सहायता स्वीकृत (मार्च 2019 एवं मार्च 2020 के मध्य) की। हमने आगे पाया कि दो प्रकरणों में पदाभिहित अधिकारी ने सचिव की टिप्पणी को नजरअंदाज किया एवं ₹4 लाख की सहायता स्वीकृत की तथा शेष एक प्रकरण मामले में सहायता की स्वीकृति (मार्च 2019) के बाद भौतिक सत्यापन किया (सितंबर 2019) गया।

आगे अभिलेखों की जांच से पता चला कि मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका, भिंड एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, गोहद (भिंड), सोहागपुर (होशंगाबाद) एवं छतरपुर ने 16[100] प्रकरणों में ₹32 लाख की अनुग्रह सहायता स्वीकृत की। हमने देखा कि पंजीकृत मृत श्रमिक जिनके विरूद्ध ये दावे किए गए थे, वे गृहिणी (हाउस वाइफ) के रूप में पंजीकृत थी। गृहिणी असंगठित श्रमिकों की 36 रोजगार श्रेणियों में से किसी श्रेणी के अंतर्गत नहीं आती थी।

आगे, लाभार्थी सर्वेक्षण के दौरान हमने देखा कि दो[101] प्रकरणों में, मृत असंगठित श्रमिकों के उत्तराधिकारी जिन्होंने ₹4 लाख की अनुग्रह सहायता का लाभ प्राप्त किया था, ने कहा कि मृतक गृहिणियां थीं एवं कहीं भी नियोजित नहीं थीं।

इस प्रकार, पदाभिहित अधिकारी असंगठित श्रमिक के रूप में पंजीकरण से पूर्व एवं यहां तक कि लाभ स्वीकृत करते समय भी आवेदकों की पात्रता की पुष्टि करने में विफल रहे परिणामस्वरूप ₹60 लाख का अस्वीकार्य भुगतान हुआ।

शासन ने उत्तर दिया (जून 2023 एवं मार्च 2024) कि संबंधित जिलों/नगरीय निकायों/पंचायती राज संस्थाओं से जानकारी/प्रतिवेदन एकत्र किये जा रहे थे।

---

*[99] जनपद पंचायत, लांझी, बालाघाट (श्रमिक आई.डी. 182752269, ₹2 लाख), जनपद पंचायत, बैतूल (श्रमिक आई.डी. 118078568, ₹2 लाख) एवं जनपद पंचायत, सोंडवा, अलीराजपुर (137377708, ₹4 लाख)।*

*[100] नगर पालिका, भिंड (श्रमिक आई.डी. 300830824), जनपद पंचायत, गोहद, भिंड (श्रमिक आई.डी. 189843613 एवं 150363524), जनपद पंचायत, सोहागपुर, होशंगाबाद (श्रमिक आई.डी. 139345795, 111752542, 102753733, 187723820, 110361299 एवं 141084069) एवं जनपद पंचायत, छतरपुर (श्रमिक आई.डी. 125979023, 128283828, 118211246, 121922709, 155853376, 117788424 एवं 117575410)।*

*[101] श्रमिक आई.डी. 304285368 एवं 169556831*

अंतिम उत्तर प्रतीक्षित रहा।

***अनुशंसा 6: विभाग को अनियमित रूप से संवितरित राशि की वसूली के अलावा दावा आवेदन के सत्यापन के लिए जिम्मेदार पदाधिकारियों के विरूद्ध कार्रवाई करनी चाहिए।***

### *2.3.7.9 मृत्यु के बाद पंजीकृत व्यक्तियों को भुगतान की गई सहायता की वसूली न होना, ₹54 लाख*

संबल योजना के दिशानिर्देश एवं विभागीय निर्देश (मार्च 2018 एवं मई 2018) प्रावधानित करते है कि केवल पंजीकृत असंगठित श्रमिक ही योजना का लाभार्थी होगा। विभागीय निर्देश आगे प्रावधानित करते है कि यदि कोई पंजीकृत व्यक्ति सत्यापन के दौरान अपात्र पाया जाता है अथवा गलत जानकारी प्रस्तुत करता है, तो ऐसे व्यक्ति का पंजीकरण निरस्त कर दिया जाएगा। आगे, यदि ऐसे अपात्र व्यक्ति को लाभ मिला है, तो उससे प्राप्त लाभ की वसूली की जाएगी। पदाभिहित अधिकारी वसूली योग्य राशि की जानकारी संबंधित तहसीलदार को देंगे जो राजस्व वसूली प्रमाणपत्र (आर.आर.सी.) जारी करके राशि की वसूली करेगा। इसके अतिरिक्त, संबंधित व्यक्ति के विरूद्ध अन्य विधि सम्मत दण्डात्मक कार्रवाई की जायेगी तथा श्रमिक भविष्य में पंजीकरण हेतु पात्र नहीं होगा।

संवीक्षा से पता चला कि 10 जिलों के पदाभिहित अधिकारियों ने अनियमित रूप से 37 व्यक्तियों को उनकी मृत्यु के बाद पंजीकृत (अप्रैल-जून 2018) किया एवं इन व्यक्तियों के उत्तराधिकारियों को ₹90 लाख की अनुग्रह सहायता स्वीकृत (जून-जुलाई 2018) की जैसा कि ***परिशिष्ट-2.3.11*** में वर्णित है। 37 व्यक्तियों को स्वीकृत ₹90 लाख में से, पदाभिहित अधिकारियों ने 28 प्रकरणों में ₹66 लाख का संवितरण किया एवं शेष नौ प्रकरणों में, भुगतान संवितरित नहीं किया गया था। हमने देखा कि मध्य प्रदेश शहरी एवं ग्रामीण असंगठित कर्मकार कल्याण मण्डल ने इन प्रकरणों में दिए गए लाभ की वसूली एवं इतनी गंभीर अनियमितता के लिए जिम्मेदार अधिकारियों के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू करने के लिए संबंधित जिलों के जिला कलेक्टरों के साथ पत्राचार (अक्टूबर 2018 एवं नवंबर 2018) किया था। दिसंबर 2022 तक, पदाभिहित अधिकारियों ने पांच प्रकरणों में ₹12 लाख की वसूली की एवं शेष 23 प्रकरणों में, जनवरी 2023 तक ₹54 लाख की वसूली लंबित थी।

शासन ने उत्तर दिया (जून 2023 एवं मार्च 2024) कि देवास जिले में, दोनों प्रकरणों में राशि की वसूली कर ली गयी थी। आगे, संबंधित जिला कलेक्टरों को जांच कराने एवं दोषी पाए जाने पर वसूली करने के लिए पत्र लिखा गया है।

उत्तर सन्तोषजनक नहीं है क्योंकि विभाग ने समय पर एवं प्रभावी कार्रवाई नहीं की।

***अनुशंसा-7: विभाग को मृत व्यक्तियों के अनियमित पंजीकरण के लिए जिम्मेदारी तय करना चाहिए एवं राशि की तुरंत वसूली करना चाहिए।***

### *2.3.7.10 गलत उत्तराधिकारियों को अनुग्रह सहायता का भुगतान, ₹40 लाख*

संबल योजना के दिशानिर्देश (मई 2018) कहता है कि मृत असंगठित श्रमिकों के पुत्र एवं पुत्री (यदि पति/पत्नी उपलब्ध नहीं है) को अनुग्रह सहायता का लाभ प्रदान किया जाएगा। सहायता माता-पिता (यदि पति/पत्नी/पुत्र/पुत्री उपलब्ध नहीं है) तथा भाइयों एवं बहनों (यदि पति/पत्नी, बच्चे एवं माता-पिता उपलब्ध नहीं हैं) को देय है।

अभिलेखों की जांच से पता चला कि 18[102] प्रकरणों में, पदाभिहित अधिकारियों ने उन व्यक्तियों को 40 लाख रुपये की अनुग्रह राशि का भुगतान किया जो असंगठित श्रमिक के पात्र उत्तराधिकारी नहीं थे जैसा कि नीचे चर्चा की गई है:

- 14 प्रकरणों में, पुत्र/पुत्री को लाभ प्रदान किया गया जबकि पति/पत्नी लाभ प्राप्त करने के लिए उपलब्ध थे।
- चार प्रकरणों में, माता/पिता को लाभ प्रदान किया गया जबकि मृत कर्मचारी की पत्नी/पुत्र/पुत्री लाभ प्राप्त करने के लिए उपलब्ध थे। विवरण ***परिशिष्ट-2.3.12*** में दिया गया है।

इस प्रकार, पदाभिहित अधिकारियों ने दिशानिर्देशों के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए अपात्र उत्तराधिकारियों को ₹40 लाख की अनुग्रह सहायता संवितरित की।

शासन ने उत्तर दिया (जून 2023 एवं मार्च 2024) कि जांच करने के लिए संबंधित जिला कलेक्टरों को पत्र लिखा गया था। अंतिम उत्तर प्रतीक्षित रहा।

### *2.3.7.11 अनियमित रूप से आवेदन स्वीकार किया जाना*

श्रम विभाग ने उन प्रकरणों में जहां श्रमिक की मृत्यु सात दिवस के भीतर पोर्टल पर दर्ज नहीं की गई थी अनुग्रह सहायता के लिए दावा आवेदन जमा किये जाने के 90 दिनों की मौजूदा समय सीमा को बढ़ाकर (जून 2021) 180 दिन कर दिया। 180 दिनों के बाद आवेदन प्राप्त होने की स्थिति में, जिला कलेक्टर या जिला कलेक्टर द्वारा नामित अपर कलेक्टर जांच के बाद लिखित

---

*[102] नगर पालिका, भिंड के दो प्रकरण, जनपद पंचायत, गोहद के तीन प्रकरण, नगर निगम, ग्वालियर के दो प्रकरण, जनपद पंचायत, छतरपुर के पांच प्रकरण, नगर निगम, जबलपुर का एक प्रकरण, जनपद पंचायत, मानपुर, उमरिया के चार प्रकरण एवं नगर पालिका, उमरिया का एक प्रकरण।*

आदेश द्वारा समय सीमा में छूट देंगे एवं पदाभिहित अधिकारी को ई-भुगतान आदेश निकालने के पूर्व पोर्टल पर ऐसा आदेश अपलोड करना होगा।

नगर निगम, ग्वालियर के अभिलेखों की जांच से पता चला कि चार[103] प्रकरणों में आवेदन निर्धारित समय-सीमा 180 दिन के बाद प्राप्त हुए थे। आयुक्त, नगर निगम, ग्वालियर ने समय सीमा में छूट के लिए जिला कलेक्टर/अपर कलेक्टर का आदेश प्राप्त किए बिना चारों प्रकरणों में ₹8.00 लाख की अनुग्रह सहायता स्वीकृत की।

हमने आगे देखा कि एक प्रकरण (श्रमिक आई.डी. 193063155) में, पदाभिहित अधिकारी ने सहायक श्रम आयुक्त, ग्वालियर (नोडल अधिकारी) के माध्यम से समय सीमा में छूट के लिए प्रकरण को जिला कलेक्टर अथवा जिला कलेक्टर द्वारा नामित अपर कलेक्टर को अग्रेषित किया, परन्तु नोडल अधिकारी ने प्रकरण को इस टिप्पणी के साथ वापस कर दिया कि यदि पोर्टल पहले ही प्रकरण को स्वीकार कर रहा है, तो अपील करने की कोई आवश्यकता नहीं है एवं इसलिए, पदाभिहित अधिकारी ने ₹2 लाख की अनुग्रह सहायता का लाभ प्रदान किया।

इस प्रकार, पदाभिहित अधिकारी/नोडल अधिकारी ने श्रम विभाग के निर्देशों का अनुपालन नहीं किया एवं पांच प्रकरणों में अनियमित रूप से ₹10 लाख की अनुग्रह सहायता राशि स्वीकृत की।

शासन ने उत्तर दिया (जून 2023 एवं मार्च 2024) कि नगर निगम, ग्वालियर से जानकारी एकत्रित करने के लिए जिला कलेक्टर को पत्र लिखा गया था। जानकारी प्रतीक्षित है।

### *2.3.7.12 अंत्येष्टि सहायता का भुगतान न होना*

(अ) संबल योजना के दिशानिर्देशों (मई 2018) प्रावधानित करते है कि पंजीकृत श्रमिक या उसके परिवार के सदस्य की मृत्यु के प्रकरण में, नगर निगम/पालिका के अधिकृत अधिकारी अथवा सचिव, ग्राम पंचायत तुरंत पंजीकृत श्रमिक (पंजीकृत असंगठित श्रमिक के परिवार के सदस्य की मृत्यु के मामले में) को अथवा पंजीकृत श्रमिक के उत्तराधिकारी (पंजीकृत असंगठित श्रमिक की मृत्यु के मामले में) को ₹5,000 की नकद अंत्येष्टि सहायता का भुगतान करेंगे। इसके बाद, नगर निगम/पालिका का अधिकृत अधिकारी अथवा सचिव संबल पोर्टल पर पंचनामा अपलोड करेगा एवं श्रम विभाग पदाभिहित अधिकारी के बैंक खाते में राशि की प्रतिपूर्ति करेगा। अन्त्येष्टि सहायता का लाभ देने हेतु आवेदन की आवश्यकता नहीं थी। आगे, श्रम विभाग, मध्य प्रदेश शासन ने संभाग/जिला श्रम कार्यालयों के अधिकारियों को नोडल अधिकारी नियुक्त

[103] *श्रमिक आई.डी. 116948025, 122629352, 187520489 एवं 192979692।*

(मई 2021) किया एवं निर्देश दिया कि नोडल अधिकारी मृत व्यक्ति के उत्तराधिकारी को एक दिन के भीतर अंत्येष्टि सहायता का भुगतान सुनिश्चित करेंगे।

चयनित 10 जिलों के 20 जनपद पंचायत एवं नगर निगम/पालिका के संबल पोर्टल पर उपलब्ध आंकड़ों की जांच से पता चला कि 12,141 प्रकरणों में से 4,398 (36 प्रतिशत) प्रकरणों में, नगर निगम/पालिका के अधिकृत अधिकारी अथवा सचिव, ग्राम पंचायत ने 2018-22 के दौरान पंजीकृत असंगठित श्रमिक/मृत श्रमिकों के उत्तराधिकारी को ₹2.20 करोड़ की अंत्येष्टि सहायता का भुगतान नहीं किया। विवरण ***परिशिष्ट-2.3.13*** में है।

आगे, हमने नगर पालिका, भिंड एवं होशंगाबाद में देखा कि 151 प्रकरणों में, अधिकृत अधिकारियों ने अंत्येष्टि सहायता का भुगतान नहीं किया बल्कि उन्होंने यह मानते हुए कि राशि लाभार्थी को प्राप्त हो जाएगी लाभार्थी के नाम पर संबल पोर्टल पर स्वीकृति आदेश तैयार किया। यद्यपि, जैसा की दिशानिर्देशों में प्रावधानित था राशियाँ पदाभिहित अधिकारियों अर्थात मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका, भिंड एवं होशंगाबाद के बैंक खातों में जमा हुईं। इस प्रकार, अधिकृत अधिकारियों की लापरवाही के कारण लाभार्थी तत्काल सहायता से वंचित रह गये।

(ब) आगे, हमने जनपद पंचायत, घाटीगांव की जांच प्रतिवेदनों से देखा कि सचिव, ग्राम पंचायत, रायपुर कलां, रेहट एवं सिरसा (जनपद पंचायत, घाटीगांव) ने तीन मृत असंगठित श्रमिकों[104] के उत्तराधिकारियों को ₹15,000/- (प्रत्येक प्रकरण में ₹5,000/-) की अंत्येष्टि सहायता का भुगतान नहीं किया तथापि उन्होंने प्रतिपूर्ति के लिए मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, घाटीगांव को पंचनामा कपटपूर्वक प्रस्तुत किया।

इस प्रकार, इन प्रकरणों में पंजीकृत श्रमिक के परिवार को तत्काल सहायता प्रदान करने का उद्देश्य पूरा नहीं हुआ।

शासन ने उत्तर दिया (जून 2023 एवं मार्च 2024) कि जांच करने एवं दोषी अधिकारियों के विरूद्ध कार्रवाई करने के लिए संबंधित जिलों के जिला कलेक्टरों को पत्र लिखा गया था। आगे कोई उत्तर नहीं दिया गया।

---

[104] *मृत श्रमिकों के श्रमिक आई.डी. 191366354, 166447129 एवं 116602188 थे।*

### *2.3.7.13 अनियमित भौतिक सत्यापन के कारण सहायता स्वीकृत न होना*

श्रम विभाग, मध्य प्रदेश शासन ने सभी पदाभिहित अधिकारियों को अपात्र पंजीकृत असंगठित श्रमिकों को हटाने के लिए पंजीकृत असंगठित श्रमिकों का भौतिक सत्यापन करने के निर्देश (जून 2019) दिए।

संबल पोर्टल डेटा की जांच से पता चला कि भौतिक सत्यापन के दौरान राज्य में 3.46 लाख पंजीकृत असंगठित श्रमिकों को 'मूल आवेदन उपलब्ध नहीं होने' के आधार पर अपात्र घोषित कर दिया गया था।

हमने देखा कि मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, घाटीगांव ने तीन[105] प्रकरणों में ₹5 लाख की अनुग्रह सहायता स्वीकृत नहीं की क्योंकि पंजीकृत असंगठित श्रमिक को 'मूल आवेदन उपलब्ध नहीं है' के आधार पर अयोग्य घोषित कर दिया गया था। हमने आगे देखा कि सचिव, ग्राम पंचायत ने दावा आवेदन के साथ मूल आवेदन भी संलग्न किया था। इस प्रकार, असंगठित श्रमिकों के भौतिक सत्यापन में पदाभिहित अधिकारी की लापरवाही के परिणामस्वरूप लाभार्थियों को अपेक्षित लाभ से वंचित होना पड़ा। आगे, मूल आवेदन दावा आवेदनों के साथ संलग्न थे, इसलिये, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत को आवेदकों की वास्तविकता को सत्यापित करने की कार्रवाई करनी चाहिए थी एवं सहायता जारी करनी चाहिए थी।

शासन ने उत्तर दिया (जून 2023 एवं मार्च 2024) कि जांच कराने एवं दोषी अधिकारियों के विरूद्ध कार्रवाई करने के लिए जिला कलेक्टर को पत्र लिखा गया था। आगे की जानकारी प्रतीक्षित है।

अंतिम उत्तर प्रतीक्षित रहा।

### *2.3.7.14 अनुग्रह सहायता अनियमित रूप से अस्वीकृत किया जाना*

अभिलेखों की जांच से पता चला कि सात[106] प्रकरणों में, पदाभिहित अधिकारियों ने मृत असंगठित श्रमिकों के उत्तराधिकारियों को ₹14 लाख की अनुग्रह सहायता का लाभ इस आधार पर देने से मना कर दिया कि परिवार के सदस्य शासकीय सेवाओं में थे, परिवार के संयुक्त खाते में एक हेक्टेयर से अधिक भूमि थी, पंजीकरण प्रमाण पत्र, राशन कार्ड प्रदान नहीं किया गया था,

---

[105] *श्रमिक आई.डी. 303307908 (एक प्रकरण अपंगता का एवं एक प्रकरण सामान्य मृत्यु का) तथा 126938156 (मृत्यु का एक प्रकरण)।*

[106] *जनपद पंचायत, गोहद, भिंड (श्रमिक आई.डी. 152086025), जनपद पंचायत, सोहागपुर, होशंगाबाद (श्रमिक आई.डी. 119339930, 300792867 एवं 149784262), नगर पालिका, होशंगाबाद (श्रमिक आई.डी. 144697785), तथा जनपद पंचायत, घाटीगांव, ग्वालियर (श्रमिक आई.डी. 150730111 एवं 194319095)।*

उत्तराधिकारी (पत्नी) का नाम मतदाता सूची में नहीं था एवं विवाह का अभिलेख नहीं थे। लेखापरीक्षा में यद्यपि पाया गया कि योजना के दिशानिर्देशों के अनुसार दिए गए कारण लाभ से मना करने के लिए वैध कारण नहीं थे एवं संलग्न दस्तावेज़ लाभ प्रदान करने के लिए पर्याप्त थे।

शासन ने उत्तर दिया (जून 2023 एवं मार्च 2024) कि जांच कराने एवं दोषी अधिकारियों के विरूद्ध कार्रवाई करने के लिए जिला कलेक्टर को पत्र लिखा गया था। जानकारी प्रतीक्षित है।

अंतिम उत्तर प्रतीक्षित रहा।

### *2.3.7.15 सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के बिना लाभ अस्वीकृत किया जाना*

संबल योजना के योजना दिशानिर्देश प्रावधानित (मई 2018) करते है कि पदाभिहित अधिकारी दावा आवेदन की जांच करने के उपरांत लाभ को स्वीकृत/अस्वीकृत करेगा एवं स्वीकृति/अस्वीकृति आदेश पोर्टल के माध्यम से जारी किये जाएगे तथा इसकी सूचना आवेदक को दी जाएगी।

जनपद पंचायत, सोहागपुर, होशंगाबाद के अंतर्गत ग्राम पंचायत, शोभापुर के अभिलेखों की जांच से पता चला कि एक[107] प्रकरण में, सचिव, ग्राम पंचायत शोभापुर ने मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, सोहागपुर, होशंगाबाद (पदाभिहित अधिकारी) को दावा आवेदन इस आधार पर अग्रेषित नहीं किया कि मृतक के पिता के पास 2.54 एकड़ जमीन थी। सचिव द्वारा की गई कार्रवाई उचित नहीं थी क्योंकि दावा आवेदन की जांच पदाभिहित अधिकारी द्वारा की जानी चाहिए थी। इसी प्रकार, हमने नगर पालिका, होशंगाबाद में पाया कि पांच[108] प्रकरणों में, उत्तरदायी कर्मचारी ने पदाभिहित अधिकारी (मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका, होशंगाबाद) को प्रकरण इस आधार पर प्रस्तुत नहीं किए कि भौतिक सत्यापन के दौरान मृत असंगठित श्रमिक को पोर्टल पर अपात्र घोषित किया गया था। लाभ अस्वीकृत होने की सूचना भी आवेदकों को नहीं दी गई थी। हमने देखा कि पदाभिहित अधिकारी ने इसी तरह के प्रकरणों को समाधान के लिए अपीलीय प्राधिकारी को अग्रेषित किया था। पदाभिहित अधिकारी को प्रकरण प्रस्तुत न किया जाना, आवेदक को सूचित न किया जाना एवं यहां तक कि प्रकरण अपीलीय प्राधिकारी को प्रकरण अग्रेषित न किये जाने से लाभार्थी सुनवाई से वंचित रहे।

शासन ने उत्तर दिया (जून 2023 एवं मार्च 2024) कि जांच कराने एवं दोषी अधिकारियों के विरूद्ध कार्रवाई करने के लिए जिला कलेक्टर को पत्र लिखा गया था। अंतिम उत्तर प्रतीक्षित रहा।

---

[107] *श्रमिक आई.डी. 114365498*

[108] *श्रमिक आई.डी. 168983635, 125093404, 192138614, 300258673 एवं 130796855*

***अनुशंसा-8: विभाग को अंत्येष्टि सहायता राशि का भुगतान न करने के लिए उत्तरदायित्व निर्धारित करना चाहिए। आगे, विभाग को पात्र लाभार्थियों को सहायता का वितरण न करने के प्रकरणों की समीक्षा करना चाहिए।***

### *2.3.7.16 स्वीकृति के बावजूद सहायता का भुगतान न होना*

श्रम विभाग, मध्य प्रदेश शासन ने निर्देशित (अगस्त 2020) किया कि यदि लाभ की स्वीकृति के दौरान अथवा लाभ की स्वीकृति के बाद पोर्टल पर लाभार्थी के बारे में कोई विसंगति दिखता है, जो लाभार्थी को लाभ देने से रोकती है, तो पदाभिहित अधिकारी, तथ्यों की जांच एवं आवश्यक निरीक्षण के बाद, प्रकरण अपीलीय प्राधिकारी को विसंगतियों के सुधार के लिए अग्रेषित करेगा।

नगर पालिका, होशंगाबाद के अभिलेखों की जांच से पता चला कि सात[109] प्रकरणों में पदाभिहित अधिकारी ने ₹14.00 लाख की अनुग्रह सहायता राशि का लाभ स्वीकृत किया था। यद्यपि, बाद में प्रकरणों को इस आधार पर लंबित रखा गया कि इन मृत असंगठित श्रमिकों को भौतिक सत्यापन के दौरान अपात्र घोषित किया गया था। पदाभिहित अधिकारी ने न तो प्रकरणों को अपीलीय प्राधिकारी को भेजा न ही आवेदकों को विसंगतियों के सुधार के लिए सूचित किया।

शासन ने उत्तर दिया (जून 2023 एवं मार्च 2024) कि जांच कराने एवं दोषी अधिकारियों के विरूद्ध कार्रवाई करने के लिए जिला कलेक्टर को पत्र लिखा गया था। जानकारी प्रतीक्षित है।

अंतिम उत्तर प्रतीक्षित रहा।

## 2.3.8 वित्तीय प्रबंधन एवं नियंत्रण

श्रम विभाग, मध्य प्रदेश शासन ने संबल योजना 1 अप्रैल 2018 से लागू की। 1 अप्रैल 2018 से 5 दिसंबर 2019 के दौरान, श्रम विभाग ने कोषालय से सीधे पंचायती राज संस्थाओं एवं शहरी स्थानीय निकायों के बैंक खातों में राशि प्रदान की। इसके पश्चात, पदाभिहित अधिकारी संबल पोर्टल पर प्रकरण स्वीकृत करते हैं एवं श्रम विभाग स्वीकृत प्रकरणों का भुगतान प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डी.बी.टी.) के माध्यम से करता है।

वर्ष 2018-19 से 2021-22 के दौरान संबल योजना (योजना कोड-2365) के अंतर्गत बजट आवंटन एवं व्यय **तालिका-2.3.6** में दिया गया है:

*[109] श्रमिक आई.डी. 111302548, 191130589, 167983693, 148614800, 106623609, 173050372 एवं 113892439*

| **तालिका 2.3.6: बजट आवंटन एवं व्यय का विवरण** (₹ करोड़ में) | | |
|---|---|---|
| **अवधि** | **आवंटन** | **व्यय (प्रतिशत में)** |
| 2018-19 | 799.99 | 774.95 (96.87) |
| 2019-20 | 641.61 | 551.59 (85.97) |
| 2020-21 | 736.00 | 736.00 (100) |
| 2021-22 | 1325.00 | 1325.00 (100) |
| **कुल** | **3502.60** | **3387.54 (96.71)** |

**(स्रोत: श्रम आयुक्त कार्यालय, मध्य प्रदेश एवं संबंधित वर्षों के वित्त लेखों से एकत्रित आंकड़े)**

उपर्युक्त तालिका से देखा जा सकता है कि विभाग ने वर्ष 2018-19 एवं 2019-20 को छोड़कर आवंटित राशि का 100 प्रतिशत उपयोग किया जाना प्रतिवेदित किया। श्रम आयुक्त, मध्य प्रदेश की कैश बुक एवं वाउचरों की जांच से पता चला कि श्रम आयुक्त ने कोषालय से राशि निकाली एवं श्रम आयुक्त के एक बैंक खाते में जमा की। हमने देखा कि मार्च 2019, 2020, 2021 एवं 2022 के अंत में श्रम आयुक्त (संबल योजना) के बैंक खाते में क्रमशः ₹9.82 करोड़, ₹40.55 करोड़, ₹0.52 करोड़ एवं ₹372.73 करोड़ की बड़ी धनराशि रखी थी। आगे, हमने देखा कि लेखापरीक्षित शहरी स्थानीय निकायों/पंचायती राज संस्थाओं के पास ₹6.26 करोड़ अनुपयोगी पड़े थे जैसा कि अनुवर्ती **कंडिका 2.3.8.3** में चर्चा की गई है।

शासन ने उत्तर दिया (जून 2023 एवं मार्च 2024) कि संबल योजना के तहत भुगतान एक सतत प्रक्रिया थी एवं बजट राशि का पूर्ण उपयोग किया गया था।

उत्तर भ्रामक है क्योंकि वर्ष 2019-22 के दौरान मार्च माह के अंत में श्रम आयुक्त के बैंक खाते में अनुपयुक्त पड़ी बड़ी धनराशि पर उत्तर में कुछ नहीं कहा गया है।

***अनुशंसा-9: मध्य प्रदेश शासन को फर्जी उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने वाले अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई करनी चाहिए।***

### *2.3.8.1 बैंक खाते में अनियमित जमा*

मध्य प्रदेश वित्तीय संहिता (खंड-I) के नियम 6 में उल्लिखित है कि जब तक अन्यथा किसी कानून अथवा नियम अथवा कानून की शक्ति निहित आदेश द्वारा स्पष्ट रूप से अधिकृत नहीं किया जाता, तब तक वित्त विभाग की सहमति के बिना निवेश अथवा अन्यत्र जमा करने के लिए समेकित निधि एवं लोक लेखा से राशि नहीं निकाला जा सकता है।

प्रमुख सचिव, श्रम विभाग के कार्यालय में अभिलेखों की जांच से पता चला कि वित्त विभाग ने अंत्येष्टि सहायता की धनराशि रखने के लिए एक बैंक खाता खोलने की सहमति प्रदान (जुलाई 2018) की। तदनुसार, श्रम विभाग ने अगस्त 2018 में पंजाब नेशनल बैंक, इंदौर में एक बैंक खाता खोला। हमने देखा कि आयुक्त, श्रम विभाग ने वर्ष 2018-22 के दौरान राशि ₹2,077 करोड़ की अनुग्रह सहायता निधि आहरित की एवं इस बैंक खाते में जमा की। 31 मार्च 2022 को इस बैंक खाते में शेष राशि ₹372.73 करोड़ थी। इस बैंक खाते में अनुग्रह सहायता राशि जमा करना अनियमित था क्योंकि वित्त विभाग ने बैंक खाते में केवल अंत्येष्टि सहायता की राशि रखने की अनुमति दी थी।

इस प्रकार, विभाग ने ₹2,077 करोड़ की बड़ी धनराशि अनियमित रूप से बैंक खाते में जमा करके लेखांकन सिद्धांतों का उल्लंघन किया। शासकीय निधि को अनियमित रूप से बैंक खाते में जमा करना शासकीय निधि के अस्थायी दुर्विनियोजन का कारण बना।

शासन ने उत्तर दिया (जून 2023 एवं मार्च 2024) कि विभाग ने संभावित सिंगल क्लिक के लिए ₹375 करोड़ की मांग की (मार्च 2022)। 16 मई 2022 को, 25,982 लाभार्थियों को सिंगल क्लिक के माध्यम से भुगतान किया गया। सिंगल क्लिक नहीं होने के कारण, राशि नोडल बैंक खाते में ही रह गयी।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि नोडल बैंक खाते में अनुग्रह सहायता निधि के अनियमित जमा पर उत्तर में कुछ नहीं कहा गया है जबकि वित्त विभाग ने केवल अंत्येष्टि सहायता राशि को नोडल बैंक खाते में जमा करने की सहमति दी थी। आगे, यदि धनराशि नियत समय में लाभार्थियों को हस्तांतरित नहीं की गई थी, तो इसे शासकीय खाते में वापस कर दिया जाना चाहिए था।

***अनुशंसा-10: मध्य प्रदेश शासन को शीघ्र विभाग को अनुग्रह राशि शासकीय खाते में वापस करने हेतु निर्देशित करना चाहिए।***

#### *2.3.8.2 शासकीय खाते में ब्याज जमा न होना*

वित्त विभाग, मध्य प्रदेश शासन ने निर्देशित (मई 2011) किया कि आहरण एवं संवितरण अधिकारी उन प्रकरणों में जहां अर्जित ब्याज राशि को योजना में उपयोग करने की अनुमति नहीं थी बैंक खातों में जमा राशि पर अर्जित ब्याज को शासकीय खाता शीर्ष "0049-ब्याज प्राप्ति" में जमा करेगा।

श्रम आयुक्त, मध्य प्रदेश के कार्यालय के अभिलेखों की जांच से पता चला कि श्रम आयुक्त ने बैंक खाता संचालित किया तथा उसमें अंत्येष्टि सहायता एवं अनुग्रह सहायता की धनराशि रखी। हमने देखा कि वर्ष 2018-22 के दौरान, बैंक खाते में जमा राशि पर ₹3.86 करोड़ का ब्याज

अर्जित हुआ था जिसे शासकीय खातों में जमा नहीं किया गया था। इस प्रकार, श्रम आयुक्त ने वित्त विभाग के निर्देशों का अनुपालन नहीं किया।

शासन ने उत्तर दिया (जून 2023) कि बचत बैंक खाते में जमा धनराशि पर अर्जित ब्याज का उपयोग योजना के अंतर्गत सहायता के भुगतान के लिए किया गया। शासन ने आगे उत्तर दिया (मार्च 2024) कि ब्याज राशि को शासकीय प्राप्ति मद में जमा करने की प्रक्रिया जारी है।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि वित्त विभाग, मध्य प्रदेश शासन के निर्देशानुसार (मई 2011) अर्जित ब्याज शासकीय खाते में जमा किया जाना था। आगे, विभाग ने सहायता के भुगतान के लिए ब्याज राशि के उपयोग हेतु आदेश की प्रति प्रेषित नहीं की।

#### ***2.3.8.3 स्थानीय निकायों के पास निधि का अवरुद्ध रहना***

श्रम विभाग, मध्य प्रदेश शासन ने प्रत्यक्ष लाभ अंतरण द्वारा लाभ प्रदान करने के प्रारंभ[110] से पूर्व अनुग्रह सहायता के लाभ के वितरण तथा कंप्यूटर की खरीद तथा स्मार्ट कार्ड एवं ब्रोशर की छपाई के लिए पंचायती राज संस्थाओं (जिला पंचायत एवं जनपद पंचायत) के एकल बैंक खाते में धनराशि प्रदान की थी।

चयनित जिलों के अभिलेखों की जांच से पता चला कि जिला पंचायत, जनपद पंचायत एवं नगर निगम/पालिका ने संबल योजना की अनुपयोगी राशि ₹6.26 करोड़ श्रम आयुक्त, मध्य प्रदेश को वापस नहीं की जैसा कि ***परिशिष्ट-2.3.14*** में वर्णित है। हमने देखा कि श्रम विभाग ने सभी मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत को उनके पास पड़ी निधि वापस करने के लिए परिपत्र जारी (सितंबर 2018) किया था। यद्यपि, लेखापरीक्षित नौ जिला पंचायतों (जिला पंचायत, सतना को छोड़कर) में से किसी ने भी अनुपयोगी धनराशि वापस नहीं की। हमने यह भी देखा कि श्रम विभाग ने अनुपयोगी धनराशि की वापसी के लिए शहरी स्थानीय निकायों/पंचायती राज संस्थाओं से आगामी कोई पत्राचार नहीं किया था।

आगे, हमने देखा कि श्रम विभाग ने यह सुनिश्चित करने के लिए कि शहरी स्थानीय निकायों/पंचायती राज संस्थाओं द्वारा कितनी निधि का उपयोग किया गया एवं कितनी निधि उनके पास अनुपयोगी थी अभिलेख संधारित नहीं किये थे जो यह दर्शाता है कि विभाग का वित्तीय प्रबंधन दोषपूर्ण था।

---

[110] *प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डी.बी.टी.) की शुरुआत 6 दिसंबर 2019 से हुई थी*

शासन ने उत्तर दिया (जून 2023 एवं मार्च 2024) कि विभाग ने सभी कलेक्टर, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, नगर निगम, नगर पालिका, जनपद पंचायत को उपयोगिता प्रमाण पत्र भेजने का निर्देश (अक्टूबर 2019) दिया था।

उत्तर सामान्य है तथा समय पर एवं प्रभावी प्रतीत नहीं होता है क्योंकि विभाग लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने के बाद भी शासकीय शीर्ष में राशि जमा कराना सुनिश्चित नहीं कर सका।

***अनुशंसा-11: विभाग को शहरी स्थानीय निकायों/पंचायती राज संस्थाओं के पास अनुपयोगी पड़ी निधि की वसूली की कार्रवाई में तेजी लाने एवं ब्याज राशि को शीघ्र शासकीय खाते में जमा करने के लिए कार्यवाही करनी चाहिए।***

## 2.3.9 निगरानी

### *2.3.9.1 सहायता राशि की स्वीकृति एवं संवितरण में विलंब*

संबल योजना (मई 2018) के योजना दिशानिर्देश प्रावधान करते है कि अनुग्रह सहायता के लिए प्राप्त आवेदन, इसके प्राप्त होने के 15 दिनों के भीतर अनिवार्य रूप से निपटाया जाएगा।

एन.आई.सी. डेटा एवं संबल योजना के संयुक्त बैंक खाता के डेटा की जांच से पता चला कि अनुग्रह सहायता के 1,68,342 में से 1,07,076 (64 प्रतिशत) प्रकरणों में, पदाभिहित अधिकारियों ने एक से 1,272 दिनों के विलंब से लाभ स्वीकृत किया जैसा कि **तालिका-2.3.7** में वर्णित है।

**तालिका-2.3.7: लाभ की स्वीकृति में विलंब**

| स. क्र. | दावे की स्वीकृति में पदाभिहित कार्यालय स्तर पर विलंब | |
|---|---|---|
| | **प्रकरणों की संख्या** | **विलंब (दिनों में)** |
| 1. | 93,602 | 1 से 180 |
| 2. | 9,669 | 181 से 365 |
| 3. | 3,805 | 366 से 1272 |

**(स्रोत: श्रम विभाग द्वारा उपलब्ध कराए गए एन.आई.सी. डेटा एवं बैंक डेटा)**

अनुग्रह सहायता की स्वीकृति एवं भुगतान डेटा के आगे के विश्लेषण से पता चला कि राशि ₹1,349.92 करोड़ के 60,674 प्रकरणों में, श्रम विभाग ने दो से 1,013 दिनों के विलंब से भुगतान संवितरित किया जैसा कि **तालिका-2.3.8** में वर्णित है।

| तालिका-2.3.8: लाभ की स्वीकृति के बाद भुगतान में विलंब | | | |
|---|---|---|---|
| स. क्र. | अंतिम भुगतान में विभाग स्तर पर विलंब | | |
| | प्रकरणों की संख्या | विलंब (दिनों में) | राशि (₹ करोड़ में) |
| 1. | 31,512 | 2 से 180 | 699.08 |
| 2. | 19,495 | 181 से 365 | 431.72 |
| 3. | 9,667 | 366 से 1013 | 219.12 |

**(स्रोत: श्रम विभाग द्वारा उपलब्ध कराए गए एन.आई.सी. डेटा एवं बैंक डेटा)**

आगे चयनित जनपद पंचायतों एवं नगर निगम/पालिका के अभिलेखों की जांच से पता चला कि 12,141 में से 7,417 प्रकरणों (61 प्रतिशत) में, पदाभिहित अधिकारियों ने एक से 1,130 दिनों के विलंब से अनुग्रह सहायता स्वीकृत की। इसके अलावा, 4,101 प्रकरणों (34 प्रतिशत) में, श्रम विभाग ने आठ से 996 दिनों के विलंब से अनुग्रह सहायता संवितरित की।

हमने आगे देखा कि तीन कार्यालयों में, मार्च 2022 में अथवा उससे पहले प्राप्त 31[111] प्रकरण अभी भी बिना किसी कारण के (24 प्रकरणों में) अथवा भौतिक सत्यापन में विलंब के कारण स्वीकृति के लिए लंबित थे। यह भी देखा गया कि 512 प्रकरणों में जहां पदाभिहित अधिकारियों ने मार्च 2022 में अथवा उससे पहले स्वीकृति दे दी थी, भुगतान अभी भी लंबित थे क्योंकि भुगतान श्रम विभाग द्वारा प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के माध्यम से किया जाना था।

विलंब के कारणों का पता लगाने के लिए लेखापरीक्षा ने प्रत्येक चयनित पदाभिहित कार्यालय में 10 प्रकरणों की विस्तृत जांच भी की। इन चयनित प्रकरणों की जांच से पता चला कि पदाभिहित अधिकारियों ने बिना किसी कारण के विलंब किया अथवा असंगठित श्रमिकों को अनियमित रूप से अपात्र घोषित करने के कारण विलंब हुआ एवं अपील के बाद इन श्रमिकों को अपीलीय प्राधिकारी द्वारा पात्र घोषित किया गया अथवा भौतिक सत्यापन में विलंब हुआ।

मध्य प्रदेश शहरी एवं ग्रामीण असंगठित कर्मकार कल्याण मण्डल के अभिलेखों की जांच से यह भी पता चला कि 2,993 प्रकरणों में, सचिव, मध्य प्रदेश शहरी एवं ग्रामीण असंगठित कर्मकार कल्याण बोर्ड ने प्राथमिकता क्रम तोड़ते हुए अनुग्रह सहायता का लाभ प्रदान किया क्योंकि इन मृत असंगठित श्रमिकों के उत्तराधिकारियों ने मुख्य मंत्री हेल्पलाइन पर शिकायत की थी। इस प्रकार, मुख्य मंत्री हेल्पलाइन की शिकायत के निराकरण के लिए, भुगतान के प्राथमिकता[112]

---

[111] *नगर पालिका, भिंड (6), जनपद पंचायत, कन्नौद, देवास (1) एवं नगर निगम, जबलपुर (24)।*

[112] *श्रम विभाग के आदेश (मई 2021) में उल्लेखित है कि अनुग्रह सहायता का भुगतान असंगठित श्रमिक की मृत्यु के दिनांक के प्राथमिकता क्रम में होगा।*

क्रम का उल्लंघन करते हुए भुगतान किया गया एवं जिन लाभार्थियों ने शिकायत नहीं की उन्हें अनुग्रह सहायता का लाभ विलंब से प्राप्त हुआ।

शासन ने उत्तर दिया (जून 2023 एवं मार्च 2024) कि सहायता स्वीकृत करने से पहले, लाभार्थी एवं उत्तराधिकारी का भौतिक सत्यापन किया जाना था। कई मामलों में, संबंधित व्यक्ति के उपलब्ध न होने एवं प्रासंगिक अभिलेख जमा न करने के कारण सहायता की स्वीकृति एवं भुगतान में विलंब हुआ। संबल 2.0 योजना में, सत्यापन सहित सभी प्रक्रिया ऑनलाइन है। समय सीमा में सेवा उपलब्ध कराने के लिए इस योजना को लोक सेवा गारंटी अधिनियम में शामिल किया गया है। आगे, लाभार्थियों की समस्याओं एवं समयसीमा के सत्यापन के बाद मुख्य मंत्री हेल्पलाइन के मामलों में प्राथमिकता क्रम तोड़ा गया। इसके अलावा, प्रकरणों के त्वरित निस्तारण के लिए एम.आई.एस. के माध्यम से राज्य स्तरीय निगरानी भी की जा रही है।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि विभाग ने उन प्रकरणों का विवरण प्रस्तुत नहीं किया जो संबंधित व्यक्ति की गैर-मौजूदगी एवं प्रासंगिक अभिलेख जमा न करने के कारण विलंबित हुए थे।

***अनुशंसा-12: विभाग को सहायता की स्वीकृति एवं संवितरण में विलंब के लिए उत्तरदायित्व निर्धारित करनी चाहिए।***

### *2.3.9.2 नोडल अधिकारियों द्वारा निगरानी न करना*

श्रम विभाग, मध्य प्रदेश शासन ने जिला प्रशासन, जिला पंचायत, जनपद पंचायत एवं शहरी स्थानीय निकायों के साथ समन्वय बनाने एवं श्रम विभाग द्वारा जारी निर्देशों के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए संभाग/जिला श्रम कार्यालयों के अधिकारियों को नोडल अधिकारी नियुक्त (मई 2021) किया। नोडल अधिकारियों को यह सुनिश्चित करना था कि पदाभिहित अधिकारियों ने दावा आवेदनों का समयबद्ध तरीके से निपटान किया था एवं अंत्येष्टि सहायता का भुगतान एक दिवस के भीतर किया जा रहा था।

चयनित 10 जिलों के नोडल कार्यालयों के अभिलेखों की जांच से पता चला कि 10 में से नौ (भिंड को छोड़कर) नोडल कार्यालयों ने प्रकरणों के समय पर निपटान की निगरानी के लिए पदाभिहित कार्यालयों को कोई निर्देश जारी नहीं किया था। भिंड जिले में, नोडल अधिकारी ने एक मासिक पत्रक निर्धारित किया था, हालांकि, हमें जिला श्रम अधिकारी, भिंड के अभिलेख में ऐसी मासिक पत्रकों की प्रतियां नहीं मिलीं जो दर्शाता है कि लेखापरीक्षित जिलों में सहायक श्रम आयुक्त/जिला श्रम अधिकारियों ने कोई निगरानी नहीं की थी।

यह देखा जा सकता है कि श्रम विभाग ने योजना के प्रारंभ (मार्च 2018) से तीन वर्ष व्यतीत हो जाने के बाद जिला स्तरीय निगरानी एवं समन्वय के लिए नोडल अधिकारियों की नियुक्ति

(मई 2021) की। नोडल अधिकारियों (सहायक श्रम आयुक्त/जिला श्रम अधिकारी) को लाभार्थियों को सहायता की प्रगति एवं समय पर स्वीकृति की समीक्षा करने के लिए, तथापि, संबल पोर्टल पर कोई लॉगिन एक्सेस प्रदान नहीं किया गया था। निगरानी नहीं होने के कारण, लाभार्थियों को अंत्येष्टि सहायता एवं अनुग्रह सहायता का लाभ समय पर नहीं मिल सका।

शासन ने उत्तर दिया (जून 2023 एवं मार्च 2024) कि योजना के समय पर कार्यान्वयन के लिए, श्रम अधिकारियों जिन्हें नोडल अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया था, ने आयुक्त, नगर निगम/मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत के साथ बैठकें/वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की। यद्यपि, पदाभिहित अधिकारी श्रम विभाग के अधिकारियों के प्रत्यक्ष नियंत्रण में नहीं हैं, इसलिए, वे निर्देशों का पालन करने के लिए बाध्य नहीं हैं। इस संबंध में, कलेक्टर एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत के माध्यम से निर्देश जारी किए गए थे। जैसे की, पदाभिहित अधिकारियों ने इन निर्देशों के अनुपालन में रुचि नहीं दिखाई, ऐसे उदाहरण सामने आए। नोडल अधिकारी पर्याप्त प्रयास कर रहे हैं। आगे, जिला कलेक्टरों को योजना की समीक्षा एवं लंबित प्रकरणों के निराकरण के निर्देश दिये गये हैं।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि विभाग केवल यह कहकर अपना बचाव नहीं कर सकता कि पदाभिहित अधिकारी विभागीय अधिकारियों के प्रत्यक्ष नियंत्रण में नहीं हैं। विभाग को पदाभिहित अधिकारियों को नियंत्रित करने के लिए पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग तथा नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग से समन्वय करना चाहिए।

***अनुशंसा-13: विभाग को योजना की प्रभावी निगरानी में कमी के लिए जिला स्तरीय अधिकारियों का उत्तरदायित्व निर्धारित करना चाहिए।***

### *2.3.9.3 नोडल अधिकारी का स्पष्टीकरण/अपीलीय प्राधिकारी का निर्णय त्रुटिपूर्ण होना*

श्रम विभाग ने अपने परिपत्र (जुलाई 2018) में असंगठित श्रमिक की पात्रता परिभाषित करते हुए कहा कि यदि असंगठित श्रमिक अथवा उसके पति/पत्नी के पास 2.5 एकड़ (एक हेक्टेयर) से अधिक भूमि है, तो दोनों को असंगठित श्रमिक नहीं माना जाएगा।

- जनपद पंचायत, सोहागपुर, होशंगाबाद के अभिलेखों की जांच से पता चला कि 20 प्रकरणों में, मुख्य कार्यपालन अधिकारी ने मृत असंगठित श्रमिकों के उत्तराधिकारियों को ₹44 लाख की अनुग्रह सहायता राशि इस आधार पर अस्वीकृत कर दिया कि मृत असंगठित श्रमिक के परिवार के सदस्य के पास एक हेक्टेयर से अधिक भूमि था अथवा मृत असंगठित श्रमिक के संयुक्त नाम पर एक हेक्टेयर से अधिक भूमि थी। हमने देखा कि सहायक श्रम आयुक्त, होशंगाबाद ने स्पष्टीकरण (सितंबर 2020) दिया कि यदि मृत असंगठित श्रमिक के परिवार के पास एक हेक्टेयर से अधिक भूमि था, तो श्रमिक सहायता

के लिए पात्र नहीं होगा। यद्यपि, योजना के दिशानिर्देशों के अनुसार, असंगठित श्रमिक अथवा उसके पति/पत्नी के पास एक हेक्टेयर से अधिक भूमि नहीं होनी चाहिए। आवेदनों के साथ संलग्न दस्तावेजों की जांच से पता चला कि सभी 20 प्रकरणों में मृत असंगठित श्रमिक के नाम पर भूमि या तो शून्य थी या भूमि का हिस्सा एक हेक्टेयर से कम था। इस प्रकार, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, सोहागपुर ने अनियमित रूप से सहायता अस्वीकृत किया।

- अपीलीय प्राधिकारी, होशंगाबाद में अपील प्रकरणों के अभिलेखों की जाँच से पता चला कि 10 प्रकरणों में, अपीलीय प्राधिकारी ने अपील निरस्त कर दिया एवं इस आधार पर लाभ से इंकार किया कि मृत असंगठित श्रमिक के परिवार के सदस्य के पास एक हेक्टेयर से अधिक भूमि थी अथवा मृत असंगठित श्रमिक के संयुक्त नाम पर एक हेक्टेयर से अधिक भूमि थी। अभिलेखों की जांच से पता चला कि सभी 10 प्रकरणों में मृत असंगठित श्रमिक के नाम पर भूमि या तो शून्य थी या भूमि का हिस्सा एक हेक्टेयर से कम था। हमने आगे पाया कि एक मामले में अपीलीय प्राधिकारी ने अपील निरस्त किया एवं इस आधार पर लाभ से इंकार किया कि मृत असंगठित श्रमिक के पिता शासकीय कर्मचारी थे एवं अब वह पेंशनभोगी हैं। इस प्रकार, अपीलीय प्राधिकारी द्वारा पात्रता मानदंड की गलत व्याख्या के कारण, 11 लाभार्थी योजनांतर्गत ₹22 लाख की अनुग्रह सहायता के लाभ से वंचित रह गए।

विवरण ***परिशिष्ट-2.3.15 (क) एवं 2.3.15 (ख)*** में दिया गया है।

शासन ने उत्तर दिया (जून 2023 एवं मार्च 2024) कि दोषी अधिकारी के विरूद्ध कार्रवाई की गई थी। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये गये प्रकरणों में की गई सुधारात्मक कार्रवाई पर उत्तर में कुछ नहीं कहा गया है।

#### *2.3.9.4 संबल पोर्टल पर जांच एवं सत्यापन का अभाव*

संबल पोर्टल पर जाँच सत्यापन का अभाव था जैसा कि नीचे चर्चा की गई है:

- संबल पोर्टल पर 18 वर्ष से 60 वर्ष की आयु के आवेदकों का पंजीकरण स्वीकार करने के लिए जांच एवं सत्यापन होना चाहिए था। हमने देखा कि पोर्टल ने पंजीकरण के दिनांक को 60 वर्ष से अधिक आयु के एक आवेदक का पंजीकरण स्वीकार कर लिया।
- इसी तरह, संबल पोर्टल में मृत पंजीकृत श्रमिक के 60 वर्ष से अधिक आयु के होने पर, चेतावनी जारी करने के लिए जांच एवं सत्यापन होना चाहिए था।

- अनियमित भुगतान को रोकने के लिए संबल पोर्टल को ऐसे आवेदन स्वीकार नहीं करने चाहिए थे जिनमें मृत्यु का दिनांक असंगठित श्रमिक के रूप में पंजीकरण के दिनांक से पहले का हो।

शासन ने उत्तर दिया (जून 2023 एवं मार्च 2024) कि संबल 2.0 पोर्टल मई 2022 से शुरू किया गया था एवं संबल 2.0 में सभी विसंगतियों को सुधार लिया गया था।

***अनुशंसा-14: विभाग को 60 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों को सहायता के अनियमित भुगतान को रोकने के लिए पोर्टल में जांच एवं सत्यापन शामिल करना चाहिए।***

### 2.3.10 निष्कर्ष

श्रम विभाग ने राज्य के असंगठित श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने एवं उनके हितों को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री जन कल्याण (संबल) योजना लागू की। विभाग ने श्रमिकों के पंजीकरण के लिए दोषपूर्ण प्रक्रिया अपनाई क्योंकि भौतिक सत्यापन के दौरान 67.48 लाख (31 प्रतिशत) पंजीकृत श्रमिकों को अपात्र घोषित कर दिया गया। आगे, भौतिक सत्यापन की प्रक्रिया भी दोषपूर्ण थी क्योंकि 14.34 लाख श्रमिकों को उनकी अपात्रता हेतु विशिष्ट कारण बताए बिना भौतिक सत्यापन के दौरान अपात्र घोषित कर दिया गया था। हमने देखा कि अपात्र श्रमिकों को पुन: सत्यापन के दौरान एवं अपीलीय प्राधिकारी द्वारा पात्र पाया गया।

आगे, हमने योजना निधि से राशि ₹2.47 करोड़ का संदिग्ध कपटपूर्वक आहरण तथा एक कर्मचारी एवं कर्मचारी के रिश्तेदारों के बैंक खाते में जमा किया जाना, योजना के अंतर्गत ₹1.57 करोड़ के अस्वीकार्य अनुग्रह सहायता का अनियमित भुगतान एवं 60 वर्ष से अधिक आयु के अपात्र व्यक्तियों को अनुग्रह सहायता की राशि ₹1.04 करोड़ का अनियमित भुगतान देखा। हमने सहायता ₹1.72 करोड़ का अधिक भुगतान, ₹14 लाख दोहरा भुगतान एवं अपात्र व्यक्तियों को ₹60 लाख की सहायता की अनियमित स्वीकृति के मामले भी देखे। हमने आगे देखा कि व्यक्तियों को उनकी मृत्यु के बाद पंजीकृत किया गया एवं ₹66 लाख की अनुग्रह सहायता राशि संवितरित की गई।इसके अतिरिक्त, प्राधिकृत कार्यालयों ने 4,398 प्रकरणों में अंत्येष्टि सहायता का भुगतान नहीं किया।

वित्तीय प्रबंधन दोषपूर्ण था क्योंकि विभाग ने शहरी स्थानीय निकायों/पंचायती राज संस्थाओं को आवंटित ₹6.26 करोड़ की निष्क्रिय निधि के उपयोग की निगरानी नहीं की एवं ब्याज की राशि ₹3.86 करोड़ भी शासकीय खाते में जमा नहीं की।

हमने 1,07,076 प्रकरणों (64 प्रतिशत) में सहायता राशि की स्वीकृति में तीन वर्ष एवं छः माह तक का विलंब देखा। विभाग ने जिला स्तर पर योजना की निगरानी के लिए जिला श्रम अधिकारियों को नोडल अधिकारी नियुक्त किया था, हालांकि, हमने देखा कि लेखापरीक्षित जिलों के जिला श्रम अधिकारियों द्वारा योजना की कोई निगरानी नहीं की गई थी। संबल पोर्टल में जांच एवं सत्यापन का अभाव था जिसके परिणामस्वरूप 60 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों को सहायता की अनियमित स्वीकृति एवं संवितरण हुआ।

**ग्वालियर**
**दिनांक : 12 दिसम्बर 2024**

**(प्रिया पारिख)**
**महालेखाकार (लेखापरीक्षा-I),**
**मध्य प्रदेश**

**प्रतिहस्ताक्षरित**

**नई दिल्ली**
**दिनांक : 24 दिसम्बर 2024**

**(के. संजय मूर्ति)**
**भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक**

# परिशिष्ट

# परिशिष्ट-1.1

## (संदर्भ: कंडिका सं. 1.6.1, पृष्ठ सं. 6)

## बकाया निरीक्षण प्रतिवेदनों एवं कंडिकाओं का विभागवार विवरण

| क्र.सं. | विभाग का नाम | 31 मार्च 2023 तक की स्थिति में लंबित निरीक्षण प्रतिवेदनों/कंडिकओं की संख्या | |
|---|---|---|---|
| | | निरीक्षण प्रतिवेदन | कंडिकाएं |
| 1. | पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग | 1,620 | 6,489 |
| 2. | जेल विभाग | 98 | 199 |
| 3. | विधि एवं विधायी कार्य विभाग | 266 | 531 |
| 4. | गृह विभाग | 337 | 909 |
| 5. | महिला एवं बाल विकास विभाग | 998 | 2,998 |
| 6. | जनजातीय कार्य विभाग | 721 | 2,143 |
| 7. | विमुक्त घुमन्तु एवं अर्ध्द घुमन्तु कल्याण विभाग | 6 | 18 |
| 8. | पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग | 123 | 492 |
| 9. | अनुसूचित जाति कल्याण विभाग | 207 | 897 |
| 10. | आयुष विभाग | 228 | 695 |
| 11. | सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग | 331 | 1,084 |
| 12. | भोपाल गैस त्रासदी एवं पुनर्वास विभाग | 21 | 66 |
| 13. | पुनर्वास विभाग | 12 | 28 |
| 14. | लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग | 1,006 | 5,094 |
| 15 | चिकित्सा शिक्षा विभाग | 207 | 1,036 |
| 16. | उच्च शिक्षा विभाग | 809 | 3,400 |
| 17. | स्कूल शिक्षा विभाग | 2,361 | 8,351 |
| 18. | श्रम विभाग | 191 | 464 |
| 19. | खेल एवं युवा कल्याण विभाग | 122 | 423 |

| क्र.सं. | विभाग का नाम | 31 मार्च 2023 तक की स्थिति में लंबित निरीक्षण प्रतिवेदनों/कंडिकओं की संख्या | |
|---|---|---|---|
| | | निरीक्षण प्रतिवेदन | कंडिकाएं |
| 20. | तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग | 396 | 1,307 |
| 21. | पशुपालन एवं डेयरी विभाग | 99 | 496 |
| 22. | सहकारिता विभाग | 84 | 873 |
| 23. | किसान कल्याण एवं कृषि विकास विभाग | 196 | 1,194 |
| 24. | मछुआ कल्याण तथा मत्स्य विकास विभाग | 21 | 62 |
| 25. | खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग | 135 | 357 |
| 26. | उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग | 43 | 331 |
| 27. | नर्मदा घाटी विकास विभाग | 72 | 239 |
| 28. | कुटीर और ग्रामोद्योग विभाग | 27 | 248 |
| 29. | जल संसाधन विभाग | 282 | 1,739 |
| 30. | सामान्य प्रशासन विभाग | 132 | 352 |
| 31. | संसदीय कार्य (राज्य विधानसभा) विभाग | 8 | 15 |
| 32. | जनसंपर्क विभाग | 28 | 89 |
| 33. | राजस्व विभाग | 2,652 | 9,127 |
| **योग** | | **13,839** | **51,746** |

# परिशिष्ट-1.2

## (संदर्भ: कंडिका सं. 1.6.3, पृष्ठ सं. 8)

## व्याख्यात्मक टिप्पणी हेतु बकाया कंडिकाओं का विभागवार विवरण

| क्र.सं. | लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का वर्ष | विभाग का नाम | 31.03.2023 की स्थिति में बकाया व्याख्यात्मक टिप्पणी | राज्य विधान सभा सदन में प्रस्तुति की तारीख | विभागीय उत्तर प्राप्त होने की नियत तिथि |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2016-17 (राजस्व क्षेत्र) | राजस्व विभाग | 03 | 09.01.2019 | 09.04.2019 |
| 2. | 2017-18 (सामान्य एवं सामाजिक क्षेत्र) | लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग | 03 | 21.09.2020 | 21.12.2020 |
| | | राजस्व विभाग | 01 | | |
| 03 | 2017-18 (राजस्व क्षेत्र) | राजस्व विभाग | 02 | 21.09.2020 | 21.12.2020 |
| 04 | 2017-18 (आर्थिक क्षेत्र) | जल संसाधन विभाग | 01 | 21.09.2020 | 21.12.2020 |
| 05 | 2018-19 (सामान्य एवं सामाजिक क्षेत्र) | खेल एवं युवा कल्याण विभाग | 01 | 21.12.2021 | 21.03.2022 |
| | | गृह विभाग | 02 | | |
| | | जनजातीय कार्य विभाग | 01 | | |
| 06 | 2018-19 (राजस्व क्षेत्र) | राजस्व विभाग | 03 | 21.12.2021 | 21.03.2022 |
| 07 | 2018-19 (आर्थिक क्षेत्र) | जल संसाधन विभाग | 01 | 21.12.2021 | 21.03.2022 |
| | | पशुपालन एवं डेयरी विभाग | 01 | | |
| | | किसान कल्याण एवं कृषि विकास विभाग | 01 | | |
| **योग** | | | **20** | | |

## परिशिष्ट 1.3

**(संदर्भ: कंडिका सं. 1.6.4, पृष्ठ सं. 8)**

**31 मार्च 2023 की स्थिति में मध्य प्रदेश शासन से लोक लेखा समिति की सिफारिशों पर कार्यवाही टिप्पणी (ए.टी.एन.) प्राप्त होनी थी**

| क्र.सं. | विभाग का नाम | चतुर्दश विधान सभा 2013-2018 | | पंचदश विधान सभा 2018 से अब तक | | योग | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ए.टी.एन. की संख्या | ए.टी.एन. में शामिल कंडिकाएं | ए.टी.एन. की संख्या | ए.टी.एन. में शामिल कंडिकाएं | ए.टी.एन. की संख्या | ए.टी.एन. में शामिल कंडिकाएं |
| 1. | पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग | 03 | 04 | 01 | 02 | 04 | 06 |
| 2. | नर्मदा घाटी विकास विभाग | 01 | 04 | 01 | 01 | 02 | 05 |
| 3. | पशुपालन एवं डेयरी विभाग | 01 | 01 | - | - | 01 | 01 |
| 4. | अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग | 01 | 01 | - | - | 01 | 01 |
| 5. | राजस्व विभाग | 07 | 26 | - | - | 07 | 26 |
| 6. | जनजातीय कल्याण विभाग | 01 | 01 | - | - | 01 | 01 |
| 7 | गृह विभाग | 01 | 02 | - | - | 01 | 02 |

| **क्र.सं.** | **विभाग का नाम** | **चतुर्दश विधान सभा 2013-2018** | | **पंचदश विधान सभा 2018 से अब तक** | | **योग** | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **ए.टी.एन. की संख्या** | **ए.टी.एन. में शामिल कंडिकाएं** | **ए.टी.एन. की संख्या** | **ए.टी.एन. में शामिल कंडिकाएं** | **ए.टी.एन. की संख्या** | **ए.टी.एन. में शामिल कंडिकाएं** |
| 8 | किसान कल्याण एवं कृषि विकास विभाग | 02 | 02 | - | - | 02 | 02 |
| 9 | लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग | 02 | 06 | 01 | 02 | 03 | 08 |
| 10 | श्रम विभाग | 01 | 01 | - | - | 01 | 01 |
| 11 | जल संसाधन विभाग | 01 | 03 | - | - | 01 | 03 |
| 12 | सामाजिक न्याय विभाग | 01 | 01 | - | - | 01 | 01 |
| 13 | सहकारी विभाग | 01 | 01 | - | - | 01 | 01 |
| 14 | महिला एवं बाल विकास विभाग | - | - | 02 | 02 | 02 | 02 |
| **योग** | | | | | | **28** | **60** |

## परिशिष्ट 2.1.1

**(संदर्भ: कंडिका क्रमांक 2.1.6, पृष्ठ क्रमांक 19)**

**योजनावार व्यय का विवरण**

| स. क्र. | अवधि | जिला | योजना 5504 | योजना 7249 | योजना 2018 | योजना 6422 | योग |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | (₹ करोड़ में) |
| 1 | 2018-22 | आगर-मालवा | 6.77 | 143.22 | 206.69 | 0.00 | 356.68 |
| 2 | 2018-22 | छतरपुर | 19.21 | 0.01 | 60.34 | 84.48 | 164.05 |
| 3 | 2018-22 | दमोह | 16.13 | 56.83 | 89.01 | 81.49 | 243.47 |
| 4 | 2018-22 | देवास | 24.76 | 296.00 | 133.60 | 0.00 | 454.36 |
| 5 | 2018-22 | खंडवा | 18.54 | 0.02 | 180.92 | 0.00 | 199.48 |
| 6 | 2018-22 | मन्दसौर | 18.52 | 0.03 | 362.66 | 0.00 | 381.20 |
| 7 | 2018-22 | रायसेन | 14.07 | 78.34 | 85.74 | 0.00 | 178.15 |
| 8 | 2018-22 | सतना | 22.05 | 0.02 | 16.50 | 47.32 | 85.90 |
| 9 | 2018-22 | सीहोर | 13.96 | 240.49 | 161.82 | 0.00 | 416.27 |
| 10 | 2018-22 | सिवनी | 25.39 | 7.92 | 68.47 | 0.00 | 101.78 |
| 11 | 2018-22 | श्योपुर | 3.84 | 0.02 | 172.37 | 8.44 | 184.67 |
| 12 | 2018-22 | शिवपुरी | 14.07 | 0.03 | 40.85 | 190.77 | 245.72 |
| 13 | 2018-22 | विदिशा | 19.52 | 370.75 | 81.47 | 208.32 | 680.05 |
| **योग** | | | **216.83** | **1,193.68** | **1,660.44** | **620.82** | **3,691.78** |

**(स्रोत: राहत आयुक्त, मध्य प्रदेश द्वारा दी गई जानकारी)**

# परिशिष्ट-2.1.2 (क)
## (संदर्भ: कंडिका क्रमांक 2.1.8.5, पृष्ठ क्रमांक 26)
## सिवनी जिले में वित्तीय सहायता के संदिग्ध कपटपूर्ण वितरण का विवरण

| स. क्र. | जाली स्वीकृति आदेश में अंकित अनधिकृत व्यक्ति का नाम | खाता संख्या जिसमें राशि का भुगतान किया गया | आई.एफ.एस.सी. कोड | बैंक अभिलेखों के अनुसार उन व्यक्तियों के नाम जिन्हें वास्तव में भुगतान किया गया | खाते में किए गए लेनदेनों की संख्या | इस खाते में कपटपूर्वक जमा की गई कुल राशि (₹ लाख में) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | रमेश | 32074932189 | एसबीआईएन0010825 | श्रेष्ठ अवधिया | 30 | 120.00 |
| 2 | दवारकाबाई | 2227576357 | सीबीआईएन0281101 | ललित सरयाम | 29 | 116.00 |
| 3 | रामकुमार | 3680264092 | सीबीआईएन0281101 | अजय यादव | 19 | 76.00 |
| 4 | विष्णु | 32074932677 | एसबीआईएन0010825 | विशेष अवधिया | 19 | 76.00 |
| 5 | हरेंद्र | 35839726100 | एसबीआईएन0000478 | श्री सुमित रजक | 19 | 76.00 |
| 6 | दीपक | 31791364692 | एसबीआईएन0002850 | दीपक | 17 | 68.00 |
| 7 | कमलाबाई | 32892112473 | एसबीआईएन0012187 | नितिन सेहोसे | 14 | 56.00 |
| 8 | विकास | 40914873639 | एसबीआईएन0000390 | राधेश्याम | 13 | 52.00 |
| 9 | देवीप्रसाद | 32924550232 | एसबीआईएन0010825 | श्रीमती रुक्मणी अवधिया | 11 | 44.00 |
| 10 | हर्षित | 3860006046 | सीबीआईएन0282041 | प्रशांत अवधिया | 10 | 40.00 |
| 11 | शुभम | 40928419442 | एसबीआईएन0000478 | संजय कुमार राय | 10 | 40.00 |
| 12 | हरीश | 20229701688 | एमएएचबी0000644 | अटल सिंह फतू लाल राय | 9 | 36.00 |
| 13 | जानकी | 25006469095 | एमएएचबी0000689 | राधेश्याम | 8 | 32.00 |
| 14 | सुखचैन | 5156926050 | सीबीआईएन0281049 | विशेष अवधिया | 6 | 24.00 |
| 15 | हरिदास | 32535815623 | एसबीआईएन0002840 | अक्षांश चौहान | 6 | 24.00 |
| 16 | प्रदीप | 200541030059672 | बीकेआईडी0एनएएमआरजीबी | शिवम अग्रवाल | 5 | 20.00 |
| 17 | लोचन | 922010030888887 | यूटीआईबी0001035 | सरोज | 5 | 20.00 |
| 18 | भीवराम | 3525279075 | सीबीआईएन0281049 | निखिल कहार | 4 | 16.00 |
| 19 | संतकुमार | 3669349530 | सीबीआईएन0281101 | पारस दुबे | 4 | 16.00 |
| 20 | मनीष | 32064376290 | एसबीआईएन0010825 | मनीष बंदेवार | 4 | 16.00 |
| 21 | विकास | 20068231577 | एमएएचबी0000421 | बंटी | 3 | 12.00 |
| 22 | आशा | 31855310260 | एसबीआईएन0010825 | चित्रा सिंह | 3 | 12.00 |
| 23 | दयाशंकर | 32074930192 | एसबीआईएन0010825 | अनुज कुमार बघेल | 3 | 12.00 |
| 24 | लामू और सुमार | 2292467169 | सीबीआईएन0281780 | लामू लाल सोकलू | 2 | 8.00 |
| 25 | ईश्वरदास | 20322718121 | एसबीआईएन0010825 | श्रेयस तिवारी | 2 | 8.00 |
| 26 | शांतिबाई | 60148347903 | एमएएचबी0000644 | प्रभुलाल | 2 | 8.00 |
| 27 | कुसुम | 200501030037731 | बीकेआईडी0एनएएमआरजीबी | अनिल कुमार | 2 | 8.00 |
| 28 | लोचन | 2251063628 | सीबीआईएन0281987 | दीनदयाल साहू | 1 | 4.00 |
| 29 | मोहित | 2993337632 | सीबीआईएन0281101 | मोहित सिंह बघेल | 1 | 4.00 |

| स. क्र. | जाली स्वीकृति आदेश में अंकित अनधिकृत व्यक्ति का नाम | खाता संख्या जिसमें राशि का भुगतान किया गया | आई.एफ.एस.सी. कोड | बैंक अभिलेखों के अनुसार उन व्यक्तियों के नाम जिन्हें वास्तव में भुगतान किया गया | खाते में किए गए लेनदेनों की संख्या | इस खाते में कपटपूर्वक जमा की गई कुल राशि (₹ लाख में) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | सूरज | 3157056588 | सीबीआईएन0281987 | अंकित साहू | 1 | 4.00 |
| 31 | द्वारकाबाई | 3215757921 | सीबीआईएन0281987 | दीपक बंजारा | 1 | 4.00 |
| 32 | दुर्गाबाई | 3714986386 | सीबीआईएन0281101 | दुर्गाबाई चंदेल | 1 | 4.00 |
| 33 | रामकुमार | 3768311648 | सीबीआईएन0281987 | प्रिंस साहू | 1 | 4.00 |
| 34 | फैज़ा | 5127175846 | सीबीआईएन0282359 | फ़ैज़ा मोहम्मद अज़ीज़ शेख | 1 | 4.00 |
| 35 | कृष्णाबाई | 5262935836 | सीबीआईएन0282672 | कृष्णा बाई | 1 | 4.00 |
| 36 | दीपक | 20068305982 | एमएएचबी0000421 | गगन दिलीप विश्वकर्मा | 1 | 4.00 |
| 37 | सुरेश | 20229746596 | एमएएचबी0000644 | सुरेश | 1 | 4.00 |
| 38 | हेमराज | 20231812013 | एमएएचबी0001058 | गोरेलाल हेमराज | 1 | 4.00 |
| 39 | कैलाश | 32995889725 | एसबीआईएन0003179 | सुजीत सिंह विशेन | 1 | 4.00 |
| 40 | सुजीत | 37786707329 | एसबीआईएन0012187 | अनिल सनोडिया | 1 | 4.00 |
| 41 | हरेंद्र | 40257242610 | एसबीआईएन0012187 | श्रीमती प्रीती | 1 | 4.00 |
| 42 | हरेंद्र | 60130560716 | एमएएचबी0001058 | हरेंद्र | 1 | 4.00 |
| 43 | महेश | 60175536873 | एमएएचबी0000689 | महेश | 1 | 4.00 |
| 44 | तेजनलाल | 60199177280 | एमएएचबी0000689 | तेजन लाल | 1 | 4.00 |
| 45 | जग्गू | 60231970285 | एमएएचबी0000644 | जग्गू | 1 | 4.00 |
| 46 | हरोजबाई | 60248961330 | एमएएचबी0000689 | हरोज बाई | 1 | 4.00 |
| 47 | ललिता | 60333128506 | एमएएचबी0000689 | ललिता बाई | 1 | 4.00 |
| 48 | सूरज | 100167422827 | आईएनडीबी 0000861 | सरोज | 1 | 4.00 |
| 49 | संपतिया | 32250110005699 | यूसीबीए0003225 | नितिन कुमार सिहोसे | 1 | 4.00 |
| 50 | दुर्गेश | 200091030086166 | बीकेआईडी0एनएएमआरजीबी | दुर्गेश | 1 | 4.00 |
| 51 | बिश्तोबाई | 200091030090323 | बीकेआईडी0एनएएमआरजीबी | खोदश्याम बिश्तोबाई | 1 | 4.00 |
| 52 | गजानंद | 200091030126930 | बीकेआईडी0एनएएमआरजीबी | गजानंद | 1 | 4.00 |
| 53 | सुमरन | 200091030133228 | बीकेआईडी0एनएएमआरजीबी | सुमरन | 1 | 4.00 |
| 54 | देवीप्रसाद | 200521030048942 | बीकेआईडी0एनएएमआरजीबी | देवीप्रसाद | 1 | 4.00 |
| 55 | प्रह्लाद | 200541010000183 | बीकेआईडी0एनएएमआरजीबी | सुधीर अग्रवाल | 1 | 4.00 |
| 56 | पातिराम | 200541030021402 | बीकेआईडी0एनएएमआरजीबी | पातिराम | 1 | 4.00 |
| 57 | हरिलाल | 806410110000800 | बीकेआईडी0एनएएमआरजीबी | हरिलाल | 1 | 4.00 |
| 58 | जीवनलाल | 806411010004072 | बीकेआईडी0एनएएमआरजीबी | जीवनलाल | 1 | 4.00 |
| 59 | सुकवारोबाई | 806510110000257 | बीकेआईडी0एनएएमआरजीबी | सुकवारोबाई | 1 | 4.00 |
| **योग** | | | | | **291** | **1,164.00** |

**(स्रोतः तहसीलदार, केवलारी द्वारा प्रदत्त भुगतान आदेश सूचियां एवं बिल/स्वीकृतियां)**

## परिशिष्ट-2.1.2 (ख)
## (संदर्भ: कंडिका क्रमांक 2.1.8.5, पृष्ठ क्रमांक 27)
## सिवनी जिले में मजदूरी मद से संदिग्ध कपटपूर्ण भुगतान का विवरण

| स. क्र. | ई-भुगतान में उल्लिखित कर्मचारी का नाम जिसके नाम पर राशि निकाली गई | खाता संख्या | आई.एफ.एस.सी. कोड | बैंक में पाया गया नाम जिसे वास्तव में भुगतान किया गया | भुगतान दिनांक | भुगतान की गई राशि ₹ में | बिल संदर्भ संख्या | लेखाशीर्ष |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | द्वारकाबाई | 2227576357 | सीबीआईएन0281101 | ललित सरयाम | 31-03-20 | 12,000 | 20005943617 | 2053-00-094-9999-0441-00000000-12 |
| | | | | | 31-03-20 | 12,000 | 20005943666 | 2053-00-094-9999-0441-00000000-12 |
| | | | | | 01-05-20 | 12,000 | 20006131166 | 2053-00-094-9999-0441-00000000-12 |
| | | | | | 01-05-20 | 12,000 | 20006144017 | 2053-00-094-9999-0441-00000000-12 |
| | | | | | 05-08-20 | 4,000 | 20006779488 | 2053-00-094-9999-0441-00000000-12 |
| | | | | | 05-08-20 | 4,000 | 20006778466 | 2053-00-094-9999-0441-00000000-12 |
| | | | | | 05-08-20 | 4,000 | 20006779088 | 2053-00-094-9999-0441-00000000-12 |
| 2 | रामकुमार | 3680264092 | सीबीआईएन0281101 | अजय यादव | 31-03-20 | 12,000 | 20005943617 | 2053-00-094-9999-0441-00000000-12 |
| | | | | | 31-03-20 | 12,000 | 20005943666 | 2053-00-094-9999-0441-00000000-12 |
| | | | | | 01-05-20 | 12,000 | 20006131166 | 2053-00-094-9999-0441-00000000-12 |
| | | | | | 01-05-20 | 12,000 | 20006144017 | 2053-00-094-9999-0441-00000000-12 |
| | | | | | 05-08-20 | 4,000 | 20006779488 | 2053-00-094-9999-0441-00000000-12 |
| | | | | | 05-08-20 | 4,000 | 20006778466 | 2053-00-094-9999-0441-00000000-12 |
| | | | | | 05-08-20 | 4,000 | 20006779088 | 2053-00-094-9999-0441-00000000-12 |
| 3 | रमेश | 32074932189 | एसबीआईएन0010825 | श्रेष्ठ अवधिया | 31-03-20 | 8,000 | 20005943666 | 2053-00-094-9999-0441-00000000-12 |

| स. क्र. | ई-भुगतान में उल्लिखित कर्मचारी का नाम जिसके नाम पर राशि निकाली गई | खाता संख्या | आई.एफ.एस.सी. कोड | बैंक में पाया गया नाम जिसे वास्तव में भुगतान किया गया | भुगतान दिनांक | भुगतान की गई राशि ₹ में | बिल संदर्भ संख्या | लेखाशीर्ष |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 31-03-20 | 8,000 | 20005943617 | 2053-00-094-9999-0441-00000000-12 |
| | | | | | 01-05-20 | 8,000 | 20006131166 | 2053-00-094-9999-0441-00000000-12 |
| | | | | | 01-05-20 | 8,000 | 20006144017 | 2053-00-094-9999-0441-00000000-12 |
| 4 | विष्णु | 32074932677 | एसबीआईएन0010825 | विशेष अवधिया | 31-03-20 | 8,000 | 20005943617 | 2053-00-094-9999-0441-00000000-12 |
| | | | | | 31-03-20 | 8,000 | 20005943666 | 2053-00-094-9999-0441-00000000-12 |
| | | | | | 01-05-20 | 8,000 | 20006131166 | 2053-00-094-9999-0441-00000000-12 |
| | | | | | 01-05-20 | 8,000 | 20006144017 | 2053-00-094-9999-0441-00000000-12 |
| **योग** | | | | | | **1,84,000** | | |

**(स्रोत: तहसीलदार, केवलारी द्वारा प्रदान की गई भुगतान आदेश सूचियां)**

## परिशिष्ट-2.1.2 (ग)

### (संदर्भः कंडिका क्रमांक 2.1.8.5, पृष्ठ क्रमांक 27)

### सिवनी जिले में ओलावृष्टि, बाढ़/अतिवृष्टि हेतु संदिग्ध कपटपूर्ण भुगतान का विवरण

| क्र. | लाभार्थी का नाम जिसे ई-भुगतान के अनुसार भुगतान किया गया | खाता संख्या | आई.एफ.एस.सी. कोड | बैंक में पाया गया नाम जिसे वास्तव में भुगतान किया गया | भुगतान दिनांक | भुगतान की गई राशि ₹ में | बिल संदर्भ संख्या | योजना |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | द्वारकाबाई | 2227576357 | सीबीआईएन0281101 | ललित सरयाम | 28-01-21 | 53,000 | 20008333883 | रिफंड |
| | | | | | 03-03-21 | 52,734 | 20008676373 | रिफंड |
| | | | | | 24-03-21 | 70,000 | 20008864200 | ओला-वृष्टि |
| | | | | | 24-03-21 | 48,000 | 20008867055 | ओला-वृष्टि |
| | | | | | 08-06-21 | 29,172 | 20009530949 | रिफंड |
| | | | | | 30-06-21 | 89,564 | 20009695009 | रिफंड |
| | | | | | 17-09-21 | 53,982 | 200010336098 | रिफंड |
| | | | | | 17-02-22 | 5,000 | 200011673949 | अत्यधिक वर्षा |
| | | | | | 26-03-22 | 18,450 | 200012093776 | रिफंड |
| | | | | | 25-04-22 | 20,900 | 200012358110 | अत्यधिक वर्षा |
| | | | | | 25-04-22 | 1,20,000 | 200012369997 | अत्यधिक वर्षा |
| | | | | | 25-04-22 | 1,20,000 | 200012359653 | अत्यधिक वर्षा |
| | | | | | 01-07-22 | 1,20,000 | 200012902099 | अत्यधिक वर्षा |
| 2 | राम कुमार | 3680264092 | सीबीआईएन0281101 | अजय यादव | 03-03-21 | 1,650 | 20008676373 | रिफंड |
| | | | | | 24-03-21 | 1,650 | 20008917558 | अत्यधिक वर्षा |
| | | | | | 24-03-21 | 47,115 | 20008864200 | ओला-वृष्टि |
| | | | | | 24-03-21 | 48,000 | 20008867055 | ओला-वृष्टि |
| | | | | | 08-06-21 | 19,734 | 20009530949 | रिफंड |
| | | | | | 30-06-21 | 1,650 | 20009695009 | रिफंड |
| | | | | | 17-09-21 | 59,101 | 200010336098 | रिफंड |
| | | | | | 18-10-21 | 21,633 | 200010591255 | रिफंड |
| | | | | | 17-02-22 | 5,000 | 200011673949 | अत्यधिक वर्षा |
| | | | | | 25-04-22 | 77,080 | 200012358110 | अत्यधिक वर्षा |
| | | | | | 25-04-22 | 1,18,146 | 200012369997 | अत्यधिक वर्षा |
| | | | | | 25-04-22 | 1,20,000 | 200012359653 | अत्यधिक वर्षा |
| **योग** | | | | | | **13,21,561** | | |

**(स्रोतः तहसीलदार, केवलारी द्वारा प्रदान की गई भुगतान आदेश सूचियां)**

## परिशिष्ट-2.1.3 (क)
## (संदर्भ: कंडिका क्रमांक 2.1.8.5, पृष्ठ क्रमांक 28)
## श्योपुर जिले की बड़ौदा और श्योपुर तहसीलों में किए गए संदिग्ध कपटपूर्ण भुगतान का विवरण-लाभार्थियों के नामों में विसंगति

| स. क्र. | लाभार्थी का नाम जिसके नाम पर भुगतान निकाला गया | खाता संख्या | बैंक में वह नाम मिला जिसे वास्तव में भुगतान किया गया | तहसील | इस खाते में किए गए कपटपूर्ण लेनदेन की संख्या | इस खाते में कपटपूर्वक जमा की गई कुल राशि (₹ लाख में) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | राजेंद्र सिंह मकड़ावदाखुर्द | 1563104000062550 | लोमेश गोरछिया | बड़ौदा | 4 | 1.77 |
| 2 | नाथूरोजी | 6132000100093708 | लोमेश लक्ष्मीनारायण | बड़ौदा | 13 | 3.15 |
| 3 | संतराश्रीपुरा | 754302010001880 | लोमेश पुत्र लक्ष्मी नारायण | बड़ौदा | 8 | 2.59 |
| 4 | जगमोहन मकड़ावदा खुर्द | 35884656965 | गोबरधनी | बड़ौदा | 14 | 3.30 |
| 5 | दसा बावड़ीचापा | 6132001700247692 | गोबरधनी | बड़ौदा | 6 | 1.52 |
| 6 | कडुमा कडवदा खुर्द | 37888358257 | मीनू गोरछिया पुत्री लक्ष्मीनारायण | बड़ौदा | 14 | 3.21 |
| 7 | कैलाशरोजी | 34793684187 | राम अवतार सुमन | बड़ौदा | 24 | 6.77 |
| 8 | मुकेशरोजी | 907510110001304 | रामअवतार सुमन | बड़ौदा | 21 | 4.70 |
| 9 | मांगीलालरोजी | 4116101000032 | रामअवतार सुमन | बड़ौदा | 19 | 4.74 |
| 10 | मथुरिरोजी | 183000491820 | राम अवतार सुमन पुत्र हरिप्रसाद सुमन | बड़ौदा | 18 | 4.77 |
| 11 | दसा बावड़ीचापा | 754302010003275 | फरहीन नाज़ कुरैशी | बड़ौदा | 15 | 3.86 |
| 12 | रामकुंवररोजी | 683502020367 | हरिप्रसाद सुमन पुत्र गोपाल सुमन | बड़ौदा | 14 | 3.71 |
| 13 | सुखवीररोजी | 907518210013416 | आकाश | बड़ौदा | 13 | 1.97 |
| 14 | गुजरी बावडीचापा | 35596351541 | फरहीन नाज़ कुरैशी | बड़ौदा | 12 | 3.09 |
| 15 | बल्लुरोजी | 33680406910 | लेखराज सुमन | बड़ौदा | 11 | 1.73 |
| 16 | अर्जुन बमोरीजात | 754302010003430 | पवन सुमन | बड़ौदा | 11 | 3.56 |
| 17 | राधे श्याम राडेप | 20281130381 | धनजीत मीना | बड़ौदा | 10 | 1.00 |
| 18 | रामजीलाल करवड़िया | 35159430160 | रामरूप सुमन | बड़ौदा | 10 | 2.56 |
| 19 | कमालिरोजी | 36129944415 | भरोसी बाई | बड़ौदा | 10 | 1.91 |
| 20 | हंसराजरोजी | 38217220486 | कलावती सुमन | बड़ौदा | 10 | 1.83 |
| 21 | कैलासी भिलवाडिया | 6132001700245630 | आकाश आदिवासी | बड़ौदा | 10 | 2.05 |
| 22 | गोलूबोरदादेव | 6132001700245667 | राजवीर | बड़ौदा | 10 | 2.56 |
| 23 | गिर्राज हलगांवा खुर्द | 3701885270 | प्रमोद सुमन | बड़ौदा | 9 | 2.00 |
| 24 | ओमप्रकाश इंद्रपुरा | 32703301093 | श्यामसुंदर जाटव | बड़ौदा | 9 | 0.59 |
| 25 | दुलीचंद्र रोजी | 33680406716 | कुमारी सुरेशा माली | बड़ौदा | 9 | 1.50 |
| 26 | गुलाब ललितपुरा | 38226792714 | अलका शर्मा | बड़ौदा | 9 | 0.83 |
| 27 | कंचन बोरदादेव | 39175690552 | हसीना आदिवासी | बड़ौदा | 9 | 2.01 |
| 28 | बजरंग नयागोलाखा | 183002358297 | रामरूप सुमन पुत्र भेरूलाल | बड़ौदा | 9 | 2.89 |
| 29 | कडु हलगांवडा खुर्द | 4116101003639 | सतीश पुत्र धर्मा | बड़ौदा | 9 | 2.54 |
| 30 | जगदीश रामकुमार फिलोजपुरा | 907510110004001 | आरती रमेश चंद्र गोयल | बड़ौदा | 9 | 4.12 |

| स. क्र. | लाभार्थी का नाम जिसके नाम पर भुगतान निकाला गया | खाता संख्या | बैंक में वह नाम मिला जिसे वास्तव में भुगतान किया गया | तहसील | इस खाते में किए गए कपटपूर्ण लेनदेन की संख्या | इस खाते में कपटपूर्वक जमा की गई कुल राशि (₹ लाख में) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | मोसमी मकड़ावदाखुर्द | 1563104000031860 | लक्ष्मीबाई | बड़ौदा | 9 | 2.77 |
| 32 | ज्योति बोरदादेव | 31295584259 | कृष्ण जग | बड़ौदा | 8 | 2.29 |
| 33 | रामहेत गोवर्धन फिलौजपुरा | 31999532096 | श्रीमती पारस गुप्ता | बड़ौदा | 8 | 3.90 |
| 34 | सियाराम मकड़ावदाखुर्द | 36205429022 | महावीर आदिवासी | बड़ौदा | 8 | 1.24 |
| 35 | किशना हलगनवाडाखुर्द | 3956107037 | शिशुपाल बंशी आदिवासी | बड़ौदा | 7 | 1.40 |
| 36 | लेखराज कलमुंडा | 39752307686 | श्री पवन सुमन | बड़ौदा | 7 | 2.59 |
| 37 | प्रकाश रदीप | 63042185143 | रमाशंकर मीना | बड़ौदा | 7 | 1.45 |
| 38 | प्रकाश बोरदादेव | 683502009988 | हरिनारायण सुमन पुत्र गोपाल सुमन | बड़ौदा | 7 | 2.30 |
| 39 | ओमप्रकाश बोरदादेव | 683502016293 | कल्याणी बाई माली पत्नी हरि नारायण सुमन | बड़ौदा | 7 | 2.71 |
| 40 | बद्रीलाल मकड़ावदाखुर्द | 754302010004432 | आकाश आदिवासी | बड़ौदा | 7 | 2.01 |
| 41 | मोसमी मकड़ावदाखुर्द | 754302120003016 | शिखा | बड़ौदा | 7 | 1.44 |
| 42 | दिनेश बसौंद | 907510110011122 | किरण शर्मा | बड़ौदा | 7 | 1.63 |
| 43 | विष्णु कुदायथा | 907510110013291 | श्याम सुंदर जाटव पुत्र बाबूलाल | बड़ौदा | 7 | 0.87 |
| 44 | रामश्री मकड़ावदाखुर्द | 3943364318 | बजरंगी श्यामलाल आदिवासी | बड़ौदा | 6 | 1.24 |
| 45 | कन्या बैकालू खेलडी | 20307232708 | श्रीमती अनुसूया नागर | बड़ौदा | 6 | 1.34 |
| 46 | लल्लू हलगनवाड़ाखुर्द | 32143358772 | राजाराम आदिवासी | बड़ौदा | 6 | 1.32 |
| 47 | सीताराम धरमपुरा | 33361104233 | सूरजमल | बड़ौदा | 6 | 1.50 |
| 48 | रामवीररोजी | 35922126290 | श्रीमती कांति बाई सुमन | बड़ौदा | 6 | 1.20 |
| 49 | घनश्याम बोरदादेव | 36617612850 | हरिनारायण सुमन | बड़ौदा | 6 | 1.86 |
| 50 | अजय कुदायथा | 39522033547 | पवन कुशवाह | बड़ौदा | 6 | 1.38 |
| 51 | रामबंदी रतोदन | 63053171114 | श्रीमती सावंदी | बड़ौदा | 6 | 1.24 |
| 52 | रामचरण कलौनी | 183004810506 | राजतिलक सुमन पुत्र महावीर सुमन | बड़ौदा | 6 | 1.60 |
| 53 | ब्रजमोहन कलौनी | 183004957800 | शोभा सुमन पुत्री महावीर सुमन | बड़ौदा | 6 | 1.82 |
| 54 | कुंती बोरदादेव | 4116101003922 | विजय सिंह जागा | बड़ौदा | 6 | 1.77 |
| 55 | श्याम कलमुंडा | 10820110087213 | संतोष | बड़ौदा | 6 | 1.60 |
| 56 | रामस्वरूप राधापुरा | 11673210000607 | श्यामसुंदर | बड़ौदा | 6 | 0.63 |
| 57 | मोदुबनदी | 754302010001577 | भारती गोरछिया पुत्री मेवई | बड़ौदा | 6 | 1.86 |
| 58 | घीसी कलमुंडा | 907518210014606 | वर्षा पत्नी संतोष | बड़ौदा | 6 | 1.82 |
| 59 | मंगला नयागोलखा | 31821253856 | लवकुश सुमन | बड़ौदा | 5 | 1.36 |
| 60 | रामस्वरूप बोरदादेव | 31892796526 | लोकेश सुमन | बड़ौदा | 5 | 1.73 |
| 61 | मोती बोरदादेव | 32263883704 | सुश्री विद्या बाई | बड़ौदा | 5 | 1.60 |
| 62 | ब्रजमोहन बद्रीपाचीपुरा | 32356250562 | लाखन सिंह मीना | श्योपुर | 5 | 1.01 |
| 63 | रामस्वरूप करवड़िया | 32445467507 | सीता | बड़ौदा | 5 | 0.92 |

| स. क्र. | लाभार्थी का नाम जिसके नाम पर भुगतान निकाला गया | खाता संख्या | बैंक में वह नाम मिला जिसे वास्तव में भुगतान किया गया | तहसील | इस खाते में किए गए कपटपूर्ण लेनदेन की संख्या | इस खाते में कपटपूर्वक जमा की गई कुल राशि (₹ लाख में) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 64 | मंशारोजी | 32710625010 | राधेश्याम सुमन | बड़ौदा | 5 | 1.36 |
| 65 | जयमल हलगांवदाखुर्द | 33760433194 | विष्णु सुमन | बड़ौदा | 5 | 1.09 |
| 66 | कांति बाला जाट फिलोजपुरा | 34514828337 | श्री कलिल खान | बड़ौदा | 5 | 1.91 |
| 67 | ढोडी महाराजपुरा | 35363177602 | देवीशंकर नगोफ़ विशाखा | बड़ौदा | 5 | 1.12 |
| 68 | विद्या बायवार्ड 15 | 38673471542 | राजकुमार सेन | बड़ौदा | 5 | 0.89 |
| 69 | शेरा हलगनवाड़ा खुर्द और रामचरण कुनु सहर क्यारपुरा | 40511626790 | राममुकुट आदिवासी | बड़ौदा | 5 | 1.24 |
| 70 | गिर्राज हलगांवा खुर्द | 63018146873 | बनवारी सुमन | बड़ौदा | 5 | 1.38 |
| 71 | रामकिशन ललितपुरा | 63046428048 | रामकिशन सुमन | बड़ौदा | 5 | 1.50 |
| 72 | भीमराज बोरदादेव | 907510110003367 | अशोक कुमार पुत्र ब्रम्हमोहन जागा | बड़ौदा | 5 | 1.89 |
| 73 | राकेश मेखदाहेड़ी | 907510110015828 | काशीराम मीना | बड़ौदा | 5 | 4.47 |
| 74 | कपूरी हलगनवाडाखुर्द | 907518210026087 | उर्मिला बाई | बड़ौदा | 5 | 1.01 |
| 75 | धनु हलगनवाडाखुर्द | 907518210032162 | सलमा आदिवासी | बड़ौदा | 5 | 0.87 |
| 76 | महावीर हलगांवदाखुर्द | 1563104000004428 | बनवारी सुमन | बड़ौदा | 5 | 1.32 |
| 77 | जना बाई बेहदावद | 20412415782 | नागेंद्र सिंह राय | बड़ौदा | 4 | 1.19 |
| 78 | हरिशंकर परसरमा फिलोजपुरा एवं सलीम पुत्र बुन्दू वार्ड 22 श्योपुर | 20412416809 | श्री शफीक | बड़ौदा | 4 | 1.49 |
| 79 | गोपी नयागोलाखा | 31325383427 | पुरूषोत्तम शर्मा | बड़ौदा | 4 | 1.56 |
| 80 | धन्नालाल बोरदादेव | 31797997776 | कुमारी जसोदा | बड़ौदा | 4 | 1.36 |
| 81 | सरवन हलगनवाडाखुर्द | 32755234079 | रूप सिंह आदिवासी | बड़ौदा | 4 | 1.06 |
| 82 | मोडू ईश्वरीय फिलोजपुरा और कैलाशी बीरबल मीना कचरमुली | 35108329615 | श्रीमती रुखसार खानम | बड़ौदा | 4 | 1.65 |
| 83 | शीताराम हरबक्स जैनी | 35425559025 | रामलखन मीना | श्योपुर | 4 | 1.00 |
| 84 | राजेंद्रभीलवाडिया | 37945843794 | राहुल सनेरिया | बड़ौदा | 4 | 1.16 |
| 85 | कामली लातूर फिलोजपुरा | 38194984080 | श्रीमती साहिना बानो | बड़ौदा | 4 | 1.86 |
| 86 | मलखान महाराजपुरा एवं रामलखन धुड़िया लाडपुरा | 40314083462 | रजनी वैष्णव | बड़ौदा एवं श्योपुर | 4 | 1.08 |
| 87 | दिगम्बर भीलवाडिया | 63030669319 | जगदीश नाथ | बड़ौदा | 4 | 0.91 |
| 88 | सोन्यानायागोलाखा | 683502000259 | पुरुषोत्तम शर्मा पुत्र शंभूदयाल | बड़ौदा | 4 | 1.54 |
| 89 | गिरधारी शंकर भीलवाडिया एवं त्रिलोकभीलवाडिया | 906910110001435 | मुलायम सिंह चौहान | बड़ौदा | 4 | 1.30 |
| 90 | रामस्वरूप बड़ोदियाबिंदी | 907510110006540 | धर्मेन्द्र जाटव पुत्र देवीराम जाटव | बड़ौदा | 4 | 1.03 |
| 91 | रणवीरबनदी | 907510110008813 | रामदेव पुत्र दुल्लीचंद आदिवासी | बड़ौदा | 4 | 0.83 |

| स. क्र. | लाभार्थी का नाम जिसके नाम पर भुगतान निकाला गया | खाता संख्या | बैंक में वह नाम मिला जिसे वास्तव में भुगतान किया गया | तहसील | इस खाते में किए गए कपटपूर्ण लेनदेन की संख्या | इस खाते में कपटपूर्वक जमा की गई कुल राशि (₹ लाख में) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 92 | गिरजम अकड़ावदा खुर्द | 907510110012027 | गणेश सेन पुत्र रामगोपाल सेन | बड़ौदा | 4 | 0.82 |
| 93 | नारायण हलगांवा खुर्द एवं नाथीबाई बाबू सिंह गुर्जर काशीपुर | 907518210007691 | सोनी बाई | बड़ौदा एवं श्योपुर | 4 | 0.72 |
| 94 | नरोत्तम मकड़ावड़ाखुर्द | 907518210029362 | गुड्डी बाई मीना | बड़ौदा | 4 | 1.10 |
| 95 | रघुवीर कुदायथा | 907518210039879 | धनराज आदिवासी पुत्र प्रहलाद आदिवासी | बड़ौदा | 4 | 1.11 |
| 96 | मेघराज हलगांवदाखुर्द | 907518210040973 | विजय सिंह गोरछिया | बड़ौदा | 4 | 0.67 |
| 97 | कल्याण सोरम माली जैनी | 32193371272 | चिरंजी सुमन | श्योपुर | 3 | 1.05 |
| 98 | नंदकिशोर मेखदाहेड़ी | 33761350499 | महावीर प्रजापति | बड़ौदा | 3 | 0.84 |
| 99 | गुरुप्रताप दिलबाग सिंह फिलोजपुरा | 34495899464 | शकीलाखान खान | बड़ौदा | 3 | 1.20 |
| 100 | मोरपाल काना मकरोड़ | 34702217357 | मंशाराम माहोर | श्योपुर | 3 | 1.04 |
| 101 | मंशाराम मनारन मीना कचरमुली और मोहरपाल सर्वन्या चंद्रपुरा | 35423067068 | तीज्या ग्यारसा | श्योपुर | 3 | 1.17 |
| 102 | बैचेन सिंह मंगल बागडुआ बद्रीलाल बलदेव धाकड़ फिलोजपुरा | 35423067104 | पाना धन्नालाल | श्योपुर एवं बड़ौदा | 3 | 0.98 |
| 103 | केलाश बिदाखेड़ली | 36691011383 | गणेश तिवारी | बड़ौदा | 3 | 1.05 |
| 104 | कुन्दन श्यामाराम सेमल्डा एवं कुन्ती महाराजपुरा | 38663568207 | संदीप सिंह राठौड़ | श्योपुर एवं बड़ौदा | 3 | 1.03 |
| 105 | गोविंद पंडोला | 10820100008046 | ओम प्रकाश | बड़ौदा | 3 | 1.11 |
| 106 | मुकेश महाराजपुरा एवं रामकिशन रामनारायण कीर मकरोड़ | 10820110088609 | आशा जांगिड़ | बड़ौदा एवं श्योपुर | 3 | 0.89 |
| 107 | समद खा सुल्तान मेवाड़ा कछार | 907510110001601 | शबाना पठान पत्नी दिलशाद खान पठान | श्योपुर | 3 | 0.78 |
| 108 | धन्ना ग्यारसा फिलोजपुरा एवं गोविंद जनार्दन शर्मा कचरमुली | 907510110003282 | अमरीन खान पत्नी मोहम्मद इक्त्यार खान | बड़ौदा एवं श्योपुर | 3 | 1.18 |
| 109 | मोरपाल नाथुआ आदिवासी ढेरोली | 907518210003955 | तरूण तोमर | श्योपुर | 3 | 0.81 |
| 110 | मनफुल कर्णखेड़ली | 921010037518667 | मनीष धाकड़ | बड़ौदा | 3 | 0.92 |
| 111 | धर्म सिंह मलखान जैनी | 10702966472 | धारा सिंह मीना | श्योपुर | 2 | 1.20 |
| 112 | रामनारायण सोराम चंद्रपुरा | 34715901138 | रिजवाना बानो | बड़ौदा | 2 | 0.96 |
| 113 | धन्नी अमारा फिलोजपुरा | 34983083395 | सद्दाम ओ | बड़ौदा | 2 | 0.95 |

| स. क्र. | लाभार्थी का नाम जिसके नाम पर भुगतान निकाला गया | खाता संख्या | बैंक में वह नाम मिला जिसे वास्तव में भुगतान किया गया | तहसील | इस खाते में किए गए कपटपूर्ण लेनदेन की संख्या | इस खाते में कपटपूर्वक जमा की गई कुल राशि (₹ लाख में) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 114 | जुगराज हरनारायण गोथरा और रामजीलाल महाराजपुरा | 35060471742 | अशोक मीना | श्योपुर एवं बड़ौदा | 2 | 0.91 |
| 115 | राधा सूरजमल चंद्रपुरा | 35076335882 | मोहित गौड़ | बड़ौदा | 2 | 0.97 |
| 116 | किशनगोपाल गप्पु फिलोजपुरा और सुनीता पवन वैश्य कचरमुली | 35315523414 | शाहरुख अंसारी | बड़ौदा एवं श्योपुर | 2 | 0.92 |
| 117 | जनरेल सिंह चिंगार सिंह फिलोजपुरा | 35442683358 | रुक्मल ओ | बड़ौदा | 2 | 0.95 |
| 118 | बजरंग नारायण चंद्रपुरा और रामजी कन्नीराम मीना कचरमुली | 35442683461 | जोगा ओ | बड़ौदा एवं श्योपुर | 2 | 0.90 |
| 119 | बद्रीलाल बलदेव धाकड़ फिलोजपुरा | 35486756532 | कमलाबेवा मड्डू | बड़ौदा | 2 | 0.90 |
| 120 | शंकरलाल सुखदेव धाकड़ फिलोजपुरा | 35486756611 | विष्णुदेव नंदकिशोर | बड़ौदा | 2 | 0.92 |
| 121 | प्रकाश प्रहलाद चंद्रपुरा | 35551881071 | पवन गौड़ | बड़ौदा | 2 | 0.97 |
| 122 | रामावतार घनश्याम चंद्रपुरा | 36190479393 | अन्नो | बड़ौदा | 2 | 0.95 |
| 123 | मलखान मोती जैनी | 37313751563 | धारा सिंह मीना | श्योपुर | 2 | 1.16 |
| 124 | श्याम गिर्राज फिलोजपुरा | 38032045794 | अफसाना बानो | बड़ौदा | 2 | 0.98 |
| 125 | प्रभुलाल हरदेव फिलोजपुरा | 38641040691 | शानू बानो | बड़ौदा | 2 | 0.98 |
| 126 | हरवंश सिंह फोजा सिंह कचरामुली और नरोत्तम गोपीलाल फिलोजपुरा | 39340175678 | फरहीन | श्योपुर एवं बड़ौदा | 2 | 0.92 |
| 127 | परस्या बाला कचरमुली और रामकिशन प्रहलाद चंद्रपुरा | 39700938929 | मनबर बाई | श्योपुर एवं बड़ौदा | 2 | 0.93 |
| 128 | गुरुबाई ललितपुरा | 40454772369 | रामरूप | बड़ौदा | 2 | 1.08 |
| 129 | दिनेश मीना अभिभावक राम मुकेश | 144801500799 | सुग्रीव मीना | श्योपुर | 2 | 0.34 |
| 130 | साहब सिंह करनाल सिंह फिलोजपुरा | 144801501589 | रईश खान | बड़ौदा | 2 | 0.82 |
| 131 | गणेश शंकर शामरा फिलोजपुरा | 144801503226 | रमेश चंद्र गोयल | बड़ौदा | 2 | 0.97 |
| 132 | भंवरलाल महाराजपुरा एवं मुनेश राहकिशन बागड़िया | 754302010003474 | जागेश्वर सिंह | बड़ौदा एवं श्योपुर | 2 | 0.65 |
| 133 | मुन्ना छितरिच्छनखेडली | 754302010004087 | हिमांशु शर्मा | श्योपुर | 2 | 1.15 |
| 134 | लोदुराम जगन्नाथ मीना जैनी और उर्मिला राजोरा | 907510110000005 | बरमा बाई पत्नी दारा सिंह मीना | श्योपुर एवं बड़ौदा | 2 | 0.62 |

| स. क्र. | लाभार्थी का नाम जिसके नाम पर भुगतान निकाला गया | खाता संख्या | बैंक में वह नाम मिला जिसे वास्तव में भुगतान किया गया | तहसील | इस खाते में किए गए कपटपूर्ण लेनदेन की संख्या | इस खाते में कपटपूर्वक जमा की गई कुल राशि (₹ लाख में) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 135 | बाबूलाल गोपाल चंद्रपुरा | 907510110001562 | बारिश खान पुत्र इस्लाम खान | बड़ौदा | 2 | 0.97 |
| 136 | श्योराम बरखेड़ा | 907510110010835 | किशनगोपाल पुत्र देवीराम | बड़ौदा | 2 | 0.42 |
| 137 | प्रकाश प्रहलाद चंद्रपुरा और सिसुपाल हजारी कचरमुली | 921010037519691 | इमरान खान | बड़ौदा एवं श्योपुर | 2 | 0.90 |
| 138 | आशा इन्द्रगज फिलोजपुरा | 921020019197090 | बारिश खान | बड़ौदा | 2 | 0.93 |
| 139 | रासबिहारी बाबूलाल चंद्रपुरा | 34223174744 | इमरान खान | बड़ौदा | 1 | 0.47 |
| **योग** | | | | | **804** | **221.56** |

**(स्रोत: संबंधित तहसीलदारों और बैंकों द्वारा दी गई जानकारी)**

## परिशिष्ट-2.1.3 (ख)

(संदर्भ: कंडिका क्रमांक 2.1.8.5, पृष्ठ क्रमांक 28)

## श्योपुर जिले की बड़ौदा और कराहल तहसीलों में अन्य संदिग्ध कपटपूर्ण भुगतानों का विवरण

| स. क्र. | अनधिकृत व्यक्ति का नाम जिसके खाते में वास्तविक लाभार्थियों के बजाय कपटपूर्वक पैसा जमा किया गया | खाता संख्या | तहसील | उन लाभार्थियों की संख्या जिनकी राहत राशि कपटपूर्वक इस खाते में जमा की गई | इस खाते में कपटपूर्वक जमा की गई कुल राशि (₹ लाख में) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | खड़क सिंह गुरीबाज सिंह और ललित भोला बगदुआ | 50400100005429 | बड़ौदा | 9 | 4.33 |
| 2 | गोपाल बमोरीजाट और कन्हियालाल नारायणपुरा | 53052341367 | बड़ौदा | 16 | 4.07 |
| 3 | प्रभुलाल हरदेव फिलोजपुरा | 50400100005430 | बड़ौदा | 8 | 3.84 |
| 4 | बनवारी वार्ड 15 | 32906081995 | बड़ौदा | 16 | 3.47 |
| 5 | विजया नयागोलाखा | 63050656918 | बड़ौदा | 18 | 2.84 |
| 6 | कमला बावडीचापा | 50408100010985 | बड़ौदा | 16 | 2.53 |
| 7 | रामरेखा बावड़ीचापा | 50408100010981 | बड़ौदा | 13 | 2.29 |
| 8 | मनोज नयागोलाखा | 202781030082717 | बड़ौदा | 13 | 2.27 |
| 9 | विमलेश कुमारी बघेल | 30986933634 | कराहल | 5 | 2.20 |
| 10 | इंदरसिंह हलगनवाडा खुर्द | 50400100006203 | बड़ौदा | 9 | 2.13 |
| 11 | मोरपाल बावडीचापा | 6132001700247708 | बड़ौदा | 7 | 2.11 |
| 12 | दासनायगौलखा | 32994892412 | बड़ौदा | 17 | 2.11 |
| 13 | धीरज ललितपुरा | 32122619210 | बड़ौदा | 8 | 2.09 |
| 14 | कैलासी भिलवाडिया | 6132001700245630 | बड़ौदा | 10 | 2.05 |
| 15 | ललित कुमार जांगिड़ | 20306926162 | कराहल | 5 | 1.94 |
| 16 | श्यामवरण | 32615903178 | कराहल | 5 | 1.92 |
| 17 | मनीष चौहान | 20429815497 | कराहल | 5 | 1.86 |
| 18 | मनीषा बावडीचापा | 50408100010978 | बड़ौदा | 10 | 1.78 |
| 19 | लाखन बावडीचापा | 50408100011100 | बड़ौदा | 10 | 1.78 |
| 20 | मंजीत सिंह अवतार सिंह | 50200038290251 | बड़ौदा | 4 | 1.76 |
| 21 | गुरुमीत सिंह बोरदादेव | 6132001700250881 | बड़ौदा | 5 | 1.70 |
| 22 | विष्णु बासोंड | 38439573960 | बड़ौदा | 9 | 1.69 |
| 23 | गुजरि नयागोलखा | 907518210028713 | बड़ौदा | 14 | 1.65 |

| स. क्र. | अनधिकृत व्यक्ति का नाम जिसके खाते में वास्तविक लाभार्थियों के बजाय कपटपूर्वक पैसा जमा किया गया | खाता संख्या | तहसील | उन लाभार्थियों की संख्या जिनकी राहत राशि कपटपूर्वक इस खाते में जमा की गई | इस खाते में कपटपूर्वक जमा की गई कुल राशि (₹ लाख में) |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 | जगजीतश्रीपुरा | 520331003366541 | बड़ौदा | 7 | 1.64 |
| 25 | मोरपाल नयागोलखा | 63030169598 | बड़ौदा | 16 | 1.61 |
| 26 | योगेश कुदायथा | 20410485296 | बड़ौदा | 8 | 1.55 |
| 27 | दिनेश जाटव पुत्र मांगीलाल जाटव | 683501020710 | कराहल | 6 | 1.52 |
| 28 | प्रवीण कुमार बघेल | 32357494789 | कराहल | 3 | 1.50 |
| 29 | प्रवीण कुमार बघेल पुत्र राजकुमार | 183002384737 | कराहल | 3 | 1.49 |
| 30 | कपिल गोस्वामी नयागाँव | 32065704460 | बड़ौदा | 6 | 1.47 |
| 31 | राहुल सिंह तोमर | 40521629450 | कराहल | 3 | 1.46 |
| 32 | जीतेन्द्र ललितपुरा | 63048581683 | बड़ौदा | 12 | 1.44 |
| 33 | दिनेश जाटव पुत्र मांगीलाल जाटव | 63037940080 | कराहल | 4 | 1.43 |
| 34 | कैलाश पुत्र रामनारायण जांगिड़ | 183000023306 | कराहल | 3 | 1.42 |
| 35 | चायनाबोरदादेव | 6132001700249520 | बड़ौदा | 6 | 1.42 |
| 36 | आशा जांगिड़ पत्नी कैलाश | 32048999973 | कराहल | 3 | 1.41 |
| 37 | सतेंद्र सिंह तोमर | 10703005360 | कराहल | 3 | 1.39 |
| 38 | मनोज ओझा | 33981456789 | कराहल | 3 | 1.35 |
| 39 | कस्तूरीबोरदादेव | 6132001700249539 | बड़ौदा | 6 | 1.34 |
| 40 | हरिरामरिझा | 50408100011312 | बड़ौदा | 9 | 1.33 |
| 41 | शम्भूदयाल ललितपुरा | 63013816051 | बड़ौदा | 12 | 1.32 |
| 42 | मानसिंह पंडोली | 907510110012307 | बड़ौदा | 7 | 1.29 |
| 43 | लक्ष्मी चौहान | 907518210035895 | कराहल | 4 | 1.28 |
| 44 | राहुल सिंह तोमर | 907518210003975 | कराहल | 3 | 1.27 |
| 45 | गुड़िया बावड़ीछापा | 50408100010987 | बड़ौदा | 12 | 1.27 |
| 46 | राम नयागोलखा | 6132001700249627 | बड़ौदा | 5 | 1.26 |
| 47 | रामसिया नयागोलखा | 6132001700249636 | बड़ौदा | 5 | 1.25 |
| 48 | रामसिया हलगांवदाखुर्द | 6132001700003663 | बड़ौदा | 4 | 1.25 |
| 49 | ज्योतिबोरदादेव | 20154163292 | बड़ौदा | 7 | 1.25 |
| 50 | श्रीमती अम्बिका | 20217201385 | कराहल | 4 | 1.22 |
| 51 | संत्यश्रीपुरा | 183003609944 | बड़ौदा | 5 | 1.22 |

| स. क्र. | अनधिकृत व्यक्ति का नाम जिसके खाते में वास्तविक लाभार्थियों के बजाय कपटपूर्वक पैसा जमा किया गया | खाता संख्या | तहसील | उन लाभार्थियों की संख्या जिनकी राहत राशि कपटपूर्वक इस खाते में जमा की गई | इस खाते में कपटपूर्वक जमा की गई कुल राशि (₹ लाख में) |
|---|---|---|---|---|---|
| 52 | मुकेशबावड़ीछापा | 6132001700247717 | बड़ौदा | 5 | 1.22 |
| 53 | रामअवतार अलगनवाड़ाखुर्द | 4116108001425 | बड़ौदा | 4 | 1.21 |
| 54 | राहुल सिंह तोमर | 921010025725398 | कराहल | 3 | 1.20 |
| 55 | गिर्राज सिंह तोमर | 35390154466 | कराहल | 3 | 1.13 |
| 56 | प्रदीप कुमार बघेल | 31813913495 | कराहल | 2 | 1.00 |
| 57 | कुमारी सुमन जाटव दिनेश | 34076640633 | कराहल | 4 | 0.99 |
| 58 | मोहरपाल पुत्र चिंटू | 35286919370 | कराहल | 5 | 0.98 |
| 59 | कुमारी सुआबाई जाटव मांगीलाल | 35135311877 | कराहल | 3 | 0.97 |
| 60 | तरूण तोमर | 907518210003955 | कराहल | 3 | 0.96 |
| 61 | लीला गुर्जर अमर सिंह | 35385363681 | कराहल | 4 | 0.94 |
| 62 | संतोषी | 38137897446 | कराहल | 2 | 0.93 |
| 63 | राजधर सिंह | 30266976780 | कराहल | 2 | 0.91 |
| 64 | सुरेश जगन्नाथ चंद्रपुरा | 50408100004706 | बड़ौदा | 2 | 0.91 |
| 65 | सतेंद्र सिंह तोमर | 916010072723044 | कराहल | 2 | 0.85 |
| 66 | ललिता आदिवासी | 39003881453 | कराहल | 2 | 0.82 |
| 67 | महेश पुत्र मांगीलाल जाटव | 183000573394 | कराहल | 3 | 0.80 |
| 68 | कुमारी मालती जाटव महेश | 34289953304 | कराहल | 4 | 0.78 |
| 69 | विजय सिंह | 34209200332 | कराहल | 2 | 0.77 |
| 70 | विपीन जाटव रमेश | 36368645355 | कराहल | 3 | 0.76 |
| 71 | संजय मंगल | 53038269013 | कराहल | 2 | 0.74 |
| 72 | मांगीलाल जाटव | 35135311822 | कराहल | 2 | 0.61 |
| 73 | अतबल पुत्र धनीराम टिकटोली | 906710110000095 | कराहल | 2 | 0.60 |
| 74 | सुवरन जाटव | 34501706605 | कराहल | 3 | 0.47 |
| 75 | बलवंत उमरिया | 63034079144 | कराहल | 1 | 0.43 |
| 76 | राधा जाटव | 32925137030 | कराहल | 2 | 0.38 |
| 77 | मोहन पुत्र चिरौंगी मोरावन | 36368645605 | कराहल | 1 | 0.31 |
| **योग** | | | | **472** | **114.73** |

**(स्रोत: संबंधित तहसीलदारों द्वारा प्रदाय भुगतान आदेश सूचियां, भौतिक बिल और स्वीकृति आदेश)**

## परिशिष्ट 2.1.4
## (संदर्भ: कंडिका क्रमांक 2.1.8.5, पृष्ठ क्रमांक 28)
## सीहोर जिले की तहसीलों में किये गये संदिग्ध कपटपूर्ण भुगतान का विवरण

| स. क्र. | लाभार्थी का नाम जिसके नाम पर भुगतान स्वीकृत किया गया था | खाता संख्या | बैंक में पाया गया वह नाम जिसे वास्तव में भुगतान किया गया | डी.डी.ओ. | इस खाते में कपटपूर्वक किए गए लेनदेन की संख्या | इस खाते में कपटपूर्वक जमा की गई कुल राशि (₹ लाख में) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | राकेश एवं मोहनसिंह घासीराम | 325302010095358 | प्रमोद चौरसिया | कलेक्टर एवं तहसीलदार इछावर | 77 | 29.33 |
| 2 | रामसिंह राजू | 32229812621 | प्रमोद चौरसिया पुत्र प्रहलाद | कलेक्टर एवं तहसीलदार इछावर | 32 | 7.49 |
| 3 | कृष्णा बाई धूलसिंह और सारदा बाई | 39700297043 | प्रीति चौरसिया | तहसीलदार इछावर एवं कलेक्टर | 18 | 10.50 |
| 4 | धर्म | 996910110004399 | धर्म सिंह पुत्र अठनिया कर्मचारी | तहसीलदार, रेहटी | 30 | 3.48 |
| 5 | निर्मिला बाई | 907810110001631 | धर्म सिंह पुत्र अठनिया | कलेक्टर एवं तहसीलदार, रेहटी | 28 | 2.86 |
| 6 | सुमन बाई | 996910110007856 | अठनिया पुत्र पार सिंह | कलेक्टर एवं तहसीलदार, रेहटी | 21 | 2.00 |
| 7 | शोरभ बाई और मुकेश | 902410110000671 | अठनिया पुत्र पार सिंह | तहसीलदार, रेहटी | 11 | 1.04 |
| 8 | वीमला बाई | 32152649125 | जेतन बारेला पत्नी धरम सिंह | तहसीलदार, रेहटी | 11 | 1.22 |
| 9 | गीता बाई और सेर सिंह | 907816710000003 | जेटन पत्नी धरम सिंह | तहसीलदार, रेहटी | 17 | 1.21 |
| 10 | लक्ष्मी बाई और सोरभ बाई | 902410510004165 | झूना बाई पत्नी अठनिया | कलेक्टर एवं तहसीलदार, रेहटी | 14 | 1.45 |
| 11 | प्रेमनारायण एवं रमेश एवं शिवचरण दरियाव | 325302010105941 | सुशील कुमार रायकवार | तहसीलदार इछावर एवं कलेक्टर | 40 | 15.64 |
| 12 | समीखान | 996910110000924 | अभिषेक शर्मा पुत्र दिनेश | तहसीलदार, रेहटी | 38 | 3.10 |
| 13 | कुलदीपसिंह सरदार सिंह गुलाटी | 996910110005930 | शेख इरफान पुत्र शेख शफीक | तहसीलदार, रेहटी | 26 | 2.58 |
| 14 | मीरा बाई और राजली बाई | 907810110000926 | नेहा पुत्री अदानिया | कलेक्टर एवं तहसीलदार, रेहटी | 23 | 1.77 |
| 15 | शरवन | 9979000100025622 | अनिल राजपूत | तहसीलदार, रेहटी | 18 | 1.31 |
| 16 | राम विलास | 954118210003048 | अनिल राजपूत | तहसीलदार, रेहटी | 17 | 1.15 |
| 17 | सुंदर | 996910110004770 | राकेश विश्वकर्मा | तहसीलदार, रेहटी | 17 | 1.30 |
| 18 | देवचंद | 30249665958 | अभिषेक शर्मा पुत्र दिनेश | तहसीलदार, रेहटी | 14 | 0.91 |
| 19 | मधुसूदन और कन्हिया | 33827747017 | विजेंद्र व्यास | तहसीलदार, रेहटी | 13 | 1.29 |
| 20 | ढुलूसिंह और दीपक | 901010110004080 | विजेंद्र व्यास पुत्र हरि प्रसाद | तहसीलदार, रेहटी | 13 | 0.96 |
| 21 | विश्रांति | 918010111540805 | शेख इरफान पुत्र शेख शफीक | तहसीलदार, रेहटी | 13 | 1.72 |
| 22 | फरहान | 32786586773 | शिवम कुमार | तहसीलदार, रेहटी | 10 | 0.54 |

| स. क्र. | लाभार्थी का नाम जिसके नाम पर भुगतान स्वीकृत किया गया था | खाता संख्या | बैंक में पाया गया वह नाम जिसे वास्तव में भुगतान किया गया | डी.डी.ओ. | इस खाते में कपटपूर्वक किए गए लेनदेन की संख्या | इस खाते में कपटपूर्वक जमा की गई कुल राशि (₹ लाख में) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | नारायण | 38546937983 | सिपाही मन मोहन जयसवाल | कलेक्टर | 10 | 0.60 |
| 24 | गंगा बाई | 901510110018025 | नरेंद्र राठौड़ | कलेक्टर एवं तहसीलदार रेहटी | 10 | 1.33 |
| 25 | देवेन्द्र श्यामल | 902410410000102 | धर्मेन्द्र यादव पुत्र भरमा | तहसीलदार, रेहटी | 10 | 0.75 |
| 26 | कृष्ण कुमार | 996910110014867 | संतोष कुमार पुत्र लखन लाल | तहसीलदार, रेहटी | 10 | 1.08 |
| 27 | शोभा राम और शेर सिंह | 996910110006224 | सुषमा बाई पत्नी अनार सिंह | तहसीलदार, रेहटी | 9 | 0.65 |
| 28 | सरिता | 1068104000029096 | अनिल कुमार नागर | तहसीलदार, रेहटी | 9 | 2.71 |
| 29 | नारायणा और गुड्डू | 20218567496 | गौरव गुप्ता | कलेक्टर एवं तहसीलदार इछावर | 8 | 2.14 |
| 30 | शेख मुनब्बर | 32124878422 | दीपक यादव | तहसीलदार, रेहटी | 8 | 1.27 |
| 31 | कर्ण सिंह | 996910110003790 | नारायण प्रसाद उइके कर्मचारी | तहसीलदार, रेहटी | 8 | 1.39 |
| 32 | फारूक खान और शाहनबाजखान | 1326670399 | संजय कुमार | तहसीलदार, रेहटी | 7 | 0.80 |
| 33 | भेरूसिंह एवं सोबलसिंह | 20323542461 | सोभाल सिंह | कलेक्टर एवं तहसीलदार आष्टा | 7 | 1.69 |
| 34 | रामसिंह | 31769008959 | श्रीमती प्रतिभा तिवारी | तहसीलदार आष्टा | 7 | 0.76 |
| 35 | खलील दुपाड़िया | 35746106330 | अनिल मेवाड़ा | तहसीलदार आष्टा | 6 | 0.67 |
| 36 | वैशाली | 902410110002806 | अनिल यादव पुत्र मधुसूदन यादव | तहसीलदार, रेहटी | 7 | 0.85 |
| 37 | परसराम | 902410110010556 | दीपक यादव पुत्र रामराज यादव | तहसीलदार, रेहटी | 7 | 1.17 |
| 38 | भगवान सिंह और शीला बाई | 903210110005244 | गीता परमार | तहसीलदार, रेहटी | 7 | 0.84 |
| 39 | अनन्यासिंह जवाहरसिंह अनुपमसिंह जवाहर सिंह | 907610110000343 | संदीप यादव पुत्र मोहन यादव | तहसीलदार, रेहटी | 7 | 1.13 |
| 40 | राजकुमार | 53000846630 | सतवीर सिंह यादव | तहसीलदार, रेहटी | 6 | 0.81 |
| 41 | रमियाबाई | 902410510004191 | हयाद खां पुत्र कल्लू खां | तहसीलदार, रेहटी | 6 | 0.78 |
| 42 | बानो बाई | 907810110000228 | मुकेश कुमार पुत्र संतोष | तहसीलदार, रेहटी | 6 | 0.57 |
| 43 | रीसाम्बई | 907810110000267 | रामबाबू पटेल पुत्र हरनाम सिंह | तहसीलदार, रेहटी | 6 | 0.92 |
| 44 | विमलसिंह | 9979000100047208 | पूजा राजपूत | तहसीलदार, रेहटी | 5 | 0.53 |
| 45 | रायसिंह | 20155700450 | मुकेश कुमार रजक | तहसीलदार, रेहटी | 4 | 1.15 |
| | **योग** | | | | **671** | **117.44** |

**(स्रोत: संबंधित डी.डी.ओ. और बैंकों द्वारा दी गई जानकारी)**

# परिशिष्ट-2.1.5 (क)
## (संदर्भ: कंडिका क्रमांक 2.1.8.5, पृष्ठ क्रमांक 29)
## शिवपुरी जिले में संदिग्ध कपटपूर्ण भुगतान का विवरण

| स. क्र. | अनधिकृत व्यक्ति का नाम जिसे वास्तविक लाभार्थियों के बजाय कपटपूर्वक भुगतान किया गया | अनधिकृत व्यक्ति का खाता क्रमांक | तहसील | उन लाभार्थियों की संख्या जिनकी राहत राशि कपटपूर्वक इस खाते में जमा की गई | इस खाते में कपटपूर्वक जमा की गई कुल राशि (₹ लाख में) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | दिलीप सिंह | 3350038841 | कोलारस | 5 | 0.88 |
| 2 | ममता बाई | 3350038013 | कोलारस | 13 | 2.24 |
| 3 | प्रदीप कुमार जाटव | 63006072222 | कोलारस | 10 | 1.30 |
| 4 | अजय सविता | 53035113568 | खनियाधाना | 4 | 0.85 |
| 5 | अजय सविता | 80002394279 | खनियाधाना | 7 | 3.49 |
| 6 | अभय सविता | 4781101001753 | खनियाधाना | 5 | 2.31 |
| 7 | अभय सविता | 50180013840686 | खनियाधाना | 6 | 3.61 |
| 8 | लक्ष्मी सविता | 53035127559 | खनियाधाना | 2 | 0.81 |
| 9 | कल्ला उर्फ़ श्याम | 63002391414 | खनियाधाना | 9 | 2.19 |
| 10 | अजीतरामकुसमी | 35133866151 | पिछोर | 6 | 1.66 |
| 11 | अंजू कुसमी | 35841337664 | पिछोर | 6 | 2.11 |
| 12 | गंगाकुसमी | 37160879902 | पिछोर | 9 | 2.23 |
| 13 | बलराम मनका | 32072636579 | पिछोर | 10 | 2.24 |
| 14 | बाबूलाल (बैंक में पिंकी चौहान) | 33000612168 | पिछोर | 3 | 0.65 |
| 15 | मणिकांत जैन | 672063037552 | पोहरी | 3 | 1.08 |
| 16 | संतोष (बैंक में संगीता जैन) | 8025230993 | पोहरी | 5 | 4.97 |
| 17 | संजय (बैंक में संगीता जैन) | 20463936985 | पोहरी | 3 | 2.90 |
| 18 | यशपाल (बैंक में यश जैन) | 20308583620 | पोहरी | 4 | 3.29 |
| 19 | नवलसिंह | 53036238225 | पोहरी | 10 | 2.49 |
| 20 | नीलम ज़ाल्क्सो | 33428272668 | पिछोर | 16 | 4.72 |
| 21 | राकेश जाटव | 20220429100 | खनियाधाना | 9 | 3.64 |
| 22 | संजय | 172110034877 | कोलारस | 16 | 3.37 |
| 23 | सीताराम | 1431783244 | कोलारस | 15 | 3.30 |
| 24 | कलाबती जाटव | 8025813307 | खनियाधाना | 7 | 3.28 |
| 25 | राजेश | 33940754103 | कोलारस | 15 | 3.28 |
| 26 | रामनिवास | 33326263296 | खनियाधाना | 7 | 3.09 |
| 27 | रामनिवास | 172001963477 | खनियाधाना | 5 | 2.90 |
| 28 | मानसिंह | 80002780990 | खनियाधाना | 8 | 2.86 |
| 29 | प्रागीलाल अहिरवार | 32999778599 | पिछोर | 10 | 2.86 |
| 30 | शुभम | 888010110012149 | कोलारस | 12 | 2.85 |
| 31 | गोविद सिंह | 8025813613 | खनियाधाना | 7 | 2.79 |
| 32 | रजनी | 80027435016 | खनियाधाना | 8 | 2.66 |
| 33 | श्यामलाल | 80020789877 | खनियाधाना | 7 | 2.63 |
| 34 | बालकिशन | 10743847265 | कोलारस | 15 | 2.61 |
| 35 | अरविंद | 1431759685 | कोलारस | 14 | 2.58 |
| 36 | अरबिन्द अहिरवार | 33551049080 | खनियाधाना | 7 | 2.52 |

| स. क्र. | अनधिकृत व्यक्ति का नाम जिसे वास्तविक लाभार्थियों के बजाय कपटपूर्वक भुगतान किया गया | अनधिकृत व्यक्ति का खाता क्रमांक | तहसील | उन लाभार्थियों की संख्या जिनकी राहत राशि कपटपूर्वक इस खाते में जमा की गई | इस खाते में कपटपूर्वक जमा की गई कुल राशि (₹ लाख में) |
|---|---|---|---|---|---|
| 37 | शुभम कुमार | 242001000004762 | कोलारस | 11 | 2.44 |
| 38 | ऋचा बाई | 917010070317268 | कोलारस | 12 | 2.44 |
| 39 | नीलेश कुमार | 888110110009049 | कोलारस | 11 | 2.40 |
| 40 | रामचरण बिस्कर्मा | 80012248046 | खनियाधाना | 7 | 2.37 |
| 41 | कमलकांत | 63042809560 | पोहरी | 6 | 2.30 |
| 42 | रचना बाई | 32390260545 | कोलारस | 13 | 2.27 |
| 43 | राजेश | 34558648239 | पिछोर | 8 | 2.23 |
| 44 | ऋचा बाई | 888110110001235 | कोलारस | 13 | 2.20 |
| 45 | प्रियंका बाई | 34283367236 | कोलारस | 13 | 2.20 |
| 46 | राकेश लोधी | 20290179879 | कोलारस | 14 | 2.19 |
| 47 | मंजू | 33849310004 | पिछोर | 6 | 2.19 |
| 48 | अतरसिंह | 888110110000235 | कोलारस | 12 | 2.18 |
| 49 | अहशान | 4921000034510 | खनियाधाना | 4 | 2.16 |
| 50 | पुरूषोत्तम | 31418045030 | कोलारस | 12 | 2.14 |
| 51 | राजकुमार | 888110110007175 | कोलारस | 7 | 2.14 |
| 52 | राघवेंद्र सिंह | 916010029306564 | कोलारस | 7 | 2.14 |
| 53 | नीलेश | 5977108000034 | कोलारस | 9 | 2.13 |
| 54 | उपै धाकड़ | 63034166775 | कोलारस | 8 | 2.05 |
| 55 | अभिलाषा | 906510410000185 | खनियाधाना | 4 | 2.04 |
| 56 | बलराम यादव | 80012654681 | खनियाधाना | 7 | 2.04 |
| 57 | शिशुपाल लोधी | 32107167247 | खनियाधाना | 6 | 1.95 |
| 58 | बलबीर सिंह ठाकुर | 8025803387 | खनियाधाना | 7 | 1.94 |
| 59 | ज्योति | 80028929648 | खनियाधाना | 5 | 1.94 |
| 60 | नीलेश बाई | 32908090099 | कोलारस | 11 | 1.94 |
| 61 | दिनेश | 31786775869 | कोलारस | 7 | 1.93 |
| 62 | दिनुआ | 31569307344 | कोलारस | 9 | 1.88 |
| 63 | राजा बाबू | 80028210863 | खनियाधाना | 5 | 1.87 |
| 64 | अनिल कुमार | 36315315168 | कोलारस | 12 | 1.85 |
| 65 | मेहरबान | 172001963466 | खनियाधाना | 5 | 1.85 |
| 66 | अमित कुमार | 53037143750 | कोलारस | 7 | 1.85 |
| 67 | साधना बाई कोमलबाई | 945210110014168 | कोलारस | 8 | 1.83 |
| 68 | रामस्वरूप | 33168381503 | कोलारस | 9 | 1.82 |
| 69 | रामकुमार | 32333564610 | खनियाधाना | 7 | 1.82 |
| 70 | सेवराज पाल | 8025803489 | खनियाधाना | 5 | 1.78 |
| 71 | परसराम लोधी | 80011502559 | खनियाधाना | 6 | 1.78 |
| 72 | गायत्री गुप्ता | 31713108132 | कोलारस | 8 | 1.76 |
| 73 | सुरेंद्र (बैंक में मनोज साहू) | 80030160609 | खनियाधाना | 4 | 1.74 |
| 74 | सुरेश | 32518271079 | खनियाधाना | 3 | 1.74 |
| 75 | बृजमोहन | 31902390198 | कोलारस | 7 | 1.72 |
| 76 | तुलसीराम | 172002289063 | खनियाधाना | 5 | 1.72 |

| स. क्र. | अनधिकृत व्यक्ति का नाम जिसे वास्तविक लाभार्थियों के बजाय कपटपूर्वक भुगतान किया गया | अनधिकृत व्यक्ति का खाता क्रमांक | तहसील | उन लाभार्थियों की संख्या जिनकी राहत राशि कपटपूर्वक इस खाते में जमा की गई | इस खाते में कपटपूर्वक जमा की गई कुल राशि (₹ लाख में) |
|---|---|---|---|---|---|
| 77 | कलावती | 172002289007 | खनियाधाना | 5 | 1.72 |
| 78 | हरिचरण | 63002319787 | कोलारस | 5 | 1.71 |
| 79 | रघुबीर | 34413506685 | पोहरी | 8 | 1.70 |
| 80 | सुनील | 8028574771 | खनियाधाना | 4 | 1.59 |
| 81 | शैल वर्मा | 50150081046337 | कोलारस | 6 | 1.59 |
| 82 | माजो | 2567000100101728 | खनियाधाना | 4 | 1.56 |
| 83 | पराग | 3389003597 | कोलारस | 5 | 1.55 |
| 84 | अर्चना | 613202010006582 | कोलारस | 7 | 1.55 |
| 85 | बचन लाल पुत्र मानाराम धाकड़ | 53029555673 | कोलारस | 7 | 1.55 |
| 86 | गजेन्द्र | 31014417576 | कोलारस | 6 | 1.53 |
| 87 | दिलीप सिंह | 31494306547 | कोलारस | 6 | 1.53 |
| 88 | रागराज | 8025846275 | खनियाधाना | 6 | 1.50 |
| 89 | सोनुआ सोमा | 30209039686 | कोलारस | 8 | 1.48 |
| 90 | मलखान आदिवासी | 34754527572 | खनियाधाना | 6 | 1.47 |
| 91 | राकेश | 2567000100102745 | खनियाधाना | 4 | 1.46 |
| 92 | सियाराम लोधी | 80002437317 | खनियाधाना | 5 | 1.45 |
| 93 | मीना बाई | 888110310000712 | कोलारस | 7 | 1.44 |
| 94 | मोहर सिंह यादव | 8025839176 | खनियाधाना | 4 | 1.43 |
| 95 | रविंद्र | 53021014041 | पिछोर | 7 | 1.42 |
| 96 | रामबती अहिरवार | 8025813862 | खनियाधाना | 7 | 1.41 |
| 97 | विश्वनाथ | 10547318223 | कोलारस | 5 | 1.40 |
| 98 | कल्पना गोहरी | 63051903005 | कोलारस | 6 | 1.39 |
| 99 | हरिशंकर शर्मा | 32633962111 | खनियाधाना | 4 | 1.39 |
| 100 | स्नेहा | 3483729032 | कोलारस | 4 | 1.38 |
| 101 | रिंकू रघुवंसी | 3305700518 | कोलारस | 8 | 1.38 |
| 102 | अभिषेक | 34312218491 | पिछोर | 4 | 1.37 |
| 103 | अपर्णा | 888110510000691 | कोलारस | 4 | 1.37 |
| 104 | रजनी | 32666280200 | खनियाधाना | 4 | 1.37 |
| 105 | हजारी | 888110110007160 | कोलारस | 5 | 1.35 |
| 106 | बबीता | 945110110014678 | कोलारस | 9 | 1.35 |
| 107 | कणिका | 38529321933 | कोलारस | 4 | 1.35 |
| 108 | निब्बा | 80012329377 | खनियाधाना | 5 | 1.35 |
| 109 | रतिराम | 33690838155 | खनियाधाना | 5 | 1.34 |
| 110 | हक्की | 80023903034 | पोहरी | 6 | 1.33 |
| 111 | रामप्यारी लोधी | 172000471306 | खनियाधाना | 5 | 1.33 |
| 112 | रणधीरा | 33461631153 | पिछोर | 6 | 1.32 |
| 113 | अमरचंद | 34681578303 | पोहरी | 5 | 1.32 |
| 114 | मेहरून बानो | 3162121006549 | खनियाधाना | 3 | 1.31 |
| 115 | आदेश | 32092586088 | खनियाधाना | 4 | 1.30 |
| 116 | अतरसिंह | 34658542079 | पोहरी | 6 | 1.30 |

| स. क्र. | अनधिकृत व्यक्ति का नाम जिसे वास्तविक लाभार्थियों के बजाय कपटपूर्वक भुगतान किया गया | अनधिकृत व्यक्ति का खाता क्रमांक | तहसील | उन लाभार्थियों की संख्या जिनकी राहत राशि कपटपूर्वक इस खाते में जमा की गई | इस खाते में कपटपूर्वक जमा की गई कुल राशि (₹ लाख में) |
|---|---|---|---|---|---|
| 117 | धर्मेंद्र | 80030447377 | खनियाधाना | 3 | 1.29 |
| 118 | बेजनाथ | 34419418477 | पोहरी | 6 | 1.28 |
| 119 | सीताराम | 672057018388 | खनियाधाना | 4 | 1.27 |
| 120 | संजय कुमार | 31046773692 | कोलारस | 4 | 1.26 |
| 121 | विश्वनाथ | 28301515153 | कोलारस | 4 | 1.23 |
| 122 | रेखा देवी | 16810100092567 | कोलारस | 6 | 1.21 |
| 123 | प्रगति सिंह | 4760101000203 | कोलारस | 4 | 1.21 |
| 124 | अशरफी | 888110110014522 | कोलारस | 3 | 1.21 |
| 125 | विनीत सिंह | 63042974953 | कोलारस | 5 | 1.21 |
| 126 | दौजा (बैंक में नंदलाल धाकड़) | 34500408928 | पोहरी | 6 | 1.18 |
| 127 | दिनेश (बैंक में गीता देवी) | 53021050567 | पिछोर | 4 | 1.17 |
| 128 | सिलवंती | 172001987295 | पिछोर | 4 | 1.16 |
| 129 | लक्ष्मी बाई | 906510110009574 | खनियाधाना | 5 | 1.16 |
| 130 | रामेशर | 3162191036668 | कोलारस | 4 | 1.16 |
| 131 | गुनिया | 80002753740 | खनियाधाना | 6 | 1.13 |
| 132 | रामेश्वर पचावाला | 917010042486253 | कोलारस | 5 | 1.11 |
| 133 | राजेश | 63011006693 | खनियाधाना | 2 | 1.10 |
| 134 | बद्री (बैंक में प्रागीलाल अहिरवार) | 34688023206 | पिछोर | 6 | 1.03 |
| 135 | भूपत आदिवासी | 8025812961 | खनियाधाना | 6 | 1.02 |
| 136 | लक्ष्मी बाई | 31029300831 | खनियाधाना | 5 | 1.00 |
| 137 | आरती | 31888627087 | खनियाधाना | 4 | 0.96 |
| 138 | सोराव | 32699663613 | पिछोर | 4 | 0.95 |
| 139 | संजीव | 919010028862864 | कोलारस | 3 | 0.88 |
| 140 | अवतार | 63035306815 | पोहरी | 8 | 0.87 |
| 141 | जशोदा | 919010028862709 | कोलारस | 3 | 0.86 |
| 142 | रश्मी गुप्ता | 172000493681 | पिछोर | 3 | 0.86 |
| 143 | राजकुमारी | 919010028862819 | कोलारस | 3 | 0.84 |
| 144 | रेवाराम | 919010028862848 | कोलारस | 3 | 0.83 |
| 145 | सोनाली | 945110110008424 | कोलारस | 4 | 0.83 |
| 146 | दीपक | 919010028862712 | कोलारस | 3 | 0.82 |
| 147 | बबीता बाई | 2964001500031005 | कोलारस | 4 | 0.82 |
| 148 | रामकिशन | 919010028862615 | कोलारस | 3 | 0.82 |
| 149 | गीता बाई | 919010028862411 | कोलारस | 3 | 0.81 |
| 150 | राकेश | 8025812790 | खनियाधाना | 2 | 0.81 |
| 151 | रामनिवास | 919010028862466 | कोलारस | 3 | 0.80 |
| 152 | गोलू सिंह | 919010028862660 | कोलारस | 3 | 0.80 |
| 153 | मलखान | 34500408587 | पोहरी | 5 | 0.79 |
| 154 | रामरतन | 919010028862372 | कोलारस | 3 | 0.79 |
| 155 | महेंद्र यादव | 32436612536 | खनियाधाना | 3 | 0.78 |

| स. क्र. | अनधिकृत व्यक्ति का नाम जिसे वास्तविक लाभार्थियों के बजाय कपटपूर्वक भुगतान किया गया | अनधिकृत व्यक्ति का खाता क्रमांक | तहसील | उन लाभार्थियों की संख्या जिनकी राहत राशि कपटपूर्वक इस खाते में जमा की गई | इस खाते में कपटपूर्वक जमा की गई कुल राशि (₹ लाख में) |
|---|---|---|---|---|---|
| 156 | केदारी | 919010028862440 | कोलारस | 3 | 0.78 |
| 157 | मुनेश | 919010028862644 | कोलारस | 3 | 0.77 |
| 158 | सुरेश (बैंक में, श्रीमान अध्यक्ष जे.एम.एम. एस.एच.जी. वाद्मोन) | 53021034997 | पिछोर | 3 | 0.72 |
| 159 | बाबूलाल | 80002494490 | खनियाधाना | 5 | 0.72 |
| 160 | लालाराम | 37088179662 | पिछोर | 5 | 0.67 |
| 161 | अखंचा | 34312218605 | पिछोर | 2 | 0.66 |
| 162 | देवेन्द्र | 63001213975 | कोलारस | 3 | 0.65 |
| 163 | तेज प्रकाश | 34497795305 | पिछोर | 4 | 0.61 |
| 164 | शिशुपाल | 32045908092 | पोहरी | 6 | 0.57 |
| **योग** | | | | **1030** | **277.30** |

**(स्रोत: कलेक्टर, शिवपुरी द्वारा प्रस्तुत भुगतान आदेश सूचियां और बिल)**

## परिशिष्ट-2.1.5 (ख)
## (संदर्भ: कंडिका क्रमांक 2.1.8.5, पृष्ठ क्रमांक 29)
## शिवपुरी जिले की पोहरी तहसील में वेतन एवं अन्य मदों से संदिग्ध कपटपूर्ण आहरण का विवरण

| स. क्र. | कर्मचारी/व्यक्ति का नाम जिसके नाम पर भुगतान निकाला/स्वीकृत किया गया | खाता संख्या | आई.एफ. एस.सी. कोड | बैंक में पाया गया वह नाम जिसे वास्तव में भुगतान किया गया | भुगतान दिनांक | भुगतान की गई राशि ₹ में | बिल संदर्भ संख्या | लेखा शीर्ष |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | मणिकांत जैन | 672063037552 | सीबीआईएन0एमपीडीसीबीआई | मणिकांत जैन | 26-04-21 | 1,324 | एफ.वी.सी. बिल/ 20009226844 | 2053-00-094-9999-0619-00000000-22 |
| 2 | मणिकांत जैन | 672063037552 | सीबीआईएन0एमपीडीसीबीआई | मणिकांत जैन | 17-06-21 | 17,000 | एफ.वी.सी. बिल/ 20009588346 | 2053-00-094-9999-0619-00000000-22 |
| 3 | मणिकांत जैन | 672063037552 | सीबीआईएन0एमपीडीसीबीआई | मणिकांत जैन | 19-02-21 | 4,600 | एफ.वी.सी. बिल/ 20008578943 | 2053-00-094-9999-0619-00000000-22 |
| 4 | मणिकांत जैन | 672063037552 | सीबीआईएन0एमपीडीसीबीआई | मणिकांत जैन | 04-02-21 | 13,549 | एफ.वी.सी. बिल/ 20008461092 | 2053-00-094-9999-0619-00000000-22 |
| 5 | मणिकांत जैन | 672063037552 | सीबीआईएन0एमपीडीसीबीआई | मणिकांत जैन | 23-06-20 | 15,000 | एफ.वी.सी. बिल/ 20006478215 | 2053-00-094-9999-0619-00000000-22 |
| 6 | मणिकांत जैन | 672063037552 | सीबीआईएन0एमपीडीसीबीआई | मणिकांत जैन | 19-02-21 | 19,000 | एफ.वी.सी. बिल/ 20008579019 | 2053-00-094-9999-0619-00000000-22 |
| 7 | मणिकांत जैन | 672063037552 | सीबीआईएन0एमपीडीसीबीआई | मणिकांत जैन | 28-02-20 | 3,000 | एफ.वी.सी. बिल/ 20005729795 | 2053-00-094-9999-0619-00000000-22 |
| 8 | मणिकांत जैन | 672063037552 | सीबीआईएन0एमपीडीसीबीआई | मणिकांत जैन | 28-02-20 | 2,000 | एफ.वी.सी. बिल/ 20005730635 | 2053-00-094-9999-0619-00000000-33 |
| 9 | मणिकांत जैन | 672063037552 | सीबीआईएन0एमपीडीसीबीआई | मणिकांत जैन | 28-02-20 | 1,750 | एफ.वी.सी. बिल/ 20005730465 | 2053-00-094-9999-0619-00000000-22 |
| 10 | मणिकांत जैन | 672063037552 | सीबीआईएन0एमपीडीसीबीआई | मणिकांत जैन | 11-02-19 | 27,483 | एरियर बिफोर 2006/ 20002368193 | 2029-00-102-9999-2503-00000000-11 |
| 11 | सफीक मोहम्मद | 672063037552 | सीबीआईएन0एमपीडीसीबीआई | मणिकांत जैन | 23-06-20 | 26,606 | वेतन बिल / 20006477363 | 2053-00-094-9999-0619-00000000-11 |
| 12 | सुनीता रावत | 672063037552 | सीबीआईएन0एमपीडीसीबीआई | मणिकांत जैन | 30-06-20 | 27,603 | वेतन बिल / 20006532063 | 2029-00-103-9999-1472-00000000-11 |
| 13 | मणिकांत जैन | 672063037552 | सीबीआईएन0एमपीडीसीबीआई | मणिकांत जैन | 03-08-19 | 20,000 | वेतन बिल / एरियर/ 20003772913 | 2029-00-103-9999-1472-00000000-11 |
| 14 | मणिकांत जैन | 672063037552 | सीबीआईएन0एमपीडीसीबीआई | मणिकांत जैन | 12-07-19 | 20,000 | वेतन बिल / एरियर/ 20003636729 | 2029-00-103-9999-1472-00000000-11 |

| स. क्र. | कर्मचारी/व्यक्ति का नाम जिसके नाम पर भुगतान निकाला/स्वीकृत किया गया | खाता संख्या | आई.एफ. एस.सी. कोड | बैंक में पाया गया वह नाम जिसे वास्तव में भुगतान किया गया | भुगतान दिनांक | भुगतान की गई राशि ₹ में | बिल संदर्भ संख्या | लेखा शीर्ष |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | कैलाशनारायण बड़ौदी | 67206303 7552 | सीबीआईएन 0एमपीडीसी बीआई | मणिकांत जैन | 21-11-19 | 59,716 | वेतन बिल / 20004801768 | 2053-00-094-9999-0619-00000000-11 |
| 16 | पवन कुमार शर्मा | 80252309 33 | एसबीआईए न0आरआर एमबीजीबी | श्रीमती संगीता जैन | 25-11-21 | 28,703 | वेतन बिल / 200010903530 | 2029-00-103-9999-1472-00000000-11 |
| 17 | संतोष | 80252309 33 | एसबीआईए न0आरआर एमबीजीबी | श्रीमती संगीता जैन | 08-02-22 | 19,875 | एफ.वी.सी. बिल/ 200011609502 | 2053-00-094-9999-0619-00000000-22 |
| 18 | संतोष | 80252309 33 | एसबीआईए न0आरआर एमबीजीबी | श्रीमती संगीता जैन | 08-02-22 | 19,500 | एफ.वी.सी. बिल/ 200011609638 | 2053-00-094-9999-0619-00000000-22 |
| 19 | कप्तान सिंह यादव | 80252309 93 | एसबीआईए न0आरआर एमबीजीबी | श्रीमती संगीता जैन | 28-01-22 | 28,548 | वेतन बिल / 200011469523 | 2029-00-103-9999-1472-00000000-11 |
| 20 | दीपक गुप्ता | 80252309 93 | एसबीआईए न0आरआर एमबीजीबी | श्रीमती संगीता जैन | 25-11-21 | 28,703 | वेतन बिल / 200010903530 | 2029-00-103-9999-1472-00000000-11 |
| 21 | ज्योति राठोर | 80252309 93 | एसबीआईए न0आरआर एमबीजीबी | श्रीमती संगीता जैन | 25-11-21 | 28,703 | वेतन बिल / 200010903530 | 2029-00-103-9999-1472-00000000-11 |
| 22 | अनिल कुमार स्वर्णकार | 80252309 93 | एसबीआईए न0आरआर एमबीजीबी | श्रीमती संगीता जैन | 25-11-21 | 28,703 | वेतन बिल / 200010903530 | 2029-00-103-9999-1472-00000000-11 |
| 23 | आशा धाकड़ | 80252309 93 | एसबीआईए न0आरआर एमबीजीबी | श्रीमती संगीता जैन | 25-11-21 | 24,408 | वेतन बिल / 200010903530 | 2029-00-103-9999-1472-00000000-11 |
| 24 | दिनेश स्वर्णकार | 80252309 93 | एसबीआईए न0आरआर एमबीजीबी | श्रीमती संगीता जैन | 25-11-21 | 28,703 | वेतन बिल / 200010903530 | 2029-00-103-9999-1472-00000000-11 |
| 25 | अंबेत सिंह जाटव | 80252309 93 | एसबीआईए न0आरआर एमबीजीबी | श्रीमती संगीता जैन | 25-11-21 | 28,678 | वेतन बिल / 200010903530 | 2029-00-103-9999-1472-00000000-11 |
| 26 | संतोष | 80252309 93 | एसबीआईए न0आरआर एमबीजीबी | श्रीमती संगीता जैन | 11-02-19 | 77,020 | एरियर बिफोर 2006/ 20002368134 | 2053-00-094-9999-0619-00000000-11 |
| 27 | देवेन्द्र सिंह गौंड | 80252309 93 | एसबीआईए न0आरआर एमबीजीबी | श्रीमती संगीता जैन | 05-07-21 | 21,202 | वेतन बिल / 20009765357 | 2029-00-103-9999-1472-00000000-11 |
| 28 | देवेन्द्र सिंह गौंड | 80252309 93 | एसबीआईए न0आरआर एमबीजीबी | श्रीमती संगीता जैन | 17-06-21 | 7,067 | वेतन बिल / 20009584827 | 2029-00-103-9999-1472-00000000-11 |
| 29 | देवेन्द्र सिंह गौंड | 80252309 93 | एसबीआईए न0आरआर एमबीजीबी | श्रीमती संगीता जैन | 05-07-21 | 14,832 | वेतन बिल / 20009765337 | 2029-00-103-9999-1472-00000000-11 |
| 30 | संतोष | 80252309 93 | एसबीआईए न0आरआर एमबीजीबी | श्रीमती संगीता जैन | 17-06-21 | 18,000 | एफ.वी.सी. बिल/ 20009588374 | 2053-00-094-9999-0619-00000000-22 |

| स. क्र. | कर्मचारी/व्यक्ति का नाम जिसके नाम पर भुगतान निकाला/स्वीकृत किया गया | खाता संख्या | आई.एफ.एस.सी. कोड | बैंक में पाया गया वह नाम जिसे वास्तव में भुगतान किया गया | भुगतान दिनांक | भुगतान की गई राशि ₹ में | बिल संदर्भ संख्या | लेखा शीर्ष |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | संतोष | 8025230993 | एसबीआईए न0आरआर एमबीजीबी | श्रीमती संगीता जैन | 09-04-20 | 75,000 | अनुदान/ 20006020943 | 2245-80-800-9999-5504-00000000-51 |
| 32 | संतोष | 8025230993 | एसबीआईए न0आरआर एमबीजीबी | श्रीमती संगीता जैन | 19-02-21 | 7,000 | एफ.वी.सी. बिल/ 20008579170 | 2053-00-094-9999-0619-00000000-22 |
| 33 | संतोष शर्मा | 20463936985 | एसबीआईए न0030086 | श्रीमती संगीता जैन | 25-11-21 | 28,703 | वेतन बिल / 200010903530 | 2029-00-103-9999-1472-00000000-11 |
| 34 | पूजा शर्मा | 20463936985 | एसबीआईए न0030087 | श्रीमती संगीता जैन | 25-11-21 | 28,678 | वेतन बिल / 200010903530 | 2029-00-103-9999-1472-00000000-11 |
| 35 | स्मि लक्ष्मी शर्मा | 20463936985 | एसबीआईए न0030088 | श्रीमती संगीता जैन | 25-11-21 | 32,018 | वेतन बिल / 200010903530 | 2029-00-103-9999-1472-00000000-11 |
| 36 | विक्रम रावत | 20463936985 | एसबीआईए न0030089 | श्रीमती संगीता जैन | 25-11-21 | 28,703 | वेतन बिल / 200010903530 | 2029-00-103-9999-1472-00000000-11 |
| 37 | सुनीता रावत | 20463936985 | एसबीआईए न0030090 | श्रीमती संगीता जैन | 25-11-21 | 38,948 | वेतन बिल / 200010903530 | 2029-00-103-9999-1472-00000000-11 |
| 38 | रवि कुमार वर्मा | 20463936985 | एसबीआईए न0030091 | श्रीमती संगीता जैन | 25-11-21 | 28,703 | वेतन बिल / 200010903530 | 2029-00-103-9999-1472-00000000-11 |
| 39 | संदीप वर्मा | 20463936985 | एसबीआईए न0030092 | श्रीमती संगीता जैन | 25-11-21 | 28,703 | वेतन बिल / 200010903530 | 2029-00-103-9999-1472-00000000-11 |
| 40 | राकेश यादव | 20463936985 | एसबीआईए न0030093 | श्रीमती संगीता जैन | 11-02-19 | 102,496 | एरियर बिफोर 2006/ 20002369587 | 2029-00-103-9999-1472-00000000-11 |
| 41 | राकेश यादव | 20463936985 | एसबीआईए न0030094 | श्रीमती संगीता जैन | 11-02-19 | 77,020 | एरियर बिफोर 2006/ 20002368134 | 2053-00-094-9999-0619-00000000-11 |
| 42 | राकेश यादव | 20463936985 | एसबीआईए न0030095 | श्रीमती संगीता जैन | 26-11-19 | 100,000 | अनुदान /20004841599 | 2245-80-800-9999-6097-00000000-44 |
| 43 | योगेन्द्र शर्मा | 20308583620 | एसबीआईए न0030086 | यश कुमार जैन | 03-11-21 | 22,482 | वेतन बिल / 200010798109 | 2029-00-103-9999-1472-00000000-11 |
| 44 | अभिषेक मिश्रा | 20308583620 | एसबीआईए न0030087 | यश कुमार जैन | 01-11-21 | 16,398 | वेतन बिल / 200010718332 | 2029-00-103-9999-1472-00000000-11 |
| 45 | राजेश कुमार धाकड़ | 20308583620 | एसबीआईए न0030088 | यश कुमार जैन | 28-01-22 | 28,703 | वेतन बिल / 200011469531 | 2029-00-103-9999-1472-00000000-11 |
| 46 | अशोक कुमार मिश्र | 20308583620 | एसबीआईए न0030089 | यश कुमार जैन | 01-11-21 | 32,908 | वेतन बिल / 200010718288 | 2029-00-103-9999-1472-00000000-11 |
| 47 | विवकानंद शर्मा | 20308583620 | एसबीआईए न0030090 | यश कुमार जैन | 01-11-21 | 20,332 | वेतन बिल / 200010718398 | 2029-00-103-9999-1472-00000000-11 |
| 48 | भगत सिंह | 20308583620 | एसबीआईए न0030091 | यश कुमार जैन | 11-02-19 | 77,020 | एरियर बिफोर 2006/ 20002368134 | 2053-00-094-9999-0619-00000000-11 |
| 49 | पुष्पिता शर्मा | 20308583620 | एसबीआईए न0030092 | यश कुमार जैन | 05-07-21 | 15,241 | वेतन बिल / 20009765372 | 2029-00-103-9999-1472-00000000-11 |
| 50 | पुष्पिता शर्मा | 20308583620 | एसबीआईए न0030093 | यश कुमार जैन | 17-06-21 | 15,241 | वेतन बिल / 20009584840 | 2029-00-103-9999-1472-00000000-11 |
| 51 | रामस्वरूप आदिवासी | 20308583620 | एसबीआईए न0030094 | यश कुमार जैन | 29-04-20 | 132,591 | वेतन बिल / 20006112869 | 2053-00-094-9999-0619-00000000-11 |

| स. क्र. | कर्मचारी/व्यक्ति का नाम जिसके नाम पर भुगतान निकाला/स्वीकृत किया गया | खाता संख्या | आई.एफ. एस.सी. कोड | बैंक में पाया गया वह नाम जिसे वास्तव में भुगतान किया गया | भुगतान दिनांक | भुगतान की गई राशि ₹ में | बिल संदर्भ संख्या | लेखा शीर्ष |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52 | रामस्वरूप आदिवासी | 20308583 620 | एसबीआईए न0030095 | यश कुमार जैन | 28-04-20 | 25,800 | वेतन बिल / 20006112504 | 2053-00-094-9999-0619-00000000-11 |
| 53 | भगत सिंह | 20308583 620 | एसबीआईए न0030096 | यश कुमार जैन | 17-06-21 | 17,000 | एफ.वी.सी. बिल/ 20009588473 | 2053-00-094-9999-0619-00000000-22 |
| 54 | भगत सिंह | 20308583 620 | एसबीआईए न0030097 | यश कुमार जैन | 17-06-21 | 18,000 | एफ.वी.सी. बिल/ 20009588299 | 2053-00-094-9999-0619-00000000-22 |
| 55 | भगत सिंह | 20308583 620 | एसबीआईए न0030098 | यश कुमार जैन | 09-04-20 | 75,000 | अनुदान/ 20006020943 | 2245-80-800-9999-5504-00000000-51 |
| 56 | भगत सिंह | 20308583 620 | एसबीआईए न0030099 | यश कुमार जैन | 19-02-21 | 16,000 | एफ.वी.सी. बिल/ 20008579125 | 2053-00-094-9999-0619-00000000-22 |
| 57 | भगत सिंह | 20308583 620 | एसबीआईए न0030100 | यश कुमार जैन | 22-05-19 | 18,485 | एफ.वी.सी. बिल/ 20003208955 | 2053-00-094-9999-0619-00000000-22 |
| 58 | भगत सिंह | 20308583 620 | एसबीआईए न0030101 | यश कुमार जैन | 26-11-19 | 90,000 | अनुदान/ 20004841599 | 2245-80-800-9999-6097-00000000-44 |
| 59 | भगत सिंह | 20308583 620 | एसबीआईए न0030102 | यश कुमार जैन | 28-02-20 | 12,820 | एफ.वी.सी. बिल/ 20005729977 | 2053-00-094-9999-0619-00000000-22 |
| 60 | भगत सिंह | 20308583 620 | एसबीआईए न0030103 | यश कुमार जैन | 28-02-20 | 11,150 | एफ.वी.सी. बिल/ 20005730260 | 2053-00-094-9999-0619-00000000-22 |
| 61 | रामकुमार | 91701007 4182077 | यूटीआईबी 0001022 | हर्ष कुमार जैन | 25-03-22 | 19,950 | एफ.वी.सी. बिल/ 200012011699 | 2053-00-094-9999-0619-00000000-22 |
| 62 | रामकुमार | 91701007 4182077 | यूटीआईबी 0001023 | हर्ष कुमार जैन | 28-01-22 | 19,925 | एफ.वी.सी. बिल/ 200011488069 | 2053-00-094-9999-0619-00000000-22 |
| 63 | रामकुमार | 91701007 4182077 | यूटीआईबी 0001024 | हर्ष कुमार जैन | 16-11-21 | 10,000 | एफ.वी.सी. बिल/ 200010844368 | 2053-00-094-9999-0619-00000000-22 |
| 64 | रामकुमार | 91701007 4182077 | यूटीआईबी 0001025 | हर्ष कुमार जैन | 28-01-22 | 19,850 | एफ.वी.सी. बिल/ 200011487789 | 2053-00-094-9999-0619-00000000-22 |
| 65 | माला दुबे | 91701007 4182077 | यूटीआईबी 0001026 | हर्ष कुमार जैन | 28-01-22 | 28,199 | वेतन बिल / 200011469517 | 2029-00-103-9999-1472-00000000-11 |
| 66 | गजन लाल बाथम | 91701007 4182077 | यूटीआईबी 0001027 | हर्ष कुमार जैन | 17-12-21 | 26,135 | वेतन बिल / 200011129212 | 2053-00-094-9999-0619-00000000-11 |
| 67 | जगदीश प्रसाद श्रीवास्तव | 91701007 4182077 | यूटीआईबी 0001028 | हर्ष कुमार जैन | 17-12-21 | 46,492 | वेतन बिल / 200011129177 | 2029-00-103-9999-1472-00000000-11 |
| 68 | रानू कुशवाह | 91701007 4182077 | यूटीआईबी 0001029 | हर्ष कुमार जैन | 13-01-22 | 32,411 | वेतन बिल / 200011384066 | 2029-00-103-9999-1472-00000000-11 |
| 69 | अमित गुप्ता | 91701007 4182077 | यूटीआईबी 0001030 | हर्ष कुमार जैन | 17-12-21 | 27,024 | वेतन बिल / 200011129195 | 2029-00-103-9999-1472-00000000-11 |
| 70 | राजेंद्र प्रसाद ओझा | 91701007 4182077 | यूटीआईबी 0001031 | हर्ष कुमार जैन | 28-01-22 | 20,348 | वेतन बिल / 200011469510 | 2029-00-103-9999-1472-00000000-11 |
| 71 | सुनीता | 14317979 16 | सीबीआईएन 0280780 | कंप्यूटर प्रो श्रीमती सुनीता | 11-02-19 | 154,000 | एरियर बिफोर 2006/ 20002369587 | 2029-00-103-9999-1472-00000000-11 |
| **योग** | | | | | | **22,86,753** | | |

**(स्रोत: तहसीलदार, पोहरी द्वारा दी गई जानकारी)**

## परिशिष्ट-2.1.6

## (संदर्भ: कंडिका क्रमांक 2.1.8.5, पृष्ठ क्रमांक 30)

## देवास जिले में संदिग्ध कपटपूर्ण राहत वितरण का विवरण

| स. क्र. | लाभार्थी का नाम जिसे ई-भुगतान के अनुसार राहत स्वीकृत की गई | खाता संख्या | बैंक में पाया गया वह नाम जिसे वास्तव में भुगतान किया गया | डी.डी.ओ. | इस खाते में कपटपूर्वक किए गए लेनदेन की संख्या | खाते में कपटपूर्वक जमा की गई कुल राशि (₹ लाख में) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | अजय गणपत | 63046327822 | अजय चौधरी | कलेक्टर | 13 | 3.05 |
| 2 | किरण चौधरी | 892610110001326 | अजय चौधरी | कलेक्टर | 22 | 4.99 |
| 3 | अजय चौधरी और शांतिलाल पुत्र सालगराम | 892610110004990 | अजय चौधरी | कलेक्टर एवं तहसीलदार खुर्द | 17 | 3.78 |
| 4 | अजय गणपत | 520101201851357 | अजय चौधरी पुत्र गणपत | कलेक्टर | 12 | 2.85 |
| 5 | गणपत चौधरी | 154000442530 | गणपत | कलेक्टर एवं तहसीलदार खुर्द | 17 | 3.04 |
| 6 | गणपत चौधरी | 892618210003157 | गणपत चौधरी | कलेक्टर | 13 | 3.01 |
| 7 | गणपत उमराव सिंह | 11210110000063 | गणपत सिंह | कलेक्टर | 15 | 3.26 |
| 8 | सरोज विजय चौधरी | 892618210003030 | सरोज विजय चौधरी | कलेक्टर | 13 | 2.94 |
| 9 | सौरमन बाई गणपत | 892618210003165 | सौरमन बाई पुत्र गणपत चौधरी | कलेक्टर | 14 | 2.94 |
| 10 | विजय चौधरी | 31852475475 | विजय गणपत | कलेक्टर | 12 | 2.90 |
| 11 | विजय गणपत | 892610110003278 | विजय पुत्र गणपत | कलेक्टर | 13 | 3.05 |
| 12 | लकड़ीबाई हरबकस | 13310100005057 | लड़कीबाई पुत्री हरबाई पत्नी महेंद्र मंडलोई | कलेक्टर एवं तहसीलदार खातेगांव | 20 | 2.45 |
| 13 | लाडकी मंडलोई और लाडकीबाई हरबकस | 654118021376 | लड़कीबाई गुर्जर पत्नी महेंद्र मंडलोई | कलेक्टर एवं तहसीलदार खातेगांव | 10 | 1.74 |
| 14 | शुभम मंडलोई | 891410510001088 | शुभम मंडलोई | तहसीलदार खातेगांव | 17 | 1.89 |
| 15 | राहूल मंडलोई और रमेश राधेश्याम | 892310110000914 | राहूल मंडलोई पुत्र महेंद्र मंडलोई | कलेक्टर एवं तहसीलदार खातेगांव | 16 | 2.10 |
| 16 | महेंन्द्रराधेश्याम | 13310100005004 | महेंद्र सिंह | कलेक्टर एवं तहसीलदार खातेगांव | 15 | 1.17 |
| 17 | सुरेश नर्मदा प्रसाद | 154005913801 | राहूल मंडलोई पुत्र महेंद्र मंडलोई | तहसीलदार खातेगांव | 12 | 1.91 |

| स. क्र. | लाभार्थी का नाम जिसे ई-भुगतान के अनुसार राहत स्वीकृत की गई | खाता संख्या | बैंक में पाया गया वह नाम जिसे वास्तव में भुगतान किया गया | डी.डी.ओ. | इस खाते में कपटपूर्वक किए गए लेनदेन की संख्या | खाते में कपटपूर्वक जमा की गई कुल राशि (₹ लाख में) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | रामबाई राधेश्याम और रामबाई नाथू | 654118003606 | रमाबाई मंडलोई पत्नी राधेश्याम | कलेक्टर एवं तहसीलदार खातेगांव | 11 | 1.61 |
| 19 | राहुल पुत्र महेंद्र | 13310100004241 | राहुल पुत्र महेंद्र | तहसीलदार खातेगांव | 8 | 1.04 |
| 20 | राजेंद्र मंडलोई और राजेंद्र राधेस्याम | 892310110001828 | राजेंद्र सिंह,राधेश्याम मंडलोई | कलेक्टर एवं तहसीलदार खातेगांव | 10 | 1.36 |
| 21 | सुलोचना शिवराम | 154004541264 | सुलोचना बाई पत्नी राजेंद्र मंडलोई | तहसीलदार खातेगांव | 9 | 1.21 |
| 22 | जुगलाय गोविंद | 53031515035 | महेंद्र सिंह मंडलोई | तहसीलदार खातेगांव | 8 | 0.71 |
| 23 | रामनिवाश | 53031503629 | श्री दिनेश कुमार सिसौदिया | कलेक्टर,तहसीलदार खातेगांव | 11 | 1.33 |
| 24 | चेनसिंह और अजुध्या बाई | 891410510000708 | विशाल सिसिदिया पुत्र दिनेश सिसौदिया | कलेक्टर एवं तहसीलदार खातेगांव | 14 | 2.27 |
| 25 | कमल और पंकजवरम | 35378266440 | श्रीमती रेखाबाई सिसौदिया | कलेक्टर, तहसीलदार खातेगांव | 12 | 0.86 |
| 26 | राहुल लालसिंह | 919010064625478 | राहुल कर्मा | कलेक्टर | 4 | 1.36 |
| 27 | प्रीति | 5680101002721 | प्रीति कर्मा पत्नी राहुल कर्मा | कलेक्टर एवं तहसीलदार कन्नौद | 11 | 3.50 |
| 28 | दीपिका | 208000100218420 | दीपिका ठाकुर पुत्री लाल सिंह कर्मा | कलेक्टर | 4 | 1.29 |
| 29 | ताराबाई लालसिंह | 53031530018 | ताराबाई कर्मा | कलेक्टर | 4 | 1.50 |
| 30 | अमित कुशवाह और अनिल मोहन | 891410110002005 | अमित कुशवाह | कलेक्टर एवं तहसीलदार खातेगांव | 4 | 0.84 |
| 31 | बालराम देवा और सिलाबाई रामचंद | 5680101000527 | अमित कुशवाह | कलेक्टर एवं तहसीलदार खातेगांव | 12 | 1.97 |
| 32 | नंदकिशोर शर्मा | 53031542183 | नंदकिशोर शर्मा | कलेक्टर | 3 | 1.01 |
| 33 | रतनलाल हाजरी | 5680101002943 | नंदकिशोर शर्मा पुत्र जगदीश प्रसाद शर्मा | कलेक्टर | 6 | 1.38 |

| स. क्र. | लाभार्थी का नाम जिसे ई-भुगतान के अनुसार राहत स्वीकृत की गई | खाता संख्या | बैंक में पाया गया वह नाम जिसे वास्तव में भुगतान किया गया | डी.डी.ओ. | इस खाते में कपटपूर्वक किए गए लेनदेन की संख्या | खाते में कपटपूर्वक जमा की गई कुल राशि (₹ लाख में) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | महेश बाबूलाल | 5680101002945 | सिद्धि पुत्री नंदकिशोर शर्मा | कलेक्टर | 6 | 1.36 |
| 35 | भागीरथ दशरथ और हेमराज हंसराज | 13510110001703 | रामचन्द्र सैनी | कलेक्टर एवं तहसीलदार खातेगांव | 20 | 1.70 |
| 36 | रतनसिंह हीरालाल और नब्बू बाई खुशाल | 891410110005611 | रामचन्द्र सोनी पुत्र मनोहर | कलेक्टर | 15 | 2.71 |
| 37 | तरनजाट | 891210510001787 | वैष्णव शर्मा | तहसीलदार सतवास | 14 | 1.71 |
| 38 | सीताराम श्रीराम और कामबाई अजय | 892310110005128 | सरस्वतीबाई पत्नी कैंडा | कलेक्टर एवं तहसीलदार खातेगांव | 14 | 1.61 |
| 39 | अजयसिंह शंकर, योगेश और बैथलीबाई बैशला | 38791279477 | श्री योगेश चौहान | कलेक्टर, तहसीलदार बागली एवं तहसीलदार कन्नौद | 13 | 2.76 |
| 40 | हरिराम बलदेव | 891210110008991 | छोटेलाल पुत्र नत्थूलाल पिपलोदिया | तहसीलदार सतवास | 13 | 0.94 |
| 41 | दिनेश | 20238112434 | श्री राकेश जोनवाल | तहसीलदार सतवास | 13 | 0.75 |
| 42 | पेवन हरिप्रसाद | 63019761717 | श्री कपिल बेनीवाल पुत्र मोडूराम | कलेक्टर, तहसीलदार खातेगांव | 12 | 2.49 |
| 43 | शिवनारायण लक्ष्मीनारायण और रामोतार मायाराम | 13510110001438 | दुर्गा पत्नी राम विलास | कलेक्टर एवं तहसीलदार खातेगांव | 12 | 2.02 |
| 44 | रामनारायण और बालमुकुंद राजेंद्र पुत्र बाबूलाल | 892310310000001 | कुलदीप गुर्जर | कलेक्टर एवं तहसीलदार खातेगांव | 12 | 1.83 |
| 45 | रामभरोसे भेरा | 33213921222 | कुमारी दीपिका भास्कर पुत्री महेश भास्कर | कलेक्टर एवं तहसीलदार खुर्द | 12 | 1.40 |
| 46 | शिशुपालसिंह | 20254492797 | श्री दीपेन्द्र सोलंकी | तहसीलदार सतवास | 12 | 1.25 |
| 47 | नबूलाल | 413102010012523 | नितिन विश्कर्मा | तहसीलदार सतवास | 11 | 1.51 |

| स. क्र. | लाभार्थी का नाम जिसे ई-भुगतान के अनुसार राहत स्वीकृत की गई | खाता संख्या | बैंक में पाया गया वह नाम जिसे वास्तव में भुगतान किया गया | डी.डी.ओ. | इस खाते में कपटपूर्वक किए गए लेनदेन की संख्या | खाते में कपटपूर्वक जमा की गई कुल राशि (₹ लाख में) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | गणपतराव आनंदराव और प्रेमनारायण बाबूलाल | 31553866355 | कुमारी आरती पुत्री महेश भास्कर | कलेक्टर एवं तहसीलदार खुर्द | 11 | 1.36 |
| 49 | कर्ण पिता गणपत, संतोषी बाई और सुरेश मनीराम | 20341015249 | श्री करण गणपति उइके | कलेक्टर एवं तहसीलदार खातेगांव | 11 | 1.01 |
| 50 | धन्नीबाई और करण | 20238112105 | श्री पुनम चंद्र | तहसीलदार सतवास | 11 | 0.72 |
| 51 | रोहित प्रकाश और रामोतार रामनिवाश | 34072350357 | श्री अजय पँवार | कलेक्टर, तहसीलदार खातेगांव | 11 | 0.59 |
| 52 | तपनकुमार मनलक्रांति | 63004105230 | श्री शिवराम कन्हयालाल | तहसीलदार खातेगांव | 11 | 0.57 |
| 53 | विष्णु गुर्जर एवं गोसिन्द | 13310400004385 | विष्णु गुर्जर | कलेक्टर एवं तहसीलदार खातेगांव | 10 | 2.23 |
| 54 | कोशल्या बाई पत्नी हरिनारायण और लाड़कुंवरबाई | 1512092842 | नंदिनी बागवान | कलेक्टर एवं तहसीलदार खुर्द | 10 | 1.70 |
| 55 | सोनू चंदर | 63000915770 | प्यारसिंह सोलंकी | तहसीलदार सतवास | 8 | 0.49 |
| 56 | कृष्ण वेबा तुलसीराम | 33959693488 | कुमारी मुस्कान शर्मा | कलेक्टर | 6 | 1.11 |
| 57 | अरमान मालदार, अरमान और गोविंदप्रसाद हरिशंकर | 34006046800 | रामकृष्ण सैनी पुत्र मनोहर सैनी | कलेक्टर एवं तहसीलदार खातेगांव | 5 | 1.68 |
| 58 | कांताबाई हरिशंकर | 53031503471 | दिलीपसिंह यादव | तहसीलदार खातेगांव | 5 | 0.70 |
| 59 | नारायणदास | 654106017975 | पृथ्वीराज पुत्र सूर्यदमन | कलेक्टर | 4 | 1.40 |
| 60 | छोटी बाई | 654116035620 | रामेश्वर सोलंकी | तहसीलदार सतवास | 4 | 1.32 |
| 61 | रवीन्द्र सिंह पुत्र रूपसिंह | 3254956486 | धर्मेन्द्र सिंह | कलेक्टर | 1 | 16.90 |
| **योग** | | | | | **669** | **126.13** |

**(स्रोत: संबंधित डी.डी.ओ और बैंकों द्वारा दी गई जानकारी)**

## परिशिष्ट-2.1.7

**(संदर्भ: कंडिका क्रमांक 2.1.8.5, पृष्ठ क्रमांक 30)**

**छतरपुर जिले में रिफंड, सूखा एवं अतिवृष्टि संबंधी बिलों के माध्यम से संदिग्ध कपटपूर्ण भुगतान का विवरण**

| स. क्र. | लाभार्थी का नाम जिसके नाम पर ई-भुगतान किया गया | खाता संख्या | बैंक में पाया गया वह नाम जिसे वास्तव में भुगतान किया गया | खाते में कपटपूर्वक किए गए लेनदेन की संख्या | खाते में कपटपूर्वक जमा की गई कुल राशि (₹ लाख में) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | गणेशी बाई और ओम नारायण | 2612215612 | बुन्देलखण्ड विकास निधि लिमिटेड | 10 | 4.74 |
| 2 | मुकेश राममिलन | 3249294803 | वैभव खरे | 38 | 6.00 |
| 3 | महेश मोहनलाल | 20254462467 | वैभव खरे | 37 | 5.76 |
| 4 | शुकदा वरव | 20304285051 | रोहित प्रभाकर | 15 | 1.47 |
| 5 | नट्टू रज्जुपाल | 20306095919 | लीला अहिरवार | 14 | 0.97 |
| 6 | जयसिंह छतहीदीन लोधी | 20355970408 | राजेंद्र राजपूत | 10 | 0.55 |
| 7 | रामोतार बुधुवा पाल | 30350236320 | अजय कुमार नाहर | 29 | 3.43 |
| 8 | रामदेवी पत्नी अरविन्द्र कुशवाह | 30371079349 | मनोज कुमार कुशवाह | 9 | 0.71 |
| 9 | शम्भू देशा | 32778781752 | कुमारी बबीता अहिरवार | 13 | 2.99 |
| 10 | कुरा | 33613649376 | नत्थू अहिरवार | 10 | 0.66 |
| 11 | रामबहोरी रजोला राजेश उमरी | 80004644060 | मीरा तिवारी | 9 | 0.54 |
| 12 | बलुवा मिडवा | 80006903953 | चन्द्र प्रकाश तिवारी | 10 | 0.95 |
| 13 | रमकू दो घसीटा | 80013384826 | मनोज कुमार कुशवाह एवं अभिलाषा | 23 | 1.81 |
| 14 | अहमद कुजादा | 58510100004519 | रविशंकर रावत | 8 | 1.02 |
| 15 | शिवनन्दन पुत्र भवानीदीन | 64820100001944 | कौशलेंद्र वर्मा | 9 | 1.39 |
| 16 | कल्लू रघुनाथ | 594502010001192 | लीला अहिरवार पुत्री भगवान | 14 | 0.91 |
| 17 | सचिन | 594502010018583 | सचिन रावत पुत्र रविशंकर रावत | 7 | 0.96 |
| 18 | आनंद | 594502010023078 | हिरदाश रावत पुत्र रामकुमार रावत | 8 | 1.22 |
| 19 | कलुवा | 594502010024123 | यश रावत | 7 | 1.39 |
| 20 | दुर्जा प्रजापति | 1424001500004137 | नरेंद्र कुमार वर्मा | 34 | 4.49 |
| | **योग** | | | **314** | **41.96** |

**(स्रोत: कलेक्टर, छतरपुर और तहसीलदार, गौरिहार द्वारा दी गई जानकारी)**

# परिशिष्ट-2.1.8

## (संदर्भ: कंडिका क्रमांक 2.1.8.5, पृष्ठ क्रमांक 31)

## खंडवा जिले की खालवा तहसील में संदिग्ध कपटपूर्ण भुगतान का विवरण

| स. क्र. | लाभार्थी का नाम जिसके नाम पर राशि आहरित की गई | खाता संख्या | आई.एफ.एस.सी. | बैंक में पाया गया वह नाम जिसे वास्तव में भुगतान किया गया | भुगतान दिनांक | भुगतान की गई राशि ₹ में | बिल संदर्भ संख्या |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | नाटू झापू | 11255020989 | एसबीआईएन0001472 | भगवान सिंह | 02-01-20 | 48,124 | अनुदान /20005209921 |
| | | | | | 02-01-20 | 49,574 | अनुदान/20005163538 |
| | | | | | 22-12-20 | 27,500 | अनुदान/20007995366 |
| 2 | शिवलाल भुता | 27410410013929 | बीकेआईडी0एनएएमआरजीबी | भगवान सिंह | 31-12-20 | 48,101 | अनुदान/20008098833 |
| | | | | | 23-12-20 | 27,500 | अनुदान/20008005531 |
| | | | | | 31-12-20 | 48,101 | अनुदान/20008098178 |
| | | | | | 31-12-20 | 48,101 | अनुदान/20008098103 |
| | | | | | 01-01-21 | 48,101 | अनुदान/20008100645 |
| | | | | | 01-01-21 | 48,101 | अनुदान/20008102074 |
| | | | | | 31-03-21 | 48,101 | अनुदान/20009058713 |
| | | | | | 28-05-21 | 48,100 | अनुदान/20009457839 |
| 3 | बाबूलाल शिवराम | 36893642014 | एसबीआईएन0004517 | नरेंद्र सिंह | 02-01-20 | 47,854 | अनुदान/20005174989 |
| | | | | | 20-11-19 | 5,000 | एम.पी.टी.सी. 66/ 20004797987 |
| | | | | | 27-12-19 | 49,854 | अनुदान/20005105200 |
| | | | | | 20-08-20 | 13,200 | एम.पी.टी.सी. 66/ 20006941782 |
| | | | | | 30-12-20 | 47,101 | अनुदान/20008073830 |
| | | | | | 01-01-21 | 48,101 | अनुदान/20008102262 |
| | | | | | 01-01-21 | 48,101 | अनुदान/20008102586 |
| | | | | | 02-01-21 | 27,500 | अनुदान/20008142838 |
| | | | | | 01-01-21 | 48,101 | अनुदान/20008102779 |
| | | | | | 25-03-21 | 27,500 | अनुदान/20008927807 |
| | | | | | 31-03-21 | 47,101 | अनुदान/20009046246 |
| | | | | | 31-03-21 | 48,101 | अनुदान/20009046114 |
| | | | | | 31-03-21 | 48,101 | अनुदान/20009054786 |
| 4 | हरिओम लखनलाल | 952510410000408 | बीकेआईडी0009525 | नरेंद्र सिंह | 22-12-20 | 39,200 | अनुदान/20007996745 |
| | | | | | 28-12-20 | 44,100 | अनुदान/20008041125 |
| | | | | | 25-03-21 | 39,200 | अनुदान/20008928258 |
| | | | | | 25-03-21 | 44,100 | अनुदान/20008925132 |
| **कुल** | | | | | | **11,61,619** | |

**(स्रोत: आई.एफ.एम.आई.एस. से निकली भुगतान आदेश सूचियां और बैंकों से प्राप्त के.वाई.सी.)**

## परिशिष्ट-2.1.9 (क)

**(संदर्भ: कंडिका क्रमांक 2.1.8.5, पृष्ठ क्रमांक 31)**

**मंदसौर जिले की मल्हारगढ़ और सीतामऊ तहसीलों में संदिग्ध कपटपूर्ण भुगतान का विवरण-लाभार्थियों के नामों में विसंगति**

| स. क्र. | लाभार्थी का नाम जिसे राहत स्वीकृत की गई | खाता संख्या | बैंक में पाया गया वह नाम जिसे वास्तव में भुगतान किया गया | खाते में कपटपूर्वक किए गए लेनदेन की संख्या | खाते में कपटपूर्वक जमा की गई कुल राशि (₹ लाख में) |
|---|---|---|---|---|---|
| **मल्हारगढ़ तहसील** | | | | | |
| 1 | सूरजबाई बापूसिंह | 20395244266 | दीपक व्यास | 26 | 2.56 |
| 2 | कमलकुमार बापूलाल | 31902581922 | दिलीप शर्मा | 22 | 2.43 |
| 3 | राधाबाई मगीलाल | 35208645491 | बीना व्यास | 24 | 2.68 |
| 4 | खुमानसिह नाथूसिह | 50150008903 | चंद्रा | 22 | 2.06 |
| 5 | लीलाबाई बेवा कवरलाल | 50157482379 | जीतेन्द्र व्यास | 19 | 3.11 |
| 6 | रामचंद कचरू | 50248124171 | प्रहलाद | 16 | 1.86 |
| 7 | जमना बर्थ शंकरलाल | 63050510707 | नरेंद्र सिंह जाट | 19 | 1.82 |
| 8 | प्रताप सिंह लाल सिंह | 162001912904 | गोपाल जाट | 23 | 1.24 |
| 9 | रमेश चंद भेरूलाल कुलमी | 162002135367 | ललिता देवी व्यास | 23 | 1.68 |
| 10 | मोहनलाल सीताराम | 162006174540 | रतनबाई गायरी | 15 | 1.57 |
| 11 | नवलसिह भवरसिह | 5561101000517 | जीतेन्द्र व्यास | 7 | 1.90 |
| 12 | रामकिशन पिता हरिश्चंद्र | 5561101002192 | दिलीप कुमार शर्मा | 23 | 1.62 |
| 13 | रामकिशन कारूलाल | 5561101002209 | बलराम शर्मा | 20 | 1.71 |
| **सीतामऊ तहसील** | | | | | |
| 14 | श्रीमहंत श्याम भारती | 162001962354 | गोविंद मोड़ | 8 | 1.40 |
| 15 | कारूलाल पिता रामलाल | 162006165376 | बालमुकुंद पुत्र रामचन्द्र | 7 | 1.41 |
| 16 | बापू सिंह | 162010600494 | हरि सिंह गुर्जर | 7 | 2.16 |
| **योग** | | | | **281** | **31.21** |

**(स्रोत: संबंधित तहसीलदारों और बैंकों द्वारा दी गई जानकारी)**

## परिशिष्ट-2.1.9 (ख)
## (संदर्भ: कंडिका क्रमांक 2.1.8.5, पृष्ठ क्रमांक 31)
## मंदसौर जिले की मल्हारगढ़ तहसील में अनधिकृत व्यक्तियों को राहत के संदिग्ध कपटपूर्ण भुगतान का विवरण

| स. क्र. | अनधिकृत व्यक्ति का नाम जिसे वास्तविक लाभार्थियों के बजाय कपटपूर्वक राहत का भुगतान किया गया | खाता संख्या | उन लाभार्थियों की संख्या जिनकी राहत राशि कपटपूर्वक खाते में जमा की गई | खाते में कपटपूर्वक जमा की गई कुल राशि (₹ लाख में) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | राजेंद्र कवरलाल | 32551718084 | 18 | 1.57 |
| 2 | अभिषेक भंवरलाल | 33785984870 | 15 | 1.64 |
| 3 | बलराम कृष्ण | 35217808718 | 35 | 3.67 |
| 4 | आज़ाद कुँवर लक्ष्मणसिंह | 59161205780 | 17 | 1.40 |
| 5 | गोपाल प्यारचंद | 63051502173 | 26 | 2.41 |
| 6 | प्रेम बाई दुर्गाशंकर | 5561101000124 | 30 | 2.25 |
| 7 | देवीलाल पिता हरिराम | 5561101002168 | 24 | 1.31 |
| 8 | कलुआ सिह भेरुआ सिह | 203471010003196 | 19 | 2.15 |
| 9 | वीरम सिंह हरिसिंह | 203471010005197 | 17 | 1.93 |
| 10 | माया मदनलाल | 203471030037311 | 27 | 3.07 |
| **योग** | | | **228** | **21.40** |

(स्रोत: तहसीलदार मल्हारगढ़ द्वारा प्रदान की गई भुगतान आदेश सूचियां और बिल)

## परिशिष्ट-2.1.9 (ग)

### (संदर्भ: कंडिका क्रमांक 2.1.8.5, पृष्ठ क्रमांक 31)

### मंदसौर जिले की सीतामऊ तहसील में रिफंड बिलों से संदिग्ध कपटपूर्ण निकासी

| स. क्र. | अनधिकृत व्यक्तियों के नाम जिनके नाम पर जाली रिफंड बिल तैयार किया गया | खाता संख्या | आई.एफ.एस.सी. कोड | बैंक अभिलेख में अनधिकृत व्यक्ति का पूरा नाम मिला | भुगतान दिनांक | राशि का भुगतान ₹ में | रिफंड बिल संदर्भ संख्या | टिप्पणी |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | राधेश्याम | 913310310000627 | बीकेआईडी0009133 | राधेश्याम नकुम | 21-05-21 | 63,784 | 20009405265 | वह एक कर्मचारी है जिसने जाली रिफंड बिलों के माध्यम से कपटपूर्ण निकासी की और इसे अपने और तीन रिश्तेदारों के खातों में जमा किया। असफल लेनदेन रिपोर्ट में, न तो उनके और न ही उनके तीन रिश्तेदारों के नाम पर कोई राशि असफल पाई गई। |
| | | | | | 07-05-21 | 50,000 | 20009348043 | |
| | | | | | 22-06-21 | 64,192 | 20009637989 | |
| | | | | | 16-07-21 | 64,192 | 20009859882 | |
| | | | | | 27-10-21 | 27,336 | 200010644068 | |
| | | | | | 22-10-21 | 10,080 | 200010609099 | |
| | | | | | 29-01-21 | 100,000 | 20008354635 | |
| | | | | | 23-02-21 | 50,000 | 20008605680 | |
| | | | | | 18-02-21 | 30,000 | 20008569000 | |
| | | | | | 17-03-21 | 48,600 | 20008831272 | |
| 2 | विशाल | 3692573302 | सीबीआईएन0281819 | विशाल | 07-05-21 | 25,000 | 20009348043 | राधेश्याम नकुम के रिश्तेदार |
| | | | | | 21-05-21 | 18,720 | 20009405265 | |
| | | | | | 22-06-21 | 44,064 | 20009637989 | |
| | | | | | 16-07-21 | 44,064 | 20009859882 | |
| | | | | | 22-10-21 | 86,496 | 200010609099 | |
| | | | | | 27-10-21 | 69,538 | 200010644068 | |
| | | | | | 29-01-21 | 20,000 | 20008354635 | |
| | | | | | 23-02-21 | 25,000 | 20008605680 | |

| स. क्र. | अनधिकृत व्यक्तियों के नाम जिनके नाम पर जाली रिफंड बिल तैयार किया गया | खाता संख्या | आई.एफ.एस.सी. कोड | बैंक अभिलेख में अनधिकृत व्यक्ति का पूरा नाम मिला | भुगतान दिनांक | राशि का भुगतान ₹ में | रिफंड बिल संदर्भ संख्या | टिप्पणी |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 18-02-21 | 20,000 | 20008569000 | |
| | | | | | 25-03-21 | 5,000 | 8932455 | |
| | | | | | 17-03-21 | 27,810 | 20008831272 | |
| | | | | | 11-12-20 | 30,000 | 20007932618 | |
| 3 | कमलाबाई | 913310110000643 | बीकेआईडी0009133 | कमला बाई | 21-05-21 | 63,784 | 20009405265 | राधेश्याम नकुम के रिश्तेदार |
| | | | | | 07-05-21 | 37,000 | 20009348043 | |
| | | | | | 22-06-21 | 47,736 | 20009637989 | |
| | | | | | 16-07-21 | 47,736 | 20009859882 | |
| | | | | | 27-10-21 | 65,688 | 200010644068 | |
| | | | | | 22-10-21 | 64,192 | 200010609099 | |
| | | | | | 29-01-21 | 95,000 | 20008354635 | |
| | | | | | 23-02-21 | 35,000 | 20008605680 | |
| | | | | | 25-03-21 | 2,100 | 8932455 | |
| | | | | | 11-12-20 | 25,000 | 20007932618 | |
| 4 | अजय राधे | 32534576671 | एसबीआईएन0030061 | अजय कुमार | 07-05-21 | 3,200 | 20009348043 | राधेश्याम नकुम के रिश्तेदार |
| | | | | | 21-05-21 | 14,080 | 20009405265 | |
| | | | | | 22-06-21 | 35,360 | 20009637989 | |
| | | | | | 16-07-21 | 35,360 | 20009859882 | |
| | | | | | 22-10-21 | 16,800 | 200010609099 | |
| | | | | | 27-10-21 | 16,000 | 200010644068 | |
| | | | | | 29-01-21 | 95,000 | 20008354635 | |
| | | | | | 23-02-21 | 20,000 | 20008605680 | |
| | | | | | 11-12-20 | 45,000 | 20007932618 | |
| **योग** | | | | | | **16,87,912** | | |

**(स्रोत: तहसीलदार, सीतामऊ द्वारा प्रस्तुत भुगतान आदेश सूचियाँ और असफल लेनदेन प्रतिवेदन)**

**परिशिष्ट-2.1.10 (क)**

**(संदर्भ: कंडिका क्रमांक 2.1.8.5, पृष्ठ क्रमांक 31)**

**रायसेन जिले में राहत राशि के संदिग्ध कपटपूर्ण भुगतान - लाभार्थियों के नामों में विसंगति**

| स. क्र. | लाभार्थी का नाम जिसे ई-भुगतान के अनुसार राहत स्वीकृत की गई | खाता संख्या | बैंक में पाया गया वह नाम जिसे वास्तव में भुगतान किया गया | जिस तहसील से सम्बंधित | खाते में कपटपूर्वक किए गए लेनदेन की संख्या | खाते में कपटपूर्वक जमा की गई कुल राशि (₹ लाख में) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | बाबूलाल | 3174594232 | अनुराग राजपूत | बेगमगंज | 9 | 3.22 |
| 2 | बाबूसी शीलाबाई | 3239696163 | नत्थू सिंह दांगी | बेगमगंज | 5 | 1.16 |
| 3 | चंदन पुत्र फूल सिंह | 3717497520 | रुचि राजपूत | सुल्तानपुर | 8 | 1.71 |
| 4 | रामसेवक पुत्र लक्ष्मण | 3717499877 | कृष्णा सिंह | सुल्तानपुर | 10 | 2.29 |
| 5 | जगदीश पुत्र रामदयाल | 3743710775 | अमितेश सिंह राजपूत | सुल्तानपुर | 8 | 2.80 |
| 6 | भावर | 3749892690 | राम रानी | बेगमगंज | 5 | 1.21 |
| 7 | प्रीतम शिवलाल आ परम | 20189412680 | प्रशांत राज | बेगमगंज | 15 | 1.30 |
| 8 | सुरेश हो कोमल बाई | 20312908011 | संजय सिंह चौहान | सुल्तानपुर | 8 | 1.41 |
| 9 | कुलदीप | 30954360341 | कुलदीप शर्मा | बेगमगंज | 14 | 1.75 |
| 10 | भगवती बाई | 31623511509 | शोभा बाई कानस | बेगमगंज | 37 | 9.95 |
| 11 | राकेश पुत्र हरिशंकर | 32558670520 | रमेश कुमार शर्मा | सुल्तानपुर | 5 | 1.89 |
| 12 | कुन्दन पुत्र भवानी | 34996119851 | शुभम शर्मा | सुल्तानपुर | 5 | 2.27 |
| 13 | दयाशंकर जगन्नाथ जा | 35379757391 | श्रीमती कमलेश अठिया | बेगमगंज | 5 | 1.26 |
| 14 | गया प्रसाद | 36180552469 | मनोज सृष्टि | बेगमगंज | 12 | 2.39 |
| 15 | रूपसिंह | 36613439649 | मास्टर निखिल कनाश | बेगमगंज | 8 | 3.82 |
| 16 | मुन्ना माखन | 165000753927 | चैन सिंह | बेगमगंज | 5 | 1.32 |
| 17 | बाबूलाल पुत्र बलिराम | 4773101001100 | सचिन कुमार मुजाल्दा | सुल्तानपुर | 10 | 1.33 |
| 18 | माधो प्रसाद रमानाथ | 201251030000483 | राधेश्याम पुत्र रामनाथ | बेगमगंज | 6 | 1.80 |
| 19 | थानसिंह | 201461030037427 | कुलदीप शर्मा पुत्र गोविंद शर्मा | बेगमगंज | 14 | 2.30 |
| 20 | अभय जसवन्त | 900610110007147 | रूप सिंह | बेगमगंज | 12 | 3.68 |
| 21 | श्रीबाई पत्नी नन्हेभाई यादव | 942210510000575 | ऋषिराज राजपूत | बेगमगंज | 7 | 1.27 |
| 22 | प्रहलाद | 942210510000710 | शिवांक राजपूत पुत्र रूपसिंह | बेगमगंज | 6 | 1.27 |
| | | | **योग** | | **214** | **51.40** |

**(स्रोत: संबंधित तहसीलदारों और बैंकों द्वारा दी गई जानकारी)**

## परिशिष्ट-2.1.10 (ख)

### (संदर्भ: कंडिका क्रमांक 2.1.8.5, पृष्ठ क्रमांक 31)

### रायसेन जिले में अनधिकृत व्यक्तियों को राहत राशि के संदिग्ध कपटपूर्ण भुगतान

| स. क्र. | अनधिकृत व्यक्ति का नाम जिसे वास्तविक लाभार्थियों के बजाय राहत का भुगतान किया गया | खाता संख्या | तहसील | उन लाभार्थियों की संख्या जिनकी राहत राशि कपटपूर्वक खाते में जमा की गई | इस खाते में कपटपूर्वक जमा की गई कुल राशि (₹ लाख में) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | सविता बाई | 3190260242 | बेगमगंज | 5 | 1.21 |
| 2 | ब्रजमोहन, कृष्णपाल और संतोष | 27810049190 | उदयपुरा | 6 | 1.42 |
| 3 | राघवेन्द्रसि पिता त्रिलोकसि | 32529798239 | बेगमगंज | 3 | 0.54 |
| 4 | पासोत्तम | 33752494771 | बेगमगंज | 4 | 1.05 |
| 5 | जयराम | 35519156279 | बेगमगंज | 10 | 3.40 |
| 6 | मुन्नीलाल पुत्र गोरेलाल | 37873979859 | गैरतगंज | 3 | 0.07 |
| 7 | राम बाबू | 165000259654 | बेगमगंज | 4 | 0.80 |
| 8 | सुनीता बाई | 282501002474 | बेगमगंज | 2 | 0.65 |
| 9 | गजराज | 665003005317 | बेगमगंज | 4 | 0.95 |
| 10 | दरयाबासिह, राजरानी और राजकुमार | 50100087126832 | बेगमगंज | 6 | 4.97 |
| 11 | सुनीता और विजय | 50100106430181 | बेगमगंज | 7 | 4.60 |
| 12 | जशरथ भरोसे | 50100106430372 | बेगमगंज | 6 | 4.34 |
| 13 | अजेंद्र और अभय | 50100305566409 | बेगमगंज | 8 | 3.64 |
| 14 | कुंजना सिंह | 201251010000968 | बेगमगंज | 2 | 0.61 |
| 15 | चेनसिंह अर्जन सिंह यादव | 201251010001982 | बेगमगंज | 11 | 1.28 |
| 16 | बीरेंद्र सिह | 201251010003200 | बेगमगंज | 4 | 0.40 |
| 17 | पंचमासी | 201251030130104 | बेगमगंज | 3 | 0.91 |
| 18 | पूरन सिह | 201461010001676 | बेगमगंज | 7 | 1.55 |
| **योग** | | | | **95** | **32.39** |

**(स्रोत: संबंधित तहसीलदारों द्वारा प्रदान की गई भुगतान आदेश सूचियां और बिल)**

## परिशिष्ट-2.1.11 (क)

**(संदर्भ: कंडिका क्रमांक 2.1.8.5, पृष्ठ क्रमांक 32)**

**दमोह जिले में संदिग्ध कपटपूर्ण भुगतान - लाभार्थियों के नामों में विसंगति**

| स. क्र. | लाभार्थी का नाम जिसे राहत स्वीकृत की गई | खाता संख्या | बैंक में पाया गया वह नाम जिसे वास्तव में भुगतान किया गया | डी.डी.ओ. | इस खाते में कपटपूर्वक किए गए लेनदेन की संख्या | इस खाते में कपटपूर्वक जमा की गई कुल राशि (₹ लाख में) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | कडोरी | 37834461700 | प्रेमलता पटेल | कलेक्टर | 5 | 2.03 |
| 2 | बोलाराम | 50296261520 | राम शंकर पुत्र राम चंद्र त्रिपाठी | कलेक्टर | 11 | 1.96 |
| 3 | रामनाथ | 30933211008224 | आकाश मिश्रा पुत्र राकेश मिश्रा | कलेक्टर | 7 | 1.39 |
| 4 | अशोक | 8015055310 | लटोरी लखेरा | कलेक्टर | 7 | 1.19 |
| 5 | भगवानदास पटेल | 390802010004388 | किशोरीलाल पुत्र मोतीलाल पटेल | कलेक्टर | 3 | 1.17 |
| 6 | विक्रम | 594602010022124 | जनकरानी कुर्मी पत्नी रमेश | कलेक्टर | 14 | 0.98 |
| 7 | कमल | 10408951777 | वहाबुद्दीन राईन | कलेक्टर | 7 | 0.96 |
| 8 | कुंदन | 3519153458 | समीना पत्नी शेख रियाज खान | कलेक्टर | 3 | 0.87 |
| 9 | श्याम | 594702010011344 | मधुकान्त उपाध्याय | कलेक्टर | 8 | 0.71 |
| 10 | गोपाल | 3166268027 | अंजना पत्नी लटोरी लखेरा | कलेक्टर | 8 | 0.61 |
| 11 | पंनु | 594602010017531 | रमेश प्रसाद कुर्मी | कलेक्टर | 11 | 0.47 |
| 12 | प्यारेलाल | 35606149637 | मु आशिक | कलेक्टर | 1 | 0.30 |
| **योग** | | | | | **85** | **12.64** |

**(स्रोत: कलेक्टर दमोह एवं बैंकों द्वारा दी गई जानकारी)**

# परिशिष्ट-2.1.11 (ख)
## (संदर्भ: कंडिका क्रमांक 2.1.8.5, पृष्ठ क्रमांक 32)
## दमोह जिले में अनधिकृत व्यक्तियों को संदिग्ध कपटपूर्ण भुगतान

| स. क्र. | अनधिकृत व्यक्ति का नाम जिसे वास्तविक लाभार्थियों के बजाय राहत का भुगतान किया गया | खाता संख्या | डी.डी.ओ. | उन लाभार्थियों की संख्या जिनकी राहत राशि कपटपूर्वक खाते में जमा की गई | खाते में कपटपूर्वक जमा की गई कुल राशि (₹ लाख में) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | लटोरी लखेरा | 2101689604 | कलेक्टर | 13 | 2.20 |
| 2 | अंजनी | 20469146562 | तहसीलदार पटेरा | 19 | 1.27 |
| 3 | रजनीकांत | 30362075039 | तहसीलदार पटेरा | 19 | 1.34 |
| 4 | राजेश कुमार शुक्ला | 31069373790 | कलेक्टर | 2 | 0.32 |
| 5 | माधुरी | 31304449203 | तहसीलदार पथरिया | 4 | 0.83 |
| 6 | माधव सिरोठिया | 32148732188 | कलेक्टर | 1 | 0.30 |
| 7 | पवन | 32736315973 | तहसीलदार पटेरा | 19 | 1.35 |
| 8 | पार्वती | 33090664290 | तहसीलदार पटेरा | 17 | 1.24 |
| 9 | भारत | 33436694704 | तहसीलदार पटेरा | 20 | 1.78 |
| 10 | राज (बैंक में राम सिंह ठाकुर) | 75801503218 | कलेक्टर | 4 | 1.29 |
| 11 | कनछेदी इमारत | 179000044522 | कलेक्टर एवं तहसीलदार दमोह | 13 | 3.31 |
| 12 | रामशंकर पुत्र रामचंद | 179000124088 | कलेक्टर | 2 | 0.43 |
| 13 | कडोरी | 679168005430 | कलेक्टर | 2 | 0.37 |
| 14 | श्याम | 594702010011344 | कलेक्टर | 1 | 0.19 |
| 15 | महंत, मुन्नी और राजेश | 990001500002255 | कलेक्टर एवं तहसीलदार पथरिया | 16 | 2.09 |
| **योग** | | | | **152** | **18.31** |

**(स्रोत: संबंधित डी.डी.ओ. द्वारा प्रदान की गई भुगतान आदेश सूचियां और बिल)**

## परिशिष्ट-2.1.12

**(संदर्भ: कंडिका क्रमांक 2.1.8.5, पृष्ठ क्रमांक 32)**

**सतना जिले में संदिग्ध कपटपूर्ण भुगतान का विवरण**

| स. क्र. | अनधिकृत व्यक्ति का नाम जिसे वास्तविक लाभार्थियों के बजाय राहत का भुगतान किया गया था | खाता संख्या | उन लाभार्थियों की संख्या जिनकी राहत राशि कपटपूर्वक खाते में जमा की गई | खाते में कपटपूर्वक जमा की गई कुल राशि (₹ लाख में) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | होरिल प्रसाद | 8075020001 | 9 | 1.21 |
| 2 | होरिल प्रसाद | 59061740946 | 7 | 1.06 |
| 3 | होरिल प्रसाद | 10115810285 | 9 | 1.13 |
| 4 | कौशल्या पत्नी होरिल प्रसाद | 8075020012 | 7 | 1.16 |
| 5 | कौशल्या पत्नी होरिल प्रसाद | 59060536678 | 6 | 1.10 |
| 6 | राजेश कुमार चर्मकार | 30370901533 | 7 | 0.41 |
| 7 | राम सकोची गौतम | 31833616909 | 4 | 1.65 |
| 8 | प्रिया भारती | 33190894470 | 8 | 1.30 |
| 9 | रामसुफल साकेत | 33412972497 | 6 | 1.24 |
| 10 | सत्य नारायण पांडे पुत्र तेजपाल | 355602010404284 | 4 | 0.85 |
| 11 | मानवती साकेत | 636902010014889 | 5 | 0.69 |
| 12 | सतेंद्र प्रजापति | 636902010015507 | 6 | 1.19 |
| **योग** | | | **78** | **12.99** |

**(स्रोतः कलेक्टर, सतना द्वारा प्रदत्त भुगतान आदेश सूचियां एवं बिल)**

## परिशिष्ट-2.1.13 (क)
## (संदर्भ: कंडिका क्रमांक 2.1.8.5, पृष्ठ क्रमांक 33)
## आगर-मालवा जिले में संदिग्ध कपटपूर्ण भुगतान - लाभार्थियों के नामों में विसंगति

| स. क्र. | लाभार्थी का नाम जिसे राहत स्वीकृत की गई | खाता संख्या | बैंक में पाया गया वह नाम मिला जिसे वास्तव में भुगतान किया गया | डी.डी.ओ. | खाते में कपटपूर्वक किए गए लेनदेन की संख्या | खाते में कपटपूर्वक जमा की गई कुल राशि (₹ लाख में) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | भगवानसिंह पुत्र इंदरसिंह और घीसी बाई पत्नी रामसिंह | 956710110010296 | मुकेश चौहान पुत्र मदनलाल | कलेक्टर एवं तहसीलदार नलखेड़ा | 26 | 4.58 |
| 2 | मंगू पुत्र भग्गा, देवीसिंह पुत्र गणपत और मोहन पुत्र रामलाल | 956710110012042 | केसर पत्नी मुकेश | कलेक्टर एवं तहसीलदार नलखेड़ा | 22 | 2.75 |
| 3 | पर्वतसिंह ऊंकारसिंह, मोतीलाल शिवसिंह, उदयसिंह | 955618210025308 | लाभ कुँवर परिहार पत्नी तूफान | कलेक्टर, तहसीलदार आगर एवं तहसीलदार बड़ौद | 16 | 1.25 |
| 4 | रायसिंह पुत्र मंगू | 37172892783 | शैलेन्द्र शिवनारायण | कलेक्टर एवं तहसीलदार नलखेड़ा | 15 | 3.30 |
| 5 | नारायण पुत्र राम और किशन पुत्र पुरा | 956710110007520 | मदनलाल चौहान | कलेक्टर | 14 | 1.88 |
| 6 | लालसिंह अमरसिंह और कमलाबाई पति हीरालाल | 956810110002186 | निर्भय सिंह पुत्र रामलाल | कलेक्टर एवं तहसीलदार सुसनेर | 14 | 1.36 |
| 7 | सिमरन पुत्र मोटलैब | 39508578782 | कुमारी सोनू सोनी | कलेक्टर एवं तहसीलदार नलखेड़ा | 13 | 1.50 |
| 8 | दुर्गालाल पुत्र घीसूलाल | 39508593631 | कुमारी पवित्रा बाई | कलेक्टर एवं तहसीलदार नलखेड़ा | 13 | 2.01 |
| 9 | कैलाश चंद्र शर्मा और राजेश पुत्र राधाकिशन | 5625101000957 | फूल सिंह | कलेक्टर एवं तहसीलदार नलखेड़ा | 11 | 1.48 |
| **योग** | | | | | **144** | **20.11** |

**(स्रोत: संबंधित डी.डी.ओ. और बैंकों द्वारा दी गई जानकारी)**

## परिशिष्ट-2.1.13 (ख)

## (संदर्भ: कंडिका क्रमांक 2.1.8.5, पृष्ठ क्रमांक 33)

## आगर-मालवा जिले में अनधिकृत व्यक्तियों को राहत के संदिग्ध कपटपूर्ण भुगतान

| स. क्र. | अनधिकृत व्यक्ति का नाम जिसे राहत का भुगतान किया गया | खाता संख्या | डी.डी.ओ. | उन लाभार्थियों की संख्या जिनकी राहत राशि कपटपूर्वक खाते में जमा की गई | खाते में कपटपूर्वक जमा की गई कुल राशि (₹ लाख में) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | मोड़सिंह पुत्र सीताराम और रमेश पुत्र प्रभु | 14110400008351 | तहसीलदार नलखेड़ा एवं कलेक्टर | 9 | 1.84 |
| 2 | लाडसिंह पुत्र सीतारमन | 171001111612 | कलेक्टर एवं तहसीलदार नलखेड़ा | 12 | 1.01 |
| 3 | रामनारायणगे | 63003299768 | कलेक्टर एवं तहसीलदार नलखेड़ा | 9 | 0.98 |
| 4 | सजनबाई फतजी | 171000336523 | कलेक्टर | 7 | 0.50 |
| 5 | हीरालाल नारायणसिंह | 171000451376 | तहसीलदार नलखेड़ा | 1 | 0.30 |
| 6 | गोपाल सिंह दुलेसिंह | 956118210003983 | कलेक्टर | 2 | 0.29 |
| 7 | रमेशलाल मना बागरी | 955618210008025 | कलेक्टर | 5 | 0.14 |
| 8 | रमेश गुर्जर | 956710110012429 | कलेक्टर | 2 | 0.13 |
| **योग** | | | | **47** | **5.19** |

**(स्रोत: संबंधित डी.डी.ओ. द्वारा प्रदान की गई भुगतान आदेश सूचियां और बिल)**

# परिशिष्ट-2.1.14
## (संदर्भ: कंडिका क्रमांक 2.1.8.5, पृष्ठ क्रमांक 33)
## विदिशा जिले में संदिग्ध कपटपूर्ण भुगतान का विवरण

| स. क्र. | लाभार्थी का नाम जिसे राहत स्वीकृत की गई | खाता संख्या | बैंक में पाया गया नाम जिसे वास्तव में राशि का भुगतान किया गया | डी.डी.ओ. | खाते में कपटपूर्वक किए गए लेनदेन की संख्या | खाते में कपटपूर्वक जमा की गई कुल राशि (₹ लाख में) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | गुलाब सिंह पुत्र गौरेलाल | 53035963037 | जय नारायण साहू | कलेक्टर | 12 | 0.60 |
| 2 | महेंद्र कुमार पुत्र गोविंद प्रसाद शर्मा | 34349263723 | राज कुमार जाटव | कलेक्टर | 7 | 1.31 |
| 3 | बसोरा सोड़ु पुत्र अल्मा | 53039550672 | मिट्ठू सिंह सोलंकी | कलेक्टर | 7 | 0.56 |
| 4 | महेश जयराम पुत्र गुलाबसिंह माला | 31730595676 | अरविन्द कुमार अहिरवार | कलेक्टर | 5 | 0.77 |
| 5 | तखत सिंह पुत्र चंदन सिंह उल्लाखेड़ा एवं रामराज सिंह पुत्र रामचरण धतुरिया | 33332700727 | तेज सिंह कोरी | कलेक्टर | 5 | 0.77 |
| 6 | शोभाराम पुत्र गुआम सिंह अंबर | 34066543110 | अनिल कुमार पंथी | कलेक्टर | 5 | 0.75 |
| 7 | यामीन नूर पुत्र हबीबनूर | 900310101000188 | जय नारायण साहू | कलेक्टर | 10 | 1.18 |
| 8 | कलाबाई पुत्री मेहरबान सिंह | 373402010992741 | सुनीता साहू पत्नी जय नारायण साहू | कलेक्टर | 9 | 0.64 |
| 9 | निर्मलकुमारी पत्नी पुरुषोतमन् | 30650312631 | आदित्य शर्मा | कलेक्टर एवं तहसीलदार कुरवाई | 12 | 2.90 |
| 10 | भगवान सिंह प्राण सिंह | 34640840007 | सोनू सेन अवधनारायण | कलेक्टर | 16 | 2.28 |
| 11 | अशोककुमार पुत्र कृपाराम मुंगवाड़ा | 31870463682 | राहुल दीक्षित | कलेक्टर | 6 | 1.94 |
| 12 | राकेश गोवर्धन और रमेश | 31988799905 | सोनू बाबू सेन | कलेक्टर | 12 | 1.67 |
| 13 | तलत पत्नी आरिफ अली खुजरहार | 31101722852 | प्रीति राजपूत | तहसीलदार गुलाबगंज | 10 | 1.67 |
| 14 | देवी सिंह पुत्र बाबूलाल मुंगवारा | 646010100001755 | जीतेन्द्र पांडे | तहसीलदार गुलाबगंज | 9 | 1.61 |
| 15 | गोरव पुत्र वीरेन्द्रकुमा | 53048857615 | वीरेंद्र कुमार शर्मा | कलेक्टर | 4 | 1.54 |
| 16 | खिलान सिंह पुत्र बाबूलाल महुआखेड़ा | 20436498591 | श्रीमती रीता जैन | तहसीलदार गुलाबगंज | 19 | 1.46 |
| 17 | नरसिंहदास राम विलास | 903510110008196 | मनीष सेन पुत्र हुकुम सिंह | तहसीलदार गुलाबगंज | 9 | 1.45 |

| स. क्र. | लाभार्थी का नाम जिसे राहत स्वीकृत की गई | खाता संख्या | बैंक में पाया गया नाम जिसे वास्तव में राशि का भुगतान किया गया | डी.डी.ओ. | खाते में कपटपूर्वक किए गए लेनदेन की संख्या | खाते में कपटपूर्वक जमा की गई कुल राशि (₹ लाख में) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | सुम्मा पुत्र इमरत सिंह करैया | 30597542393 | महेश अहिरवार | तहसीलदार गुलाबगंज | 6 | 1.39 |
| 19 | अमरसिंह पुत्र उरेद सिंह और यश पुत्र आरके | 31912591236 | कुमारी मोनिका नामदेव | कलेक्टर | 6 | 1.26 |
| 20 | राजमल पुत्र मिश्रलाल | 31497241257 | लीला बाई पंथी | तहसीलदार कुरवाई | 4 | 1.25 |
| 21 | कृष्ण मुरारी पुत्र सखाराम | 31706366077 | सुनील मोघे | तहसीलदार कुरवाई | 8 | 1.24 |
| 22 | पोमप्रकाश पुत्र मुंशीलाल मुंगवाड़ा | 53031883021 | दिनेश कुमार दीक्षित | तहसीलदार गुलाबगंज | 8 | 1.24 |
| 23 | राजाराम पुत्र निर्भया सिंह | 906610110000787 | मनीष प्रजापति पुत्र धनराज | तहसीलदार गुलाबगंज | 6 | 1.22 |
| 24 | आयशा बानो पत्नी तुराबाखाम | 6195101000654 | बबीता पंथी | तहसीलदार कुरवाई | 6 | 1.21 |
| 25 | हुकुमचंद पुत्र श्रीलाल और कल्याण पुत्र मंगलिया | 34542426789 | जीवनलाल जाटव | कलेक्टर | 7 | 1.21 |
| 26 | छत्रपाल पुत्र बलवंत सिंह महुआखेड़ा | 32720076938 | मनीष प्रजापति | तहसीलदार गुलाबगंज | 8 | 1.20 |
| 27 | जानकीबाई पुत्री दोजा | 3117000100084977 | जय नारायण पुत्र मूलचंद | कलेक्टर | 11 | 1.18 |
| 28 | कमलकुमार सागरमल अनल कुमार पुत्र मुल्ला | 995710110006847 | प्रीती जाटव पुत्र चुन्नी लाल | कलेक्टर | 7 | 1.15 |
| 29 | चैनसिंह और मान सिंह पुत्र धनजी | 31930727460 | ललिता बाई | कलेक्टर | 4 | 1.10 |
| 30 | विनायकरा गोविंदराव | 6195101003443 | पद्माकर मोघे | कलेक्टर | 5 | 1.09 |
| 31 | बन्नेखाम पुत्र अल्लीखाम | 35168975580 | साविर खा | कलेक्टर | 7 | 1.08 |
| 32 | खुमणसिंह पुत्र लालजीराम आदि | 4048001500018036 | लाखन सिंह जाटव | कलेक्टर | 7 | 0.93 |
| 33 | शांति बाई पुत्री जसाराम | 6195101002534 | राजमल शर्मा | कलेक्टर | 4 | 0.90 |
| 34 | पूरणिया धन्ना पुत्रगण मर्दन | 33599771862 | दुर्गा बाई | कलेक्टर | 4 | 0.85 |
| 35 | प्रागसिह रघुवीरसिह प्रहलाद | 53029671043 | महाराज एस ठाकुर | कलेक्टर | 4 | 0.83 |
| 36 | रुघनाथसिंह पुत्र हरलाल | 4048001500006778 | प्रदीप कुमार जाटव | कलेक्टर | 5 | 0.83 |
| 37 | रूप सिंह मालम सिंह | 32572026655 | शनमिया श्री | कलेक्टर | 5 | 0.69 |
| 38 | जानकी बाई पत्नी परमानंद | 1818446085 | गजेंद्र सिंह | कलेक्टर | 5 | 0.61 |
| 39 | फोल बाई पत्नी फेरन सिंह आदि | 35200859090 | श्रीमती आशा सेन | कलेक्टर | 5 | 0.55 |

| स. क्र. | लाभार्थी का नाम जिसे राहत स्वीकृत की गई | खाता संख्या | बैंक में पाया गया नाम जिसे वास्तव में राशि का भुगतान किया गया | डी.डी.ओ. | खाते में कपटपूर्वक किए गए लेनदेन की संख्या | खाते में कपटपूर्वक जमा की गई कुल राशि (₹ लाख में) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | मल्लो बाई पत्नी उंकार सिंह | 31943025445 | भूपेन्द्र सिंह | कलेक्टर | 5 | 0.54 |
| 41 | एसमोहन पुत्र श्रीनिवासन आदि | 63056179755 | प्रदीप कुमार जाटव | कलेक्टर | 4 | 0.50 |
| **योग** | | | | | **298** | **47.15** |

**(स्रोत: संबंधित डी.डी.ओ. और बैंकों द्वारा दी गई जानकारी)**

## परिशिष्ट-2.1.15

**(संदर्भ: कंडिका क्रमांक 2.1.8.6, पृष्ठ क्रमांक 34)**

**शिवपुरी जिले में सूखा राहत के अनियमित वितरण का विवरण**

| स. क्र. | उस व्यक्ति का नाम जिससे कई लेनदेन किए गए | खाता संख्या | तहसील | खाते में किए गए लेनदेन की संख्या | खाते में अनियमित रूप से जमा की गई कुल राशि (₹ लाख में) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | रामस्वरूप | 8021663749 | बैराड़ | 5 | 1.35 |
| 2 | दामोदर | 8021664889 | बैराड़ | 5 | 0.94 |
| 3 | रवीन्द्र सिंह | 8023156465 | करेरा एवं नरवर | 4 | 1.14 |
| 4 | महेन्द्र | 8025800091 | खनियाधाना | 3 | 0.79 |
| 5 | रामजीलाल | 20251703155 | बैराड़ | 4 | 1.32 |
| 6 | रामपाल | 20308806218 | खनियाधाना | 3 | 1.29 |
| 7 | समीना | 20448534682 | खनियाधाना | 2 | 1.09 |
| 8 | अरविन्द कुमार | 30631617558 | खनियाधाना | 3 | 0.86 |
| 9 | ममता साहू | 31154992656 | खनियाधाना | 3 | 0.74 |
| 10 | संदीप | 31725686438 | बदरवास | 5 | 1.23 |
| 11 | आदिराम | 31798076639 | खनियाधाना | 4 | 1.39 |
| 12 | महेश कुमार पाल | 31866322615 | करेरा एवं नरवर | 8 | 1.44 |
| 13 | रेखा | 32385952205 | पिछोर | 4 | 0.98 |
| 14 | संजय लोधी | 33039106420 | खनियाधाना | 3 | 1.20 |
| 15 | शिवकुमार | 33451381894 | बैराड़ एवं पिछोर | 5 | 1.73 |
| 16 | पर्वत और सिमवती | 34089991802 | पिछोर | 11 | 2.48 |
| 17 | अमन | 34668446498 | खनियाधाना | 2 | 1.05 |
| 18 | नरेश | 35928522833 | बैराड़ | 6 | 1.32 |
| 19 | दीपक | 37069429630 | बैराड़ | 5 | 0.70 |
| 20 | अरविन्द्र | 37457429617 | खनियाधाना | 4 | 1.18 |
| 21 | जयप्रकाश गुप्ता | 53026748771 | करेरा एवं नरवर | 4 | 1.14 |
| 22 | जगन्नाथ | 53035099052 | खनियाधाना | 4 | 0.88 |
| 23 | जयकुमार जैन | 53035109313 | खनियाधाना | 7 | 1.74 |
| 24 | कल्याण खंगार | 63001272487 | करेरा | 5 | 0.94 |
| 25 | केलाश नारायण | 63025984442 | बैराड़ | 5 | 1.08 |
| 26 | शिवनारायण | 63027094694 | बैराड़ | 5 | 1.73 |
| 27 | राकेश | 63028079288 | पोहरी | 6 | 1.28 |
| 28 | खलक सिंह | 63040340010 | पिछोर | 6 | 1.74 |
| 29 | रामेश्वरसिंह | 63050145585 | बैराड़ | 5 | 1.22 |
| 30 | चंदाबैजनाथलावडी | 80001230119 | बदरवास | 5 | 1.21 |
| 31 | मेंडा | 80005766246 | बैराड़ | 5 | 1.21 |
| 32 | जूली | 80012162713 | खनियाधाना | 3 | 1.20 |
| 33 | भूरी | 80015611021 | खनियाधाना | 3 | 1.15 |
| 34 | राहुल | 80019499150 | खनियाधाना | 2 | 0.75 |
| 35 | सलिकराम | 80026724745 | खनियाधाना | 3 | 0.85 |

| स. क्र. | उस व्यक्ति का नाम जिससे कई लेनदेन किए गए | खाता संख्या | तहसील | खाते में किए गए लेनदेन की संख्या | खाते में अनियमित रूप से जमा की गई कुल राशि (₹ लाख में) |
|---|---|---|---|---|---|
| 36 | विद्या | 80034471077 | खनियाधाना | 4 | 1.24 |
| 37 | शिव कुमार | 172000432980 | पिछोर | 6 | 1.08 |
| 38 | अरविंद | 172002289052 | पिछोर | 4 | 1.45 |
| 39 | दीपक | 2567000100067860 | खनियाधाना | 3 | 1.32 |
| 40 | राजेंद्र कुमार | 2567000100073840 | खनियाधाना | 6 | 0.82 |
| 41 | रविंद्र | 2567001700104640 | खनियाधाना | 3 | 1.39 |
| **योग** | | | | **183** | **49.64** |

**(स्रोत: संबंधित तहसीलदारों द्वारा प्रदाय भुगतान आदेश सूचियां)**

## परिशिष्ट-2.1.16

### (संदर्भ: कंडिका क्रमांक 2.1.8.6, पृष्ठ क्रमांक 34)

### देवास जिले में एकाधिक लेनदेन के माध्यम से अनियमित संवितरण का विवरण

| स. क्र. | उस व्यक्ति का नाम जिसे कई भुगतान किए गए थे | खाता संख्या | डी.डी.ओ. | खाते में किए गए लेनदेन की संख्या | खाते में अनियमित रूप से जमा की गई कुल राशि (₹ लाख में) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | बलराम रमाशंकर | 50100009461827 | कलेक्टर एवं तहसीलदार खातेगांव | 19 | 2.25 |
| 2 | रामोतार गब्बू | 654117004179 | तहसीलदार सतवास | 17 | 1.72 |
| 3 | हरिराम रामचन्द्र और रामसिंह किसान | 13510400003264 | कलेक्टर एवं तहसीलदार खातेगांव | 17 | 1.56 |
| 4 | रामेश्वर छोगालाल और सुनील | 38550100007731 | कलेक्टर एवं तहसीलदार खातेगांव | 17 | 1.83 |
| 5 | रेशम | 654117003095 | तहसीलदार सतवास | 16 | 1.36 |
| 6 | पप्पी रमेश | 63053285203 | कलेक्टर एवं तहसीलदार कन्नौद | 15 | 4.63 |
| 7 | अरविंद | 154000751241 | तहसीलदार सतवास | 14 | 1.88 |
| 8 | शुभम | 891210310000026 | तहसीलदार सतवास | 14 | 1.12 |
| 9 | बलराम धन्नालाल और चंदू बाई दिलीप सिंह | 31879397802 | तहसीलदार खातेगांव एवं कलेक्टर | 12 | 2.83 |
| 10 | रेखा बाई और सुखराम | 38558100009894 | तहसीलदार खातेगांव एवं कलेक्टर | 12 | 1.59 |
| 11 | रामचन्द्र मनोहर और शिवगिरि धनगिरि | 31499583844 | कलेक्टर एवं तहसीलदार खातेगांव | 10 | 1.51 |
| 12 | मेरा | 63052937523 | कलेक्टर एवं तहसीलदार कन्नौद | 10 | 3.21 |
| 13 | रामेश्वर हजारी | 654105042131 | कलेक्टर एवं तहसीलदार खातेगांव | 10 | 3.34 |
| 14 | हसनाबाई कमलसिंह | 13510110000465 | कलेक्टर एवं तहसीलदार खातेगांव | 8 | 2.03 |
| 15 | मुकेश साहू | 63023127490 | कलेक्टर एवं तहसीलदार कन्नौद | 7 | 2.07 |
| 16 | गोपाल बाबू रामू | 10056888553 | कलेक्टर | 6 | 1.13 |
| 17 | राहुल | 50100233205111 | कलेक्टर | 4 | 1.40 |
| | **योग** | | | **208** | **35.46** |

**(स्रोत: संबंधित डी.डी.ओ. द्वारा प्रस्तुत भुगतान आदेश सूची)**

# परिशिष्ट-2.1.17

## (संदर्भ: कंडिका क्रमांक 2.1.8.6, पृष्ठ क्रमांक 35)

## देवास जिले की बागली तहसील में अनियमित वितरण का विवरण

| स. क्र. | व्यक्ति का नाम | खाता संख्या | आई.एफ.एस.सी. कोड | भुगतान दिनांक | भुगतान की गई राशि ₹ में | बिल संदर्भ संख्या | योजना शीर्ष |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | तेजपाल सिंह मेहरबान सिंह | 154000399808 | सीबीआईएन0एमपीडीसीएजे | 27-04-21 | 30,000 | 20009221666 | ओला-वृष्टि |
| 2 | मनोहरलाल हरि सिंह | 891710110002290 | बीकेआईडी 0008917 | 20-07-21 | 30,000 | 20009782564 | ओला-वृष्टि |
| 3 | श्वेता रामलाल | 20143638511 | एफआईएनओ0001446 | 27-09-21 | 75,000 | 200010330723 | ओला-वृष्टि |
| 4 | सेवंती बाई चेनशिंग | 12411010003170 | बीकेआईडी0एनएएमआरजीबी | 21-10-21 | 400,000 | 200010604639 | ओला-वृष्टि |
| 5 | धनसिंह बुड़का | 12411010002979 | बीकेआईडी0एनएएमआरजीबी | 02-11-21 | 400,000 | 200010765487 | ओला-वृष्टि |
| 6 | सरदार भुवनसिंह | 124110410001985 | बीकेआईडी0एनएएमआरजीबी | 02-11-21 | 55,000 | 200010765728 | ओला-वृष्टि |
| 7 | अन्नासिंह | 37709341829 | एसबीआईएन0030165 | 17-11-21 | 40,000 | 200010837816 | ओला-वृष्टि |
| 8 | हुकुम सिंह भगवत सिंह | 154002253959 | सीबीआईएन0एमपीडीसीएजे | 21-03-22 | 25,000 | 200011986868 | ओला-वृष्टि |
| 9 | रामशिंग गुलाब | 44538100008235 | बीएआरबी0बीएजीएलआईएक्स | 31-01-22 | 25,000 | 200011527185 | ओला-वृष्टि |
| **योग** | | | | | **10,80,000** | | |

**(स्रोत: तहसीलदार, बागली द्वारा प्रदाय अभिलेख)**

## परिशिष्ट-2.1.18

### (संदर्भ: कंडिका क्रमांक 2.1.8.6, पृष्ठ क्रमांक 35)

### विदिशा जिले में सूखा राहत के अनियमित वितरण का विवरण

| स. क्र. | उस व्यक्ति का नाम जिसे कई भुगतान किए गए | खाता संख्या | डी.डी.ओ. | खाते में किए गए लेनदेन की संख्या | खाते में अनियमित रूप से जमा की गई कुल राशि (₹ लाख में) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | संतोष पत्नी अरविंद | 675020004624 | कलेक्टर | 18 | 2.55 |
| 2 | राजेंद्र सिंह | 1818430438 | कलेक्टर | 11 | 2.39 |
| 3 | अशोक पालीवाल पुत्र डालचंद | 175000952180 | कलेक्टर | 10 | 1.14 |
| 4 | आसबाई पत्नी सुनील अहिरवार | 34252924251 | कलेक्टर | 9 | 1.56 |
| 5 | दीपिका पत्नी अरविंदा सिंह | 175000349205 | कलेक्टर | 9 | 1.62 |
| 6 | उदय सिंह पुत्र तूफान सिंह | 373402010010737 | कलेक्टर | 8 | 0.79 |
| 7 | राजवीर | 3117000100225980 | कलेक्टर | 5 | 0.86 |
| 8 | भैरो सिंह पुत्र कोमल सिंह | 3154035594 | कलेक्टर | 7 | 0.76 |
| 9 | कोमल पुत्र हिम्मत | 20203720474 | कलेक्टर | 7 | 0.72 |
| 10 | संस्कार चौकसे | 33159181082 | कलेक्टर | 7 | 0.98 |
| 11 | फिदा मो | 53033162438 | कलेक्टर | 7 | 0.76 |
| 12 | इदरीश खा | 175000741351 | कलेक्टर | 7 | 2.13 |
| 13 | राजेस सिंह | 175000824216 | कलेक्टर | 7 | 1.31 |
| 14 | थान सिंह गुर्जर | 175001508201 | कलेक्टर | 7 | 1.35 |
| 15 | फूलबाई | 175004525304 | कलेक्टर | 7 | 1.09 |
| 16 | शान्तोष शर्मा | 675020008754 | कलेक्टर | 7 | 0.75 |
| 17 | जंग सिंह पुत्र जसवन्त सिंह | 675024012407 | कलेक्टर | 7 | 0.91 |
| 18 | चंद्रकिसन पुत्र चतर सिंह | 21461930000806 | कलेक्टर | 7 | 0.99 |
| 19 | राजेंद्रसिह पुत्र रघुवीरसिह | 2004131010007320 | कलेक्टर | 7 | 0.78 |
| 20 | विजय पुत्र मथुरालाल | 20445209203 | कलेक्टर | 6 | 1.02 |
| 21 | खलील पुत्र अजीज | 31039672015 | कलेक्टर | 6 | 0.90 |
| 22 | कृष्णपाल सिंह पुत्र प्रेम सिंह और पारावत सिंह | 32854629789 | कलेक्टर | 6 | 1.03 |
| 23 | गुलाम अहमद | 34387663374 | कलेक्टर | 6 | 1.33 |
| 24 | संजय रामगोपाल | 53032419012 | कलेक्टर | 6 | 1.09 |
| 25 | अब्दुल सलाम पुत्र मोकाहन | 53033161514 | कलेक्टर | 6 | 1.18 |
| 26 | साविर खान सरदार खान | 53033169976 | कलेक्टर | 6 | 1.39 |
| 27 | इरफ़ान अली पुत्र रोशन अली | 53035941207 | कलेक्टर | 6 | 1.22 |
| 28 | खलील खान अब्दुल सतार खान | 63045219783 | कलेक्टर | 6 | 1.05 |
| 29 | कल्याणसिंह पुत्र दातारसिंह | 63055108912 | कलेक्टर | 6 | 0.73 |
| 30 | जयनारायण | 175000365668 | कलेक्टर | 6 | 0.79 |
| 31 | वसीम खाम पुत्र कासिम खाम | 175000631484 | कलेक्टर | 6 | 0.84 |
| 32 | फैलेराम खेमा | 175000721083 | कलेक्टर | 6 | 0.79 |
| 33 | रूप सिंह पुत्र अजब सिंह | 175000812563 | कलेक्टर | 6 | 0.76 |
| 34 | धीरजसिंह पुत्र उंकार सिंह | 175001364868 | कलेक्टर | 6 | 0.75 |

| स. क्र. | उस व्यक्ति का नाम जिसे कई भुगतान किए गए | खाता संख्या | डी.डी.ओ. | खाते में किए गए लेनदेन की संख्या | खाते में अनियमित रूप से जमा की गई कुल राशि (₹ लाख में) |
|---|---|---|---|---|---|
| 35 | हेत सिंह | 675006006120 | कलेक्टर | 6 | 1.77 |
| 36 | हरिनारायण पुत्र मोहर सिंह | 675015034498 | कलेक्टर | 6 | 0.75 |
| 37 | जालमसिंह पुत्र धीरजसिंह | 675101018887 | कलेक्टर | 6 | 1.25 |
| 38 | धीरज सिंह मीना | 174500101003009 | कलेक्टर | 6 | 0.78 |
| 39 | करण सिंह पुत्र बरजोर सिंह | 684002010001616 | कलेक्टर | 6 | 0.75 |
| 40 | कमर सिंह | 2004171010005920 | कलेक्टर | 6 | 0.92 |
| 41 | अमन सिंह पुत्र निरंजन सिंह | 2307778354 | कलेक्टर | 5 | 1.26 |
| 42 | नेताराम उर्फ़ तुलसीराम पुत्र सालकराम | 11563395858 | कलेक्टर | 5 | 0.87 |
| 43 | माखन सिंह पुत्र खुमान सिंह | 31175561557 | कलेक्टर | 5 | 0.78 |
| 44 | गफ्फार खान पुत्र अल्लादीन खान | 31749343027 | कलेक्टर | 5 | 0.81 |
| 45 | ब्रजमोहन | 32185710829 | कलेक्टर | 5 | 0.83 |
| 46 | गनी खान अब्दुल सत्तार खान | 32887168570 | कलेक्टर | 5 | 0.82 |
| 47 | जयमण्डल पुत्र बहारदार सिंह | 36754584537 | कलेक्टर | 5 | 0.93 |
| 48 | कामोद सिंह पुत्र धीरज सिंह और सोनू पुत्र कामोद सिंह | 53033163612 | कलेक्टर | 5 | 0.94 |
| 49 | महेंद्रपाल सिंह | 63005750289 | कलेक्टर | 5 | 2.17 |
| 50 | चारण गाओ पुत्र खेमचंद | 63032116103 | कलेक्टर | 5 | 0.91 |
| 51 | जसवंत सिंह पुत्र बाबूलाल | 63036501837 | कलेक्टर | 5 | 1.12 |
| 52 | सुनील पुत्र बंशीलाल अहिरवार | 63038999293 | कलेक्टर | 5 | 1.29 |
| 53 | गिरजाप्रसाद पुत्र ग्याप्रसाद | 63044726828 | कलेक्टर | 5 | 0.72 |
| 54 | गुलाबबाई ब्रहमाण्ड और हमीर पुत्र नारायण | 151000389246 | कलेक्टर | 5 | 0.79 |
| 55 | महेश कुमार पुत्र हेतसिंह | 175000272296 | कलेक्टर | 5 | 1.17 |
| 56 | तेजेन्दर पुत्र गुरुचरण सिंह बैरीघाट | 175000703971 | कलेक्टर | 5 | 0.79 |
| 57 | समंदर सिंह पुत्र नारायण सिंह | 175000740288 | कलेक्टर | 5 | 0.83 |
| 58 | छोटेलाल राजपूत | 175000746406 | कलेक्टर | 5 | 0.94 |
| 59 | राजेश भार्गव | 175000796457 | कलेक्टर | 5 | 0.93 |
| 60 | मोआरिफ़ खाम पुत्र अय्यूब खाम | 175000807494 | कलेक्टर | 5 | 1.07 |
| 61 | भानु पुत्र फूलसिंह | 175000852969 | कलेक्टर | 5 | 0.77 |
| 62 | उमर मोहम्मद खान | 175000870499 | कलेक्टर | 5 | 1.21 |
| 63 | ब्रजभानसिंह ठाकुर | 175000961842 | कलेक्टर | 5 | 0.87 |
| 64 | बारेलाल अमर सिंह | 175001019196 | कलेक्टर | 5 | 0.92 |
| 65 | अनवर खान | 175001420803 | कलेक्टर | 5 | 0.95 |
| 66 | लक्ष्मी बाई | 175001456444 | कलेक्टर | 5 | 0.89 |
| 67 | मोजफर अली पुत्र नबाब सरवर अली | 175001595874 | कलेक्टर | 5 | 0.85 |
| 68 | इंद्रजीत पुत्र बुंदेल सिंह | 175001713764 | कलेक्टर | 5 | 0.88 |
| 69 | लाखन सिंह | 675015021886 | कलेक्टर | 5 | 1.17 |
| 70 | गोवर्धन पुत्र कुन्दनलाल | 675024008831 | कलेक्टर | 5 | 0.91 |
| 71 | दीपक रघुवंशी | 373402010994098 | कलेक्टर | 5 | 0.93 |
| 72 | रूपा पत्नी धन्नालाल | 680001500024853 | कलेक्टर | 5 | 0.88 |

| स. क्र. | उस व्यक्ति का नाम जिसे कई भुगतान किए गए | खाता संख्या | डी.डी.ओ. | खाते में किए गए लेनदेन की संख्या | खाते में अनियमित रूप से जमा की गई कुल राशि (₹ लाख में) |
|---|---|---|---|---|---|
| 73 | अजयराव पुत्र नीलकंठराव और लक्ष्मीकांत राव पुत्र नारायण राव | 2004171310005570 | कलेक्टर | 5 | 1.70 |
| 74 | राजेंद्र सिंह बघेल और वरुण प्रताप पुत्र राजेंद्र सिंह | 2671000100012960 | कलेक्टर | 5 | 2.12 |
| 75 | सज्जाद हुसैन | 3117000100010990 | कलेक्टर | 5 | 0.83 |
| 76 | ब्रांदावन | 1954503296 | कलेक्टर | 4 | 1.07 |
| 77 | मशानराम पुत्र वलीराम | 3261170484 | कलेक्टर | 4 | 1.07 |
| 78 | कल्याण पुत्र भैया लाल | 3599769335 | कलेक्टर | 4 | 0.80 |
| 79 | कृष्णा बाई | 3681372041 | कलेक्टर | 4 | 0.80 |
| 80 | इंदर सिंह राजपूत | 20336320996 | कलेक्टर | 4 | 0.82 |
| 81 | देवेन्द्र रघुवंशी | 30630444505 | कलेक्टर | 4 | 1.54 |
| 82 | फेजुलहक पुत्र मो. इकबाल खान | 31215754148 | कलेक्टर | 4 | 0.80 |
| 83 | उमा देवी आदि पत्नी जगदीश प्रसाद श्रीवास्तव सिमरहर | 31447748243 | कलेक्टर | 4 | 0.97 |
| 84 | यशवन्त पुत्र शिवप्रकाश | 31610711841 | कलेक्टर | 4 | 0.78 |
| 85 | जगदीश हजारीलाल | 31716293878 | कलेक्टर | 4 | 0.75 |
| 86 | अमोल सिंह पुत्र मंगल और रामकुमार पुत्र अमोल सिंह | 31883069647 | कलेक्टर | 4 | 1.07 |
| 87 | मलखान सिंह पाल | 32128918270 | कलेक्टर | 4 | 0.91 |
| 88 | राजेश अखलेश पुत्र गजराज सिंह रामप्यारी बेवा गजराज सिंह | 32797592864 | कलेक्टर | 4 | 1.38 |
| 89 | भोगीराम पुत्र पंचम | 32924297733 | कलेक्टर | 4 | 0.90 |
| 90 | अहमदुद्दीन | 33876974857 | कलेक्टर | 4 | 0.84 |
| 91 | ऋषभ कुमार पुत्र रतन चंद जैन | 34672374071 | कलेक्टर | 4 | 0.75 |
| 92 | ओमप्रकाश पुत्र बालाप्रसाद | 53032397993 | कलेक्टर | 4 | 0.71 |
| 93 | गणेशी बाई | 53033168780 | कलेक्टर | 4 | 0.98 |
| 94 | बृजेन्द्रकुमार | 53037489813 | कलेक्टर | 4 | 0.73 |
| 95 | शहीद बेग | 53037725433 | कलेक्टर | 4 | 0.73 |
| 96 | मोहम्मददीन खान पुत्र याकूब खान | 53039523558 | कलेक्टर | 4 | 1.34 |
| 97 | रघुवीर पुत्र रतनलाल | 53039540574 | कलेक्टर | 4 | 1.14 |
| 98 | इशाकखाम असफाक खाम | 53048853892 | कलेक्टर | 4 | 1.11 |
| 99 | उमर खान | 63009666064 | कलेक्टर | 4 | 1.32 |
| 100 | दिनेश पुत्र कृष्णानंद | 100100005560 | कलेक्टर | 4 | 0.93 |
| 101 | चंद्रेश उर्फ़ शुधीर तिवारी | 175000131254 | कलेक्टर | 4 | 1.01 |
| 102 | दलीप सिंह पुत्र चुन्नीलाल | 175000268382 | कलेक्टर | 4 | 0.70 |
| 103 | जयप्रकाश सिंह | 175000269329 | कलेक्टर | 4 | 0.70 |
| 104 | राजकुमार शुक्ल | 175000278538 | कलेक्टर | 4 | 0.72 |
| 105 | संजय पुत्र रामाबतार सिंह मामा रणजीत सिंह पुत्र हरिसिंह | 175000280525 | कलेक्टर | 4 | 0.82 |
| 106 | हरीबै पत्नी बटूला खाँ ज्ञानमबी | 175000291195 | कलेक्टर | 4 | 0.71 |
| 107 | गजेंद्र सिंह दांगी | 175000316304 | कलेक्टर | 4 | 0.97 |

| स. क्र. | उस व्यक्ति का नाम जिसे कई भुगतान किए गए | खाता संख्या | डी.डी.ओ. | खाते में किए गए लेनदेन की संख्या | खाते में अनियमित रूप से जमा की गई कुल राशि (₹ लाख में) |
|---|---|---|---|---|---|
| 108 | भूरेखां पुत्र मुंशीखां | 175000318006 | कलेक्टर | 4 | 1.06 |
| 109 | सैम मान सिंह बैगेल | 175000343995 | कलेक्टर | 4 | 0.87 |
| 110 | तिलकसिह पुदेवेसिहादागे निग्राम मदा | 175000350844 | कलेक्टर | 4 | 0.80 |
| 111 | हरिकेश | 175000365828 | कलेक्टर | 4 | 1.07 |
| 112 | सलीम खाम पुत्र अहमद नूर खाम | 175000385834 | कलेक्टर | 4 | 0.81 |
| 113 | खिलान सिंह | 175000395808 | कलेक्टर | 4 | 0.76 |
| 114 | अरसद बेग पुत्र हनीफ बेग | 175000415113 | कलेक्टर | 4 | 1.86 |
| 115 | कल्याण सिंह पुत्र  मोबत सिंह | 175000424966 | कलेक्टर | 4 | 2.32 |
| 116 | अमित | 175000450077 | कलेक्टर | 4 | 0.83 |
| 117 | अज़हरुद्दीन खान | 175000659228 | कलेक्टर | 4 | 0.80 |
| 118 | किशन सिंह पुत्र मोहन लाल | 175000661838 | कलेक्टर | 4 | 0.90 |
| 119 | रामकृष्ण पुत्र  गजराज | 175000867192 | कलेक्टर | 4 | 0.71 |
| 120 | मान सिंह पुत्र  नाथू | 175000959708 | कलेक्टर | 4 | 1.12 |
| 121 | केशव सिंह पुत्र नारायण सिंह | 175001023157 | कलेक्टर | 4 | 1.13 |
| 122 | इंद्रभान सिंह | 175001078684 | कलेक्टर | 4 | 0.76 |
| 123 | ईमाम | 175001278436 | कलेक्टर | 4 | 2.00 |
| 124 | विक्रम | 175001459739 | कलेक्टर | 4 | 0.95 |
| 125 | कृष्णमुरारि मोघेपुत्र सखाराम मोघे | 175001513970 | कलेक्टर | 4 | 0.95 |
| 126 | यादराम | 175001547412 | कलेक्टर | 4 | 0.73 |
| 127 | राधेश्याम यादव | 175001652926 | कलेक्टर | 4 | 0.77 |
| 128 | शरीफ खान रियाज खान | 175005198613 | कलेक्टर | 4 | 0.70 |
| 129 | अतीक खां पुत्र  नामदारखां | 175006006635 | कलेक्टर | 4 | 0.75 |
| 130 | असलम खान पुत्र हमीद खान | 675006013569 | कलेक्टर | 4 | 0.83 |
| 131 | कमलसिंह पुत्र लालसिंह राजपूत | 675007010613 | कलेक्टर | 4 | 0.82 |
| 132 | पूरणसिंह पुत्र विष्णुप्रसाद | 675013005594 | कलेक्टर | 4 | 0.93 |
| 133 | गोपाल उर्फ़ रामगोपाल | 675016002385 | कलेक्टर | 4 | 0.74 |
| 134 | मंदिर श्री देवलक्ष्मी | 12890100002115 | कलेक्टर | 4 | 0.81 |
| 135 | मो इसहाक खान पुत्र अच्छे खान | 21461530001057 | कलेक्टर | 4 | 1.22 |
| 136 | वीर सिंह पुत्र दयाराम आठसेमर | 38920100004570 | कलेक्टर | 4 | 0.92 |
| 137 | भानुप्रताप रघुवंशी | 38920100005215 | कलेक्टर | 4 | 1.04 |
| 138 | ख़ालिद पुत्र इस्हाक़ | 50100075296486 | कलेक्टर | 4 | 0.99 |
| 139 | अलीम खान पुत्र बट्टू खान | 50100205485483 | कलेक्टर | 4 | 0.82 |
| 140 | शैलेन्द्र सिंह | 373402010999038 | कलेक्टर | 4 | 0.89 |
| 141 | चन्द्रभान पुत्र पूरण | 520291016687421 | कलेक्टर | 4 | 0.72 |
| 142 | पर्वतसिंह राजपूत | 680000100139570 | कलेक्टर | 4 | 1.55 |
| 143 | पवनकुमार पुत्र सीताराम | 680000100208700 | कलेक्टर | 4 | 1.29 |
| 144 | वीर सिंह | 906610110007280 | कलेक्टर | 4 | 0.70 |
| 145 | भगवान सिंह | 2004171030051450 | कलेक्टर | 4 | 0.79 |
| 146 | अजयराव पुत्र और राहुल पुत्र मदनराव | 2004171310009050 | कलेक्टर | 4 | 1.15 |

| स. क्र. | उस व्यक्ति का नाम जिसे कई भुगतान किए गए | खाता संख्या | डी.डी.ओ. | खाते में किए गए लेनदेन की संख्या | खाते में अनियमित रूप से जमा की गई कुल राशि (₹ लाख में) |
|---|---|---|---|---|---|
| 147 | शांति बाई पत्नी छगन लाल | 675007001552 | कलेक्टर | 3 | 1.40 |
| 148 | पुष्पेन्द्रसिह पुत्र सालिगराम | 50200020266100 | कलेक्टर | 3 | 1.35 |
| 149 | पप्पू रामू अरविंद | 175000880781 | कलेक्टर | 4 | 0.71 |
| **योग** | | | | **749** | **152.57** |

**(स्रोत: डी.डी.ओ. द्वारा प्रदाय भुगतान आदेश सूचियां)**

# परिशिष्ट-2.1.19
## (संदर्भ: कंडिका क्रमांक 2.1.10, पृष्ठ क्रमांक 37)
## खंडवा जिले में समितियों के खातों में ₹164.31 करोड़ जमा करने का विवरण

| स. क्र. | सहकारी समिति का नाम | समिति का खाता संख्या | आई.एफ.एस.सी. | जमा की गई राशि (₹ लाख में) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | सेवा सहकारी समिति सुलगांव | 659014038223 | सीबीआईएन0एमपीडीसीएआर | 893.20 |
| 2 | सेवा सहकारी समिति बांगरदा | 659008000046 | सीबीआईएन0एमपीडीसीएआर | 812.09 |
| 3 | सेवा सहकारी समिति बोराडी | 659010026038 | सीबीआईएन0एमपीडीसीएआर | 666.56 |
| 4 | सेवा सहकारी समिति मोहना | 659010030044 | सीबीआईएन0एमपीडीसीएआर | 555.65 |
| 5 | सेवा सहकारी समिति भोगावा | 659014038303 | सीबीआईएन0एमपीडीसीएआर | 549.37 |
| 6 | सेवा सहकारी समिति रिछफल | 659009000034 | सीबीआईएन0एमपीडीसीएआर | 522.67 |
| 7 | सेवा सहकारी समिति पुनासा | 659009000023 | सीबीआईएन0एमपीडीसीएआर | 519.39 |
| 8 | सेवा सहकारी समिति खुटलकला | 659010026027 | सीबीआईएन0एमपीडीसीएआर | 518.77 |
| 9 | सेवा सहकारी समिति मुंदी | 659008000104 | सीबीआईएन0एमपीडीसीएआर | 513.62 |
| 10 | सेवा सहकारी समिति दौलतपुरा | 659009000045 | सीबीआईएन0एमपीडीसीएआर | 496.80 |
| 11 | सेवा सहकारी समिति चीचली | 659008000080 | सीबीआईएन0एमपीडीसीएआर | 432.55 |
| 12 | सेवा सहकारी समिति जामकोटा | 659008000126 | सीबीआईएन0एमपीडीसीएआर | 424.20 |
| 13 | सेवा सहकारी समिति भगवानपुरा | 659008000091 | सीबीआईएन0एमपीडीसीएआर | 398.48 |
| 14 | सेवा सहकारी समिति गौल | 659014038245 | सीबीआईएन0एमपीडीसीएआर | 397.32 |
| 15 | सेवा सहकारी समिति धामनगांव | 659009000012 | सीबीआईएन0एमपीडीसीएआर | 383.55 |
| 16 | सेवा सहकारी समिति फिफ्राड | 659010026129 | सीबीआईएन0एमपीडीसीएआर | 357.40 |
| 17 | सेवा सहकारी समिति पलसूद | 659008000013 | सीबीआईएन0एमपीडीसीएआर | 343.14 |
| 18 | सेवा सहकारी समिति सक्तापुर | 659009000056 | सीबीआईएन0एमपीडीसीएआर | 317.68 |
| 19 | सेवा सहकारी समिति जलकुवा | 659008000024 | सीबीआईएन0एमपीडीसीएआर | 315.95 |
| 20 | सेवा सहकारी समिति अट्टूखास | 659010026152 | सीबीआईएन0एमपीडीसीएआर | 314.17 |
| 21 | सेवा सहकारी समिति सोमगांव | 659008000035 | सीबीआईएन0एमपीडीसीएआर | 254.54 |
| 22 | आदिम जाति सेवा सह समिति पड़लिया | 659020059324 | सीबीआईएन0एमपीडीसीएआर | 229.91 |
| 23 | सेवा सहकारी समिति गुड़दा | 659008000079 | सीबीआईएन0एमपीडीसीएआर | 225.09 |
| 24 | आदिम जाति सेवा सह समिति खालवा | 659016000401 | सीबीआईएन0एमपीडीसीएआर | 205.14 |
| 25 | सेवा सहकारी समिति बीड | 659008000068 | सीबीआईएन0एमपीडीसीएआर | 187.19 |
| 26 | आदिम जाति सेवा सह समिति खेड़ी | 659019010315 | सीबीआईएन0एमपीडीसीएआर | 181.99 |
| 27 | आदिम जाति सेवा सह समिति आशापुर | 659018000170 | सीबीआईएन0एमपीडीसीएआर | 179.96 |
| 28 | आदिम जाति सेवा सह समिति खरकला | 659019010291 | सीबीआईएन0एमपीडीसीएआर | 177.82 |
| 29 | आदिम जाति सेवा सह समिति धावडी | 659020059346 | सीबीआईएन0एमपीडीसीएआर | 169.87 |
| 30 | सेवा सहकारी समिति सदियापानी | 659018000261 | सीबीआईएन0एमपीडीसीएआर | 146.83 |
| 31 | सेवा सहकारी समिति बड़केश्वर | 659009000067 | सीबीआईएन0एमपीडीसीएआर | 145.70 |
| 32 | सेवा सहकारी समिति बोरीसराय | 659018000136 | सीबीआईएन0एमपीडीसीएआर | 144.43 |
| 33 | सेवा सहयोगी समीरि गंभीर | 659017029770 | सीबीआईएन0एमपीडीसीएआर | 136.10 |
| 34 | जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित सहजला | 659011000031 | सीबीआईएन0एमपीडीसीएआर | 133.47 |
| 35 | आदिम जाति सेवा सह समिति सुकवि | 659019010337 | सीबीआईएन0एमपीडीसीएआर | 127.46 |

| स. क्र. | सहकारी समिति का नाम | समिति का खाता संख्या | आई.एफ.एस.सी. | जमा की गई राशि (₹ लाख में) |
|---|---|---|---|---|
| 36 | जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित भामगढ़ | 659004017805 | सीबीआईएन0एमपीडीसीएआर | 124.30 |
| 37 | सेवा सहकारी समिति किलोद | 659017029816 | सीबीआईएन0एमपीडीसीएआर | 115.99 |
| 38 | जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित सिहड़ा | 659011000020 | सीबीआईएन0एमपीडीसीएआर | 115.54 |
| 39 | सेवा सहकारी समिति सोमगांव | 659017029861 | सीबीआईएन0एमपीडीसीएआर | 115.17 |
| 40 | सेवा सहकारी समिति छनेरा | 659018000272 | सीबीआईएन0एमपीडीसीएआर | 111.50 |
| 41 | सेवा सहकारी समिति घोघलगांव | 659014038278 | सीबीआईएन0एमपीडीसीएआर | 101.60 |
| 42 | जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित कालमुखी | 659010029845 | सीबीआईएन0एमपीडीसीएआर | 100.70 |
| 43 | सेवा सहकारी समिति बोथिया खुर्द | 659018000169 | सीबीआईएन0एमपीडीसीएआर | 95.46 |
| 44 | सेवा सहकारी समिति बरुद | 659018000147 | सीबीआईएन0एमपीडीसीएआर | 89.16 |
| 45 | आदिम जाति सेवा सह समिति कलामखुर्द | 659016000036 | सीबीआईएन0एमपीडीसीएआर | 88.27 |
| 46 | जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित बडग़ाओगुर्जर | 659004017816 | सीबीआईएन0एमपीडीसीएआर | 87.25 |
| 47 | आदिम जाति सेवा सह समिति देवलिकला | 659019010304 | सीबीआईएन0एमपीडीसीएआर | 86.97 |
| 48 | सेवा सहकारी समिति बिल्लोद | 659017029792 | सीबीआईएन0एमपीडीसीएआर | 85.49 |
| 49 | आदिम जाति सेवा सह. समिति रोशनी | 659020059335 | सीबीआईएन0एमपीडीसीएआर | 84.26 |
| 50 | जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित अहमदपुरखैगांव | 659004017758 | सीबीआईएन0एमपीडीसीएआर | 83.52 |
| 51 | सेवा लाभकारी समिति पूर्णी | 659008000115 | सीबीआईएन0एमपीडीसीएआर | 82.83 |
| 52 | जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित भगवानपुरा | 659007000014 | सीबीआईएन0एमपीडीसीएआर | 81.79 |
| 53 | जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित अत्तार | 659010029709 | सीबीआईएन0एमपीडीसीएआर | 78.56 |
| 54 | जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित केहलारी | 659011000053 | सीबीआईएन0एमपीडीसीएआर | 76.13 |
| 55 | सेवा सहकारी समिति मर्यादित मण्डी शाखा खण्डवा | 659004017736 | सीबीआईएन0एमपीडीसीएआर | 73.11 |
| 56 | जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित जावर | 659011000019 | सीबीआईएन0एमपीडीसीएआर | 72.81 |
| 57 | आदिम जाति सेवा सह समिति गुलाईमल | 659016000423 | सीबीआईएन0एमपीडीसीएआर | 72.17 |
| 58 | सेवा सहकारी समिति रेवापुर | 659018000318 | सीबीआईएन0एमपीडीसीएआर | 68.97 |
| 59 | जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित बरूद | 659006000151 | सीबीआईएन0एमपीडीसीएआर | 67.41 |
| 60 | जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित जसवाडी | 659004017792 | सीबीआईएन0एमपीडीसीएआर | 67.10 |
| 61 | जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित खिदगाओ | 659007000058 | सीबीआईएन0एमपीडीसीएआर | 61.15 |
| 62 | सेवा सहकारी समिति पिपलानी | 659017029872 | सीबीआईएन0एमपीडीसीएआर | 59.30 |
| 63 | आदिम जाति सेवा सह समिति कोठा | 659016000025 | सीबीआईएन0एमपीडीसीएआर | 57.52 |
| 64 | जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित रमेश्वर | 659004017747 | सीबीआईएन0एमपीडीसीएआर | 54.12 |
| 65 | जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित रणगांव | 659011000064 | सीबीआईएन0एमपीडीसीएआर | 52.14 |

| स. क्र. | सहकारी समिति का नाम | समिति का खाता संख्या | आई.एफ.एस.सी. | जमा की गई राशि (₹ लाख में) |
|---|---|---|---|---|
| 66 | जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित छैगांवखान | 659006000173 | सीबीआईएन0एमपीडीसीएआर | 51.10 |
| 67 | सेवा सहकारी समिति मर्यादित आरुद तहसील पंधाना | 659005000027 | सीबीआईएन0एमपीडीसीएआर | 49.09 |
| 68 | जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित पिपलोद | 659012006429 | सीबीआईएन0एमपीडीसीएआर | 48.58 |
| 69 | जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित धनगांव | 659006000162 | सीबीआईएन0एमपीडीसीएआर | 47.95 |
| 70 | जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित रामपुरा | 659007000047 | सीबीआईएन0एमपीडीसीएआर | 47.30 |
| 71 | जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित कोहडद | 659013002649 | सीबीआईएन0एमपीडीसीएआर | 47.21 |
| 72 | जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित पाडलिया | 659007000069 | सीबीआईएन0एमपीडीसीएआर | 46.52 |
| 73 | सेवा सहकारी समिति इमलानी | 159000211379 | सीबीआईएन0एमपीडीसीएआर | 45.65 |
| 74 | सेवा सहकारी समिति दगड़खेड़ी | 659018000158 | सीबीआईएन0एमपीडीसीएआर | 45.14 |
| 75 | जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित गुड़ीखेड़ा | 659012003767 | सीबीआईएन0एमपीडीसीएआर | 44.76 |
| 76 | जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित दुगवाड़ा | 659010046827 | सीबीआईएन0एमपीडीसीएआर | 44.40 |
| 77 | जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित सिर्रा | 659004017770 | सीबीआईएन0एमपीडीसीएआर | 44.24 |
| 78 | जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित टेमीकला | 659004017769 | सीबीआईएन0एमपीडीसीएआर | 43.85 |
| 79 | जिला सहकारी केन्द्रीय मर्यादित समिति पोखरकला | 659006000139 | सीबीआईएन0एमपीडीसीएआर | 43.67 |
| 80 | जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित हर्षवाड़ा | 659006000140 | सीबीआईएन0एमपीडीसीएआर | 43.46 |
| 81 | जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित कुमठा | 659012006236 | सीबीआईएन0एमपीडीसीएआर | 42.63 |
| 82 | आदिम जाति सेवा सह समिति कलामखुद | 659016000412 | सीबीआईएन0एमपीडीसीएआर | 40.11 |
| 83 | सेवा सहकारी समिति मर्यादित घाटाखेड़ी | 659005000016 | सीबीआईएन0एमपीडीसीएआर | 39.86 |
| 84 | सेवा सहकारी समिति मर्यादित पंधाना तहसील पंधाना | 659005000049 | सीबीआईएन0एमपीडीसीएआर | 39.36 |
| 85 | जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित बडगांवमाली | 659004017781 | सीबीआईएन0एमपीडीसीएआर | 39.19 |
| 86 | जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित राजगढ़ | 659012005890 | सीबीआईएन0एमपीडीसीएआर | 39.07 |
| 87 | जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित चमाति | 659006000128 | सीबीआईएन0एमपीडीसीएआर | 38.89 |
| 88 | सेवा सहकारी समिति मर्यादित रुस्तमपुर तहसील पंधाना | 659013002650 | सीबीआईएन0एमपीडीसीएआर | 36.25 |
| 89 | सेवा सहकारी समिति बोरखेड़ा | 659008000057 | सीबीआईएन0एमपीडीसीएआर | 36.18 |
| 90 | सेवा सहकारी समिति मर्यादित दीवाल तहसील पंधाना | 659005000038 | सीबीआईएन0एमपीडीसीएआर | 35.90 |

| स. क्र. | सहकारी समिति का नाम | समिति का खाता संख्या | आई.एफ.एस.सी. | जमा की गई राशि (₹ लाख में) |
|---|---|---|---|---|
| 91 | जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित हीरापुरा | 659012003756 | सीबीआईएन0एमपीडीसीएआर | 35.40 |
| 92 | सेवा सहकारी समिति मर्यादित बोरगांव बुजुर्ग | 659013002638 | सीबीआईएन0एमपीडीसीएआर | 34.02 |
| 93 | सेवा सहकारी समिति मर्यादित सैयदपुर तहसील पंधाना | 659005000050 | सीबीआईएन0एमपीडीसीएआर | 33.80 |
| 94 | जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित बलवाड़ा | 659007000036 | सीबीआईएन0एमपीडीसीएआर | 33.36 |
| 95 | जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित अंधवा | 659007000070 | सीबीआईएन0एमपीडीसीएआर | 33.14 |
| 96 | जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित बामंदा | 659012003778 | सीबीआईएन0एमपीडीसीएआर | 32.82 |
| 97 | सेवा सहकारी मंडला | 659011000042 | सीबीआईएन0एमपीडीसीएआर | 32.11 |
| 98 | आदिम जाति सेवा सह समिति सेधवाल | 659016000503 | सीबीआईएन0एमपीडीसीएआर | 31.91 |
| 99 | जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित नहल्दा | 659004017827 | सीबीआईएन0एमपीडीसीएआर | 29.98 |
| 100 | जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित सिंगोट | 659007000025 | सीबीआईएन0एमपीडीसीएआर | 28.62 |
| 101 | जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित चिचगोहन | 659010046838 | सीबीआईएन0एमपीडीसीएआर | 26.78 |
| 102 | आदिम जाति सेवा सह समिति खोथ | 659016000615 | सीबीआईएन0एमपीडीसीएआर | 25.65 |
| 103 | सेवा सहकारी समिति खुड़िया | 659017029805 | सीबीआईएन0एमपीडीसीएआर | 22.11 |
| 104 | सहकाई समिति आवल्या खरवा | 659006000117 | सीबीआईएन0एमपीडीसीएआर | 19.13 |
| 105 | सेवा सहकारी समिति मालूद | 659017029781 | सीबीआईएन0एमपीडीसीएआर | 16.83 |
| 106 | सेवा सहकारी समिति मर्यादित छैगांव माखन तहसील खंडवा | 659006000173 | सीबीआईएन0एमपीडीसीएआर | 14.98 |
| 107 | आदिम जाति सेव सह समिति धावड़ी | 659016011572 | सीबीआईएन0एमपीडीसीएआर | 11.26 |
| | **योग** | | | **16,430.61** |

**(स्रोत: संबंधित तहसीलदारों द्वारा प्रस्तुत भुगतान आदेश सूचियां और मिलान प्रतिवेदन)**

# परिशिष्ट-2.1.20

## (संदर्भ: कंडिका क्रमांक 2.1.10.2, पृष्ठ क्रमांक 38)

## सहकारी समितियों और तहसीलदारों के आंकड़ों के बीच ₹ 8.28 करोड़ की विसंगति का विवरण

| स. क्र. | समिति का पंजीकरण क्रमांक | सहकारी समिति का नाम | समिति का खाता संख्या | तहसीलदारों द्वारा 2019-21 में किया गया कुल भुगतान (₹ लाख में) | लेखापरीक्षा को दी गई जानकारी के अनुसार 2019-21 में समितियों द्वारा प्राप्त कुल राशि (₹ लाख में) | तहसीलदारों द्वारा भुगतान की गई राशि और समितियों द्वारा दी गई जानकारी के बीच अंतर (₹ लाख में) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 78 | सेवा सहकारी समिति अट्टूखास | 659010026152 | 314.17 | 117.49 | 196.68 |
| 2 | 327 | सेवा सहकारी समिति बांगरदा | 659008000046 | 812.09 | 632.89 | 179.20 |
| 3 | 646 | सेवा सहकारी समिति सोमगांव | 659008000035 | 254.54 | 115.17 | 139.38 |
| 4 | 241 | सेवा सहकारी समिति जलकुवा | 659008000024 | 315.95 | 219.76 | 96.19 |
| 5 | 172 | जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित सहजला | 659011000031 | 133.47 | 93.74 | 39.73 |
| 6 | 200 | सेवा सहयोगी समीरि गंभीर | 659017029770 | 136.10 | 98.80 | 37.30 |
| 7 | 234 | सेवा सहकारी समिति बिल्लोद | 659017029792 | 85.49 | 57.13 | 28.36 |
| 8 | 674 | आदिम जाति सेवा सह समिति खरकला | 659019010291 | 177.82 | 152.65 | 25.17 |
| 9 | 64 | जिला सहकारी केन्द्रीय मर्यादित समिति पोखरकला | 659006000139 | 63.50 | 63.35 | 0.15 |
| 10 | 614 | सेवा सहकारी समिति पिपलानी | 659017029872 | 59.30 | 45.71 | 13.60 |
| 11 | 744 | सेवा सहकारी समिति किलोद | 659017029816 | 115.99 | 102.57 | 13.42 |
| 12 | 581 | सेवा सहकारी समिति बोथिया खुर्द | 659018000169 | 95.46 | 86.63 | 8.83 |
| 13 | 1551 | जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित केहलारी | 659011000053 | 76.13 | 67.45 | 8.68 |
| 14 | 715 | सेवा सहकारी समिति खुड़िया | 659017029805 | 22.11 | 14.60 | 7.51 |
| 15 | 431 | सेवा सहकारी समिति बरूद | 659018000147 | 89.16 | 82.60 | 6.55 |
| 16 | 477 | जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित कालमुखी | 659010029845 | 100.70 | 94.33 | 6.37 |
| 17 | 490 | सेवा सहकारी समिति भोगावा | 659014038303 | 549.37 | 543.11 | 6.26 |
| 18 | 228 | सेवा सहकारी समिति मालूद | 659017029781 | 16.83 | 13.29 | 3.54 |
| 19 | 546 | जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित सिहड़ा | 659011000020 | 115.54 | 112.50 | 3.04 |
| 20 | 820 | सेवा सहकारी समिति दौलतपुरा | 659009000045 | 496.80 | 495.30 | 1.50 |
| 21 | 499 | जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित पिपलोद | 659012006429 | 48.58 | 47.67 | 0.91 |
| 22 | 418 | सहकाई समिति आवल्या खरवा | 659006000117 | 19.13 | 18.30 | 0.83 |
| 23 | 233 | सेवा सहकारी समिति पलसूद | 659008000013 | 343.14 | 342.53 | 0.60 |
| 24 | 701 | सेवा सहकारी समिति दगड़खेड़ी | 659018000158 | 45.14 | 44.56 | 0.59 |

| स. क्र. | समिति का पंजीकरण क्रमांक | सहकारी समिति का नाम | समिति का खाता संख्या | तहसीलदारों द्वारा 2019-21 में किया गया कुल भुगतान (₹ लाख में) | लेखापरीक्षा को दी गई जानकारी के अनुसार 2019-21 में समितियों द्वारा प्राप्त कुल राशि (₹ लाख में) | तहसीलदारों द्वारा भुगतान की गई राशि और समितियों द्वारा दी गई जानकारी के बीच अंतर (₹ लाख में) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 425 | जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित जावर | 659011000019 | 72.81 | 72.27 | 0.54 |
| 26 | 550 | सेवा सहकारी समिति मर्यादित दीवाल तहसील पंधाना | 659005000038 | 35.90 | 35.43 | 0.46 |
| 27 | 773 | सेवा सहकारी समिति गौल | 659014038245 | 397.32 | 397.03 | 0.29 |
| 28 | 443 | सेवा सहकारी समिति मर्यादित आरुद तहसील पंधाना | 659005000027 | 49.09 | 48.81 | 0.29 |
| 29 | 1552 | जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित रणगांव | 659011000064 | 52.14 | 51.89 | 0.25 |
| 30 | 413 | सेवा सहकारी समिति छनेरा | 659018000272 | 111.50 | 111.28 | 0.22 |
| 31 | 440 | सेवा सहकारी समिति मर्यादित घाटाखेड़ी | 659005000016 | 39.86 | 39.66 | 0.21 |
| 32 | 417 | जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित सिंगोट | 659007000025 | 28.62 | 28.43 | 0.19 |
| 33 | 710 | सेवा सहकारी समिति मर्यादित सैयदपुर तहसील पंधाना | 659005000050 | 33.80 | 33.62 | 0.18 |
| 34 | 1550 | जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित नहल्दा | 659004017827 | 29.98 | 29.83 | 0.15 |
| 35 | 682 | सेवा सहकारी समिति मर्यादित पंधाना तहसील पंधाना | 659005000049 | 39.36 | 39.21 | 0.15 |
| 36 | 799 | जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित बडगांवमाली | 659004017781 | 39.19 | 39.08 | 0.11 |
| 37 | 829 | जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित हीरापुरा | 659012003756 | 35.40 | 35.31 | 0.10 |
| 38 | 642 | जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित अंधवा | 659007000070 | 33.14 | 33.04 | 0.09 |
| 39 | 397 | सेवा सहकारी समिति बोरखेड़ा | 659008000057 | 36.18 | 36.10 | 0.08 |
| 40 | 782 | सेवा सहकारी समिति इमलानी | 159000211379 | 45.65 | 45.57 | 0.07 |
| 41 | 620 | जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित भामगढ़ | 659004017805 | 124.30 | 124.27 | 0.03 |
| **योग** | | | | **5,690.75** | **4,862.96** | **827.80** |

**(स्रोत: संबंधित तहसीलदारों और समितियों द्वारा दी गई जानकारी)**

# परिशिष्ट-2.1.21

## (संदर्भ: कंडिका क्रमांक 2.1.15, पृष्ठ क्रमांक 44)

## तहसीलदारों द्वारा अपनी वित्तीय शक्तियों से परे किए गए भुगतान का विवरण

| स. क्र. | जिला | तहसीलदार | बिल सन्दर्भ संख्या | बिल में उन खातों की संख्या जहां राशि ₹50,000 से अधिक वितरित की गई है | ₹50,000 से अधिक भुगतान की गई राशि (₹ लाख में) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | आगर मालवा | आगर | 20006296207 | 1 | 0.59 |
| | | | 20006727058 | 11 | 8.30 |
| | | | 20007391097 | 2 | 1.36 |
| | | | 20009018274 | 1 | 0.79 |
| | | | 20009023396 | 1 | 0.59 |
| | | | 20009042130 | 1 | 0.83 |
| | | | 20006095142 | 4 | 3.16 |
| | | | 20006297202 | 3 | 2.07 |
| | | | 20006471505 | 4 | 2.57 |
| | | | 20007146235 | 3 | 2.05 |
| | | | 20007345635 | 1 | 0.52 |
| | | बड़ौद | 20004916450 | 1 | 0.51 |
| | | | 20004916553 | 1 | 0.52 |
| | | | 20004918993 | 2 | 1.10 |
| | | | 20004919677 | 2 | 1.36 |
| | | | 20005580551 | 22 | 14.10 |
| | | | 20005581752 | 8 | 5.29 |
| | | | 20005583350 | 13 | 7.35 |
| | | | 20005583797 | 4 | 2.50 |
| | | | 20005584488 | 9 | 7.43 |
| | | | 20005585443 | 11 | 7.82 |
| | | | 20005585738 | 15 | 9.36 |
| | | | 20005586401 | 10 | 6.30 |
| | | | 20005972907 | 5 | 3.35 |
| | | | 20006657177 | 6 | 4.05 |
| | | नलखेड़ा | 20002568983 | 129 | 111.68 |
| | | | 20002583955 | 99 | 93.60 |
| | | | 20002583962 | 32 | 29.73 |
| | | | 20002596115 | 112 | 106.92 |
| | | | 20002598580 | 18 | 16.10 |
| | | | 20002599163 | 79 | 68.77 |
| | | | 20002601008 | 69 | 67.52 |
| | | | 20002601037 | 11 | 9.65 |
| | | | 20002622100 | 15 | 11.50 |
| | | | 20002688041 | 16 | 12.67 |

| स. क्र. | जिला | तहसीलदार | बिल सन्दर्भ संख्या | बिल में उन खातों की संख्या जहां राशि ₹50,000 से अधिक वितरित की गई है | ₹50,000 से अधिक भुगतान की गई राशि (₹ लाख में) |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 20002696407 | 87 | 68.65 |
| | | | 20002697909 | 31 | 27.91 |
| | | | 20002699714 | 13 | 10.58 |
| | | | 20002933980 | 28 | 23.55 |
| | | | 20004764169 | 28 | 17.51 |
| | | | 20004764232 | 11 | 7.23 |
| | | | 20004923712 | 4 | 2.76 |
| | | | 20004925191 | 18 | 11.71 |
| | | | 20004925225 | 26 | 17.29 |
| | | नलखेड़ा | 20005427267 | 9 | 7.09 |
| | | | 20005439316 | 3 | 2.35 |
| | | | 20005473284 | 8 | 5.27 |
| | | | 20005597615 | 4 | 3.06 |
| | | | 20005597725 | 2 | 2.02 |
| | | | 20005598205 | 1 | 0.59 |
| | | | 20005599387 | 2 | 1.19 |
| | | | 20005626338 | 7 | 5.25 |
| | | सुसनेर | 20005421227 | 36 | 25.15 |
| | | | 20005425489 | 155 | 104.94 |
| | | | 20005430821 | 44 | 30.49 |
| | | | 20005513903 | 173 | 120.56 |
| | | | 20005580531 | 131 | 93.92 |
| | | | 20005583506 | 224 | 152.44 |
| | | | 20005610016 | 73 | 53.60 |
| | | | 20005616078 | 53 | 38.41 |
| | | | 20005637214 | 27 | 19.51 |
| | | | 20005654860 | 1 | 0.71 |
| | | | 20005671876 | 11 | 7.34 |
| | | | 20006677215 | 20 | 14.62 |
| | | | 20007211196 | 11 | 9.37 |
| | | | 20008998083 | 1 | 1.19 |
| | | | 20008998200 | 1 | 0.53 |
| 2 | मन्दसौर | मल्हारगढ़ | 20004489119 | 5 | 3.20 |
| | | | 20004489676 | 1 | 0.51 |
| | | | 20004495856 | 3 | 1.88 |
| | | | 20004503490 | 10 | 6.81 |
| | | | 20004505025 | 12 | 8.14 |
| | | | 20004506890 | 6 | 4.58 |
| | | | 20004507969 | 5 | 3.08 |

| स. क्र. | जिला | तहसीलदार | बिल सन्दर्भ संख्या | बिल में उन खातों की संख्या जहां राशि ₹50,000 से अधिक वितरित की गई है | ₹50,000 से अधिक भुगतान की गई राशि (₹ लाख में) |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 20004522334 | 29 | 21.72 |
| | | | 20004524696 | 1 | 0.72 |
| | | | 20004524928 | 8 | 5.46 |
| | | | 20004525125 | 4 | 2.34 |
| | | | 20004526410 | 17 | 11.45 |
| | | | 20004528404 | 5 | 3.04 |
| | | | 20004528818 | 2 | 1.37 |
| | | | 20004529199 | 11 | 6.97 |
| | | | 20004530039 | 2 | 1.31 |
| | | | 20004530060 | 14 | 10.76 |
| | | | 20004530120 | 6 | 4.26 |
| | | | 20004530161 | 4 | 2.84 |
| | | | 20004530545 | 4 | 3.54 |
| | | | 20004531038 | 4 | 2.13 |
| | | | 20004531145 | 3 | 1.81 |
| | | | 20004531426 | 11 | 8.27 |
| | | | 20004531473 | 26 | 17.68 |
| | | | 20004531531 | 5 | 3.60 |
| | | | 20004531801 | 2 | 1.04 |
| | | | 20004531872 | 4 | 2.66 |
| | | | 20004531932 | 13 | 8.30 |
| | | | 20004533839 | 7 | 4.62 |
| | | | 20004543347 | 3 | 2.10 |
| | | | 20004763560 | 12 | 8.17 |
| | | | 20004763929 | 8 | 5.97 |
| | | | 20004764005 | 5 | 4.26 |
| | | | 20004764153 | 26 | 18.94 |
| | | | 20004764165 | 3 | 1.73 |
| | | | 20004764241 | 2 | 1.77 |
| | | | 20004764268 | 2 | 1.40 |
| | | | 20004764280 | 18 | 12.27 |
| | | | 20004764304 | 2 | 1.09 |
| | | | 20004764349 | 5 | 4.19 |
| | | | 20004764367 | 1 | 0.65 |
| | | | 20004764411 | 2 | 1.34 |
| | | | 20004764425 | 2 | 1.39 |
| | | | 20004764457 | 12 | 7.61 |
| | | | 20004764461 | 5 | 3.38 |
| | | | 20004764490 | 2 | 1.64 |

| स. क्र. | जिला | तहसीलदार | बिल सन्दर्भ संख्या | बिल में उन खातों की संख्या जहां राशि ₹50,000 से अधिक वितरित की गई है | ₹50,000 से अधिक भुगतान की गई राशि (₹ लाख में) |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 20004764510 | 4 | 2.55 |
| 3 | रायसेन | बेगमगंज | 20006042990 | 3 | 1.63 |
| | | | 20006043012 | 8 | 6.17 |
| | | | 20006043087 | 18 | 12.56 |
| | | | 20006044369 | 6 | 3.63 |
| | | | 20006049664 | 14 | 10.33 |
| | | | 20006049790 | 5 | 2.94 |
| | | | 20006050274 | 6 | 5.48 |
| | | | 20006051445 | 4 | 2.63 |
| | | | 20006051847 | 5 | 3.56 |
| | | | 20006052349 | 3 | 1.75 |
| | | | 20006056661 | 2 | 1.54 |
| | | | 20006058203 | 4 | 2.86 |
| | | | 20006465542 | 10 | 7.68 |
| | | | 20006468091 | 7 | 5.80 |
| | | | 20008430302 | 2 | 1.37 |
| | | | 20008942412 | 1 | 0.66 |
| | | | 20008942721 | 3 | 1.55 |
| | | गौहरगंज | 20008903102 | 1 | 0.53 |
| | | | 20008937285 | 4 | 2.30 |
| | | | 20008963666 | 2 | 1.07 |
| | | रायसेन | 20007207969 | 3 | 1.95 |
| | | | 20007972291 | 2 | 1.15 |
| | | | 200011671331 | 23 | 17.24 |
| | | | 200011672343 | 11 | 6.77 |
| | | सुल्तानपुर | 20003487286 | 50 | 41.15 |
| | | | 20007977894 | 1 | 0.75 |
| | | सुल्तानपुर | 20008901647 | 2 | 1.43 |
| | | | 20008906819 | 1 | 0.62 |
| | | उदयपुरा | 20004211540 | 1 | 0.59 |
| | | | 20008971628 | 3 | 2.37 |
| 4 | सिवनी | छपारा | 20008875825 | 40 | 33.34 |
| | | | 20008876173 | 27 | 19.67 |
| 5 | श्योपुर | बड़ौदा | 200010129803 | 1 | 0.60 |
| 6 | विदिशा | बासौदा | 20008899347 | 1 | 0.65 |
| | | गुलाबगंज | 20006468378 | 63 | 45.66 |
| | | | 20006469706 | 129 | 122.27 |
| | | | 20006469877 | 56 | 47.12 |
| | | | 20006470084 | 38 | 32.09 |

| स. क्र. | जिला | तहसीलदार | बिल सन्दर्भ संख्या | बिल में उन खातों की संख्या जहां राशि ₹50,000 से अधिक वितरित की गई है | ₹50,000 से अधिक भुगतान की गई राशि (₹ लाख में) |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 20006470215 | 6 | 3.62 |
| | | | 20006471793 | 8 | 6.42 |
| | | | 20006488433 | 61 | 48.70 |
| | | | 20006503325 | 15 | 12.82 |
| | | | 20006518415 | 1 | 1.32 |
| | | | 20006526378 | 14 | 10.74 |
| | | | 20006526788 | 3 | 2.41 |
| | | | 20006528002 | 4 | 4.81 |
| | | | 20006529068 | 2 | 1.40 |
| | | | 20006529623 | 3 | 2.11 |
| | | | 20006530037 | 1 | 1.15 |
| | | | 20006532521 | 69 | 48.83 |
| | | | 20006532724 | 7 | 6.28 |
| | | | 20006889928 | 1 | 0.59 |
| | | | 20006889948 | 9 | 8.14 |
| | | | 20007090746 | 3 | 2.04 |
| | | | 20008918672 | 1 | 0.79 |
| | | | 20008918828 | 1 | 0.72 |
| | | | 20008919443 | 1 | 0.56 |
| | | | 20008919708 | 1 | 0.74 |
| | | | 20008952935 | 3 | 2.33 |
| | | | 20008970103 | 3 | 1.60 |
| | | | 20008998302 | 2 | 1.25 |
| | | कुरवाई | 20004999114 | 1 | 0.82 |
| | | | 20008893371 | 1 | 0.60 |
| | | | 20008894487 | 1 | 0.52 |
| | | | 20008898967 | 1 | 0.59 |
| | | | 20008899235 | 3 | 1.83 |
| | | | 20008904740 | 2 | 1.06 |
| | | | 20008914173 | 1 | 0.54 |
| | | | 20008914852 | 2 | 1.43 |
| | | | 20008918664 | 1 | 0.55 |
| | | | 20008919353 | 1 | 0.55 |
| | | | 20008937167 | 2 | 1.05 |
| | | | 20008937512 | 2 | 1.17 |
| | | | 20008938889 | 3 | 1.72 |
| | | | 20008940105 | 3 | 1.75 |
| | | | 20008942362 | 7 | 4.49 |
| | | | 20008951641 | 5 | 3.18 |

| स. क्र. | जिला | तहसीलदार | बिल सन्दर्भ संख्या | बिल में उन खातों की संख्या जहां राशि ₹50,000 से अधिक वितरित की गई है | ₹50,000 से अधिक भुगतान की गई राशि (₹ लाख में) |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 20008958849 | 5 | 3.41 |
| | | लटेरी | 20006099345 | 2 | 1.75 |
| | | | 20006100494 | 2 | 3.85 |
| | | | 20008905455 | 1 | 0.57 |
| | | | 20008905776 | 3 | 2.53 |
| | | | 20008941611 | 1 | 0.60 |
| | | | 20008994418 | 1 | 0.57 |
| | | | 20009032214 | 2 | 1.41 |
| | | | 200011662729 | 16 | 14.56 |
| | | | 200011669437 | 93 | 76.35 |
| | | | 200011669939 | 80 | 63.49 |
| | | | 200011679952 | 2 | 1.10 |
| | | | 200011684351 | 4 | 2.74 |
| | | | 200011684353 | 2 | 1.18 |
| | | | 200011760339 | 3 | 1.89 |
| | | नटेरन | 20008895585 | 2 | 1.49 |
| | | | 20009529733 | 1 | 1.20 |
| | | शमसाबाद | 20008919074 | 1 | 0.74 |
| | | विदिशा | 200074195 | 43 | 28.88 |
| | | | 20008915958 | 1 | 0.63 |
| | | | 20008995097 | 1 | 0.50 |
| | | | 20009022922 | 2 | 1.23 |
| | | | 20009131471 | 3 | 2.21 |
| | | | 20009136737 | 2 | 1.23 |
| | | विदिशा शहर | 20008997049 | 1 | 0.54 |
| **योग** | | | | **3,391** | **2,600.67** |

**(स्रोत: संबंधित तहसीलदारों द्वारा दी गई जानकारी)**

## परिशिष्ट 2.2.1 (क)
## (संदर्भ: कंडिका क्रमांक 2.2.5, पृष्ठ क्रमांक 49)
## चयनित जिलों, तहसीलों और ग्रामों की सूची

(क्षेत्रफल हेक्टेयर में)

| स. क्र. | जिला | शासकीय भूमि का क्षेत्रफल | चयनित तहसील का नाम | शहरी/ ग्रामीण | शासकीय भूमि का क्षेत्रफल | चयनित ग्रामों का नाम |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| 1 | धार | 302256.6537 | गंधवानी | ग्रामीण | 38417.29 | चुन्पया और डोलाहनुमान |
| 2 | | | कुक्षी | शहरी | 47322.81 | डेहरी और खानिआम्बा |
| 3 | | | सरदारपुर | शहरी | 48105.32 | गुमानपुरा और लाबरिया |
| 4 | शहडोल | 266822.3928 | बुढ़ार | ग्रामीण | 11188.615 | खो और सोन्हा |
| 5 | | | गोहपारू | शहरी | 21953.915 | भागा और दुधरिया |
| 6 | | | सोहागपुर | शहरी | 11130.2721 | लालपुर और नवलपुर |
| 7 | सिंगरौली | 144079.4905 | देवसर | शहरी | 17350.5 | खंडौली और मझिगावां |
| 8 | | | सिंगरौली ग्रामीण | ग्रामीण | 9245.398 | पतुलखी और विहारा |
| 9 | | | सिंगरौली शहरी | शहरी | 19647.8 | मेढोली और झिगुरदह |
| 10 | भोपाल | 95567.9826 | हुजूर | शहरी | 44480.78 | भोपाल और मुगलिया |
| 11 | | | बैरसिया | शहरी | 43126.56 | हिनोतिसड़क और गुंगा |
| 12 | ग्वालियर | 210542.1361 | डबरा | शहरी | 20247.17 | सेरोही और इटायल |
| 13 | | | तानसेन | शहरी | 19415.25 | फुसावली और निरावली |
| 14 | | | मुरार | ग्रामीण | 7970.129 | भंडारी और लोहारपुर |
| 15 | इंदौर | 74397.3361 | जूनी इंदौर | शहरी | 3861.167 | लिंबोदी, निपानिया |
| 16 | | | डॉ. अम्बेडकर नगर | शहरी | 32430.83 | मतलबपुरा, सिलोटिया |
| 17 | | | हातोद | ग्रामीण | 4799.045 | मावलाखेड़ी, मुरखेड़ा |
| 18 | देवास | 197312.6515 | देवास शहरी | शहरी | 4576.592 | खजुरिया, मुकुंदखेड़ी |
| 19 | | | हाटपिपल्या | शहरी | 12188.94 | बोरखेड़ा, शिवपुरमुंडला |
| 20 | | | टोंकखुर्द | ग्रामीण | 10617.71 | मुरुखेड़ी, सौंसर |
| 21 | जबलपुर | 137397.3041 | जबलपुर | शहरी | 24731.63 | जोगीढाना, घुंसौर |
| 22 | | | रांझी | शहरी | 8195.234 | डुमना |
| 23 | | | पनागर | ग्रामीण | 9730.498 | सिंघलदीप, लखना |
| | **कुल क्षेत्रफल** | **1428375.9474** | | | **470733.4551** | |

**परिशिष्ट 2.2.1 (ख)**

**(संदर्भ: कंडिका क्रमांक 2.2.5, पृष्ठ क्रमांक 49)**

**संयुक्त भौतिक निरीक्षण हेतु चयनित स्थलों की सूची**

| स.क्र. | जिले का नाम | खसरा संख्या | भूमि आवंटित की गई | प्रयोजन | भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) | संयुक्त भौतिक सत्यापन की तिथि |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | भोपाल | 146 और 178 | सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम | औद्योगिक पार्क की स्थापना | 32.955 | 21-12-2022 |
| 2 | भोपाल | 94, 101, 102, 103, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 258, 259, 263, 264 और 265 | औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन | औद्योगिक पार्क की स्थापना | 26.59 | 06-12-2022 |
| 3 | भोपाल | 40 और 51 | अजीम प्रेमजी फाउंडेशन | निजी विश्वविद्यालय का निर्माण | 20.234 | 21-12-2022 |
| 4 | भोपाल | 14/1/1/1 | जनजातीय विभाग | अनुसूचित जनजाति (लड़कियों) के लिए छात्रावास का निर्माण | 13.354 | 21-12-2022 |
| 5 | भोपाल | 367, 368, 369, 381, 382 | औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन | औद्योगिक पार्क की स्थापना | 7.00 | 21-12-2022 |
| 6 | भोपाल | 119 | शहरी स्थानीय निकाय | पीएम आवास योजना का निर्माण | 1.285 | 22-12-2022 |
| 7 | भोपाल | 114 | शहरी स्थानीय निकाय | पीएम आवास योजना का निर्माण | 1.141 | 22-12-2022 |
| 8 | भोपाल | 136/42 | खेल एवं युवा कल्याण विभाग | जल क्रीड़ा अकादमी की स्थापना | 0.809 | 22-12-2022 |
| 9 | भोपाल | 161 | गृह (पुलिस) विभाग | प्रशासनिक भवन का निर्माण | 0.287 | 22-12-2022 |

| स.क्र. | जिले का नाम | खसरा संख्या | भूमि आवंटित की गई | प्रयोजन | भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) | संयुक्त भौतिक सत्यापन की तिथि |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | भोपाल | 170 | गृह (पुलिस) विभाग | पुलिस स्टेशन का निर्माण | 0.119 | 22-12-2022 |
| 11 | ग्वालियर | 20, 24, 25, 26, 28, 29, 30,56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63 और 64 | रक्षा अनुसंधान विकास स्थापना | क्रिटिकल सुविधा का निर्माण | 56.685 | 07-11-2022 |
| 12 | ग्वालियर | 1176, 1178, 1179, 1180 और 1181 | उच्च शिक्षा | नवीन विश्वविद्यालय का निर्माण | 16 | 20-10-2022 |
| 13 | ग्वालियर | 388/1, 390, 395 और 397 | बागवानी विभाग | नवीन शासकीय पुष्प उद्यान की स्थापना | 12.866 | 19-01-2023 |
| 14 | ग्वालियर | 109, 110 और 111 | मध्य प्रदेश सामाजिक न्याय विभाग | दिव्यांगों के लिए खेल स्टेडियम का निर्माण | 7.902 | 19-01-2023 |
| 15 | ग्वालियर | 109, 110, 111, 112, 113/1, 116/1, 118/1, 119, 120/1, 172/1, 173, 174, 175/1, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188 और 189 | मध्य प्रदेश गृह निर्माण एवं अधोसंरचना मंडल | नवीन बस्ती थाटीपुर का पुनर्घनत्वीकरण | 7.086 | 18-01-2023 |
| 16 | ग्वालियर | 682 | राजस्व विभाग | तहसील भवन का निर्माण | 1.18 | 23-01-2023 |
| 17 | ग्वालियर | 89 | गृह (पुलिस) विभाग | यातायात जागरूकता एवं प्रशिक्षण केन्द्र | 0.846 | 18-01-2023 |

| स.क्र. | जिले का नाम | खसरा संख्या | भूमि आवंटित की गई | प्रयोजन | भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) | संयुक्त भौतिक सत्यापन की तिथि |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | ग्वालियर | 77 | लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग | प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र का निर्माण | 0.805 | 20-01-2023 |
| 19 | ग्वालियर | 1346 | गृह (पुलिस) विभाग | डबरा में पुलिस थाने का निर्माण | 0.17 | 21-01-2023 |
| 20 | ग्वालियर | 361 | सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम | गारमेंट पार्क की स्थापना | 0.15 | 19-01-2023 |
| 21 | इंदौर | 50/1, 50/14, 135/6, 228/13, 347/2, 388/1/2, 390/1, 395/2, 437/2, 228/1 | सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम | फर्नीचर क्लस्टर के लिए | 185.02 | 06-09-2022 |
| 22 | इंदौर | 313/1/1 | न्याय विभाग | आवासीय भवन का निर्माण | 6.364 | 30-01-2023 |
| 23 | इंदौर | 487 | शहरी स्थानीय निकाय | प्रधानमंत्री आवास योजना | 4.892 | 31-01-2023 |
| 24 | इंदौर | 16 | शहरी स्थानीय निकाय | प्रधानमंत्री आवास योजना | 3.788 | 31-01-2023 |
| 25 | इंदौर | 994/1, 997/2, 1001/1 | शहरी स्थानीय निकाय | प्रधानमंत्री आवास योजना | 2.907 | 30-01-2023 |
| 26 | इंदौर | 313/1 | शहरी स्थानीय निकाय | प्रधानमंत्री आवास योजना | 1.5 | 30-01-2023 |
| 27 | इंदौर | 226 | पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग | एक्सपोर्ट पैक हाउस आलू प्रसंस्करण संयत्र के निर्माण हेतु | 1 | 30-01-2023 |
| 28 | इंदौर | 1061 | शहरी स्थानीय निकाय | प्रधानमंत्री आवास योजना | 0.7 | 30-01-2023 |
| 29 | इंदौर | 203 | लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग | नवीन स्वास्थ्य केन्द्र गुजरखेड़ा का निर्माण | 0.092 | 01-02-2023 |
| 30 | इंदौर | 87/1/1 | लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग | नवीन स्वास्थ्य केन्द्र घोसीखेड़ा का निर्माण | 0.092 | 01-02-2023 |

| स.क्र. | जिले का नाम | खसरा संख्या | भूमि आवंटित की गई | प्रयोजन | भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) | संयुक्त भौतिक सत्यापन की तिथि |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | देवास | 618 | गृह (पुलिस) विभाग | यातायात थाना गोलघर के निर्माण हेतु | 0.014 | 18-01-2023 |
| 32 | देवास | 897 | न्याय विभाग | न्यायाधीशों और न्यायालय के कर्मचारियों के लिए आवासीय गृहों के निर्माण हेतु | 2 | 18-01-2023 |
| 33 | देवास | 968 | न्याय विभाग | पारिवारिक न्यायालय भवन के निर्माण हेतु | 0.15 | 18-01-2023 |
| 34 | देवास | 339 | देवास विकास प्राधिकरण | आवासीय भवनों के निर्माण हेतु | 0.38 | 12-10-2022 |
| 35 | देवास | 272/2, 273, 274, 275/2, 581/1, 581/3 | शहरी स्थानीय निकाय | आवासीय भवनों के निर्माण हेतु | 4.023 | 12-10-2022 |
| 36 | जबलपुर | 6/1, 6/17 | न्याय विभाग | न्यायिक अधिकारियों एवं कर्मचारियों के लिए आवासीय भवनों के निर्माण हेतु | 22.7 | 17-11-2022 |
| 37 | जबलपुर | 176,179,180 | परिवहन विभाग | ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल के निर्माण हेतु | 6.14 | 23-10-2022 |
| 38 | जबलपुर | 243/1 | औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन | बालाजी बायो सॉल्यूशन फ्यूल एलएलपी भोपाल | 15 | 17-11-2022 |
| 39 | जबलपुर | 461 | मप्र भण्डारण एवं रसद निगम | गेहूं के भण्डारण एवं साइलो बैग के निर्माण हेतु | 20 | 17-11-2022 |
| 40 | जबलपुर | 94,119 | मप्र भण्डारण एवं रसद निगम | गेहूं के भण्डारण एवं साइलो बैग के निर्माण हेतु | 9.97 | 22-11-2022 |

| स.क्र. | जिले का नाम | खसरा संख्या | भूमि आवंटित की गई | प्रयोजन | भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) | संयुक्त भौतिक सत्यापन की तिथि |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | जबलपुर | 78 | मप्र भण्डारण एवं रसद निगम | अस्थाई कैम्प एवं साइलो बैग निर्माण हेतु | 7.8 | 22-11-2022 |
| 42 | जबलपुर | 107 | जनजातीय विभाग | सामुदायिक भवन एवं मंदिर निर्माण हेतु | 0.1 | 22-11-2022 |
| 43 | जबलपुर | 809/2 | जनजातीय विभाग | छात्रावास निर्माण हेतु | 0.4 | 23-11-2022 |
| 44 | जबलपुर | 541 | जनजातीय विभाग | छात्रावास निर्माण हेतु | 0.404 | 23-11-2022 |
| 45 | जबलपुर | 11,10/2 | मध्य प्रदेश गृह निर्माण एवं अधोसंरचना मंडल | आवासीय एवं वाणिज्यिक परिसर के निर्माण हेतु | 0.269 | 24-11-2022 |
| 46 | जबलपुर | 23 | लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग | आयुर्वेद चिकित्सालय के निर्माण हेतु | 0.05 | 24-11-2022 |
| 47 | शहडोल | 219 | सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम | औद्योगिक केन्द्र का विकास | 15.00 | 18-12-2022 |
| | शहडोल | 718 से 726, 728, 731/1 से 731/5, 732/1, 732/2, 433/1 से 433/5, 733, 736/1 से 736/7, 737, 738/1 से 738/9, 739/1 से 739/8, 740/1, 740/2, 741/1 से 741/2, 742 से 745, 1036, 1037/1 से 1037/3, 1050 से 1152, 1436 से 1497 | मप्र पर्यटन विभाग | रिसॉर्ट का निर्माण | 34.714 | 17-12-2022 |

| स.क्र. | जिले का नाम | खसरा संख्या | भूमि आवंटित की गई | प्रयोजन | भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) | संयुक्त भौतिक सत्यापन की तिथि |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | | 451/1 से 451/14, 452/1 से 452/3, 505/1 से 505/2, 506/1 से 506/2, 507/1 से 507/2, 540/1 से 540/2, 541/1 से 541/2, 542, 543 | | रिसॉर्ट का निर्माण (काम शुरू नहीं हुआ) | 45.00 | |
| 49 | शहडोल | 1247/1 | खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग | ओपन कैप का निर्माण | 2.023 | 13-12-2022 |
| 50 | शहडोल | 113 | भारत गैस रिसोर्सेज लिमिटेड मुंबई | गैस पाइपलाइन | 0.360 | 14-12-2022 |
| 51 | शहडोल | 9, 12, 13, 14 | पर्यटन विभाग | खाद्य शिल्प संस्थान | 2.591 | 14-12-2022 |
| 52 | शहडोल | 29/1 | मप्र ऊर्जा विभाग | 33/11 केवी सब स्टेशन का निर्माण | 0.405 | 13-12-2022 |
| 53 | शहडोल | 317/1, 318 | खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग | ओपन कैप का निर्माण | 4.046 | 13-12-2022 |
| 54 | शहडोल | 925/1, 56/1/1 | खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग | ओपन कैप का निर्माण | 2.023 | 13-12-2022 |
| 55 | शहडोल | 242/2 और 243 | मध्य प्रदेश गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास बोर्ड | आवासीय कालोनियों का निर्माण | 5.000 | 08-10-2022 |
| 56 | शहडोल | 173, 174, 175 और 184 | खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग | ओपन कैप का निर्माण | 3.840 | 10-10-2022 |

| स.क्र. | जिले का नाम | खसरा संख्या | भूमि आवंटित की गई | प्रयोजन | भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) | संयुक्त भौतिक सत्यापन की तिथि |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 57 | सिंगरौली | 1231/2 | जनजातीय विभाग | छात्रावास का निर्माण | 0.405 | 24-11-2022 |
| 58 | सिंगरौली | 646/1, 647, 649 और 653 | उच्च शिक्षा विभाग | शासकीय महाविधालय माडा | 4 | 23-11-2022 |
| 59 | सिंगरौली | 513 | पशुपालन विभाग | पशु चिकित्सालय | 0.1 | 23-11-2022 |
| 60 | सिंगरौली | 700/1/1 | सहकारिता विभाग | खरीद केंद्र | 0.4 | 23-11-2022 |
| 61 | सिंगरौली | 1260/1, 1261, 1262 | उच्च शिक्षा विभाग | आदर्श महाविद्यालय | 3.1 | 14-11-2022 |
| 62 | सिंगरौली | 755 | नगरीय प्रशासन विभाग | ट्रेंचिंग ग्राउंड का निर्माण | 08 | 14-11-2022 |
| 63 | सिंगरौली | 333/1, 334, 338/2, 338/1 | चिकित्सा शिक्षा विभाग. | चिकित्सा महाविद्यालय | 10 | 12-11-2022 |
| 64 | सिंगरौली | 1604/1, 1605/1, 1606/1 | खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग | ओपन कैप का निर्माण | 2 | 02-12-2022 |
| 65 | सिंगरौली | 678, 694, 695/1, 697, 698, 699 | जनजातीय विभाग | छात्रावास भवन | 0.301 | 02-12-2022 |
| 66 | सिंगरौली | 561/1 | पशुपालन विभाग | पशु चिकित्सालय | 0.05 | 30-11-2022 |
| 67 | धार | 291/1 | लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग | उप स्वास्थ्य केंद्र | 0.06 | 27-01-2023 |
| 68 | धार | 369/1 | गृह (पुलिस) विभाग | पुलिस स्टेशन भवन | 0.547 | 25-01-2023 |
| 69 | धार | 86/1/1/1 | पर्यटन विभाग | पर्यटन गतिविधियाँ | 50 | 25-01-2023 |
| 70 | धार | 94 | स्कूल शिक्षा विभाग | स्कूल भवन, किचन शेड, पंचायत कार्यालय | 0.4 | 18-01-2023 |
| 71 | धार | | वन विभाग | वनीकरण | 23 | 07-01-2023 |

| स.क्र. | जिले का नाम | खसरा संख्या | भूमि आवंटित की गई | प्रयोजन | भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) | संयुक्त भौतिक सत्यापन की तिथि |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 23, 26, 32, 81, 33, 34, 37, 80 और 27 | | | | |
| 72 | धार | 116 | औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन | नवीन औद्योगिक केंद्र | 81.534 | 04-01-2023 |
| 73 | धार | 38/1, 69/1, 61, 92/1, 205/1, 205/45, 217/1, 217/2, 226/1, 229/1, 261/1, 268, 284/1, 289/1, 295, 412/1, 445, 520, 558/1, और 563/1 | औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन | नवीन औद्योगिक केंद्र | 632.501 | 04-01-2023 |
| 74 | धार | 4, 3/4, 3/3, 20 | वन विभाग | वनीकरण | 35 | 03-01-2023 |
| 75 | धार | 68, 70 | नगरीय प्रशासन विभाग | सीवरेज लाइन | 0.175 | 03-01-2023 |
| 76 | धार | 614 | लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग | उप स्वास्थ्य केंद्र | 0.059 | 03-01-2023 |

## परिशिष्ट 2.2.2

**(संदर्भ: कंडिका क्रमांक 2.2.6.1, पृष्ठ क्रमांक 50)**

**मार्गदर्शिका दरों के गलत अनुप्रयोग द्वारा बाजार मूल्य का कम मूल्यांकन**

**(₹ लाख में)**

| **विवरण** | **लेखापरीक्षा द्वारा संगणित किया गया** | **राजस्व विभाग द्वारा गणना के अनुसार/ पट्टेदार द्वारा किया गया भुगतान** | |
|---|---|---|---|
| आवंटित भूमि का बाजार मूल्य | 10926.36 X 2 (भूमि खंड राष्ट्रीय राज मार्ग बाईपास पर स्थित है) | 10926.36 (तहसीलदार द्वारा) | |
| पट्टा विलेख के लिए बाजार मूल्य (एमवी) | 21852.72 | 3884.93 (लीज डीड के अनुसार) | |
| **भुगतान किये जाने वाले राजस्व का विवरण** | **देय** | **पट्टेदार द्वारा वास्तव में किया गया भुगतान** | **पट्टेदार द्वारा किया गया कम भुगतान** |
| प्रीमियम (धर्मार्थ संस्थान के मामले में एमवी का 25%) | 5463.18 | 971.23 | 4491.95 |
| 99 वर्षों के लिए पट्टा विलेख पर आरोपण योग्य एसडी (प्रीमियम तथा औसत वार्षिक पट्टा किराये के योग का पांच प्रतिशत या संपत्ति का बाज़ार मूल्य, जो भी अधिक हो) | एसडी 21852.72 (एमवी) X 5% = 1092.63<br>*पंचायत उपकर* (मुख्य कर का 10%) = ₹109.26<br>कुल एसडी = ₹1201.89 | 53.86 | 1148.03 |
| पंजीकरण शुल्क | एसडी का तीन चौथाई = ₹901.42 | 36.72 | 864.7 |
| | | **प्रीमियम, एसडी और आरएफ की कम वसूली/कम भुगतान के कारण शासन को कुल हानि** | **₹6504.68** |

## परिशिष्ट 2.2.3

**(संदर्भ: कंडिका क्रमांक 2.2.7.4, पृष्ठ क्रमांक 56)**

**एम.पी.डब्ल्यू.एल.सी. को शून्य प्रीमियम और वार्षिक पट्टा किराया पर भूमि आवंटन के कारण राजस्व की हानि**

**(₹ लाख में)**

| स.क्र. | प्रकरण संख्या | विभाग जिसे आवंटित किया गया है | आवंटित भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) | आदेश की तिथि | मार्गदर्शिका दर का वर्ष | प्रति हेक्टेयर मार्गदर्शिका दर (सिंचित) | खसरा नं., ग्राम, पटवारी हल्का नं. | भूमि का बाजार मूल्य (कॉलम 4*कॉलम 7*1.5) | प्रीमियम (कॉलम 9*0.30) | वार्षिक पट्टा किराया (कॉलम 10* 7.5%) / अनुज्ञप्ति शुल्क (0.005*महीनों की संख्या) | कुल (प्रीमियम+ वार्षिक पट्टा किराया अथवा अनुज्ञप्ति शुल्क) | पट्टे की अवधि |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) |
| 1 | 52/ वी - 19(3)/2019-20 | जिला प्रबंधक, मप्र वेयरहाउसिंग एवं लॉजिस्टिक्स, जबलपुर | 2.93 | 18-02-2020 | 2019-20 | 4.64 | बगराई, पीएच नंबर 72, आरआई सर्कल चरगवां, खसरा नंबर 279/1 (4.00 हेक्टेयर) तहसील शाहपुरा, जिला। जबलपुर | 20.39 | 6.12 | 0.46 | 6.58 | 3 वर्ष |
| 2 | 53 | जिला प्रबंधक, मप्र वेयरहाउसिंग एवं लॉजिस्टिक्स, जबलपुर | 4.4 | 19-02-2020 | 2019-20 | 10.96 | ग्राम दर्शनी, पीएच नंबर 66, सर्किल पौंडा, तहसील मझौली, खसरा नंबर 119 (4.40 हेक्टेयर) | 72.34 | 21.70 | 1.63 | 23.33 | 3 वर्ष |

| स.क्र. | प्रकरण संख्या | विभाग जिसे आवंटित किया गया है | आवंटित भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) | आदेश की तिथि | मार्गदर्शिका दर का वर्ष | प्रति हेक्टेयर मार्गदर्शिका दर (सिंचित) | खसरा नं., ग्राम, पटवारी हल्का नं. | भूमि का बाजार मूल्य (कॉलम 4*कॉलम 7*1.5) | प्रीमियम (कॉलम 9*0.30) | वार्षिक पट्टा किराया (कॉलम 10* 7.5%) / अनुज्ञप्ति शुल्क (0.005*महीनों की संख्या) | कुल (प्रीमियम+ वार्षिक पट्टा किराया अथवा अनुज्ञप्ति शुल्क) | पट्टे की अवधि |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) |
| 3 | 54 | जिला प्रबंधक, मप्र वेयरहाउसिंग एवं लॉजिस्टिक्स, जबलपुर | 20 | 22-02-2020 | 2019-20 | 4.80 | मौजा सालीवाड़ा, पीएच नंबर 58, आरआई सर्कल बरगी, खसरा नंबर 461 (क्षेत्रफल 65.30 हेक्टेयर, तहसील जबलपुर) | 144.00 | 43.20 | 3.24 | 46.44 | 3 वर्ष |
| 4 | 55 | जिला प्रबंधक, मप्र वेयरहाउसिंग एवं लॉजिस्टिक्स कॉर्पोरेशन, जबलपुर | 15 | 24-02-2020 | 2019-20 | 3.64 | मौजा बंदरकोला, पीएच नंबर 34, आरआई सर्कल मझगवां, तहसील सिहोरा, खसरा नंबर 18 (क्षेत्रफल 45.62 हेक्टेयर) | 81.90 | 24.57 | 1.84 | 26.41 | 3 वर्ष |
| 5 | 56/ v-19(3)/2019-20 | जिला प्रबंधक, मप्र वेयरहाउसिंग एवं लॉजिस्टिक्स | 8.09 | 26-02-2020 | 2019-20 | 5.52 | खसरा नंबर 515, ग्राम कसाही पीएच | 66.99 | 20.10 | 1.51 | 21.60 | 3 वर्ष |

| स.क्र. | प्रकरण संख्या | विभाग जिसे आवंटित किया गया है | आवंटित भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) | आदेश की तिथि | मार्गदर्शिका दर का वर्ष | प्रति हेक्टेयर मार्गदर्शिका दर (सिंचित) | खसरा नं., ग्राम, पटवारी हल्का नं. | भूमि का बाजार मूल्य (कॉलम 4*कॉलम 7*1.5) | प्रीमियम (कॉलम 9*0.30) | वार्षिक पट्टा किराया (कॉलम 10* 7.5%) / अनुज्ञप्ति शुल्क (0.005*महीनों की संख्या) | कुल (प्रीमियम+ वार्षिक पट्टा किराया अथवा अनुज्ञप्ति शुल्क) | पट्टे की अवधि |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) |
| | | कॉर्पोरेशन, जबलपुर | | | | | नंबर 51 (23.07 हेक्टेयर), आरआई सर्कल पनागर, तहसील पनागर | | | | | |
| 6 | 0011/ए 19(3)/2 019-20 | मप्र शासन खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, शहडोल | 2.023 | 20-02-2020 | 2019-20 | 21.35 | पटवारी हल्का नं. 64 खसरा नंबर 2929, 2930, 2938 | 64.79 | 6.48 | 0.49 | 6.97 | 3 माह (1 वर्ष तक प्रीमियम की दर बाजार मूल्य का 10% है) |
| 7 | 0057/ ए 19(3)/2 020-21 | क्षेत्रीय प्रबंधक, मप्र वेयरहाउसिंग एवं लॉजिस्टिक्स कॉर्पोरेशन, बुरहार शहडोल | 2.023 | 04-01-2021 | 2020-21 | 21.35 | पटवारी हल्का नं. 64 खसरा नंबर 2929, 2930, 2938 | 64.79 | 0.00 | 0.97 | 0.97 | 3 माह |

| **स.क्र.** | **प्रकरण संख्या** | **विभाग जिसे आवंटित किया गया है** | **आवंटित भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)** | **आदेश की तिथि** | **मार्गदर्शिका दर का वर्ष** | **प्रति हेक्टेयर मार्गदर्शिका दर (सिंचित)** | **खसरा नं., ग्राम, पटवारी हल्का नं.** | **भूमि का बाजार मूल्य (कॉलम 4*कॉलम 7*1.5)** | **प्रीमियम (कॉलम 9*0.30)** | **वार्षिक पट्टा किराया (कॉलम 10* 7.5%) / अनुज्ञप्ति शुल्क (0.005*महीनों की संख्या)** | **कुल (प्रीमियम+ वार्षिक पट्टा किराया अथवा अनुज्ञप्ति शुल्क)** | **पट्टे की अवधि** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **(1)** | **(2)** | **(3)** | **(4)** | **(5)** | **(6)** | **(7)** | **(8)** | **(9)** | **(10)** | **(11)** | **(12)** | **(13)** |
| 8 | 13/v-19(3)/2020-21 | जिला प्रबंधक, मप्र वेयरहाउसिंग एवं लॉजिस्टिक्स कॉर्पोरेशन, जबलपुर | 7.8 | 02-01-2021 | 2020-21 | 10.96 | मौजादर्शनी, आरआई सर्कल पौंडा, तहसील मझौली, खसरा नंबर 18 पीएच नंबर 66 | 128.23 | 0.00 | 23.08 | 23.08 | अगले आदेश तक |
| 9 | 15/v-19(3)/2020-21 | जिला प्रबंधक, मप्र वेयरहाउसिंग एवं लॉजिस्टिक्स कॉर्पोरेशन, जबलपुर | 6.7 | 02-01-2021 | 2020-21 | 10.80 | मौजा गंगाई, पीएच नंबर 75, खसरा नंबर 493, 497/1तहसील शाहपुरा | 108.54 | 0.00 | 19.54 | 19.54 | अगले आदेश तक |
| **कुल** | | | **68.966** | | | | | | | **कुल** | **174.92** | |

## परिशिष्ट 2.2.4

**(संदर्भ: कंडिका क्रमांक 2.2.8.2, पृष्ठ क्रमांक 59)**

**प्रीमियम और वार्षिक पट्टा किराया का कम मूल्यांकन और बकाया राशि पर ब्याज का अनारोपण**

**(राशि ₹ में )**

| स. क्र | प्रकरण क्र. | ग्राम | तहसील | जिला | कुल आवंटित भूमि | | मार्गदर्शिका दर | | बाजार मूल्य | | कुल बाजार मूल्य | प्रीमियम, बाजार मूल्य का 100% | वार्षिक पट्टा किराया, प्रीमियम का 5% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | (हेक्टेयर में) | वर्ग मीटर में | आवासीय भूखंड की दर प्रति वर्ग मीटर | सिंचित कृषि भूमि की दर प्रति हेक्टेयर | 500 वर्ग मीटर तक (आवासीय भूखंड की दर) | 500 वर्ग मीटर से अधिक (कृषि अधिकतम दर)*1.5 | | मप्र शासन राजस्व परिपत्र क्रमांक 6 - 15/2014/ सात/नजूल दिनांक 04-03-2014 के अनुसार | मप्र शासन राजस्व परिपत्र क्रमांक 6-160-91/सात/सी2बी दिनांक 01-01-1992 के अनुसार |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10( 500 वर्ग मीटर *8) | 11 (1.973 हेक्टेयर *9)*1.5 | 12 (10+11) | 13 | 14 |
| 1 | 24/अ-20 (1) / 2011-12 | सोहागपुर | सोहागपुर | शहडोल | 2.023 | 20230 | 8000 | 8900000 | 4000000 | 26339550 | 30339550 | 30339550 | 1516977.5 |

**(₹ लाख में)**

| **2022-23 तक प्रीमियम पर ब्याज का गणना पत्रक** | | | | | | | **2022-23 तक पट्टा किराये पर ब्याज का गणना पत्रक** | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **2018-19** | **2019-20** | **2020-21** | **2021-22** | **2022-23** | **कुल** | | **2018-19** | **2019-20** | **2020-21** | **2021-22** | **2022-23** | **कुल** |
| कुल देय प्रीमियम | 303.40 | 202.53 | 202.53 | 202.53 | 159.80 | | देय वार्षिक पट्टा किराया | 15.17 | 15.17 | 15.17 | 15.17 | 15.17 | 75.85 |
| भुगतान किया गया प्रीमियम | 100.87 | 0.00 | 0.00 | 42.73 | 0.00 | | भुगतान किया गया किराया | 5.04 | 0.00 | 0.00 | 0.34 | 0.00 | 5.38 |
| कुल बकाया प्रीमियम (देय-भुगतान) वर्ष के अंत में शेष, प्रारंभिक शेष राशि होगी यानी अगले वर्ष के लिए देय | 202.53 | 202.53 | 202.53 | 159.80 | 159.80 | **159.80** | कुल बकाया पट्टा किराया (देय-भुगतान) | 10.13 | 15.17 | 15.17 | 14.83 | 15.17 | **70.46** |
| ब्याज गणना के लिए विचार किया प्रीमियम (प्रत्येक वर्ष के अंत में बकाया प्रीमियम) | 202.53 | 202.53 | 202.53 | 159.80 | 159.80 | | ब्याज गणना के लिए विचार किया गया पट्टा किराया (पिछले वर्ष से बकाया पट्टा किराए का प्रगतिशील शेष आगे बढ़ाया गया) | 10.13 | 25.30 | 40.47 | 55.29 | 70.46 | 0.00 |
| प्रीमियम पर ब्याज 15 प्रतिशत की दर से | 30.38 | 30.38 | 30.38 | 23.97 | 23.97 | **139.08** | पट्टा किराया पर 15 प्रतिशत की दर से ब्याज | 1.52 | 3.79 | 6.07 | 8.29 | 10.57 | **30.25** |
| | | | | | | | | **भुगतान की जाने वाली कुल राशि: ₹399.59 लाख** | | | | | |

## परिशिष्ट- 2.2.5
### (संदर्भ: कंडिका क्रमांक 2.2.8.3, पृष्ठ क्रमांक 60 व 61)
### स्थायी पट्टे का नवीनीकरण न होने से शासकीय राजस्व की हानि

(राशि ₹ में)

| स.क्र. | पट्टेदार का नाम | जिला | पट्टा अवसान दिनांक | पट्टा नवीनीकरण की नियत तिथि | अंतिम पट्टा किराया | म.प्र.न.भू.नि.नि. के पैरा 81(2) के अनुसार गणना किया गया पट्टा किराया | | | | | | कुल पट्टा किराया |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 2020-21 तक | | | वर्ष 2021-22 | | | |
| | | | | | | वर्षों की संख्या | पट्टा किराया = नियत अंतिम पट्टा किराया का 6 गुना | पट्टा किराया | क्षेत्र वर्गमीटर में | नवीनीकरण की तिथि पर प्रचलित दर का दो गुना | पट्टा किराया | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8(6 गुना * कॉलम 6) | 9=7*8 | 10 | 11 | 12=10 *11 | 13=9+12 |
| 1 | श्री अजय विजय गुप्ता | शहडोल | 31-03-2016 | 01-04-2016 | 28.2 | 5 | 169.2 | 846 | 238.5 | 3 | 715.5 | 1561.5 |
| 2 | मुन्नालाल चौधरी | | 31-03-2005 | 01-04-2005 | 9.55 | 16 | 57.3 | 916.8 | 111 | 3 | 333 | 1249.8 |
| 3 | रोशन खान | | 31-03-2007 | 01-04-2007 | 43.35 | 14 | 260.1 | 3641.4 | 180.1 | 3 | 540.3 | 4181.7 |
| 4 | रुक्मणी वर्मा | | 31-03-2011 | 01-04-2011 | 56.8 | 10 | 340.8 | 3408 | 93 | 3 | 279 | 3687 |
| 5 | ओमप्रकाश चौधरी | | 31-03-2005 | 01-04-2005 | 11.95 | 16 | 71.7 | 1147.2 | 139.4 | 3 | 418.2 | 1565.4 |
| 6 | फुलमती तिवारी | | 31-03-2006 | 01-04-2006 | 36.6 | 15 | 219.6 | 3294 | 560 | 3 | 1680 | 4974 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8(6 गुना * कॉलम 6) | 9=7*8 | 10 | 11 | 12=10 *11 | 13=9+12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | राजभान सिंह | | 31-03-2006 | 01-04-2006 | 44 | 15 | 264 | 3960 | 501.7 | 3 | 1505.1 | 5465.1 |
| 8 | राम मिलन | | 31-03-2005 | 01-04-2005 | 11.65 | 16 | 69.9 | 1118.4 | 135.5 | 3 | 406.5 | 1524.9 |
| 9 | संतोष | | 31-03-2005 | 01-04-2005 | 20 | 16 | 120 | 1920 | 229 | 3 | 687 | 2607 |
| 10 | संतोष | | 31-03-2005 | 01-04-2005 | 7.65 | 16 | 45.9 | 734.4 | 90 | 3 | 270 | 1004.4 |
| 11 | अध्यक्ष जिला पत्रकार संघ | | 31-03-2014 | 01-04-2014 | 464.2 | 7 | 2785.2 | 19496.4 | 204.5 | 6 | 1227 | 20723.4 |
| 12 | विमला देवी | | 31-03-2018 | 01-04-2018 | 47 | 3 | 282 | 846 | 116 | 3 | 348 | 1194 |
| | कुल **12** प्रकरण | | | | | | | | | | | **49738.2** |
| 1 | अध्यक्ष लघु वेतन सरकारी/अर्धसरकारी कर्मचारी संघ | धार | 31-03-2019 | 01-04-2019 | 18559 | 2 | 111353 | 222705 | 45523 | 3 | 136569 | 359274 |
| 2 | शासकीय कर्मचारी अधिकारी हाउसिंग बोर्ड सोसायटी | | 31-03-2019 | 01-04-2019 | 12493 | 2 | 74958 | 149916 | 38688 | 3 | 116064 | 265980 |
| 3 | अध्यक्ष जिला सहकारी भूमि विकास बैंक | | 31-03-2020 | 01-04-2020 | 2840.6 | 1 | 17043.6 | 17043.6 | 696.77 | 3 | 2090.31 | 19133.91 |
| 4 | केसरीमल जैन अध्यक्ष हिंदुस्तान सेवासंघ | | 31-03-2022 | 01-04-2022 | 1726 | 0 | 0 | 0 | 40900 | 1.5 | 61350 | 61350 |
| 5 | मुतावलीवक्फ मस्जिद काजीपुरा धार | | 31-03-2013 | 01-04-2013 | 18.5 | 8 | 111 | 888 | 66.33 | 3 | 198.99 | 1086.99 |
| | कुल **05** प्रकरण | | | | | | | | | | | **706824.9** |
| 1 | श्री सैनी विद्या निकेतन इंदौर | इंदौर | 31-03-2014 | 01-04-2014 | 970 | 7 | 5820 | 40740 | 660 | 4 | 2640 | 43380 |
| 2 | कर्मचारी राज्य बीमा निगम इंदौर | | 31-03-2004 | 01-04-2004 | 1473.3 | 17 | 8839.74 | 150275.58 | 15985.1 | 6 | 95910.5 | 246186.06 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8(6 गुना * कॉलम 6) | 9=7*8 | 10 | 11 | 12=10 *11 | 13=9+12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | ऑक्ट्रॉय नाका देवास रोड, इंदौर | | 31-03-1999 | 01-04-1999 | 53 | 22 | 318 | 6996 | 557.41 | 8 | 4459.28 | 11455.28 |
| 4 | महिला कर्मचारी गृह निर्माण सहकारी समिति | | 31-03-2014 | 01-04-2014 | 6952.2 | 7 | 41712.9 | 291990.3 | 21529.3 | 4 | 86117.1 | 378107.38 |
| 5 | श्री रमेश पुत्र टीकाराम छत्रीबाग | | 31-03-2006 | 01-04-2006 | 48.5 | 15 | 291 | 4365 | 46.45 | 4 | 185.8 | 4550.8 |
| 6 | एम.बी. खालसा एजुकेशन सोसायटी | | 31-03-2002 | 01-04-2002 | 1510.7 | 19 | 9063.96 | 172215.24 | 8255.58 | 4 | 33022.3 | 205237.56 |
| 7 | राजस्व तृतीय श्रेणी कर्मचारी गृह निर्माण सहकारी समिति | | 31-03-1998 | 01-04-1998 | 1533.6 | 23 | 9201.6 | 211636.8 | 17846.6 | 4 | 71386.3 | 283023.12 |
| 8 | माहेश्वरी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय छत्रीबाग | | 31-03-2000 | 01-04-2000 | 5.6 | 21 | 33.6 | 705.6 | 613.16 | 4 | 2452.64 | 3158.24 |
| 9 | अध्यक्ष, मुल्तान सहकारी समिति | | 31-03-2012 | 01-04-2012 | 38877 | 9 | 233264 | 2099374.2 | 52609.1 | 4 | 210436.4 | 2309810.6 |
| 10 | भगवान बाहुबली दिगंबर जैन समाज गौमतगिरि इंदौर | | 31-03-2013 | 01-04-2013 | 5311 | 8 | 31866 | 254928 | 214929 | 6 | 1289571 | 1544499 |
| 11 | मध्य प्रदेश राज्य सहकारी संघ मर्यादित भोपाल (किला मैदान इंदौर) | | 31-03-2018 | 01-04-2018 | 36918 | 3 | 221508 | 664524 | 22217.29 | 6 | 133303.74 | 797827.74 |
| 12 | कारसदेव गृह निर्माण सहकारी समिति | | 31-03-2013 | 01-04-2013 | 9612 | 8 | 57672 | 461376 | 22581.4 | 4 | 90325.6 | 551701.56 |
| 13 | आईटीआई कर्मचारी गृह निर्माण सहकारी समिति इंदौर | | 31-03-2015 | 01-04-2015 | 2352.5 | 6 | 14114.9 | 84689.28 | 8093.71 | 4 | 32374.8 | 117064.12 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8(6 गुना * कॉलम 6) | 9=7*8 | 10 | 11 | 12=10 *11 | 13=9+12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | गांधी बेघर स्लम गृह निर्माण सहकारी समिति इंदौर | | 31-03-2005 | 01-04-2005 | 4934 | 16 | 29604 | 473664 | 85914.8 | 4 | 343659 | 817323.04 |
| 15 | अध्यक्ष, दाधीच ब्राह्मण समाज इंदौर | | 31-03-2010 | 01-04-2010 | 993.12 | 11 | 5958.72 | 65545.92 | 384.43 | 6 | 2306.58 | 67852.5 |
| 16 | श्री निरंजन कुमार-पूनमचंद सोनी चत्रीबाग इंदौर | | 31-03-2018 | 01-04-2018 | 412 | 3 | 2472 | 7416 | 55.74 | 4 | 222.96 | 7638.96 |
| 17 | भगवानदास वधुमुल ठाकुर झूलेलाल अखण्डज्योति प्याऊ झूलेलाल मंदिर इंदौर | | 31-03-2010 | 01-04-2010 | 86 | 11 | 516 | 5676 | 266.35 | 6 | 1598.1 | 7274.1 |
| 18 | साधु वासवानी सहकारी समिति साधु वासवानी नगर इंदौर | | 31-03-2006 | 01-04-2006 | 318.75 | 15 | 1912.5 | 28687.5 | 394.83 | 6 | 2368.98 | 31056.48 |
| 19 | इंडियन कैनेडियन प्रेस ब्रिटेनियन मिशन इंदौर | | 31-03-1957 | 01-04-1957 | 154.11 | 64 | 924.66 | 59178.24 | 28206.59 | 4 | 112826.36 | 172004.6 |
| 20 | इंदौर राजस्व चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी सहकारी समिति दशहरा मैदान इंदौर | | 31-03-2016 | 01-04-2016 | 11761 | 5 | 70567.2 | 352836 | 40468.6 | 6 | 242811 | 595647.36 |
| | कुल **20** प्रकरण | | | | | | | | | | | **8194798.5** |
| 1 | देवकीनंदन, दुर्गाप्रसाद पुत्र भूरूलाल और पंतनारायण, गंगाप्रसाद कपिमितमदबम लक्ष्मीनारायण | देवास | 31-03-2010 | 01-04-2010 | 126 | 11 | 756 | 8316 | 252 | 3 | 756 | 9072 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8(6 गुना * कॉलम 6) | 9=7*8 | 10 | 11 | 12=10 *11 | 13=9+12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | घांसीराम पुत्र रघुनाथ | | 31-03-2009 | 01-04-2009 | 25.2 | 12 | 151.2 | 1814.4 | 132.5 | 3 | 397.5 | 2211.9 |
| 3 | कुरवानखान खान पुत्र याशमीन खान गनीमतबाई पत्नी याशमीन खान | | 31-03-2009 | 01-04-2009 | 9.3 | 12 | 55.8 | 669.6 | 49 | 3 | 147 | 816.6 |
| 4 | नेमीचंद्र पुत्र हजारीलाल | | 31-03-2011 | 01-04-2011 | 19 | 10 | 114 | 1140 | 38 | 3 | 114 | 1254 |
| 5 | गुलाम मुहम्मद पुत्र शेख चन्द्र भाई | | 31-03-2008 | 01-04-2008 | 10.3 | 13 | 61.8 | 803.4 | 47.7 | 3 | 143.1 | 946.5 |
| 6 | अनंत नारायण पुत्र लक्ष्मीनारायण | | 31-03-2011 | 01-04-2011 | 89.5 | 10 | 537 | 5370 | 179 | 3 | 537 | 5907 |
| 7 | अब्देल रहमान पुत्र गुलाम नबी कुरेशी | | 31-03-2008 | 01-04-2008 | 14.5 | 13 | 87 | 1131 | 76.50 | 3 | 229.5 | 1360.5 |
| 8 | इश्माएलभाई पुत्र कासम भाई | | 31-03-2009 | 01-04-2009 | 20.75 | 12 | 124.5 | 1494 | 109 | 3 | 327 | 1821 |
| 9 | मंजूर हुसैन पुत्र शेख चंदेश | | 31-03-2009 | 01-04-2009 | 5.95 | 12 | 35.7 | 428.4 | 31.25 | 3 | 93.75 | 522.15 |
| 10 | अब्दुल रहमान पुत्र मोहम्मद खान | | 31-03-2008 | 01-04-2008 | 10.1 | 13 | 60.6 | 787.8 | 53.3 | 3 | 159.9 | 947.7 |
| 11 | चतुर्भुज पुत्र नगजीराम | | 31-03-2011 | 01-04-2011 | 24 | 10 | 144 | 1440 | 48 | 3 | 144 | 1584 |
| 12 | यासीन खान पुत्र आमिर खान | | 31-03-2011 | 01-04-2011 | 36 | 10 | 216 | 2160 | 189.5 | 3 | 568.5 | 2728.5 |
| 13 | श्यामसुंदर पुत्र मूलचंद | | 31-03-2010 | 01-04-2010 | 39.25 | 11 | 235.5 | 2590.5 | 78.5 | 3 | 235.5 | 2826 |
| 14 | राधेश्याम पुत्र लक्ष्मीनारायण, बाबूलाल पुत्र नानूराम | | 31-03-2008 | 01-04-2008 | 9.6 | 13 | 57.6 | 748.8 | 50.45 | 3 | 151.35 | 900.15 |
| 15 | शेख बरकत पुत्र शेख निज़ाम | | 31-03-2011 | 01-04-2011 | 10.75 | 10 | 64.5 | 645 | 56.5 | 3 | 169.5 | 814.5 |
| 16 | आनंदीबाई के पति रामनारायण और जगदीश चंदा पुत्र रामनारायण | देवास | 31-03-2011 | 01-04-2011 | 118.25 | 10 | 709.5 | 7095 | 236.5 | 3 | 709.5 | 7804.5 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8(6 गुना * कॉलम 6) | 9=7*8 | 10 | 11 | 12=10 *11 | 13=9+12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | करीमखान पुत्र अमीरभाई | | 31-03-2012 | 01-04-2012 | 14.25 | 9 | 85.5 | 769.5 | 75 | 3 | 225 | 994.5 |
| 18 | मिर्जा अजबखान पुत्र मनुबेग | | 31-03-2011 | 01-04-2011 | 24.25 | 10 | 145.5 | 1455 | 127.50 | 3 | 382.5 | 1837.5 |
| 19 | अब्दुलरहमान पुत्र शेखनाथ भाई | | 31-03-2011 | 01-04-2011 | 43.7 | 10 | 262.2 | 2622 | 230 | 3 | 690 | 3312 |
| 20 | सावित्रीबाई, रमेशचंद्र पुत्र कशनाराव जोशी | | 31-03-2010 | 01-04-2010 | 151.4 | 11 | 908.4 | 9992.4 | 302.8 | 3 | 908.4 | 10900.8 |
| 21 | मजूर हुसैन पुत्र चान्द्खान | | 31-03-2009 | 01-04-2009 | 20.65 | 12 | 123.9 | 1486.8 | 90.6 | 3 | 271.8 | 1758.6 |
| 22 | नासिरखान पुत्र सेखकल्लू खान | | 31-03-2011 | 01-04-2011 | 52.85 | 10 | 317.1 | 3171 | 278 | 3 | 834 | 4005 |
| 23 | हबीबमुर, रहमत अली | | 31-03-2012 | 01-04-2012 | 49.4 | 9 | 296.4 | 2667.6 | 260.5 | 3 | 781.5 | 3449.1 |
| 24 | नूरजहाबाई पत्नी हाजी शेख मोहम्मद | | 31-03-2010 | 01-04-2010 | 5.6 | 11 | 33.6 | 369.6 | 29.5 | 3 | 88.5 | 458.1 |
| 25 | भागीरथ, गेंदालाल पुत्र गोपालजी | | 31-03-2008 | 01-04-2008 | 13.3 | 13 | 79.8 | 1037.4 | 70 | 3 | 210 | 1247.4 |
| 26 | साबिर हुसैन पुत्र अहमद हुसैन | | 31-03-2011 | 01-04-2011 | 12.45 | 10 | 74.7 | 747 | 66 | 3 | 198 | 945 |
| 27 | इंदरमल पुत्र गिरिराज | | 31-03-2010 | 01-04-2010 | 54.9 | 11 | 329.4 | 3623.4 | 95.5 | 3 | 286.5 | 3909.9 |
| 28 | मुस्तखशेख पुत्र नजीरशेख | | 31-03-2011 | 01-04-2011 | 6.6 | 10 | 39.6 | 396 | 32 | 3 | 96 | 492 |
| 29 | सत्तारखान पुत्र इंदु खान | | 31-03-2011 | 01-04-2011 | 7.8 | 10 | 46.8 | 468 | 41.5 | 3 | 124.5 | 592.5 |
| 30 | अब्दुल रहमान पुत्र गुलाब सिंह | | 31-03-2011 | 01-04-2011 | 13.7 | 10 | 82.2 | 822 | 70 | 3 | 210 | 1032 |
| 31 | हसोबाई, बानोबाई पति नजीरखान | | 31-03-2009 | 01-04-2009 | 12.2 | 12 | 73.2 | 878.4 | 64.5 | 3 | 193.5 | 1071.9 |
| 32 | लक्ष्मीनारायण पुत्र हजारीलाल | | 31-03-2008 | 01-04-2008 | 13.75 | 13 | 82.5 | 1072.5 | 72.3 | 3 | 216.9 | 1289.4 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8(6 गुना * कॉलम 6) | 9=7*8 | 10 | 11 | 12=10 *11 | 13=9+12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | गफूरखां पुत्र माडेखान | देवास | 31-03-2010 | 01-04-2010 | 9.9 | 11 | 59.4 | 653.4 | 52 | 3 | 156 | 809.4 |
| 34 | कमलादेवी पत्नी हिम्मत सिंह | | 31-03-2011 | 01-04-2011 | 107.5 | 10 | 645 | 6450 | 215 | 3 | 645 | 7095 |
| 35 | ओम प्रकाश पुत्र पूरन सिंह | | 31-03-2011 | 01-04-2011 | 114 | 10 | 684 | 6840 | 228 | 3 | 684 | 7524 |
| 36 | सेराजबी पत्नी तवारक अली | | 31-03-2008 | 01-04-2008 | 12.35 | 13 | 74.1 | 963.3 | 65 | 3 | 195 | 1158.3 |
| 37 | अब्दुलगनी पुत्र शेखचंद | | 31-03-2010 | 01-04-2010 | 11 | 11 | 66 | 726 | 58 | 3 | 174 | 900 |
| 38 | मांगीलाल पुत्र भेरूलाल | | 31-03-2011 | 01-04-2011 | 29 | 10 | 174 | 1740 | 58 | 3 | 174 | 1914 |
| 39 | कुर्वान खान पुत्र यासीनखान गनीमत बी पत्नी यासीन खान | | 31-03-2009 | 01-04-2009 | 21.5 | 12 | 129 | 1548 | 113 | 3 | 339 | 1887 |
| 40 | अब्दुल रहमान पुत्र अब्दुल हकीम, अब्दुल कादिर पुत्र शेख अहमद | | 31-03-2009 | 01-04-2009 | 30.15 | 12 | 180.9 | 2170.8 | 158.75 | 3 | 476.25 | 2647.05 |
| 41 | घांसीराम पुत्र रघुनाथ | | 31-03-2009 | 01-04-2009 | 5.7 | 12 | 34.2 | 410.4 | 30 | 3 | 90 | 500.4 |
| 42 | सिराजे अहमद, शेख रफीकअहमद पुत्र बसीरअहमद शेख | | 31-03-2011 | 01-04-2011 | 74.6 | 10 | 447.6 | 4476 | 392.5 | 3 | 1177.5 | 5653.5 |
| 43 | मोहम्मद अयातुल्ला पुत्र मुल्लाअल्लाबेली | | 31-03-2011 | 01-04-2011 | 24.7 | 10 | 148.2 | 1482 | 130 | 3 | 390 | 1872 |
| 44 | अब्दुल रहमान, अब्दुल हुसैन पुत्र हाजी शेख मोहम्मद | | 31-03-2011 | 01-04-2011 | 7.8 | 10 | 46.8 | 468 | 41.5 | 3 | 124.5 | 592.5 |
| 45 | बतुलबाई पत्नी नजीर अहमद | | 31-03-2009 | 01-04-2009 | 4.2 | 12 | 25.2 | 302.4 | 22 | 3 | 66 | 368.4 |
| 46 | जमुनाबाई पत्नी ओंकारलाल | | 31-03-2009 | 01-04-2009 | 14.8 | 12 | 88.8 | 1065.6 | 51 | 3 | 153 | 1218.6 |
| 47 | परवामीबाई पत्नी चिरौंजीलाल | | 31-03-2009 | 01-04-2009 | 78.45 | 12 | 470.7 | 5648.4 | 334.5 | 3 | 1003.5 | 6651.9 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8(6 गुना * कॉलम 6) | 9=7*8 | 10 | 11 | 12=10 *11 | 13=9+12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | आरिफ हुसैन पुत्र हबीब नवाब | | 31-03-2009 | 01-04-2009 | 10.75 | 12 | 64.5 | 774 | 56.5 | 3 | 169.5 | 943.5 |
| 49 | सुंदरबाई पत्नी सेवकनाथ | | 31-03-2008 | 01-04-2008 | 11.5 | 13 | 69 | 897 | 48 | 3 | 144 | 1041 |
| 50 | जमनालाल, धरमचंद पुत्र भेरूलाल, सज्जनबाई पत्नी भैरूलाल | | 31-03-2010 | 01-04-2010 | 36.35 | 11 | 218.1 | 2399.1 | 63.5 | 3 | 190.5 | 2589.6 |
| 51 | मोहनलाल पुत्र हीरालाल | देवास | 31-03-2010 | 01-04-2010 | 39 | 11 | 234 | 2574 | 72 | 3 | 216 | 2790 |
| 52 | गुलाबबाई पत्नी मोहनलाल | | 31-03-2010 | 01-04-2010 | 32.65 | 11 | 195.9 | 2154.9 | 48.5 | 3 | 145.5 | 2300.4 |
| 53 | भगवतीनाथ पुत्र नारायणनाथ | | 31-03-2010 | 01-04-2010 | 12.85 | 11 | 77.1 | 848.1 | 20.7 | 3 | 62.1 | 910.2 |
| 54 | बरकत अली, अजगरअली पुत्र अब्बास अली | | 31-03-2009 | 01-04-2009 | 18.8 | 12 | 112.8 | 1353.6 | 159 | 3 | 477 | 1830.6 |
| 55 | मोतीलाल बाबूलाल पुत्र नगजीराम | | 31-03-2009 | 01-04-2009 | 41.5 | 12 | 249 | 2988 | 195.5 | 3 | 586.5 | 3574.5 |
| 56 | शिवनारायण, बद्रीनारायण, रामगोपाल, लक्ष्मीनारायण, पन्नालाल, बाबूलाल पुत्र मोतीलाल | | 31-03-2008 | 01-04-2008 | 248.85 | 13 | 1493.1 | 19410.3 | 405 | 3 | 1215 | 20625.3 |
| 57 | नारायण पुत्र बलवंत सिंह | | 31-03-2008 | 01-04-2008 | 22.2 | 13 | 133.2 | 1731.6 | 44.45 | 3 | 133.35 | 1864.95 |
| 58 | फातिमाबाई पत्नी खजुखा | | 31-03-2008 | 01-04-2008 | 19.95 | 13 | 119.7 | 1556.1 | 105 | 3 | 315 | 1871.1 |
| 59 | अशोक/सत्यनारायण पुत्र किशनलाल | | 31-03-2011 | 01-04-2011 | 148.2 | 10 | 889.2 | 8892 | 288 | 3 | 864 | 9756 |
| 60 | जगन्नाथ पुत्र गिरधारीलाल | | 31-03-2008 | 01-04-2008 | 58 | 13 | 348 | 4524 | 116 | 3 | 348 | 4872 |
| 61 | बसंतबाई पत्नी हीरालाल | | 31-03-2009 | 01-04-2009 | 23.95 | 12 | 143.7 | 1724.4 | 27 | 3 | 81 | 1805.4 |
| 62 | सम्पतिबाई पत्नी छोगालाल | | 31-03-2009 | 01-04-2009 | 36.65 | 12 | 219.9 | 2638.8 | 141.5 | 3 | 424.5 | 3063.3 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8(6 गुना * कॉलम 6) | 9=7*8 | 10 | 11 | 12=10 *11 | 13=9+12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63 | अनंतनारायण पुत्र माखनलाल, रामप्यारी पत्नी माखनलाल | | 31-03-2009 | 01-04-2009 | 42.25 | 12 | 253.5 | 3042 | 62.15 | 3 | 186.45 | 3228.45 |
| 64 | माखनलाल पुत्र होतचंद | | 31-03-2009 | 01-04-2009 | 93.75 | 12 | 562.5 | 6750 | 143 | 3 | 429 | 7179 |
| 65 | गणेशीबाई पत्नी बाबूलाल | | 31-03-2010 | 01-04-2010 | 51.8 | 11 | 310.8 | 3418.8 | 93.3 | 3 | 279.9 | 3698.7 |
| 66 | मनोहरलाल पुत्र खड़क सिंह | | 31-03-2010 | 01-04-2010 | 29.5 | 11 | 177 | 1947 | 59 | 3 | 177 | 2124 |
| 67 | सतीश पुत्र बसंतीलाल कानूनगो | | 31-03-2008 | 01-04-2008 | 90.75 | 13 | 544.5 | 7078.5 | 181.5 | 3 | 544.5 | 7623 |
| 68 | शमीमबाई पत्नी नसरुद्दीन | | 31-03-2009 | 01-04-2009 | 45.25 | 12 | 271.5 | 3258 | 156 | 3 | 468 | 3726 |
| 69 | अब्दुल गफ्फार, अब्दुल रजाक पुत्र मोती खान | देवास | 31-03-2010 | 01-04-2010 | 9.5 | 11 | 57 | 627 | 59 | 3 | 177 | 804 |
| 70 | इदुखान, मुंसी खान पुत्र नूरखान | | 31-03-2009 | 01-04-2009 | 13.7 | 12 | 82.2 | 986.4 | 72 | 3 | 216 | 1202.4 |
| 71 | वसीरखां, तवक्काखां पुत्र नन्हेखां | | 31-03-2009 | 01-04-2009 | 12.3 | 12 | 73.8 | 885.6 | 64.5 | 3 | 193.5 | 1079.1 |
| 72 | रसूलखान पुत्र घीशा अली | | 31-03-2008 | 01-04-2008 | 15.5 | 13 | 93 | 1209 | 81.5 | 3 | 244.5 | 1453.5 |
| 73 | अब्दुल गफ्फार पुत्र नसरुल्ला खान | | 31-03-2010 | 01-04-2010 | 9.5 | 11 | 57 | 627 | 50 | 3 | 150 | 777 |
| 74 | हसीबाई पत्नी अब्दुलरहमान | | 31-03-2009 | 01-04-2009 | 26.8 | 12 | 160.8 | 1929.6 | 141 | 3 | 423 | 2352.6 |
| 75 | बाबूखां पुत्र हसनखां, | | 31-03-2009 | 01-04-2009 | 34.2 | 12 | 205.2 | 2462.4 | 180 | 3 | 540 | 3002.4 |
| 76 | वजीर मोहम्मद पुत्र नजीर मोहम्मद | | 31-03-2008 | 01-04-2008 | 25.8 | 13 | 154.8 | 2012.4 | 135 | 3 | 405 | 2417.4 |
| 77 | करीमबाग पुत्र बुद्धुबेग | | 31-03-2009 | 01-04-2009 | 10.45 | 12 | 62.7 | 752.4 | 55.5 | 3 | 166.5 | 918.9 |
| 78 | जबरियाइर पुत्र करीम अहमद | | 31-03-2009 | 01-04-2009 | 13 | 12 | 78 | 936 | 68.5 | 3 | 205.5 | 1141.5 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8(6 गुना * कॉलम 6) | 9=7*8 | 10 | 11 | 12=10 *11 | 13=9+12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 79 | वर्धमान पुत्र कन्हैयालाल | | 31-03-2009 | 01-04-2009 | 18.55 | 12 | 111.3 | 1335.6 | 78 | 3 | 234 | 1569.6 |
| 80 | विजयप्रकाश, नंदकिशोर पुत्र मूलचंद | | 31-03-2009 | 01-04-2009 | 50.15 | 12 | 300.9 | 3610.8 | 173 | 3 | 519 | 4129.8 |
| 81 | मोहम्मद, बाबूखां पुत्र भूरेखां | | 31-03-2009 | 01-04-2009 | 18.5 | 12 | 111 | 1332 | 97.5 | 3 | 292.5 | 1624.5 |
| 82 | बतुलबाई पत्नी नजीर अहमद | | 31-03-2009 | 01-04-2009 | 8.95 | 12 | 53.7 | 644.4 | 47 | 3 | 141 | 785.4 |
| 83 | रतनलाल पुत्र हीरालाल | | 31-03-2012 | 01-04-2012 | 47 | 9 | 282 | 2538 | 89.5 | 3 | 268.5 | 2806.5 |
| 84 | रईसाबाई पत्नी रहमत अली | | 31-03-2011 | 01-04-2011 | 13.1 | 10 | 78.6 | 786 | 70 | 3 | 210 | 996 |
| 85 | रईसाबाई पत्नी रहमत अली | | 31-03-2009 | 01-04-2009 | 10.35 | 12 | 62.1 | 745.2 | 54.5 | 3 | 163.5 | 908.7 |
| 86 | नन्हेखां, छोटेखां पुत्र हसनखां | | 31-03-2009 | 01-04-2009 | 26.6 | 12 | 159.6 | 1915.2 | 140 | 3 | 420 | 2335.2 |
| 87 | बदरूद्दीन पुत्र रसूलखां | | 31-03-2010 | 01-04-2010 | 11.2 | 11 | 67.2 | 739.2 | 59 | 3 | 177 | 916.2 |
| 88 | सुवालाल पुत्र गोविंदराम | देवास | 31-03-2012 | 01-04-2012 | 66.65 | 9 | 399.9 | 3599.1 | 120.5 | 3 | 361.5 | 3960.6 |
| 89 | संपूर्ण सिंह पुत्र मथुरा सिंह | | 31-03-2012 | 01-04-2012 | 85.1 | 9 | 510.6 | 4595.4 | 100.14 | 3 | 300.42 | 4895.82 |
| 90 | श्रीमती शीला देवी पत्नी शंकरराव धोबजे | | 31-03-2012 | 01-04-2012 | 19.65 | 9 | 117.9 | 1061.1 | 39.23 | 3 | 117.69 | 1178.79 |
| 91 | कन्हैयालाल पुत्र भगवानदास, कमलमल पुत्र टेकनदास | | 31-03-2012 | 01-04-2012 | 76.3 | 9 | 457.8 | 4120.2 | 132.63 | 3 | 397.89 | 4518.09 |
| 92 | मोहनलाल पुत्र बलदेवप्रसाद | | 31-03-2008 | 01-04-2008 | 66.3 | 13 | 397.8 | 5171.4 | 132.62 | 3 | 397.86 | 5569.26 |
| 93 | रामरतन पुत्र पीराजी | | 31-03-2011 | 01-04-2011 | 12.2 | 10 | 73.2 | 732 | 71.65 | 3 | 214.95 | 946.95 |
| 94 | गोवर्धनलाल पुत्र बाबूलाल | | 31-03-2011 | 01-04-2011 | 35.75 | 10 | 214.5 | 2145 | 71.5 | 3 | 214.5 | 2359.5 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8(6 गुना * कॉलम 6) | 9=7*8 | 10 | 11 | 12=10 *11 | 13=9+12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 95 | शकूरअली पुत्र सरदारअली | | 31-03-2012 | 01-04-2012 | 52.5 | 9 | 315 | 2835 | 101 | 3 | 303 | 3138 |
| 96 | इंदुमती पत्नी बलवंत सिंह | | 31-03-2011 | 01-04-2011 | 36.5 | 10 | 219 | 2190 | 73.5 | 3 | 220.5 | 2410.5 |
| 97 | गंगाबाई पत्नी भेरूलाल | | 31-03-2011 | 01-04-2011 | 39.75 | 10 | 238.5 | 2385 | 79.5 | 3 | 238.5 | 2623.5 |
| 98 | बाबू पुत्र रामजी | | 31-03-2011 | 01-04-2011 | 96.5 | 10 | 579 | 5790 | 193 | 3 | 579 | 6369 |
| 99 | रामजी पुत्र दुलीचंद | | 31-03-2011 | 01-04-2011 | 67 | 10 | 402 | 4020 | 134 | 3 | 402 | 4422 |
| 100 | सुंदाबाई पत्नी गेन्दालाल | | 31-03-2007 | 01-04-2007 | 55.4 | 14 | 332.4 | 4653.6 | 110.82 | 3 | 332.46 | 4986.06 |
| 101 | बद्रीप्रसाद पुत्र नारायण सिंह | | 31-03-2010 | 01-04-2010 | 35.85 | 11 | 215.1 | 2366.1 | 71.6 | 3 | 214.8 | 2580.9 |
| 102 | परसराम, छोटेलाल पुत्र नवारीलाल | | 31-03-2011 | 01-04-2011 | 237.1 | 10 | 1422.6 | 14226 | 132 | 3 | 396 | 14622 |
| 103 | कासम पुत्र मनुभाई | | 31-03-2011 | 01-04-2011 | 46.55 | 10 | 279.3 | 2793 | 84 | 3 | 252 | 3045 |
| 104 | रामरतन पुत्र चीमाजी | | 31-03-2010 | 01-04-2010 | 5.1 | 11 | 30.6 | 336.6 | 95 | 3 | 285 | 621.6 |
| 105 | रहमत बाई पत्नी अहमद खान | देवास | 31-03-2011 | 01-04-2011 | 9.9 | 10 | 59.4 | 594 | 184 | 3 | 552 | 1146 |
| 106 | भगवान सिंह, अमर सिंह, श्रीराम पुत्र लक्ष्मण सिंह, सरस्वतीबाई पत्नी लक्ष्मण सिंह | | 31-03-2010 | 01-04-2010 | 3.2 | 11 | 19.2 | 211.2 | 75 | 3 | 225 | 436.2 |
| 107 | मथुराप्रसाद पुत्र राजचन्द्र | | 31-03-2007 | 01-04-2007 | 11.4 | 14 | 68.4 | 957.6 | 176 | 3 | 528 | 1485.6 |
| 108 | लक्ष्मीबाई पत्नी रघुनाथ राव | | 31-03-2010 | 01-04-2010 | 9.65 | 11 | 57.9 | 636.9 | 179.25 | 3 | 537.75 | 1174.65 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8(6 गुना * कॉलम 6) | 9=7*8 | 10 | 11 | 12=10 *11 | 13=9+12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 109 | रामचन्द्र पुत्र नारायण सिंह | | 31-03-2011 | 01-04-2011 | 114 | 10 | 684 | 6840 | 228 | 3 | 684 | 7524 |
| 110 | लक्ष्मीनारायण, मुन्नालाल पुत्र धारीलाल, ललिताबाई पत्नी धारीलाल | | 31-03-2011 | 01-04-2011 | 10.2 | 10 | 61.2 | 612 | 60 | 3 | 180 | 792 |
| 111 | बाबूलाल, चैनसिंह पुत्र मधुजी | | 31-03-2011 | 01-04-2011 | 113.75 | 10 | 682.5 | 6825 | 227.5 | 3 | 682.5 | 7507.5 |
| 112 | दामोदर पुत्र देवाजी | | 31-03-2009 | 01-04-2009 | 145.5 | 12 | 873 | 10476 | 291 | 3 | 873 | 11349 |
| 113 | रामचन्द्र, रामकिशन पुत्र बालमुकुन्द | | 31-03-2009 | 01-04-2009 | 62.9 | 12 | 377.4 | 4528.8 | 119 | 3 | 357 | 4885.8 |
| 114 | नर्मदाबाई पत्नी गणपत सिंह | | 31-03-2011 | 01-04-2011 | 206 | 10 | 1236 | 12360 | 328 | 3 | 984 | 13344 |
| 115 | शिवशंकर पुत्र हेमराज | | 31-03-2009 | 01-04-2009 | 219.3 | 12 | 1315.8 | 15789.6 | 258 | 3 | 774 | 16563.6 |
| 116 | बाबूलाल पुत्र नारायण सिंह | | 31-03-2010 | 01-04-2010 | 76 | 11 | 456 | 5016 | 152 | 3 | 456 | 5472 |
| 117 | अंबाराम, मदन पुत्र धुलजी | | 31-03-2007 | 01-04-2007 | 7.3 | 14 | 43.8 | 613.2 | 137.5 | 3 | 412.5 | 1025.7 |
| 118 | भेरूलाल पुत्र धासीराम | | 31-03-2008 | 01-04-2008 | 21.1 | 13 | 126.6 | 1645.8 | 32.75 | 3 | 98.25 | 1744.05 |
| 119 | दयाराम पुत्र घांसीराम | | 31-03-2008 | 01-04-2008 | 23.7 | 13 | 142.2 | 1848.6 | 37.05 | 3 | 111.15 | 1959.75 |
| 120 | घांसीराम पुत्र चतुर्भुज | | 31-03-2008 | 01-04-2008 | 15.85 | 13 | 95.1 | 1236.3 | 31.65 | 3 | 94.95 | 1331.25 |
| 121 | नंदराम पुत्र घांसीराम | देवास | 31-03-2008 | 01-04-2008 | 26.7 | 13 | 160.2 | 2082.6 | 31.41 | 3 | 94.23 | 2176.83 |
| 122 | अब्दुल माजिद पुत्र यासीन खान | | 31-03-2007 | 01-04-2007 | 5.3 | 14 | 31.8 | 445.2 | 91.75 | 3 | 275.25 | 720.45 |
| 123 | राजाराम पुत्र नाथूजी | | 31-03-2007 | 01-04-2007 | 4.15 | 14 | 24.9 | 348.6 | 77 | 3 | 231 | 579.6 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8(6 गुना * कॉलम 6) | 9=7*8 | 10 | 11 | 12=10 *11 | 13=9+12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 124 | भागीरथ पुत्र मोहनलाल | | 31-03-2011 | 01-04-2011 | 16.6 | 10 | 99.6 | 996 | 87.5 | 3 | 262.5 | 1258.5 |
| 125 | रहमतबाई पुत्र इब्राहीम | | 31-03-2011 | 01-04-2011 | 3.9 | 10 | 23.4 | 234 | 81 | 3 | 243 | 477 |
| 126 | छतरसिंह पुत्र रामप्रसाद | | 31-03-2011 | 01-04-2011 | 17.2 | 10 | 103.2 | 1032 | 90.5 | 3 | 271.5 | 1303.5 |
| 127 | रामचंदर पुत्र गरीबलाल और रामबैर पत्नी सुंदरलाल | | 31-03-2010 | 01-04-2010 | 6.35 | 11 | 38.1 | 419.1 | 117 | 3 | 351 | 770.1 |
| 128 | मोहम्मद अनवरखान पुत्र अकबरखान | | 31-03-2009 | 01-04-2009 | 39.5 | 12 | 237 | 2844 | 79 | 3 | 237 | 3081 |
| 129 | टीकमचंद्र पुत्र खूबचंद्र और कावेरीबाई पत्नी खूबचंद्र | | 31-03-2010 | 01-04-2010 | 19.75 | 11 | 118.5 | 1303.5 | 370.75 | 3 | 1112.25 | 2415.75 |
| 130 | भंवरसिंह पुत्र उमरावसिंह | | 31-03-2011 | 01-04-2011 | 14.9 | 10 | 89.4 | 894 | 78.5 | 3 | 235.5 | 1129.5 |
| 131 | गोरीबाई पत्नी भगवान सिंह, दुर्गा सिंह पुत्र भगवान सिंह | | 31-03-2010 | 01-04-2010 | 35 | 11 | 210 | 2310 | 70 | 3 | 210 | 2520 |
| 132 | संपतबाई पत्नी मोतीलाल | | 31-03-2011 | 01-04-2011 | 15.4 | 10 | 92.4 | 924 | 285.75 | 3 | 857.25 | 1781.25 |
| 133 | बाजीराव पुत्र राजाराम | | 31-03-2010 | 01-04-2010 | 4.3 | 11 | 25.8 | 283.8 | 79.9 | 3 | 239.7 | 523.5 |
| 134 | दत्तात्रेय पुत्र शंकरराव | | 31-03-2008 | 01-04-2008 | 9.45 | 13 | 56.7 | 737.1 | 175.2 | 3 | 525.6 | 1262.7 |
| 135 | देवीलाल पुत्र घांसीराम | | 31-03-2011 | 01-04-2011 | 24.7 | 10 | 148.2 | 1482 | 130 | 3 | 390 | 1872 |
| 136 | सावित्रीबाई, जावित्रीबाई पुत्री कन्हैयालाल | | 31-03-2007 | 01-04-2007 | 15.1 | 14 | 90.6 | 1268.4 | 280.25 | 3 | 840.75 | 2109.15 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8(6 गुना * कॉलम 6) | 9=7*8 | 10 | 11 | 12=10 *11 | 13=9+12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 137 | रामचन्द्र, चतुर्भुज, गोपालकृष्ण, लक्ष्मीनारायण कपितम दबबम कूकाजी | देवास | 31-03-2010 | 01-04-2010 | 23 | 11 | 138 | 1518 | 423.45 | 3 | 1270.35 | 2788.35 |
| 138 | शेख रमजान पुत्र शेख गुलाब | | 31-03-2011 | 01-04-2011 | 7.25 | 10 | 43.5 | 435 | 38 | 3 | 114 | 549 |
| 139 | मूलचंद पुत्र गोविंद जी | | 31-03-2010 | 01-04-2010 | 4 | 11 | 24 | 264 | 74 | 3 | 222 | 486 |
| 140 | सोनाबाई पत्नी निर्भय सिंह | | 31-03-2011 | 01-04-2011 | 38.25 | 10 | 229.5 | 2295 | 76.5 | 3 | 229.5 | 2524.5 |
| 141 | सुन्दर सिंह पुत्र चन्द्रभान सिंह | | 31-03-2011 | 01-04-2011 | 37.5 | 10 | 225 | 2250 | 197.5 | 3 | 592.5 | 2842.5 |
| 142 | केशरीमाप पुत्र शंकरलाल | | 31-03-2011 | 01-04-2011 | 88.75 | 10 | 532.5 | 5325 | 467 | 3 | 1401 | 6726 |
| 143 | चुन्नीलाल पुत्र दौलाजी | | 31-03-2011 | 01-04-2011 | 8.1 | 10 | 48.6 | 486 | 42.5 | 3 | 127.5 | 613.5 |
| 144 | श्यामलाल पुत्र दौलाजी | | 31-03-2011 | 01-04-2011 | 10.45 | 10 | 62.7 | 627 | 55 | 3 | 165 | 792 |
| 145 | दामोदर पुत्र जावरचंद | | 31-03-2009 | 01-04-2009 | 12 | 12 | 72 | 864 | 24 | 3 | 72 | 936 |
| 146 | मोहम्मद शकील पुत्र अब्दुल गफूर | | 31-03-2011 | 01-04-2011 | 44 | 10 | 264 | 2640 | 88 | 3 | 264 | 2904 |
| 147 | काशीबाई पत्नी ओंकारलाल | | 31-03-2012 | 01-04-2012 | 26 | 9 | 156 | 1404 | 52 | 3 | 156 | 1560 |
| 148 | नूरमोहम्मद पुत्र अनुद्दीन | | 31-03-2011 | 01-04-2011 | 55.55 | 10 | 333.3 | 3333 | 79.5 | 3 | 238.5 | 3571.5 |
| | कुल **148** प्रकरण | | | | | | | | | | | **434505.3** |
| | **महा योग 185 प्रकरणों के लिए** | | | | | | | | | | | **9385867** |

## परिशिष्ट-2.2.6
### (संदर्भ: कंडिका क्रमांक 2.2.8.4, पृष्ठ क्रमांक 62)
### म.प्र. राज्य भण्डारगृह निगम को भूमि आवंटन पर प्रीमियम और वार्षिक पट्टा किराया का अनारोपण

(राशि ₹ में )

| स. क्र. | प्रकरण संख्या | ग्राम | तहसील | जिला | कुल आवंटित भूमि | | | मार्गदर्शिका दर | | बाजार मूल्य | | | कुल बाजार मूल्य | प्रीमियम (बाजार मूल्य का 75%) | पट्टा किराया | | पंचायत उपकर (पट्टा किराया एवं प्रीमियम के योग का 50%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | आवंटन की तिथि | (हेक्टेयर में) | (वर्ग मीटर में) | वाणिज्यिक भूखंड की दर प्रति वर्ग मीटर | सिंचित कृषि भूमि की दर | 300 वर्ग मीटर तक (वाणिज्यिक प्रयोजन के लिए उपयोग किए जाने वाले भूखंड की दर) | शेष क्षेत्र हेक्टेयर में | 300 वर्ग मीटर से अधिक कृषि भूमि की उच्चतम दर *1.5 | | | वार्षिक पट्टा किराया की दर | वार्षिक पट्टा किराया | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11=(300*कॉलम 9) | 12 | 13= कॉलम 12*1.5* कॉलम10 | 14=11+13 | 15 | 16 | 17 | 18= 0.50*( कॉलम 15 + कॉलम 17) |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0018/ 2021-22 | अमलाई | जैतपुर | शहडोल | 02-12-2021 | 2.023 | 20230 | 900 | 508000 | 270000 | 1.993 | 1518666 | 1788666 | 1341499.5 | 6 प्रति वर्ग मीटर | 121380 | 731439.75 |
| 2 | 0023/ 2021-22 | जरुखारा | जैसिंगनगर | शहडोल | 02-12-2021 | 4.046 | 40460 | 500 | 277400 | 150000 | 4.016 | 1671057.6 | 1821057.6 | 1365793.2 | 6 प्रति वर्ग मीटर | 242760 | 804276.6 |
| 3 | 0019/ 2021-22 | चंनोदी | जैतपुर | शहडोल | 02-12-2021 | 2.023 | 20230 | 800 | 456000 | 240000 | 1.993 | 1363212 | 1603212 | 1202409 | 6 प्रति वर्ग मीटर | 121380 | 661894.5 |
| 4 | 0015/ 2019-20 | छतवाई | सोहागपुर | शहडोल | 17-03-2020 | 2.428 | 24280 | 3400 | 1993800 | 1020000 | 2.398 | 7171698.6 | 8191698.6 | 6143773.95 | बाज़ार मूल्य का 7.5 % | 614377.395 | 3379075.67 |
| 5 | 0010/ 2019-20 | राम्सोहरा | जय सिंह नगर | शहडोल | 19-02-2020 | 4.046 | 40460 | 500 | 312800 | 150000 | 4.016 | 1884307.2 | 2034307.2 | 1525730.4 | बाज़ार मूल्य का 7.5 % | 152573.04 | 839151.72 |
| 6 | 0009/ 2019-20 | कर्री | गोहपरू | शहडोल | 04-01-2020 | 3.84 | 38400 | 800 | 306400 | 240000 | 3.81 | 1751076 | 1991076 | 1493307 | बाज़ार मूल्य का 7.5 % | 149330.7 | 821318.85 |
| 7 | 0016/ 2021-22 | खुशार्वाह | जय सिंह नगर | शहडोल | 02-12-2021 | 1.214 | 12140 | 1200 | 784700 | 360000 | 1.184 | 1393627.2 | 1753627.2 | 1315220.4 | 6 प्रति वर्ग मीटर | 72840 | 694030.2 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11=(300* कॉलम 9) | 12 | 13= कॉलम 12*1.5* कॉलम 10 | 14=11+13 | 15 | 16 | 17 | 18= 0.50*( कॉलम 15 + कॉलम 17) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 0033/ 2019-20 | गन्नाई | सराई | सिंगरौली | 02-06-2020 | 4 | 40000 | 1800 | 1571200 | 540000 | 3.97 | 9356496 | 9896496 | 7422372 | बाज़ार मूल्य का 7.5 % | 742237.2 | 4082304.6 |
| 9 | 0012/ 2020-21 | गन्नाई | सराई | सिंगरौली | 12-11-2020 | 2 | 20000 | 1800 | 1571200 | 540000 | 1.97 | 4642896 | 5182896 | 3887172 | 6 प्रति वर्ग मीटर | 120000 | 2003586 |
| | | | | | | **25.62** | **कुल** | | | | | | | **25697277.5** | | **2336878.34** | **14017077.9** |
| | | | | | | **महायोग** | | | | | | | | | | | **42051233.7** |

## परिशिष्ट-2.2.7

### संदर्भ: कंडिका क्रमांक 2.2.9.2, पृष्ठ क्रमांक 65)

### शास्ति लगाने और आदेश जारी होने के बाद भी अतिक्रमित शासकीय भूमि को खाली न करना/ शासकीय भूमि पर अनधिकृत कब्जा जारी रखने पर शास्ति की वसूली न करना

(₹ लाख में)

| जिला | स.क्र. | तहसील | जांच किये गए प्रकरणों की संख्या | सम्मिलित क्षेत्र (हेक्टेयर में) | प्रकरणों का विवरण जिनमें बेदखली का आदेश जारी किया गया | | | | प्रकरणों का विवरण जिनमे अधिरोपित शास्ति वसूल की गई | | प्रकरणों का विवरण जहां अनधिकृत कब्जा जारी रहा | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | प्रकरणों की संख्या | अधिरोपित शास्ति | पटवारी द्वारा प्रस्तुत न किये गए बेदखली प्रतिवेदन (प्रकरणों की संख्या) | पटवारी द्वारा प्रस्तुत किये गए बेदखली प्रतिवेदन (प्रकरणों की संख्या) | प्रकरणों की संख्या | राशि | प्रकरणों की संख्या | शास्ति की राशि | अतिक्रमित भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) | भूमि का बाजार मूल्य |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| शहडोल | 1 | सोहागपुर | 249 | 46.944 | 249 | 15.79 | 243 | 6 | 39 | 1.60 | 243 | 1279.37 | 45.898 | 525.80 |
| | 2 | गोहपारू | 351 | 111.915 | 350 | 11.35 | 309 | 41 | 188 | 5.50 | 309 | 991.45 | 100.637 | 498.67 |
| | 3 | बुढ़ार | 109 | 10.672 | 109 | 2.99 | 92 | 17 | 32 | 0.66 | 92 | 390.01 | 8.320 | 108.81 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| सिंगरौली | 4 | सिंगरौली शहरी | 19 | 0.522 | 19 | 0.32 | 19 | 0 | 19 | 0.32 | 19 | 309.28 | 0.522 | 13.73 |
| | 5 | देवसर | 156 | 334.51 | 156 | 2.24 | 156 | 0 | 1 | 0.00 | 156 | 706.99 | 334.51 | 4846.59 |
| | 6 | सिंगरौली ग्रामीण | 19 | 7.448 | 19 | 1.06 | 19 | 0 | 2 | 0.08 | 19 | 62.91 | 7.448 | 197.48 |
| धार | 7 | सरदारपुर | 142 | 32.819 | 142 | 3.64 | 97 | 45 | 0 | 0.00 | 97 | 440.99 | 21.485 | 121.80 |
| | 8 | गंधवानी | 114 | 22.358 | 114 | 3.75 | 4 | 110 | 112 | 3.69 | 4 | 18.46 | 0.609 | 5.32 |
| | 9 | कुक्षी | 613 | 5665.291 | 613 | 7.12 | 84 | 529 | 611 | 7.02 | 84 | 838.00 | 346.729 | 19235.22 |
| ग्वालियर | 10 | डबरा | 49 | 10.03 | 49 | 2.02 | 49 | 0 | 0 | 0.00 | 49 | 63.95 | 10.03 | 150.33 |
| | 11 | तानसेन | 19 | 4.365 | 17 | 0.46 | 12 | 5 | 4 | 0.11 | 12 | 180.26 | 2.732 | 17.45 |
| | 12 | मुरार | 53 | 1.544 | 53 | 1.38 | 53 | 0 | 3 | 0.30 | 53 | 152.38 | 1.544 | 3088.40 |
| भोपाल | 13 | बैरागढ़ | 7 | 0.85 | 7 | 0.06 | 7 | 0 | 0 | 0.00 | 7 | 119.28 | 0.853 | 698.48 |
| | 14 | बैरसिया | 8 | 0.202 | 8 | 0.10 | 8 | 0 | 0 | 0.00 | 8 | 31.38 | 0.202 | 36.25 |
| | 15 | टीटी नगर | 18 | 0.681 | 18 | 0.01 | 18 | 0 | 0 | 0.00 | 18 | 276.10 | 0.681 | 435.18 |
| | 16 | हुज़ूर (ग्रामीण) | 86 | 2.744 | 86 | 2.88 | 85 | 1 | 0 | 0.00 | 85 | 441.82 | 2.9347 | 172.14 |
| | 17 | एमपी नगर | 12 | 5.242 | 12 | 1.79 | 12 | 0 | 0 | 0.00 | 12 | 227.54 | 5.242 | 6721.08 |
| इंदौर | 18 | डॉ. अम्बेडकर नगर | 44 | 13.389 | 44 | 1.08 | 44 | 0 | 44 | 1.08 | 44 | 194.88 | 13.38976 | 248.06 |
| | 19 | हातोद | 29 | 21.676 | 29 | 0.48 | 0 | 29 | 24 | 0.48 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| देवास | 20 | हाटपिपल्या | 120 | 77.49 | 120 | 6.00 | 3 | 117 | 120 | 6.00 | 3 | 7.16 | 0.0302 | 0.44 |
| | 21 | टोंक खुर्द | 105 | 136.194 | 105 | 9.01 | 105 | 0 | 105 | 9.01 | 105 | 307.80 | 136.1943 | 1921.08 |
| जबलपुर | 22 | रांझी | 21 | 0.08 | 21 | 0.33 | 21 | 0 | 21 | 0.33 | 21 | 23.38 | 0.0813 | 0.66 |
| | 23 | पनागर | 28 | 86.86 | 24 | 1.08 | 22 | 2 | 2 | 0.10 | 22 | 104.51 | 84.65508364 | 780.10 |
| | | **कुल** | **2371** | **6593.826** | **2364** | 74.90 | **1462** | **902** | **1327** | 36.26 | **1462** | **7167.85** | **1124.72734** | **39823.07** |

**ऐसे प्रकरणों की संख्या जिनमें लगाया गया जुर्माना वसूल नहीं किया जा सका (कॉलम 6-10) - 1037 प्रकरण ।**

**वसूल नहीं किया गया जुर्माना (कॉलम 7-11) - ₹38.64 लाख**

# परिशिष्ट-2.2.8

**(संदर्भ: कंडिका क्रमांक 2.2.10.3, पृष्ठ क्रमांक 68)**

**राज्य शासन के विभागों को आवंटित शासकीय भूमि का अनुपयोगी रहना**

**(क्षेत्रफल हेक्टेयर में)**

| जिला | वर्ष | प्रकरण क्र. | पूर्व आवंटन का विवरण | | | | | वर्तमान आवंटन का विवरण | | | | | भूमि की अधिकता, यदि कोई हो | क्या अतिरिक्त भूमि का उपयोग पूर्व विभाग द्वारा किया गया या भूमि अप्रयुक्त रही |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | विभाग का नाम | आवंटन का वर्ष/ तिथि | सर्वे नं. | आवंटन का क्षेत्रफल | उद्देश्य | विभाग का नाम | आवंटन की तिथि | सर्वे नं. | आवंटन का क्षेत्रफल | उद्देश्य | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | 14 (7-12) | (15) |
| ग्वालियर | 2020-21 | 001/ए(20-3)/2019-20 | म.प्र. पर्यटन | 2009-10 | 109, 110, 111 | 5.686 | उल्लेख नहीं | सामाजिक न्याय और अधिकारिता | 07-12-2020 | 109, 110, 111 | 5.686 | खेल स्टेडियम | निरंक | अप्रयुक्त रही |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | 14 (7-12) | (15) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ग्वालियर | 2021-22 | 007/ए (20-3)/2021-22 | सूचना एवं प्रौद्योगिकी | 30-06-2009 | 255, 284 से 287, 290 से 291, 293 से 296, 298 से 301, 305 से 311, 314 से 317, एवं अन्य | 40 | उल्लेख नहीं | आयुक्त, नगर निगम | 16-12-2021 | 255, 284 से 287, 290 से 291, 293 से 296, 298 से 301, 305 से 311, 314 से 317 | 14.245 | आई.एस.बी.टी. | 25.755 | अप्रयुक्त रही |
| **कुल** | | | | | | **45.686** | | | | | **19.931** | | **25.755** | |

# परिशिष्ट-2.2.9

**(संदर्भ: कंडिका क्रमांक 2.2.11.1, पृष्ठ क्रमांक 69)**

**राजस्व अभिलेखों में हेराफेरी कर शासकीय भूमि की हानि**

**(क्षेत्रफल हेक्टेयर में)**

| स.क्र. | जिला | तहसील | ग्राम | सर्वे नं. | मिसल अभिलेख में दर्शाया गया क्षेत्रफल | वर्तमान खसरे के अनुसार क्षेत्रफल | मिसल क्षेत्रफल के सन्दर्भ में कमी |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | जबलपुर | जबलपुर | जोगीढाना | 16 | 0.45 | 0.045 | 0.405 |
| 2 | देवास | देवास शहरी | खजुरिया | 10 | 2.78 | 2.6 | 0.18 |
| 3 | ग्वालियर | मुरार | भंडेरी | 448/1 | 3.67 | 2.686 | 0.984 |
| 4 | | | | 319/1 | 2.91 | 2.283 | 0.627 |
| 5 | | | | 76/2 | 2.26 | 2.247 | 0.013 |
| 6 | | | लोहारपुर | 105 | 0.42 | 0.167 | 0.253 |
| 7 | | | | 91 | 0.82 | 0.157 | 0.663 |
| 8 | | तानसेन | किरावली | 20 | 3.19 | 1.39 | 1.8 |
| 9 | | | | 17 | 3.2 | 0.84 | 2.36 |
| 10 | | | | 299 | 0.22 | 0.09 | 0.13 |
| 11 | | | | 271 | 0.18 | 0.08 | 0.1 |
| 12 | | | | 208 | 0.04 | 0.03 | 0.01 |
| 13 | | | | 211 | 0.14 | 0.02 | 0.12 |
| 14 | सिंगरौली | सिंगरौली ग्रामीण | पतुलखी | 271 | 6.37 | 5.57 | 0.8 |
| 15 | | | | 284 | 5.06 | 4.66 | 0.4 |
| 16 | धार | गंधवानी | दोलाहनुमान | 259/1 | 123.87 | 121.17 | 0.962 |
| | | | | 259/2 | | 0.4 | |
| | | | | 259/3 | | 0.466 | |
| | | | | 259/4 | | 0.763 | |
| | | | | 259/5 | | 0.109 | |
| 17 | | | | 1 | 104.66 | 104.602 | 0.058 |
| 18 | | | | 27/1 | 105.07 | 99.375 | 5.695 |
| 19 | | सरदारपुर | गुमानपुरा | 2034/1949 | 220.296 | 216.736 | 3.56 |
| 20 | | कुक्षी | डेहरी | 1/1 | 20.2 | 18.796 | 1.404 |
| 21 | | | | 350/1 | 6.976 | 6.774 | 0.202 |
| 22 | | | खनियाअंबा | 1 | 116.75 | 116.58 | 0.17 |
| 23 | | | | 506/1 | 89.013 | 86.009 | 3.004 |

| स.क्र. | जिला | तहसील | ग्राम | सर्वे नं. | मिसल अभिलेख में दर्शाया गया क्षेत्रफल | वर्तमान खसरे के अनुसार क्षेत्रफल | मिसल क्षेत्रफल के सन्दर्भ में आधिक्य |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ग्वालियर | मुरार | भंडेरी | 31 | 4.21 | 4.4 | -0.19 |
| 2 | | | भंडेरी | 97 | 2.73 | 2.853 | -0.123 |
| 3 | | | भंडेरी | 9 | 0.22 | 0.23 | -0.01 |
| 4 | | | भंडेरी | 347 | 0.22 | 0.23 | -0.01 |
| 5 | | | भंडेरी | 29 | 0.21 | 0.219 | -0.009 |
| 6 | | | भंडेरी | 56/2 | 0.01 | 0.073 | -0.063 |
| 7 | | | भंडेरी | 152 | 0.07 | 0.073 | -0.003 |
| 8 | | | लोहारपुर | 45 | 0.06 | 20.324 | -20.264 |
| 9 | | | लोहारपुर | 59 | 0.09 | 7.458 | -7.368 |
| 10 | | | लोहारपुर | 27 | 0.24 | 1.76 | -1.52 |
| 11 | | | लोहारपुर | 9 | 0.2 | 3.26 | -3.06 |
| 12 | | | लोहारपुर | 20 | 0.24 | 3.627 | -3.387 |
| 13 | | तानसेन | फुसावली | 271 | 4.98 | 5.205 | -0.225 |
| 14 | | | | 238 | 4.8 | 5.017 | -0.217 |
| 15 | | | | 242 | 4.8 | 5.017 | -0.217 |
| 16 | | | | 41 | 4.72 | 4.944 | -0.224 |
| 17 | | | | 44 | 4.4 | 4.599 | -0.199 |
| 18 | | | | 939 | 0.44 | 0.46 | -0.02 |
| 19 | | | | 170 | 0.41 | 0.428 | -0.018 |
| 20 | | | किरावली | 256 | 0.2 | 0.59 | -0.39 |
| 21 | | | | 369 | 0.4 | 0.47 | -0.07 |
| 22 | | | | 219 | 0.35 | 0.39 | -0.04 |
| 23 | | | | 141 | 0.01 | 0.09 | -0.08 |
| 24 | भोपाल | हुजूर | मुंगालिया | 573 | 3.17 | 13.93 | -10.76 |
| 25 | | | | 564 | 3.77 | 6.31 | -2.54 |
| 26 | | | | 303 | 0.101 | 1.19 | -1.089 |
| 27 | | | | 167 | 0.081 | 1.77 | -1.689 |
| 28 | धार | गंधवानी | दोलाहनुमान | 260 | 340.879 | 341.125 | -0.246 |
| 29 | | | | 76/1 | 57.89 | 57.672 | -0.011 |
| | | | | 76/2 | | 0.229 | |
| 30 | | | | 263 | 0.209 | 0.408 | -0.199 |
| 31 | | कुक्षी | डेहरी | 383/1 | 7.595 | 7.641 | -0.046 |
| 32 | | | | 299 | 1.687 | 1.731 | -0.044 |
| 33 | | | खनियाअंबा | 2 | 108.262 | 108.283 | -0.021 |
| 34 | | | | 8 | 61.738 | 61.751 | -0.013 |
| 35 | | | | 83 | 55.228 | 55.238 | -0.01 |

| स.क्र. | जिला | तहसील | ग्राम | सर्वे नं. | मिसल अभिलेख में दर्शाया गया क्षेत्रफल | वर्तमान खसरे के अनुसार क्षेत्रफल | मिसल क्षेत्रफल के सन्दर्भ में आधिक्य |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | | कुक्षी | खनियाअंबा | 162 | 0.261 | 0.263 | -0.002 |
| 37 | | | | 506/4 | 0.219 | 0.261 | -0.042 |
| 38 | | | | 206 | 0.24 | 0.261 | -0.021 |
| 39 | | | | 418/2 | 0.052 | 0.084 | -0.032 |
| 40 | शहडोल | सोहागपुर | लालपुर | 2093/4/1 | 44.126 | 34.991 | -1.09 |
| | | | | 2093/1/1/1 | | 0.041 | |
| | | | | 2093/1/1/2 | | 0.202 | |
| | | | | 2093/1/1/3 | | 0.162 | |
| | | | | 2093/1/2 | | 0.809 | |
| | | | | 2093/2 | | 0.405 | |
| | | | | 2093/3 | | 0.607 | |
| | | | | 2093/4/2 | | 1 | |
| | | | | 2093/4/3 | | 1 | |
| | | | | 2093/4/4 | | 1 | |
| | | | | 2093/4/5 | | 1 | |
| | | | | 2093/4/6 | | 1 | |
| | | | | 2093/4/7 | | 1 | |
| | | | | 2093/4/8 | | 2 | |
| 41 | शहडोल | बुढ़ार | सोनहा | 152/1 | 29.863 | 31.097 | -1.2337 |
| 42 | | | | 162/1/1 | 3.61 | 2.217 | -0.607 |
| | | | | 162/1/2 | | 2 | |
| 43 | सिंगरौली | सिंगरौली शहरी | झिगुरदह | 400/1/1 | 24.28 | 23.69 | -0.04 |
| | | | | 400/2/2 | | 0.551 | |

## परिशिष्ट-2.2.10

**(संदर्भ: कंडिका क्रमांक 2.2.12.2, पृष्ठ क्रमांक 73)**

**जिलों द्वारा उपलब्ध कराए गए और मध्य प्रदेश भूलेख पोर्टल में दर्शाए गए आंकड़ो में अंतर**

**(31 मार्च 2022 की स्थिति में)**

**(क्षेत्रफल हेक्टेयर में)**

| स.क्र. | ज़िला | जिलों द्वारा उपलब्ध कराया गया शासकीय भूमि का क्षेत्रफल | | | एमपी भूलेख पोर्टल के अनुसार शासकीय भूमि का क्षेत्रफल | अंतर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | 7 (5-6) |
| | | शहरी | ग्रामीण | कुल | | |
| 1 | आगर-मालवा | 3306.72 | 73752.63 | 77059.35 | 76811.01 | 248.34 |
| 2 | बालाघाट | 6716.78 | 376261.59 | 382978.37 | 316238.50 | 66739.87 |
| 3 | बड़वानी | 6269.00 | 127054.00 | 133323.00 | 137946.01 | -4623.01 |
| 4 | भोपाल | 33065.36 | 76370.63 | 109435.99 | 95567.98 | 13868.01 |
| 5 | छिंदवाड़ा | 6514.08 | 286763.13 | 293277.21 | 375316.36 | -82039.15 |
| 6 | डिंडोरी | 38.82 | 76852.18 | 76891.00 | 78703.38 | -1812.38 |
| 7 | कटनी | 1676.58 | 6005.91 | 7682.49 | 153041.66 | -145359.17 |
| 8 | रतलाम | 3276.57 | 73930.98 | 77207.55 | 139891.08 | -62683.53 |
| 9 | उमरिया | 7830.14 | 225942.24 | 233772.38 | 233755.91 | 16.47 |
| 10 | बुरहानपुर | 205.98 | 9499.33 | 9705.31 | 35437.14 | -25731.83 |
| 11 | इंदौर | 11690.80 | 72885.91 | 84576.71 | 74397.34 | 10179.38 |
| 12 | खरगौन | 221.13 | 13617.32 | 13838.45 | 194522.62 | -180684.17 |
| 13 | नरसिंहपुर | 6.00 | 99569.00 | 99575.00 | 125428.13 | -25853.13 |
| 14 | पन्ना | 12935.59 | 158192.82 | 171128.40 | 149162.62 | 21965.78 |
| 15 | श्योपुर | 3373.00 | 486443.00 | 489816.00 | 445336.33 | 44479.67 |
| 16 | सीधी | 271.00 | 296761.00 | 297032.00 | 83306.77 | 213725.23 |
| 17 | नीमच | 7200.43 | 144182.58 | 151383.01 | 192933.76 | -41550.75 |

## परिशिष्ट-2.2.11

### (संदर्भ: कंडिका क्रमांक 2.2.12.4, पृष्ठ क्रमांक 75)

### एम.पी.एन.बी.एन.एन. के प्रावधानों का पालन न करने के कारण विकासकर्ता को अनुचित लाभ

| परियोजना स्थल का सारांश | | | |
|---|---|---|---|
| **परियोजना का विवरण** | **क्षेत्रफल (वर्ग मीटर में)** | **सर्वे नं.** | **स्थान** |
| परियोजना ए (नई कलेक्ट्रेट भवन) | 12,500 वर्गमीटर | | वर्तमान कलेक्ट्रेट परिसर |
| परियोजना बी (72 शासकीय आवास इकाइयाँ) | 11159 वर्गमीटर | | सिविल लाइंस |
| | **सी.एल.पी. का क्षेत्र** | **सर्वे नं.** | **स्थान** |
| सीएलपी-1 | 4,500 वर्गमीटर | 110/2 | वर्तमान कलेक्ट्रेट परिसर, देवास जूनियर |
| सीएलपी-2 | 4,960 वर्गमीटर (413.87+4,546.13 वर्गमीटर) | 415/2<br>440/1/2 | शासकीय आवास भूमि, मेढाकी रोड, देवास जूनियर के पास |
| **सी.एल.पी. का कुल क्षेत्रफल** | **9,460 वर्ग मीटर** | | |

## परिशिष्ट-2.3.1

**(संदर्भ: कंडिका क्रमांक 2.3.5, पृष्ठ संख्या 87)**

**चयनित जिलों, जनपद पंचायत/नगर निगम/पालिका एवं ग्राम पंचायत/वार्ड का विवरण**

| क्र.सं. | संभाग | जिला | चयनित जनपद पंचायत एवं नगर निगम/नगर पालिका का नाम | ग्राम पंचायत /वार्ड |
|---|---|---|---|---|
| 1 | भोपाल | भोपाल | जनपद पंचायत, फंदा ग्रामीण | नरोन्हा सांकल |
| | | | नगर निगम, भोपाल | वार्ड क्रमांक 42 |
| 2 | ग्वालियर | ग्वालियर | जनपद पंचायत, घाटीगांव | बरई |
| | | | नगर निगम, ग्वालियर | वार्ड क्रमांक 60 |
| 3 | नर्मदापुरम | होशंगाबाद | जनपद पंचायत, सोहागपुर | शोभापुर |
| | | | नगर पालिका, होशंगाबाद | वार्ड क्रमांक 25 |
| 4 | चंबल | भिंड | जनपद पंचायत, गोहद | बिरखेड़ी |
| | | | नगर पालिका, भिण्ड | वार्ड क्रमांक 10 |
| 5 | इंदौर | इंदौर | जनपद पंचायत, इंदौर ग्रामीण | कलारिया |
| | | | नगर निगम, इंदौर | वार्ड क्रमांक 76 |
| 6 | जबलपुर | जबलपुर | जनपद पंचायत, सिहोरा | फनवानी |
| | | | नगर निगम, जबलपुर | वार्ड क्रमांक 78 |
| 7 | रीवा | सतना | जनपद पंचायत, मैहर | जीतनगर |
| | | | नगर निगम, सतना | सतना वार्ड क्रमांक 22 |
| 8 | सागर | छतरपुर | जनपद पंचायत, छतरपुर/ ईशानगर | मोरवा |
| | | | नगर पालिका, छतरपुर | वार्ड क्रमांक 8 |
| 9 | शाहडोल | उमरिया | जनपद पंचायत, मानपुर | चाँदवार |
| | | | नगर पालिका, उमरिया | वार्ड क्रमांक 3 |
| 10 | उज्जैन | देवास | जनपद पंचायत, कन्नौद | नन्सा |
| | | | नगर निगम, देवास | वार्ड क्रमांक 7 |

**परिशिष्ट-2.3.2**

**(संदर्भ: कंडिका क्रमांक 2.3.6.1, पृष्ठ संख्या 89)**

**अपील प्रकरणों जिनमें अपीलीय प्राधिकारी ने आवेदक को पंजीकरण के लिए पात्र घोषित किया का विवरण**

| स. क्र. | अपीलीय प्राधिकारी | अपील प्रकरणों की संख्या | प्रकरणों की संख्या जिनमें अपील अस्वीकृत/ रद्द की गई | प्रकरणों की संख्या जिनमें अपील स्वीकार की गई/ विसंगतियां सुधारी गई | अन्य मुद्दों अर्थात मृत्यु के दिनांक में संशोधन आदि की संख्या | प्रकरणों की संख्या जिनमें अपीलीय प्राधिकारी ने अपात्र श्रमिक को पात्र घोषित किया |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, भिण्ड | 23 | 0 | 23 | 03 | 20 |
| 2 | कलेक्टर, भोपाल | 317 | 0 | 317 | 0 | 317 |
| 3 | अपर कलेक्टर, छतरपुर | 101 | 31 | 70 | 0 | 70 |
| 4 | जिला कलेक्टर, देवास | 126 | 0 | 126 | 0 | 126 |
| 5 | अपर कलेक्टर, ग्वालियर | 265 | 0 | 265 | 159 | 106 |
| 6 | अपर कलेक्टर, होशंगाबाद | 51 | 16 | 35 | 0 | 35 |
| 7 | कलेक्टर, इंदौर | 286 | 0 | 286 | 0 | 286 |
| 8 | कलेक्टर कार्यालय, जबलपुर | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | अपर कलेक्टर, सतना | 42 | 1 | 41 | 21 | 20 |
| 10 | अपर कलेक्टर, उमरिया | 109 | 4 | 105 | 0 | 105 |
| | **योग** | **1,320** | **52** | **1,268** | **183** | **1,085** |

## परिशिष्ट-2.3.3
## (संदर्भ: कंडिका क्रमांक 2.3.6.1, पृष्ठ संख्या 89)
## असंगठित श्रमिकों के लंबित भौतिक सत्यापन का विवरण

| स. क्र. | पदाभिहित कार्यालयों के नाम | पंजीकृत असंगठित श्रमिकों की संख्या | श्रमिकों जिनका भौतिक सत्यापन किया गया की संख्या | भौतिक सत्यापन हेतु लंबित असंगठित श्रमिकों की संख्या |
|---|---|---|---|---|
| 1 | जनपद पंचायत, गोहद, भिंड | 42,189 | 41,071 | 1,118 |
| | नगर पालिका, भिंड | 51,708 | 46,060 | 5,648 |
| 2 | नगर पालिका, छतरपुर | 33,931 | 31,497 | 2,434 |
| | जनपद पंचायत छतरपुर | 70,445 | 64,256 | 6,189 |
| 3 | नगर निगम, देवास | 51,955 | 51,935 | 20 |
| | जनपद पंचायत, कन्नौद, देवास | 60,896 | 59,752 | 1,144 |
| 4 | जनपद पंचायत, घाटीगांव, ग्वालियर | 41,437 | 39,799 | 1,638 |
| | नगर निगम, ग्वालियर | 2,20,747 | 1,45,833 | 74,914 |
| 5 | जनपद पंचायत, सोहागपुर, होशंगाबाद | 40,116 | 39,939 | 177 |
| | नगर पालिका, होशंगाबाद | 22,677 | 22,341 | 336 |
| 6 | जनपद पंचायत, ग्रामीण, इंदौर | 58,641 | 53,362 | 5,279 |
| | नगर निगम, इंदौर | 4,37,234 | 4,37,234 | 0 |
| 7 | नगर निगम, जबलपुर | 2,56,544 | 2,56,197 | 347 |
| | जनपद पंचायत, सिहोरा, जबलपुर | 46,739 | 46,728 | 11 |
| 8 | नगर निगम, सतना | 63,065 | 62,515 | 550 |
| | जनपद पंचायत, मैहर, सतना | 67,788 | 67,415 | 373 |
| 9 | नगर पालिका, उमरिया | 3,640 | 3,506 | 134 |
| | जनपद पंचायत मानपुर उमरिया | 75,844 | 75,218 | 626 |
| | **योग** | **16,45,596** | **15,44,658** | **1,00,938** |

## परिशिष्ट-2.3.4
## (संदर्भ: कंडिका क्रमांक 2.3.7.2(अ), पृष्ठ संख्या 96)
## व्यक्तियों जो मृत श्रमिक के परिवार के सदस्य नहीं थे के बैंक खातों में किए गए भुगतान का विवरण

**(₹ लाख में)**

| स. क्र. | मृत असंगठित श्रमिक का नाम/श्रमिक आई.डी./ जनपद पंचायत | भुगतान की गई अनुग्रह राशि | अनुग्रह राशि जिसे भुगतान की गयी | समग्र के परिवार डेटा के सत्यापन से पता चला |
|---|---|---|---|---|
| 1. | कलावती / श्रमिक आई.डी. 117790247/ जनपद पंचायत, शाहपुर, बैतूल | 2.00 | पुनिया | लाभार्थी मृत असंगठित श्रमिक के परिवार का सदस्य नहीं है। |
| 2. | राधा बाई राधेश्याम/ श्रमिक आई.डी. 105382457/ जनपद पंचायत, सेगॉन, खरगौन | 2.00 | लीलाबाई ख्यालसिंह | लाभार्थी मृत असंगठित श्रमिक के परिवार का सदस्य नहीं है। |
| 3. | वन्दना कोरी/ श्रमिक आई.डी. 104618843 / जनपद पंचायत, सिहोरा, जबलपुर | 2.00 | संतोष कुमार चौधरी | ई.पी.ओ. पर नवनीत कोरी (मृतक श्रमिक का पति) का उल्लेख था। जबकि, अनुग्रह राशि संतोष कुमार चौधरी के बैंक खाते में जमा की गई थी, जो मृत श्रमिक से संबंधित नहीं है। |
| 4. | ओमप्रकाश गोटिया/ श्रमिक आई.डी. 126484716 जनपद पंचायत, कटनी | 2.00 | श्यामलाल चौधरी | लाभार्थी मृत असंगठित श्रमिक के परिवार का सदस्य नहीं है। |
| 5. | राम जी कुशवाहा, श्रमिक आई.डी. 134034705 जनपद पंचायत, घनसोर, सिवनी | 2.00 | मंती बाई उइके | लाभार्थी मृत श्रमिक के परिवार का सदस्य नहीं है। |
| 6. | महेश धुर्वे श्रमिक आई.डी. 121462902 जनपद पंचायत, छिंदवाड़ा | 2.00 | मैना चंद्रवंशी | लाभार्थी मृत श्रमिक के परिवार का सदस्य नहीं है। |
| 7. | रामचरण चिड़ार श्रमिक आई.डी. 186586708 जनपद पंचायत, शिवपुरी | 2.00 | जगदीश कुशवाहा | लाभार्थी मृत श्रमिक के परिवार का सदस्य नहीं है। |
| | **योग** | **14.00** | | |

**(स्रोत: संबल पोर्टल डेटा)**

## परिशिष्ट-2.3.5

**(संदर्भ: कंडिका क्रमांक 2.3.7.2 (स), पृष्ठ संख्या 98)**

**प्रकरणों जिनमें संबल एवं बी.ओ.सी.डब्ल्यू. दोनों योजनाओं से सहायता राशि का भुगतान किया गया का विवरण**

**(₹ लाख में)**

| स. क्र. | पंचायती राज संस्था/शहरी स्थानीय निकाय का नाम | पंजीकृत श्रमिक का नाम | संबल आई.डी. | बी.ओ.सी. डब्ल्यू. आई.डी. | योजना का नाम | लाभार्थी का नाम | भुगतान राशि | स्वीकृति का दिनांक / भुगतान का दिनांक | लेखापरीक्षा टिप्पणियाँ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | आयुक्त, नगर निगम, जबलपुर | करण सिंह | 190503021 | KS2041337 | संबल | गोजा बाई | 2.00 | 03.09.2019<br>10.07.2020 | दोनों योजनाओं में अलग-अलग मृत्यु तिथि वाले मृत्यु प्रमाण पत्र का उपयोग किया गया (संबल में मृत्यु तिथि 05.08.2019 एवं बी.ओ.सी.डब्ल्यू. में मृत्यु का दिनांक 28.11.2020 था) तथा दोनों योजनाओं से लाभ वितरित किया गया। संबल में उपयोग किए गए मृत्यु प्रमाण पत्र को मृत्यु डेटा (सांख्यिकीय विभाग) से सत्यापित किया गया था, हालांकि बी.ओ.सी.डब्ल्यू. में उपयोग किए गए मृत्यु प्रमाण पत्र मृत्यु डेटा में अभिलिखित नहीं पाया गया। आगे के जांच से पता चला कि बी.ओ.सी.डब्ल्यू. दावे में ई.पी.ओ. गुजा बाई (वास्तविक लाभार्थी) का नाम दर्ज करके तैयार किया गया था, लेकिन प्रयुक्त किया गया खाता नंबर किसी |
| | | | | | बी.ओ.सी. डब्ल्यू. | गुजा बाई | 2.06 | 07.12.2020<br>09.12.2020 | |

| स. क्र. | पंचायती राज संस्था/शहरी स्थानीय निकाय का नाम | पंजीकृत श्रमिक का नाम | संबल आई.डी. | बी.ओ.सी. डब्ल्यू. आई.डी. | योजना का नाम | लाभार्थी का नाम | भुगतान राशि | स्वीकृति का दिनांक / भुगतान का दिनांक | लेखापरीक्षा टिप्पणियाँ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | अन्य व्यक्ति श्री अब्दुल मजीद का था, जिसके परिणामस्वरूप कपटपूर्ण भुगतान हुआ। |
| 2 | आयुक्त, नगर निगम, जबलपुर | बाहिदा बेगम | 180347112 | निरंक | संबल | इस्तखार अली | 2.00 | 26.08.2021<br>27.09.2021 | संबल में उत्तराधिकारी इस्तखार अली को भुगतान किया गया। बी.ओ.सी.डब्ल्यू. में इस्तखार अली को भुगतान स्वीकृत किया गया, लेकिन भुगतान अन्य व्यक्ति, श्री मोहम्मद अजरुद्दीन अंसारी के खाते में जमा किया गया, जो मृत श्रमिक के परिवार का सदस्य नहीं था। |
| | | | | | बी.ओ.सी.डब्ल्यू. | इस्तखार | 2.06 | 02.03.2021<br>05.03.2021 | |
| 3 | आयुक्त, नगर निगम, जबलपुर | सोमनाथ कुमार | 176167875 | SK2027664 | संबल | शकुन केवट | 2.05 | 07.08.2020<br>22.01.2021 | दोनों योजनाओं में अलग-अलग मृत्यु तिथि वाले मृत्यु प्रमाण पत्र का उपयोग किया गया (संबल में मृत्यु का दिनांक 02.04.2020 एवं बी.ओ.सी.डब्ल्यू. में मृत्यु का दिनांक 27.09.2020 था) एवं लाभ संवितरित किया गया। संबल में उपयोग किए गए मृत्यु प्रमाण पत्र को मृत्यु डेटा (सांख्यिकीय विभाग) के रेकार्ड से सत्यापित किया गया। बी.ओ.सी.डब्ल्यू. में उपयोग में लाए गए मृत्यु प्रमाणपत्र का विवरण मृत्यु डेटा में नहीं |
| | | | | | बी.ओ.सी.डब्ल्यू. | शकुन बाई केवट | 2.06 | 15.10.2020<br>16.10.2020 | |

| स. क्र. | पंचायती राज संस्था/शहरी स्थानीय निकाय का नाम | पंजीकृत श्रमिक का नाम | संबल आई.डी. | बी.ओ.सी. डब्ल्यू. आई.डी. | योजना का नाम | लाभार्थी का नाम | भुगतान राशि | स्वीकृति का दिनांक / भुगतान का दिनांक | लेखापरीक्षा टिप्पणियाँ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | पाया गया। बी.ओ.सी.डब्ल्यू. में, ई.पी.ओ. शकुन बाई केवट के नाम पर स्वीकृत किया गया था, लेकिन श्री विनोद कुमार श्रीवास्तव के खाता संख्या का उपयोग किया गया एवं उनके बैंक खाते में कपटपूर्वक लाभ जमा किया गया। |
| 4 | आयुक्त, नगर निगम, जबलपुर | गणेश कुमार रजक | 171352966 | GR2027655 | संबल | गुड्डी बाई | 2.05 | 22.10.2019<br>22.01.2021 | दोनों योजनाओं में अलग-अलग मृत्यु के दिनांक वाले मृत्यु प्रमाणपत्रों का उपयोग किया गया (संबल में मृत्यु का दिनांक 30.09.2019 एवं बी.ओ.सी.डब्ल्यू. में मृत्यु का दिनांक 28.09.2020 था) तथा लाभ संवितरित किया गया। संबल में भुगतान लाभार्थी गुड्डी बाई को किया गया परन्तु बी.ओ.सी.डब्ल्यू. में भुगतान अन्य व्यक्ति श्री महमूद खान एवं श्रीमती नज़मा परवीन को किया गया जो मृतक श्रमिक से संबंधित नहीं थे। |
| | | | | | बी.ओ.सी. डब्ल्यू | गुड्डी बाई रजक | 2.06 | 06.10.2020<br>07.10.2020 | |
| 5 | आयुक्त, नगर निगम, जबलपुर | शीला दहिया | 169847247 | SD2027046 | संबल | नरेश कुमार दहिया | 2.00 | 19.09.2019<br>लंबित | दोनों योजनाओं में अलग-अलग मृत्यु के दिनांक वाले मृत्यु प्रमाणपत्रों का उपयोग |

| स. क्र. | पंचायती राज संस्था/शहरी स्थानीय निकाय का नाम | पंजीकृत श्रमिक का नाम | संबल आई.डी. | बी.ओ.सी. डब्ल्यू. आई.डी. | योजना का नाम | लाभार्थी का नाम | भुगतान राशि | स्वीकृति का दिनांक / भुगतान का दिनांक | लेखापरीक्षा टिप्पणियाँ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | बी.ओ.सी. डब्ल्यू. | नरेश कुमार दहिया | 2.06 | 06.10.2020<br>07.10.2020 | किया गया (संबल में मृत्यु का दिनांक 10.06.2019 एवं बी.ओ.सी.डब्ल्यू. में मृत्यु का दिनांक 26.09.2020 था) तथा लाभ संवितरित किया गया। संबल में उपयोग किए गए मृत्यु प्रमाण पत्र का सत्यापन मृत्यु डेटा (सांख्यिकीय विभाग) से किया गया, यद्यपि, बी.ओ.सी.डब्ल्यू. में उपयोग में लाए गए मृत्यु प्रमाण पत्र का रिकार्ड मृत्यु डेटा में नहीं पाया गया। संबल में भुगतान वास्तविक लाभार्थी को किया गया, लेकिन बी.ओ.सी.डब्ल्यू. में भुगतान सुश्री मुन्नी बेगम को किया गया जो मृत श्रमिक के परिवार की सदस्य नहीं थीं। |
| 6 | आयुक्त, नगर निगम, जबलपुर | सुनीता कोरी | 169711826 | SK2030748 | संबल | मुकेश कोरी | 4.00 | 06.08.2019<br>07.11.2019 | दोनों योजनाओं में अलग-अलग मृत्यु के दिनांक वाले मृत्यु प्रमाणपत्रों का उपयोग किया गया (संबल में मृत्यु का दिनांक 18.06.2019 एवं बी.ओ.सी.डब्ल्यू. में मृत्यु का दिनांक 16.11.2020 था) तथा लाभ संवितरित किया गया। संबल में उपयोग किए गए मृत्यु प्रमाण पत्र को मृत्यु डेटा |
| | | | | | बी.ओ.सी. डब्ल्यू. | अंशुल कोरी | 2.06 | 27.11.2020<br>30.11.2020 | |

| स. क्र. | पंचायती राज संस्था/शहरी स्थानीय निकाय का नाम | पंजीकृत श्रमिक का नाम | संबल आई.डी. | बी.ओ.सी. डब्ल्यू. आई.डी. | योजना का नाम | लाभार्थी का नाम | भुगतान राशि | स्वीकृति का दिनांक / भुगतान का दिनांक | लेखापरीक्षा टिप्पणियाँ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | (सांख्यिकीय विभाग) से सत्यापित किया गया। यद्यपि बी.ओ.सी.डब्ल्यू. में उपयोग में लाए गए मृत्यु प्रमाण पत्र का अभिलेख मृत्यु डेटा में नहीं पाया गया। आगे की जाँच में पता चला कि बी.ओ.सी.डब्ल्यू. दावे में लाभ अंशुल कोरी के नाम पर स्वीकृत किया गया था, लेकिन कपटपूर्वक श्री सिराजुद्दीन का बैंक खाता संख्या का उपयोग किया गया जो मृत श्रमिक के परिवार का सदस्य नहीं था। |
| 7 | आयुक्त, नगर निगम, जबलपुर | नीतू साहू | 159362957 | NS2023336 | संबल | मुन्ना साहू | 2.00 | 24.09.2019<br>10.07.2020 | दोनों योजनाओं में अलग-अलग दिनांकों वाले मृत्यु प्रमाणपत्रों उपयोग किया गया (संबल में मृत्यु का दिनांक 15.05.2019 एवं बी.ओ.सी.डब्ल्यू. में मृत्यु का दिनांक 16.10.2020 था) तथा लाभ स्वीकृत किया गया। संबल में प्रयुक्त मृत्यु प्रमाणपत्र को मृत्यु डेटा (सांख्यिकीय विभाग) से सत्यापित किया गया। यद्यपि बी.ओ.सी.डब्ल्यू. में प्रयुक्त मृत्यु प्रमाणपत्र मृत्यु डेटा में नहीं पाया गया। बैंक विवरण से पता चला कि संबल योजना के अंतर्गत किया गया |
| | | | | | बी.ओ.सी. डब्ल्यू. | मुन्ना साहू | 2.06 | 23.10.2020<br>26.10.2020 | |

| स. क्र. | पंचायती राज संस्था/शहरी स्थानीय निकाय का नाम | पंजीकृत श्रमिक का नाम | संबल आई.डी. | बी.ओ.सी. डब्ल्यू. आई.डी. | योजना का नाम | लाभार्थी का नाम | भुगतान राशि | स्वीकृति का दिनांक<br>भुगतान का दिनांक | लेखापरीक्षा टिप्पणियाँ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | भुगतान लाभार्थी (मुन्ना साहू) के बैंक खाते में जमा किया गया था। बी.ओ.सी.डब्ल्यू. के अंतर्गत किया गया भुगतान अन्य व्यक्ति (सुश्री शिखा कहार खाता संख्या xxxxxxx2783 आई.एफ.एस.सी. एम.ए.एच.बी.0001135) के बैंक खाते में जमा किया गया था। |
| 8 | आयुक्त, नगर पालिका निगम, मुरैना | मंगल सिंह | 172555058 | निरंक | संबल | पूनम | 4.00 | 04.06.2018<br>12.07.2018 | संबल योजना में अनुग्रह सहायता पूनम (खाता सं. xxxxxxxxxxx9288 बी.के.आई.डी.0009028) के नाम पर स्वीकृत की गई थी, जबकि बी.ओ.सी.डब्ल्यू. योजना में ई.पी.ओ. मृतक मंगल सिंह के नाम का उपयोग करके तैयार किया गया था एवं सुरजीत सिंह, जो मृतक श्रमिक के परिवार का सदस्य नहीं था, के बैंक खाते (खाता सं. xxxxxxx2588 एस.बी.आई.एन.0005782) का उपयोग राशि जमा करने के लिए किया गया था। |
| | | | | | बी.ओ.सी. डब्ल्यू. | मंगल सिंह | 4.00 | 11.06.2018<br>12.06.2018 | |
| 9 | | | 161391503 | JD2053437 | संबल | | 2.00 | 23.09.2020 | |

| स. क्र. | पंचायती राज संस्था/शहरी स्थानीय निकाय का नाम | पंजीकृत श्रमिक का नाम | संबल आई.डी. | बी.ओ.सी. डब्ल्यू. आई.डी. | योजना का नाम | लाभार्थी का नाम | भुगतान राशि | स्वीकृति का दिनांक / भुगतान का दिनांक | लेखापरीक्षा टिप्पणियाँ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | सी.ई.ओ., जनपद पंचायत, कैलारस, मुरैना | जसवंत धाकड़ | | | | कंचनिया धाकड़ | | 15.02.2021 | संबल योजना में अनुग्रह सहायता लाभार्थी सुश्री कंचनिया (खाता सं. xxxxxx1764 सी.बी.आई.एन.0282175) के नाम पर स्वीकृत की गई। बी.ओ.सी.डब्ल्यू. योजना में ई.पी.ओ. कंचनिया के नाम से तैयार किया गया, लेकिन राशि भेजने के लिए बैंक खाता रवि कुमार धाकड़ (खाता सं. xxxxxx7721, सी.बी.आई.एन. 0280782) नाम के अन्य व्यक्ति का उपयोग किया गया जो मृतक श्रमिक के परिवार का सदस्य नहीं था। |
| | | | | | बी.ओ.सी. डब्ल्यू | कंचनिया | 2.06 | 12.06.2021 | |
| | | | | | | | | 14.06.2021 | |
| 10 | सी.ई.ओ., जनपद पंचायत , रामपुर बाघेलन, सतना | रमेश आदिवासी | 105016775 | RA1924472 | संबल | कुसुमकली आदिवासी | 4.00 | 29.08.2019 | संबल एवं बी.ओ.सी.डब्ल्यू.योजना अंतर्गत, प्रत्येक योजना में राशि ₹ 4.00 लाख कुसुमकली आदिवासी के नाम पर स्वीकृत की गई थी। यद्यपि, बैंक खाते के विवरण से पता चला कि बी.ओ.सी.डब्ल्यू. के ₹ 4.00 लाख का भुगतान अन्य व्यक्ति श्री शैलेन्द्र प्रताप सिंह को किया गया था, जो मृतक श्रमिक के परिवार का सदस्य नहीं था। |
| | | | | | | | | 06.05.2021 | |
| | | | | | बी.ओ.सी. डब्ल्यू. | कुसुमकली आदिवासी | 4.00 | 25.06.2019 | |
| | | | | | | | | 26.09.2019 | |
| 11 | | | 159169226 | SP2339326 | संबल | | 2.00 | 12.02.2022 | |

| स. क्र. | पंचायती राज संस्था/शहरी स्थानीय निकाय का नाम | पंजीकृत श्रमिक का नाम | संबल आई.डी. | बी.ओ.सी. डब्ल्यू. आई.डी. | योजना का नाम | लाभार्थी का नाम | भुगतान राशि | स्वीकृति का दिनांक / भुगतान का दिनांक | लेखापरीक्षा टिप्पणियाँ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | आयुक्त, नगर निगम, जबलपुर | संजय पिल्लै | | | | नमिता पिल्लै | | 17.05.2022 | संबल योजना एवं बी.ओ.सी.डब्ल्यू. का लाभ समान लाभार्थी को दिया गया। |
| | | | | | बी.ओ.सी. डब्ल्यू. | नमिता पिल्लै | 2.06 | 14.01.2022 | |
| | | | | | | | | 15.01.2022 | |
| 12 | सी.एम.ओ., नगर पालिका, होशंगाबाद | कैलाश राव | 172826207 | KR2382071 | संबल | पगरूटकर गीताबाई | 2.00 | 29.07.2021 | संबल योजना एवं बी.ओ.सी.डब्ल्यू. का लाभ समान लाभार्थी को दिया गया। |
| | | | | | | | | 23.05.2022 | |
| | | | | | बी.ओ.सी. डब्ल्यू. | गीता कैलाश राव | 2.06 | 15.12.2021 | |
| | | | | | | | | 17.12.2021 | |
| 13 | आयुक्त, नगर निगम, इंदौर | राहुल मिश्रा | 114692376 | RM191694 0 | संबल | दीपिका मिश्रा | 2.05 | 05.12.2019 | संबल योजना एवं बी.ओ.सी.डब्ल्यू. का लाभ समान लाभार्थी को दिया गया। |
| | | | | | | | | 28.09.2021 | |
| | | | | | बी.ओ.सी. डब्ल्यू. | दीपिका राहुल | 2.06 | 11.02.2020 | |
| | | | | | | | | 12.02.2020 | |
| 14 | आयुक्त, नगर निगम, जबलपुर | उषा शर्मा | 172130948 | US2041329 | संबल | विजय शर्मा | 4.05 | 06.02.2019 | दोनों योजनाओं में अलग-अलग दिनांकों वाले मृत्यु प्रमाणपत्रों (संबल में मृत्यु दिनांक 03.12.2018 एवं बी.ओ.सी.डब्ल्यू. में मृत्यु दिनांक 07.12.2020) का उपयोग किया गया एवं दोनों योजनाओं में लाभ वितरित किया गया। संबल में उपयोग किए गए मृत्यु प्रमाण पत्र को मृत्यु डेटा (सांख्यिकीय |
| | | | | | | | | 08.05.2019 | |
| | | | | | बी.ओ.सी. डब्ल्यू. | विजय शर्मा | 2.06 | 21.12.2020 | |
| | | | | | | | | 17.05.2022 | |

| स. क्र. | पंचायती राज संस्था/शहरी स्थानीय निकाय का नाम | पंजीकृत श्रमिक का नाम | संबल आई.डी. | बी.ओ.सी. डब्ल्यू. आई.डी. | योजना का नाम | लाभार्थी का नाम | भुगतान राशि | स्वीकृति का दिनांक / भुगतान का दिनांक | लेखापरीक्षा टिप्पणियाँ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | विभाग) से सत्यापित किया गया एवं सही पाया गया जबकि बी.ओ.सी.डब्ल्यू. दावे में उपयोग किए गए मृत्यु प्रमाण पत्र का विवरण मृत्यु डेटा में नहीं पाया गया। |
| 15 | आयुक्त, नगर निगम, जबलपुर | खलिक अंसारी | 171392957 | KA2303497 | संबल | शाहीन | 2.00 | 07.02.2019<br>20.04.2019 | दोनों योजनाओं में अलग-अलग दिनांकों वाले मृत्यु प्रमाणपत्रों (संबल में मृत्यु का दिनांक 21.11.2018 एवं बी.ओ.सी.डब्ल्यू. में दिनांक 13.10.2021) का उपयोग किया गया एवं दोनों योजनओं में लाभ वितरित किया गया। |
| | | | | | बी.ओ.सी. डब्ल्यू. | शाहीन | 2.06 | 03.02.2022<br>09.02.2022 | |
| 16 | आयुक्त, नगर निगम, जबलपुर | मनोज कुमार | 170112011 | MK192631 6 | संबल | सावित्री बाई | 2.00 | 03.09.2019<br>20.04.2019 | संबल योजना एवं बी.ओ.सी.डब्ल्यू. का लाभ समान लाभार्थी को दिया गया। |
| | | | | | बी.ओ.सी. डब्ल्यू. | सावित्री बाई | 2.06 | 22.02.2020<br>24.02.2020 | |
| 17 | आयुक्त, नगर निगम, जबलपुर | राजेंद्र प्रसाद मल्लाह | 121489028 | RM233931 4 | संबल | दीपा मल्लाह | 2.00 | 19.04.2022<br>17.05.2022 | संबल योजना एवं बी.ओ.सी.डब्ल्यू. का लाभ समान लाभार्थी को दिया गया। |
| | | | | | बी.ओ.सी. डब्ल्यू. | दीपा | 2.06 | 28.10.2021<br>02.11.2021 | |
| 18 | | | 190729929 | SK2293235 | संबल | | 2.05 | 07.07.2020 | |

| स. क्र. | पंचायती राज संस्था/शहरी स्थानीय निकाय का नाम | पंजीकृत श्रमिक का नाम | संबल आई.डी. | बी.ओ.सी. डब्ल्यू. आई.डी. | योजना का नाम | लाभार्थी का नाम | भुगतान राशि | स्वीकृति का दिनांक / भुगतान का दिनांक | लेखापरीक्षा टिप्पणियाँ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | सी.ई.ओ., जनपद पंचायत , कैलारस, मुरैना | सुनीता कुशवाह | | | | श्री निवास कुशवाह | | 04.01.2021 | संबल योजना एवं बी.ओ.सी.डब्ल्यू. का लाभ समान लाभार्थी को दिया गया। |
| | | | | | बी.ओ.सी. डब्ल्यू. | श्री निवास कुशवाह | 2.06 | 24.09.2021<br>28.09.2021 | |
| 19 | आयुक्त नगर पालिका निगम मुरैना | अविनाश वामिक | 137583544 | निरंक | संबल | घनश्याम | 2.00 | 05.07.2018<br>12.07.2018 | संबल में लाभ लाभार्थी श्री घनश्याम को दिया गया जबकि बी.ओ.सी.डब्ल्यू. योजना में लाभ घनश्याम के नाम पर स्वीकृत किया गया परन्तु ई.पी.ओ. में उपयोग किया गया खाता नंबर श्री सोनू माहेश्वरी का था एवं इस खाते में कपटपूर्वक ₹ 2.00 लाख जमा किया गया। |
| | | | | | बी.ओ.सी. डब्ल्यू. | घनश्याम | 2.00 | 08.07.2018<br>09.07.2018 | |
| **संबल राशि कुल** | | | | | | | **46.25** | | |
| **बी.ओ.सी.डब्ल्यू. राशि कुल** | | | | | | | **42.96** | | |
| **कुल योग** | | | | | | | **89.21** | | |

**(स्रोत: संबल पोर्टल डेटा)**

## परिशिष्ट-2.3.6

**(संदर्भ: कंडिका क्रमांक 2.3.7.2(द), पृष्ठ संख्या 98)**

**प्रकरणों जिनमें संबल लाभार्थियों को राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना के अंतर्गत अनियमित रूप से सहायता का भुगतान किया गया का विवरण**

| स. क्र. | पदाभिहित कार्यालयों का नाम | श्रमिक आई.डी. | संबल योजना के अंतर्गत सहायता | | राष्ट्रीय परिवार सहायता के अंतर्गत सहायता | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | राशि (₹) | भुगतान दिनांक | राशि (₹) | भुगतान दिनांक |
| 1 | नगर पालिका, भिण्ड | 167516496 | 2,00,000 | 10.02.2019 | 20,000 | 07.10.2019 |
| 2 | | 168555027 | 2,00,000 | 10.02.2019 | 20,000 | 07.10.2019 |
| 3 | | 168577984 | 2,00,000 | 21.04.2020 | 20,000 | 07.10.2019 |
| 4 | | 169086239 | 2,00,000 | 10.02.2019 | 20,000 | 07.10.2019 |
| 5 | | 185660223 | 2,00,000 | 10.02.2019 | 20,000 | 21.06.2019 |
| 6 | | 186599661 | 2,00,000 | 21.04.2020 | 20,000 | 07.10.2019 |
| 7 | | 189221817 | 2,00,000 | 31.12.2018 | 20,000 | 07.10.2019 |
| 8 | | 189684692 | 2,00,000 | 10.02.2019 | 20,000 | 21.06.2019 |
| 9 | | 190147956 | 2,00,000 | 21.04.2020 | 20,000 | 07.10.2019 |
| 10 | | 168151938 | 2,00,000 | 13.06.2018 | 20,000 | 09.01.2019 |
| 11 | | 183045353 | 2,00,000 | 15.01.2021 | 20,000 | 07.10.2019 |
| 12 | | 169276343 | 2,00,000 | 26.12.2019 | 20,000 | 07.10.2019 |
| 13 | जनपद पंचायत, गोहद, भिंड | 190366204 | 2,00,000 | 16.05.2019 | 20,000 | 21.06.2019 |
| 14 | | 186042590 | 2,00,000 | 16.05.2019 | 20,000 | 31.08.2018 |
| 15 | | 133817466 | 2,00,000 | 14.08.2019 | 20,000 | 26.09.2018 |
| 16 | | 140279806 | 4,00,000 | 27.10.2021 | 20,000 | 15.06.2020 |
| 17 | | 142629013 | 2,00,000 | 12.04.2021 | 20,000 | 06.12.2019 |
| 18 | | 149439902 | 2,00,000 | 14.01.2021 | 20,000 | 25.09.2019 |
| 19 | | 163298875 | 2,00,000 | 15.01.2020 | 20,000 | 15.06.2020 |
| 20 | | 165048753 | 2,00,000 | 15.07.2020 | 20,000 | 22.10.2019 |
| 21 | | 140607677 | 2,00,000 | 14.06.2019 | 20,000 | 29.03.2019 |
| 22 | | 168721579 | 2,00,000 | 15.01.2020 | 20,000 | 22.10.2019 |
| 23 | जनपद पंचायत, छतरपुर | 115750421 | 2,00,000 | 13.03.2019 | 20,000 | 24.07.2020 |
| 24 | | 154805650 | 2,00,000 | 13.03.2019 | 20,000 | 17.02.2020 |
| 25 | | 113078693 | 2,00,000 | 13.03.2019 | 20,000 | 07.10.2019 |
| 26 | | 173538319 | 2,00,000 | 07.01.2020 | 20,000 | 09.09.2020 |

| स. क्र. | पदाभिहित कार्यालयों का नाम | श्रमिक आई.डी. | संबल योजना के अंतर्गत सहायता | | राष्ट्रीय परिवार सहायता के अंतर्गत सहायता | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | राशि (₹) | भुगतान दिनांक | राशि (₹) | भुगतान दिनांक |
| 27 | | 175348706 | 2,00,000 | 04.01.2020 | 20,000 | 24.07.2020 |
| 28 | | 127670642 | 2,00,000 | 07.01.2020 | 20,000 | 24.07.2020 |
| 29 | | 152518925 | 2,00,000 | 01.06.2020 | 20,000 | 09.09.2020 |
| 30 | | 180119522 | 4,00,000 | 23.04.2020 | 20,000 | 24.07.2020 |
| 31 | | 125342034 | 2,00,000 | 04.01.2020 | 20,000 | 17.02.2020 |
| 32 | | 140450572 | 4,00,000 | 04.01.2020 | 20,000 | 17.02.2020 |
| 33 | | 123901664 | 4,00,000 | 14.05.2021 | 20,000 | 07.10.2019 |
| 34 | | 167504257 | 4,00,000 | 23.04.2020 | 20,000 | 24.07.2020 |
| 35 | | 151035195 | 2,00,000 | 23.07.2020 | 20,000 | 09.09.2020 |
| 36 | | 117411997 | 2,00,000 | 07.01.2020 | 20,000 | 17.02.2020 |
| 37 | जनपद पंचायत, छतरपुर | 149501838 | 2,00,000 | 14.05.2021 | 20,000 | 07.10.2019 |
| 38 | | 118420703 | 2,00,000 | 23.07.2020 | 20,000 | 17.02.2020 |
| 39 | | 153510927 | 2,00,000 | 05.08.2020 | 20,000 | 09.09.2020 |
| 40 | | 134118412 | 2,00,000 | 01.07.2020 | 20,000 | 24.07.2020 |
| 41 | | 180949642 | 2,00,000 | 16.12.2019 | 20,000 | 06.12.2019 |
| 42 | | 166813830 | 2,00,000 | 16.12.2019 | 20,000 | 05.12.2019 |
| 43 | | 138620416 | 4,00,000 | 23.04.2020 | 20,000 | 24.07.2020 |
| 44 | | 113525346 | 2,00,000 | 23.04.2020 | 20,000 | 24.07.2020 |
| 45 | | 131533232 | 2,00,000 | 23.04.2020 | 20,000 | 24.07.2020 |
| 46 | | 148526156 | 2,00,000 | 23.12.2020 | 20,000 | 17.02.2020 |
| 47 | | 123256548 | 4,00,000 | 03.08.2018 | 20,000 | 09.10.2018 |
| 48 | | 147352200 | 2,00,000 | 12.06.2018 | 20,000 | 01.10.2018 |
| 49 | | 155248428 | 2,00,000 | 13.08.2018 | 20,000 | 01.10.2018 |
| 50 | | 134395436 | 2,00,000 | 19.09.2018 | 20,000 | 01.10.2018 |
| 51 | | 168861492 | 2,00,000 | 03.05.2019 | 20,000 | 01.10.2018 |
| 52 | | 125081063 | 4,00,000 | 13.03.2019 | 20,000 | 09.10.2018 |
| 53 | | 166901382 | 2,00,000 | 13.03.2019 | 20,000 | 05.02.2019 |
| 54 | | 153911175 | 2,00,000 | 13.08.2019 | 20,000 | 09.10.2018 |
| 55 | | 166478073 | 2,00,000 | 13.08.2019 | 20,000 | 05.02.2019 |
| 56 | | 175593329 | 2,00,000 | 13.03.2019 | 20,000 | 03.08.2019 |

| स. क्र. | पदाभिहित कार्यालयों का नाम | श्रमिक आई.डी. | संबल योजना के अंतर्गत सहायता | | राष्ट्रीय परिवार सहायता के अंतर्गत सहायता | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | राशि (₹) | भुगतान दिनांक | राशि (₹) | भुगतान दिनांक |
| 57 | | 150200714 | 2,00,000 | 18.11.2019 | 20,000 | 02.08.2019 |
| 58 | | 169781528 | 2,00,000 | 16.08.2019 | 20,000 | 05.02.2019 |
| 59 | नगर पालिका, छतरपुर | 189721675 | 2,00,000 | 04.02.2019 | 20,000 | 09.01.2019 |
| 60 | | 191047025 | 2,00,000 | 07.03.2020 | 20,000 | 01.02.2021 |
| 61 | | 200154136 | 2,00,000 | 12.06.2018 | 20,000 | 05.01.2019 |
| 62 | | 152994973 | 2,00,000 | 12.06.2018 | 20,000 | 05.01.2019 |
| 63 | | 181671195 | 2,00,000 | 17.09.2019 | 20,000 | 04.09.2019 |
| 64 | | 133269366 | 4,00,000 | 17.09.2019 | 20,000 | 24.07.2019 |
| 65 | | 133332473 | 4,00,000 | 17.09.2019 | 20,000 | 24.07.2019 |
| 66 | | 125450627 | 2,00,000 | 17.09.2019 | 20,000 | 24.07.2019 |
| 67 | | 110248904 | 2,00,000 | 17.09.2019 | 20,000 | 24.07.2019 |
| 68 | | 180834655 | 2,00,000 | 04.02.2019 | 20,000 | 11.09.2018 |
| 69 | | 180368200 | 2,00,000 | 16.03.2022 | 20,000 | 04.09.2019 |
| 70 | | 108843438 | 2,00,000 | 04.02.2019 | 20,000 | 16.08.2018 |
| 71 | | 154877968 | 2,00,000 | 22.02.2022 | 20,000 | 05.11.2019 |
| 72 | | 129671003 | 2,00,000 | 17.09.2019 | 20,000 | 05.03.2019 |
| 73 | जनपद पंचायत, कन्नौद, देवास | 109486729 | 2,00,000 | 04.09.2019 | 20,000 | 27.09.2019 |
| 74 | | 100316405 | 2,00,000 | 09.12.2019 | 20,000 | 17.03.2020 |
| 75 | | 100389856 | 2,00,000 | 09.12.2019 | 20,000 | 17.03.2020 |
| 76 | | 119377458 | 2,00,000 | 04.09.2019 | 20,000 | 25.09.2019 |
| 77 | जनपद पंचायत, कन्नौद, देवास | 100865490 | 2,00,000 | 28.12.2020 | 20,000 | 27.09.2019 |
| 78 | | 100109723 | 4,00,000 | 12.12.2019 | 20,000 | 17.03.2020 |
| 79 | | 117367007 | 4,00,000 | 28.12.2020 | 20,000 | 31.12.2018 |
| 80 | नगर निगम, इंदौर | 166961548 | 4,00,000 | 18.06.2020 | 20,000 | 24.10.2021 |
| 81 | | 196665266 | 2,00,000 | 07.01.2021 | 20,000 | 24.11.2021 |
| 82 | | 188008928 | 2,00,000 | 18.08.2020 | 20,000 | 15.10.2020 |
| 83 | | 154571254 | 2,00,000 | 02.01.2020 | 20,000 | 05.12.2019 |
| 84 | | 166855810 | 2,00,000 | 23.11.2020 | 20,000 | 20.12.2021 |
| 85 | | 172790180 | 2,00,000 | 24.08.2018 | 20,000 | 15.07.2019 |
| 86 | | 167995735 | 2,00,000 | 02.01.2020 | 20,000 | 11.09.2019 |

| स. क्र. | पदाभिहित कार्यालयों का नाम | श्रमिक आई.डी. | संबल योजना के अंतर्गत सहायता | | राष्ट्रीय परिवार सहायता के अंतर्गत सहायता | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | राशि (₹) | भुगतान दिनांक | राशि (₹) | भुगतान दिनांक |
| 87 | नगर निगम, इंदौर | 168700395 | 2,00,000 | 01.02.2021 | 20,000 | 24.12.2021 |
| 88 | | 167403015 | 2,00,000 | 05.12.2019 | 20,000 | 11.12.2020 |
| 89 | | 173286851 | 2,00,000 | 28.07.2020 | 20,000 | 28.10.2020 |
| 90 | | 167114975 | 2,00,000 | 09.01.2021 | 20,000 | 24.11.2021 |
| 91 | | 174206624 | 2,00,000 | 07.01.2021 | 20,000 | 21.10.2021 |
| 92 | | 166799973 | 4,00,000 | 21.06.2018 | 20,000 | 04.02.2019 |
| 93 | | 167130567 | 4,00,000 | 03.01.2021 | 20,000 | 18.07.2021 |
| 94 | | 167793995 | 2,00,000 | 22.07.2020 | 20,000 | 26.03.2021 |
| 95 | | 167747028 | 2,00,000 | 03.10.2018 | 20,000 | 11.09.2019 |
| 96 | | 197340586 | 2,00,000 | 22.07.2020 | 20,000 | 22.12.2020 |
| 97 | | 167971522 | 2,00,000 | 02.07.2020 | 20,000 | 15.07.2019 |
| 98 | | 165924381 | 2,00,000 | 30.12.2021 | 20,000 | 04.11.2019 |
| 99 | | 176134354 | 2,00,000 | 09.10.2020 | 20,000 | 26.11.2020 |
| 100 | | 165614687 | 2,00,000 | 01.08.2022 | 20,000 | 05.11.2019 |
| 101 | | 166840843 | 2,00,000 | 13.01.2021 | 20,000 | 20.11.2019 |
| 102 | | 173187115 | 2,00,000 | 15.01.2020 | 20,000 | 23.02.2019 |
| 103 | | 167476556 | 2,00,000 | 13.06.2018 | 20,000 | 11.09.2018 |
| 104 | | 165777700 | 2,00,000 | 15.01.2020 | 20,000 | 03.09.2019 |
| 105 | | 167192674 | 2,00,000 | 11.12.2019 | 20,000 | 04.01.2020 |
| 106 | | 168288671 | 2,00,000 | 22.12.2021 | 20,000 | 05.12.2019 |
| 107 | | 167845980 | 2,00,000 | 09.07.2020 | 20,000 | 22.06.2019 |
| 108 | | 168066940 | 2,00,000 | 20.07.2020 | 20,000 | 22.06.2019 |
| 109 | | 165806634 | 2,00,000 | 12.07.2021 | 20,000 | 19.08.2021 |
| 110 | | 168015194 | 2,00,000 | 19.08.2021 | 20,000 | 11.09.2019 |
| 111 | | 192922100 | 2,00,000 | 16.11.2019 | 20,000 | 04.01.2020 |
| 112 | | 166985575 | 2,00,000 | 13.01.2021 | 20,000 | 06.12.2019 |
| 113 | | 167174796 | 2,00,000 | 03.11.2021 | 20,000 | 21.09.2021 |
| 114 | | 167306317 | 2,00,000 | 23.10.2019 | 20,000 | 19.08.2019 |
| 115 | | 175730006 | 2,00,000 | 28.01.2022 | 20,000 | 20.12.2021 |
| 116 | | 168621131 | 2,00,000 | 12.01.2021 | 20,000 | 15.07.2019 |

| स. क्र. | पदाभिहित कार्यालयों का नाम | श्रमिक आई.डी. | संबल योजना के अंतर्गत सहायता | | राष्ट्रीय परिवार सहायता के अंतर्गत सहायता | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | राशि (₹) | भुगतान दिनांक | राशि (₹) | भुगतान दिनांक |
| 117 | नगर निगम, इंदौर | 174121338 | 4,00,000 | 30.09.2020 | 20,000 | 20.06.2019 |
| 118 | | 196706545 | 2,00,000 | 28.07.2021 | 20,000 | 19.08.2019 |
| 119 | | 199510673 | 2,00,000 | 09.01.2021 | 20,000 | 15.07.2019 |
| 120 | | 168138267 | 2,00,000 | 14.08.2020 | 20,000 | 20.02.2020 |
| 121 | | 167764991 | 2,00,000 | 17.10.2022 | 20,000 | 21.10.2021 |
| 122 | | 165679174 | 2,00,000 | 23.09.2020 | 20,000 | 13.05.2020 |
| 123 | | 167186108 | 2,00,000 | 08.11.2021 | 20,000 | 26.03.2021 |
| 124 | | 176445148 | 2,00,000 | 23.12.2022 | 20,000 | 26.03.2021 |
| 125 | | 168955715 | 2,00,000 | 28.01.2022 | 20,000 | 01.06.2021 |
| 126 | | 166960270 | 2,00,000 | 02.01.2020 | 20,000 | 04.02.2019 |
| 127 | | 173204640 | 2,00,000 | 10.01.2022 | 20,000 | 26.03.2021 |
| 128 | | 168212544 | 2,00,000 | 22.12.2021 | 20,000 | 31.01.2019 |
| 129 | | 168166964 | 2,00,000 | 02.01.2020 | 20,000 | 31.01.2019 |
| 130 | | 174567740 | 2,00,000 | 02.01.2020 | 20,000 | 31.01.2019 |
| 131 | | 167811534 | 2,00,000 | 03.03.2022 | 20,000 | 26.03.2021 |
| 132 | | 174516685 | 2,00,000 | 28.01.2022 | 20,000 | 06.01.2021 |
| 133 | | 168328653 | 2,00,000 | 02.02.2022 | 20,000 | 16.02.2021 |
| 134 | | 168328419 | 2,00,000 | 02.03.2022 | 20,000 | 06.01.2021 |
| 135 | | 199952055 | 2,00,000 | 08.11.2021 | 20,000 | 07.09.2020 |
| 136 | | 141487469 | 2,00,000 | 08.11.2021 | 20,000 | 24.08.2020 |
| 137 | | 168612964 | 2,00,000 | 08.11.2021 | 20,000 | 24.08.2020 |
| 138 | | 199512627 | 2,00,000 | 08.11.2021 | 20,000 | 15.01.2020 |
| 139 | | 168105606 | 2,00,000 | 08.11.2021 | 20,000 | 05.12.2019 |
| 140 | | 176761754 | 2,00,000 | 10.03.2021 | 20,000 | 19.08.2019 |
| 141 | जनपद पंचायत इंदौर (ग्रामीण) | 200427714 | 2,00,000 | 10.02.2019 | 20,000 | 27.09.2019 |
| 142 | | 169453503 | 2,00,000 | 04.09.2018 | 20,000 | 21.02.2019 |
| 143 | | 101975695 | 2,00,000 | 29.04.2019 | 20,000 | 27.09.2019 |
| 144 | | 169522389 | 2,00,000 | 07.06.2018 | 20,000 | 01.09.2018 |
| 145 | | 118103872 | 2,00,000 | 30.07.2018 | 20,000 | 06.11.2018 |
| 146 | | 119159074 | 2,00,000 | 30.07.2018 | 20,000 | 06.11.2018 |

| स. क्र. | पदाभिहित कार्यालयों का नाम | श्रमिक आई.डी. | संबल योजना के अंतर्गत सहायता | | राष्ट्रीय परिवार सहायता के अंतर्गत सहायता | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | राशि (₹) | भुगतान दिनांक | राशि (₹) | भुगतान दिनांक |
| 147 | | 118187944 | 2,00,000 | 15.07.2019 | 20,000 | 27.09.2019 |
| 148 | | 119284050 | 2,00,000 | 24.12.2019 | 20,000 | 19.02.2020 |
| 149 | | 119287065 | 2,00,000 | 15.07.2020 | 20,000 | 20.11.2020 |
| 150 | | 122587635 | 2,00,000 | 16.07.2020 | 20,000 | 20.11.2020 |
| 151 | | 122696280 | 2,00,000 | 10.10.2019 | 20,000 | 26.10.2019 |
| 152 | | 144356898 | 2,00,000 | 06.06.2020 | 20,000 | 22.07.2020 |
| 153 | | 123211157 | 2,00,000 | 05.02.2020 | 20,000 | 19.02.2020 |
| 154 | | 119991060 | 4,00,000 | 01.08.2019 | 20,000 | 10.12.2019 |
| 155 | | 122518177 | 2,00,000 | 25.07.2019 | 20,000 | 27.09.2019 |
| 156 | | 164543450 | 2,00,000 | 11.01.2022 | 20,000 | 10.12.2019 |
| 157 | जनपद पंचायत इंदौर (ग्रामीण) | 100267971 | 2,00,000 | 20.12.2021 | 20,000 | 27.09.2019 |
| 158 | | 100954927 | 2,00,000 | 20.12.2021 | 20,000 | 27.09.2019 |
| 159 | | 122949937 | 2,00,000 | 20.12.2021 | 20,000 | 27.09.2019 |
| 160 | जनपद पंचायत, सिहोरा, जबलपुर | 100307679 | 2,00,000 | 21.03.2020 | 20,000 | 12.02.2020 |
| 161 | | 100530545 | 2,00,000 | 21.01.2020 | 20,000 | 20.12.2019 |
| 162 | | 100695001 | 2,00,000 | 25.07.2019 | 20,000 | 29.09.2018 |
| 163 | | 101002724 | 2,00,000 | 15.02.2021 | 20,000 | 03.06.2020 |
| 164 | | 101540938 | 2,00,000 | 08.07.2020 | 20,000 | 07.08.2020 |
| 165 | | 101637674 | 2,00,000 | 28.08.2019 | 20,000 | 29.06.2019 |
| 166 | | 102013115 | 2,00,000 | 25.04.2020 | 20,000 | 03.06.2020 |
| 167 | | 102437040 | 2,00,000 | 25.07.2019 | 20,000 | 19.11.2019 |
| 168 | | 102793629 | 2,00,000 | 28.08.2019 | 20,000 | 05.07.2019 |
| 169 | | 103478357 | 2,00,000 | 19.11.2019 | 20,000 | 29.06.2019 |
| 170 | | 103553644 | 2,00,000 | 28.08.2019 | 20,000 | 10.11.2019 |
| 171 | | 103712762 | 2,00,000 | 28.08.2019 | 20,000 | 28.08.2019 |
| 172 | | 104087301 | 2,00,000 | 28.08.2019 | 20,000 | 29.06.2019 |
| 173 | | 104292257 | 2,00,000 | 25.07.2019 | 20,000 | 27.02.2019 |
| 174 | | 104372347 | 2,00,000 | 15.02.2021 | 20,000 | 27.02.2019 |
| 175 | | 104409200 | 2,00,000 | 21.01.2020 | 20,000 | 20.02.2020 |
| 176 | | 104473952 | 2,00,000 | 02.03.2020 | 20,000 | 19.11.2019 |

| स. क्र. | पदाभिहित कार्यालयों का नाम | श्रमिक आई.डी. | संबल योजना के अंतर्गत सहायता | | राष्ट्रीय परिवार सहायता के अंतर्गत सहायता | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | राशि (₹) | भुगतान दिनांक | राशि (₹) | भुगतान दिनांक |
| 177 | | 104544404 | 2,00,000 | 21.01.2020 | 20,000 | 19.11.2019 |
| 178 | | 104720752 | 2,00,000 | 21.01.2020 | 20,000 | 19.11.2020 |
| 179 | | 105205955 | 2,00,000 | 21.01.2020 | 20,000 | 03.06.2020 |
| 180 | | 105212877 | 2,00,000 | 21.01.2020 | 20,000 | 27.02.2019 |
| 181 | | 105330388 | 2,00,000 | 06.08.2019 | 20,000 | 29.09.2018 |
| 182 | | 105800634 | 2,00,000 | 26.02.2020 | 20,000 | 28.08.2019 |
| 183 | | 105825123 | 2,00,000 | 21.01.2020 | 20,000 | 12.02.2020 |
| 184 | | 106290792 | 2,00,000 | 21.01.2020 | 20,000 | 10.11.2019 |
| 185 | | 106309768 | 2,00,000 | 25.04.2020 | 20,000 | 03.06.2020 |
| 186 | | 106749050 | 2,00,000 | 15.02.2021 | 20,000 | 27.02.2019 |
| 187 | | 107011152 | 4,00,000 | 21.01.2020 | 20,000 | 12.02.2020 |
| 188 | | 107269612 | 2,00,000 | 02.03.2020 | 20,000 | 28.02.2020 |
| 189 | | 107298466 | 2,00,000 | 08.07.2020 | 20,000 | 08.09.2020 |
| 190 | | 107594479 | 2,00,000 | 17.09.2020 | 20,000 | 08.09.2020 |
| 191 | | 107791817 | 2,00,000 | 15.02.2021 | 20,000 | 29.09.2018 |
| 192 | | 107924889 | 2,00,000 | 25.07.2019 | 20,000 | 29.12.2018 |
| 193 | | 108078144 | 2,00,000 | 08.07.2020 | 20,000 | 07.08.2020 |
| 194 | | 108096520 | 2,00,000 | 28.08.2019 | 20,000 | 13.07.2019 |
| 195 | | 109520530 | 2,00,000 | 26.02.2020 | 20,000 | 12.02.2020 |
| 196 | | 109723315 | 2,00,000 | 07.03.2019 | 20,000 | 04.09.2018 |
| 197 | जनपद पंचायत, सिहोरा, जबलपुर | 109835914 | 2,00,000 | 15.02.2021 | 20,000 | 27.02.2019 |
| 198 | | 110470514 | 2,00,000 | 25.02.2020 | 20,000 | 28.02.2020 |
| 199 | | 110546722 | 2,00,000 | 25.07.2019 | 20,000 | 13.07.2019 |
| 200 | | 110767679 | 2,00,000 | 21.01.2020 | 20,000 | 29.06.2019 |
| 201 | | 111305857 | 4,00,000 | 15.02.2021 | 20,000 | 12.02.2020 |
| 202 | | 111621177 | 2,00,000 | 21.05.2019 | 20,000 | 27.02.2019 |
| 203 | | 111799494 | 2,00,000 | 19.11.2019 | 20,000 | 19.11.2019 |
| 204 | | 112145153 | 2,00,000 | 25.02.2020 | 20,000 | 28.02.2020 |
| 205 | | 113031001 | 2,00,000 | 15.02.2021 | 20,000 | 20.02.2020 |
| 206 | | 113342213 | 2,00,000 | 21.01.2020 | 20,000 | 20.02.2021 |

| स. क्र. | पदाभिहित कार्यालयों का नाम | श्रमिक आई.डी. | संबल योजना के अंतर्गत सहायता | | राष्ट्रीय परिवार सहायता के अंतर्गत सहायता | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | राशि (₹) | भुगतान दिनांक | राशि (₹) | भुगतान दिनांक |
| 207 | जनपद पंचायत, सिहोरा, जबलपुर | 113896868 | 2,00,000 | 21.01.2020 | 20,000 | 20.02.2020 |
| 208 | | 114040597 | 2,00,000 | 15.09.2021 | 20,000 | 28.02.2020 |
| 209 | | 114342544 | 2,00,000 | 21.01.2021 | 20,000 | 12.02.2020 |
| 210 | | 114775716 | 2,00,000 | 28.08.2019 | 20,000 | 27.02.2019 |
| 211 | | 115302030 | 4,00,000 | 15.09.2019 | 20,000 | 28.08.2019 |
| 212 | | 116453598 | 2,00,000 | 25.04.2020 | 20,000 | 21.09.2020 |
| 213 | | 117774049 | 2,00,000 | 25.04.2020 | 20,000 | 03.06.2020 |
| 214 | | 118354177 | 2,00,000 | 21.05.2019 | 20,000 | 04.09.2018 |
| 215 | | 120301831 | 2,00,000 | 02.03.2020 | 20,000 | 10.11.2019 |
| 216 | | 120819709 | 2,00,000 | 02.03.2020 | 20,000 | 29.02.2020 |
| 217 | | 122089824 | 4,00,000 | 08.07.2020 | 20,000 | 07.08.2020 |
| 218 | | 124625372 | 2,00,000 | 02.03.2020 | 20,000 | 19.11.2019 |
| 219 | | 126695914 | 2,00,000 | 02.03.2020 | 20,000 | 28.02.2020 |
| 220 | | 126899704 | 2,00,000 | 02.03.2020 | 20,000 | 28.02.2020 |
| 221 | | 127412228 | 2,00,000 | 25.07.2019 | 20,000 | 29.12.2018 |
| 222 | | 130171172 | 4,00,000 | 28.08.2019 | 20,000 | 29.06.2019 |
| 223 | | 130886059 | 2,00,000 | 31.12.2019 | 20,000 | 24.09.2019 |
| 224 | | 131191903 | 2,00,000 | 19.11.2019 | 20,000 | 28.08.2019 |
| 225 | | 132391784 | 2,00,000 | 21.05.2019 | 20,000 | 27.02.2019 |
| 226 | | 132921218 | 2,00,000 | 28.08.2019 | 20,000 | 12.02.2020 |
| 227 | | 135303580 | 2,00,000 | 21.01.2020 | 20,000 | 20.02.2020 |
| 228 | | 140528008 | 2,00,000 | 26.02.2020 | 20,000 | 20.02.2020 |
| 229 | | 143276402 | 2,00,000 | 21.01.2020 | 20,000 | 12.02.2020 |
| 230 | | 163545104 | 2,00,000 | 30.01.2021 | 20,000 | 19.11.2019 |
| 231 | | 169213008 | 2,00,000 | 21.01.2020 | 20,000 | 12.02.2020 |
| 232 | | 177628664 | 2,00,000 | 21.05.2019 | 20,000 | 20.02.2020 |
| 233 | | 177729916 | 2,00,000 | 01.01.2020 | 20,000 | 13.07.2019 |
| 234 | | 177969292 | 2,00,000 | 21.01.2020 | 20,000 | 12.02.2020 |
| 235 | | 180087293 | 2,00,000 | 30.01.2021 | 20,000 | 28.08.2019 |
| 236 | | 181202147 | 2,00,000 | 17.06.2020 | 20,000 | 07.08.2020 |

| स. क्र. | पदाभिहित कार्यालयों का नाम | श्रमिक आई.डी. | संबल योजना के अंतर्गत सहायता | | राष्ट्रीय परिवार सहायता के अंतर्गत सहायता | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | राशि (₹) | भुगतान दिनांक | राशि (₹) | भुगतान दिनांक |
| 237 | जनपद पंचायत, सिहोरा, जबलपुर | 184992858 | 2,00,000 | 28.12.2021 | 20,000 | 28.02.2020 |
| 238 | | 186143972 | 2,00,000 | 15.09.2021 | 20,000 | 04.09.2018 |
| 239 | | 194027971 | 2,00,000 | 27.10.2021 | 20,000 | 10.11.2020 |
| 240 | | 194146450 | 2,00,000 | 30.12.2021 | 20,000 | 20.09.2021 |
| 241 | | 194755169 | 2,00,000 | 19.11.2019 | 20,000 | 19.11.2019 |
| 242 | | 303303370 | 2,00,000 | 25.07.2019 | 20,000 | 29.12.2018 |
| 243 | नगर निगम, जबलपुर | 119302958 | 2,00,000 | 08.05.2019 | 20,000 | 07.08.2019 |
| 244 | | 128603497 | 2,00,000 | 26.02.2020 | 20,000 | 26.05.2020 |
| 245 | | 129980005 | 2,00,000 | 14.08.2018 | 20,000 | 05.08.2019 |
| 246 | | 131795588 | 2,00,000 | 15.06.2021 | 20,000 | 04.12.2019 |
| 247 | | 136125007 | 2,00,000 | 02.03.2019 | 20,000 | 02.03.2019 |
| 248 | | 137565145 | 2,00,000 | 05.11.2018 | 20,000 | 02.03.2019 |
| 249 | | 140574331 | 2,00,000 | 17.10.2018 | 20,000 | 14.12.2018 |
| 250 | | 156008257 | 2,00,000 | 20.05.2019 | 20,000 | 04.12.2019 |
| 251 | | 156716792 | 2,00,000 | 05.11.2018 | 20,000 | 02.03.2019 |
| 252 | | 168278550 | 2,00,000 | 05.03.2019 | 20,000 | 17.06.2019 |
| 253 | | 169776431 | 2,00,000 | 05.06.2021 | 20,000 | 05.10.2020 |
| 254 | | 169888775 | 2,00,000 | 29.06.2019 | 20,000 | 17.06.2019 |
| 255 | | 170022575 | 2,00,000 | 10.09.2018 | 20,000 | 04.08.2018 |
| 256 | | 170125586 | 2,00,000 | 28.06.2021 | 20,000 | 26.05.2020 |
| 257 | | 170128101 | 2,00,000 | 18.08.2021 | 20,000 | 10.09.2021 |
| 258 | | 170469058 | 2,00,000 | 28.12.2018 | 20,000 | 02.03.2019 |
| 259 | | 170481606 | 2,00,000 | 13.06.2018 | 20,000 | 25.02.2021 |
| 260 | | 170572869 | 2,00,000 | 06.11.2019 | 20,000 | 02.03.2019 |
| 261 | | 171223051 | 2,00,000 | 12.10.2021 | 20,000 | 27.10.2020 |
| 262 | | 171273439 | 2,00,000 | 29.12.2021 | 20,000 | 01.09.2021 |
| 263 | | 171300722 | 2,00,000 | 18.08.2021 | 20,000 | 25.02.2021 |
| 264 | | 171359648 | 2,00,000 | 13.06.2018 | 20,000 | 02.06.2018 |
| 265 | | 171449864 | 2,00,000 | 13.06.2018 | 20,000 | 02.06.2018 |
| 266 | | 172278039 | 2,00,000 | 06.11.2019 | 20,000 | 05.08.2019 |

| स. क्र. | पदाभिहित कार्यालयों का नाम | श्रमिक आई.डी. | संबल योजना के अंतर्गत सहायता | | राष्ट्रीय परिवार सहायता के अंतर्गत सहायता | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | राशि (₹) | भुगतान दिनांक | राशि (₹) | भुगतान दिनांक |
| 267 | | 175600855 | 2,00,000 | 02.03.2019 | 20,000 | 28.07.2021 |
| 268 | | 177681815 | 2,00,000 | 29.01.2021 | 20,000 | 30.09.2020 |
| 269 | | 178708633 | 2,00,000 | 23.12.2021 | 20,000 | 20.12.2021 |
| 270 | | 181218379 | 2,00,000 | 29.09.2018 | 20,000 | 12.04.2020 |
| 271 | | 192178613 | 2,00,000 | 28.01.2022 | 20,000 | 25.10.2021 |
| 272 | | 193423263 | 2,00,000 | 06.12.2021 | 20,000 | 15.03.2021 |
| 273 | | 197843816 | 2,00,000 | 15.07.2019 | 20,000 | 07.09.2019 |
| 274 | जनपद पंचायत, मैहर, सतना | 101337440 | 2,00,000 | 30.12.2021 | 20,000 | 23.06.2021 |
| 275 | | 101620820 | 2,00,000 | 25.03.2021 | 20,000 | 04.02.2021 |
| 276 | | 103616813 | 2,00,000 | 12.01.2021 | 20,000 | 05.11.2020 |
| 277 | | 104331607 | 2,00,000 | 19.11.2020 | 20,000 | 05.11.2020 |
| 278 | | 104839548 | 2,00,000 | 01.12.2021 | 20,000 | 04.02.2021 |
| 279 | | 105936250 | 2,00,000 | 01.12.2021 | 20,000 | 03.07.2020 |
| 280 | | 107821644 | 2,00,000 | 01.04.2022 | 20,000 | 05.11.2020 |
| 281 | | 114667299 | 2,00,000 | 19.08.2021 | 20,000 | 19.07.2021 |
| 282 | | 115013736 | 2,00,000 | 19.08.2021 | 20,000 | 31.03.2021 |
| 283 | | 115333120 | 2,00,000 | 28.08.2020 | 20,000 | 07.08.2020 |
| 284 | | 116158973 | 2,00,000 | 19.06.2020 | 20,000 | 03.07.2020 |
| 285 | | 117039235 | 2,00,000 | 01.12.2021 | 20,000 | 08.01.2021 |
| 286 | | 118751353 | 2,00,000 | 19.08.2021 | 20,000 | 09.11.2021 |
| 287 | | 120001631 | 2,00,000 | 13.10.2021 | 20,000 | 09.11.2021 |
| 288 | | 121270105 | 2,00,000 | 08.01.2019 | 20,000 | 04.11.2019 |
| 289 | | 122674530 | 2,00,000 | 25.03.2021 | 20,000 | 08.01.2021 |
| 290 | | 123310192 | 2,00,000 | 08.06.2022 | 20,000 | 23.06.2021 |
| 291 | | 123440985 | 4,00,000 | 13.10.2021 | 20,000 | 09.11.2021 |
| 292 | | 124037724 | 2,00,000 | 19.08.2021 | 20,000 | 19.07.2021 |
| 293 | | 126636247 | 4,00,000 | 19.08.2021 | 20,000 | 07.09.2021 |
| 294 | | 127551590 | 2,00,000 | 08.06.2022 | 20,000 | 04.02.2021 |
| 295 | | 128117642 | 2,00,000 | 12.10.2021 | 20,000 | 07.09.2021 |
| 296 | | 128311488 | 2,00,000 | 19.08.2021 | 20,000 | 07.09.2021 |

| स. क्र. | पदाभिहित कार्यालयों का नाम | श्रमिक आई.डी. | संबल योजना के अंतर्गत सहायता | | राष्ट्रीय परिवार सहायता के अंतर्गत सहायता | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | राशि (₹) | भुगतान दिनांक | राशि (₹) | भुगतान दिनांक |
| 297 | | 128744865 | 2,00,000 | 09.12.2021 | 20,000 | 08.01.2021 |
| 298 | | 129255025 | 2,00,000 | 09.09.2020 | 20,000 | 07.10.2020 |
| 299 | | 130375774 | 2,00,000 | 19.08.2021 | 20,000 | 19.07.2021 |
| 300 | | 131208791 | 2,00,000 | 19.06.2022 | 20,000 | 11.06.2020 |
| 301 | | 131732649 | 2,00,000 | 19.08.2021 | 20,000 | 19.07.2021 |
| 302 | | 131822616 | 2,00,000 | 12.01.2021 | 20,000 | 03.07.2020 |
| 303 | | 132528723 | 2,00,000 | 19.08.2021 | 20,000 | 31.03.2021 |
| 304 | | 133408252 | 2,00,000 | 29.09.2019 | 20,000 | 11.06.2020 |
| 305 | | 133644981 | 2,00,000 | 29.10.2021 | 20,000 | 05.11.2020 |
| 306 | | 133761658 | 2,00,000 | 25.08.2021 | 20,000 | 05.11.2020 |
| 307 | | 133999417 | 2,00,000 | 08.06.2022 | 20,000 | 08.01.2021 |
| 308 | | 135252819 | 2,00,000 | 13.03.2020 | 20,000 | 03.07.2020 |
| 309 | | 135627516 | 2,00,000 | 25.08.2022 | 20,000 | 05.03.2021 |
| 310 | | 136128927 | 2,00,000 | 01.12.2021 | 20,000 | 04.02.2021 |
| 311 | | 137164464 | 2,00,000 | 19.08.2021 | 20,000 | 05.03.2021 |
| 312 | | 139540761 | 4,00.000 | 08.06.2022 | 20,000 | 08.01.2021 |
| 313 | | 144051089 | 2,00,000 | 19.08.2021 | 20,000 | 31.03.2021 |
| 314 | | 144860964 | 2,00,000 | 13.10.2021 | 20,000 | 07.10.2021 |
| 315 | | 145233002 | 2,00,000 | 30.12.2021 | 20,000 | 07.10.2021 |
| 316 | | 152605086 | 2,00,000 | 18.08.2020 | 20,000 | 03.07.2020 |
| 317 | जनपद पंचायत, मैहर, सतना | 152626641 | 2,00,000 | 29.10.2020 | 20,000 | 05.11.2020 |
| 318 | | 152628293 | 2,00,000 | 29.10.2020 | 20,000 | 07.10.2020 |
| 319 | | 152675687 | 2,00,000 | 18.08.2020 | 20,000 | 03.07.2020 |
| 320 | | 153374109 | 2,00,000 | 19.11.2020 | 20,000 | 05.11.2020 |
| 321 | | 153613941 | 2,00,000 | 19.08.2021 | 20,000 | 31.08.2021 |
| 322 | | 153614077 | 2,00,000 | 19.06.2020 | 20,000 | 03.07.2020 |
| 323 | | 153771817 | 2,00,000 | 13.10.2021 | 20,000 | 31.08.2021 |
| 324 | | 154726699 | 2,00,000 | 30.12.2021 | 20,000 | 07.10.2021 |
| 325 | | 154751842 | 2,00,000 | 19.11.2020 | 20,000 | 05.11.2020 |
| 326 | | 154756594 | 2,00,000 | 08.06.2022 | 20,000 | 04.02.2021 |

| स. क्र. | पदाभिहित कार्यालयों का नाम | श्रमिक आई.डी. | संबल योजना के अंतर्गत सहायता | | राष्ट्रीय परिवार सहायता के अंतर्गत सहायता | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | राशि (₹) | भुगतान दिनांक | राशि (₹) | भुगतान दिनांक |
| 327 | जनपद पंचायत, मैहर, सतना | 154971230 | 4,00,000 | 18.08.2020 | 20,000 | 03.07.2020 |
| 328 | | 155017005 | 2,00,000 | 25.11.2021 | 20,000 | 07.10.2020 |
| 329 | | 155024961 | 2,00,000 | 13.10.2021 | 20,000 | 07.10.2021 |
| 330 | | 156378389 | 2,00,000 | 01.12.2021 | 20,000 | 05.11.2020 |
| 331 | | 156452366 | 2,00,000 | 12.10.2021 | 20,000 | 31.03.2021 |
| 332 | | 157222433 | 2,00,000 | 30.11.2022 | 20,000 | 08.01.2021 |
| 333 | | 157390347 | 4,00,000 | 19.11.2020 | 20,000 | 07.08.2020 |
| 334 | | 157743305 | 2,00,000 | 19.08.2021 | 20,000 | 04.02.2021 |
| 335 | | 158079083 | 2,00,000 | 30.12.2021 | 20,000 | 09.11.2021 |
| 336 | | 158356184 | 2,00,000 | 08.02.2019 | 20,000 | 30.08.2018 |
| 337 | | 158825537 | 2,00,000 | 04.12.2021 | 20,000 | 05.11.2020 |
| 338 | | 159008819 | 2,00,000 | 09.09.2020 | 20,000 | 07.08.2020 |
| 339 | | 159149894 | 2,00,000 | 05.05.2020 | 20,000 | 11.06.2020 |
| 340 | | 159349761 | 4,00,000 | 19.06.2020 | 20,000 | 03.07.2020 |
| 341 | | 159381853 | 2,00,000 | 19.08.2021 | 20,000 | 04.02.2021 |
| 342 | | 159758601 | 2,00,000 | 19.08.2021 | 20,000 | 23.06.2021 |
| 343 | | 159888068 | 2,00,000 | 19.08.2021 | 20,000 | 19.07.2021 |
| 344 | | 159913368 | 2,00,000 | 13.10.2021 | 20,000 | 07.10.2021 |
| 345 | | 159940571 | 2,00,000 | 19.06.2020 | 20,000 | 03.07.2020 |
| 346 | | 160011727 | 2,00,000 | 30.12.2021 | 20,000 | 09.11.2021 |
| 347 | | 160030989 | 2,00,000 | 13.10.2021 | 20,000 | 07.09.2021 |
| 348 | | 160295562 | 2,00,000 | 18.08.2020 | 20,000 | 03.07.2020 |
| 349 | | 160577736 | 2,00,000 | 19.06.2020 | 20,000 | 03.07.2020 |
| 350 | | 162285365 | 2,00,000 | 01.12.2021 | 20,000 | 05.11.2020 |
| 351 | | 176777881 | 2,00,000 | 12.01.2021 | 20,000 | 05.11.2020 |
| 352 | | 177204246 | 2,00,000 | 01.12.2021 | 20,000 | 23.06.2021 |
| 353 | | 177665452 | 2,00,000 | 13.10.2021 | 20,000 | 07.10.2021 |
| 354 | | 177806981 | 2,00,000 | 18.08.2020 | 20,000 | 03.07.2020 |
| 355 | | 181069949 | 2,00,000 | 30.12.2021 | 20,000 | 04.02.2021 |
| 356 | | 185145553 | 2,00,000 | 08.12.2021 | 20,000 | 08.01.2021 |

| स. क्र. | पदाभिहित कार्यालयों का नाम | श्रमिक आई.डी. | संबल योजना के अंतर्गत सहायता | | राष्ट्रीय परिवार सहायता के अंतर्गत सहायता | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | राशि (₹) | भुगतान दिनांक | राशि (₹) | भुगतान दिनांक |
| 357 | जनपद पंचायत, मैहर, सतना | 186134225 | 2,00,000 | 30.12.2021 | 20,000 | 09.11.2021 |
| 358 | | 186493860 | 4,00,000 | 12.01.2021 | 20,000 | 19.07.2021 |
| 359 | | 187454970 | 4,00,000 | 20.10.2020 | 20,000 | 31.08.2021 |
| 360 | | 190321053 | 2,00,000 | 01.12.2021 | 20,000 | 05.11.2020 |
| 361 | | 192575550 | 2,00,000 | 07.06.2021 | 20,000 | 05.03.2021 |
| 362 | | 194442140 | 2,00,000 | 19.08.2021 | 20,000 | 04.02.2021 |
| 363 | | 300199241 | 2,00,000 | 30.12.2021 | 20,000 | 09.11.2021 |
| | **योग** | | **7,86,00,000** | | **72,60,000** | |

## परिशिष्ट-2.3.7

**(संदर्भ: कंडिका क्रमांक 2.3.7.3, पृष्ठ संख्या 100)**

**प्रकरणों जिनमें वृद्धावस्था पेंशन प्राप्त कर रहे व्यक्तियों को संबल योजना के अंतर्गत अनियमित रूप से सहायता स्वीकृत की गई का विवरण**

**(राशि ₹)**

| स. क्र. | पदाभिहित कार्यालय का नाम | नाम/ श्रमिक आई.डी. | मृत्यु का दिनांक | अनुग्रह राशि | ई.पी.ओ. का दिनांक | संबल योजना में पंजीकरण का दिनांक | आई.जी.एन.ओ.पी.एस. में पंजीकरण का दिनांक | पेंशन के रूप में प्राप्त राशि |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | नगर निगम, इंदौर | मांगीलाल देवड़ा 167278899 | 09.07.2021 | 2,00,000 | 17.11.2021 | 03.05.2018 | 29.07.2019 | 14,400 |
| 2 | | सीताराम जी 169119197 | 30.05.2021 | 2,00,000 | 29.12.2021 | 14.05.2018 | 31.07.2020 | 9,000 |
| 3 | | शेख रशीद 200269469 | 19.01.2021 | 2,00,000 | 08.04.2021 | 31.07.2018 | 05.08.2020 | 14,400 |
| 4 | | रमेश दुरखुरे 173103863 | 05.04.2019 | 2,00,000 | 03.01.2020 | 29.04.2018 | 26.02.2019 | 1,200 |
| 5 | नगर निगम, जबलपुर | दसई लाल चौधरी 170153684 | 26.08.2019 | 2,00,000 | 25.09.2019 | 02.05.2018 | 18.12.2018 | 5,400 |
| 6 | | आशीष मेश्राम 157102459 | 12.12.2020 | 2,00,000 | 17.02.2021 | 17.05.2018 | 27.06.2019 | 12,600 |
| 7 | | हरप्रसाद जी 161756040 | 25.09.2019 | 2,00,000 | 04.05.2020 | 03.05.2018 | 20.08.2019 | 11,400 |
| 8 | | मंगल प्रसाद 167252524 | 08.07.2020 | 2,00,000 | 30.01.2021 | 04.05.2018 | 15.11.2019 | 12,600 |

| स. क्र. | पदाभिहित कार्यालय का नाम | नाम/ श्रमिक आई.डी. | मृत्यु का दिनांक | अनुग्रह राशि | ई.पी.ओ. का दिनांक | संबल योजना में पंजीकरण का दिनांक | आई.जी.एन.ओ.पी .एस. में पंजीकरण का दिनांक | पेंशन के रूप में प्राप्त राशि |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | नगर निगम, देवास | नारायण सिंह 143991908 | 07.04.2021 | 2,00,000 | 18.08.2021 | 23.04.2018 | 01.08.2019 | 14,400 |
| 10 | जनपद पंचायत, कन्नोद, देवास | लक्ष्मी बाई गजानंद 196564636 | 20.08.2021 | 2,00,000 | 10.12.2021 | 13.05.2018 | 20.09.2018 | 14,400 |
| **योग** | | | | **20,00,000** | | | | **1,09,800** |

**(स्रोत: संबल पोर्टल डेटा)**

## परिशिष्ट-2.3.8

### (संदर्भ: कंडिका क्रमांक 2.3.7.3, पृष्ठ संख्या 100)

### प्रकरणों जिनमें 60 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों को अनुग्रह सहायता स्वीकृत की गई का विवरण

| स. क्र. | पदाभिहित कार्यालयों का नाम | श्रमिक आई.डी. | मृतक का नाम | जन्म दिनांक | मृत्यु दिनांक | अनुग्रह राशि स्वीकृति का दिनांक | राशि (₹ लाख में) | भुगतान का दिनांक |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | जनपद पंचायत, अलीराजपुर | 146882507 | जगरसिंह | 01.01.1958 | 05.09.2018 | 29.09.2018 | 2.00 | 19.06.2019 |
| 2 | जनपद पंचायत, पुष्पराज गढ़,अनूपपुर | 173575279 | सुरती लाल | 01.01.1958 | 09.05.2018 | 02.08.2018 | 4.00 | 15.03.2021 |
| 3 | जनपद पंचायत, चंदेरी, अशोकनगर | 137633547 | रत्तू कुमार | 01.01.1958 | 17.07.2018 | 29.08.2018 | 2.00 | 07.03.2019 |
| 4 | जनपद पंचायत, किरनापुर, बालाघाट | 141186836 | कारूलाल पांचे | 01.01.1958 | 13.08.2018 | 20.08.2018 | 2.00 | 17.06.2019 |
| 5 | जनपद पंचायत, आठनेर, बैतूल | 107487026 | संपत धुर्वे | 05.01.1958 | 19.07.2018 | 14.09.2018 | 2.00 | 04.01.2019 |
| 6 | जनपद पंचायत, रौन, भिंड | 120948935 | रामबरन | 01.01.1958 | 17.05.2018 | 06.09.2018 | 2.00 | 06.10.2018 |
| 7 | जनपद पंचायत, सौंसर छिंदवाड़ा | 133199654 | मीरा भक्ते | 01.01.1958 | 26.05.2018 | 10.06.2018 | 2.00 | 24.09.2018 |
| 8 | जनपद पंचायत, हर्रई, छिंदवाड़ा | 165331176 | विपत | 01.01.1958 | 26.05.2018 | 10.06.2018 | 2.00 | 17.07.2019 |
| 9 | जनपद पंचायत, तेंदूखेड़ा, दमोह | 139028006 | जनकरानी सेन | 01.01.1958 | 13.07.2018 | 06.09.2018 | 2.00 | 01.10.2018 |
| 10 | नगर पालिका, दतिया | 129756671 | सुरेश यादव | 01.01.1958 | 26.07.2018 | 29.09.2018 | 2.00 | 29.09.2018 |
| 11 | जनपद पंचायत, कुक्षी धार | 106037644 | दुर्गाबाई | 01.01.1958 | 25.07.2018 | 31.08.2018 | 2.00 | 09.07.2019 |
| 12 | जनपद पंचायत, सरदारपुर, धार | 145171247 | जामसिंह | 01.01.1958 | 05.04.2018 | 07.06.2018 | 2.00 | 06.08.2019 |
| 13 | जनपद पंचायत, समनापुर, डिंडोरी | 162730630 | तिजिया जी | 01.01.1958 | 20.07.2018 | 17.09.2018 | 2.00 | 18.03.2019 |

| स. क्र. | पदाभिहित कार्यालयों का नाम | श्रमिक आई.डी. | मृतक का नाम | जन्म दिनांक | मृत्यु दिनांक | अनुग्रह राशि स्वीकृति का दिनांक | राशि (₹ लाख में) | भुगतान का दिनांक |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | जनपद पंचायत, खिरकिया, हरदा | 107067190 | कमल सिंह | 01.01.1958 | 09.05.2018 | 08.02.2019 | 2.00 | 07.04.2019 |
| 15 | नगर पालिका, हरदा | 145282443 | सत्तार खान | 01.01.1958 | 24.05.2018 | 17.07.2018 | 2.00 | 03.08.2018 |
| 16 | नगर निगम, इंदौर | 166494057 | सवित्री बाई जी | 01.01.1958 | 16.05.2018 | 08.06.2018 | 2.00 | 13.06.2018 |
| 17 | जनपद पंचायत, महू, इंदौर | 168345997 | संतोष बाबू | 01.01.1958 | 26.06.2018 | 17.09.2018 | 2.00 | 22.09.2018 |
| 18 | नगर निगम, इंदौर | 303541359 | कैलाश राठौड़ | 01.01.1958 | 19.07.2018 | 03.08.2018 | 2.00 | 03.08.2018 |
| 19 | नगर परिषद, सांवेर, इंदौर | 306564235 | लालचंद्र मोतीलाल | 01.01.1958 | 29.08.2018 | 03.10.2018 | 2.00 | 26.07.2019 |
| 20 | जनपद पंचायत, पाटन, जबलपुर | 128126435 | दशोदा बाई | 01.01.1958 | 26.07.2018 | 06.09.2018 | 2.00 | 17.01.2019 |
| 21 | नगर निगम, जबलपुर | 141075024 | फूलचंद केवट | 01.01.1958 | 13.09.2018 | 01.12.2018 | 2.00 | 02.03.2019 |
| 22 | | 153691334 | श्याम लाल | 01.01.1958 | 24.09.2018 | 22.12.2018 | 2.00 | 21.05.2019 |
| 23 | | 154073754 | तुलसी राम विश्वकर्मा | 01.01.1958 | 07.07.2018 | 16.10.2018 | 2.00 | 28.12.2018 |
| 24 | जनपद पंचायत, पनागर, जबलपुर | 172141631 | रतिराम धोवी | 01.01.1958 | 15.08.2018 | 06.09.2018 | 2.00 | 04.04.2019 |
| 25 | जनपद पंचायत, खालवा, खंडवा | 123964255 | नंदराम | 01.01.1958 | 10.08.2018 | 01.09.2018 | 2.00 | 01.02.2019 |
| 26 | जनपद पंचायत, महेश्वर, खरगोन | 112434235 | गोविंद | 01.01.1958 | 03.08.2018 | 31.08.2018 | 2.00 | 31.08.2018 |
| 27 | जनपद पंचायत, बड़वाह, खरगोन | 124750798 | चतरी बाई रूखड़िया | 01.01.1954 | 02.09.2018 | 10.01.2019 | 2.00 | 13.05.2019 |
| 28 | जनपद पंचायत, घुघरी, मंडला | 135168453 | किसनलाल साहो | 01.01.1958 | 07.06.2018 | 24.07.2018 | 2.00 | 20.08.2018 |
| 29 | जनपद पंचायत, मंदसौर | 166507261 | कवर लाल | 01.01.1958 | 15.05.2018 | 13.06.2018 | 2.00 | 08.03.2019 |
| 30 | जनपद पंचायत, सबलगढ़, मुरैना | 102301851 | रमेश गौड़ | 01.01.1958 | 03.09.2018 | 07.12.2018 | 2.00 | 28.03.2019 |

| स. क्र. | पदाभिहित कार्यालयों का नाम | श्रमिक आईडी. | मृतक का नाम | जन्म दिनांक | मृत्यु दिनांक | अनुग्रह राशि स्वीकृति का दिनांक | राशि (₹ लाख में) | भुगतान का दिनांक |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | जनपद पंचायत, करेली, नरसिंहपुर | 103249858 | मुन्ना लाल मल्लाह | 01.01.1958 | 02.08.2018 | 22.09.2018 | 2.00 | 24.09.2018 |
| 32 | जनपद पंचायत, जावद नीमच | 130982931 | घीसा लाल भील | 01.01.1958 | 14.08.2018 | 10.02.2019 | 2.00 | 10.02.2019 |
| 33 | जनपद पंचायत, पिपलौदा, रतलाम | 101586526 | रणछोड़दास बैरागी | 13.01.1957 | 20.07.2018 | 03.10.2018 | 2.00 | 09.01.2019 |
| 34 | जनपद पंचायत, मालथौन, सागर | 122779004 | भागीरथ पटेल | 01.01.1958 | 20.08.2018 | 09.02.2019 | 2.00 | 08.08.2019 |
| 35 | जनपद पंचायत, शाहगढ़, सागर | 125187058 | नंदी रायकवार | 01.01.1958 | 13.11.2018 | 02.01.2019 | 2.00 | 16.04.2019 |
| 36 | जनपद पंचायत, बंडा, सागर | 157695348 | त्रिवेणीबाई अथिया | 01.01.1958 | 03.06.2018 | 18.12.2018 | 2.00 | 31.12.2018 |
| 37 | जनपद पंचायत, जैसीनगर, सागर | 163302806 | पन्ना लाल पटेल | 01.01.1958 | 21.07.2018 | 11.02.2019 | 2.00 | 22.03.2019 |
| 38 | नगर निगम, सतना | 134295581 | शेखर गौड़ | 01.01.1958 | 18.07.2018 | 05.12.2018 | 2.00 | 25.04.2019 |
| 39 | जनपद पंचायत, कालापीपल शाजापुर | 123375890 | प्रेम नारायण | 01.01.1958 | 28.07.2018 | 17.01.2019 | 2.00 | 27.09.2018 |
| 40 | जनपद पंचायत, विजयपुर, श्योपुर | 152901183 | चिरौंजी जाटव | 01.01.1958 | 09.07.2018 | 26.09.2018 | 2.00 | 17.01.2019 |
| 41 | जनपद पंचायत, सिहावल, सीधी | 135041286 | श्री भूषण साकेत | 01.01.1958 | 12.09.2018 | 22.05.2019 | 2.00 | 16.07.2019 |
| | | | **योग** | | | | **84.00** | |

**(स्रोत: संबल पोर्टल डेटा)**

## परिशिष्ट-2.3.9

**(संदर्भ: कंडिका क्रमांक 2.3.7.4, पृष्ठ संख्या 101)**

**प्रकरणों जिनमें अनुग्रह सहायता का भुगतान अधिक दर पर किया गया का विवरण**

| स. क्र. | पदाभिहित कार्यालयों का नाम | मृत असंगठित श्रमिक का नाम | श्रमिक आई.डी. | मृत्यु दिनांक | मृत्यु का प्रकार | विभाग द्वारा माना गया मृत्यु का प्रकार | भुगतान की जाने वाली राशि (₹ लाख में) | भुगतान की गई राशि (₹ लाख में) | अधिक भुगतान (₹ लाख में) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | जनपद पंचायत, गोहद भिंड | जबर सिंह | 140279806 | 19.08.2019 | सामान्य | दुर्घटना | 2.00 | 4.00 | 2.00 |
| 2 | | हरिमोहन शर्मा | 129117818 | 14.05.2019 | सामान्य | दुर्घटना | 2.00 | 4.00 | 2.00 |
| 3 | | हरि सिंह | 127239982 | 29.08.2018 | सामान्य | दुर्घटना | 2.00 | 4.00 | 2.00 |
| 4 | नगर पालिका परिषद, भिण्ड | मंगल राजावत | 135515453 | 04.02.2019 | सामान्य | दुर्घटना | 2.00 | 4.00 | 2.00 |
| 5 | नगर निगम, भोपाल | जनक दुलारी | 152108390 | 23.07.2020 | सामान्य | दुर्घटना | 2.00 | 4.00 | 2.00 |
| 6 | | राम सिंह फोलवंशी | 171571811 | 17.04.2019 | सामान्य | दुर्घटना | 2.00 | 4.00 | 2.00 |
| 7 | | कमल प्रजापति | 161796592 | 22.05.2019 | सामान्य | दुर्घटना | 2.00 | 4.00 | 2.00 |
| 8 | जनपद पंचायत, फंदा, भोपाल | पर्वत सिंह | 112809226 | 13.09.2021 | सामान्य | दुर्घटना | 2.00 | 4.00 | 2.00 |
| 9 | | यशोदाबाई | 141424980 | 13.08.2019 | सामान्य | दुर्घटना | 2.00 | 4.00 | 2.00 |
| 10 | | प्रेम नारायण पथदार | 116674506 | 02.07.2020 | सामान्य | दुर्घटना | 2.00 | 4.00 | 2.00 |
| 11 | जनपद पंचायत, छतरपुर | श्रीपत पटेल | 127049200 | 26.02.2019 | सामान्य | दुर्घटना | 2.00 | 4.00 | 2.00 |
| 12 | | हरिदास यादव | 138951322 | 17.12.2018 | सामान्य | दुर्घटना | 2.00 | 4.00 | 2.00 |
| 13 | | सुमन राजा | 167114665 | 10.11.2018 | सामान्य | दुर्घटना | 2.00 | 4.00 | 2.00 |
| 14 | | हाकिम सिंह | 163384103 | 23.09.2018 | सामान्य | दुर्घटना | 2.00 | 4.00 | 2.00 |

| स. क्र. | पदाभिहित कार्यालयों का नाम | मृत असंगठित श्रमिक का नाम | श्रमिक आई.डी. | मृत्यु दिनांक | मृत्यु का प्रकार | विभाग द्वारा माना गया मृत्यु का प्रकार | भुगतान की जाने वाली राशि (₹ लाख में) | भुगतान की गई राशि (₹ लाख में) | अधिक भुगतान (₹ लाख में) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | | बबलू अहिरवार | 181567924 | 31.05.2018 | सामान्य | दुर्घटना | 2.00 | 4.00 | 2.00 |
| 16 | | नंदी कुशवाह | 125081063 | 08.07.2018 | सामान्य | दुर्घटना | 2.00 | 4.00 | 2.00 |
| 17 | | स्वामी यादव | 115459419 | 15.09.2018 | सामान्य | दुर्घटना | 2.00 | 4.00 | 2.00 |
| 18 | | पंकज विश्वकर्मा | 179165197 | 16.03.2019 | सामान्य | दुर्घटना | 2.00 | 4.00 | 2.00 |
| 19 | नगर पालिका, छतरपुर | संजीव झारखड़िया | 122683581 | 30.09.2020 | सामान्य | दुर्घटना | 2.00 | 4.00 | 2.00 |
| 20 | | गिरजा नामदेव | 306921063 | 06.03.2021 | सामान्य | दुर्घटना | 2.00 | 4.00 | 2.00 |
| 21 | | लता कुशवाह | 120901335 | 13.05.2019 | सामान्य | दुर्घटना | 2.00 | 4.00 | 2.00 |
| 22 | नगर पालिका परिषद, होशंगाबाद | मुकेश गरेवाल | 122320147 | 16.03.2019 | सामान्य | दुर्घटना | 2.00 | 4.00 | 2.00 |
| 23 | जनपद पंचायत, सोहागपुर, होशंगाबाद | गणपत सिंह | 113663556 | 19.05.2020 | सामान्य | दुर्घटना | 2.00 | 4.00 | 2.00 |
| 24 | | आशा बाई | 110335377 | 05.06.2020 | सामान्य | दुर्घटना | 2.00 | 4.00 | 2.00 |
| 25 | जनपद पंचायत इंदौर | धर्मेंद्र इंदरसिंग | 303001247 | 13.06.2019 | सामान्य | दुर्घटना | 2.00 | 4.00 | 2.00 |
| 26 | | सुरेश सिंह | 164971001 | 03.12.2018 | सामान्य | दुर्घटना | 2.00 | 4.00 | 2.00 |
| 27 | | राहुल किशोर | 164575370 | 24.09.2018 | सामान्य | दुर्घटना | 2.00 | 4.00 | 2.00 |
| 28 | | महेश रतनलाल | 138916676 | 25.09.2018 | सामान्य | दुर्घटना | 2.00 | 4.00 | 2.00 |
| 29 | | गणेश नाथ | 126062762 | 23.12.2018 | सामान्य | दुर्घटना | 2.00 | 4.00 | 2.00 |
| 30 | नगर निगम, इंदौर | धापू मीना | 303981326 | 15.05.2019 | सामान्य | दुर्घटना | 2.00 | 4.00 | 2.00 |
| 31 | | आरती परमार | 302838171 | 05.06.2019 | सामान्य | दुर्घटना | 2.00 | 4.00 | 2.00 |

| स. क्र. | पदाभिहित कार्यालयों का नाम | मृत असंगठित श्रमिक का नाम | श्रमिक आई.डी. | मृत्यु दिनांक | मृत्यु का प्रकार | विभाग द्वारा माना गया मृत्यु का प्रकार | भुगतान की जाने वाली राशि (₹ लाख में) | भुगतान की गई राशि (₹ लाख में) | अधिक भुगतान (₹ लाख में) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | | मनीष जी | 199342797 | 31.12.2019 | सामान्य | दुर्घटना | 2.00 | 4.00 | 2.00 |
| 33 | | राहुल मेघवाल | 197963513 | 26.08.2018 | सामान्य | दुर्घटना | 2.00 | 4.00 | 2.00 |
| 34 | | संतोष घायताकड़ | 197323916 | 11.03.2021 | सामान्य | दुर्घटना | 2.00 | 4.00 | 2.00 |
| 35 | | राजेश चौहान | 196912447 | 26.09.2019 | सामान्य | दुर्घटना | 2.00 | 4.00 | 2.00 |
| 36 | | अनिल कुमार | 193409727 | 07.10.2019 | सामान्य | दुर्घटना | 2.00 | 4.00 | 2.00 |
| 37 | | राजेश | 189607901 | 20.07.2020 | सामान्य | दुर्घटना | 2.00 | 4.00 | 2.00 |
| 38 | | गुलाब बाई | 175158098 | 09.08.2020 | सामान्य | दुर्घटना | 2.00 | 4.00 | 2.00 |
| 39 | | कन्हैया जी | 167621536 | 03.07.2019 | सामान्य | दुर्घटना | 2.00 | 4.00 | 2.00 |
| 40 | | कैलाश जी | 167276731 | 20.03.2020 | सामान्य | दुर्घटना | 2.00 | 4.00 | 2.00 |
| 41 | | राधेश्याम मुराडिया | 167130567 | 04.10.2020 | सामान्य | दुर्घटना | 2.00 | 4.00 | 2.00 |
| 42 | | कैलाश झरने | 157298912 | 27.08.2018 | सामान्य | दुर्घटना | 2.00 | 4.00 | 2.00 |
| 43 | नगर निगम, जबलपुर | राजेश सेन | 127830133 | 15.02.2020 | सामान्य | दुर्घटना | 2.00 | 4.00 | 2.00 |
| 44 | | संतोष झारिया | 138707050 | 14.07.2019 | सामान्य | दुर्घटना | 2.00 | 4.00 | 2.00 |
| 45 | | मोजी लाल चौधरी | 151908630 | 22.10.2018 | सामान्य | दुर्घटना | 2.00 | 4.00 | 2.00 |
| 46 | | प्रह्लाद | 159591741 | 10.07.2019 | सामान्य | दुर्घटना | 2.00 | 4.00 | 2.00 |
| 47 | | विनोद पासी | 161648546 | 17.12.2021 | सामान्य | दुर्घटना | 2.00 | 4.00 | 2.00 |
| 48 | | ज्ञान सिंह | 163550817 | 26.06.2019 | सामान्य | दुर्घटना | 2.00 | 4.00 | 2.00 |

| स. क्र. | पदाभिहित कार्यालयों का नाम | मृत असंगठित श्रमिक का नाम | श्रमिक आई.डी. | मृत्यु दिनांक | मृत्यु का प्रकार | विभाग द्वारा माना गया मृत्यु का प्रकार | भुगतान की जाने वाली राशि (₹ लाख में) | भुगतान की गई राशि (₹ लाख में) | अधिक भुगतान (₹ लाख में) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49 | | राजू विश्वकर्मा | 167969507 | 01.11.2019 | सामान्य | दुर्घटना | 2.00 | 4.00 | 2.00 |
| 50 | | मुकेश मराकाम | 162010448 | 26.02.2019 | सामान्य | दुर्घटना | 2.00 | 4.00 | 2.00 |
| 51 | | सुनीला कुमार जैन | 169592893 | 08.01.2021 | सामान्य | दुर्घटना | 2.00 | 4.00 | 2.00 |
| 52 | नगर निगम, जबलपुर | राजेंद्र सिंह परिहार | 169670627 | 06.09.2020 | सामान्य | दुर्घटना | 2.00 | 4.00 | 2.00 |
| 53 | | मोसमीन बानो | 171971198 | 25.08.2021 | सामान्य | दुर्घटना | 2.00 | 4.00 | 2.00 |
| 54 | | अशोक कुमार | 176090657 | 16.06.2019 | सामान्य | दुर्घटना | 2.00 | 4.00 | 2.00 |
| 55 | | भरत लाल गोंटिया | 182843552 | 07.02.2021 | सामान्य | दुर्घटना | 2.00 | 4.00 | 2.00 |
| 56 | | मोहम्मद अबरार अंसारी | 191527874 | 27.11.2019 | सामान्य | दुर्घटना | 2.00 | 4.00 | 2.00 |
| 57 | | सुभाष राव कदम | 192554749 | 01.04.2021 | सामान्य | दुर्घटना | 2.00 | 4.00 | 2.00 |
| 58 | | रमेश प्रसाद साहू | 169012721 | 03.07.2021 | सामान्य | दुर्घटना | 2.00 | 4.00 | 2.00 |
| 59 | जनपद पंचायत, सिहोरा, जबलपुर | सरदार सिंह लोधी | 141585176 | 06.07.2018 | सामान्य | दुर्घटना | 2.00 | 4.00 | 2.00 |
| 60 | | नन्द लाल दुबे | 115200065 | 02.07.2018 | सामान्य | दुर्घटना | 2.00 | 4.00 | 2.00 |
| 61 | | राहुल गाडरी | 115452349 | 28.09.2018 | सामान्य | दुर्घटना | 2.00 | 4.00 | 2.00 |
| 62 | | सीमा पटेल | 107021881 | 16.08.2018 | सामान्य | दुर्घटना | 2.00 | 4.00 | 2.00 |
| 63 | | अंकित गर्ग | 104021259 | 10.12.2018 | सामान्य | दुर्घटना | 2.00 | 4.00 | 2.00 |
| 64 | | अनिता कोल | 112771979 | 13.02.2019 | सामान्य | दुर्घटना | 2.00 | 4.00 | 2.00 |
| 65 | | सविता विश्वकर्मा | 107919359 | 29.03.2019 | सामान्य | दुर्घटना | 2.00 | 4.00 | 2.00 |

| स. क्र. | पदाभिहित कार्यालयों का नाम | मृत असंगठित श्रमिक का नाम | श्रमिक आई.डी. | मृत्यु दिनांक | मृत्यु का प्रकार | विभाग द्वारा माना गया मृत्यु का प्रकार | भुगतान की जाने वाली राशि (₹ लाख में) | भुगतान की गई राशि (₹ लाख में) | अधिक भुगतान (₹ लाख में) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66 | | मुकेश बर्मन | 194625919 | 01.04.2019 | सामान्य | दुर्घटना | 2.00 | 4.00 | 2.00 |
| 67 | | गोविंद भूमिया | 115302030 | 22.05.2019 | सामान्य | दुर्घटना | 2.00 | 4.00 | 2.00 |
| 68 | | शीला बाई श्रीवास | 105168509 | 04.09.2019 | सामान्य | दुर्घटना | 2.00 | 4.00 | 2.00 |
| 69 | | इमरत लाल लोधी | 107154044 | 28.07.2019 | सामान्य | दुर्घटना | 2.00 | 4.00 | 2.00 |
| 70 | जनपद पंचायत, मानपुर, उमरिया | अमरजीत यादव | 167030638 | 23.06.2019 | सामान्य | दुर्घटना | 2.00 | 4.00 | 2.00 |
| 71 | | खुन्नीलाल अगरिया | 180944097 | 05.06.2021 | सामान्य | दुर्घटना | 2.00 | 4.00 | 2.00 |
| 72 | | चन्द्रभान सिंह | 144849541 | 06.04.2020 | सामान्य | दुर्घटना | 2.00 | 4.00 | 2.00 |
| 73 | | राजाराम सिंह | 156282261 | 20.06.2020 | सामान्य | दुर्घटना | 2.00 | 4.00 | 2.00 |
| 74 | | बलराम बैगा | 133251798 | 15.06.2020 | सामान्य | दुर्घटना | 2.00 | 4.00 | 2.00 |
| 75 | | प्रेमलाल जयसवाल | 156184089 | 29.06.2020 | सामान्य | दुर्घटना | 2.00 | 4.00 | 2.00 |
| 76 | | श्यामसुन्दर दुवेदी | 125892394 | 13.09.2020 | सामान्य | दुर्घटना | 2.00 | 4.00 | 2.00 |
| 77 | | ममता सिंह | 143053927 | 09.11.2019 | सामान्य | दुर्घटना | 2.00 | 4.00 | 2.00 |
| 78 | | रामप्रताप पटेल | 200510877 | 22.09.2019 | सामान्य | दुर्घटना | 2.00 | 4.00 | 2.00 |
| 79 | जनपद पंचायत, मानपुर, उमरिया | शिवकुमार बैगा | 119062155 | 30.12.2019 | सामान्य | दुर्घटना | 2.00 | 4.00 | 2.00 |
| 80 | | शुभम राय | 121801527 | 09.07.2021 | सामान्य | दुर्घटना | 2.00 | 4.00 | 2.00 |
| 81 | | बेदिया चौधरी | 154702887 | 13.08.2018 | सामान्य | दुर्घटना | 2.00 | 4.00 | 2.00 |
| 82 | | ललन गोंड | 154709291 | 06.08.2019 | सामान्य | दुर्घटना | 2.00 | 4.00 | 2.00 |

| स. क्र. | पदाभिहित कार्यालयों का नाम | मृत असंगठित श्रमिक का नाम | श्रमिक आई.डी. | मृत्यु दिनांक | मृत्यु का प्रकार | विभाग द्वारा माना गया मृत्यु का प्रकार | भुगतान की जाने वाली राशि (₹ लाख में) | भुगतान की गई राशि (₹ लाख में) | अधिक भुगतान (₹ लाख में) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 83 | नगर पालिका, उमरिया | नत्थू लाल विश्वकर्मा | 109605362 | 05.12.2021 | सामान्य | दुर्घटना | 2.00 | 4.00 | 2.00 |
| 84 | | नीरज बर्मन | 120768873 | 15.12.2021 | सामान्य | दुर्घटना | 2.00 | 4.00 | 2.00 |
| 85 | | दुर्गा चौधरी | 112492146 | 03.06.2020 | सामान्य | दुर्घटना | 2.00 | 4.00 | 2.00 |
| 86 | | हरिनारायण सिंह भदोरिया | 124685271 | 25.01.2020 | सामान्य | दुर्घटना | 2.00 | 4.00 | 2.00 |
| | | | | | | **योग** | **172.00** | **344.00** | **172.00** |

**(स्रोत: संबल पोर्टल डेटा)**

## परिशिष्ट-2.3.10

**(संदर्भ: कंडिका क्रमांक 2.3.7.6, पृष्ठ संख्या 102)**

**प्रकरणों जिनमें सहायता का दोहरा भुगतान किया गया का विवरण**

| स. क्र. | यू.एल.बी./ पी.आर.आई. का नाम | श्रमिक का नाम एवं आई.डी. | मृत्यु दिनांक | मृत असंगठित श्रमिकों के उत्तराधिकारी को किया गया दोहरा भुगतान | खाता संख्या | आई.एफ.एस.सी. | भुगतान का दिनांक | भुगतान की गयी राशि (₹ लाख में) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | जनपद पंचायत, गोहद, भिंड | सुनील कुमार (150061901) | 20.08.2018 | पार्वती | xxxxxx4357 | सी.बी.आई.एन.0281094 | 19.06.2019 | 2.00 |
| | | | | पार्वती | **xxxxxx4357** | **सी.बी.आई.एन.0281094** | **17.07.2019** | **2.00** |
| 2 | जनपद पंचायत, राजपुर, बड़वानी | हीरा नाजा (123535168) | 11.08.2018 | जालूबाई हीरा | xxxxxxxxxxx3613 | बी.के.आई.डी.0एन.ए.एम.आर.जी.बी. | 15.01.2019 | 2.00 |
| | | | | जालूबाई हीरा | **xxxxxxxxxxx3613** | **बी.के.आई.डी.0एन.ए.एम.आर.जी.बी.** | **30.01.2019** | **2.00** |
| 3 | | लक्ष्मण बाबू (131664397) | 25.08.2018 | सुमन बाई लक्ष्मण | xxxxxxxxxxx1045 | बी.के.आई.डी.0009925 | 15.01.2019 | 2.00 |
| | | | | सुमन बाई लक्ष्मण | **xxxxxxxxxxx1045** | **बी.के.आई.डी.0009925** | **30.01.2019** | **2.00** |
| 4 | | नारिया गुलाब (131016445) | 15.05.2018 | मंजुला बाई | xxxxxxxxxxx2394 | बी.के.आई.डी.0009930 | 08.08.2018 | 4.00 |
| | | | | मंजुला बाई | **xxxxxxxxxxx2394** | **बी.के.आई.डी.0009930** | **23.10.2018** | **4.00** |
| 5 | आयुक्त, नगर निगम, भोपाल | धनराज बचली (163453354) | 27.04.2019 | रीता बाचले | xxxxxxxxxxx1715 | यू.बी.आई.एन.0558109 | 12.01.2022 | 4.00 |
| | | | | रीता बाचले | **xxxxxxxxxxx1715** | **यू.बी.आई.एन.0558109** | **08.04.2022** | **4.00** |
| **कुल राशि** | | | | | | | | **28.00** |
| **दोहरा भुगतान राशि** | | | | | | | | **14.00** |

**(स्रोत: संबल पोर्टल डेटा)**

## परिशिष्ट-2.3.11

### (संदर्भ: कंडिका क्रमांक 2.3.7.9, पृष्ठ संख्या 105)

### प्रकरणों जिनमे श्रमिक की मृत्यु के बाद पंजीकृत किया गया एवं उत्तराधिकारी को अनुग्रह सहायता स्वीकृत की गई का विवरण

| स. क्र. | पदाभिहित कार्यालय का नाम | श्रमिक आई.डी. | नाम | पंजीकरण के लिए आवेदन का दिनांक | पंजीकरण का दिनांक | मृत्यु दिनांक | लाभ स्वीकृति दिनांक | राशि (₹ लाख में) | लेखापरीक्षा टिप्पणी |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | जनपद पंचायत, लहार, भिंड | 146990050 | सुभवानी त्यागी | 29.05.2018 | 08.06.2018 | 19.05.2018 | 09.06.2018 | 2.00 | भुगतान किया गया एवं वसूली नहीं की गयी |
| 2 | नगर पालिका, गोहद, भिंड | 159487771 | पिंटू | 12.05.2018 | 14.05.2018 | 09.05.2018 | 09.06.2018 | 4.00 | भुगतान किया गया एवं वसूली नहीं की गयी |
| 3 | नगर निगम, भोपाल | 170692766 | अब्दुल फहीम | 09.04.2018 | 08.05.2018 | 06.04.2018 | 29.06.2018 | 2.00 | भुगतान किया गया एवं वसूली नहीं की गयी |
| 4 | | 172046264 | नौसाद | 07.06.2018 | 10.06.2018 | 01.05.2018 | 29.06.2018 | 4.00 | भुगतान नहीं हुआ |
| 5 | | 171788475 | गफ्फार खान | 04.04.2018 | 16.04.2018 | 01.04.2018 | 14.06.2018 | 2.00 | भुगतान किया गया एवं वसूली नहीं की गयी |
| 6 | | 171323985 | मनीष | 28.05.2018 | 29.05.2018 | 27.05.2018 | 28.06.2018 | 2.00 | भुगतान नहीं हुआ |
| 7 | | 303248443 | मोहित श्रीवास्तव | 05.06.2018 | 07.06.2018 | 08.04.2018 | 29.06.2018 | 4.00 | भुगतान नहीं हुआ |
| 8 | जनपद पंचायत, बमनीघाट, छतरपुर | 305653678 | मन्नू लाल यादव | 04.05.2018 | 04.06.2018 | 25.04.2018 | 07.06.2018 | 4.00 | वसूली की गई |
| 9 | जनपद पंचायत, साबूखेड़ी, देवास | 103250504 | मेहरबान बालकदास | 22.05.2018 | 30.05.2018 | 19.05.2018 | 13.07.2018 | 2.00 | वसूली की गई |
| 10 | जनपद पंचायत, जमोदी, देवास | 111281084 | राजेंद्र प्रह्लाद | 09.05.2018 | 18.05.2018 | 06.05.2018 | 09.06.2018 | 2.00 | वसूली की गई |

| स. क्र. | पदाभिहित कार्यालय का नाम | श्रमिक आई.डी. | नाम | पंजीकरण के लिए आवेदन का दिनांक | पंजीकरण का दिनांक | मृत्यु दिनांक | लाभ स्वीकृति दिनांक | राशि (₹ लाख में) | लेखापरीक्षा टिप्पणी |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | नगर परिषद, सोनकच्छ, देवास | 167187058 | प्रकाश जी | 02.06.2018 | 04.06.2018 | 13.05.2018 | 05.06.2018 | 2.00 | वसूली की गई |
| 12 | जनपद पंचायत, होशंगाबाद | 121485081 | गोवर्धन कुमार | 07.06.2018 | 08.06.2018 | 10.05.2018 | 07.07.2018 | 2.00 | भुगतान नहीं हुआ |
| 13 | | 129348205 | शेख अलीम | 15.06.2018 | 26.06.2018 | 12.06.2018 | 07.07.2018 | 4.00 | भुगतान नहीं हुआ |
| 14 | जनपद पंचायत, सोहागपुर, होशंगाबाद | 103354579 | विनय कुमार भार्गव | 09.06.2018 | 25.06.2018 | 25.05.2018 | 30.06.2018 | 2.00 | भुगतान नहीं हुआ |
| 15 | | 101466572 | सुमनबाई पुरविया | 09.06.2018 | 25.06.2018 | 23.05.2018 | 29.06.2018 | 2.00 | भुगतान नहीं हुआ |
| 16 | नगर निगम, इंदौर | 168296341 | सतीश जी | 16.04.2018 | 28.04.2018 | 15.04.2018 | 08.06.2018 | 2.00 | भुगतान किया गया एवं वसूली नहीं की गयी |
| 17 | | 166233045 | योगेश जी | 19.04.2018 | 28.04.2018 | 04.04.2018 | 09.06.2018 | 2.00 | भुगतान नहीं हुआ |
| 18 | | 144429226 | सुरेंद्र चंदेले | 07.06.2018 | 10.06.2018 | 30.05.2018 | 10.06.2018 | 2.00 | भुगतान किया गया एवं वसूली नहीं की गयी |
| 19 | | 166488718 | जगमोहन जी | 24.04.2018 | 27.04.2018 | 09.04.2018 | 11.06.2018 | 2.00 | भुगतान किया गया एवं वसूली नहीं की गयी |
| 20 | | 199851761 | राजेश विश्वकर्मा | 12.04.2018 | 02.05.2018 | 09.04.2018 | 10.06.2018 | 4.00 | भुगतान किया गया एवं वसूली नहीं की गयी |
| 21 | | 168463087 | जमना बाई | 25.04.2018 | 28.04.2018 | 11.04.2018 | 09.06.2018 | 2.00 | भुगतान किया गया एवं वसूली नहीं की गयी |

| स. क्र. | पदाभिहित कार्यालय का नाम | श्रमिक आई.डी. | नाम | पंजीकरण के लिए आवेदन का दिनांक | पंजीकरण का दिनांक | मृत्यु दिनांक | लाभ स्वीकृति दिनांक | राशि (₹ लाख में) | लेखापरीक्षा टिप्पणी |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | नगर निगम, जबलपुर | 305576226 | आशीष कुमार यादव | 13.04.2018 | 15.05.2018 | 07.04.2018 | 05.06.2018 | 2.00 | भुगतान किया गया एवं वसूली नहीं की गयी |
| 23 | | 179995608 | दरजेश मलिक | 28.05.2018 | 30.05.2018 | 30.04.2018 | 05.06.2018 | 2.00 | भुगतान किया गया एवं वसूली नहीं की गयी |
| 24 | नगर परिषद, कटंगी, जबलपुर | 145733212 | सुरेश नामदेव | 08.06.2018 | 02.07.2018 | 07.06.2018 | 03.08.2018 | 2.00 | भुगतान नहीं हुआ |
| 25 | जनपद पंचायत, दौलतपुर (जाट), नीमच | 101864608 | शांति लाल धाकड़ | 22.06.2018 | 30.06.2018 | 14.04.2018 | 02.07.2018 | 2.00 | भुगतान किया गया एवं वसूली नहीं की गयी |
| 26 | जनपद पंचायत, कठहा, सतना | 118319952 | अनिल कोल | 08.04.2018 | 25.05.2018 | 07.04.2018 | 10.06.2018 | 2.00 | भुगतान किया गया एवं वसूली नहीं की गयी |
| 27 | जनपद पंचायत, जवारिन, सतना | 141517337 | तीसमार मवासी | 02.04.2018 | 30.05.2018 | 01.04.2018 | 10.06.2018 | 2.00 | भुगतान किया गया एवं वसूली नहीं की गयी |
| 28 | जनपद पंचायत, नौगांव, सतना | 103802971 | गया प्रसाद सिंह | 28.06.2018 | 01.07.2018 | 05.05.2018 | 01.07.2018 | 2.00 | वसूली की गई |
| 29 | नगर निगम, सतना | 181649437 | सीता सिंह | 05.05.2018 | 08.05.2018 | 22.04.2018 | 10.06.2018 | 4.00 | भुगतान किया गया एवं वसूली नहीं की गयी |
| 30 | | 176463964 | अशोक द्विवेदी | 05.05.2018 | 08.05.2018 | 27.04.2018 | 10.06.2018 | 2.00 | भुगतान किया गया एवं वसूली नहीं की गयी |
| 31 | नगर पालिका, खाचरौद, उज्जैन | 302907965 | हुसैना बी | 07.06.2018 | 08.06.2018 | 05.05.2018 | 09.06.2018 | 2.00 | भुगतान किया गया एवं वसूली नहीं की गयी |

| स. क्र. | पदाभिहित कार्यालय का नाम | श्रमिक आई.डी. | नाम | पंजीकरण के लिए आवेदन का दिनांक | पंजीकरण का दिनांक | मृत्यु दिनांक | लाभ स्वीकृति दिनांक | राशि (₹ लाख में) | लेखापरीक्षा टिप्पणी |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | | 137699424 | मो एलियाश | 21.06.2018 | 26.06.2018 | 19.06.2018 | 28.06.2018 | 4.00 | भुगतान किया गया एवं वसूली नहीं की गयी |
| 33 | | 136803080 | मुमताज बी | 27.06.2018 | 29.06.2018 | 21.06.2018 | 07.07.2018 | 2.00 | भुगतान किया गया एवं वसूली नहीं की गयी |
| 34 | | 100904507 | राधेश्याम राठौड़ | 01.06.2018 | 04.06.2018 | 27.04.2018 | 07.06.2018 | 2.00 | भुगतान किया गया एवं वसूली नहीं की गयी |
| 35 | | 102302811 | कल्लो बी | 07.06.2018 | 08.06.2018 | 02.04.2018 | 09.06.2018 | 2.00 | भुगतान किया गया एवं वसूली नहीं की गयी |
| 36 | | 106207955 | आनंदीलाल कांवरिया | 30.06.2018 | 02.07.2018 | 29.05.2018 | 03.07.2018 | 2.00 | भुगतान किया गया एवं वसूली नहीं की गयी |
| 37 | | 122400111 | केसुराम नायमा | 07.06.2018 | 08.06.2018 | 23.04.2018 | 09.06.2018 | 2.00 | भुगतान किया गया एवं वसूली नहीं की गयी |
| **योग** | | | | | | | | **90.00** | |

**(स्रोत: संबल पोर्टल डेटा)**

## परिशिष्ट-2.3.12
### (संदर्भ: कंडिका क्रमांक 2.3.7.10, पृष्ठ संख्या 106)
### प्रकरणों जिनमें गलत उत्तराधिकारी को सहायता का भुगतान किया गया का विवरण

| स. क्र. | पदाभिहित कार्यालयों का नाम | मृतक श्रमिक का नाम | श्रमिक आई.डी. | राशि (₹ लाख में) | राशि प्राप्तकर्ता | | योग्य उत्तराधिकारी | | लेखापरीक्षा टिप्पणी |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | नाम | मृतक के साथ संबंध | नाम | मृतक के साथ संबंध | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) |
| 1 | नगर पालिका, भिण्ड | हुसैन खान | 189020940 | 2.00 | शाहिद | पुत्र | सजदा बेगम | पत्नी | मृतक के पुत्र को लाभ दिया गया, जबकि उसकी पत्नी जीवित थी। |
| 2 | | मुन्नी बानो | 170452738 | 2.00 | सादिक खान | पुत्र | शाबुद्दीन खान | पति | समग्र पोर्टल पर पति के जीवित रहते हुए पुत्र को लाभ दिया गया। अन्य तीन बच्चों में से केवल बड़े पुत्र ने छोटे पुत्र को भुगतान की सहमति दी। |
| 3 | जनपद पंचायत, गोहद, भिंड | गजेंद्र सिंह | 161090248 | 2.00 | सोमता | माता | आशा | पत्नी | मृतक की माँ को लाभ दिया गया, जबकि उनकी पत्नी जीवित थी और उसने अनुग्रह राशि के लिए आवेदन प्रस्तुत किया था। |
| 4 | | अमर सिंह | 149579454 | 2.00 | आकाश | पुत्र | मुन्नी | पत्नी | पत्नी के स्थान पर मृतक के पुत्र को लाभ दिया गया। |
| 5 | | नारायणी देवी | 168557267 | 2.00 | राहुल | पुत्र | बलाराम यादव | पति | मृतक के पुत्र को लाभ दिया गया जबकि उसका पति जीवित था तथा उसके द्वारा अनुग्रह राशि हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया। |

| स. क्र. | पदाभिहित कार्यालयों का नाम | मृतक श्रमिक का नाम | श्रमिक आई.डी. | राशि (₹ लाख में) | राशि प्राप्तकर्ता | | योग्य उत्तराधिकारी | | लेखापरीक्षा टिप्पणी |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | नाम | मृतक के साथ संबंध | नाम | मृतक के साथ संबंध | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) |
| 6 | नगर निगम, ग्वालियर | आलोक शुक्ला | 186485745 | 2.00 | आयुष शुक्ला | पुत्र | श्री देवी | पत्नी | मृतक की पत्नी सुश्री श्री देवी के स्थान पर छोटे पुत्र को लाभ दिया गया। |
| 7 | | राकेश | 175341253 | 4.00 | राजबेटी | माता | वन्दना, प्रियंका और संजय | पुत्री एवं पुत्र | वंदना, प्रियंका एवं संजय मृतक श्रमिक के पुत्री एवं पुत्र थे तथा योजना के लाभ हेतु पात्र थे। दावा आवेदन में इनके नाम मृतक के उत्तराधिकारी के रूप में दर्ज थे। |
| 8 | जनपद पंचायत, छतरपुर | माणिक लाल अहिरवार | 125085446 | 2.00 | संजय अहिरवार | पुत्र | कट्टू अहिरवार | पत्नी | पत्नी की सहमति के बिना पुत्र को अनुग्रह राशि का अनियमित भुगतान किया गया। |
| 9 | जनपद पंचायत, छतरपुर | भगुंता अहिरवार | 131910400 | 2.00 | पूजा अहिरवार | पुत्री | बिनी अहिरवार | पत्नी | पत्नी की सहमति के बिना पुत्री को अनुग्रह राशि का अनियमित भुगतान किया गया। |
| 10 | | सुरेंद्र चैबे | 187948075 | 2.00 | बाल्मीक चैबे | पिता | आशीष एवं रौशनी | पुत्र एवं पुत्री | अनुग्रह राशि का भुगतान अनियमित रूप से बच्चों के बजाय पिता को किया गया। |
| 11 | | रवि अहिरवार | 170109128 | 4.00 | मंटू अहिरवार | पिता | नाम नहीं, सीमा अहिरवार | पत्नी, पुत्री | पुत्रियों की सहमति के बिना पुत्र को अनुग्रह राशि का अनियमित भुगतान किया गया। |
| 12 | | कालीचरण अहिरवार | 143910145 | 2.00 | संध्या अहिरवार | पुत्री | रामकुवर बाई अहिरवार | पत्नी | अनुग्रह राशि का अनियमित भुगतान पत्नी की जगह पुत्री को किया गया। |

| स. क्र. | पदाभिहित कार्यालयों का नाम | मृतक श्रमिक का नाम | श्रमिक आई.डी. | राशि (₹ लाख में) | राशि प्राप्तकर्ता | | योग्य उत्तराधिकारी | | लेखापरीक्षा टिप्पणी |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | नाम | मृतक के साथ संबंध | नाम | मृतक के साथ संबंध | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) |
| 13 | नगर निगम, जबलपुर | अंजूलता बघेल | 171270018 | 2.00 | प्रिया बघेल | पुत्री | नरेंद्र बघेल | पति | मृतक के पति की जगह पुत्री को भुगतान किया गया जबकि पुत्री विवाहित थी एवं उसका नाम समग्र आईडी में नहीं था। |
| 14 | जनपद पंचायत, मानपुर उमरिया | ननकी बाई बैगा | 115597624 | 2.00 | शिव कुमार बैगा | पुत्र | सुंदर बैगा | पति | पति की सहमति के बिना पुत्र को अनुग्रह राशि का अनियमित भुगतान किया गया। |
| 15 | | सुकवरिया सिंह | 114948235 | 2.00 | ओमप्रक्ष सिंह गोंड | पुत्र | तिलकधारी सिंह | पति | पति की सहमति के बिना पुत्र को अनुग्रह राशि का अनियमित भुगतान किया गया। |
| 16 | | शंखी बाई | 133864763 | 2.00 | माधव सिंह | पुत्र | रमेश सिंह | पति | पति की सहमति के बिना पुत्र को अनुग्रह राशि का अनियमित भुगतान किया गया। |
| 17 | | कमली बाई बैगा | 130045440 | 2.00 | मेहेलाल बैगा | पुत्र | बाबूलाल बैगा | पति | पति की सहमति के बिना पुत्र को अनुग्रह राशि का अनियमित भुगतान किया गया। |
| 18 | नगर पालिका, उमरिया | अमृतलाल | 167337149 | 2.00 | दुर्गा कोल | पुत्र | दुर्गी कोल | पत्नी | पत्नी की सहमति के बिना पुत्र को अनुग्रह राशि का अनियमित भुगतान किया गया। |
| **योग** | | | | **40.00** | | | | | |

**(स्रोत: संबल पोर्टल डेटा)**

## परिशिष्ट-2.3.13

**(संदर्भ: कंडिका क्रमांक 2.3.7.12(अ), पृष्ठ संख्या 108)**

**चयनित शहरी स्थानीय निकाय/पंचायती राज संस्था वार प्रकरणों जिसमें अंत्येष्टि सहायता का भुगतान नहीं किया गया की संख्या दर्शाने वाला विवरण**

| स. क्र. | पदाभिहित कार्यालयों का नाम | मृत असंगठित श्रमिकों की कुल संख्या | प्रकरणों की संख्या जिनमें अंत्येष्टि सहायता का भुगतान नहीं किया गया | देय राशि (₹ लाख में) | लाभ से वंचित लाभार्थियों का प्रतिशत |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | जनपद पंचायत, गोहद, भिंड | 261 | 48 | 2.40 | 18.39 |
| | नगर पालिका, भिंड | 196 | 77 | 3.85 | 39.29 |
| 2 | जनपद पंचायत, फंदा, भोपाल | 421 | 52 | 2.60 | 12.35 |
| | नगर निगम, भोपाल | 873 | 292 | 14.60 | 33.45 |
| 3 | नगर पालिका, छतरपुर | 82 | 42 | 2.10 | 51.22 |
| | जनपद पंचायत, छतरपुर | 392 | 136 | 6.80 | 34.69 |
| 4 | जनपद पंचायत, कन्नौद, देवास | 504 | 176 | 8.80 | 34.92 |
| | नगर निगम, देवास | 447 | 98 | 4.90 | 21.92 |
| 5 | जनपद पंचायत, घाटीगांव, ग्वालियर | 530 | 139 | 6.95 | 26.23 |
| | नगर निगम, ग्वालियर | 931 | 534 | 26.70 | 57.36 |
| 6 | जनपद पंचायत, सोहागपुर, होशंगाबाद | 404 | 72 | 3.60 | 17.82 |
| | नगर पालिका, होशंगाबाद | 136 | 65 | 3.25 | 47.79 |
| 7 | नगर निगम, इंदौर | 1606 | 626 | 31.30 | 38.98 |
| | जनपद पंचायत, इंदौर (ग्रामीण) | 557 | 126 | 6.30 | 22.62 |
| 8 | नगर निगम, जबलपुर | 2498 | 998 | 49.90 | 39.95 |
| | जनपद पंचायत, सिहोरा, जबलपुर | 621 | 307 | 15.35 | 49.44 |
| 9 | जनपद पंचायत, मैहर, सतना | 676 | 297 | 14.85 | 43.93 |
| | नगर निगम, सतना | 188 | 63 | 3.15 | 33.51 |
| 10 | जनपद पंचायत, मानपुर, उमरिया | 757 | 242 | 12.10 | 31.97 |
| | नगर पालिका, उमरिया | 61 | 8 | 0.40 | 13.11 |
| | **कुल** | **12,141** | **4,398** | **219.90** | **36.22** |

## परिशिष्ट-2.3.14

**(संदर्भ: कंडिका क्रमांक 2.3.8.3, पृष्ठ संख्या 114)**

**चयनित शहरी स्थानीय निकायों/पंचायती राज संस्थाओं में प्राप्त, उपयोग किये गए एवं अव्ययित निधि का विवरण**

**(₹ लाख में)**

| स. क्र. | कार्यालयों का नाम | निधि आवंटन का उद्देश्य | संबल योजना के अंतर्गत कुल प्राप्त निधि | प्राप्त निधि से किया गया कुल व्यय | श्रम आयुक्त को वापस की गई राशि | बैंक खातो में अव्ययित राशि |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | जिला पंचायत, भिण्ड | अंत्येष्टि, अनुग्रह राशि, स्मार्ट कार्ड, ब्रोशर एवं कंप्यूटर प्रिंटर आदि | 92.89 | 63.69 | 0.00 | 29.20 |
| | जनपद पंचायत, गोहद, भिंड | अनुग्रह सहायता | 252.00 | 252.00 | 0.00 | 0.00 |
| | नगर पालिका, भिंड | अनुग्रह राशि एवं अंत्येष्टि सहायता | 149.35 | 144.15 | 0.00 | 5.20 |
| 2 | जनपद पंचायत, फंदा, भोपाल | अनुग्रह सहायता | 381.20 | 380.79 | 0.00 | 0.41 |
| | नगर निगम, भोपाल | अनुग्रह राशि एवं अंत्येष्टि सहायता | 1051.50 | 1043.60 | 0.00 | 7.90 |
| | जिला पंचायत, भोपाल | अनुग्रह राशि का भुगतान, संबल कार्ड का मुद्रण, कम्प्यूटर मानदेय, आदि | 359.08 | 342.93 | 0.00 | 16.15 |
| 3 | जिला पंचायत, छतरपुर | अनुग्रह राशि का भुगतान, संबल कार्ड का मुद्रण, कम्प्यूटर मानदेय एवं अन्य जनपद पंचायत से प्राप्त अप्रयुक्त निधि, आदि। | 405.25 | 266.26 | 0.00 | 138.99 |
| | नगर पालिका, छतरपुर | अंत्येष्टि सहायता एवं अनुग्रह सहायता राशि का भुगतान | 93.00 | 93.00 | 0.00 | 0.00 |
| | जनपद पंचायत , छतरपुर | अंत्येष्टि सहायता एवं अनुग्रह सहायता राशि का भुगतान | 185.85 | 185.85 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | नगर निगम, देवास | अंत्येष्टि एवं अनुग्रह निधि | 298.00 | 298.00 | 0.00 | 0.00 |
| | जनपद पंचायत, कन्नोद, देवास | अंत्येष्टि एवं अनुग्रह निधि | 298.00 | 272.00 | 0.00 | 26.00 |

| स. क्र. | कार्यालयों का नाम | निधि आवंटन का उद्देश्य | संबल योजना के अंतर्गत कुल प्राप्त निधि | प्राप्त निधि से किया गया कुल व्यय | श्रम आयुक्त को वापस की गई राशि | बैंक खातो में अव्ययित राशि |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | जिला पंचायत, देवास | अनुग्रह राशि, स्मार्ट कार्ड, ब्रोशर मुद्रण, कंप्यूटर, प्रिंटर, स्टेशनरी, कंप्यूटर ऑपरेटर का मानदेय | 673.59 | 562.84 | 110.75 | 0.00 |
| 5 | जिला पंचायत, ग्वालियर | अंत्येष्टि, अनुग्रह राशि, स्मार्ट कार्ड, ब्रोशर एवं कंप्यूटर प्रिंटर आदि | 294.12 | 241.92 | 0.00 | 52.20 |
| | जनपद पंचायत, घाटीगांव ग्वालियर | अनुग्रह राशि, स्मार्ट कार्ड, ब्रोशर एवं कंप्यूटर प्रिंटर आदि | 343.00 | 332.01 | 0.00 | 10.99 |
| | नगर निगम, ग्वालियर | अंत्येष्टि, अनुग्रह राशि, स्मार्ट कार्ड, ब्रोशर एवं कंप्यूटर प्रिंटर आदि | 725.71 | 722.02 | 0.00 | 3.69 |
| 6 | जिला पंचायत, होशंगाबाद | अंत्येष्टि, अनुग्रह राशि, स्मार्ट कार्ड, ब्रोशर एवं कंप्यूटर प्रिंटर आदि | 356.06 | 314.18 | 0.00 | 41.88 |
| | जनपद पंचायत, सोहागपुर होशंगाबाद | अनुग्रह राशि एवं कंप्यूटर प्रिंटर आदि | 249.20 | 229.00 | 0.00 | 20.20 |
| | नगर पालिका, होशंगाबाद | अनुग्रह राशि एवं अंत्येष्टि | 74.00 | 74.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7 | जिला पंचायत इंदौर | अनुग्रह राशि, स्मार्ट कार्ड मुद्रण, अंत्येष्टि अग्रिम आदि | 697.57 | 667.13 | 0.00 | 30.44 |
| | जनपद पंचायत, इंदौर ग्रामीण | अनुग्रह सहायता | 390.38 | 390.05 | 0.00 | 0.33 |
| | नगर निगम, इंदौर | अनुग्रह एवं अंत्येष्टि सहायता | 1228.85 | 1105.07 | 0.00 | 123.78 |
| 8 | जिला पंचायत, जबलपुर | स्मार्ट कार्ड एवं ब्रोशर प्रिंटिंग, कम्प्यूटर ऑपरेटर का मानदेय, कम्प्यूटर प्रिंटर एवं स्टेशनरी | 72.27 | 39.16 | 0.00 | 33.11 |
| | नगर निगम, जबलपुर | अंत्येष्टि सहायता एवं अनुग्रह सहायता | 1798.30 | 1756.95 | 0.00 | 41.35 |
| | जनपद पंचायत, सिहोरा जबलपुर | अंत्येष्टि सहायता एवं अनुग्रह सहायता | 265.00 | 265.00 | 0.00 | 0.00 |

| स. क्र. | कार्यालयों का नाम | निधि आवंटन का उद्देश्य | संबल योजना के अंतर्गत कुल प्राप्त निधि | प्राप्त निधि से किया गया कुल व्यय | श्रम आयुक्त को वापस की गई राशि | बैंक खातो में अव्ययित राशि |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | जिला पंचायत, सतना | अनुग्रह एवं अंत्येष्टि सहायता | 422.65 | 350.73 | 71.92 | 0.00 |
| | नगर निगम, सतना | अनुग्रह एवं अंत्येष्टि सहायता | 148.00 | 148.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10 | जिला पंचायत, उमरिया | अनुग्रह राशि का भुगतान, संबल कार्ड का मुद्रण आदि | 301.29 | 257.78 | 0.00 | 43.51 |
| | नगर पालिका, उमरिया | अंत्येष्टि एवं अनुग्रह सहायता का भुगतान | 22.00 | 22.00 | 0.00 | 0.00 |
| | जनपद पंचायत, मानपुर, उमरिया | अंत्येष्टि एवं अनुग्रह सहायता का भुगतान | 431.00 | 430.50 | 0.00 | 0.50 |
| **कुल** | | | **12,059.11** | **11,250.61** | **182.67** | **625.83** |

**परिशिष्ट-2.3.15(क)**

**(संदर्भ: कंडिका क्रमांक 2.3.9.3, पृष्ठ संख्या 119)**

**प्रकरणों जिनमें पदाभिहित अधिकारी ने पात्र लाभार्थियों को लाभ से इंकार किया का विवरण**

| स. क्र. | मृतक श्रमिक का नाम | श्रमिक आई.डी. | मृत्यु दिनांक | मृत्यु का प्रकार | अपात्र घोषित किये जाने के कारण | भुगतान की जाने वाली राशि (₹ लाख में) | लेखापरीक्षा प्रेक्षण |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | लक्ष्मी बाई | 196162097 | 15.02.2021 | सामान्य | संयुक्त खाते में एक हेक्टेयर से अधिक भूमि | 2.00 | मृतका के पति के नाम 1.250 हेक्टेयर भूमि का 1/40 हिस्सा था। |
| 2 | बादामी लाल | 147936142 | 13.12.2020 | सामान्य | पिता के नाम एक हेक्टेयर से अधिक भूमि | 2.00 | भूमि मृतक या उसकी पत्नी के नाम पर नहीं थी |
| 3 | छुट्टन बाई | 104453512 | 15.04.2019 | सामान्य | संयुक्त खाते में एक हेक्टेयर से अधिक भूमि | 2.00 | मृतका के पति के नाम पर का 1.88 हेक्टेयर भूमि का 1/6 हिस्सा था। |
| 4 | दशरथ सिंह | 146447258 | 29.04.2019 | सामान्य | पिता के नाम एक हेक्टेयर से अधिक भूमि | 2.00 | भूमि मृतक या उसकी पत्नी के नाम पर नहीं थी |
| 5 | नवीन कुमार मीना | 102507962 | 31.05.2020 | दुर्घटना | पिता पेंशनर हैं एवं उनके नाम एक हेक्टेयर से अधिक भूमि | 4.00 | भूमि मृतक या उसकी पत्नी के नाम पर नहीं थी। इसके अलावा न तो मृतक और न ही उसकी पत्नी शासकीय सेवक थे। |
| 6 | राम सिंह | 108893639 | 16.08.2020 | सामान्य | मृतक के नाम पर एक हेक्टेयर से अधिक भूमि | 2.00 | संयुक्त खाते में 0.965 हेक्टेयर भूमि मृतक के हिस्से में थी |
| 7 | महेंद्र सिंह | 118702096 | 26.01.2019 | सामान्य | पिता के नाम एक हेक्टेयर से अधिक भूमि | 2.00 | भूमि मृतक या उसकी पत्नी के नाम पर नहीं थी |
| 8 | बसंत कुमार | 101246271 | 13.01.2019 | दुर्घटना | पिता के नाम एक हेक्टेयर से अधिक भूमि | 4.00 | भूमि मृतक या उसकी पत्नी के नाम पर नहीं थी |

| स. क्र. | मृतक श्रमिक का नाम | श्रमिक आई.डी. | मृत्यु दिनांक | मृत्यु का प्रकार | अपात्र घोषित किये जाने के कारण | भुगतान की जाने वाली राशि (₹ लाख में) | लेखापरीक्षा प्रेक्षण |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | सोनिया अहिरवार | 307008452 | 10.05.2019 | सामान्य | ससुर के नाम एक हेक्टेयर से अधिक भूमि | 2.00 | भूमि मृतका या उसके पति के नाम पर नहीं थी |
| 10 | राजकुमार | 110766791 | 04.12.2020 | सामान्य | संयुक्त खाते में एक हेक्टेयर से अधिक भूमि | 2.00 | मृतक के नाम पर 1.17 हेक्टेयर भूमि का 1/24 हिस्सा था। |
| 11 | राम विलास | 130789573 | 26.05.2021 | सामान्य | संयुक्त खाते में एक हेक्टेयर से अधिक भूमि | 2.00 | संयुक्त खाते की 1.691 हेक्टेयर भूमि के 6 हिस्सेदार थे। |
| 12 | बृजलाल | 125650544 | 17.03.2021 | सामान्य | संयुक्त खाते में एक हेक्टेयर से अधिक भूमि | 2.00 | मृतक के नाम पर भूमि का हिस्सा 1.70 हेक्टेयर का 1/4 था। |
| 13 | पदम सिंह | 138269296 | 13.09.2020 | सामान्य | संयुक्त खाते में एक हेक्टेयर से अधिक भूमि | 2.00 | मृतक के नाम पर 4.740 हेक्टेयर भूमि का 1/9 हिस्सा था। |
| 14 | -जगदीश पुरी | 133055249 | 09.09.2021 | सामान्य | संयुक्त खाते में एक हेक्टेयर से अधिक भूमि | 2.00 | 2.137 हेक्टेयर भूमि के संयुक्त खाते में मृतक पत्नी सहित 6 हिस्सेदार थे। |
| 15 | अमर सिंह | 106185486 | 12.04.2021 | सामान्य | संयुक्त खाते में एक हेक्टेयर से अधिक भूमि | 2.00 | मृतक के नाम पर भूमि का हिस्सा 0.558 हेक्टेयर था |
| 16 | सोमेश सिंह | 103854276 | 07.08.2021 | सामान्य | संयुक्त खाते में एक हेक्टेयर से अधिक भूमि | 2.00 | भूमि मृतक या उसकी पत्नी के नाम पर नहीं थी |
| 17 | प्रीतम बाई | 130735156 | 27.04.2021 | सामान्य | ससुर के नाम एक हेक्टेयर से अधिक भूमि | 2.00 | भूमि मृतका या उसके पति के नाम पर नहीं थी |
| 18 | श्रीप्रकाश चतुर्वेदी | 104113060 | 09.11.2021 | सामान्य | पिता के नाम एक हेक्टेयर से अधिक भूमि | 2.00 | भूमि मृतक या उसकी पत्नी के नाम पर नहीं थी |

| स. क्र. | मृतक श्रमिक का नाम | श्रमिक आई.डी. | मृत्यु दिनांक | मृत्यु का प्रकार | अपात्र घोषित किये जाने के कारण | भुगतान की जाने वाली राशि (₹ लाख में) | लेखापरीक्षा प्रेक्षण |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | जितेंद्र | 139345571 | 15.06.2019 | सामान्य | पिता के नाम एक हेक्टेयर से अधिक भूमि | 2.00 | भूमि मृतक या उसकी पत्नी के नाम पर नहीं थी |
| 20 | सुगंधी बाई | 147668588 | 29.09.2021 | सामान्य | संयुक्त खाते में एक हेक्टेयर से अधिक भूमि | 2.00 | संयुक्त खाते की 0.591 हेक्टेयर भूमि में मृतका के पति सहित 5 हिस्सेदार थे। शेष 0.610 हेक्टेयर भूमि मृतक अथवा उसके पति के नाम नहीं थी। |
| **योग** | | | | | | **44.00** | |

**(स्रोत: संबल पोर्टल डेटा)**

## परिशिष्ट-2.3.15(ख)

### (संदर्भ: कंडिका क्रमांक 2.3.9.3, पृष्ठ क्रमांक 119)

### प्रकरणों जिनमे अपीलीय प्राधिकारी ने पात्र लाभार्थियों को लाभ अस्वीकृत कर दिया का विवरण

| स. क्र. | अपील जिसके विरुद्ध किया गया | अपीलकर्ता का नाम | मृत असंगठित श्रमिक का नाम | श्रमिक आई.डी. | मृत्यु दिनांक | मृत्यु का प्रकार | नियमानुसार भुगतान की जाने वाली राशि (₹ लाख में) | लेखापरीक्षा प्रेक्षण |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | सी.ई.ओ., जनपद पंचायत, सोहागपुर | प्रेमशंकर बरगोती | धर्मेंद्र | 101395394 | 15.12.2020 | सामान्य | 2.00 | अपीलीय प्राधिकारी ने इस आधार पर अपील निरस्त कर दिया कि मृतक के पिता शासकीय सेवक थे एवं अब वह पेंशन प्राप्त कर रहे है। |
| 2. | सी.ई.ओ., जनपद पंचायत, होशंगाबाद | ज्योति सराठे | केदार सिंह | 120800805 | 20.04.2021 | सामान्य | 2.00 | अपीलीय प्राधिकारी ने संयुक्त खाते में एक हेक्टेयर से अधिक भूमि होने के आधार पर अपील खारिज कर दिया। |
| 3. | | शाहनाज़ बी | शेख फिरदौस | 165970843 | 02.01.2021 | सामान्य | 2.00 | अपीलीय प्राधिकारी ने इस आधार पर अपील खारिज कर दिया कि संयुक्त खाते में भूमि एक हेक्टेयर से अधिक था जबकि पटवारी ने प्रमाणित किया कि शेख फिरदौस के हिस्से में 0.2036 हेक्टेयर भूमि था। |
| 4. | सी.ई.ओ., जनपद पंचायत, माखन नगर | गोपाल प्रसाद | वन्दना यादव | 300282508 | 07.07.2021 | सामान्य | 2.00 | पटवारी ने प्रमाणित किया कि गोपाल यादव के नाम पर कोई भूमि नहीं था। भूमि उनके पिता के नाम पर थी लेकिन अपीलीय प्राधिकारी ने अपील खारिज कर दिया। |

| स. क्र. | अपील जिसके विरुद्ध किया गया | अपीलकर्ता का नाम | मृत असंगठित श्रमिक का नाम | श्रमिक आई.डी. | मृत्यु दिनांक | मृत्यु का प्रकार | नियमानुसार भुगतान की जाने वाली राशि (₹ लाख में) | लेखापरीक्षा प्रेक्षण |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5. | सी.ई.ओ., जनपद पंचायत, सोहागपुर | रीता बाई | जितेंद्र | 103033606 | 06.01.2021 | सामान्य | 2.00 | अपीलीय प्राधिकारी ने संयुक्त खाते में एक हेक्टेयर से अधिक भूमि होने के आधार पर अपील खारिज कर दी। |
| 6. | | ब्रिजेश नर्रे | हरभजन नर्रे | 167431344 | 25.12.2018 | सामान्य | 2.00 | अपीलीय प्राधिकारी ने इस आधार पर अपील खारिज कर दी कि संयुक्त खाते में भूमि एक हेक्टेयर से अधिक थी जबकि पटवारी ने परिवार के 12 सदस्यों के संयुक्त खाते में 1.250 हेक्टेयर भूमि होना सत्यापित किया। |
| 7. | सी.ई.ओ., जनपद पंचायत, पिपरिया | दामोदर प्रसाद | मथुरा बाई | 116139242 | 25.03.2019 | सामान्य | 2.00 | अपीलीय प्राधिकारी ने संयुक्त खाते में एक हेक्टेयर से अधिक भूमि होने के आधार पर अपील खारिज कर दिया। |
| 8. | | भगवानदास यादव | गुल्लो बाई | 102238485 | 16.07.2021 | सामान्य | 2.00 | अपीलीय प्राधिकारी ने संयुक्त खाते में एक हेक्टेयर से अधिक भूमि होने के आधार पर अपील खारिज कर दिया। |
| 9. | सी.ई.ओ., जनपद पंचायत, सिवनी मालवा | अंजू उर्फ अनिता बाई | संजू कुमार | 107576435 | 18.07.2019 | सामान्य | 2.00 | पटवारी ने प्रमाणित किया कि 2.00 हेक्टेयर भूमि मृतक की मां के नाम पर था, परन्तु अपीलीय प्राधिकारी ने अपील खारिज कर दिया। |

| स. क्र. | अपील जिसके विरुद्ध किया गया | अपीलकर्ता का नाम | मृत असंगठित श्रमिक का नाम | श्रमिक आई.डी. | मृत्यु दिनांक | मृत्यु का प्रकार | नियमानुसार भुगतान की जाने वाली राशि (₹ लाख में) | लेखापरीक्षा प्रेक्षण |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10. | सी.ई.ओ., जनपद पंचायत, केसला | शिवकुमार दुबे | अरुण कुमार दुबे | 113617884 | 01.07.2020 | सामान्य | 2.00 | अपीलीय प्राधिकारी ने संयुक्त खाते में एक हेक्टेयर से अधिक भूमि होने के आधार पर अपील खारिज कर दिया। |
| 11. | सी.एम.ओ., नगर पालिका परिषद, सिवनी मालवा | सुषमा बाई | नरेश मोरी | 111570643 | 30.04.2021 | सामान्य | 2.00 | अपीलीय प्राधिकारी ने संयुक्त खाते में एक हेक्टेयर से अधिक भूमि होने के आधार पर अपील खारिज कर दिया। |
| **योग** | | | | | | | **22.00** | |

**(स्रोत: संबल पोर्टल डेटा)**

## संक्षिप्तों की शब्दावली

| क्रमांक | संक्षिप्त | पूर्ण रूप |
|---|---|---|
| **प्राकृतिक आपदाओं के अंतर्गत वित्तीय सहायता की लेखापरीक्षा** | | |
| 1. | डी.डी.ओ. | आहरण एवं संवितरण अधिकारी |
| 2. | एफ.आई.आर. | प्रथम सूचना प्रतिवेदन |
| 3. | आई.एफ.एम.आई.एस. | एकीकृत वित्तीय प्रबंधन सूचना प्रणाली |
| 4. | आई.एफ.एस.सी. | भारतीय वित्तीय प्रणाली कोड |
| 5. | एम.पी.एफ.सी. | मध्य प्रदेश वित्तीय संहिता |
| 6. | आर.बी.सी. 6-4 | राजस्व पुस्तक परिपत्र 6-4 |
| 7. | एस.डी.ओ. | अनुविभागीय अधिकारी |
| 8. | एस.डी.आर.एफ. | राज्य आपदा मोचन निधि |
| **शासकीय भूमि के आवंटन एवं प्रबंधन पर लेखापरीक्षा** | | |
| 9. | ए.डी.एम. | अपर जिला मजिस्ट्रेट |
| 10. | सी.ई.ओ. | मुख्य कार्यपालन अधिकारी |
| 11. | सी.एल.आर. | आयुक्त, भू-अभिलेख |
| 12. | सी.एल.पी. | प्रतिपूरक भू-खण्ड |
| 13. | डी.डी.ए. | देवास विकास प्राधिकरण |
| 14. | के.एम.एल. | कीहोल मार्कअप लेंगवेज़ |
| 15. | म.प्र.भू.रा.स. | मध्य प्रदेश भू-राजस्व संहिता |
| 16. | एम.पी.एन.बी.एन.एन. | मध्य प्रदेश नजूल भूमि निर्वर्तन निर्देश |
| 17. | एम.एस.एम.ई | सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम |
| 18. | पी.एस. | प्रमुख सचिव |
| 19. | आर.आई. | राजस्व निरीक्षक |

| क्रमांक | संक्षिप्त | पूर्ण रूप |
|---|---|---|
| **मुख्यमंत्री जन कल्याण (संबल) योजना के कार्यान्वयन की लेखापरीक्षा** | | |
| 20. | ए.एल.सी. | सहायक श्रम आयुक्त |
| 21. | बी.ओ.सी.डब्लू. | भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल |
| 22. | सी.एम.ओ. | मुख्य नगर पालिका अधिकारी |
| 23. | डी.बी.टी. | प्रत्यक्ष लाभ अंतरण |
| 24. | डी.एल.ओ. | जिला श्रम अधिकारी |
| 25. | ई.पी.ओ. | इलेक्ट्रॉनिक भुगतान आदेश |
| 26. | जी.पी. | ग्राम पंचायत |
| 27. | आई.जी.एन.ओ.पी.एस. | इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना |
| 28. | जे.पी. | जनपद पंचायत |
| 29. | के.वाई.सी. | अपने ग्राहक को जानो |
| 30. | एल.सी. | श्रम आयुक्त |
| 31. | एम.आई.एस. | प्रबंधन सूचना प्रणाली |
| 32. | एन.आई.सी. | राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र |
| 33. | एन.एन. | नगर निगम |
| 34. | पी.आर.डी.डी. | पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग |
| 35. | पी.आर.आई. | पंचायती राज संस्थान |
| 36. | आर.आर.सी. | राजस्व वसूली प्रमाण-पत्र |
| 37. | यू.आई.डी.ए.आई. | भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण |
| 38. | यू.एल.बी. | शहरी स्थानीय निकाय |
| 39. | जेड.पी. | जिला पंचायत |

© भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक
www.cag.gov.in

https://cag.gov.in/ag1/madhya-pradesh/hi